द्वादश माला, खंड 9, अंक 16

मंगलवार, 16 मार्च, 1999
25 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 16, मंगलवार, 16 मार्च, 1999/25 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281–283	1–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 284–300	27–113
अतारांकित प्रश्न संख्या 2969–3198	113–501
कृभको के अधिकारियों के दौरों के बारे में दिनांक 14 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3971 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	501–502
सभा पटल पर रखे गए पत्र	501–510
राज्य सभा से संदेश	510–511
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	511
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बन्द किये जाने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति	529–540
श्री बसुदेव आचार्य	529
श्री सिकन्दर बख्त	529
नियम 377 के अधीन मामले...	540
(एक) अहमदाबाद/राजकोट तक जाने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों को गुजरात में ओखा-पोरबन्दर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	540
(दो) इंडियन फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर में पहले से काम कर रहे सभी कर्मचारियों को कृभको में खपाये जाने तथा उन्हें नये वेतनमान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री आदित्यनाथ	541

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	मध्य प्रदेश में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	541
(चार)	बिहार में कोडरमा के स्थान पर राजगीर में आयुध निर्माणी स्थापित करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	542
(पांच)	कर्नाटक में महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.सी. कोंडय्या	542
(छह)	केरल में दक्षिण रेलवे के मंगलौर और शोरनूर के बीच रेल लाइन को दोहरा किए जाने के कार्य को शीघ्र पूरा कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	543
(सात)	महाराष्ट्र राज्य को तरल ईंधन का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री अभय सिंह एस. भोंसले	543
(आठ)	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सतीश सामन्त की जन्मशती शानदार ढंग से मनाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ	544
(नौ)	अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने तथा उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री मित्रसेन यादव	544
(दस)	तमिलनाडु में पल्लीपलयम नगर पंचायत और कोमारपलयम नगर पालिका में स्थित रंगाई कारखानों में अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. पलानीस्वामी	545
(ग्यारह)	छपरा जिले में कोटवंदियार में गंगा नदी द्वारा होने वाले अत्यधिक भूमि कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री हीरा लाल राय	546
(बारह)	कच्चे जूट के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से उर्वरक (यूरिया) के लिए जूट की बोरियों का आरक्षण 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने वाले आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री अमर राय प्रधान	546

विषय	कालम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
वित्त मंत्री के भूतपूर्व सलाहकार द्वारा सरकार पर लगाये गये आरोपों के बारे में	575–620
श्री पी. शिवशंकर	575
श्री वैको	600
श्री सोमनाथ चटर्जी	609
श्री पी. चिदम्बरम	617
बजट (सामान्य), 1999-2000—सामान्य चर्चा **लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1999-2000** **अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-99** **और** **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97.**	547–574, 621–766
श्री मोहन सिंह	547
श्री वैको	554
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	560
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	567
श्री नादेन्दला भास्कर राव	621
श्री कांची पन्नीरसेल्वम	625
श्री पी. चिदम्बरम	632
श्री प्रभात कुमार सामन्तराय	646
श्री वी.वी. राघवन	651
डा. एस. वेणुगोपालाचारी	654
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	659
डा. बिक्रम सरकार	664
श्री टी.आर. बालू	667
श्री एस.एस. ओवेसी	674
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	677
श्री प्रमथेस मुखर्जी	681
श्रीमती कैलाशो देवी	683
श्री रामदास आठवले	686
श्री मनोरंजन भक्त	688
श्री आनन्द मोहन	694

विषय		कालम
	श्री दत्ता मेघे	698
	श्री बी.एम. मेनसिंकाई	702
	श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी	705
	डा. बी.एन. रेड्डी	706
	श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी	707
	श्री के.एच. मुनियप्पा	709
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	711
	श्री यशवन्त सिन्हा	717
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999.		767–769
विचार करने के लिए प्रस्ताव		768
खण्ड 2 से 4 और 1		768
पारित करने के लिए प्रस्ताव		769
विनियोग विधेयक, 1999.		769–771
विचार करने के लिए प्रस्ताव		770
खण्ड 2 से 3 और 1		770
पारित करने के लिए प्रस्ताव		771
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1999.		771–773
विचार करने के लिए प्रस्ताव		772
खण्ड 2 से 3 और 1		772
पारित करने के लिए प्रस्ताव		773

लोक सभा

मंगलवार, 16 मार्च, 1999/25 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेयजल परियोजनाएं

*281. **श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जापान की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली पेयजल परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जापान सरकार की सहायता के अधीन स्वीकृति हेतु कनिगीर क्षेत्र की पेयजल परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी सहायता के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार ने 1999-2000 ओ.ई.सी.एफ. ऋण पैकेज के अंतर्गत ओ.ई.सी.एफ. (जापान) से सहायता के लिए पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए।

पेयजल परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:

(1) ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना-पंजाब सरकार

(2) प्रकाशम जिले के कानीगिरी क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता—आंध्र प्रदेश सरकार।

चूंकि जापानी सरकार ने पोखरण परीक्षणों के बाद येन-ऋण कार्यक्रम और नई परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पर रोक लगा दी है अत: फिलहाल जापानी सहायता के लिए इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका। आंध्र प्रदेश सरकार को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उनसे दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया है ताकि उपयुक्त समय पर उनको जापानी सरकार को प्रस्तुत किया जा सके।

श्री मगुन्टा श्री निवासुलु रेड्डी: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लोग फ्लूरोसिस रोग से पीड़ित हैं क्योंकि वे काफी लंबे समय से फ्लोरिक युक्त पानी पी रहे हैं। परंतु इस सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है।

मेरे भाई और भूतपूर्व संसद सदस्य, स्वर्गीय श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी ने 216 गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए कानीमिरि जल संरक्षित स्कीम नामक एक परियोजना की परिकल्पना की थी; और इस स्कीम से दो लाख से भी अधिक लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ही होगा। परंतु दुर्भाग्यवश यह परियोजना काफी समय में लंबित पड़ी है।

समय-समय पर माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने इस पवित्र सदन में कहा था कि इस सरकार द्वारा किए गए पोखरण परीक्षणों से इस देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर विरोधाभाषी है। तथापि अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसी अन्य तरीके से इस परियोजना के लिए निधियों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके, अन्यथा उन्हें सदियों तक अस्वस्थ ही रहना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के 216 फ्लोराइड प्रभावित गाँवों को पाईप से जल आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परन्तु चूंकि जापान सरकार ने कुछ आर्थिक उपाय किए हैं, ...*(व्यवधान)* यह एक राजनीतिक निर्णय है। ...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे: समस्या क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मेघे जी, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें। कृपया बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री पी.सी. चाक्को: माननीय मंत्री जी को कारण भी बिताने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, आर्थिक उपाय किए जाने के बाद जापान सरकार ने भारत सरकार को येन ऋण व्यवस्था पर रोक लगा दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: उसका विकल्प क्या है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, मेरे पहले ही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उस क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेय जल प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?

उपाध्यक्ष महोदय: वे इसका उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। मंत्री जी, क्या यह सही है?

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, हम अपनी ओर से भी इस दिशा में प्रायस कर रहे हैं। एक प्रौद्योगिकी मिशन भी है और इससे संबंधित आंध्र प्रदेश में कई कार्यक्रम हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को: इस विशेष परियोजना के लिए निधियों की क्या व्यवस्था है?

श्री बाबागौड़ा पाटील: जापान सरकार ने भारत सरकार को येन ऋण वित्तीय व्यवस्था रोक दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, इस परियोजना के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, यह परियोजना काफी समय से लंबित पड़ी है। यद्यपि इस परियोजना को दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार को भेज दिया गया है फिर भी भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि क्या वे किसी अन्य स्कीम के माध्यम से निधियां प्रदान करने वाले हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: इस परियोजना प्रस्ताव को हाल ही में जनवरी 1999 में वापस भेज दिया गया है परन्तु हम वैकल्पिक बाहरी सहायता पाने की संभावनाओं का भी पता लगा रहे हैं।

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी इस कार्य को ग्रीष्म ऋतु से पहले करने वाले हैं। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैं उन्हें किस तरह आश्वासन दे सकता हूँ? हम वैकल्पिक संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, यह एक समस्या है। दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे समय सूची देने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने जापान की सहायता से पेय जल परियोजना के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं, मैं मननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपदों इलाहाबाद-कौशाम्बी-फतेहपुर में पेयजल के घोर संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे वहां पानी की कमी नहीं है, गंगा-यमुना नदी के बीच में वह जनपद बसा हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगाएंगे ताकि वहां पेयजल का संकट दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, विश्व बैंक स्वाजल मॉडल परियोजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए हमारी एक कार्य योजना भी है।

श्री टी. गोविन्दन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई इन तीन परियोजनाओं के ब्यौरे देने के लिए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं: जापान की मदद से पट्टुवम पंचायत जल आपूर्ति स्कीम; विश्व बैंक की सहायता से अझीकोड़े और संलग्न गाँव जल आपूर्ति स्कीम; और क्कादावे, जो फ्रांस सरकार की मदद से उत्तरी मालाबार की सबसे बड़ी जल आपूर्ति परियोजना है। मैं इन प्रस्तावों के संबंध में अद्यतन स्थिति भी जानना चाहूंगा।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, जापानी सरकार से बाह्य सहायता के लिए भी एक परियोजना प्रस्ताव है तथा इस समझौते पर 25.2.1997 को हस्ताक्षर हुए थे। अब तक, इन परियोजनाओं पर काम नहीं किया गया है; नौकरशाही अड़चनों के कारण कोई भुगतान नहीं किया गया है। फ्रांस सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करने वाली एक अन्य परियोजना प्रक्रियाधीन है।

चार परियोजनाएं हैं—अझलपुझा म्युनीसिपेलिटी और गाँव परियोजना 326 करोड़ रुपये; चिमेली म्यूनिसिपालिटी और गांव स्कीम 586 करोड़ रुपये; कालपेटा म्यूनिसिपेलिटी और गाँव स्कीम 37 करोड़ रुपये, और कोची नगर क्षेत्रीय परियोजना 301 करोड़ रुपये। ये परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: उड़ीसा के अंशुघाट में गत वर्ष 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। इस बार उड़ीसा में अभी से टैम्प्रीचर 35 से 40 डिग्री तक हो गया। पीने के पानी का वहां अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा के हर गांव में पेयजल देने के लिए केन्द्र सरकार स्वयं या विश्व बैंक से या और किसी अन्य फारेन एजेंसी से सहायता लेने हेतु क्या कोई परियोजना विचाराधीन है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, उन गाँवों की समस्या सुलझाने के लिए, यह मंत्रालय एम पी एल ए डी निधि तथा लोगों की भागीदारी द्वारा कुछ कार्य कर रहा है। अगर पड़ोसी तैयार हो तो इस वर्ष समस्याग्रस्त लोगों की समस्या, का समाधान करने के लिए मैं द्रुतगामी कार्यक्रम बनाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: मंत्री जी एम.पी. फंड की बात कह रहे हैं। एम.पी. 'लैड्स' से तो हम कर रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार क्या कर रही है? एम.पी. 'लेड्स' से हम पहले ही कर रहे हैं फिर सरकार से पूछने की क्या जरूरत है?

डा. शकील अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का संकट पूरे देश में है। जलापूर्ति की समस्या पूरे देश में है और विकास के लिए लोग आमतौर पर तीन लोगों को वोट देते हैं।

मुखिया जी, एम.एल.ए. साहब और सांसद को वोट देते हैं। जब भी जनप्रतिनिधि गांव में जाता है तो लोग पीने के पानी की समस्या की बात करते हैं। मुखिया जी के पास जवाहर रोजगार योजना की राशि होती है, वह उस राशि का उपयोग, जहां चापाकाल की जरूरत होती है या पीने के पानी की आवश्यकता होती है, वहां करते हैं। राज्य सरकारें विधायकों को चापाकल हैंड पाइप लगाने के लिए अलग से निधि उपलब्ध करती है। जब भी सांसद गांव में जाते हैं तो वहां के लोग पानी की मांग करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार लोक सभा के सदस्यों को, उनके क्षेत्र में चापाकाल या बटर सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए अलग से फंड देकर, हर पंचायत में दस-दस हैंड पम्प और दो-दो वाटर सप्लाई की योजना बनाने का विचार रखती है और अगर रखती है तो इसको कब तक करेंगे?

ڈاکٹر شکیل احمد : ڈپٹی اسپیکر صاحب، پینے کے پانی کا سنکٹ پورے ملک میں ہے۔ جل پورتی کی سمسیا پورے ملک میں ہے اور وکاس کے لئے لوگ عام طور پر تین لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ کھیایی، ایم۔ ایل۔ اے۔ صاحب اور سانسد کو ووٹ دیتے ہیں۔ جب بھی جن پرتینیدھی گاؤں میں جاتا ہے تو لوگ پینے کے پانی کی سمسیا کی بات کرتے ہیں۔ کھیایی کے پاس جو اہر روزگار یوجنا کی رقم ہوتی ہے، وہ اس رقم کا استعمال، جہاں چاپاکال کی ضرورت ہوتی ہے یا پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کرتے ہیں۔ راجیہ سبھا سدسیہ ایم۔ ایل۔ ایز۔ کو چاپاکال چیندپائپ لگانے کے لئے الگ سے نیدھی مہیا کرتی ہے۔ جب بھی سانسد گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ پانی کی مانگ کرتے ہیں۔ میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مرکزی سرکار لوک سبھا کے ممبروں کو اپنے حلقے میں چاپاکال یا واٹر سپلائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے الگ سے فنڈ دیکر، ہر پنچایت میں دس دس چیند پمپ اور دو دو واٹر پمپ سپلائی کی یوجنا بنانے کا وچار رکھتی ہے اور اگر رکھتی ہے تو اسکو کب تک کریں گے؟

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: केन्द्र सरकार के लिए हैंड पंपों के लिए कोटा देना संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)* राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कोटा मिलना कैसे संभव है?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: महोदय, जब स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شکیل احمد (مدھوبنی): ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اسٹیٹ گورنمنٹ دے رہی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے۔...(مداخلت)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप इस तरह हल्ला करेंगे तो मैं आपको चांस नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार: जापान सरकार के साथ मिलकर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया गया था कि पोखरण परीक्षण के बाद जापानी सरकार द्वारा नई परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम तथा अनुदान सहायता देने पर रोक लगाने के बाद इस परियोजना पर जापानी सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सकता। यह नहीं मालूम कि यह प्रश्न दुबारा क्यों पूछा जा रहा है।

मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जापानी परियोजनाओं के कारण एक अध्याय समाप्त हो गया है, ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है?

श्री बाबागौड़ा पाटील: हम एक वैकल्पिक प्रावधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा जनहित का सवाल है कि ओईसीएफ के पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगा गया था ताकि उन्हें मदद दी जा सके, पीने के पानी के लिए, जल आपूर्ति योजना की मंजूरी दी जा सके, उसका कार्यान्वयन कराया जा सके, लकिन जापान ने उसे रोक दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जिन दो राज्य सरकारों से योजना आ गई है, क्या वह जहां की तहां रह जाएगी या सरकार उस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ और उपाय करने जा रही है? पहले से जो योजना ओईसीएफ से मंजूरी थी, उसको भी पैसा देना बंद कर दिया, जो योजना पहले से ली जा चुकी थी वह चालू है, नई परियोजना पर जापान ने रोक लगाई, इस बारे में हम सरकार से जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सवाल एक्सटर्नल असीस्टेंस के बारे में है।

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: सभी बाहरी एजेन्सियों ने ऋण देना नहीं रोका है। उनमें से केवल कुछ ने ऐसा किया है। जापान का ओ ई सी एफ तथा विश्व बैंक के कुछ कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: वे केवल यही पूछ रहे हैं कि क्या कुछ चालू कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं या नहीं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, जैसा कि मेरे साथी, डा. शकील ने कहा है यह एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। लगता है मंत्री जी इन सब बातों से निपटने के लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर हैं। इसके लिए येरननायडू जैसे बुल्डोजर की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि वे विलम्ब क्यों कर रहे हैं।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं बुल्डोजर नहीं हूं, मैं एक साधारण संसद सदस्य हूँ।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, देश में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय बनने के बाद केन्द्र की उत्तरोत्तर सरकारें राज्यों की काफी सहायता कर रही हैं किंतु परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ राज्य सरकारें इस धनराशि को अन्य प्रयोजनों पर खर्च कर रही हैं, कुछ राज्य सरकारें इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रही हैं और इन कार्यक्रमों को लागू नहीं कर रही हैं। *...(व्यवधान)* हो सकता है जब मैं मुख्यमंत्री था इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं किसी सरकार विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। पंचायतें भी कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाई हैं। वे बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। देश की आवश्यकताओं और इन कार्यक्रमों को लागू करने के बाद पैदा हुई समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा कि इस पर एक विशेष निकाय गौर करे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह एक भारतीय पेयजल प्राधिकरण के गठन पर विचार करेगा ताकि यह सीधे कार्यक्रमों को हाथ में ले सके उन्हें लागू करे और परिणाम दे सके।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, यह अच्छा उत्तर है।

डा. सरोजा वी.: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षित पेयजल सभी राज्यों में उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या प्रत्येक राज्य में लघु बचतों से प्रत्येक राज्य में पेयजल समस्या के समाधान के लिए विशेष बजटीय आवंटन किया जाएगा।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, यह माननीय सदस्या का सुझाव है। हम एक विशेष कार्यक्रम पर विचार कर रहे है और हम उनके सुझाव पर भी गौर कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मंत्री जी हमें बताएं कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए समन्वित कार्यक्रम क्या है *...(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है और हम राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देते हैं तो हम उन सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 282 ।

...(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के लिए पेयजल एक प्राथमिकता वाली मद है। यह सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में भी शामिल है। इसलिए सदस्यों के हित में इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए तैयार हूँ *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना

***282. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिला मुख्यालय में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन केन्द्रों के स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समय कुछ केन्द्रों में कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां। प्रत्येक जिला मुख्यालय में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है बशर्ते कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हो तथा साथ ही साथ पदों का सृजन किया जाए।

(ख) धनराशि की अनुपलब्धता के कारण, नये केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं।

(ग) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकरण का मूल्यांकन, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा किया गया था।

(घ) किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने ग्रामीण युवाओं के बीच अपने कार्यक्रमों के उद्देश्यों, विषयवस्तु तथा उपयोगिता के बारे में जागरूकता उत्पन्न की है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने ग्रामीण युवाओं के बीच उनके वातावरण, राष्ट्रीय मूल्यों और विकासपरक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में जागरूकता की भावना उत्पन्न की है, गांवों में परिसम्पतियां सृजित करने में सहायता की है, साक्षरता को बढ़ावा दिया है, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि देकर युवाओं की सहायता की है।

(ङ) जी, नहीं। लेकिन पदों की संस्वीकृति न होने के कारण, कतिपय केन्द्र ऐसे हैं जहां पर युवा समन्वयक और लेखा लिपिक सह टंकक नहीं हैं।

(च) ये पद केवल उसी स्थिति में भरे जा सकते हैं जब उन्हें सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत कर दिया जाता है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे हाथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है। जिस आशा और आकांक्षा से नेहरू युवा केन्द्र का गठन किया गया था, उसकी पूर्ति करने में बाढ़ विभाग असफल रहा है। हम लोग जमीन पर जाकर इस बात को देखते हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट भी इसी संगठन की है। ग्रामों में जिस नीति और विचार को प्रतिपादित करने के लिए यह बना था, वहां इसका उल्टा असर हो रहा है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जहाँ खेलों को प्रोत्साहन देने की बात है, वहां एक अरब की आबादी वाला देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक भी तमगा पाने के लिए लालायित रह जाता है। यही हाल सामाजिक क्षेत्र में है। यह विकास और सृजन

के क्षेत्र में भी असफल रहा है। क्या सरकार इसे रैनोवेट करने के लिए, सक्रियता लाने के लिए या प्राण फूंकने के लिए कोई नई योजना, नया प्रस्ताव, नया लक्ष्य लेकर सामने आएगी और इसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार करेगी?

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं। उनका दूसरा प्रश्न खेल विभाग से संबंधित है लेकिन उनकी चिन्ता जायज है। देश में खेलों की जिस प्रकार तरक्की होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। मैं माननीय सदस्य के पहले प्रश्न में दूसरे प्रश्न का उत्तर समाविष्ट नहीं कर सकती क्योंकि यह विभाग अलग है। उनका पहला प्रश्न इस परिधि के आसपास घूमता है। नेहरु युवा केन्द्र की स्थापना 1971 में की गई थी। उसका उद्देश्य यह था कि गावों में युवाओं के बीच जागरूकता आए और सरकार की तरफ से जो विकास कार्यक्रम चलते हैं, उनमें भी उनकी भागीदारी हो। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि नेहरू युवा केन्द्र जिन उद्देश्यों को लेकर चला था, वह संतोषजनक स्थिति पर पहुंच नहीं पाया। इसका कारण यह भी है कि नेहरू युवा केन्द्रों की भागीदारी के लिए जिस प्रकार राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। इस कमी को दूर करने के लिए मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगी कि उनके जिलों में जहां भी नेहरू युवा केन्द्र हैं, वह अपनी सांसद विकास निधि के माध्यम से अपने क्षेत्र में भी विकास के कार्य करते हों। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वे आप सभी से सहयोग मांग रही हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: मैं यह नहीं कह रही हूं कि विकास कार्यों की एजेंसी नेहरू युवा केन्द्रों को बनाया जाए लेकिन नेहरू युवा केन्द्रों को निगरानी एजेंसी तो बनाया जा सकता है। गांव-गांव में यूथ क्लब खुले हैं। उनमें नौजवान सजग पहरी के रूप में काम कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार को रोकने में भी सफल हुए हैं और आपके माध्यम से दी जाने वाली योजनाएं ठीक ढंग से जमीन पर लागू हो रही हैं, उसे देखने के लिए नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ता सजग प्रहरी के रूप में काम कर सकते हैं। मैंने यह बात परामर्श के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत की। माननीय सदस्य के सवाल का जवाब भी यही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष जी, नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, वहां तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इसका दूसरा पहलू यह है कि नेहरू युवा केन्द्र को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और वहां काम करने वालों को जो वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। वे बन्धुआ मजदूर की स्थिति में हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक उसमें प्राण फूंकना सम्भव नहीं लगता है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वित्तीय कठिनाई है। यदि नई चीजों के लिए या कार्यक्रमों के लिए वित्तीय कठिनाई है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल के बजट में इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और उसमें जो काम करने वाले हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि हमने मई, 1998 से नेहरू युवा केन्द्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान लागू कर दिये हैं। इसके लिए नेहरू युवा केन्द्र के सभी युवा संगठनों की तरफ से और इन संगठनों से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से हमारी सरकार का अभिनन्दन भी किया गया है क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रशंसा के योग्य और संस्तुति के योग्य माना था। माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात पूछी है, उसके लिए मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हम नेहरू युवा केन्द्रों के लिए बहुत कम बजट दे पाते हैं, क्योंकि हमारे युवा विभाग के पास बहुत कम बजट आता है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि नेहरू युवा केन्द्र की इकाईयों और जो गांव में यूथ क्लब खुले हुये हैं, उनको सक्रिय करना है, उसके उत्तर में मैंने जो पहले निवेदन किया था कि मैं जल्दी ही अन्य विभागों के मंत्री महोदय से निवेदन कर एक बैठक बुलाने जा रही हूँ जिसमें समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री होंगे। उनके माध्यम से विकास के कार्यक्रम और खासकर ग्रामों में नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से कार्यक्रम किये जा सकते हैं। यह सत्य है कि हम युवा मंत्रालय की तरफ से बहुत कम बजट दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास खुद बहुत कम पैसा आता है। युवा वर्ग इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन निश्चित रूप से उन्हें नैगलैक्ट किया जाता है। अत: मैं आप सब से एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि आप के पास

जो विकास निधि है, उसके माध्यम से नेहरू युवा केन्द्रों को निगरानी रखने का माध्यम बनायें तो उनको अच्छा काम मिलेगा।

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े: उपाध्यक्ष जी, नेहरु युवा केन्द्र का गठन एक अहम उद्देश्य को लेकर किया गया था ताकि युवाओं और विशेषकर ग्रामीण युवाओं में राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो, हमारे युवाओं की रचनात्मक मानसिकता बने ताकि वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान दे सकें। इस माध्यम से यह कार्यक्रम बनाया गया था। माननीय मंत्री जी ने संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बताया। मुझे बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बाकी सब चीजों के लिए जहां हम बजट में धन का प्रावधान कर सकते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण और अहम कार्यक्रम होने के बावजूद, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में ग्रामीण युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिये, वह नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इन सब कार्यक्रमों हेतु प्रावधान बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की गई है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है कि रचनात्मक कार्यों के साथ-साथ साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण नीति के बारे में इन केन्द्रों द्वारा युवाओं में रचनात्मक मानसिकता कायम करने की दिशा में सरकार क्या करने वाली है?

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नेहरू युवा केन्द्र के बारे में जो सवाल किया है, उसके उत्तर में बताना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना की गई थी, उन कार्यक्रमों के अनुसार नेहरू युवा केन्द्र काम कर रहे हैं। इनमें यूथ विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान शामिल है। माननीय सदस्य ने धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और आरक्षण नीति की जो बात कही है, मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान में वे सब शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय दिवस व सप्ताह, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्द्धन, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है।

दूसरी बात जो आपने कही है, प्रश्न के भाग 2 और भाग 3 का जो उत्तर दिया है जिसमें अपने बजट के प्रावधान के बारे में कहा है, मैं आपको बता दूं, मैं बजट के प्रावधान भी गिना सकती हूं। नेहरू युवा केन्द्रों को भी बजट मिला है, 1996-97 में 7 करोड़ 11 लाख रुपये था, 1997-98 में 12 करोड़ 11 लाख रुपये था और फिर 1998-99 में 13 करोड़ 94 लाख रुपये था और अब जो संशोधित अनुमान है, मैं बता रही हूं कि वह लगभग 14 करोड़ रुपये है। इन पांच सालों में सबसे ज्यादा बजट नेहरू युवा केन्द्रों को हमारी सरकार आने के बाद मिला है। हम उनको सबसे ज्यादा बजट दे रहे हैं। इसलिए आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि हमने बजट नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत तो यह है कि जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको बहुत कम मालूम है कि नेहरू युवा केन्द्र और स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया के दफ्तर जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कहां-कहां है। मैं कबूल करता हूं कि बजट कम होने की वजह से इनकी दिक्कते हैं। लेकिन जितना बजट भी इनके पास जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता। नौजवानों के प्रति कोई इनवाल्वमेंट इस महकमे का नहीं है। हम सांसद किसी भी गांव में जाएं तो नौजवान हमसे खेल-कूद प्रतियोगिता के लिए पैसा मांगते हैं, खेल के सामान के लिए पैसा मांगते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या जैसे एम.पी. को आप दो करोड़ रुपया देते हैं, सरकार की तरफ से ...*(व्यवधान)* उसमें से हम कुछ हिस्सा अगर नौजवानों को खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मान के लिए या उनके इनवाल्वमेंट के लिए दे दें तो क्या आप इसमें वह तरमीम लेकर आएंगे।

कुमारी उमा भारती: तरमीम क्या होता है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैडम, आप इतनी गूढ़ हिन्दी बोलती हैं और उर्दू का एक लफ्ज अगर आ जाए तो आप कह रही हैं समझ नहीं आया। जो दो करोड़ रुपये की बात मैं कह रहा हूं, हमारे यहां अभी 50 लाख रुपये ही पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक साल हो गया लेकिन एक करोड़ भी पूरा नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: उन्होंने उर्दू के एक कठिन लफ्ज का इस्तेमाल किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने तरमीम कहा।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं समझा दूँ क्या?

कुमारी उमा भारती: समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना अर्ज करूंगा कि मंत्री महोदया इतनी गूढ़ हिन्दी बोलती हैं कि जिससे अंग्रेजी भी आसान लगती है। थोड़ा बहुत मिक्स कर लें तो अच्छा रहेगा।

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपको लगता है कि मैं कठिन हिन्दी बोलती हूँ?

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं।

कुमारी उमा भारती: मैं तो बड़ी सरल हिन्दी बोलती हूं, मैं तो गांव की हिन्दी बोलती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब आप इस तरफ देखिये।

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसके लिए अलग से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नेहरू युवा केन्द्रों के जो पांच उद्देश्य स्पष्ट किये गये हैं जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी, उन उद्देश्यों में वह भी शामिल हो जाता है। मेरा निवेदन है कि नेहरू युवा केन्द्रों में लगे हुए नौजवान अपने उद्देश्यों पर चलने में सफल हो सकें इसके लिए हमने तय किया है कि हम बहुत जल्दी जिन विभागों के द्वारा विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, गांवों और शहरों में, उनकी बैठक बुलाकर उन मंत्रालयों से भी निवेदन करने वाले हैं कि वे इसको बनाएं और खेल मंत्रालय द्वारा जो यूथ क्लब गांवों में और नेहरू युवा केन्द्र बनाते हैं, अगर वह खेल के उपकरण मांगते हैं तो उनको देने के लिए स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया की तरफ से प्रावधान है और हम उनको दे सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बातें उनकी सुझाव के रूप में हैं हम उनको भी जोड़ सकते हैं। मैं एक लफ्ज समझ नहीं पाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका सवाल था कि संसद सदस्यों की जो निधि है, उसमें से एक अंश इसके लिए देने का सुझाव क्या आपका मंत्रालय दे सकता है?

कुमारी उमा भारती: इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। यह उत्तर मेरी मर्यादा में नहीं आएगा। मैं तो निवेदन कर सकती हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार: यह अच्छा प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि सांसद निधि के उपयोग के बारे में आपने सुझाव दिया है। कल माननीय चंद्रशेखर जी ने दिल्ली में जो आग लगी, उसमें भी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही है। माननीय रेल मंत्री जी ने समपारों के लिए सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही और आज माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम नेहरू युवा केन्द्रों के लिए सांसद निधि से धनराशि दें। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि अब केवल सांसदों की निधि से ही सारे कार्यक्रम होंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस वित्तीय वर्ष में सांसद निधि में दो करोड़ रुपये दिये जायेंगे। अत: मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमें सांसद निधि से ही सारा काम करना है तो फिर सरकार की क्या आवश्यकता है? हर काम के लिए केवल सांसद निधि है। मेरा आपसे केवल यह प्रश्न है कि आपने कहा है कि नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन और संगठन के बारे में जो मूल्यांकन हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आपने कितने युवकों को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया है? आपने कहा कि इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि देकर युवाओं की सहायता की गई है, यही मेरा प्रश्न है।

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वोरा जी के पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं। अगर सरकार की माली हालत खराब होती तो वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 की तुलना में 1999-2000 का सबसे ज्यादा बजट नेहरू युवा केन्द्रों के लिए हम नहीं देते। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि पिछले चार-पांच सालों में सबसे ज्यादा बजट हम इस साल नेहरू युवा केन्द्रों को दे पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरे प्रश्न का उत्तर मांगा है, उसका डीटेल्ड विवरण मैं उन्हें भिजवा दूंगी, चूंकि प्रश्न की मर्यादा में वह कहीं नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे पास उसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न की मर्यादा में नहीं लेकिन जो जवाब आपने दिया है, उससे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न का उद्भूत होना स्वाभाविक है। यदि आपके पास विवरण नहीं है तो आप मुझे भेज दें।

कुमारी उमा भारती: मैं आपको पूरा विवरण भिजवा दूंगी।

श्री मोहन सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी बहन को उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में विजय के लिए बधाई देता हूं। मानव संसाधन विकास की बहुत बड़ी धनराशि, इस विभाग में जितने सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वे अपनी पत्नियों के नाम से सोसाइटी रजिस्टर कराते हैं और जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है, उसमें धन आबंटन कराकर भोजन, पानी का अभियान चलाते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को नेहरू युवा केन्द्र जो बहुत ही पवित्र

भावना से गठित किये गये और जिनकी गतिविधियां मैं निजी तौर से जानता हूं, ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा करने में इसके जितने अपने संसाधन हैं, उसके हिसाब से अच्छा योगदान है। यह जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है, क्या इसे एन.जी.ओज. के हाथ से निकालकर नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से लागू कराने के लिए सरकार कुछ विचार करेगी?

कुमारी उमा भारती: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे बड़े भाई के समान हैं। उन्होंने मुझे स्वतंत्र होने की बधाई दी है, उसके उत्तर में उन्हें कहना चाहती हूं कि मैं परतंत्र कभी नहीं थी–''रख दूं जहां कदम वहीं मंजिल मिले, किसी की खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं''। उनकी जो सद्भावना मेरे प्रति है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न आपने किया है, प्रौढ़ शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इस सत्र की समाप्ति के बाद उनकी बैठक करने वाली हूं। उसमें मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को निवेदन करने वाली हूं कि इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केन्द्रों को भी जोड़ा जाए। यह आपका परामर्श है जिसे मैंने गाइडलाइन के रूप में ले लिया है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री के उत्तर को देखा है। मैं उन्हें बता सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छह नेहरू युवा केन्द्र हैं जिनमें से पांच के भवन संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से बनाकर उन्हें दिए गए हैं।

वहां एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है जिसके कारण देश के इस हिस्से में कोई कार्यकलाप नहीं किया जा सकता है।

मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि उनके पद ग्रहण करने के बाद की अवधि में क्या कोई निगरानी की गई है। यदि नहीं तो क्या वे यह देखने के लिए उनकी निगरानी शुरू करेंगी कि इन केन्द्रों के कार्यकरण में क्या कठिनाइयां हैं।

महोदय, यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो ग्रामीण युवाओं विशेष रूप से उनमें खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है।

इसलिए, क्या माननीय मंत्री उन्हें उन कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएंगी?

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मानिटरिंग के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे यहां मानिटरिंग की जो प्रणाली है उसके अंतर्गत मासिक और त्रैमासिक मूल्यांकन करने के लिए उनसे प्रपत्र लिए जाते हैं, फीड बैक लिया जाता है और उसको सुदृढ़ करने के लिए हर तीन महीने बाद एक समीक्षा बैठक होती है और उसमें नीचे तक, यूथ क्लब तक फीड बैक लेते हैं। उसके बाद अगर हम कहीं कमी पाते हैं, तो उनको गाइड लाइन देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरी बात फंड के बारे में कही है। महोदय, यह सवाल भी पहले वाले सवालों के आसपास ही घूम रहा है और लगातार फंड के बारे में पूछा जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि पिछले पांच वर्षों में हमने सबसे ज्यादा फंड दिए हैं, लेकिन नेहरू युवा केन्द्रों की सक्रियता के लिए केवल फंड का ही देना पर्याप्त नहीं है बल्कि युवा वहां किसी प्रकार का कार्यक्रम चलाएं, जागृति अभियान चलाएं, तो उसके लिए उनको फंड की नहीं बल्कि समय देने की जरूरत है। इस दृष्टि से नेहरू युवा केन्द्र पूरी तरह सफल हुए हैं। फंड की दृष्टि से नेहरू युवा केन्द्र सक्रिय हो, इसके बारे में हम पहली बार गंभीरता से विचार कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि हमने अंडमान निकोबार में नेहरू युवा केन्द्रों के भवन एम.पी. लैड्स फंड से बनाकर दिए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 283

...(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन: महोदय, हमें प्रश्न संख्या 282 पर अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्यपाल जैन, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन: महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से दो अनुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं और भाजपा की ओर से एक भी नहीं पूछा गया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यहां सप्लीमेंट्री पूछने के लिए भी महिलाओं को आरक्षण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं नहीं।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया: आप स्वयं देख लीजिए आपने पहले प्रश्न पर एक भी महिला को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: चिखालिया जी, महिला मंत्री ने तो यहां इतना अच्छा आंसर दिया है।

[अनुवाद]

केप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क

***283. श्री के. करूणाकरन:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) केप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क को कम करने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड को वर्तमान संकट से उबारने के लिए उसे विशेष सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (घ) केप्रोलेक्टम पर सीमा शुल्क की प्रभावी दर पिछले कुछ वर्षों से परिवर्तित होती रही है और कुल मिलाकर इसमें गिरावट का रुख रहा है। तथापि, केप्रोलेक्टम पर सीमा शुल्क की प्रभारी दर वर्ष 1997-98 में 35% से बढ़कर 1998-99 में 36.14% हो गई है। फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) जिसने 1997-98 में 53.94 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, को वर्ष 1998-99 में 47.08 करोड़ रुपये की हानि होने की आशा है। इसका मुख्य कारण के प्रोलेक्टम के अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मूल्यों में तीव्र गिरावट तथा कम्पनी की अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज तथा मूल का पुनर्भुगतान है। राहत प्राप्त करने के लिए पैक्ट के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री के. करूणाकरन : महोदय, फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। फैक्ट हमारा एक सार्वजनिक उपक्रम है जो कि अच्छा लाभ कमा रहा था। लेकिन अब, परिसमापन के कारण, इस वर्ष उनके द्वारा भारी हानि उठाने की सम्भावना है। हमें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष उसने 53.94 करोड़ रुपए का लाभ कमाया और इस वर्ष उसे 47.08 करोड़ की कुल हानि होने की सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। श्री उपेन्द्र, यह क्या हो रहा है?

श्री के. करूणाकरन : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस हानि के क्या कारण हैं। इसे तत्काल सुलझाना चाहिए।

यह एक ऐसा उद्योग है जो कि अनुमानत: 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें से 8,000 लोगों को यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और शेष को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। लेकिन सर्वप्रथम समस्या यह है कि उर्वरकों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और घरेलू मूल्य गिर गया है।

दूसरा, उत्पाद शुल्क भी काफी कम हो गया है। कुछ समय पहले यह 80 प्रतिशत था। आज यह केवल 36 प्रतिशत है।

तीसरा, वह नई परियोजनाओं के लिए काफी ब्याज अदा कर रहे हैं। अमोनिया का प्रतिस्थापन न्यायालय के आदेश के कारण किया गया था। लेकिन फिर भी कम्पनी ऐसा करने पर मजबूर है। परियोजना की लागत 600 करोड़ रु. है जिसमें से 400 करोड़ रु. ओ.ई.सी.एफ., जापान से ऋण के रूप में लिए गए हैं। वह सरकार से 2.6 प्रतिशत की दर पर ब्याज ले रहे हैं जबकि सरकार कम्पनी से 16 प्रतिशत ब्याज ले रही है।

यह तीन मुख्य समस्याएं हैं जिनके कारण कम्पनी संकट कासामना कर रही है। सरकार बहुत थोड़े समय में इन समस्याओं

को दूर कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन समस्याओं के संबंध में सरकार क्या करना चाहती है।

सर्वप्रथम, सरकार को आयात रोकना चाहिए। इसका कारण यह है कि हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

दूसरा, उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए। तीसरा, ब्याज की दर कम करनी चाहिए।

क्या सरकार इन तीन मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करेगी ताकि संकट को दूर किया जा सके?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : वास्तव में माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। यह उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जा रहा है। यह उद्योग केरल में सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। हम चाहते हैं कि यह उद्योग लाभ कमाता रहे। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किस तरह से हो सकता है। अब कुछ समय के लिए पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घरेलू उत्पादन की लागत बढ़ गई है। वह आयातित लागत से 3,500 रु. अधिक लागत पर उत्पादन कर रहे हैं।

यह दो मुख्य कारण हैं जिनके कारण इस वर्ष 47 करोड़ रु. की हानि होने की सम्भावना है जबकि कुछ समय पहले यह लाभ कमा रही थी। यह मुख्यत: कम्पनी द्वारा अमोनिया के प्रतिस्थापन के कारण हुआ है। यह इसका मुख्य कारण है। चूंकि न्यायालय के आदेश के कारण अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना को हाथ में लेना पड़ा था, इससे पहले इसका टर्मिनल कोचीन बन्दरगाह के एक द्वीप में था जहां आमोनिया का आयात किया गया था और उसे एकत्रित किया गया था। लेकिन किसी एक के न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने पर कि इसे बंद कर देना चाहिए और एक नई परियोजना आरम्भ करनी चाहिए, 637 करोड़ रु. की लागत की एक नई परियोजना हाथ में ली गई। इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।

श्री के. करूणाकरन : इसी उत्पादन की लागत से कम्पनी अच्छा लाभ कमा रही थी। पिछले वर्ष, 53.5 करोड़ रु. का लाभ कमाया गया था। इस हानि का यही कारण नहीं है। मैंने तीन कारणों का उल्लेख किया है। क्या माननीय मंत्री महोदय स्पष्टत: बताएंगे कि क्या सरकार सीधे स्वयं ही ऐसा कर सकेगी? यह ऐसे मामले हैं जिनको सरकार बिना किसी रुकावट के सीधे सुलझा सकती है। सरकार बिना किसी अड़चन के ऐसा कर सकती है।

जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें आयात पर प्रतिबंध लगाना होगा, उत्पाद शुल्क कम करना होगा और ब्याज की दर कम करनी होगी। क्या सरकार इन तीनों मुद्दों पर विचार करेगी और तत्काल निर्णय लेगी?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह सही बात है जो कि माननीय सदस्य ने कही थी कि एक समय में आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क था। तब उनके शासनकाल के दौरान, इसे समय-समय पर कम कर दिया गया था। इसे साठ प्रतिशत कम कर दिया गया; बाद में इसे पचास प्रतिशत तक कम कर दिया गया था; और फिर इसे चालीस प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। अत:, इसे उनके शासन-काल के दौरान कम किया गया था। पिछले वर्ष, कोई कमी नहीं की गई। वास्तव में, शुल्क में मामूली सी वृद्धि की गई थी।

माननीय मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री के स्तर तक भी ध्यान दिया गया है। राज्य के मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री तथा सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष मामले को उठाया है। मैं भी वहां उपस्थित था। उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और इस उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंत्री जी से आग्रह किया है कि जो गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्टरी है, जो कई वर्षों से बन्द पड़ी है, जिसके कारण उसके कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और वहां के किसानों को भी कठिनाई हो रही है, क्या उस फैक्टरी को फिर से चलाने के लिए मंत्री जी ने, आपके विभाग ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसे कब तक प्रारम्भ करेंगे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मूल सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए भी विचार चल रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि गोरखपुर वाला कारखाना भी चलाया जायेगा।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने पहले कहा है, राज्य के मुख्य मंत्री, फैक्ट के ट्रेड यूनियन नेता और केरल के सभी संसद सदस्यों ने फैक्ट के वित्तीय संकट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय से अपील की थी।

क्या माननीय मंत्री महोदय उठाए गए प्रश्नों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क बढ़ाकर मदद करेंगे और अमोनियम संयंत्र के निर्माण के लिए भी राज सहायता देंगे जिसे न्यायालय के आदेश के कारण फैक्ट द्वारा आरम्भ किया जाना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : इस प्रश्न को केवल शुल्क बढ़ाकर सुलझाया नहीं जा सकता है क्योंकि अन्तिम उपयोगकर्त्ता यह चाहते हैं कि शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वह इस उत्पाद कैपरोलैक्टम द्वारा कुछ मदों का उत्पादन कर रहे हैं जिनको प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर बेचा जा रहा है। इसलिए इन दोनों बातों के बीच विवाद है। इसके साथ-साथ मामला सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य मामला उठाया गया है जिसे हमने समझ लिया है और हम सहायता कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस उद्योग को चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी।

श्री ए.सी. जोस : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर बहुत टाल-मटोल करने वाले हैं। प्रश्न बहुत स्पष्ट है। फैक्ट कैपरोलैक्टम का उत्पादन कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सहमत हूं कि इसके मूल्य भी प्रतिस्पर्द्धात्मक हैं। प्रश्न यह है कि यदि सीमा शुल्क कम कर दिया जाता है तो आयातित उत्पाद के मूल्य भी कम हो जायेंगे और फिर केरल में किसी भी उद्योग के लिए कैपरोलैक्टम का उत्पादन करना प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं होगा।

भारत में केवल दो कम्पनियां कैपरोलैक्टम का उत्पादन कर रही हैं। यदि सीमा-शुल्क बढ़ाया जाता है, तो भारत में उत्पादित कैपरोलैक्टम को आयातित उत्पाद से अधिक मूल्यों पर बेचा जा सकता है।

प्रश्न यह है। क्या सरकार सीमा-शुल्क बढ़ाने के लिए तैयार है ताकि भारत में कैपरोलैक्टम का मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाए?

दूसरा प्रश्न यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न की अनुमति दी गई है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह इसी प्रश्न का भाग है। महोदय यूनियनों ने अब ब्याज की अदायगी में 200 करोड़ रु. की एकमुश्त राजसहायता का अनुरोध किया है। उन्होंने 600 करोड़ रु. का भुगतान किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कैपरोलैक्टम पर सीमा-शुल्क बढ़ाने के लिए और 200 करोड़ रु. की एकमुश्त राज सहायता देने के लिए तैयार है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप इस तरह से दो अथवा तीन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने पहले कहा है मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उनकी लगभग आठ मांगे हैं। उन सभी पर विचार किया जा रहा है। उनकी मांगे न केवल भारत सरकार से सम्बन्धित हैं बल्कि राज्य सरकार से भी संबद्ध हैं। राज्य सरकार ने नापथा, फ्यूरनेस ऑयल इत्यादि पर 727 रु. तक राज्य प्रभार लगाया है और विक्रय कर लगाया है जो कि लगभग 40 करोड़ रु. बनता है। इसलिए, राज्य सरकार भी इसमें सहायता कर सकती है। केन्द्र सरकार भी इस उद्योग की सहायता करना चाहती है। यदि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार, दोनों सहायता करें तो मेरे विचार में समस्या सुलझ जाएगी।

श्री सुरेश कुरूप : जैसा कि सब जानते हैं, अभी तक फैक्ट लाभ कमाने वाला यूनिट था। इसमें हानि होने का मुख्य कारण है नई अमोनिया परियोजना का निर्माण जो कि उन्हें न्यायालय के आदेश के कारण हाथ में लेना पड़ा है। इसलिए, संसद के पिछले सत्र के दौरान केरल के सभी संसद सदस्यों, केरल के मुख्यमंत्री तथा फैक्ट में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि आए और माननीय प्रधान मंत्री तथा श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी से मिले।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुरेश कुरूप : मेरा मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री महोदय को इस बात का स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए कि क्या ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों, विशेषकर कि फैक्ट को स्वीकृत ऋण की राशि के लिए राजसहायता के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह बात मैंने भी कही है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आठ मांगे हैं। वह सरकार के विचाराधीन है। एक मांग पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है और अन्य सात मांगों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इन पर सरकार द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

श्री जी.एम. बनातवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैक्ट केरल का पुराना उद्योग है। केरल में उद्योगों और केन्द्र द्वारा निवेश की कमी है। इसलिए फैक्ट की समस्याओं के प्रति सरकार को बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाना है। क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि इन विभिन्न मांगों पर एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। अन्यथा अनन्त काल तक 'विचार-विमर्श' चलती रहती है। हमें कम से कम सरकार से यह आश्वासन मिल सकता है कि एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। हमें यह बताया गया है कि आठ मांगें प्रस्तुत की गई हैं। वह आठ मांगें क्या हैं? फैक्ट ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं। सहायता के लिए फैक्ट द्वारा दिए गए प्रस्ताव क्या हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, यथा उल्लिखित मांगे हैं: (1) उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए, लिए गए ऋणों पर ब्याज की दर में तीन प्रतिशत की छूट।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी आठ मांगों का इस तरह से उल्लेख करेंगे तो प्रश्न-काल समाप्त हो जाएगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : लेकिन प्रश्न यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं पहले इसी बात का उल्लेख कर रहा था। आठ मांगे हैं जिसमें से सात केन्द्र सरकार से संबद्ध हैं। केन्द्र सरकार को मामले की जानकारी मिल गयी है और सरकार उसकी जांच कर रही है।

श्री ए.सी. जोस : यह एक बहुत ही अस्पष्ट उत्तर है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हम उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : सरकार निर्णय लेने में कितना समय लेगी?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। मांगों पर अलग-अलग पृथक समय में विचार किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी.सी. चाक्को को बोलने के लिए कहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। पांच माननीय सदस्यों ने इस विशिष्ट प्रश्न को उठाया है। श्री बरनाला, जो कि एक कुशल प्रशासक हैं, ने कहा है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 'विचार करने' शब्द का इस्तेमाल मंत्रियों द्वारा बहुत चालाकी से किया जाता है। इस ज्ञापन को छः महीने पहले प्रस्तुत किया गया था। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र एकक बंद होने की कगार पर खड़ा है। सरकार 2.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर धनराशि प्राप्त कर रही है और वह 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर 'फैक्ट' को ऋण दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कम ब्याज की दर पर पैसा देने को तैयार है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कांग्रेस के शासन-काल के दौरान सीमा शुल्क कम कर दिया गया था। यह सच है। इसे कम कर दिया गया था जबकि सीमा-शुल्क 18 प्रतिशत था। लेकिन यह स्वदेशी सरकार है। क्या यह सरकार स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए तैयार है? उद्योग मंत्री भी इसे समर्थन देंगे। एक बार फिर एक स्वदेशी सरकार ने सीमा शुल्क कम कर दिया है जिससे स्थानीय उत्पाद बिल्कुल भी लाभ नहीं कमा रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या सरकार ब्याज दर और सीमा शुल्क को कम कर 200 करोड़ रु. की एकमुश्त सहायता देने पर विचार करेगी? वर्तमान बजट में भी सीमा-शुल्क बढ़ गया है। क्या सरकार इस सभा को आश्वासन देगी कि इन उपायों को अपनाकर फैक्ट को बचा लिया जाएगा?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य ने जानबूझ कर प्रश्न को लम्बा बना दिया है। अन्यथा, मैं इसके एक भाग का उत्तर दे सकता।

ब्याज दर कम करने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। हमने मांग की है कि ब्याज दर में 3 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ऐसा करना सम्भव होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

***284. श्री रवि सीताराम नायक : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान अनेक राज्यों से चीनी मिलों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को राज्यवार मंजूरी मिल चुकी है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग)

राज्यों के नाम	चीनी यूनिटों के आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्ताव (12.3.99 तक) (संख्या)	अब तक स्वीकृत किए गए प्रस्ताव (संख्या)	अब तक स्वीकृत न किए गए प्रस्ताव (संख्या)	कालम (4) में उल्लिखित प्रस्तावों के बारे में स्थिति
1	2	3	4	5
बिहार	5	4	1	खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की चीनी विकास निधि संबंधी स्थायी समिति चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता मंजूर करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करती है तथा उनके बारे में सिफारिश करती है और ये सभी 8 प्रस्ताव इस समिति की 29.10.98 को हुई पिछली बैठक के बाद प्राप्त हुए हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।
गुजरात	2	1	1	
कर्नाटक	2	–	2	
महाराष्ट्र	4	1	3	
उत्तर प्रदेश	7	6	1	
जोड़	20	12	8	

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाएं

***285. श्री महेश कनोडिया :**
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिवर्ष क्रियान्वित की गई कल्याणकारी योजनाओं और उनके अंतर्गत दी गई धनराशि का योजनावार राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का योजनावार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु आबंटित धनराशि का राज्यों ने पूरा-पूरा उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) योजनाएं जिनमें निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित की जाती हैं;

(2) केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं जिन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/स्थानीय निकायों/संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं;

(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जिनमें व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शेयर किया जाता है;

(4) केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं जिनके अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

श्रेणी (1) के मामले को छोड़कर, राज्यवार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियों की सीमा तथा योजनावार निधियों के राज्यवार संवितरण को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) लाभार्थियों के संबंध में योजनाओं/कार्यक्रमों, लक्ष्यों/उपलब्धियों के ही स्वरूप से योजनावार/राज्यवार/वर्षवार परिमाणन नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (च) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों का उपयोग निर्मुक्ति के वर्ष में करना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष के अन्त में खर्च न की गई कुछ राशि बच सकती है। ऐसे मामलों में खर्च न की गई शेष राशि को उसके अगले वर्ष में आगे ले जाने की अनुमति है और इसको ध्यान में रखते हुए राशि की अगली निर्मुक्तियां विनियमित की जाती हैं।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

		अ.जा. के लिए एस.सी.पी. को एस.सी.ए.			अ.जा. के लिए पुस्तक बैंक		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-96	1997-98	1995-96	1996-96	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3425.41	2915.22	2680.13	73.8	89.25	—
2.	असम	222.65	163.52	142.18	3	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	—	2678.61	2808.2	5	5.53	—
4.	गुजरात	278.9	278.9	1659.99	7.33	—	—
5.	गोवा	2.09	2.09	3.83	0.39	0.19	—
6.	हरियाणा	6.23	5.20	546.41	3	4.43	5.51
7.	हिमाचल प्रदेश	193.63	180.29	256.91	1.53	0.47	0.63
8.	जम्मू और कश्मीर	83.77	95.23	73.87	2.91	—	6
9.	कर्नाटक	2350.09	1884.01	1389.35	10.19	16.06	52.44
10.	केरल	492.73	404.93	645.94	7.56	11.73	11.96
11.	मध्य प्रदेश	2425.33	1910.39	1945.24	33.87	—	31.39
12.	महाराष्ट्र	745.47	1448.87	1922.45	29.22	—	—
13.	मणिपुर	5.9	5.11	6.58	—	1.59	1
14.	उड़ीसा	1311.82	1265.07	1925.47	11.01	5	5
15.	पंजाब	571.68	883.28	—	4.33	9.22	10.99
16.	राजस्थान	1828.26	1619.91	2279.81	9.97	—	15
17.	सिक्किम	3.57	3.39	4.44	—	—	—
18.	तमिलनाडु	2803.55	2271.54	1756.9	40.4	31.83	—
19.	त्रिपुरा	72.26	72.54	106.28	0.25	1.65	1.91

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उत्तर प्रदेश	5839.03	5920.49	7646.66	15	—	—
21.	पश्चिम बंगाल	2955.22	2752.5	2848.78	—	—	—
22.	चंडीगढ़	14.86	16.23	18.16	—	—	—
23.	दिल्ली	231.16	190.42	135.43	3.99	5.85	7.8
24.	पांडिचेरी	19.62	17.46	23.99	0.25	—	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	0.55	—
26.	दमन और दीव	—	—	—	0.28	—	0.07
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	0.84	—	—

(रुपये लाख में)

		अ.जा. लड़कियों के लिए होस्टल			अ.जा. लड़कों के लिए होस्टल		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.85	—	44.9	198.9	—	—
2.	असम	9	—	9	9	—	5.5
3.	बिहार	—	46.54	—	—	75	—
4.	गुजरात	14.13	3.2	—	65.16	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	हरियाणा	—	—	—	1.82	5	4

1	2	9	10	11	12	13	14
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	3.15	—	19.51
9.	कर्नाटक	37.5	78.5	24.36	324.45	121.5	—
10.	केरल	23.51	—	—	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	350	182.74	216.3	500	666.75
12.	महाराष्ट्र	—	21.12	—	93.83	67.54	—
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	49.59	40	—	25.29	—	30
15.	पंजाब	3	—	—	3	—	30
16.	राजस्थान	12.78	—	—	220.01	143.96	129.66
17.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	100	—	339	100	—	—
19.	त्रिपुरा	24	8.65	—	6	12	20
20.	उत्तर प्रदेश	31.82	—	—	66.93	—	—
21.	पश्चिम बंगाल	58.7	—	—	134.01	—	—
22.	चंडीगढ़	—	100	—	15	15	—
23.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—

1	2	9	10	11	12	13	14
24.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
26.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—

(रुपए लाख में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		अनु. जाति/अनु.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन			अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	3.62	2.28	55.41	42.59	28.70
2.	असम	—	—	3.57	1.93	—	—
3.	बिहार	—	—	—	2.96	2.50	—
4.	गुजरात	—	—	2.83	6.22	8.48	0.31
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	हरियाणा	3.20	1.52	2.31	2.52	2.59	0.35
7.	हिमाचल प्रदेश	0.32	—	0.18	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	1.47	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	—	—	2.91	—	11.17

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	केरल	—	—	—	15.65	10.89	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	21.45	—	—	43.12
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	1.83	—	—
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	17.85	—	—	—	—	—
15.	पंजाब	—	—	—	0.59	—	2.45
16.	राजस्थान	—	8.94	8.32	—	31.58	17.76
17.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	—	—	—	—	3.69	1.98
19.	त्रिपुरा	0.09	—	1.05	—	0.78	7.16
20.	उत्तर प्रदेश	—	—	33.00	—	—	—
21.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
23.	दिल्ली	—	—	—	4.14	3.42	3.57
24.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.71	0.78	1.02	—	—	—
29.	मिजोरम	—	0.04	—	—	—	—

(रुपए लाख में)

		स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान			विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	181.78	202.67	186.46	—	—	—
2.	असम	6.53	17.48	1.64	—	—	—
3.	बिहार	48.60	50.97	25.53	—	2.84	—
4.	गुजरात	—	—	2.50	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	हरियाणा	16.54	11.24	8.54	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	1.17	—	—	—
9.	कर्नाटक	117.95	134.81	167.80	—	—	—

1	2	9	10	11	12	13	14
10.	केरल	—	—	1.45	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	35.90	27.79	39.72	—	21.26	6.08
12.	महाराष्ट्र	52.51	3.60	46.18	—	—	—
13.	मणिपुर	15.55	8.50	9.15	—	—	—
14.	उड़ीसा	62.99	76.63	92.72	—	—	—
15.	पंजाब	1.45	—	4.08	—	—	—
16.	राजस्थान	20.08	22.89	17.72	—	5.65	4.25
17.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	18.77	20.83	4.70	—	—	—
19.	त्रिपुरा	5.53	4.54	2.06	—	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	170.75	186.59	170.73	—	4.25	1.42
21.	पश्चिम बंगाल	95.72	111.03	96.84	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
23.	दिल्ली	228.88	121.36	123.65	—	—	—
24.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—

1	2	9	10	11	12	13	14
26..	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
28.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
29.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.सी./एस.टी. छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति			अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति			सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	625.99	52.04	—	—	—	—	2.5	3	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	2980.34	3124.64	3197.29	71.98	49.66	2.61	36.68	226.39	18
3.	बिहार	—	—	791.15	—	16.08	—	116	6	9.5
4.	गोवा	0.4	—	—	—	—	—	0.25	0.1	0.7
5.	गुजरात	762.75	494.89	—	335.14	377.34	83.78	268.05	142.81	156.24
6.	हरियाणा	70.7	2.26	—	54.82	58.14	—	4.72	17.11	—
7.	हिमाचल प्रदेश	4.38	24.73	—	2	—	—	1.5	1	1
8.	जम्मू और कश्मीर	79.83	78.07	14.09	0.71	—	1.21	—	—	—
9.	कर्नाटक	1078.82	1374.53	—	5.04	12.34	27.34	158.52	97.35	15.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	केरल	41.29	634.49	—	—	—	—	35.37	6.98	2.5
11.	मध्य प्रदेश	820.89	1982.79	—	153.11	340.16	9.73	194.62	189.98	500.85
12.	महाराष्ट्र	57.2	2371.8	967.78	28.27	67.64	21.25	124.36	84.79	23
13.	मणिपुर	227.78	374.5	—	—	—	—	—	—	—
14.	मेघालय	96.6	371.84	—	—	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	122.4	144.5	—	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैंड	243.43	404.9	—	—	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	741.29	531.43	47.16	2.48	11.65	—	5	5	—
18.	पंजाब	237.05	—	—	33.74	64.22	—	20.45	29.42	10.7
19.	राजस्थान	665.4	934.75	84.7	63.82	115.19	—	57.5	83.6	16
20.	सिक्किम	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	693.00	1817.74	396.78	32.05	74.13	27.93	82.54	98.59	14.5
22.	त्रिपुरा	82.36	29.35	—	12.78	14.66	1.69	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	1669.82	2070.82	705.39	68.13	201.34	24.46	399.43	226.14	844.51
24.	पश्चिम बंगाल	635.29	1146.12	—	—	1.38	—	—	2.35	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.28	1.85	—	—	—	—	—	0.29	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	दमन और दीव	2.64	2.09	—	—	—	—	0.1	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	5.68	—	—	—	—	—	14.92	13.54	15.88
28.	दिल्ली	—	—	—	27.44	—	—	—	—	—
29.	पांडिचेरी	26.03	20	—	—	—	—	14.35	15.57	18.28

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	अनुसूचित जाति विकास निगम			सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	575.67	256.48	396.50	—	—	369.00
2.	असम	30.74	11.92	15.37	—	—	—
3.	बिहार	57.64	266.78	—	—	—	464.00
4.	गुजरात	15.00	—	—	—	—	890.00
5.	गोवा	13.45	13.45	13.45	—	—	—
6.	हरियाणा	49.00	254.61	78.30	—	796.92	—
6.	हिमाचल प्रदेश	70.14	128.04	34.88	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	44.00	68.98	34.73	—	—	—
9.	कर्नाटक	585.31	—	624.90	—	355.77	—
10.	केरल	84.13	84.13	49.14	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मध्य प्रदेश	44.19	34.39	25.47	2018.00	1747.00	2451.00
12.	महाराष्ट्र	600.00	647.08	1050.33	580.00	—	—
13.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
14.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	96.05	96.07	—	256.00	196.39	107.00
18.	पंजाब	69.20	40.16	240.19	255.00	—	—
19.	राजस्थान	74.95	54.99	82.75	686.00	1023.98	273.00
20.	सिक्किम	—	8.16	24.02	—	—	—
21.	तमिलनाडु	268.96	318.50	321.48	1385.00	1318.33	—
22.	त्रिपुरा	—	4.80	—	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	—	259.52	1220.58	3816.00	3414.26	4446.00
24.	पश्चिम बंगाल	254.43	107.78	—	—	—	—
25.	दिल्ली	96.07	406.83	223.95	—	148.34	—
26.	पांडिचेरी	9.60	3.50	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
28.	दमन और दीव दादर और नगर हवेली	37.47	90.30	63.96	—	—	—
29.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	24.00	43.03	—	—	—	—

विवरण-II

वर्ष 1995-96 के दौरान आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण

(31.3.96 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.सी.ए.	अनुच्छेद (276)(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परि.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनु. च प्रशि.	गैर सरकारी संगठन	एस.टी. डी.सी.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	2140.32	460.50	91.00	92.63	72.17	2.49	64.34	25.54	27.01	90.00	3066.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	60.00	—	—	—	—	—	—	84.50	—	144.50
3.	असम	1545.19	315.00	3.03	—	—	—	64.90	17.77	15.10	—	1960.99
4.	बिहार	274.22	725.25	—	—	—	1.82	—	14.73	35.30	50.00	1101.32
5.	गुजरात	3060.26	675.00	—	—	—	22.51	52.31	0.14	1.08	—	3811.30
6.	हिमाचल प्रदेश	541.62	2400	6.50	—	—	—	—	0.28	—	—	572.40
7.	जम्मू और कश्मीर	756.64	95.25	24.05	12.70	—	—	—	—	10.82	—	899.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	कर्नाटक	659.99	210.00	—	—	—	—	—	—	15.80	—	885.79
9.	केरल	181.20	35.25	—	—	—	2.75	—	11.25	29.42	57.00	316.87
10.	मध्य प्रदेश	9579.66	1687.50	—	—	99.45	30.44	44.34	22.21	12.54	57.00	11533.14
11.	महाराष्ट्र	2930.82	801.75	—	—	—	0.68	—	—	40.73	75.00	3848.98
12.	मणिपुर	574.53	69.00	—	—	—	—	—	0.49	3.06	8.00	655.08
13.	मेघालय	—	166.50	13.75	13.75	—	—	—	—	68.91	—	262.91
14.	मिजोरम	—	72.00	—	—	—	—	—	—	—	—	72.00
15.	नागालैंड	—	116.25	—	—	—	—	—	—	1.96	—	118.21
16.	नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	36.76	—	36.76
17.	उड़ीसा	4958.10	771.00	65.93	46.62	70.00	68.67	—	12.90	70.54	—	6063.86
18.	राजस्थान	2819.04	600.00	66.74	—	—	20.64	—	7.93	10.79	—	3525.14
19.	सिक्किम	100.19	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—	109.94
20.	तमिलनाडु	274.44	63.00	—	—	—	—	—	16.54	17.61	—	371.79
21.	त्रिपुरा	564.97	93.75	19.44	38.38	38.38	—	52.12	8.27	1.46	63.00	886.77
22.	उत्तर प्रदेश	104.08	31.50	—	—	—	—	—	1.12	6.19	—	142.89
23.	पश्चिम बंगाल	1763.21	417.75	19.57	115.92	—	—	—	10.83	40.12	—	2367.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य क्षेत्र											
1.	दादर व नगर हवेली	—	—	40.00	45.00	—	—	—	—	—	—	85.00
2.	अंडमान व निकोबार	112.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.24
3.	दमन व दीव	59.31	—	20.00	—	—	—	—	—	—	—	79.31
	कुल	33000.00	7600.00	370.01	365.00	280.00	150.00	285.00	150.00	630.00	400.00	43030.01

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.सी.ए.	अनुच्छेद (276)(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परि.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनु. व प्रशि.	गैर सरकारी संगठन	एस.टी. डी.सी.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	2287.52	460.50	101.10	—	212.50	6.68	24.34	25.00	16.90	90.00	3224.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	60.00	—	—	—	9.69	—	—	88.13	—	157.82
3.	असम	1524.71	315.00	19.00	16.00	—	—	82.91	13.01	9.09	—	1979.72
4.	बिहार	3364.00	725.25	—	—	—	4.84	—	—	30.72	50.00	4174.81
5.	गुजरात	2642.95	675.00	—	—	21.60	8.78	101.90	—	1.12	—	3451.35
6.	हिमाचल प्रदेश	622.44	24.00	—	—	—	—	—	0.22	—	—	646.66
7.	जम्मू और कश्मीर	681.54	95.25	—	17.22	—	—	—	—	30.28	—	824.29

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	कर्नाटक	569.50	210.00	13.25	—	—	—	14.78	—	30.81	—	838.34
9.	केरल	153.71	35.25	14.70	20.00	—	—	—	13.50	25.80	—	262.96
10.	मध्य प्रदेश	7695.71	1687.50	—	—	—	27.98	—	22.02	2.03	—	9435.24
11.	महाराष्ट्र	3160.78	801.75	—	—	—	5.91	—	22.70	38.89	75.00	4105.03
12.	मणिपुर	653.22	69.00	31.50	37.25	—	—	73.90	10.35	13.79	—	889.01
13.	मेघालय	—	166.50	13.75	13.75	—	—	—	—	43.38	—	237.38
14.	मिजोरम	—	72.00	—	—	—	—	—	—	—	—	72.00
15.	नागालैंड	—	116.25	—	—	—	—	—	—	2.16	—	118.41
16.	नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	32.43	—	32.43
17.	उड़ीसा	4411.44	771.00	50.00	40.00	60.00	37.42	—	6.70	73.35	135.00	5584.91
18.	राजस्थान	2467.32	600.00	33.37	—	—	18.78	—	5.66	—	50.00	3175.13
19.	सिक्किम	138.00	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—	148.16
20.	तमिलनाडु	238.81	63.00	8.04	35.24	—	—	—	9.30	29.01	—	383.40
21.	त्रिपुरा	594.48	93.75	34.04	31.40	93.46	—	—	11.21	0.31	—	858.66
22.	उत्तर प्रदेश	90.39	31.50	—	—	—	—	—	4.27	2.07	—	128.23
23	पश्चिम बंगाल	1558.07	417.75	—	—	—	—	—	6.06	28.82	—	2010.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	संघ राज्य क्षेत्र											
1.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	15.00	—	—	—	—	3.25	—	18.25
2.	अंडमान व निकोबार	95.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.18
3.	दमन व दीव	49.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.82
	कुल	33000.00	7500.00	318.75	225.87	387.56	120.08	297.83	130.00	502.34	400.00	42903.43

टिप्पणी : वर्ष 1996-97 के दौरान ग्राम अन्न बैंक की योजना के अंतर्गत ट्राइफेड को 1.5 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की जा रही है।

विवरण-IV

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्ति के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षिक परिसर	गैर-सरकारी संगठन	आदिवासी अनुसंधान	आदिवासी उपयोजना को वि.के. सहायता	अनुच्छेद 275(1)	राज्य आदि. विकास निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	60.20	45.45	218.46	—	1.42	24.48	20.47	2581.54	453.50	100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	102.76	0.26	—	—	—
3.	असम	16.00	16.00	—	77.15	—	75.38	23.27	1460.00	205.00	—
4.	बिहार	—	—	—	—	16.06	38.00	0.53	00.00	641.75	—
5	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	00.00	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	86.34	13.81	—	9.47	2632.77	625.00	123.89
7.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00	—	40.00	—	—	0.94	521.89	108.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	कर्नाटक	14.99	27.50	—	—	—	19.18	0.28	500.00	270.00	—
9.	केरल	—	—	—	—	—	26.14	20.07	196.12	111.75	50.00
10.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	50.20	8.88	49.96	9207.83	1262.50	200.00
11.	महाराष्ट्र	10.00	12.50	104.50	—	4.59	57.59	50.72	3400.89	667.25	99.50
12.	मणिपुर	3.00	13.00	3.00	45.50	—	11.27	9.80	950.00	123.00	00.00
13.	मेघालय	13.75	13.75	—	—	—	121.11	—	—	255.00	00.00
14.	मिजोरम	—	—	—	—	—	5.80	—	—	124.00	—
15.	नागालैंड	—	—	—	—	—	3.44	—	—	138.75	—
16.	उड़ीसा	45.00	35.00	50.00	40.00	61.51	83.20	7.86	5576.27	657.00	100.00
17.	राजस्थान	150.17	159.55	—	24.00	51.35	14.41	13.37	2341.13	600.00	50.00
18.	सिक्किम	—	—	—	—	--	—	—	60.00	103.35	—
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	17.03	30.50	243.71	121.00	—
20.	त्रिपुरा	17.25	15.25	93.46	32.00	—	0.26	11.67	885.00	231.25	00.00
21.	उत्तर प्रदेश	11.17	—	—	—	18.99	2.75	—	112.91	110.50	—
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	12.75	22.44	1600.39	339.25	10.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	118.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	दादर नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	दमन व दीव	20.00	—	—	—	—	—	—	50.75	—	—
26.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	100.79	—	—	—	—
28.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	3.12	—	521.80	131.75	—

राज्य आदिवासी विकास निगम : दूरस्थ वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास निगम

नोट : वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रामीण अन्न बैंक योजना के अंतर्गत ट्राइफेड को निर्मुक्त 1.80 करोड़ रु.।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बहुक्षेत्रीय विकास योजना			आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	4.00	—	20.18	4.15	8.22
2.	बिहार	3.00	—	—	14.09	—	10.00
3.	गुजरात	1.00	—	—	—	—	—
4.	हरियाणा	1.00	0.50	3.00	—	—	—
5.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	3.00	6.00	6.00	2.10	—	2.00
7.	केरल	5.00	—	—	—	—	1.00
8.	मध्य प्रदेश	1.00	1.00	—	4.00	—	7.99
9.	महाराष्ट्र	2.00	—	—	2.34	—	1.66
10.	मणिपुर	—	—	—	1.41	1.55	1.43
11.	उड़ीसा	—	—	—	4.55	2.19	4.00
12.	राजस्थान	1.00	—	—	3.69	—	8.00
13.	तमिलनाडु	—	—	—	5.56	—	—
14.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	1.00
15.	उत्तर प्रदेश	13.00	16.50	9.85	33.71	12.32	18.20
16.	पश्चिम बंगाल	9.00	18.00	—	—	—	—
17.	दिल्ली	—	—	—	39.72	9.12	17.50

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में अध्यापक

***286. श्री जयसिंहजी चौहान :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) क्या कुछ नवोदय विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के कार्य कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अध्यापक विद्यालय छोड़कर चले गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन विद्यालयों में राज्यवार प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ङ) सभी रिक्त पदों को भरने और प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों की सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है, ताकि वे विद्यालयों को छोड़कर न जाएं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) देश में कुल 404 जवाहर नवोदय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गई।

चौंसठ (64) जवाहर नवोदय विद्यालय बिना नियमित प्रधानाचार्यों के हैं परन्तु उनमें उप प्रधानाचार्य/वरिष्ठतम स्नातकोत्तर शिक्षक को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में लगाकर वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं। इनमें से अधिकांश रिक्तियां ऐसे नवोदय शिक्षकों के लिए पदोन्नति कोटा में हैं जिन्होंने अभी तक इस पद के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित सेवाकाल को पूरा नहीं किया है। प्रधानाचार्यों के कुछ पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों से शिक्षकों का बड़ी संख्या में निर्गमन नहीं हुआ है। तीन वर्षों के दौरान त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित है:-

1996-97	159
1997-98	166
1998-99	149

यह नवोदय विद्यालयों की शिक्षक संख्या से 2 प्रतिशत से कम है।

(घ) और (ङ) रिक्तियों का एक विवरण संलग्न है। तथापि, शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए इन रिक्तियों को, जहां जरूरी होता है, अंशकालिक ठेके पर नियुक्तियां करके अथवा अंशकालिक शिक्षकों को लगाकर भरा जाता है।

प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है तथा यथाशीघ्र उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती करने के प्रयास किये जाते हैं। पदोन्नति कोटा के अंतर्गत प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को आगामी शैक्षिक वर्ष के दौरान भरे जाने की आशा है। इसके अलावा, शिक्षकों को नि:शुल्क आवास, उनके बच्चों को नवोदय विद्यालयों में दाखिला तथा भोजन, सुविधाएं आदि के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

विवरण

ऐसे विद्यालयों का राज्यवार विवरण जहां प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के पद रिक्त हैं

क्षेत्र	राज्य का नाम	प्रधानाचार्य	स्नातकोत्तर शिक्षक	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
1	2	3	4	5
पटना	बिहार	8	17	85
चण्डीढ़	पंजाब	–	21	23
	हिमाचल प्रदेश	1	6	7
	जम्मू व कश्मीर	5	23	38
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1	15	22
	कर्नाटक	4	30	21
	केरल	1	11	7

1	2	3	4	5
	पाण्डिचेरी	1	4	4
	अण्डमान व निकोबार	–	2	4
	लक्षद्वीप	–	1	3
भोपाल:	मध्य प्रदेश	8	58	41
	उड़ीसा	2	9	24
जयपुर	हरियाणा	1	17	10
	राजस्थान	7	50	36
	दिल्ली	–	2	–
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	5	17	63
पुणे	महाराष्ट्र	4	6	1
	गुजरात	3	10	–
शिलांग	अरुणाचल प्रदेश	–	3	29
	असम	5	20	84
	मणिपुर	1	7	30
	मेघालय	2	2	14
	मिजोरम	–	–	18
	त्रिपुरा	2	–	18
	सिक्किम	–	–	5
	नागालैण्ड	3	–	13
	कुल	64	331	602

बंगलादेशी नागरिकों द्वारा भारत की यात्रा

*287. **श्री विठ्ठल तुपे :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलादेशी नागरिकों की भारत यात्राओं पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाने के बाद देश में आतंकवादियों, उग्रवादियों तथा तस्करों के प्रवेशी संभावनाओं पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) बंगलादेशी राष्ट्रिकों की भारत यात्रा पर लगे मौजूदा प्रतिबन्धों में से किसी को भी हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

सुरक्षित शहरों संबंधी संगोष्ठी

*288. **डा. सरोजा वी. :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षित शहरों के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, स्वस्थ हरे-भरे और रहने योग्य शहर बनाने के लिए एक बहुआयामी कार्य योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में कोई ठोस कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त संगोष्ठी में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उक्त संगोष्ठी में की गई सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) जी, हां। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने विश्व पर्यावास दिवस समारोहों के अवसर पर 5-6 अक्तूबर, 1998 को विज्ञान भवन में "सुरक्षित शहरों" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी। इसके चार सत्रों में बढ़ती हुई शहरी हिंसा और नागरिकों में असुरक्षा की भावना पर विश्वव्यापी चिन्ता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिनके निम्नलिखित उप-विषय थे:-

* सुरक्षित शहरों का विकास

इस दल की सिफारिशें शहरों में आबादी की भीड़ कम करने, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने, सुरक्षित पेयजल और सफाई की व्यवस्था, सुरक्षित यातायात दशाओं, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित है।

* शहरी सुरक्षा और उपेक्षित वर्ग

यह महिलाओं तथा किशोरों को कौशल उन्नयन और स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता, महिलाओं व किशोरों को स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण तथा परियोजनाओं से विस्थापित महिलाओं और किशोरों के पुनर्वास के जरिए अधिकारिता देने से संबंधित है।

इस कार्यदल ने अशक्त एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त आवागमन के मुद्दे पर भी विचार किया था।

* मानव बसाव और संभावित खतरे

इस दल ने भवनों की आग से अभिरक्षा के लिए तकनीकी कानूनी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।

* शहरी गरीबी, हिंसा और आपराधिक न्याय

गरीबी और अपराध के बीच गठजोड़ पर विचार करते हुए दल ने सामुदायिक विकास के लिए सामाजिक जागृति पैदा करने में बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित संगठनों और महिला संगठनों को शामिल करने पर बल दिया। समुदाय विकास में सामाजिक और आर्थिक एकीकरण, स्लम वासियों की सुरक्षित भूमि धारण, शिक्षा, आर्थिक विकास, अपराध नियंत्रण और विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं।

(घ) संगोष्ठी की विभिन्न सिफारिशें सभी राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु पहले ही भेज दी गई है।

(ङ) ऐसे नीतिगत मामलों पर जहां अनेक एजेंसियां कार्यवाही में भागीदार हों, कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती। सरकार ने अपने से सीधे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

उच्च शिक्षा हेतु रियायतें

*289. **श्री ई. अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को रियायतों की पेशकश करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा पेशकश की गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह की रियायतों की पेशकश पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने छात्रों ने ये रियायतें प्राप्त की हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) कुछ बाहरी देशों द्वारा सरकार-दर-सरकार के आधार पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्र मण्डल छात्रवृत्तियां/अध्येता वृत्तियां योजना तथा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों में रखरखाव संबंधी भत्ते, ट्यूशन/परीक्षा शुल्क से छूट, पुस्तक भत्ता, चिकित्सा सहायता, मार्ग व्यय आदि शामिल हैं। दाता देशों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए नामांकन, विभाग द्वारा किए जाते हैं। तथापि छात्रवृत्ति के लिए अंतिम चयन दाता देशों द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार छात्रवृत्तियों के इन प्रस्तावों का स्वागत करती है।

छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाले देशों के नाम, तथा शिक्षा विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां भेजे गए छात्रों की संख्या इस प्रकार है:-

देश का नाम	बाहर भेजे गए छात्रों की संख्या		
	1996-97	1997-98	1998-98
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	16	–	–
बेल्जियम	–	3	1
कनाडा	2	–	4
चीन	11	5	12
चैक	–	2	2
फ्रांस	2	1	2
जर्मनी	10	9	9
आयरलैंड	5	6	–

1	2	3	4
इजराइल	2	2	3
इटली	4	13	2
जापान	16	14	16
कोरिया (दक्षिणी)	–	1	–
मैक्सिको	1	3	–
न्यूजीलैंड	–	1	–
नीदरलैंड	–	4	2
नार्वे	–	3	5
पोलैंड	–	–	2
यू.के.	33	17	16

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

***290. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री सुरेश चरपुडकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999 और 2000 के दौरान नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे विश्वविद्यालय राज्यवार किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सरकार का सामान्य दृष्टिकोण उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बजाए पहले से स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ तथा समेकित करना है। तथापि, इस संबंध में पहले से की गई वचनबद्धताओं का पालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न

***291. डा. सुशील इंदौरा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मानव-उपभोग योग्य नहीं रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में गेहूं और चावल की कितनी मात्रा मानव-उपभोग हेतु अनुपयोगी पाई गई;

(ग) क्या उसी गेहूं और चावल को खुले बाजार में सस्ती दरों पर बेचा गया था;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और किस दर पर गेहूं और चावल बेचा गया;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितने राजस्व का घाटा हुआ; और

(च) सरकार द्वारा भंडारण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) फिलहाल केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के पास उपलब्ध क्षमता के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के पास 23.6 मिलियन टन (अपनी और किराये की) की पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड कार्यालयों के पास, अन्य एजेंसियों/प्राइवेट पार्टियों से जब कभी अपेक्षित होता है, भंडारण क्षमता किराये पर लेने के लिए सम्पूर्ण शक्तियां हैं। किराये की भंडारण क्षमता पर अपनी निर्भरता न्यून करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण किया जाना सतत् प्रक्रिया है जो योजना निधियों के आवंटन पर निर्भर करती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.40 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नक्सलवादी गतिविधियां

***292. डा. महन्त चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन से राज्य नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलवादियों द्वारा की गई ऐसी हिंसक घटनाओं की राज्यवार संख्या क्या है जिनसे जानमाल की क्षति हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलवादी प्रभावित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सूचना निम्न प्रकार है:-

वामपंथी उग्रवादी हिंसा
(घटनाएं/मौतें)

आन्ध्र प्रदेश	933(186)	863(234)	736(205)
बिहार	564(320)	470(325)	373(206)
मध्य प्रदेश	113(23)	102(14)	179(59)
महाराष्ट्र	39(11)	35(9)	43(13)
उड़ीसा	23(-)	24(-)	11(5)

*कोष्ठक में दिखाई गई संख्या मौतों के बारे में है।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (5.3.1999 तक) के दौरान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना के अन्तर्गत प्रभावित राज्यों को दी गई राशि का विवरण संलग्न है।

(घ) इस खतरे से निपटने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु, भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों पर जोर देने के लिए एक कार्य-योजना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

(1) पुलिस स्टेशनों, विशेष रूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा।

(2) संयुक्त संचार प्रणाली की स्थापना।

(3) प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

(4) राज्यों के बीच क्षेत्र प्रभुत्व कार्यक्रम शुरू करना।

(5) संयुक्त गश्त।

(6) संबंधित राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना।

(7) उग्रवाद विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों और सुरक्षा प्रबन्धों को शामिल करते हुए राज्यों से एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए एक समन्वय केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना 1996-97, 1997-98 के लिए दी गई राशि और उसके प्रयोग की स्थिति और 1998-99 (5.3.1999 तक) के दौरान दी गई राशि

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	1996-97 में दी गयी राशि	खर्च की गयी राशि	1997-98 में दी गयी राशि	खर्च की गयी राशि	1998-99 का आवंटन	दी गई प्रथम किस्त	दी गई द्वितीय किस्त	दी गई विशेष सहायता	1998-99 में दी गई कुल राशि
आन्ध्र प्रदेश	709.560	673.320	1209.560	1100.000	209.560	104.780	204.780	400.000	709.560
बिहार	333.120	332.110	783.120	783.120	233.120	233.120	100.000	300.000	633.120
मध्य प्रदेश	478.820	478.820	387.820	387.820	237.820	118.910	118.910	200.000	437.820
महाराष्ट्र	251.290	175.125	शून्य	शून्य	251.290	125.645	125.645	शून्य	251.290
उड़ीसा	200.000	200.000	164.610	104.610	104.610	52.305	52.305	शून्य	104.610

अनौपचारिक शिक्षा योजना

*293. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण:**
श्रीमती कृष्णा बोस:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग द्वारा तैयार की गई अनौपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) योजना संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कार्यक्रम का नवीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) योजना आयोग द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के प्रभाव

पर मूल्यांकन अध्ययन की प्रारूप रिपोर्ट की प्रति मई, 1998 में शिक्षा विभाग को टिप्पणी हेतु भेजी थी। इस विभाग के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् आयोग द्वारा उक्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987-88 से क्रियान्वित की जा रही है। इसका लक्ष्य शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और अन्य राज्यों की शहरी मलिन बस्तियों, पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को लचीले तथा विकेन्द्रित ढंग से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए 60 प्रतिशत तथा बालिका केन्द्रों के लिए 90 प्रतिशत राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वैच्छिक एजेंसियों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) मुख्य तौर पर प्रति केन्द्र की लागत बढ़ाने, सह-शैक्षिक केन्द्रों को देय केन्द्रीय सहायता अंशदान में वृद्धि करने और बालिका केन्द्रों के अनुपात में बढ़ोत्तरी करने के लिए वर्ष 1993 में इस योजना में संशोधन किया गया। योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर दी जा रही शिक्षा तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा के सफल प्रयोगों के घटकों को शामिल करने के लिए नौवीं योजना में इस योजना को पुनर्गठित किए जाने की आशा है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई कि विभिन्न राज्यों में लगभग 3 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो जाएगी।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

***294. श्री शांतिलाल चपलोत:**
श्री बासवराज पाटील सेडाम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी सहायता से चल रहे गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संस्थानों द्वारा प्राप्त किये गये धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त किये गये धन का प्रयोग अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धन का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) कोई निश्चित शैक्षणिक कार्यक्रम रखने वाली एसोसिएशनों सहित स्वयंसेवी एसोसिएशनों, जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन पंजीकृत किया गया है अथवा पूर्व-अनुमति प्रदान की गई है, द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय और उसका प्रयोजन-वार उपयोग करने संबंधी ब्यौरे गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा निकाली गई वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट (1996-97 तक) की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जा रही है। ये रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन इन एससिएशनों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित है।

(ग) और (घ) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकृत/पूर्व-अनुमति प्राप्त कोई एसोसिएशन उसका उपयोग किसी ऐसे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम के लिए कर सकती जिसके लिए वह अभिदाय प्राप्त किया गया है। उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय का प्रयोजन-वार प्रबोधन, ऐसी एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से किया जाता है। ऐसी एसोसिएशनों के लेखों अथवा रिकार्ड अथवा लेखों की आडिट पुस्तकों का निरीक्षण करने का आदेश देने के अधिकार भी प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की दोषी पाई जाने वाली एसोसिएशनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई में, ऐसी एसोसिएशनों को पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले वर्ग में रखना, उन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित करना, उनके बैंक खातों को फ्रीज करना तथा उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाना शामिल है।

प्राथमिक शिक्षा

***295. प्रो. अजित कुमार मेहता:**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1999 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'प्लान टू मेक एलीमेंटरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट-ह्वेअर इज फंड: एम्पटी कोफर्स टैल द टेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उसमें क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की संभावनाओं का आंकलन करने हेतु नियुक्त विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रकाशित समाचार में शिक्षा विभाग द्वारा जून, 1997 में गठित किए गए विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं। यह रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक लक्ष्य को हसिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने संबंधी उपायों का सुझाव देने और केन्द्र तथा राज्यों के बीच समुचित अंशदान की व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के संबंध में है। इस दल के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(1) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दस वर्षों की अवधि तक 1,36,822 करोड़ रु. की अनुमानित अतिरिक्त धनराशि की आवश्यता।

(2) इस अवधि पें सही मायने में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को मानकर, सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से की राशि का शिक्षा के लिए जो सरकारी आवंटन है उसमें वृद्धि करना।

(3) कर राजस्वों में वृद्धि के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीन लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना, गैर-कर राजस्वों में वृद्धि करना तथा शिक्षा के सरकारी व्यय के ढांचे का निर्माण करना।

(घ) से (च) इस रिपोर्ट की विस्तृत जांच करने के पश्चात ही सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होगी।

समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा

*296. **श्री एम. भागा रेड्डी:**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी कुछ वर्तमान समाज कल्याण योजनाओं को पुनर्गठित करने और कल्याणोन्मुखी योजनाओं हेतु धनराशि प्राप्त करने की पात्रता संबंधी मानदंड को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाओं में संशोधन किया गया और उनके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) ऐसे पुनर्गठन से इन योजनाओं को किस सीमा तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा उनको अधिक अनुकूल और लचीला बनाने, उनके कवरेज और उपयोग में वृद्धि करने, मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों के अनुसार वित्तीय मानदंडों को संशोधित करने तथा लाभग्राहियों के बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास संबंधी 25 योजनाओं और समाज रक्षा कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा पूरी कर ली गई है। प्रत्येक योजना के लिए आवंटन का निर्णय प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना प्रस्तावों और बजट को अंतिम रूप देते समय किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों की पहचान करना

*297. **श्री हरिभाई चौधरी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों की पहचान करने के लिए मानदंड तैयार करने हेतु डा. ई.ए.एस. सरमा की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने जिलों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) जिलों की पहचान हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997 में देश में सबसे पिछड़े और गरीब जिलों का पता लगाने के लिए डा. ई.ए.एस. सर्मा, सचिव (व्यय), तत्कालीन प्रधान सलाहकार, योजना आयोग के अधीन 1997 में एक समिति गठित की गई थी। समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे:

1.	डा. (श्रीमती) रोहिणी नैय्यर, सलाहकार, योजना आयोग	–	सदस्य
2.	डा. प्रणव सेन, सलाहकार, योजना आयोग	–	सदस्य
3.	प्रो. के.एल. कृष्णा, दिल्ली स्कूल आफ इक्नामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय	–	सदस्य
4.	श्री सतीश चन्द्र संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	–	संयोजक

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:-

(1) देश में 100 सबसे ज्यादा पिछड़े और गरीब जिलों को निश्चित करने के लिए मानदण्डों की सिफारिश करना।

(2) सुझाए गए मानदण्डों के अनुसार विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों की पहचान करना।

(3) ''संरचनात्मक विकास'' शब्द की उपयुक्त परिभाषा की सिफारिश करना और इसमें शामिल किए गए जाने वाले विशेष सत्रों की पहचान करना।

(4) कोई अन्य संबंधित विषय।

(ग) और (घ) समिति द्वारा 100 सर्वाधिक पिछड़े और गरीब जिलों की पहाचन कर ली गई है। देश के इस सर्वाधिक पिछड़े और गरीब जिलों की पहचान करने का मानदण्ड निम्नलिखित गसीबी और पिछड़ेपन के सूचकों पर आधारित है:

(क) गरीबी अनुपात

(ख) प्रति, 10,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या।

(ग) महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत।

(घ) शिशु मृत्यु दर।

(ङ) प्रति 10,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों की संख्या।

(च) प्रति 10,000 की जनसंख्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या।

(छ) कुल गांवों की संख्या की तुलना में पेयजल सुविधा प्राप्त गांवों का प्रतिशत।

(ज) पक्की सड़कों वाले गांवों का प्रतिशत।

(झ) प्रति वर्ग कि.मी. में रेलवे स्टेशनों की संख्या।

(ञ) विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत।

(ट) डाकघर वाले गांवों का प्रतिशत।

(ठ) प्रति लाख जनसंख्या के लिए बैंक शाखाएं।

(ड) उपज की मात्रा (प्रतिशत)।

(ढ) प्रति हैक्टेअर उत्पादन का मूल्य।

(ण) कुल श्रमिकों को तुलना में गैर कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों का प्रतिशत।

राजधानी जिलों और कुल जनसंख्या के 50 से ज्यादा शहरी जनसंख्या वाले जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

"हुडको" द्वारा सहायता

*298. **श्री के.सी. कोंडय्या:**
श्री रंजीव बिस्वाल:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा राज्यों को आवास और अन्य शहरी क्षेत्र विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इस धनराशि का उपयोग करने के लिए आरंभ किए गए कार्यकलापों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हुडको द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार कितना आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) निम्नलिखित कार्य योजना स्कीमों के लिए विभिन्न एजेंसियों को भारत सरकार सब्सिडी आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के जरिए दी जाती है:

(1) नेहरू रोजगार योजना के तहत आवास और आश्रय उन्नयन स्कीम। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा 40:60 के अनुपात में 1000/- रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी राशि मुहैया कराई गई थी। स्कीम 30.11.1997 तक लाई गई थी।

(2) शहरी क्षेत्रों में पटरीवासियों के लिए आश्रय और स्वच्छता सुविधाओं के लिए स्कीम।

(3) एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम।

(4) निर्मित केन्द्र।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक जारी की गई सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हडको द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार कार्य योजना स्कीमों सहित आवास स्कीमों और भूमि अधिग्रहण स्कीमों के लिए हडको ऋण स्वीकृति का लक्ष्य 1650 करोड़ रुपए है। श्रेणीवार मांग राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित की जानी है। इसके अलावा शहरी अवस्थापना परियोजनओं के लिए 1380 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

आवास और आश्रय उन्नयन के जरिए शहरी रोजगार संचलन स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		स्कीमों की संख्या	नियतन (लाख रु. में)	जारी	स्कीमों की संख्या	नियतन (लाख रु. में)	जारी	स्कीमों की संख्या	नियतन (लाख रु. में)	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान व निकोबार	0	2.50	0.00	0	2.50	0.00	0	2.50	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0	94.90	41.01	4	94.90	83.70	0	94.90	0.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	8.25	0.00	0	8.25	0.00	0	8.25	0.00
4.	असम	0	17.25	0.00	0	17.25	0.00	0	17.25	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	बिहार	0	80.45	0.00	0	80.45	0.00	0	80.45	0.00
6.	चंडीगढ़	0	1.25	0.00	0	1.25	0.00	0	1.25	0.00
7.	दमन व दीव	0	2.50	0.00	0	2.50	0.00	0	2.50	0.00
8.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9.	दादर नगर हवेली	0	1.25	0.00	0	1.25	0.00	0	1.25	0.00
10.	गुजरात	0	38.10	0.00	0	38.10	0.00	0	38.10	0.45
11.	गोवा	0	1.50	0.00	0	1.50	0.00	0	1.50	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	0	9.00	0.28	0	9.00	0.00	0	9.00	0.00
13.	हरियाणा	0	12.00	0.00	0	12.00	0.00	0	12.00	0.00
14.	जम्मू व कश्मीर	1	10.50	0.00	4	10.50	21.74	0	10.50	12.00
15.	कर्नाटक	0	75.05	0.00	0	75.05	0.00	0	75.05	0.00
16.	केरल	0	25.80	0.00	1	25.80	0.00	0	25.80	0.00
17.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18.	मेघालय	1	3.75	0.00	0	3.75	0.00	0	3.75	0.00
19.	महाराष्ट्र	0	105.15	0.00	0	105.15	0.00	0	105.15	0.00
20.	मणिपुर	0	6.00	0.00	0	6.00	0.00	0	6.00	0.00
21.	मध्य प्रदेश	0	68.80	0.00	0	68.80	0.00	0	68.80	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	मिजोरम	1	2.25	9.00	1	2.25	7.50	0	2.25	0.00
23.	नागालैंड	0	5.25	0.00	0	5.25	0.00	0	5.25	0.00
24.	उड़ीसा	0	24.25	0.00	0	24.25	0.00	0	24.25	0.00
25.	पंजाब	0	9.55	8.05	0	9.55	0.00	0	9.55	0.00
26.	पांडिचेरी	0	3.00	0.00	0	3.00	0.00	0	3.00	0.00
27.	राजस्थान	0	42.35	0.00	7	42.35	0.00	0	42.35	0.00
28.	सिक्किम	0	3.00	0.00	0	3.00	0.00	0	3.00	0.00
29.	तमिलनाडु	0	85.75	2.39	0	85.75	0.00	0	85.75	8.46
30.	त्रिपुरा	1	2.25	0.00	0	2.25	0.00	0	2.25	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	0	167.45	0.00	4	167.45	55.82	0	167.45	0.00
32.	पश्चिम बंगाल	2	80.90	57.00	0	80.90	11.25	0	80.90	0.00
	कुल	6	990.00	117.73	21	990.00	180.01	0	990.00	20.91

शहरी क्षेत्रों में पटरी वासियों के लिए आश्रय व स्वच्छता सुविधाओं की स्वीकृति स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी	स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी	स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान व निकोबार	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4.	असम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5.	बिहार	1	0.39	13.00	0	0.00	3.20	0	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0	0.00	2.74	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7.	दमन व दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9.	दादर नगर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10.	गुजरात	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	86.27	0.00
11.	गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13.	हरियाणा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
15.	कर्नाटक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
16.	केरल	0	0.00	0.00	0	0.00	1.56	0	0.00	0.27
17.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	महाराष्ट्र	1	18.48	33.60	0	0.00	99.03	1	90.30	17.64
20.	मणिपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
21.	मध्य प्रदेश	5	123.02	0.00	1	81.20	41.83	1	45.78	38.40
22.	मिजोरम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
23.	नागालैंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
24.	उड़ीसा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
25.	पंजाब	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
26.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
27.	राजस्थान	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	123.86	26.54
28.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
29.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	1	1.02	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
32.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	8	142.91	49.34	1	81.20	145.62	5	346.21	82.85

स्वीकृत कम लागत स्वच्छता (एकीकृत) स्कीमें (वार्षिक स्वीकृति विवरण)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी	स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी	स्कीम संख्या	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान व निकोबार	6	338.87	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	21.12	0	0.00	80.52	3	3466.97	316.45
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4.	असम	0	0.00	5.55	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7.	दमन व दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9.	दादर नगर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10.	गुजरात	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
11.	गोवा	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
13.	हरियाणा	0	0.00	220.10	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
14.	जम्मू व कश्मीर	1	211.03	87.29	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	कर्नाटक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
16.	केरल	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
17.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18.	मेघालय	0	0.00	8.20	1	0.00	8.47	0	0.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	28	598.73	0.00	0	0.00	79.82
20.	मणिपुर	1	20.05	18.63	1	24.82	0.00	0	0.00	0.00
21.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
22.	मिजोरम	1	3.75	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
23.	नागालैंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
24.	उड़ीसा	0	0.00	6.20	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
25.	पंजाब	1	16.46	10.97	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
26.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
27.	राजस्थान	38	1491.02	785.10	19	477.52	164.63	0	0.00	156.67
28.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
29.	तमिलनाडु	2	208.24	43.96	1	56.51	19.69	0	0.00	31.11
30.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	6	4426.27	504.35	4	3889.05	972.25	0	0.00	0.00
32.	पश्चिम बंगाल	1	17.42	443.76	1	0.00	388.15	0	0.00	0.00
	कुल	58	6733.11	2155.23	55	5046.63	1633.71	3	3466.97	584.05

निर्मित केन्द्रों की प्रगति (4.3.99 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कुल स्वीकृत निर्मित केन्द्र	जारी अनुदान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	45	100.50
2.	अंडमान व निकोबार	1	2.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.00
4.	असम	30	37.00
5.	बिहार	55	92.50
6.	चंडीगढ़	0	0.00
7.	दिल्ली	4	8.00
8.	गोवा	0	0.00
9.	गुजरात	10	19.50
10.	हरियाणा	14	23.00
11.	हिमाचल प्रदेश	8	17.50
12.	जम्मू व कश्मीर	12	15.00
13.	कर्नाटक	26	61.00
14.	केरल	28	49.50
15.	लक्षद्वीप	0	40.00
16.	मध्य प्रदेश	56	120.67
17.	महाराष्ट्र	36	47.50
18.	मणिपुर	6	14.00
19.	मेघालय	7	14.00
20.	मिजोरम	3	4.00
21.	नागालैंड	8	5.00
22.	उड़ीसा	36	64.50
23.	पांडिचेरी	2	5.00
24.	पंजाब	11	20.00
25.	राजस्थान	37	70.00
26.	सिक्किम	1	2.00
27.	तमिलनाडु	33	16.00
28.	त्रिपुरा	7	12.50
29.	उत्तर प्रदेश	73	14.31
30.	पश्चिम बंगाल	27	56.00
	कुल	578	1000.98

पेंशन निधि का निवेश

*299. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "दि 3 परसेंट रिटर्न, इंडियाज पेंशन फंड्स लैक इक्विटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारत की पेंशन निधि से आय बढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव देने हेतु और वर्ष 2011 तक इनका दायरा बढ़ाने हेतु कोई समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा के विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीतिगत प्रश्नों की जांच करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत गठित एक समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में कुछ वर्तमान भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने तथा उनमें आगे सुधार करने के सुझाव दिए हैं। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं: (क) अंशदाताओं द्वारा शीघ्र निकासियों को सीमित करना, (ख) श्रेष्ठ वित्तीय विभाग प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली कायम करना ताकि अधिक दर से लाभ प्राप्त हो सके, (ग) वर्तमान भविष्य निधि प्रणालियों के कवरेज का विस्तार करना ताकि अधिक श्रमिकों को शामिल किया जा सके, और (घ) भविष्य निधि की वर्तमान प्रणालियों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना। इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने संबंधी कार्रवाई इनकी गहराई से जांच, अन्तर्क्षेत्रीय परामर्शों एवं व्यवहार्यता के आधार पर की जा रही है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार एजेंसियां

*300. श्री के.पी. मुनूसामी:
श्री वैको:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विकलांग व्यक्तियों को देश भर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एजेंसियां खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में ऐसी एजेंसियां शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन एजेंसियों का संचालन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अथवा वैयक्तिक आधार पर कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को अभी तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने किसी अमरीकी संगठन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार तथा वित्तीय अवसर सृजित करने के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए हैं। अच्छे रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए 51 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष सैल (विवरण संलग्न है) स्थापित किए गए हैं। 1998-99 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को रोजगार की योजना के अधीन इस प्रयोजन के लिए 15.25 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करते हैं। तथापि, सरकार इस कार्य में भागीदारी के लिए गैर-सरकारी संगठनों के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोशिश भी कर रही है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के लिए दो ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक प्रस्ताव रीच, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से तथा दूसरा प्रस्ताव क्रिपल एंड ट्रस्ट, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय विकलांगता प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान केन्द्र (एनसीडीटीआर) नामक एक केन्द्र की स्थापना करने के लिए इस मंत्रालय और राष्ट्रीय विकलांगता और पुनर्वास अनुसंधान (एन आई डी आर आर), अमरीका ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीकी सरकार का कुल अंशदान 28.30 मिलियन रुपए है और भारत का शेयर एक मिलियन रुपए है। इस केन्द्र के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान तथा अमरीका से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण बल देने के क्षेत्र होंगे।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष नियोजनालय

क्र.सं.	पता
1	2
1.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, आजमबाद, हैदराबाद-500020, आंध्र प्रदेश
2.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
3.	सहायक निदेशक (रोजगार), विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश 19.4.96 को स्वीकृत।
4.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, गुवाहाटी, असम।
5.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जोरहाट, असम (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
6.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कम्बाइन्ड बिल्डिंग लेवर, वेली रोड, पटना-800001, बिहार।
7.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, सालजोसो क्रास रोड, एस.वी. कालेज के सामने, अहमदाबाद-380001, गुजरात।
8.	उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोठी बिल्डिंग, बड़ौदा, गुजरात।
9.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मेहसाना, गुजरात। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
10.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कुआसिवाला बंगला, जंक्सन प्लाट, राजकोट, गुजरात।
11.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, नानपुरा, सूरत, गुजरात।
12.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 1282, सेक्टर 13ग, चंडीगढ़-160018
13.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, स्टॉक पैलेस, शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश।
14.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जम्मू और कश्मीर, जम्मू। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
15.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नं. 5, क्रेसेन्ट रोड, हाई ग्राउन्डस पश्चिम, बंगलौर-560020, कर्नाटक।
16.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग-रोजगार अधिकारी, गुलबर्गा, कर्नाटक। (31.3.98 को उन्नयन)
17.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मैसूर, कर्नाटक। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
18.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोट्टायम, केरल। (दिनांक 24.3.98 को उन्नयन)
19.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोझीकोडे, केरल। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)

1	2
20.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नैय्याटिकार, केरल। (24.3.98 को उन्नयन)
21.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नन्दनवन रोड, पलायन त्रिवेन्द्रम, केरल।
22.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 965. राइट टाउन, जबलपुर-820001, मध्य प्रदेश।
23.	विशेष रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मर्केन्टाइल चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, ग्राइम रोड, महाराष्ट्र, बालाई इस्टेट, बम्बई-400001
24.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र। (दिनांक 20.3.95 को उन्नयन)
25.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, पुणे, महाराष्ट्र। (दिनांक 30.3.95 को उन्नयन)
26.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, थाणे, महाराष्ट्र। (दिनांक 30.3.95 को उन्नयन)
27.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, इम्फाल, मणिपुर। (दिनांक 15.3.96 को उन्नयन)
28.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, फ्लैट नं, 367, शहीद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751007
29.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, ब्लाक नं. 2, गिल रोड, लुधियाना, पंजाब।
30.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अजमेर, राजस्थान। (दिनांक 30.3.96 को उन्नयन)

1	2
31.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अलवर, राजस्थान (दिनांक 30.3.96 को उन्नयन)
32.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जयपुर-302001, राजस्थान।
33.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 33, माउन्ट रोड, नन्दनम, मद्रास-600035, तमिलनाडु, चेन्नई।
34.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा। (दिनांक 31.3.98 को स्वीकृत)
35.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन।
36.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
37.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
38.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
39.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेप विकलांग रोजगार कार्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
40.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
41.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जी.टी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
42.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)

1	2
43.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
44.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
45.	विशेष रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 67, बेन्टीक स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
46.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़। (दिनांक 31.3.95 को उन्नयन)
47.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, बैरक नं. 1/ई-5, ब्लाक-क, कर्जन रोड, नई दिल्ली।
48.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, यमुनानगर, दिल्ली। (दिनांक 31.3.98 को उन्नयन)
49.	दि इम्पलाइमेंट आफिसर, स्पैशल इम्पलाइमेंट एक्सचेंज फार द फिजिकली हैंलीकैप्ड इरनाकुलम, केरल
50.	दि इम्पलाइमेंट आफिसर, स्पेशल इम्पलाइमेंट एक्सचेंज फार फिजिकली हैंडीकैप्ड, कौल्लाम, केरल
51.	द इम्पलाइमेंट आफिसर, स्पैशल इम्पलाइमेंट एक्सचेंज फार फिजीकली हैंडीलैप्ड, हुवली, कर्नाटक (9.7.98 तक)

राज्यों के विशेष प्रकोष्ठों का स्थान

क्र.सं.	राज्य	विशेष प्रकोष्ठ का स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2.	बिहार	माराफाड़ी
3.	हरियाणा	सोनीपत
4.	हरियाणा	महेन्द्रगढ़
5.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
6.	केरल	पालघाट
7.	केरल	नेदूमनगड
8.	केरल	कयमकुलम
9.	केरल	अलुवा
10.	केरल	ईरिजलकुड़ा
11.	कर्नाटक	मंगलौर (तुमकुर से स्थानांतरित)
12.	मध्य प्रदेश	विलासपुर
13.	मध्य प्रदेश	दुर्ग
14.	मध्य प्रदेश	देवास
15.	मध्य प्रदेश	रीवा
16.	महाराष्ट्र	नासिक
17.	महाराष्ट्र	शोलापुर
18.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
19.	मेघालय	शिलांग
20.	नागालैंड	कोहिमा
21.	उड़ीसा	कटक
22.	पंजाब	अमृतसर

1	2	3
23.	राजस्थान	कोटा
24.	राजस्थान	झुंझुनु
25.	राजस्थान	सीकर
26.	राजस्थान	श्री गंगानगर
27.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
28.	तमिलनाडु	चेंगलपेट
29.	तमिलनाडु	कुड्डालोर
30.	तमिलनाडु	सेलम
31.	तमिलनाडु	तिरुनेलवैली
32.	तमिलनाडु	वेलोर
33.	तमिलनाडु	चिडनाबारानार
34.	तमिलनाडु	पेरिपाट
35.	तमिलनाडु	उथग नेलम
36.	पश्चिम बंगाल	बेरकपुर
37.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
38.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
39.	पश्चिम बंगाल	खडगपुर

बिहार में खेल-कूद

2969. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में उन जिलों का ब्यौरा क्या है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों को आकर्षित करने के लिए विशेष खेल क्षेत्र योजना के अंतर्गत खेल-कूद को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाये गये हैं।

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.एस.) के अंतर्गत, बिहार के पलामू, गुमला, हजारीबाग, दुमका, राँची, सिंहभूम (पूर्वी एवं पश्चिमी) धनबाद, बोकारो, गरवा, बांका जिलों में व्यापक रूप से प्रतिभा की खोज की जाती है। स्थानीय प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए, छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र में तीरंदाजी और हाकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राँची और दिल्ली स्थित विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों में आवासीय प्रशिक्षण हेतु चुनिंदा प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है।

वर्ष 1988 में राँची में स्थापित विशेष क्षेत्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इस केन्द्र ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कई तीरंदाज तथा हाकी खिलाड़ी तैयार किए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी

2970. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 1984 की भयावह भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित 56 वार्डों में से केवल 36 को जहरीली गैस रिसने से प्रभावित वार्ड घोषित किया गया है तथा शेष 20 वार्डों को प्रभावित व्यक्तियों को देय लाभों के दायरे से बाहर रखा गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या शेष 20 वार्डों को भी गैस रिसने से प्रभावित वार्ड घोषित करने की मांग को लेकर जनता का जबर्दस्त दबाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) 1985 में विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने भोपाल के 36 वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। किए गए अध्ययन में मृत्यु और रुग्णता के आंकड़ों के आधार पर आई सी एम आर ने 36 वार्डों को अत्यन्त प्रभावित,

सामान्यत: प्रभावित और मध्यम रूप से प्रभावित रूप में उप-वर्गीकृत किया था। शेष बीस वार्डों में गैस प्रभावित लोग भी दावा दायर करने और मुआवजा पाने के पात्र हैं। शेष 20 वार्डों को गैस प्रभावित घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त वार्डों को शामिल करने के मामले की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि इस मामले को आगे जारी नहीं रखा जाएगा।

माइनिंग स्कूल

2971. श्री सुरेश वरपुडकर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1999 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''धनबाद माइनिंग स्कूल लूजिंग इट्स शीन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में बताए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समाचार में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के 70 छात्र विद्यालय छोड़ गए हैं वास्तव में सही नहीं है। अन्य संस्थाओं में बेहतर विशेषज्ञता की तलाश में केवल 22 छात्र विद्यालय से चले गए हैं जो कि एक सामान्य बात है। विद्यालय की साधारण परिषद ने पहले ही इस मामले पर विचार-विमर्श किया है और नई शाखाओं की सुविधाओं में आवश्यक सुधार करने का निर्णय लिया है।

सुपर बाजार में गेहूँ घोटाला

2972. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सहकारिता पंजीयक सेंट्रल को-आपरेटिव (रजिस्ट्रार) ने सुपर बाजार में हुए गेहूं घोटाले के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समिति ने सुपर बाजार द्वारा गेहूं के सौदे के बारे में एक जांच रिपोर्ट जून, 1997 के महीने में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही तथा केन्द्रीय पंजीयक को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सुपर बाजार को भेज दिया जाएगा। सुपर बाजार द्वारा भेजी गई टिप्पणियों के आधार पर केन्द्रीय पंजीयक ने सुपर बाजार को अनुपालन के लिए कुछ निर्देश जारी किये थे। सुपर बाजार ने केन्द्रीय पंजीयक द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट भेज दी है।

भिखारी

2973. श्री सुधीर गिरि:
डा. प्रभा ठाकुर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भिखारियों, बाल भिखारियों और भीख मांगने के लिए उपयोग में लाये जा रहे बच्चों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, और इन भिकारियों में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या बच्चों की यह स्थिति बच्चों के शोषण के अंतर्गत आती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक भिक्षाटन की वृद्धि दर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बच्चों को ऐसी दु:खभरी स्थिति से बचाने के लिए और उनके लिए शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) मंत्रालय द्वारा बाल भिखारियों और देश में भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे बच्चों की संख्या से संबधित कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारत के महा रजिस्ट्रार की एक रिपोर्ट के अनुसार

वर्ष 1991 में देश में (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) भिखारियों की कुल संख्या 544048 थी। इसमें से, पुरुष भिखारियों की संख्या 333334 तथा महिला भिखारियों की संख्या 210714 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि यह मामला राज्यों द्वारा उनके संबंधित भिक्षावृत्ति रोधी कानूनों के तहत निपटाया जाता है।

(घ) से (ङ) भिक्षावृत्ति रोधी कानून के अंतर्गत अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत भिक्षु गृह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बेसहारा बच्चों तथा किशोर अपराधियों के लिए योजनाएं हैं जिनमें निराश्रय, उपेक्षा, दुरुपयोग और शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और विकास के लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए बाल भिखारी शामिल हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादी ग्रुपों के बीच संबंध

2974. श्री आदित्यनाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों के बीच बने संबंधों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय कुछ आतंकवादी गुटों, के बीच संबंधों की रिपोर्टें हैं।

(ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, इस बारे में विभिन्न तरीके निकालने और ठोस उपाय करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र स्तर पर, विभिन्न राज्यों के उग्रवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्यों के बीच उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना के प्रवाह में सुधार लाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत हथियारों की आपूर्ति, अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती आदि के रूप में सहायता दी जा रही है। कतिपय, विशेष मामलों में, कुछ प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए उन्हें आवंटित की गई राशि के अलावा वित्तीय सहायता भी दी गई है।

निराश्रित बच्चों के लिए कल्याण योजना

2975. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निराश्रित बच्चों के कल्याण हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य-वार कौन सी सहायता प्रदान की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्रालय का निराश्रित बच्चों के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके द्वारा बेसहारा बच्चों तथा उपेक्षित एवं अपराधी किशोरों के कल्याण के लिए दो योजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। बेसहारा बच्चों के लिए योजना के अंतर्गत पात्र गैर-सरकारी संगठनों को बेसहारा बच्चों के लिए ड्राप इन शेल्टरों की स्थापना करने हेतु 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि उपेक्षित एवं अपराधी किशोरों से संबंधित योजना के अंतर्गत प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, विशेष गृहों तथा किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित उत्तरवर्ती देखभाल गृहों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन दो योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों एवं राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

योजनावधि 1992-93 से 1998-99 तक के लिए बेसहारा बच्चों के कल्याण संबंधी योजना के अंतर्गत निर्मुक्त किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (28.2.99 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	0.62	22.87	21.18	9.00	14.06	41.18
2.	असम	—	—	3.08	3.46	10.75	6.10	3.06
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—	2.00
4.	गुजरात	—	8.05	22.92	25.04	31.87	28.73	44.47
5.	कर्नाटक	—	6.44	22.09	17.06	14.28	11.78	3.59
6.	केरल	—	—	1.85	3.37	9.42	12.91	6.24
7.	मध्य प्रदेश	—	—	9.23	16.38	13.30	—	6.71
8.	महाराष्ट्र	—	17.11	44.42	20.09	26.34	13.61	33.69
9.	मणिपुर	—	—	5.54	3.70	10.40	7.05	3.52
10.	मिजोरम	—	—	1.23	—	2.38	6.74	—
11.	उड़ीसा	—	—	1.23	6.76	—	5.67	5.10
12.	राजस्थान	—	20.65	2.47	6.78	16.09	17.63	7.39
13.	तमिलनाडु	—	12.33	42.37	19.04	43.35	44.57	35.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	उत्तर प्रदेश	—	27.72	22.65	14.80	30.57	14.41	31.95
15.	पश्चिम बंगाल	—	18.22	76.96	91.96	91.20	135.49	125.36
16.	दिल्ली	—	—	23.53	34.96	31.34	28.19	46.36
17.	पंजाब	—	—	—	—	—	0.58	7.05
18.	कुल	—	111.14	301.74	284.48	340.29	347.51	403.03
19.	बजट आबंटन	140.00	300.00	300.00	500.00	450.00	400.00	600.00

विवरण-II

वर्ष 1986-97 से 1997-98 और 1998-99 (28.2.1999) तक किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार सहायतानुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (28.2.99 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	3.71	11.42	10.00	8.36	12.59	—	—	—	—	—	94.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	4.60	—	—	1.64	—	7.50	—	—	—	—	—	—
3.	असम	5.00	—	5.94	10.28	19.26	0.31	0.47	10.47	10.00	1.63	17.30	—	15.83
4.	बिहार	5.00	—	41.45	15.11	19.17	6.75	10.16	—	—	—	—	—	143.89
5.	गोवा	—	4.00	1.42	0.96	2.18	0.54	23.81	27.99	—	0.81	0.81	—	—
6.	गुजरात	—	7.90	16.51	25.50	15.70	39.87	40.63	—	7.93	—	—	—	158.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	हरियाणा	—	10.95	0.49	3.23	12.28	0.54	1.32	1.32	4.83	—	6.46	8.52	6.65
8.	हिमाचल प्रदेश	—	4.60	0.20	0.29	1.69	0.05	0.07	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	22.60	37.79	48.38	80.29	52.35	—	—	—	25.00	2.38	31.23
11.	केरल	—	—	8.87	26.55	5.28	28.39	5.48	—	26.18	8.49	23.53	20.97	48.63
12.	मध्य प्रदेश	7.00	7.45	0.63	31.25	23.93	32.99	86.98	—	100.71	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	3.94	9.11	78.18	71.14	69.51	104.75	—	—	—	61.25	341.58	—
14.	मणिपुर	—	2.30	—	0.25	1.64	—	—	—	—	—	3.08	—	—
15.	मेघालय	—	5.47	0.51	1.44	2.64	0.98	1.98	1.02	2.78	2.81	2.77	2.82	2.93
16.	मिजोरम	—	21.90	—	0.46	1.89	0.25	1.99	0.48	28.68	2.87	2.87	2.03	6.70
17.	नागालैंड	—	5.47	—	0.25	1.64	—	3.39	1.41	3.89	2.59	2.52	3.00	3.45
18.	उड़ीसा	6.00	11.92	6.54	4.73	18.04	17.56	1.80	0.55	1.61	—	14.79	—	—
19.	पंजाब	—	3.46	21.40	10.37	3.85	30.38	9.31	23.58	15.65	3.20	15.56	15.56	23.68
20.	राजस्थान	5.50	6.25	2.98	10.88	2.95	15.74	4.65	1.97	2.23	—	11.95	8.18	9.31
21.	सिक्किम	—	5.47	—	—	1.64	—	1.71	0.21	—	—	—	—	5.15
22.	तमिलनाडु	—	—	81.13	24.16	26.29	55.05	52.70	—	—	0.77	8.11	2.73	—
23.	त्रिपुरा (कुल 736 लाख)	—	5.47	—	0.25	1.64	—	—	—	—	—	—	5.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	उत्तर प्रदेश	7.00	24.10	26.11	20.82	48.71	10.60	60.02	—	45.15	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	5.00	8.90	44.64	45.14	52.57	47.55	54.23	41.61	50.38	46.76	75.00	18.33	—
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादर नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	—	—	—	—	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	2.95	—	1.64	—	—	—	—	—	29.00	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	0.43	2.14	0.50	0.76	—	—	—	—	—	—
	कुल	40.00	144.16	297.19	359.90	404.16	446.23	539.03	110.61	300.02	69.93	300.00	431.10	550.71

[अनुवाद]

पेयजल में फ्लोरीन

2976. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रकाशम जिले में पेयजल में फ्लोरीन अधिक प्रतिशत होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्लोरीन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण पर्यावासों द्वारा जल आपूर्ति की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 1991-93 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित किया गया था और मई, जुलाई, 1994 के दौरान अनुसमर्थन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 1122 पर्यावास फ्लोराइड से प्रभावित हैं।

(ग) स्वच्छ पेयजल का प्रावधान करना राज्य का विषय है और राज्य, राज्य के लिए उपयुक्त जल आपूर्ति पद्धतियां तैयार करते हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के जरिए तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करती है। अत: जल की गुणता संबंधी परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अब तक आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा फ्लोरोसिस के नियंत्रण के लिए 41.03 करोड़ रुपए की लागत से उप मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं और 505 बसावटों को कवर करने वाली एवं 7.79 लाख जनसंख्या को लाभ पहुंचाने वाली दो परियोजनाएं नीदरलैंड सरकार की सहायता से प्रकाशम जिले में शुरू की गई हैं।

नेशनल कंसलटेंसी कांग्रेस मीट

2977. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 1999 में नयी दिल्ली में कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेन्टर ने राष्ट्रीय परामर्शदात्री कांग्रेस बैठक (नेशनल कंसलटेंसी कांग्रेस मीट) का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक का मुख्य बिन्दु क्या था; और

(घ) ढांचागत क्षेत्र के विकास में यह किस हद तक सहायक होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परामर्शी विकास केन्द्र (सी.डी.सी.) ने 15-16 जनवरी, 1999 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्शी कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में परामर्शी संगठनों, इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी विभागों/एजेंसियों और अन्य संबंधित संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह अधिवेशन मुख्यत: विद्युत, परिवहन, दूरसंचार और शहरी विकास के क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाओं के निधीयन और प्रबंधन में परामर्शदाताओं की भूमिका पर केन्द्रित था। इस अधिवेशन के दौरान परियोजना स्वामियों/प्राधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और परामर्शदाताओं के अनुभव प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई। भारतीय परामर्शी सेवाओं को सुदृढ़ करने और उनका संवर्धन करने तथा भारत और विदेश दोनों में ढांचागत परियोजनाओं में घरेलू परामर्शदाताओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए अनेक सिफारिशें की गई।

अधिवेशन के दौरान, परामर्शदाताओं को उनकी उत्कृष्ट परामर्शी सेवाओं को मान्यता देते हुए उन्हें पांच पुरस्कार प्रदान किए गए।

(घ) अधिवेशन में ढांचागत परियोजनाओं में किए जा रहे और संभावित निवेशों की प्रभावकारिता, ढांचागत परियोजनाओं के पूरा करने की परिकल्पना में परामर्शदाताओं और अन्य एजेंसियों की भूमिका जैसे पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। अधिवेशन से परियोजना के लक्ष्यों तथा निर्धारित तिथि तक उसे पूरा करने के लिए ढांचागत परियोजनाओं में स्थापित सक्षमता और विश्वसनीयता वाले उपयुक्त परामर्शदाताओं को रखने की आवश्यकता के बारे में प्रतिभागियों के बीच जागरूकता सृजन करने में भी सहायता मिली। अधिवेशन में परियोजना प्राधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं और अन्य एजेंसियों, जो देश में ढांचागत क्षेत्र के तीव्र विकास में सहायक होंगे, के बीच निकट सम्पर्क करने के लिए अवसर प्रदान किए गए।

मुख्य आयुक्त के कार्यालय को स्थानान्तरित करना

2978. श्री अमन कुमार नागरा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1999 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एन.जी.ओज. फ्ले मेनकाज डिसीजन टु रिलोकेट आफिस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या मुख्य नि:शक्तता आयुक्त का कार्यालय नागपुर स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जैसाकि अधिनियम में दिया गया है, मुख्य आयुक्त के कार्यों एवं दायित्वों का स्वरूप ऐसा है कि जिनका केन्द्रीय रूप से स्थित होना आवश्यक है ताकि नि:शक्त व्यक्तियों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संगठन उनके कार्यालय में आसानी से पहुंच सकें और साथ ही वे विकलांग व्यक्तियों के लिए देश के विभिन्न भागों में किए जा रहे कार्य का समन्वय भी कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में इस कार्यालय को नागपुर में स्थित करने का निर्णय लिया गया जो देश के केन्द्रीय भाग में स्थित है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार के निर्णय के समर्थन तथा विरोध दोनों के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) अभिवेदनों पर विचार किया गया है तथा उपर्युक्त भाग (ग) में उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रालय मुख्य आयुक्त का कार्यालय नागपुर में स्थानान्तरित करना अभी भी उपयुक्त समझता है। इसलिए मंत्रालय के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है।

नेहरू युवा केन्द्र द्वारा पुरस्कार वितरण

2979. श्री जुआल उराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू युवा केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान व्यक्तियों तथा संस्थानों को क्या-क्या सुविधाएं दी गईं; और

(ग) नेहरू युवा केन्द्र/दूसरी एजेन्सियों द्वारा चयनित पुरस्कार प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों और संस्थानों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्र वार्षिक रूप से निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करता है:-

(1) युवा क्लबों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार देना ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरकों के रूप में कार्य कर सकें।

(2) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार देने के लिए जिला और राज्य स्तर पर विजेता को क्रमश: 5000/- रु. और 20,000/- रु. की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष तीन पुरस्कार अर्थात् 1,00,000/- रु. तथा स्क्रोल, 50,000/- रु. तथा स्क्रोल और 25,000/- तथा स्क्रोल दिए जाते हैं।

(3) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से "गरीबी के विरुद्ध युवा" के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-नेहरू युवा केन्द्र संगठन पुरस्कार ग्रामीण युवाओं को गरीबी उन्मूलन की दिशा में उनकी सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए दिए जाते हैं। पुरस्कार में 15,000/- रु. की राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है।

(ग) ये पुरस्कार अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उनकी सेवाओं को मान्यता देने में एकबारगी दिए गए इनाम के रूप में होते हैं। इन पुरस्कारों के अलावा, पुरस्कार विजेताओं को आगे और कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान

2980. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हैदराबाद में राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अनुरूप हैदराबाद में एक राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान जो राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान कार्यक्रम तथा शहरी अवस्थापना, पालिका प्रशासन, शहरी वित्त, शहरी पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ शहरी विकास के राष्ट्रीय आंकड़ों

के स्टोरहाउस के रूप में भी कार्य करेगा, की स्थापना के लिए नवीं योजना के दौरान 10 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में योजना आयोग का कहना था कि क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रभावित करने वाली समस्याएं राष्ट्रीय केन्द्रों के सामने भी आएंगी अत: अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के स्थान पर मौजूदा संस्थानों को अधिक साधन संपन्न बनाना और उनमें सुधार करना उपयुक्त होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, मंत्रालय ने अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए नवीं योजना के दौरान पूंजी व्यय के प्रति 1.00 करोड़ रुपये व अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपये तथा नवीं योजना के अनुवर्ती वर्षों में प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये के प्रावधान के साथ एक नई स्कीम के रूप में ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' हेतु योजना आयोग से पुन: अनुरोध किया। योजना आयोग ने इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

अशक्त व्यक्तियों हेतु कृत्रिम अंग

2981. श्री राम शेठ ठाकुर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग वितरित किये जाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) जी हाँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक के सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद करने में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है जो उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और मुख्य धारा के साथ एकीकरण को बढ़ावा दे सके, इस योजना के अंतर्गत अपनी परिधि में सुधारात्मक शल्य चिकित्सा तथा जन माध्यम आदि का उपयोग भी शामिल है। यह योजना पंजीकृत संस्थाओं/न्यासों/कंपनियों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। यह योजना महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रस्ताव को सभी संबंधित दस्तावेजों/सूचना के साथ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/आर.आर.टी.सीज/डी.आर.सीज/मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है। इन पर सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए यथास्वीकार्य कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हावेरी कर्नाटक में स्नातकोत्तर केन्द्र

2982. श्री बी.एम. मेनसिंकाई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में गैर-सरकारी पदों पर मनोनयन हेतु प्रक्रियाएं और मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में कावेरी में एक स्नातकोत्तर केन्द्र आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र के लिए उनके मंत्रालय के अंतर्गत कितनी उपलब्ध सहायता का दिया जाना प्रस्तावित है;

(घ) क्या पूरी तरह से रोटरी क्लबों द्वारा चलाए जा रही शिक्षा संस्थाओं को विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, बच्चों के लिए खेल परिसर और सभागार के निर्माण और स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की सामान्य परिषद तथा कार्यकारी समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को नामित

किया जाता है। ये मनोनयन सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सरकारी संकल्प की संस्थापित प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण में मनोनयन की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का है और वे पुन: मनोनयन के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य प्रमुख राजनीतिक दलों, संसद सदस्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, मीडिया विशेषज्ञों आदि तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों से लिए जाते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी परिषद के गैर-सरकारी सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया की महान विभूतियों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, रंग-मंच से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों आदि से लिये जाते हैं। ये सदस्य परिषद के अध्यक्ष जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास कर्नाटक के हावेरी में स्नातकोत्तर केन्द्र आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार रोटरी क्लबों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव नहीं करती है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2983. श्री टी. गोविन्दन: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाज के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान भंडारों की राज्यवार, स्थलवार और क्षमतावार अलग-अलग संख्या कितनी है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): 31.12.1998 की स्थिति को अनुसार भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व के राज्यवार, क्षमतावार गोदामों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता के साथ गोदामों (अपने) की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोदामों की संख्या (अपनी)	क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	0.17
2.	आंध्र प्रदेश	35	11.82
3.	असम	18	1.87
4.	बिहार	19	4.33
5.	गोवा	1	0.15
6.	गुजरात	14	4.91
7.	हरियाणा	37	7.71
8.	हिमाचल प्रदेश	4	0.11
9.	जम्मू व कश्मीर	11	0.77
10.	कर्नाटक	15	2.76
11.	केरल	21	5.30
12.	मध्य प्रदेश	41	8.30
13.	महाराष्ट्र	17	11.77
14.	मणिपुर	2	0.12

1	2	3	4
15.	मेघालय	2	0.10
16.	मिजोरम	4	0.17
17.	नागालैंड	4	0.08
18.	उड़ीसा	22	2.54
19.	पंजाब	111	21.04
20.	राजस्थान	35	7.07
21.	सिक्किम	1	0.07
22.	तमिलनाडु	16	5.87
23.	त्रिपुरा	2	0.18
24.	उत्तर प्रदेश	54	15.17
25.	पश्चिम बंगाल	26	8.62
26.	चंडीगढ़	4	0.40
27.	दिल्ली	7	3.22
28.	पांडिचेरी3	0.41	
	जोड़	530	125.03

उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण

2984. डा. जयन्त रंगपी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में "आपरेशन राइनो" के बाद से अब तक कितने उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है;

(ख) उनके द्वारा सौंपे गये हथियारों की संख्या क्या है;

(ग) इन उग्रवादियों को किस प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये; और

(घ) आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायतें

2985. श्री भीम दाहाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महरौली, पंचशील पार्क, निजामुद्दीन, नरेला, गोविन्दपुरी, लक्ष्मी नगर और कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति की बहुत सस्ते दामों पर बिक्री करने/भूमि को पट्टे पर देने के बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रबंधन के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीनियर हाकी नेशनल टूर्नामेंट

2986. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हाकी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु सन् 1995 से कोई सीनियर हाकी नेशनल टूर्नामेंट (केवल एक को छोड़कर) का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय हाकी टीम के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय हाकी परिसंघ ने 1997-98 के दौरान 14 से 30 मई, 1997 तक बंगलौर में सीनियर राष्ट्रीय हाकी चैंपियनशिप का आयोजन किया था। वे 1998-99 के दौरान 10 से 26 मार्च, 1999 तक हैदराबाद में सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। यह चैंपियनशिप, शायद, अभी तक आयोजित की गयी चैंपियनशिपों में से सबसे बड़ी होगी जिसमें कुल मिलाकर 42 राज्यों/यूनिटों तथा सहयोगी सदस्यों की टीमों ने भाग लेना है। इस प्रकार की चैंपियनशिपों से नयी प्रतिभा का पता लगाने तथा साथ ही साथ खेल को लोकप्रिय बनाने और इसे विस्तृत आधार प्रदान करने और खेलों के प्रदर्शन के स्तर में सुधार लाने का सुअवसर प्राप्त होता है।

चयनकर्ता, जो मुख्य रूप से भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिए सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को देखेंगे और प्रत्येक स्थान के लिए बहुत से खिलाड़ियों का चयन करेंगे ताकि हमें खिलाड़ियों का वृहत् पूल प्राप्त हो सके जिन्हें उनके कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण शिविरों में रखा जा सके।

(ग) इस विभाग ने भारतीय हाकी परिसंघ सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों से कहा है कि वे सभी पहलुओं को शामिल करते हुए तथा अपनी आवश्यकताओं को दर्शाते हुए, 1999-2002 के लिए दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम योजना संबंधी प्रस्तावों को तैयार करें। दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम (एल.टी.डी.पी.) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हाकी के स्तर में सुधार लाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाना

2987. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू सैक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने एवं फ्लड लाइटिंग" के कार्य को पुन: आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसको रोकने के क्या कारण हैं?

(घ) क्या कश्मीर घाटी में भी बाड़ लगाई जानी थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राजस्थान में बाड़/फ्लड लाइटिंग की 1 मार्च, 1997 से आज तक के शेष कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) इन्ट्रूडर अलार्म सिस्टम सहित बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था वाली अवरोधक प्रणाली लगाने की योजना बनाई गई है। सरकार इस काम को उचित समय पर शुरू करेगी।

(घ) और (ङ) कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ, उबड़-खाबड़ भू-भाग, नदियों, नालों और दरियाओं के कारण खाली जगह की वजह से तथा इस प्रकार की अवरोधक प्रणाली पर निरन्तर निगरानी रखने में असमर्थता और ज्यादातर गोलीबारी होती रहने के कारण बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है।

(च) 1 मार्च, 1997 से 282.3 किलोमीटर/261 कि.मी. के कुल क्षेत्र में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब केवल राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 36 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य शेष है जिसे दिसम्बर 1999 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मध्याह्न-भोजन योजना

2988. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस योजना के अतंर्गत कवर किए गए विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ग) शेष विद्यालयों तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह परिकल्पना की गई थी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों को चरणबद्ध ढंग से शामिल कर लिया जाएगा। उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 में इन श्रेणी के 6.88 लाख प्राथमिक स्कूलों को धीरे-धीरे शामिल कर लिया गया है।

दालों की मांग/आपूर्ति

2989. **श्री अजय मुखोपाध्याय**: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान दालों की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या रही;

(ख) इस समय दालों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दालों का निर्यात बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) राष्ट्रीय पोषाहार संस्था, हैदराबाद द्वारा संस्तुत नियामक जरूरत के आधार पर उत्पादन स्तर पर दालों की आवश्यकता 15.3 मिलियन टन और 7 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद संवर्द्धन दर के प्रभाव (बिहेवियरस्टिक अप्रोच) के आधार पर 15.50 मिलियन टन अनुमानित है। इसके विपरीत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में दालों का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन
1995-96	12.31
1996-97	14.25
1997-98	13.07
1998-99 (सम्भावित)	14.78

(ख) 1998 के दौरान दालों को प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 12.1 किलोग्राम अनंतिम रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक

2990. **श्री विजय गोयल**: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की संख्या कितनी है;

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की कुल संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है; और

(ग) किन-किन देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की संख्या भारत से अधिक है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार वर्ष 1997 के आरंभ में देश के वैज्ञानिक एवं कार्मिकों की संख्या 6.54 मिलियन थी।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की संख्या की अन्तरराष्ट्रीय तुलना की सीमाएं हैं क्योंकि युनेस्को के सदस्य राष्ट्र युनेस्को को आंकड़ा उपलब्ध कराते समय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की अपनी अलग परिभाषा, वर्गीकरण को अपनाते हैं तथा विभिन्न देशों के लिए आंकड़ों के संदर्भ में वर्ष एक नहीं हैं। इन सीमाओं के कारण अन्तरराष्ट्रीय तुलना वास्तविक नहीं हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

2991. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सहायतार्थ और सम्बद्ध उपकरणों के लिए अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म स्थान

2992. श्री सी.डी. गामीत:
श्री भर्तृहरि मेहताब:
श्री चंदू लाल अजमीरा:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म स्थान को राष्ट्र स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कटक, उड़ीसा में पुराने भवन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसी जगह या भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ङ) क्या सरकार के समक्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म स्थान के रख-रखाव हेतु सालाना वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) घर और भवन को संरक्षित रखने हेतु उठाए गए कदमों के संबंध में राज्य सरकार से पता लगाया जाएगा।

(घ) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1958 के अभिप्राय के अंतर्गत किसी स्थल अथवा भवन को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए मानदण्ड है, "कोई ऐसा ढांचा, इमारत अथवा स्मारक" जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व का है तथा जो एक सौ वर्षों से कम पुराना नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कुनैन का मूल्य

2993. श्री आनन्द पाठक: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक औषधि के रूप में कुनैन उत्पादक सिंकोना जड़ी-बूटी की खेती को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सिंकोना उगाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका कुल कितना उत्पादन होता है और इस पर कितनी लागत आती है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुनैन का बिक्री मूल्य क्या था; और

(च) किस-किस देश को यह औषधि निर्यात की जाती है और इससे कितना मूल्य वसूल किया जाता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

एन.ओ.आर.ए.डी. योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

2994. श्री छत्रपाल सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वैच्छिक संगठनों के उन ट्रेडों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उन्हें एन.ओ.आर.ए.डी. योजना के अंतर्गत अनुदान दिये जा रहे हैं;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां एन.ओ.आर.ए.डी. योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा इस संबंध में राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके प्रस्ताव इस संबंध में स्वीकृत कर लिये गये हैं;

(घ) ऐसे स्वैच्छिक संगठन कितने हैं जिन्हें केन्द्र सरकर द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम अनुमोदित प्रस्तावों पर स्वैच्छिक संगठनों को धन आवंटित नहीं कर रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ग) विवरण संलग्न हैं।

(ख) से (ग) विवरण संलग्न हैं।

(घ) से (छ) उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

1. ब्यूटीशियन
2. जिल्दसाजी
3. केला और सूतली रेशा
4. जलपान गृह प्रबन्धन
5. सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
6. कम्प्यूटर
7. कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक मरम्मत
8. इलैक्ट्रानिक असैम्बली
9. खाद्य प्रसंस्करण
10. बाल तथा त्वचा देखभाल
11. हथकरघा बुनाई
12. हौजरी
13. गृह विज्ञान
14. शहद उत्पादन
15. हाउस कीपिंग
16. पटसन वस्तु विनिर्माण
17. प्रयोगशाला तकनीशियन
18. तसमें बनाना

19. तसमें (हस्त निर्मित)
20. चमड़ा
21. खुम्बी उत्पादन
22. कार्यालय प्रबन्धन
23. रेडियो तथा दूरदर्शन प्रशिक्षण
24. रेक्सीन के बैग बनाना
25. स्क्रीन प्रिंटिंग
26. सचिवालय पद्धति
27. जूते बनाना
28. खिलौने बनाना
29. टंकण व आशुलिपि
30. जारी शिल्प तथा पैच वर्क
31. हस्त शिल्प
32. बंधेज

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान जनवरी 1999 तक स्वीकृत परियोजनाओं तथा निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	4700987	3372761
2.	असम	2	390280	195100
3.	बिहार	3	676441	552435
4.	दिल्ली	4	2150000	1262500
5.	गुजरात	1	97766	19748
6.	हरियाणा	10	2925192	1702570
7.	जम्मू और कश्मीर	4	502018	409540
8.	कर्नाटक	6	1173230	656892
9.	केरल	2	465544	258078

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र	6	2064417	1261582
11.	मध्य प्रदेश	4	1100994	712194
12.	उड़ीसा	14	2749640	1620604
13.	राजस्थान	7	1919500	1201133
14.	तमिलनाडु	2	1122190	665790
15.	उत्तर प्रदेश	15	3800335	2238484
16.	पश्चिम बंगाल	6	1400800	846800

विवरण-III

नोराड योजना के अंतर्गत चलायी जा रही अनुमोदित संगठनों/ परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

आंध्र प्रदेश

1. मालिनी शिक्षा तथा विकास समिति, नेल्लौर
2. उषोदय महिला मंडली, डब्ल्यू.जी. जिला
3. सत्या शिक्षा समति, डब्ल्यू.जी. जिला
4. मातृश्री महिला मण्डली, डब्ल्यू.जी. जिला
5. स्पन्दना मंडली, आर.आर. जिला
6. पर्जा अभ्युदय सेवा समिति, चित्तूर
7. गीता महिला मण्डली, जिला-परकाशम
8. विनायक यूथ एसोसिएशन, चित्तूर
9. आदर्श महिला मण्डली, हैदराबाद
10. मिशनरी चैरिटेबल मिनिओरिटी, खम्माम
11. लिटिल फ्लावर सोसायटी, वनस्थलीपुरम
12. श्री वेंकटेश्वर महिला मण्डली, गुण्टूर
13. स्प्रेड, कुरनूल
14. सोशल एक्शन फौर स्पेशल डिवैलपमेंट, मेहबूबनगर
15. पैरेन्ट्स एसोसिएशन और ह्यूमन सर्विसेज, सिकन्दराबाद
16. स्वराज्य संगम, कुरनूल
17. आदिरसी सेवा संगम, बमतला
18. हैल्थ एजुकेशन एवं लिंक प्रोग्राम, हैदराबाद
19. विनायक एजुकेशनल फाउन्डेशन, जिला-प्रकाशम
20. सेवन स्टाइल सोसाइटी, नर्सीपटनम
21. श्री कस्ताजीवुला जातीय सेवा संस्थान, हैदराबाद

असम

1. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टिजन्स को-आपरेटिव फैडरेशन, गुवाहाटी
2. पिथारी वोकेशनल इन्स्टीट्यूट, नवगांव

बिहार

1. सामुदायिक विकलांग विधवा वर्ग दलित विकास समिति, पटना
2. बीजकांचत विकास, वैशाली
3. बिजिरोली सेवा संघ, पटना

दिल्ली

1. आल इंडिया ग्राम प्रधान संगम, दिल्ली
2. दिल्ली महिला कल्याण समिति, दिल्ली
3. सोसायटी फॉर एम्प्लायमेंट एण्ड कैरियर कन्सल्टेन्सी, नई दिल्ली
4. भारतीय ग्रामीण पिछड़ा वर्ग समिति, दिल्ली

गुजरात

1 संतोक क्रुप्स एजुकेशन ट्रस्ट, सबरकंठा

हरियाणा

1. बी.एस.ए. एजुकेशन सोसाइटी, फर्माना
2. वैदिक शिक्षा समिति, रोहतक
3. हरियाणा नवयुवक कला संगम, रोहतक
4. मौडर्न एजुकेशन सोसाइटी, मन्दुअरा
5. भारती ग्राम विकास एवं शिक्षा संस्थान, करनाल
6. भन्त विकास संघ, रोहतक
7. ग्रामीण विकास समिति, रोहतक
8. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, अम्बाला
9. कॉमन व्हील इंटरनेशनल, भिवानी
10. अखिल भारतीय सन्त हरीदास समाज सेवा संघ, बहादुरगढ़

जम्मू-कश्मीर

1. क्रीवेल स्टैपल एम्ब वर्क्स लि., श्रीनगर
2. सोशल वेलफैयर ऑफ इंडिया ऑरगेनाइजेशन, राजौरी
3. मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल, राजौरी
4. वीमेन्स चिल्ड्रेन एसोसियेशन, कारगिल

कर्नाटक

1. नेहा आश्रय ट्रस्ट, बंगलौर
2. शक्ति महिला मंडली, देवानगेरे जिला बंगलौर
3. चौहुन आयुर्वेदिक सोसाइटी, जिला बंगलौर
4. डा. एस. राधाकृष्णन एजुकेशन सोसायटी जिला बंगलौर
5. सफल्य कला सम्सकुथी विज्ञाता विद्या संघ, बंगलौर
6. मैत्री महिला मंडली, चित्रदुर्ग

केरल

1. ए.के.जी. ममोरिवल विनिता वर्क्स इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसायटी, अलप्पू
2. शान्तिगिरि आश्रम कलियेरकोडा, तिसनन्तपुरम

महाराष्ट्र

1. समुचित शिक्षा समिति, नागपुर
2. ग्राम्य विकास युवक मण्डल, उदगिर
3. प्रेरणा जन सेवा संस्थान, जिला हिंगोली, परभनी
4. राष्ट्रीय उत्थान समिति, नागपुर
5. संजीवनी चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, अहमदनगर
6. ग्रामीण शिक्षण प्रसार मण्डल, जिला नांदेड

मध्य प्रदेश

1. चित्राशी शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर
2. आश्रम शान्ति निकेतन समिति, ग्वालियर

3. श्री रामशंकर शिक्षा समिति, माधवगंज, ग्वालियर

4. वीण विकास समिति, भोपाल

उड़ीसा

1. होली होम सत्या कुटीर, क्योंझर

2. गंधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एडवांसमेंट

3. उन्नयन, जिला मयूरभंज

4. कस्तूरबा महिला समिति, ढेकानाल

5. सक्षम, जिला खुर्दा

6. उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास, भुवनेश्वर

7. पालीश्री, जिला कटक

8. महिला उन्नयन पटना गारा अम्बा-पादा, जिला ढेनकनाल

9. अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ढेनकनाल

10. सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमोक्रेटिक ह्यूमनेटेरियन एक्शन, ढेनकनाल

11. बालासोर जिला नरसिंह, बालासोर

12. एसोसिएशन फॉर सोशल सिकन्सक्टिव एक्टीविटीज, कटक

13. यूनियन फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग ऑफ रिफॉरमेटिव एक्टीविटीज, खुर्दा

14. जाजपुर हरिजन सेवा समिति, जाजपुर

राजस्थान

1. शिक्षा विकास संस्थान, भरतपुर

2. समाज कल्याण धर्मार्थ न्यास, जयपुर

3. सत्यप्रकाश भारतीय नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, श्रीगंगानगर

4. आदर्श बाल शिक्षण परिषद, बीकानेर

5. सरगम कला परिषद, राजसमाद

6. पब्लिक सेवा समिति, श्रीगंगानगर

7. जय अम्बे शिक्षा समिति, जयपुर

तमिलनाडु

1. कोवय मन्दिर संघम्, कोयम्बटूर

2. गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल हैल्थ फैमिली वैलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल

उत्तर प्रदेश

1. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सहारनपुर

2. रशूलपुर लातीफ नगर परोपकारी समिति, ग्राम रशूलपुर, लखनऊ

3. लोहिया पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ

4. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सहारनपुर

5. अखिल भारतीय दलित एवं महिला उत्थान संघम, सहारनपुर

6. स्वाति ग्रामोदय संस्थान, गांव देवटोला, जिला पिथौरागढ़

7. मानव कल्याण एवं शिक्षा समिति, बाराबंकी

8. जनसेवा समिति, इलाहाबाद

9. डॉ. अम्बेडकर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, जिला सामपुर, प्रतापनगर

10. डॉ. विवेकानन्द ग्रामोद्योग, शाहजहांपुर

11. मानव सेवा संस्थान, लखनऊ

12. आर डी मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी, गाजियाबाद

13. मानव संसाधन विकास समिति, प्रतापनगर

14. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सहारनपुर

15. आर सी ग्रामोद्योग संस्थान, शाहजहांपुर

पश्चिम बंगाल

1. मित्तल गोरे किशोरी बाला दातव्या चिकित्सालय, मिदनापुर

2. देवलीचक पल्ली उन्नयन समिति, मिदनापुर

3. बर्बासुन्दर पुर देरुप्वन प्रगति संघ, मिदनापुर

4. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मिदनापुर

5. दुर्गापुर महाकुम्भ खादी महिला उन्नयन समिति, वृन्दावन

6. अग्रदूत गांव कंबतिया, जिला हावड़ा।

[अनुवाद]

संस्थागत भूमि प्रभार

2995. श्री के.पी. नायडू: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के संस्थागत भूमि प्रभारों की निर्धारित दरों को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, नहीं। भूमि दरों में संशोधन संबंधी विषय सरकार के विचाराधीन है।

मिनरल वाटर

2996. श्रीमती रमा देवी: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1999 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में ''चेक दि बोटल ऑफ 'सेफ' मिनरल वाटर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे में ऐसे मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ङ) देश में विभिन्न आकार की बोलतों में बनाए जाने वाले मिनरल वाटर की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(च) फर्म-वार/राज्य-वार उत्पाद की अनुमानित परिव्यय और बाजार मूल्य कितना है;

(छ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मिनरल वाटर के गुणवत्ता मानक की जांच करने के लिए नमूने एकत्र किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं को बंद करना

2997. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में भारतीय खाद्य निगम के कुछ डिपुओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन स्थानों में राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज के वितरण में अड़चन आ सकती है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में राशन की वस्तुओं के वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा नालबारी जिले में प्राइवेट पार्टी से 412 टन क्षमता का किराये पर लिया गया एक छोटा गोदाम खाली किया जा रहा है क्योंकि इस समय यह गोदाम भंडारण की दृष्टि से अनुपयोगी पाया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि खाद्यान्न निकटवर्ती डिपुओं से जारी किए जाते हैं इसलिए खाद्यान्नों के वितरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

पूर्वी दिल्ली में नए निर्माण

2998. श्री प्रदीप कुमार यादव: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क एवं गौतम पुरी कैथवाड़ा, के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण की खाली भूमि पर कोई नए निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) डी डी ए ने सूचित किया है कि शास्त्री पार्क और गौतमपुरी के निकटस्थ भूमि के एक भाग को जिला केन्द्र-सह-सुविधा केन्द्र, शास्त्री पार्क के लिए निर्धारित किया गया है। स्कीम को दिल्ली नगर कला आयोग ने अनुमोदित कर दिया है।

(1) स्कीम में जिला केन्द्र के लिए 12.6 हैक्टेयर क्षेत्र है इसकी योजना 125 फर्शी क्षेत्रफल अनुपात पर तैयार की गई है जो होटल, सिनेमा, डिपार्टमेंटल स्टोर/रेस्तरां, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सुविधा स्थल, पेट्रोल पंप, डीटीसी/बस स्टेशन, आर्ट गैलरी और थियेटर, सम्मेलन और समागम केन्द्र सहित दो तलीय पार्किंग, प्रदर्शनी हॉल, पोस्ट आफिस, नर्सिंग होम, केन्द्रीय पार्क और दुकानों सह-कार्यालयों के लिए प्लाट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। एक पुलिस स्टेशन के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

(2) सुविधा केन्द्र स्कीम में 12.88 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं तथा इसमें 66 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, अस्पताल, फायर स्टेशन, कॉलेज, नर्सिंग होम, सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा मल-जल शोधन संयंत्र जैसी सुविधाएं देने की योजना है।

(ग) डीडीए, शास्त्री पार्क में जिला केन्द्र तथा सुविधा केन्द्र का केवल विकास कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र नीचा पड़ता है और पास की अनधिकृत कालोनियों से गंदा पानी इस क्षेत्र में एकत्र होता रहता है, जिससे इसके विकास में बाधा आती है। इसका विकास कार्य मार्च, 2001 तक पूरा होने की संभावना है। उसके बाद भूखंडों की नीलामी करके इनका निपटान किया जाएगा और इन भूखंडों के खरीददार स्वयं अपने भूखंडों पर निर्माण करेंगे।

[अनुवाद]

मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की दुकानें

2999. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री सी.एस.सी. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना के बारे में 9 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 3251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सी.एस.सी. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना के अंतर्गत निर्मित कई दुकानें अवैध कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अब तक हुई हानि का पता लगाने का है; और

(ग) इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार, शेष अनावंटित दुकानें डी.डी.ए. के कब्जा में खाली पड़ी हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वैनों की खरीद

3000. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए वैनों की खरीद करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित "वैनों/ट्रकों की खरीद" योजना के तहत 24 वाहनों की खरीद के लिए 128.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। मोबाइल उचित दर दुकानों के रूप में प्रयोग करने और उचित दर दुकानों के द्वार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की सुपुर्दगी करने के लिए वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1998-99 से उन क्षेत्रों को भी शामिल करने के लिए इस योजना के क्षेत्र में वृद्धि की गई है जो पूर्व की सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर नहीं होते थे। इस योजना के बढ़ाए गए क्षेत्र के अधीन वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है।

यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और केरल सरकार को 128.28 लाख रुपये रिलीज करने के आदेश दिनांक 19 फरवरी, 1999 को जारी किए गए थे। योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह सहायता 50% ऋण के रूप में और 50% सहायता अनुदान के रूप में है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आवंटित स्थलों में बाड़ा लगाना

3001. श्री अमर राय प्रधान: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के भवनों के लिए नियत एवं आवंटित भूखंडों में बाड़ा लगाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा इस संबंध में कितना खर्च किया गया है;

(ग) किन स्थलों/भूखण्डों में अभी तक बाड़ा लगाने का कार्य नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाड़ा लगाने से पहले सभी भूखण्डों से अतिक्रमण हटा दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन पर अनधिकृत अतिक्रमण मौजूद है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कुछ प्लाटों पर बाड़ा लगा दिया गया है।

(ख) डी आई जेड क्षेत्र वसन्त विहार और आर.के. पुरम पर लगभग 7.50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं;

(ग)	स्थल का नाम	बाड़ा न लगाने के कारण
1.	पुष्प विहार	बाड़ा लगाने का कार्य शुरू हो गया है।
2.	दिलशाद गार्डन में 2 स्थल	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से धन न मिलने के कारण बाड़ा लगाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
3.	सैक्टर-4 डीआईजेड क्षेत्र	प्लाट पर झुग्गी/झोपड़ियों का अतिक्रमण है।
4.	सैक्टर-4, मोतियाखान	औषधालय के प्लाट का कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया है।
5.	विकासपुरी औषधालय	औषधालय के प्लाट का कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया है।

(घ) से (च) सैक्टर-2, डी आई जेड क्षेत्र में प्रवेश सड़क के रूप में 2.5 मीटर की सड़क पट्टी छोड़ने के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों से अतिक्रमण हटा दिए गए।

ट्रांसजेनिक रिसर्च

3002. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:**
श्री आर.एस. गवई:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय कराई जा रही ''ट्रांसजेनिक रिसर्च'' का पूरे देश में विरोध बढ़ रहा है;

(ख) ''ट्रांसजेनिक रिसर्च'' कराने के लिए क्रियान्वित हो रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उक्त अनुसंधान को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हाँ। भारत के साथ-साथ समग्र विश्व में, विशेषतौर पर कृषि क्षेत्र में पराजीनी जीव रूपों पर अनुसंधान के संबंध में जनसाधारण के बीच जागरूकता और दिलचस्पी बढ़ रही है। औषध निर्माण के क्षेत्र में पुनर्योगज टीकों और इन्स्यूलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एरिथ्रोपोयटिन, साइटोकाइन्स (इन्टरफेरॉन्स और इन्टरल्यूकिन्स), ग्रोथ हार्मोन्स, हेपाटाइटिस-बी और कॉलरा टीकों जैसे जैव सक्रिय चिकित्सीय अणुओं के उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं हैं जिन पर भारत के विभिन्न संस्थानों/संगठनों में कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में, भारत में पराजीनी फसलों जैसे सरसों, कपास, धान, पटसन, तम्बाकू, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी और आलू को विभिन्न विशिष्टताओं के साथ उत्पन्न करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयोगों में, पर्यावरणीय प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से नियंत्रित परिस्थितियों में अनुसंधान कार्य करने के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए भारत सरकार ने बायेटेक्नोलॉजी विभाग से पुनर्योगज डी एन ए जैव सुरक्षा मार्गनिर्देशों को प्रकाशित किया है। देश में ऐसी सभी पराजीनी अनुसंधान गतिविधियों की भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अधीन बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर सी जी एम) और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति के द्वारा निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञों को सम्मिलित करके निगरानी और मूल्यांकन समितियां भी स्थापित की गई हैं।

सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन

3003. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक राज्यवार किन-किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) इन संगठनों की गतिविधियां क्या हैं तथा लोगों और समाज पर इनकी गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्र/राज्य कानूनों के अंतर्गत निम्नलिखित उग्रवादी गुटों/संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है:

आंध्र प्रदेश

पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी./सी.पी.एम.एल.)

रेडिकल यूथ लीग (आर.वाई.एल.)

रयोट कुली मंच (आर.सी.एस.)

आल इंडिया रेवोल्युशनरी स्टूडेन्ट्स फैडरेशन (ए.आई.आर.एस.एफ.)

रेडिकल स्टुडेन्ट्स यूनियन (आर.एस.यू.)

सिंगरेनी कार्मिका समाख्या (सिकाया)

विपल्व कार्मिका समाख्या (विकास)

असम

यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा)

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)

बोडो लिब्रेशन टाईगर (बी एल टी)

बिहार

सनलाईट सेना

लालखण्डी

स्वर्ण लिब्रेशन फ्रन्ट

मजदूर किसान संग्राम समिति

जन सुरक्षा संघर्ष मंच

लोरिक सेना

भूम सेना

हरा सेना और लाल सेना

कुंवर सेना

ब्रह्मराशि सेना

माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी.)

रणवीर किसान महासंघ (रणवीर सेना)

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट (जे.के.एल.एफ.)

हिजबुल मुजाहिद्दीन (एच.एम.)

हरकत-उल-अंसार (एच.यू.ए.)

मणिपुर

पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)

यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू.एन.एल.एफ.)

पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)

कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)

कांगलेई याओल कन्ना लुप (के.वाई.के.एल.)

नागालैंड

नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड

इजाक/मुईवाह (एन.एस.सी.एन./आई.एम.)

नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड/खापलांग (एन.एस.सी.एन./के.)

त्रिपुरा

आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)

नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)

तमिलनाडु

लिब्रेशन टाईगर आफ तमिल इलम (लिट्टे)

अल-उमाह आफ़ तमिलनाडु

जेहाद कमेटी आफ तमिलनाडु

(ख) इनमें से ज्यादातर संगठन/गुट अलगाववादी स्वरूप के हैं और ये सशस्त्र, उग्रवाद तथा पुलिस/सुरक्षा बलों पर हमले करने, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण, जबरदस्ती धन वसूली और कुछ अन्य जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं।

(ग) सरकार इन सभी उग्रवादी गुटों/संगठनों की गतिविधियों पर निकट से और लगातार नजर रख रही है और इस संबंध में आसूचना का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों द्वारा आदान-प्रदान किया जाता है। असम में, सेना यूनिटों को एकीकृत मुख्यालयों के तहत तैनात किया गया है जबकि त्रिपुरा में विद्रोह विरोधी अभियानों को गहन करने के लिए सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम के अंतर्गत 22 पुलिस स्टेशनों को पूर्ण रूप से विक्षुब्ध तथा 5 को आंशिक रूप से विक्षुब्ध घोषित किया गया है।

उग्रवाद संबधी गतिविधियों पर नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण, सीमा पर सड़कों का निर्माण, सीमा के कुछ भागों में बाड़ लगाने जैसे कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में परियोजनाओं की स्वीकृति

3004. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद): क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) बिहार के जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संयुक्त परिषद द्वारा इसकी स्थापना के पश्चात् से अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) किन-किन एजेंसियों को स्थलवार कपार्ट के माध्यम से सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान इन एजेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन

3005. डा. रामविलास वेदान्ती: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरों और भूखण्डों के आवंटन में दिल्ली विकास प्राधिकरण किस वर्ग को प्राथमिकता देती है;

(ख) समूहवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे आवंटनों में लेखकों और पत्रकारों को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके कब तक लाभान्वित होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि आवासों/फ्लैटों के आबंटन में प्राथमिकता दी जानी वाली श्रेणी का विवरण इस प्रकार है:

आवास

(1)	अनुसूचित जातियों को फ्लैट के लिए	$17^1/_2$%
(2)	अनुसूचित जन-जातियों को फ्लैट के लिए	$7^1/_2$%
(3)	युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के लिए	1%
(4)	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए	1%
(5)	भूतपूर्व सैनिकों के लिए	1%
(6)	बच्चों सहित विधवाओं के लिए (मात्र जनता हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम-1999 के तहत 21 वर्ष से कम)	2%

प्लाट्स

(1)	सेवानिवृत्त व्यक्तिय स्कीम के लिए	12%
(2)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए	25%
(3)	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए	1%
(4)	भूतपूर्व सैनिकों के लिए	1%
(5)	युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं के लिए	1%
(6)	हडकों के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए	12%

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पेंशन का विकेन्द्रीकरण

3006. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल:
श्री जयसिंहजी चौहान:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कर्मचारियों की पेंशन के निपटारे और वितरण को विकेन्द्रीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जब भी इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया जाएगा तत्संबंधी सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

दालों का आयात

3007. श्री मोतीलाल वोरा: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया और किन-किन देशों से इनका आयात किया गया, इन्हें किस कीमत पर आयात किया गया और इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत दालों के आयातकों को कोई छूट प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दालों के आयात के बाद भी इनकी कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिलायंस द्वारा पेट्रोलियम परियोजना

3008. **श्रीमती भावना कर्दम दवे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1999 को "नवभारत टाइम्स" में "रिलायंस के असम की गैस क्रैकर परियोजना छिन सकती है," शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले में कुल कितनी एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम में रिलायंस असम पेट्रो-केमिकल्स लि. (आर ए पी एल), असम इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर आई एल) के एक संयुक्त उद्यम द्वारा गैस क्रैकर परियोजना लागू की जा रही है। लगभग 3600 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना गैस सप्लाई समझौते पर हस्ताक्षर होने और आर ए पी एल को सम्पूर्ण भूमि सौंपने की तारीख से 44 माह के अन्दर पूरी होने की आशा है। आर ए पी एल और ओ आई एल के बीच गैस सप्लाई समझौता निर्णय के अंतिम चरण में है। असम सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के टेंगाखाट में इस परियोजना के लिए 1262 एकड़ भूमि का पता लगाया है। आर ए पी एल को 128 एकड़ भूमि सौंप दी गई है और शेष भूमि के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। आर ए पी एल ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और अभी तक असम राज्य से 65 स्नातक इंजीनियरों को भर्ती किया जा चुका है जो आर आई एल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। असम सरकार ने रिपोर्ट दी है कि प्रोमोटर का परिवर्तन करने का अभी विचार नहीं है किन्तु यदि परियोजना में अनिश्चित तौर पर देर हो जाती है तो राज्य सरकार यह प्रोमोटर को प्रतिस्थापित करने पर विचार करेगी।

हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा

3009. **श्री के. चेरनमाबदु:**
श्री तारिक अनवर:
श्री मोहन रावले:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कई राज्यों में "हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने हेतु कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) अल्पसंख्यक आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और पंजाब राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के हिन्दुओं के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में हिन्दुओं को औपचारिक और कानूनी रूप से राज्य स्तर के अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए अविलम्ब कानून बनाया जाये। मामले की जांच की जा रही है।

खाद्य तेलों की मांग/उत्पादन

3010. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की मांग/उत्पादन/आपूर्ति कितनी-कितनी रही है;

(ख) क्या देश में खाद्य तेलों का उत्पादन आवश्यक मात्रा में हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) खाद्य तेलों की मांग मुख्यतया आय और मूल्य पर निर्भर करती है। जब मूल्य कम होते हैं तब मांग अधिक होती है और जब मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होते हैं तब मांग कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में खाद्य तेलों की मांग 76 लाख टन से 84 लाख टन के बीच रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता और आपूर्ति निम्नानुसार रही है:

	घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की उपलब्धता	घरेलू तथा आयातित स्रोतों से खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता
1995-96	64	76
1996-97	71	84
1997-98	62	81
1998-99	68 (अनुमानित)	82 (अनुमानित)

(ख) जी, नहीं।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछेक उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) देश के 23 राज्यों में, जिनमें 381 चुनिंदा जिले कवर किए गए हैं, चल रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों के जरिए किसानों को महत्वपूर्ण आदानों, जैसे बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनि किट्स के वितरण, छिड़काव करने वाले यंत्रों के सैट, खेती के लिए उन्नत औजार, जिप्सम/पाइराइट्स, माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स और राइजोबिरियम संवर्धन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उन्नत उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए किसानों के खेतों पर जाकर विशेष (फ्रंटलाइन) और आम प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(2) अधिक उत्पादन प्राप्त करने, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

(3) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

(4) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी अपारम्परिक तिलहन फसलों के अधीन अधिक क्षेत्र लाना और वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी, आदि का उपयोग करना।

पाम ऑयल

3011. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाम ऑयल की पर्याप्त सम्भावना को ध्यान में रखते हुए गुजरात में प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) तिलहन, दाल और मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.ओ.पी. एण्ड एम.), कृषि मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि गुजरात में तेल पाम की फसल की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। दक्षिणी गुजरात और गुजरात के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में 61000 हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। गुजरात में 1993-94 से तेल पाम के पौधे लगाने आरम्भ किए गए थे। अब तक इस फसल के अधीन 495 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

तिलहन, दाल और मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन तेल पाम के प्रदर्शन प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। मिशन ने गुजरात में पाम तेल मिल के एक प्रदर्शन यूनिट की "कास्ट-शेयरिंग" आधार पर स्थापना करने के लिए स्वीकृति दी है।

(ख) गुजरात में सहकारी क्षेत्र के अधीन 2.0 टन एफ.एफ.बी./घंटा की क्षमता वाली पाम तेल मिल के रूप में एक प्रदर्शन यूनिट की स्थापना करने के बारे में सहमति हुई थी। राज्य सरकार ने इस

प्रयोजन के लिए जिला नवसारी में महुवर तालुक में श्री कल्याण एग्रीकल्चर क्राप्स प्रोसेसिंग एण्ड सेल्स को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की पहचान की है। इस प्रसंस्करण यूनिट के स्थल के बारे में अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि में लागू नहीं होता।

जम्मू और कश्मीर में बम विस्फोट/मुठभेड़

3012. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री आदित्यनाथ:
श्री ई. अहमद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 1999 के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने बम विस्फोट/मुठभेड़ की घटनाएं घटी;

(ख) प्रत्येक मुठभेड़ और विस्फोट में कितने लोग/जवान/उग्रवादी मारे गये;

(ग) उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें पाकिस्तानी इंटेलीजैंस एजेंसी का हाथ पाया गया था;

(घ) आतंकवादियों द्वारा कितने मूल्य की संपत्ति नष्ट कर दी गई; और

(ङ) आतंकवादियों के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मारे गये लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में 1.1.1998 से 28.2.1999 तक की अवधि के दौरान, उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले की 1327 तथा विस्फोट की 501 घटनाएं की गई। इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा से संबंधित घटनाओं में 975 सिविलियन, 266 सुरक्षा बल कार्मिक तथा 1139 उग्रवादी मारे गए। जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद को पाकिस्तान और उसकी सरकारी एजेन्सी आई.एस.आई. द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और उसे उकसाया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, इसी अवधि के दौरान, 11 सरकारी इमारतों, 313 प्राइवटों घरों, 4 पूजा स्थलों, 16 शैक्षणिक संस्थानों, 1 पुल को नष्ट किया गया तथा इमारती लकड़ी जलाने की एक घटना घटित हुई.

(ङ) उग्रवाद के पीड़ितों को, अनुग्रहपूर्वक राहत का भुगतान करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसका भुगतान राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को ऐसी राहत/मुआवजे पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधित व्यय के भाग के रूप में करती है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों के लिए जारी की गई अनुग्रहण राहत राशि, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने दावा किया है, निम्न प्रकार है:

1996-97	30.90 करोड़ रु.
1997-98	24.17 करोड़ रु.
1998-99	28.20 करोड़ रु.

(दिसम्बर 1998 तक)

प्याज का मूल्य

3013. **श्री बलराम जाखड़:**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज की कीमत में अत्यधिक कमी हुई है और किसान बहुत बड़ी मुसीबत में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने प्याज की कीमतों में गिरावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने मुशीबत का सामना कर रहे किसानों की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या सरकार का अन्य कृषि जिन्सों की तरह प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) पिछले तीन

सप्ताहों के दौरान नई फसल आ जाने के कारण उत्पादन केन्द्रों में प्याज के थोक मूल्यों में गिरावट आई है। प्याज की विलम्बित खरीद और रबी की फसलों का गत वर्ष की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) किसानों को अपने उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकार ने मई, 99 तक 1.50 लाख मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

दूषित पेयजल

3014. श्री सनत कुमार मंडल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में पेयजल स्रोतों में फ्लोरीन की मात्रा 1.5 पी.पी.एम. की अनुमत्य सीमा से अधिक है जिससे विभिन्न बीमारियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यावासों में पेयजल की स्थिति का पता लगाने के लिए 1991-93 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाया गया था तथा मई-जुलाई, 1994 के दौरान अनुसमर्थन सर्वेक्षण करवाया गया था। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश के 16 राज्यों में फ्लोराइड से प्रभावित 32211 पर्यावास हैं।

(ग) शुद्ध पेयजल का प्रावधान करना राज्य का विषय है और राज्यों के लिए उपयुक्त जल आपूर्ति प्रणाली का डिजाइन राज्यों को करना होता है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी तथा वित्तीय दोनों में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। जल-गुणवत्ता से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापि, विगत में पेयजल से फालतू फ्लोराइड को दूर करने के लिए 427 फ्लोराइड दूर करने के संयंत्रों को स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने टपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 9 राज्यों में 4625 से ऊपर फैले पर्यावासों में 18.74 लाख की जनसंख्या को कवर करने के लिए 707 अभिकल्पित योजनाएं भी मंजूर की हैं। आंध्र प्रदेश (3), राजस्थान (1) और गुजरात (1) राज्यों में भी पांच प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जहां पर कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जा रही है। राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर "फ्लोरोसिस कन्ट्रोल सेल" गठित करने की सलाह दी गई है जिनका उद्देश्य बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण आयोजित करना, जागरूकता का सृजन करना तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम से है।

गेहूं का आयात

3015. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री रामनाराथण मीणा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष किन-किन देशों से गेहूं का कितनी मात्रा में आयात किया गया, उसका मूल्य कितना था और उसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ख) आयातित गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समय भारतीय खाद्य निगम, निजी व्यापारियों, किसानों और दूसरी एजेंसियों के पास कितनी मात्रा में गेहूं उपलब्ध है;

(च) क्या सरकार कृषि उत्पादों का आयात रोकने की दृष्टि से इस मामले को गंभीरता से ले रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

आयातित गेहूं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	देश	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य प्रति टन (अमेरिकी डालर में)	खर्च की गई विदेशी मुद्रा
1996-97	आस्ट्रेलिया	13.90	148.00	**
			156.00 जहाज तक निष्प्रभार	**
	कनाडा	2.66	152.50 जहाज तक निष्प्रभार	**
	अर्जेन्टीना	0.95	173.00 लागत और भाड़ा	**
1997-98	आस्ट्रेलिया	2.43	153.40 जहाज तक निष्प्रभार	**
		7.75	152.65 जहाज तक निष्प्रभार	**
1998-99	आस्ट्रेलिया	14.15	142.50 जहाज तक निष्प्रभार	**

**खर्च की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) आयातित गेहूं की प्रति क्विंटल उतरान लागत निम्नानुसार है:

वर्ष	उतरान लागत प्रति क्विंटल (रुपये में)
1996-97 (अनंतिम)	678.44
1997-98 (अनंतिम)	774.04
1998-99 (अनंतिम)	715.84

(ग) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष (1998-99) के दौरान गेहूं की कोई भी अतिरिक्त मात्रा आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास स्टाक की स्थिति निम्नानुसार थी:

(आंकड़े लाख टन में)

जिन्स	स्टाक स्थिति		
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	जोड़
गेहूं	51.16	65.08	116.24

सरकार निजी व्यापारियों, कृषकों आदि द्वारा रखे गए गेहूं के स्टाक के अनुमान की जानकारी अलग से नहीं रखती है।

(च) और (छ) सरकार देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं संबंधी आवश्यकताओं, खुले बाजार में मूल्यों आदि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की निरंतर समीक्षा करती है और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खाद्यान्नों के आयात का निर्णय लिया जाता है। इस समय केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के आयात का निर्णय लिया जाता है। इस समय केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति संतोषप्रद है और सरकारी खाते पर गेहूं और चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के सभी संभव उपाय कर रही है।

उग्रवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय बैठक

3016. श्री माधवराव सिंधिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नरसंहार के हथियारों की समयबद्ध समाप्ति और उग्रवाद से लड़ने हेतु 10 दिसम्बर, 1998 को मानवाधिकार दिवस पर अन्तर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इस बुलावे में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। आतंकवाद और जन संहार के हथियारों को समयबद्ध अवधि के समाप्त करने संबंधी प्रश्न पर अन्य देशों के नेताओं के साथ देश और विदेश में चर्चा की जाती है।

राष्ट्रविरोधी संगठनों पर प्रतिबंध

3017. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्रीमती रानी नरह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्य करने वाले राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) संगठनों की गैर-कानूनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार, समय-समय पर, कतिपय संगठनों को प्रतिबंधित करती है। इस प्रकार के किसी अपेक्षित प्रस्ताव को बताना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

जैव उत्पाद संस्थान को सहायता

3018. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने महु (इंदौर) स्थित जैव उत्पाद संस्थान के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) वर्ष 1987 में मध्य प्रदेश सरकार से पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान, महु, मध्य प्रदेश में अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं सृजित करने के लिए एक योजना प्राप्त हुई थी। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने पशु स्वास्थ्य और पशु-चिकित्सा जैविक संस्थान, महु को उन्नत करने हेतु साधन जुटाने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने दिसम्बर, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए 8 दिसम्बर, 1989 को मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गई थी।

गोवा मुक्ति आंदोलन

3019. श्री अजीत जोगी :
श्री रवि सीताराम नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन दी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग तो लिया लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जा रही; और

(ग) इन शेष स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन लाभ कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन गोवा मुक्ति आन्दोलन को पेंशन प्रदान करने के लिए पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गोवा में 911 व्यक्तियों को सम्मान पेंशन मंजूर की गई है। इनमें गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

गोवा मुक्ति आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि सभी स्वतंत्रता सेनानी, सम्मान पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। केवल वे ही स्वतंत्रता सेनानी, सम्मान पेंशन पाने के पात्र हैं, जो योजना में निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इस समय गोवा मुक्ति आन्दोलन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत तथा सभी तरह से पूर्ण कोई भी आवेदन सरकार के पास लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पद

3020. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दू कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) में कुछ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी इन नियुक्तियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दू कालेज में किसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि, हिन्दू कालेज का अनुसूचित जनजाति का एक कर्मचारी तथा कुछ बाहरी लोग कालेज में धरने पर बैठे हुए हैं।

यात्रियों पर हमले

3021. श्री सोमजीभाई डामोर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों से यात्रा के दौरान यात्रियों पर हमले से कुछ मामलों को भारत के मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 31.12.1997/1.1.98 के बीच की रात को रेल सं. 8061 में यात्रा के दौरान कुछ सेना कार्मिकों द्वारा महिला यात्रियों के कथित यौन उत्पीड़न/हमलों और 9.7.98 को रेल सं. एम-327 में रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा एक यात्री को कथित रूप से परेशान करने/उस पर हमला करने से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस मामलों में आयोग ने रेलवे सुरक्षा बल को अधिकार देने और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कतिपय उपायों की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम

3022. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक प्रत्येक राज्य को महिला और बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन योजनाओं/कार्यक्रमों की उपयोगिता और कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

3023. डा. सुगुण कुमारी कलामेला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 विवाह विच्छेद याचना के माले में भरणपोषण राशि को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच सौ रुपए तक सीमित करती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुराने पड़ गए कानूनों को जो लोगों को न्याय दिलाने में असफल रहे हैं शीघ्र परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मुद्रा के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में संशोधन करने के लिए 9 मई, 1994 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ताकि निर्वाह भत्ते के भुगतान की अधिकतम सीमा 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह की जा सके।

[हिन्दी]

दण्ड प्रक्रिया संहिता के संबंध में 154वां प्रतिवेदन

3024. श्री अरविन्द कांबले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधि आयोग द्वारा बलात्कार के मामलों में सुनवाई के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के संबंध में अपने 154वें प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) इसमें की गई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उसकी मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का बलात्कार की शिकार महिलाओं की जांच महिला अधिकारी द्वारा कराने हेतु संविधान में प्रावधान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में, बलात्कार के मामलों की सुनवाई के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। इस संबंध में मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 26(क) में यह उपबन्ध शामिल करना कि जहां तक व्यवहार्य हो, बलात्कार के अपराधों की सुनवाई महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए;

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) में यह व्यवस्था करना कि भा.दं.सं. की धारा 376, 376-क से 376-घ के अंतर्गत अपराध को संज्ञान में लेने के लिए शक्ति प्राप्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संबंधित महिला की चिकित्सा जांच रिपोर्ट लगी हुई है;

(3) बाल बलात्कार सहित बलात्कार के मामलों की सुनवाई में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) में एक उपबन्ध किया जाये कि, निर्णय, जहां तक सम्भव हो, साक्षियों की परीक्षा शुरू होने की तारीख से दो महीने के भीतर दे दिया जाना चाहिए;

(4) संहिता की धारा 327(2) में विचारण, "बंद कमरे में" करने की व्यवस्था, जहां तक व्यवहार्य हो ऐसा विचारण महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए;

(5) बलात्कार विचारण कार्यवाहियों के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबन्ध को हटाना, बशर्ते कि धारा 327(5) के अंतर्गत पक्षों के नाम और पते गुप्त रखे जाएं;

(ख) रिपोर्ट में की गई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें, पृथक जांच-पड़ताल एजेन्सी, स्वतंत्र अभियोजन एजेन्सी की स्थापना करने, गवाहों को संरक्षण और सुविधाएं देने, अभिवाक समझौते, न्याय पंचायतों, सभी अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा और महिलाओं को विशेष संरक्षण देने से संबंधित हैं।

(ग) बलात्कार के अपराध की जांच महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना भी विधि आयोग की 154वें रिपोर्ट का एक भाग है। चूंकि आपराधिक प्रक्रिया संविधान की समवर्ती सूची में है और दाण्डिक कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं, अत: विधि आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उन्हें भेज दिया गया है। चूंकि, आयोग की कुछ सिफारिशों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है अत: राज्य सरकारों से उन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। जांच और विचारण के कार्य को सुकर बनाने के लिए इनमें महिला अभियोजकों की नियुक्ति, न्याय पंचायतों की स्थापना, पीड़ित व्यक्ति सहायता कोष का सृजन, पृथक जांच एजेन्सी इत्यादि शामिल हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

उर्वरक इकाइयों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3025. डा. अशोक पाटिल:
श्री पंकज चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु समुचित प्रणाली तैयार करने के लिए "कोर ग्रुप" गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ग्रुप के अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) 31.7.98 को उर्वरक कंपनियों के एक

कोर दल का गठन किया गया ताकि विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र के लिए अन्य हितबद्ध आर्थिक प्रचालकों और अन्य पूरक क्षेत्रों जैसे विद्युत, घरेलू ईंधन आदि को मिलाते हुए उर्वरक कंपनियों का संघ बनाकर तरल प्राकृतिक गैस आयात करने की संभाव्यता का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

3026. **श्री कल्लाप्पा आवाडे:**
डा. सुशील इन्दौरा:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने छब्बीस औषधियों के मूल्य में संशोधन किया है और पच्चीस औषधियों के मूल्य में 2.88 से 45.88 प्रतिशत तक वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कुछ नई औषधों के फार्मूलेशन को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत लाने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कोई घोषणा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन फार्मूलेशन के नाम क्या हैं और उन रोगों के नाम क्या हैं जिनके लिए उक्त फार्मूलेशन का देश में प्रयोग किया जा रहा है;

(ङ) क्या इन फार्मूलेशन को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाने के बाद इन फार्मूलेशन के मूल्य गिर गए हैं; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक फार्मूलेशन के मूल्य कहां तक गिरे हैं और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) से (च) जी, नहीं।

विवरण

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 अक्तूबर, 1998 को अनुमोदित कीमत बताने वाला विवरण

मद सं.	कंपनी का नाम/सूत्रयोग का नाम/ संघटक	यूनिट/पैक आकार	वर्तमान मूल्य (रु.)	अद्यतन मूल्य (रु.)	प्रतिशत वृद्धि/कमी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
आयातित मामले						
I.	मे. नोवो नारडिस्क फार्मा. (आई) लिमिटेड					
	1. मिक्सटर्ड 50 एचएम इंजे. 100 आईयू/एमएल	10 एमएलवायल	431.34	517.35	19.94	एनसीपी
संशोधन वाले मामले						
II.	मे. ईस्ट इंडिया फार्मा वर्क्स लिमिटेड					
	2. आईडोक्लोरहाइड्रोक्सीक्विनोलीन टैब 250 एमजी	20 का पी/स्ट्रिप	7.88	9.58	21.57	सीपी
	3. आईडोक्लोरहाइड्रोक्सीक्विनोलीन टैब 250 एमजी	10 का पी/स्ट्रिप	3.94	4.79	21.57	सीपी

1	2	3	4	5	6	7
III.	मे. निकोलास पीरामल (आई) लिमिटेड					
	4. वेरापामिल एचसीएल टैब. 40 एमजी	10 का एएल/बीएल	4.76	5.94	24.79	सीपी
	5. वेरापामिल एचसीएल टैब. 40 एमजी	10 का एएल/स्ट्रिप	4.94	6.24	26.32	सीपी
	6. वेरापामिल एचसीएल टैब. 80 एमजी	10 का एएल/बीएल	9.08	11.52	26.87	सीपी
	7. वेरापामिल एचसीएल टैब. 80 एमजी	10 का एएल/स्ट्रिप	9.44	11.90	26.06	सीपी
	8. वेरापामिल एचसीएल एसआर टैब. 120 एमजी	10 का एएल/स्ट्रिप	15.96	19.64	23.06	सीपी
	9. वेरापामिल एचसीएल एसआर टैब. 120 एमजी	10 का एएल/बीएल	15.48	19.26	24.42	सीपी
	10. वेरापामिल एचसीएल एसआर टैब. 240 एमजी	10 का एएल/स्ट्रिप	29.84	37.50	25.67	सीपी
	11. वेरापामिल एचसीएल एसआर टैब. 240 एमजी	10 का एएल/बीएल	29.52	37.08	25.61	सीपी
IV.	मे. रसल इंडिया लिमिटेड					
	12. फ्रामाइसीटिन/सोफ्रामाइसिन	15 ग्रा. बोतल	12.21	13.63	11.63	एनसीपी
	13. फ्रामाइसीटिन आइ ड्राप	5 एमएल वायल/डी	7.54	8.30	10.08	एनसीपी
	14. प्रोक्टोसीडल आयंटमेंट	10 ग्रा. टी/लेट.	25.58	27.25	6.53	एनसीपी
V.	मे. रोने पोलंक (आई) लिमिटेड					
	15. क्लोरप्रोमांजिन टैब. 10 एमजी	10 का स्ट्रिप	0.98	1.36	38.78	सीपी
	16. क्लोरप्रोमाजिन टैब. 25 एमजी	10 का स्ट्रिप	1.70	2.48	45.88	सीपी
	17. क्लोरप्रामाजिन टैब. 50 एमजी	10 का स्ट्रिप	2.70	3.76	39.26	सीपी
	18. क्लोरप्रोमाजिन टैब. 100 एमजी	10 का स्ट्रिप	4.76	6.28	31.93	सीपी
	19. सरमोन्टिल टैब. 10 एमजी	10 का स्ट्रिप	5.52	7.28	31.88	एनसीपी
	20. सरमोन्टिल टैब. 25 एमजी	10 का स्ट्रिप	11.10	6.14	45.41	एनसीपी

1	2	3	4	5	6	7
VI.	मे. यूनीक फार्मास्युटिकल्स लैब्स. लिमिटेड					
	21. मेट्रोनिडाजोल एंड फ्यूराजोलिडोन टैब	10 का एएल/बीएल	6.26	6.44	2.88	सीपी
	22. मेट्रोनिडाजोल एंड फ्यूराजोलिडोन टैब	10 का एएल/स्ट्रिप	6.60	6.82	3.33	सीपी
	23. मेट्रोजिल एफ टैब.	100 पी/बोतल	65.66	70.85	7.90	एनसीपी
VII.	मे. वालेस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड					
	24. लिंकोमाइसिन कैप.	10 का एएल/बीएल	72.20	87.34	20.97	सीपी
	25. लिंकोमाइसिन कैप.	10 का एएल/स्ट्रिप	72.20	88.28	22.27	सीपी
	नए मामले					
VIII.	मे. थेमिस केमिकल्स लिमिटेड					
	26. टेट्राकोक्स टैब.	10×10 एएल/बीएल पीवीडीसी ब्लिस्टर	0.00	829.16	–	एनसीपी

नोट : (1) सीपी–अधिकतम मूल्य - आबकारी शुल्क छोड़कर मूल्य
(2) एनसीपी–गैर-अधिकतम मूल्य - आबकारी शुल्क छोड़कर मूल्य

सुपर बाजार में दवाओं की अनुपलब्धता

3027. श्री मित्रसेन यादव : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1999 के ''जनसत्ता'' में ''सुपर बाजार की दुकान में दवाइयां नहीं'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी सरकारी दवाइयों की दुकानों तथा सुपर बाजार में सभी औषधियों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) प्रश्नाधीन समाचार मुख्य रूप से सुपर बाजार की दुकानों में रात्रि के समय औषधियां उपलब्ध न होने के संबंध में है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि रात्रि काउंटरों पर दवाइयों की उपलब्धता संतोषजनक है और जहां तक संभव होता है शाखा को सभी जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सुपर बाजार प्रबन्धन ने यह भी सूचित किया है कि वे अपनी दुकानों में जीवन रक्षक औषधियों की उपलभ्यता पर कड़ी निगरानी रखते हैं। कभी-कभी इन दुकानों में दवाइयां आपूर्तिकर्ता स्रोतों के पास उपलब्ध न होने के कारण तथा कई बार सुपर बाजार में वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान न किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं होती हैं।

[अनुवाद]

दूरस्थ चिकित्सा शिक्षा

3028. श्री तारिक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरस्थ चिकित्सा शिक्षा शुरू किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) हालांकि सरकार को दूरस्थ चिकित्सा शिक्षा शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए चिकित्सा स्नातकों के लिए मातृ और बाल स्वास्थ्य में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पहले ही शुरू किया है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने निकट भविष्य में निम्नलिखित दूरस्थ चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(1) ग्रामीण शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र कार्यक्रम,

(2) जराचिकित्सा औषध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

[हिन्दी]

इंदिरा महिला योजना

3029. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में इंदिरा महिला योजना क्रियान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) इंदिरा महिला योजना अगस्त, 1995 से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विकास खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है:

जिला	विकास खण्ड
धार	गन्धवानी
	नालचा
	बाग
	उमरबन
	दाही
	कुकशी
	सरदारपुर
	निसारपुर
	तिरला
ग्वालियर	गिर्द
	मोरार
	भीतड़वार
	ग्वालियर
	डबरा
	भण्डर

कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय

3030. श्री सुरेश चन्देल :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री मित्र सेन यादव :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री रामानंद सिंह :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :
श्री सोहनवीर सिंह :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार केन्द्रीय विद्यालय कितने हैं;

(ख) इन विद्यालयों में से कितने विद्यालयों के पास स्थाई भवन हैं;

(ग) विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में अभी भी ऐसे विद्यालय नहीं हैं;

(घ) सरकार के पास विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये और वर्ष 1999-2000 के दौरान स्थानवार और राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(च) चालू वर्ष के दौरान इन विद्यालयों के लिए कितना धन आबंटित किया गया;

(छ) क्या सरकार का विद्यालयों के लिए स्थाई भवनों के निर्माण हेतु और अधिक धन आबंटित करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे नये विद्यालयों के खोलने और उनमें पर्याप्त शिक्षक और अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) देश में 873 केन्द्रीय विद्यालय हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त में से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 376 केन्द्रीय विद्यालयों में स्थाई स्कूल भवन की व्यवस्था की है। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र/उच्च अध्ययन संस्थानों के और 168 विद्यालयों के लिए स्थाई भवनों की व्यवस्था प्रायोजक अधिकरणों द्वारा की गई है।

(ग) सभी भौतिक सुविधाओं के प्राप्त हो जाने और शर्तों के पूरा हो जाने पर केन्द्रीय विद्यालयों को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काफी बहुलता वाले स्थानों पर खोला जाता है। उन्हें जिलावार नहीं खोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) 1998-99 के वर्ष के दौरान, कोई नया केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान और उसके बाद केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(च) वर्तमान वर्ष के लिए देश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों के वास्ते योजनेत्तर और योजनागत के तहत सरकार द्वारा क्रमशः 435 करोड़ रुपये और 87.98 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है किन्तु वर्तमान वर्ष के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) वर्ष 1999-2000 के दौरान, योजना के तहत 90 करोड़ रुपये की अनुमानित बजट व्यवस्था में से स्थाई भवन के निर्माण के लिए, 1998-99 के दौरान 67.50 करोड़ रु. की तुलना में, 68.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने की आशा है।

विवरण-I

देश में केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	45
2.	असम	48
3.	अरूणाचल प्रदेश	09
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
5.	बिहार	58
6.	चंडीगढ़	05
7.	दिल्ली	35
8.	गोवा	05
9.	गुजरात	41
10.	हरियाणा	26

1	2	3
11.	हिमाचल प्रदेश	18
12.	जम्मू और कश्मीर	26
13.	केरल	26
14.	कर्नाटक	32
15.	मध्य प्रदेश	90
16.	महाराष्ट्र	53
17.	मणिपुर	05
18.	मेघालय	07
19.	मिजोरम	01
20.	नागालैंड	07
21.	उड़ीसा	30
22.	पांडिचेरी	02
23.	पंजाब	40
24.	राजस्थान	55
25.	सिक्किम	01
26.	तमिलनाडु	29
27.	त्रिपुरा	05
28.	उत्तर प्रदेश	121
29.	पश्चिम बंगाल	50
	कुल	873

विवरण-II

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय की जिला-वार सूची

कांगडा जिला

1. अल्हीलाल
2. भानाल
3. धर्मशाला कैन्ट
4. नालेती
5. पालमपुर
6. योल कैन्ट

चम्बा जिला

7. बकलोह
8. छामेरा, एच.ई.पी. (एन.एच.पी.सी.)
9. डलहौजी कैन्ट

हमीरपुर जिला

10. हमीरपुर
11. नादौन

शिमला जिला

12. जटोघ
13. सरहान (आई.टी.बी.पी.)
14. शिमला

सोलन जिला

15. कसौली (ए.एफ.एस.)
16. शबाथु

मण्डी जिला

17. मण्डी

सिरमौर जिला

18. राजबन (सी.सी.आई.)

विवरण-III

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए लम्बित प्रस्तावों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1.	असम	2
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	बिहार	3
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू और कश्मीर	2
6.	केरल	3
7.	कर्नाटक	2
8.	महाराष्ट्र	1
9.	उड़ीसा	2
10.	पंजाब	1
11.	त्रिपुरा	2
12.	उत्तर प्रदेश	3
13.	पश्चिम बंगाल	3
14.	दिल्ली	4
	कुल	30 (तीस)

"हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड" की दुर्गापुर इकाई

3031. श्री सुशील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का "हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड" की दुर्गापुर इकाई को उत्पादन आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस इकाई द्वारा उत्पादन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पटेल): (क) से (ग) दुर्गापुर एकक सहित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) 12.11.92 से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को निर्दिष्ट किया है। सरकार एच.एफ.सी. के कार्यशील एककों की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं तथा दुर्गापुर एकक सहित गैर-कार्यशील एककों के स्थायी प्रभारों (वेतन, मजदूरी, संरक्षण लागत इत्यादि) को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। गत तीन वर्षों के दौरान, एच.एफ.सी. को दी गई और इसके दुर्गापुर एकक को आबंटित की गई बजटीय सहायता निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	एच.एफ.सी.	दुर्गापुर एकक के लिए आबंटन
1996-97	152.34	59.54
1997-98	184.34	54.55
1998-99	178.00	38.00

जब तक दुर्गापुर संयंत्र का सम्पूर्ण पुनरुद्धार नहीं होता तब तक इसका सतत् और व्यवहार्य प्रचालन संभव नहीं होगा जो कि बजटीय बाधाओं और उच्च उत्पादन लागत के कारण बाधित है, इसलिए एच.एफ.सी. के पुनरुद्धार के संबंध में सरकार के अंतिम निर्णय के पश्चात् ही दुर्गापुर एकक में उत्पादन फिर से शुरू करने पर विचार करना सम्भव होगा।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की ''हैंडलिंग'' के संबंध में अध्ययन दल

3032. श्री के.पी. मुनूसामी :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री एम. जागा रेड्डी :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों के भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं के उन्नयन हेतु घरेलू और विदेशी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का खाद्यान्नों की हैंडलिंग संबंधी समस्याओं पर गौर करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ङ) प्रौद्योगिकी के उच्च श्रेणीकरण विशेष रूप से बल्क भंडारण और बल्क हैंडलिंग तथा भारत में खाद्यान्नों की ढुलाई के प्रश्न की जांच करने के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में संचालन समिति का गठन किया गया था। चूंकि समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसलिए संचालन समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

आवासीय गतिविधियों के लिए रियायत

3033. श्री के.एस. राव :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुरेश वरपुडकर :
श्री गुरूदास कामत :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय रियायतों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा वर्ष 1999-2000 के लिए कितनी पूंजी की मांग की गई है तथा सरकार द्वारा आवासीय गतिविधियों के लिए राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है;

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस हद तक गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी आवासीय समस्या का समाधान कर देंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां। आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तरोत्तर बजटों में विभिन्न वित्तीय छूट प्रदान की है और छूटों की अपेक्षा की है।

(ख) गत तीन प्रत्येक वर्ष के दौरान आवास हेतु आवंटित नियतन से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सरकार, 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. की आवासीय स्कीमों की प्रगति को मानिटर करती है। गत तीन वर्षों के दौरान ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. की आवासीय स्कीमों के वर्ष-वार और राज्य-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले दो विवरण क्रमश: विवरण-II और III के रूप में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त हडको को दो मिलियन आवासीय कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्र में इस वर्ष चार लाख मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने को कहा गया है, राज्य-वार ब्यौरे विवरण-IV के रूप में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र को एक लाख अतिरिक्त आवासों का लक्ष्य दिया गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्वीकृत आवास वित्त संस्थानों के माध्यम से 142500 मकानों की वित्त व्यवस्था करेगा।

(घ) भूमि जुटाव तथा आवास निर्माण में राज्य एजेंसियों के साथ सहभागिता करके और आवास और बुनियादी सुविधाओं में निवेश करके प्राइवेट क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में कमी पूरी करने की आशा है। प्राइवेट क्षेत्र के उद्यमियों से भी, लागत प्रभावी और वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके इन सामग्रियों की उत्पादन यूनिटों की स्थापना के माध्यम से मुख्य भूमिका निभाये जाने की आशा है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान आवासीय क्षेत्र (राज्य क्षेत्र) के लिए राज्य-वार आबंटनों (स्वीकृत परिव्यय) को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	के दौरान आवास हेतु स्वीकृत परिव्यय		
	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	250.00	176.23	—
अरूणाचल प्रदेश	28.07	27.59	20.64
असम	10.66	10.06	10.01
बिहार	37.24	23.00	0.00
गोवा	0.04	5.66	5.78
गुजरात	70.50	92.00	169.50
हरियाणा	43.65	52.12	40.00
हिमाचल प्रदेश	36.50	56.77	70.09
जम्मू व कश्मीर	5.90	6.50	5.50
कर्नाटक	137.55	136.65	140.49
केरल	33.35	43.98	39.00
मध्य प्रदेश	117.87	249.61	—
महाराष्ट्र	46.24	16.04	33.33

1	2	3	4
मणिपुर	5.09	5.76	9.82
मेघालय	5.40	5.70	7.00
मिजोरम	7.59	7.59	20.76
नागालैंड	19.55	22.74	—
उड़ीसा	12.92	27.16	—
पंजाब	78.64	12.05	48.92
राजस्थान	31.50	66.19	99.69
सिक्किम	21.94	28.89	26.61
तमिलनाडु	60.14	92.82	90.76
त्रिपुरा	18.09	40.76	45.67
उत्तर प्रदेश	100.31	86.96	—
पश्चिम बंगाल	42.83	49.21	59.54
अंडमान निकोबार	6.75	8.10	12.25
चंडीगढ़	6.83	6.00	4.43
दादर नगर हवेली	1.41	0.56	0.90

1	2	3	4
दमन व दीव	0.94	0.70	1.43
दिल्ली	33.12	25.08	18.65
लक्षद्वीप	1.51	1.61	1.80
पांडिचेरी	6.11	8.65	11.30
कुल	1284.24	1510.73	$

– आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
$ चूंकि कुछ राज्यों के संबंध में आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः समग्र की गणना नहीं की जा सकती।

विवरण-II

मुहैया कराये गये ई.डब्ल्यू.एस. आवास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	लक्ष्य 1996-97	उपलब्धि 1996-97	लक्ष्य 1997-98	उपलब्धि 1997-98	लक्ष्य 1998-99	लक्ष्य अप्रैल-दिसम्बर	उपलब्धि अप्रैल-दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	25000	28042	17000	31687	17000	10200	28419
2.	असम	1800	—	1084	0	1084	650	0
3.	बिहार	4200	0	4200	2542	4200	2500	556
4.	दिल्ली	3150	3767	3150	0	0	0	0
5.	गोवा	200	100	200	0	200	120	0
6.	गुजरात	5300	5877	2800	5300	4000	2400	1518

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1500	0	350	0	350	211	0
8.	हिमाचल प्रदेश	150	150	30	30	262	158	15
9.	जम्मू व कश्मीर	700	0	700	0	700	420	50
10.	कर्नाटक	5150	6650	5000	5275	5000	3000	5323
11.	केरल	20000	17391	100000	34691	100000	60000	26819
12.	मध्य प्रदेश	5700	5658	4000	3812	4000	2400	381
13.	महाराष्ट्र	11300	2595	3000	86	3000	1800	20
14.	मणिपुर	200	0	0	0	750	451	0
15.	मेघालय	150	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	150	0	0	0	200	120	0
17.	उड़ीसा	1600	2855	500	115	2400	1440	53
18.	पंजाब	2250	932	1000	1087	1000	600	101
19.	राजस्थान	3750	3869	2000	2114	2000	1200	1151
20.	सिक्किम	150	149	1875	150	150	91	91
21.	तमिलनाडु	7100	7397	2986	3752	2986	1793	1525

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	त्रिपुरा	150	0	150	0	150	91	0
23.	उत्तर प्रदेश	10200	2076	14000	14000	14000	8400	384
24.	पश्चिम बंगाल	7000	4294	4000	319	4000	2400	0
25.	अंडमान निकोबार	50	0	50	0	0	0	0
26.	दमन और दीव	50	0	0	0	0	0	0
27.	पांडिचेरी	—	—	—	—	1057	634	0
	कुल	116950	91802	168075	104960	168489	101099	66406

विवरण-3

मुहैया कराये गये एल.आई.जी. आवास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	लक्ष्य 1996-97	उपलब्धि 1996-97	लक्ष्य 1997-98	उपलब्धि 1997-98	लक्ष्य 1998-99	लक्ष्य अप्रैल-दिसम्बर	उपलब्धि अप्रैल-दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3300	1227	11000	1106	11000	6600	20789
2.	असम	450	0	12	0	12	7	0
3.	बिहार	2100	0	2100	220	2100	1260	0
4.	दिल्ली	3500	576	3500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गोवा	150	69	150	120	150	91	0
6.	गुजरात	2650	2689	900	1230	1300	780	0
7.	हरियाणा	850	146	950	547	1000	600	0
8.	हिमाचल प्रदेश	100	116	200	197	30	19	78
9.	जम्मू व कश्मीर	350	0	350	0	350	211	0
10.	कर्नाटक	2600	1392	2000	917	0	0	0
11.	केरल	2000	1203	2500	2638	2500	1500	1225
12.	मध्य प्रदेश	2850	2867	2500	3610	2500	1500	503
13.	महाराष्ट्र	5650	3058	2510	2607	2510	1507	19
14.	मणिपुर	300	0	310	0	500	300	0
15.	मेघालय	100	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	250	130	220	200	220	132	0
17.	उड़ीसा	16000	875	1600	2178	256	154	25
18.	पंजाब	1100	600	500	317	500	300	0
19.	राजस्थान	1900	1770	1000	1039	1000	600	1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	सिक्किम	0	0	220	0	0	0	0
21.	तमिलनाडु	7000	7411	3169	4694	3169	1901	5237
22.	त्रिपुरा	100	0	100	0	100	60	0
23.	उत्तर प्रदेश	5100	1956	1500	1296	1500	900	119
24.	पश्चिम बंगाल	3500	240	200	264	2500	151	0
25.	अंडमान निकोबार	50	0	50	0	50	31	0
26.	दमन और दीव	50	0	0	0	0	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0	250	151	0
	कुल	62000	26325	37541	23179	31247	18755	29120

विवरण-IV

83.99 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त 2 मिलियन आवासीय कार्यक्रम

श्रेणी : शहरी

राज्य	लक्ष्य			स्वीकृति		
	ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	योग	ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	योग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	19592	9796	29388	15663	0	15663
असम	13675	6838	20513	8000	2500	10500
अरूणाचल प्रदेश	322	161	483	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	4145	2073	6218	0	0	0
नागालैंड	1721	860	2581	0	0	0
मेघालय	1851	926	2777	0	0	0
त्रिपुरा	1811	906	2717	0	0	0
मणिपुर	3049	1524	4573	0	0	0
बिहार	15023	7512	22535	45	0	45
चंडीगढ़	413	206	619	0	0	0
पंजाब	5957	2978	8935	0	0	0
हरियाणा	4075	2038	6113	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	1097	548	1645	0	0	0
जम्मू कश्मीर	3552	1776	5328	0	0	0
दिल्ली	5232	2616	7848	0	0	0
गुजरात	18123	9061	27184	11461	0	11461
दमन और द्वीव	40	20	60	0	0	0
दादर और नगर हवेली	30	15	45	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	15949	7974	23923	115308	0	115308
गोवा	634	317	951	0	0	0
केरल	6060	4030	12090	62710	4858	67568
लक्षद्वीप	40	20	60	0	0	0
मध्य प्रदेश	21131	10566	31697	36500**	0	36500
महाराष्ट्र	29493	14747	44240	3966*	14747*	18713
उड़ीसा	8282	4141	12423	4000	0	4000
राजस्थान	16714	8357	25071	0	0	0
तमिलनाडु	22500	11250	33750	18318	0	18318
पांडिचेरी	453	226	679	0	0	0
अण्डमान निकोबार	121	60	181	0	0	0
उत्तर प्रदेश	27330	13665	40995	40800	0	40800
पश्चिम बंगाल	16140	8070	24210	10000	0	10000
सिक्किम	111	55	166	0	0	0
योग	266667	133333	400000	326771	22105	348876

*महाराष्ट्र की स्कीमें—सी ओ डी के संदर्भ में

**5000 रिहायशी मकानों की मध्य प्रदेश की स्कीम तथा सी ओ डी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लिए 2000 रिहायशी मकानों की स्कीम।

निधियों का गबन

3034. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए निधियों का गबन करने के बारे में केन्द्र सरकार के ध्यान में लाए गए मामलों/शिकायतों की वर्ष-वार योजना-वार और राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जुआलगीड़ा पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय योजनाओं के निष्पादन में निधियों के गबन के संबंध में केन्द्र सरकार की जानकारी में आई शिकायतों/मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

योजना	राज्य	वर्ष	प्राप्त शिकायतों/मामलों की सं.
दस लाख कुओं की योजना	उड़ीसा	1998-99	2
	बिहार	1998-99	1
जवाहर रोजगार योजना	उत्तर प्रदेश	1997-98	1
	बिहार	1998-99	3
	आंध्र प्रदेश	1998-99	1
सुनिश्चित रोजगार योजना	कर्नाटक	1996-97	1
	कर्नाटक	1997-98	1
	उत्तर प्रदेश	1998-99	2
	बिहार	1998-99	1
इन्दिरा आवास योजना	उड़ीसा	1997-98	1
	उत्तर प्रदेश	1997-98	1
	पंजाब	1998-99	1

(ख) निधियों के गबन के संबंध में केन्द्र सरकार को प्राप्त शिकायतों को जांच के लिए तथा उन पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रीओं द्वारा आंदोलन

3035. श्री दादा साहबराव परांजपे :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हेल्परों द्वारा कम आय के कारण अधिक मजदूरी की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस समय मजदूरी स्तर क्या है तथा इनकी यूनियनों द्वारा क्या मांग की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को 16.5.97 से दिये जा रहे मानदेय की राशि संलग्न विवरण में देखी जा सकती है। कुछ राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा अतिरिक्त राशि भी दे रही हैं।

यूनियनों द्वारा की गई मांगे मुख्य रूप से मानदेय में वृद्धि और सेवाओं को नियमित किये जाने से संबंधित हैं।

(ग) सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि करती रही है। पिछली बार मई, 1997 में मानदेय में संशोधन किया गया था।

विवरण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को 16.5.97 से दिये जा रहे मानदेय की दर

1.	गैर-मैट्रिकुलेट	438 रुपये
2.	पांच वर्ष के अवैतनिक कार्य अनुभव वाली गैर-मैट्रिकुलेट	469 रुपये
3.	दस वर्ष अवैतनिक कार्य अनुभव वाली गैर-मैट्रिकुलेट	500 रुपये
4.	मैट्रिकुलेट	500 रुपये
5.	पांच वर्ष के अवैतनिक कार्य अनुभव वाली मैट्रिकुलेट	531 रुपये
6.	दस वर्ष के अवैतनिक कार्य अनुभव वाली मैट्रिकुलेट	563 रुपये
	(ख) सहायिकाएं	260 रुपये

इन्टरनेट पर सी.बी.एस.ई. का परीक्षाफल

3036. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के परिणाम की घोषणा किए जाने के कुछ ही मिनटों में इन परिणामों को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय कितने हैं; और

(ग) इस सुविधा को किस वर्ष तक उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आम जनता के लिए इंटरनेट पर इसके परीक्षाफलों को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि बोर्ड ने वर्ष 1999 से भारत में संबद्ध स्कूलों को ई-मेल पर परीक्षाफल संप्रेषित करने की सुविधा सृजित करने की योजना बनाई है।

गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामजद करना

3037. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय में कोई बोर्ड/परिषद है, जिसमें गैर-आधिकारिक सदस्यों को मंत्रालय की सहायता करने/सलाह देने के लिए नामजद दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के ब्यौरे, नाम, आकार तथा बोर्ड और उसके सदस्यों की अवधि और निदेश पद सहित ऐसी नामजदगी के लिए क्या मानदण्ड तय किये गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) गृह मंत्रालय के अधीन केवल एक बोर्ड, नामत: सरदार बल्लभभाई नेशनल पुलिस अकादमी बोर्ड है। यह बोर्ड भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण को सभी प्रकार से बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करता है। बोर्ड का गठन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वरिष्ठ लोक सेवकों प्रख्यात शिक्षाविदों, लोक सेवा और पुलिस प्रशासन क्षेत्र के विशेषज्ञों और राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रतिनिधियों का इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो। बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए अथवा इसका पुनर्गठन किए जाने तक, जो भी बाद में हो होता है। बोर्ड, जिसका पिछली बार गठन 18 दिसम्बर, 1997 में किया गया था, में निम्नलिखित पांच गैर-सरकारी सदस्य हैं:-

(1) श्री चन्द्रती यादव, पूर्व सांसद।

(2) प्रो. एन.आर. माधव मेनन, निदेशक, भारत का राष्ट्रीय विधि स्कूल।

(3) डा. एं.पी. मुकर्जी, भा.पु.से. (से.नि.)

(4) श्रीमती किंग गांगते, महासचिव, कुकी महिला मानवाधिकार संगठन।

(5) श्री सईद नकवी।

एक राष्ट्रीय एकता परिषद (एन.आई.सी.) भी है। प्रारम्भ में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और उन पर उचित सिफारिशें करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद में केन्द्रीय मंत्री, सभी राज्यों/विधान मण्डल वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मीडिया के व्यक्ति, जनता में से ख्याति प्राप्त व्यक्ति, इत्यादि शामिल हैं। इस समय, राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बच्चों के जीवन स्तर में सुधार हेतु योजना

3038. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिये यूनिसेफ के सहयोग से कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और इस उद्देश्य के लिए अब तक यूनिसेफ से कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) भारत सरकार तथा यूनिसेफ का सहयोग, भारत सरकार तथा यूनिसेफ के बीच वर्ष 1949 को हस्ताक्षरित मूल करार द्वारा शासित है तथा इसका कार्यान्वयन वृहत कार्य योजना के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1999-2002 के लिए वृहत कार्य योजना को सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों के परामर्श से अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ग) यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड ने 1999-2002 के लिए बृहत कार्य योजना में वर्णित कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए यूनिसेफ़ के सामान्य संसाधनों से 1200 लाख अमरीकी डालर के समतुल्य तथा पूरक कोष से 1800.2 लाख अमरीकी डालर की कुल राशि मंजूर की है।

[अनुवाद]

पुनर्वास योजना हेतु अनुदान

3039. श्री रामनारायण मीणा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफाई पुनर्वास योजना के लिए उपलब्ध कराये गये अनुदान को उचित तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वितरित किये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य वार कितना व्यय किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के विशिष्ट कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना को अधिक सफल बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत उनके पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि को खर्च करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

(च) जी, हां।

(छ) इस योजना के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण पैटर्न में प्रति परियोजना 10,000/- रु. की सीमा के अध्यधीन 50% सब्सिडी, सीमान्त धन ऋण के रूप में परियोजना लागत का 15% तथा बैंक ऋण के माध्यम से शेष राशि शामिल है। इस प्रकार 50,000/- रु. के लागत वाली परियोजना के लिए वित्तीय विभाजन होगा।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु. करोड़ में)

राज्य	संवितरित अनुदान	हुआ व्यय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	13.45	8.4084
असम	2.145	1.3595
बिहार	11.27	0.2575
गुजरात	15.26	3.65
हरियाणा	18.3692	8.62
हिमाचल प्रदेश	3.13	1.95
जम्मू व कश्मीर	1.025	ला.न.
कर्नाटक	13.2977	278.03
केरल	0.5500	0.12
मध्य प्रदेश	107.67	78.81
महाराष्ट्र	24.87	20.31
उड़ीसा	10.8639	4.10
पंजाब	6.63	2.25
राजस्थान	27.8598	7.1085
तमिलनाडु	35.2733	11.57
उत्तर प्रदेश	222.3826	169.28
पश्चिम बंगाल	5.63	ला.न.
दिल्ली	5.2834	3.80

ला.न. - लागू नहीं

नया सुरक्षा बल

3040. **श्री के. पैरी मोहन :**
श्री माधवराव पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री के.पी. मुनूसामी :
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याओं से निबटने में सेना पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नये सुरक्षा बल के गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या से निबटने में यह कितना सहायक सिद्ध होगा; और

(घ) अब तक कितने पुलिस स्टेशनों में "पोलनेट" नामक संचार प्रणाली उपलब्ध करायी गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि संख्या 2 में होने के कारण "पुलिस" राज्य का विषय है। अत: पुलिस का आधुनिकीकरण करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, वाहन प्राप्त करने, जांच के लिए उपकरणों की खरीद इत्यादि के लिए सहायता उपलब्ध कराती रही है। पुलिस दूर-संचार के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने, जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए पोलनेट परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

सरसों तेल पर प्रतिबंध

3041. श्रीमती रीना चौधरी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1998 के दौरान सरकार द्वारा कतिपय राज्यों में प्रतिबंधित किए गए सरसों तेल के ब्रांडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन ब्रांडों की फर्मों के विरुद्ध उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) अगस्त, 1998 के दौरान कुछ राज्यों में संबंधित सरकार द्वारा निम्नलिखित ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था:-

धारा, कनोडिया, कोहिनूर, स्कूटर, हाथी, परिवार, जुम्बो और पी. ब्रांड।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमावली, 1955 के उपबंधों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

केरल में खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता

3042. श्री पी. शंकरन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम/केरल में राज्य भंडारण निगम की लघु स्तर पर खाद्यान्नों की कितनी भंडारण क्षमता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में इन भंडार केन्द्रों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति हुई;

(ग) इस प्रकार के नुकसान को कम करने हेतु क्या तरीका अपनाया गया; और

(घ) केरल में भारतीय खाद्य निगम/राज्य भंडारण निगम के अतिरिक्त भंडारण केन्द्र बनाने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक केन्द्र की कितनी क्षमता होगी?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) 1.1.99 की स्थिति के अनुसार केरल में भारतीय खाद्य निगम और केरल राज्य भंडारण निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता क्रमश: 5.30 लाख टन और 1.50 लाख टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में इन भंडारण केन्द्रों पर हुई खाद्यान्नों की हानियां, जैसाकि भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है, निम्नानुसार है:-

वर्ष	चावल (टन में)	भण्डारण हानियां
1994-95	1633	0.14%
1995-96	2576	0.21%
1996-97	986	0.06%

तथापि, केरल राज्य भण्डारण निगम से खाद्यान्न स्टाक सम्बन्धी हानियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भण्डारण हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न उपाय जैसे वसूली के समय गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियों को कड़ाई से लागू करना, क्रमिक आधार पर 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाना, तोल सेतु लगाना, बोरियों की मशीन से सिलाई को प्रोत्साहित करना, डिपुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, आकस्मिक निरीक्षण में तेजी लाना, चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना, परिरक्षण के लिए कठोर उपायों को सुनिश्चित करने आदि शुरू किए हैं।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/केरल राज्य भण्डारण निगम द्वारा अतिरिक्त भण्डारण केन्द्रों के निर्माण के लिए पहचान किए गए स्थलों के क्षमता वार ब्यौरे और आवंटित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

एजेन्सी	पहचान किया गया केन्द्र	क्षमता (टन में)	आवंटित निधि (लाख रुपये में)
भा.खा.नि.	मीनांगुडी	5000	40.00
	अराकुलम	5000	90.00
केरल राज्य भं.नि.	अट्टींगल	2400	68.50
करूनागपल्ली	2700	46.00	

वेश्यावृत्ति

3043. श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती रानी नरह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कश्मीर में वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति तथा महिलाओं की खरीद-फरोख्त की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों से वेश्यावृत्ति तथा महिलाओं की खरीद-फरोख्त के कितने मामले राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्राप्त हुए हैं;

(घ) इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, किए गए हैं;

(च) क्या सरकार इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने हेतु कोई कठोर कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट

3044. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री मदन पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र से आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन महाराष्ट्र संगठित अपराध अध्यादेश, 1999 को राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु जनवरी, 1999 में भेजा है। इस अध्यादेश में संगठित अपराधों जैसे कि काण्ट्रेक्ट किलिंग्स से धन ऐंठना, मादक पदार्थों समेत निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, फिरौती के लिए अपहरण, प्रोटेक्शन मनी की वसूली, इत्यादि को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसमें एक सक्षम अधिकारी को, किसी संगठित अपराध की जांच-पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारी, जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का अधिकारी न हो, तार, इलैक्ट्रानिक अथवा किसी मौखिक संदेश को बीच में पकड़ने के लिए प्राधिकृत करने अथवा उसका अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

इस अध्यादेश में (क) संगठित अपराध हेतु दण्ड देने, (ख) संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य की ओर बेहिसाब सम्पत्ति रखने, तथा (ग) सम्पत्तियों को जब्त अथवा कुर्क करने, की व्यवस्था है। तथापि, इसका दुरूपयोग रोकने के लिए इस अध्यादेश में प्राधिकार आदेशों की समीक्षा करने और इस अध्यादेश के अधीन नियम बनाने सहित समुचित रक्षोपाय किए गए हैं।

राष्ट्रपति के अनुदेश 12 फरवरी, 1999 को सूचित कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अवैध हथियारों का निर्माण

3045. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:**
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अवैध हथियारों के निर्माण का कारोबार बहुत तेजी से फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(घ) उन स्थलों तथा वहां से बरामद किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) सूचना, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आवश्यक वस्तुओं हेतु निगरानी प्रकोष्ठ

3046. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री अमर पाल सिंह:
श्री के.एस. राव:
श्री टी.आर. बालू:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की मूल्य, उपलब्धता तथा समान वितरण पर नियंत्रण रखने हेतु एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ में राज्य सरकारों के अपने प्रतिनिधि होंगे?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता की निगरानी करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में हाल ही में एक विशेष मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के रुझान और उनकी उपलब्धता के संबंध में उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड को टिप्पणियां भेजता है।

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

कच्छ जिला

3047. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाक सीमा से लगे गुजरात के कच्छ जिला में रह रहे लोगों के जान-माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए गुजरात सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग का उत्तरदायित्व तटरक्षक बल को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने गुजरात सैक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की है। ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर, सरकार के अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई की गई है तथा सीमा/तटवर्ती सुरक्षा को मजबूत करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) उथले पानी सहित गुजरात तट की गश्त की जिम्मेवारी, तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अधीन तटरक्षक की है। इस समय, बीच-समुद्र में गश्त तटरक्षक और नौसेना द्वारा लगायी जाती है जबकि तट के नजदीक गश्त नौसेना

द्वारा सीमा शुल्क और पुलिस कार्मिकों के साथ किराये पर ली गयी मछली पकड़ने की नावों से लगाई जाती है। ऐसा इसलिए है कि इस समय तट रक्षक के पास उथले जल में गश्त लगाने के लिए अपेक्षित वाटर क्राफ्ट/होवर क्राफ्ट नहीं हैं। इस क्षेत्र में सतर्कता में बढ़ोत्तरी करने के लिए, तट रक्षक के लिए जाखाऊ में एक तटरक्षक स्टेशन स्थापित करने और होवरक्राफ्ट और उन्नत लाईट हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का दुरुपयोग

3048. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों का कितना नुकसान हुआ;

(ख) क्या सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति संबंधी प्रणाली/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में परिवहन और भंडारण के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए और उनकी कीमत क्या थी; और

(ङ) किन-किन राज्यों में प्रति वर्ष खाद्यान्नों की आपूर्ति की मांग बढ़ रही है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा वहन की गई हानि के ब्यौरे भारत सरकार नहीं रखती है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन किया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न अर्थात चावल और गेहूं की वसूली करती है और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर राज्यों को उपलब्ध कराती है तथापि उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं को इनके वितरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार को समय-समय पर देश में विभिन्न जगहों पर खाद्यान्नों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की अनुपलब्धता अथवा इन्हें अन्यत्र भेजे जाने के बारे में रिपोर्ट और शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी रिपोर्टें/शिकायतें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के नोटिस में लाई जाती हैं।

(घ) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा और लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण के दिए गए हैं।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों, जो सब्सिडी प्राप्त होते हैं, की मांग सामान्यतया अधिक होती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनका कोटा बढ़ाने के बारे में अनुरोध प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय पूल में उपलब्धता संबंधी बाधा और इसमें अंतर्ग्रस्त अधिक सब्सिडी के कारण ऐसी मांग को सदैव पूर्णतया पूरा करना संभव नहीं है।

विवरण

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की क्षेत्रवार समेकित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र का नाम	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1	2	3
पूर्वी जोन		
बिहार	16809	1315
उड़ीसा	90	6
पश्चिम बंगाल	19579	1517
जे.एम. (पत्तन परिचालन), कलकत्ता	23208	1858
एन.ई.एफ. जोन		
असम	2596	206
एन.ई.एफ. राज्य	337	27

1	2	3
उत्तरी जोन		
दिल्ली	49	4
हरियाणा	3866	233
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	476	38
पंजाब	27893	2104
राजस्थान	1157	76
उत्तर प्रदेश	10299	757
दक्षिणी जोन		
आंध्र प्रदेश	632	43
केरल	146	12
कर्नाटक	309	24
तमिलनाडु	330	25
जे.एम. (पत्तन परिचालन), मद्रास	301	20
जे.एम. (पत्तन परिचालन), विजाग	58	4
पश्चिमी जोन		
गुजरात	12727	989
महाराष्ट्र	1223	94
मध्य प्रदेश	23136	1884
जे.एम. (पत्तन परिचालन), कांडला	934	66
देश (जोड़)	146155	11302

[अनुवाद]

शिक्षण केन्द्र में लगे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

3049. श्रीमती कमल रानी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जनजाति महिलाओं हेतु कतिपय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे शिक्षण केन्द्रों को अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय स्वयंसेवी संगठनों से अनुदान सहायता की धनराशि बढ़ाने तथा वर्ष में एक बार भुगतान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक परिसर की योजना का संशोधन वर्ष 1998-99 के दौरान किया गया है तथा इस संबंध में प्राप्त सुझावों को, जहां तक राशि को बढ़ाने का संबंध है, ध्यान रखा गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ हेतु दिशा-निर्देश

3050. श्री प्रभु दयाल कठेरिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई सुस्पष्ट व्यवस्था कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र में लगी एजेंसियां/प्राधिकरणों हेतु कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजना के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हाल ही में और अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि लक्ष्य समूहों की शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जा सके। इन योजनाओं की प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई हैं, जिनमें विस्तृत मानदंडों एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है।

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को सहायता

3051. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता के लिए हरियाणा के स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों से सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत या विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी राशि मंजूर की गई और उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि वास्तविक रूप से संगठनवार दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध उत्प्रवासियों का प्रत्यावासन

3052. श्री एम. राजैया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बंगलादेश के बीच अवैध उत्प्रवासियों के संबंध में किसी समझौते के बगैर बंगलादेश से घुसपैठ का सामना कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने निर्देश के कार्यान्वयन में क्या समस्याएं बताई हैं; और

(ग) सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने आल इंडिया लायर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 125/98 में उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा/स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। इस हलफनामे में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कहा कि "जब तक भारत सरकार, बंगाल देश की सरकार के साथ बंगलादेशी नागरिकों, जो भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए हैं, के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता नहीं करती है, तब तक ऐसे अवैध आप्रवासियों को पता लगाने और दोषसिद्ध करने जैसा अत्यन्त कठिन कार्य व्यर्थ और बेकार होगा।

(ख) उपर्युक्त हलफनामें में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि "यद्यपि पारगमन के दौरान रोके गए ऐसे बंगलादेशियों की पहचान करना, मुकदमा चलाना और उन्हें वापस धकेलना, तुलनात्मक रूप में आसान है, जबकि पहले ही जिलों मे बस गए लोगों की पहचान करना निम्नलिखित कारणों से बहुत कठिन है:

(1) उनके नाक-नक्श, वेश-भूषा और भाषा, पश्चिम बंगाल के निवासियों से बहुत हद तक मिलती है।

(2) उनमें से अनेकों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तथा स्थानीय दलालों और बेईमान कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों की मदद से मतदाता सूची में अपने नाम शामिल करवा लिए हैं;

(3) सभी वर्णों के राजनीतिज्ञों समेत स्थानीय जनता के अनेक वर्ग के उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं तथा उनकी पहचान करने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने में सहयोग करने के अनिच्छुक होते हैं; तथा

(4) मात्र 1971 के बाद भारत में प्रवेश कर चुके सभी बंगलादेशी नागरिकों पर ही विदेशी नागरिक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाना, उन्हें दोषी सिद्ध करना तथा प्रत्येक के बारे में न्यायालय का आदेश प्राप्त करना तथा फिर उसे वापस बंगलादेश में धकेलना मानवीय आधार पर असंभव हो जाता है।"

(ग) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की समस्या की रोकथाम के लिए सरकार ने कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त को गहन करना, सीमा सड़कों के निर्माण और बाढ़ लगाने का त्वरित कार्यक्रम, सीमा बुर्जों की संख्या में वृद्धि, निगरानी उपकरणों आदि का प्रावधान शामिल है। इस मामले को कई अवसरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ भी उठाया

गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है।

खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर रोक

3053. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने संबंधी रोक को उठाने हेतु आम नीति निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इसको क्रियान्वितन नहीं कर रहे हैं तथा केरल में आवश्यक वस्तुओं के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त आम नीति को क्रियान्वित करने हेतु तथा राज्यों में आवश्यक वस्तुओं को निर्बाध रूप से लाने ले जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश में राज्य से बाहर धान का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परमिट का होना अपेक्षित है। राज्य सरकार इस प्रणाली को जारी रखना चाहती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए चावल की अधिकतम वसूली हो सके और इसके अलावा खुले बाजार में उचित मूल्यों पर चावल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

तमिलनाडु में प्रत्येक लाइसेंसशुदा डीलर/मिल-मालिक की चावल और धान की वांछित दुलाई की कुल मात्रा के बराबर की मात्रा वसूली मूल्य पर लेवी के रूप में सरकार को देनी होती है। यह लेवी केवल तमिलनाडु से अन्य राज्यों को भेजने वाले स्टाक पर लागू है और अन्य राज्यों से तमिलनाडु को भेजे जाने वाले स्टाक पर यह लेवी लागू नहीं है। चूंकि राज्य में खाद्यान्नों की मामूली कमी है, इसलिए राज्य सरकार इस निर्यात-लेवी को जारी रखना चाहती है। हमारे द्वारा बार-बार जोर दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार उपर्युक्त उल्लिखित स्थानीय परिस्थितियों के कारण धान/चावल पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को जारी रखना चाहती है।

[हिन्दी]

गंदी बस्तियों के विकास हेतु योजना

3054. **श्री राम विलास पासवान:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले वर्षों के दौरान आज तक बंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार के क्रियान्वयन हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मलिन बस्तियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु व्यय होने वाली राशि की निगरानी के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्लम राज्य का विषय है और विभिन्न कस्बों एवं नगरों में स्लमों के विकास के लिए विशेष योजनाएं तथा कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तथापि, स्लमों में रहने वालों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी स्लमों का पर्यायवरणीय सुधार (ई आई यू एस) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित योजना शुरू की गई थी जिसे बाद में 1974 में राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया तथा तब से इसे राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने 1996 में एक राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन एस डी पी) शुरू किया जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शहरी स्लमों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना है। शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार योजना के अंतर्गत छठी योजना से लेकर 1995-96 तक तथा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के आरंभ से 1998-99 तक आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण I तथा II में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत नियमन योजना आयोग द्वारा किये जाते हैं तथा धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। नोडल मंत्रालय के रूप में इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्लम विकास। कार्यक्रम की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एम आई एस प्रोफार्मा तैयार किया है और इसे सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परिचालित किया है ताकि राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गई प्रगति की सूचना इस मंत्रालय को हर तिमाही में मिलती रहे।

विवरण I

शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार-परिव्यय

(मूल्य लाख रु.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	छठीं योजना	सातवीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2088.00	2084.00	908.00	276.00	433.00	191.00	291.50	191.50
असम	64.00	168.20	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	60.00
बिहार	294.00	550.00	260.00	430.00	350.00	19.00	300.00	300.00
गोवा	50.66	30.10	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	381.00	330.00	100.00	100.00	220.00	300.00	325.00	600.00
हरियाणा	408.00	550.00	110.00	120.00	200.00	238.00	253.00	500.00
हिमाचल प्रदेश	38.00	96.00	50.00	48.00	63.00	73.00	73.00	81.00
जम्मू व कश्मीर	550.00	235.00	60.00	60.00	90.00	72.00	88.00	100.00
कर्नाटक	902.00	1605.00	726.00	625.00	845.00	912.00	859.00	859.00
केरल	384.00	235.00	50.00	30.00	90.00	133.54	110.00	160.00
मध्य प्रदेश	645.00	1415.00	264.00	344.00	675.00	530.00	582.00	598.00
महाराष्ट्र	2133.00	4495.00	1000.00	1250.00	1217.00	974.00	1500.00	4162.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	26.00	44.00	17.00	20.00	25.00	19.50	0.00	0.00
मेघालय	31.00	70.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
मिजोरम	4.00	15.00	5.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
उड़ीसा	90.00	131.50	100.00	77.00	90.00	56.00	56.00	80.00
पंजाब	360.00	439.00	165.00	200.00	175.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	275.00	495.00	400.00	320.00	365.00	370.00	400.00	445.00
सिक्किम	19.00	28.50	6.00	10.00	6.00	6.00	6.00	0.00
तमिलनाडु	2283.00	1650.00	270.00	235.00	260.00	230.00	330.00	526.00
त्रिपुरा	45.00	131.00	35.00	40.00	50.00	8.00	55.00	50.00
उत्तर प्रदेश	889.00	2166.00	790.00	755.00	785.00	737.00	785.00	794.00
प. बंगाल	1864.00	3387.00	885.00	450.00	1060.00	500.00	500.00	270.00
संघ शासित प्रदेश								
अण्डमान निको. द्वीप	0.00	46.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.50
दमन और दीव	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.50	3.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षद्वीप	1.35	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	49.00	115.00	30.00	35.00	50.00	40.00	40.00	45.00
रा.रा.क्षे, दिल्ली	1245.00	2295.00	200.00	800.00	820.00	785.00	900.00	960.00
योग	15119.01	22806.31	6529.00	6342.00	7964.00	6284.04	7847.00	10833.00

विवरण II

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2297.00	2945.00	3250.00
अरुणाचल प्रदेश	11.00	100.00	100.00
असम	222.00	284.00	284.00
बिहार	1891.00	2425.00	2425.00
गोवा	44.00	100.00	100.00
गुजरात	1427.00	1830.00	1830.00
हरियाणा	365.00	469.00	514.00
हिमाचल प्रदेश	50.00	100.00	100.00

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	326.00	418.00	659.00
कर्नाटक	1264.00	1621.00	1787.00
केरल	727.00	932.00	932.00
मध्य प्रदेश	1480.00	1898.00	1898.00
महाराष्ट्र	3567.00	4573.00	5331.00
मणिपुर	45.00	100.00	100.00
मेघालय	40.00	100.00	100.00
मिजोरम	34.00	100.00	100.00
नागालैंड	24.00	100,00	100.00
उड़ीसा	450.00	577.00	620.00
पंजाब	705.00	904.00	904.00
राजस्थान	1049.00	1345.00	1345.00
सिक्किम	3.00	100.00	100.00
तमिलनाडु	1905.00	2442.00	2465.00
त्रिपुरा	39.00	100.00	100.00
उत्तर प्रदेश	3128.00	4011.00	4011.00
प. बंगाल	2469.00	3166.00	3425.00

1	2	3	4
संघ शासित क्षेत्र			
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8.00	100.00	100.00
चण्डीगढ़	62.00	100.00	100.00
दादरा नगर हवेली	1.00	100.00	100.00
दमन और दीव	5.00	100.00	100.00
लक्षद्वीप	3.00	100.00	100.00
पाण्डिचेरी	66.00	100.00	100.00
रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1294.00	160.00	1819.00
योग	25001.00	31000.00	36000.00

[अनुवाद]

समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से तस्करी

3055. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अभयसिंह एस. भोंसले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस तस्करी एवं गैर-कानूनी गतिविधियों का स्रोत बन गया है तथा 1998 में समझौता एक्सप्रेस में चल रहे घपले का अमृतसर में भंडाफोड़ किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खुफिया एजेंसियां इस तरह की गतिविधियों को रोकने में नाकाम रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस रेल गाड़ी के माध्यम से तस्करी एवं गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार डी.आर.आई. रीजनल यूनिट, अमृतसर के अधिकारियों द्वारा 20.6.1998 को अटारी रेलवे स्टेशन पर 69,98,060 रुपये मूल्य की वस्तुओं की एक खेप जब्त की गई थी। यह खेप पाकिस्तान से, समझौता एक्सप्रेस से 18.6.1998 को पहुंची थी। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय के अनुरोध पर इस बारे में एक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) से (छ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। रेलों में अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेदारी भी राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की है जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर रेलों में अपराधों की रोकथाम संबंधी उपाय करने की सलाह भेजती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच नियमित बैठकों की आवश्यकता, चलती गाड़ियों में चल पुलिस बल की तैनाती, पुलिस मार्गरक्षकों और रेलवे स्टाफ के बीच समन्वय में सुधार, अवैध फेरीवालों, शरारती लड़कों और अन्य अवांछित तत्वों आदि को हटाना शामिल है।

ग्रामीण सुरक्षा समितियां

3056. श्री चमन लाल गुप्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह जानती है कि जम्मू में गांव सुरक्षा समिति के सदस्यों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांव सुरक्षा समितियों द्वारा भारी हथियार बंद आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों से लड़ने की महान सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन बढ़ाने का कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) ग्राम सुरक्षा समितियों द्वारा की जा रही सेवा स्वैच्छिक स्वरूप की होती है। तथापि, विशेष पुलिस अधिकारी (एस.पी.ओ.) जोकि ग्राम सुरक्षा समितियों के केन्द्रक हैं, को राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत एस.पी.ओ. की निश्चित संख्या के लिए प्रतिपूर्ति करती है। इस बारे में सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत प्रतिपूर्ति संबंधी मानदण्ड हाल ही में पुनरीक्षित किए गए हैं।

(घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 571.95 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार को 174.94 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है।

विदेशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

3057. श्री रामानन्द सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों द्वारा वर्षवार, विषयवार और विदेश-वार कितने भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदशों द्वारा भारतीय छात्रों की दी गई छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां

क्र.सं.	देश	वर्ष	छात्रों की संख्या	विषय
1	2	3	4	5
1.	बेल्जियम	1996-97	–	
		1997-98	3	(पर्यावरण विज्ञान-2, धातुकर्मी-1)
		1998-99	1	(पर्यावरण विज्ञान-1)
2.	कनाडा	1996-97	2	(अर्थशास्त्र-1, पर्यावरण विज्ञान-1)
		1997-98	–	
		1998-99	4	(अर्थशास्त्र-1, पशुपालन-1, वनविद्या-1, रिमोट सेंसिंग-1)

1	2	3	4	5
3.	चीन	1996-97	11	(चीनी भाषा-5, एक्यूपंक्चर-1, ललित कला-1, पौध प्रजनन-1, मत्स्य पालन-1, वनस्पति विज्ञान-1, चीनी अध्ययन-1)
		1997-98	5	(चीनी भाषा-3) कोशकीट पालन-2)
		1998-99	12	(चीनी भाषा04, एक्यूपंक्चर-2, राजनीति विज्ञान-1, प्राणि विज्ञान-1, वनस्पति विज्ञान-1, कृषि विज्ञान-2, कोशकीट पालन-1)
4.	चेक	1996-97	–	
		1997-98	2	(पर्यावरण सुरक्षा-2)
		1998-99	2	(पर्यावरण सुरक्षा-2)
5.	फ्रांस	1996-97	2	(राजनीति विज्ञान-1, अर्थशास्त्र-1)
		1997-98	1	(अर्थशास्त्र-1)
		1998-99	2	(जीव विज्ञान-1, अर्थशास्त्र-1)
6.	जर्मनी	1996-97	10	(पर्या. विज्ञान-2, धातुकर्मी-1, पशु चिकित्सा-1, वन विद्या-1, संगणक विज्ञान-1, इलैक्ट्रोनिक्स-1, जैव प्रौद्योगिकी-1, मेकेनिकल इंजीनियरी-1, मेटेरियल साईंस-1)
		1997-98	9	(पशु चिकित्सा-2, पर्यावरण विज्ञान-1, धातुकर्मी-1, एग्रोनोमी-1, जैव फार्मा-1, संवेदी प्रौद्योगिकी-1, औद्योगिक रसायन शास्त्र-1, जैव प्रौद्योगिकी-1)
		1998-99	9	(पशु चिकित्सा-2, जैव-प्रौद्योगिकी-2, पर्या. विज्ञान-2, उद्यान विज्ञान-2, जैव इंजीनियरी-1)
7.	आयरलैंड	1996-97	5	(जल विज्ञान-2, संगणक शिक्षा-1, पर्या. विज्ञान 1, आकोपेशनल हेल्थ-1)
		1997-98	6	(जल विज्ञान-2, पर्या. विज्ञान-1, संगणक शिक्षा-1, आकोपेशनल हेल्थ व ऐग्रोनोमी-1, समुदाय स्वास्थ्य-1)
		1998-99	4	(जल विज्ञान-2, पर्या. विज्ञान-1, समुदाय स्वास्थ्य-1)
8.	इंजराईल	1996-97	2	(कृषि इंजीनियरी-1, अंतर्राष्ट्रीय संबंध-1)
		1997-98	2	(अंतर्राष्ट्रीय संबंध-1, कृषि-1)
		1998-99	3	(कृषि-2, तुलनात्मक अध्ययन (धर्म-1)

1	2	3	4	5
9.	इटली	1996-97	4	(इटालियन-/एंड लिट.-4)
		1997-98	13	(पुनरुद्धार भित्ति चित्र/मृत्कला/मेटल-3, इटालियन भाषा-10)
		1998-99	2	(वास्तु शिल्प पुनरुद्धार-2)
10.	जापान	1996-97	16	(शिक्षा शास्त्र-1, भूचाल इंजीनियरी-1, समुद्र विज्ञान-1, जैव प्रौद्योगिकी-1, जापानी अध्ययन-1, फाईबर आपटिक्स-1, लेजर टेक.-1, जापानी भाषा-1, जहाज निर्माण-1, मत्स्य विज्ञान-1, आप्टो इलैक्ट्रोनिक्स-1, कोटिंग व रेल इंजी.-1, प्रबंध-1, रिमोट सेंसिंग-1, रोबोटीक्स-1)
		1998-99	16	(भूचाल-1, जैव समुद्र विज्ञान-1, जैव प्रौद्योगिकी-2, जापानी भाषा-1, फाइबर आपटिक्स-1, लेजर टेक्नो.-1, जापानी भाषा-1, जहाज निर्माण-1, मत्स्य विज्ञान-1, माईक्रो प्रोसेसर-1, प्रबंध अध्ययन-1, ललित कला-2, रिमोट सेंसिंग-1, रोबोटिक्स-1)
11.	कोरिया (दक्षिण)	1996-97	-	
		1997-98	1	(कोरियन अध्ययन-1)
		1998-99	-	
12.	मैक्सिको	1996-97	1	(स्पेनिश भाषा-1)
		1997-98	3	(स्पेनिश भाषा-3)
		1998-99	-	
13.	न्यूजीलैंड	1996-97	-	
		1997-98	1	(मृदा विज्ञान-1)
		1998-99	-	
14.	नीदरलैंड	1996-97	-	
		1997-98	4	(जलप्रौद्योगिकी, 1, कार्डियोलोजी-1, कृषि-2)
		1998-99	2	(जल प्रौद्योगिकी-1 कार्डियोलोजी-1)
15.	नार्वे	1996-97	-	
		1997-98	3	(प्रोफेशनलशिपिंग-1, जल विज्ञान विकास-1, इलैक्ट्रिक पावर वितरण प्रणाली-1)
		1998-99	5	(प्रोफेशनल शिपिंग-1, जलविज्ञान विकास इलैक्ट्रिक पावर वितरण प्रणाली-1, अंतर्राष्ट्रीय फिशरी-2)

1	2	3	4	5
16.	पोलैंड	1996-97	–	
		1997-98	–	
		1998-99	2	(पॉलिश भाषा व संस्कृति-2)
17.	इंग्लैंड	1996-97	33	(संगणक अध्ययन-1, इलैक्ट्रोनिक्स-2 पर्या. अध्ययन-1, रिमोट सैंसिंग टेक-1, बायोटेक/बायोकेम इंजी.-2, रोबोटिक्स-2, सूक्ष्मजीवविज्ञान-2, भौतिकी-1, रसायनशास्त्र-6, पशुपालन-2, वनविद्या-2, इतिहास-3, समाजशास्त्र-1, प्रबंध अध्ययन-2, कार्डियोलोजी-3, स्त्री रोग विज्ञान-1, दंतचिकित्सा-1
		1997-98	17	(पर्या. अध्ययन-1, रिमोट सेसिंग टेक-2, कम्यूनिकेशन इंजी.-1, बायोटेक/बायोकेन इंजी.-1, रोबोटिक्स-2, गणित-1, रसायन विज्ञान-1, समाजशास्त्र-1, ललितकला-1, अर्थशास्त्र-3, कैंसर अनुसंधान-1, स्त्री रोग विज्ञान-2)
		1998-99	16	(इलैक्ट्रोनिक्स-1, पर्यावरण अध्ययन-1, रिमोटसेसिंग प्रौद्यो.-1, सम्प्रेषण इंजीनियरी-1, गणित-1, सूक्ष्मजीव विज्ञान-1, रसायनशास्त्र-1, पशुपालन-3, इतिहास-2, सैंसर शोध-1, स्त्री रोग विज्ञान-1, चिकित्साशास्त्र-दंतचिकित्सा-1)
18.	आस्ट्रेलिया	1996-97	16	(पर्यावरण विज्ञान-1, शिक्षा-1, खान-2 मानविकी-1, वन विज्ञान-1, स्वास्थ्य विज्ञान-1, जन स्वास्थ्य-2, जन संचार-1, डेमोग्राफी-1, मेडीसिन-1, अर्थशास्त्र-1, वास्तु कला-1, अंग्रेजी-1, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना-1)

विद्यालय पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

3058. श्री पी.सी. थामस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1999 के "इकानामिक टाइम्स" में "टैस्ट बुक टेक्स इंडियन बैंक टू पी एल-480 एरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विद्यालय पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को उचित रूप से संशोधित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों को विहित करने पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। तथापि, प्रमाणिक

पठन-पाठन सामग्री प्रदान करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ऐसी प्रमाणिक पाठ्यपुस्तकों को तैयार करती है जिन्हें व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। विभिन्न परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रणाली भी ऐसी प्रामाणिक पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु पर आधारित होती है।

[हिन्दी]

नए उर्वरक संयंत्र

3059. श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री रंजीब बिस्वाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में कितनी उर्वरक इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी क्षेत्र की कार्यान्वयनाधीन उन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे जिनमें नौवीं योजना के अन्त तक पूरी होने की सम्भावना है, संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने अपने नंगल एकक की यूरिया क्षमता का विस्तार करने हेतु निर्धारित पद्धति के तहत एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। यदि अनुमोदित कर दी जाती है तो 24 माह के जेस्टेशन अवधि वाली इस परियोजना को भी नौवीं योजना अवधि के अन्त तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है।

प्रवर्तकों द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन तथा नौवीं योजना के अन्त तक सम्भावित रूप से पूरी होने वाली प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे भी विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना, स्थान और कंपनी/सहकारिता का नाम	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)	परिकल्पित उत्पादन		शून्य तिथि	आरम्भण की अनुमोदित/वास्तविक तिथि
			उत्पाद (लाख मी. टन प्रति वर्ष)	क्षमता		
1	2	3	4	5	6	7
(क) सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र						
01.	गुजरात में काण्डला (चरण-2) की इफको परियोजना का विस्तार	212.20	एनपीके डीएपी	3.70 2.27	22.1.97	22.10.99
02.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., नामरूप, आसाम के नामरूप संयंत्र का पुनरुद्धार	350.00	यूरिया	3.28	2.11.98	1.5.2001

1	2	3	4	5	6	7
(ख) निजी क्षेत्र						
01	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., गड़ेपन विस्तार परियोजना (चरण-2) राजस्थान	1250.00	यूरिया	7.75	25.12.96	31.12.99
02.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (न्यू) पारादीप, उड़ीसा	1832.00	डीएपी एनपीके एनपी	15.00 3.20 1.00	सित., 97	सित., 99
03.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश	99.13	डीएपी	2.8	5.1.98	31.12.2001
04.	हिंद लीवर केमिकल्स लि., हल्दिया पं. बंगाल में डीएपी/ एनपीके परियोजना	88.31	डीएपी/ एनपीके	4.00	23.2.98	अप्रैल, 99

[अनुवाद]

निधियों का उपयोग

3060. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोआ के ग्रामीण लोगों को पाइप द्वारा पेय जल की आपूर्ति हेतु किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो गोआ में इस योजना के तहत कितने ग्राम पंचायत शामिल किए गए;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के लिए राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई थी; और

(घ) इस निधि के कितने प्रतिशत का उपयोग राज्यवार किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के जरिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके केवल राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की तरह त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाएं तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। ग्रामीण बसावटों को किस प्रकार की जल आपूर्ति प्रणाली मुहैया कराई जानी है, उसके बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या की सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के पास उपलब्ध निधियों और उनके उपयोग के प्रतिशत को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1997-98 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित निधियों तथा उपयोग की गई निधियों के प्रतिशत का राज्य-वार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	निधियों की कुल उपलब्धिता	उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8782.080	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2534.810	91.07
3.	असम	3989.150	45.17
4.	बिहार	2987.099	0.00
5.	गोआ	549.750	60.29
6.	गुजरात	6022.720	88.89
7.	हरियाणा	2826.890	66.98
8.	हिमाचल प्रदेश	1745.090	95.32
9.	जम्मू व कश्मीर	6136.780	45.81
10.	कर्नाटक	10957.150	89.17
11.	केरल	4837.590	85.12
12.	मध्य प्रदेश	8891.070	95.12
13.	महाराष्ट्र	12067.190	101.19

1	2	3	4
14.	मणिपुर	917.710	62.98
15.	मेघालय	1035.660	70.58
16.	मिजोरम	679.690	72.10
17.	नागालैंड	869.750	31.79
18.	उड़ीसा	6082.330	81.48
19.	पंजाब	2031.830	87.82
20.	राजस्थान	10737.530	97.51
21.	सिक्किम	435.600	100.00
22.	तमिलनाडु	9453.110	84.07
23.	त्रिपुरा	762.000	130.53
24.	उत्तर प्रदेश	16810.490	75.33
25.	पश्चिम बंगाल	5522.010	78.61
	कुल	126985.069	82.39

बाड़ लगाया जाना

3061. **कर्नल सोनाराम चौधरी:**
श्री अभयसिंह एस. भोंसले:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाते समय कंटीले तारों से लगी बाड़ और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच किसानों की कृषि योग्य भूमि आ गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के किसानों द्वारा अभ्यावेदनों के बावजूद न

तो उन्हें कोई मुआवजा दिया गया और न ही उन्हें अपनी जमीन मिली;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बाड़ के अंतर्गत आयी कृषि-भूमि और प्रभावित किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि के संबंध में उसी जगह कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक किसानों को मुआवजा दे दिया जायेगा;

(च) क्या प्रभावित किसानों को मुआवजे देने हेतु कोई मानदंड तय किये गये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्रत्येक सीमा वाले राज्य में कितने किसानों को लाभ मिलने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ज) भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण और निजी भूमि, जिस पर बाड़ लगाई जानी है, के लिए मुआवजे की अदायगी, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकार द्वारा मुआवजे पर की गई वास्तविक अदायगी की प्रतिपूर्ति करती है। राजस्थान राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि उन किसानों को मुआवजे का वितरण करे जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी है और प्रतिपूर्ति का दावा करे।

उल्लंघन रोकना

3062. **श्री नेपाल चन्द्र दास:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग ने वर्दीधारी व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने हेतु पुलिस अधिनियम संबंधी प्रावधानों में संशोधन की वकालत की है;

(ख) क्या सरकार का विचार संहिता की धारा 197 में कोई संशोधन करने का है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) रिट याचिका (सिविल) सं. 1996 की 310 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 जुलाई, 1998 को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग और बोहरा समिति की लंबित सिफारिशों के कार्यान्वित करने के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए एक समिति गठित की गयी थी इस समिति की पहली रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय में दायर कर दी गयी है, जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था। इस समिति द्वारा अपनी दूसरी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च, 1999 को उच्चतम न्यायालय में होनी है।

खाद्य राजसहायता

3063. **श्री यू.वी. कृष्णमराजु:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री भावर चन्द गेहलोत:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बजट में खाद्य पर कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) इस राजसहायता के कारण राजकोष को कितना वार्षिक वित्तीय भार उठाना पड़ रहा है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी की कीमतों में तीव्र वृद्धि के बावजूद इस वर्ष खाद्यान्नों के राजसहायता बिल पर इसका शायद ही कोई खास असर पड़े; और

(घ) सरकार द्वारा आम आदमी को प्रभावित किए बिना खाद्यान्नों पर से राजसहायता हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ग) यद्यपि 1998-99 के लिए बजट अनुमानों में 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। तथापि, 29.1.1999 से खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमानों में इसे 300 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है।

(ख) किसी वर्ष विशेष में खाद्य सब्सिडी की मात्रा वसूली के स्तर, निर्गम मूल्यों, विभिन्न योजनाओं के अधीन आपूर्ति की

मात्रा और बफर स्टाक के स्तर आदि पर निर्भर करती है। इसलिए यह वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) यद्यपि निर्गम मूल्यों को उपयुक्त रूप से बढ़ाए बिना खाद्य सब्सिडी को समाप्त करना संभव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा आर्थिक लागत और रख-रखाव लागत तथा अन्य खर्चों को कम करने/नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

(1) यद्यपि अनाज की वसूली मौसमी होती है तथापि भारतीय खाद्य निगम भंडारण लागत को कम करने के लिए 75% औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

(2) भाड़े संबंधी खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली और संचलन के 1:1.35 के अनुपात के मानदंड को अपनाया जा रहा है।

(3) खाद्यानों की हैंडलिंग में कमियों को घटाने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) रेलवे डैमरेज प्रभार में कमी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊंचे मूल्य पर खुले बाजार में अतिरिक्त स्टाक रिलीज किया जा रहा है।

(6) मार्गस्थ और भंडारण कमियों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुराना स्टाक जारी करना, "ग" और "घ" श्रेणी का स्टाक जारी करना और खाद्यान्नों के संचलन पर सीधे पर्यवेक्षण को लागू करना।

(7) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए बोरियों की मशीन से सिलाई करना और 50 किलोग्राम की बोरियों में खाद्यान्न हैंडल करना।

(8) वसूली/भंडारण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करना।

(9) निर्गम प्रचालनों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के बावजूद परिणामी प्रवेश स्तर के पदों पर न्यूनतम भर्ती करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित कर रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में फार्म-हाउस

3064. श्री अशोक अर्गल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासन ने दिल्ली के महरौली गांव के अंधेरिया मोड़ स्थित फार्म-हाउसों को मुर्गेखाने खोलने हेतु सस्ती दरों पर जमीन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन फार्म हाउसों को और उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियां

3065. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्र विरोधी तत्व कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए अपना सिर उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी, हां, श्री मान्। राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण देश के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की समस्या बनी हुई है।

(ख) सरकार इन सभी घटनाक्रमों पर निकट कड़ी और सावधानीपूर्वक नजर रखे हुए है। हालांकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है अत: राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न तरीके निकालने और ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद विरोधी अभियानों

के समन्वय को सुकर बनाने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना को राज्यों के बीच आदान-प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, हथियारों और अर्ध सैनिक बलों आदि की तैनाती के रूप में सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। कतिपय कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रस्तावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की पूर्ति के लिए उन्हें आवंटित की गई राशि के अलावा भी वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

3066. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में थारू आदिवासियों के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में इन विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है और किसी जनजाति अथवा समुदाय का कोई अलग जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोला जाता है। किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मुक्त बाजार योजना

3067. श्री रामशकल: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विवेकाधिकार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न खाद्यान्न डिपों में खुली नीलामियां नहीं की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खुले बाजार में बिक्री संबंधी कोई योजना शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) गेहूं और चावल की बिक्री के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को कोई विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन खाद्यान्नों का स्टाक रिलीज करना अपेक्षित हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को खाद्य और श्रम मिश्रण निर्धारण अधिनियम के मानकों के अंतर्गत दो वर्ष से अधिक पुराने चावल के ऐसे स्टाक का भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों और शर्तों व निबंधनों पर निपटान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो उच्च श्रेणीकरण किये जाने योग्य है। बशर्ते ये मूल्य गरीबी रेखा से ऊपर के लिए लागू मूल्यों से कम नहीं हो। घटिया/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टाक का निपटान करने की भी शक्तियां प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत भारतीय खाद्य निगम अपने स्टाक के लिए विभिन्न डिपुओं पर खुली नीलामी नहीं करता है, क्योंकि खुली नीलामी के परिणामस्वरूप ऐसे कुछेक खरीददारों का एकाधिकार होगा जिनके पास बोली लगाने के लिए अधिक धनराशि है और जो बाद में इसकी पुन: बिक्री करते हैं। अत: व्यावहारिक विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने निर्धारित दरों पर खुली बिक्री करने का निर्णय लिया है और भारतीय खाद्य निगम निर्धारित मूल्य, निविदा आदि पर उच्च श्रेणीकरण योग्य/घटिया/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टाक का निपटान करता है।

(घ) से (च) नवम्बर, 1998 में केन्द्रीय सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन खुली बिक्री के लिए राज्य सरकारों को 40 लाख टन तक गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया था। राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से अथवा रोलर फ्लोर मिलों, सहकारी समितियों और राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से गेहूं रिलीज करने का विकल्प

दिया गया है। इस योजना के अधीन गेहूं के उठान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य के बाहर गेहूं/गेहूं उत्पादकों के संचलन के संबंध में राज्य सरकारों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए हैं। इस योजना का लाभ उठाने वाली राज्य सरकार के लिए राज्यों के भीतर मूल्यों पर निगरानी रखना अपेक्षित है। इस योजना के अधीन चावल की बिक्री नहीं की जा रही है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम उन्हें प्रायोजित शक्तियों के अधीन निविदा आमंत्रित कर/निर्धारित मूल्य आदि पर समय-समय पर घटिया/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टाक का निपटान करता है।

[अनुवाद]

बढ़ती हुई शहरी आबादी

3068. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी ने चेतावनी दी है कि बढ़ती हुई शहरी आबादी और योजना के अभाव में भारतीय शहरों की स्थिति भयावह हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो देश के शहरों में परिकल्पित समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) सरकार को, शहरों में प्रदूषण, भीड़भाड़, संसाधनों की कमी, स्लम, तथा आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, कचरा निपटान, शहरी सड़कों जैसी अपर्याप्त अवस्थापना और सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्थापना जैसी समस्याओं की जानकारी है।

(ग) सरकार ने, भारतीय शहरों में शहरी जीवन-यापन की दशाओं तथा सुविधाओं के अभाव में सुधार के लिए काफी उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपायों में, छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास शहरी बुनियादी सेवाओं में वृद्धि के लिए मेगा सिटी स्कीमें तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम शहरी पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, स्थानीय निकायों को अधिकार देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन; राष्ट्रीय आवास नीति आदि के साथ-साथ और शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

3069. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की अनुमानित जनसंख्या का पता लगाने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ मतभेदों का समाधान कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और आकलनों में सम्मिलित नहीं हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के प्रयोजन हेतु योजना आयोग द्वारा प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित "गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल" की क्रियाविधि के आधार पर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा प्राप्त गरीबी संबंधी अनुमानों को अपनाया गया है।

विभिन्न स्व-रोजगार कार्यक्रमों यथा-समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के तहत लक्ष्य हेतु गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्यों द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी संबंधी जनगणना की जाती है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन योजना आयोग के गरीबी संबंधी अनुमान के आधार पर किया जाता है।

8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कराई गई गरीबी रेखा से नीचे की आबादी संबंधी जनगणना के अनुसार योजना आयोग द्वारा प्राप्त गरीबी संबंधी राज्यवार अनुमान सामान्यतया राज्यों के अनुमानों से कम होते हैं।

यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी संबंधी जनगणना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों

की पहचान करने के लिए आधार हो सकती है, लेकिन समूची संख्या को योजना आयोग के अनुमानों तक सीमित रखना होता है। तथापि, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों के गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के अनुमान योजना आयोग के अनुमानों से अधिक हैं।

(ग) योजना आयोग के अनुमानों से अधिक पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राजसहायताप्राप्त खाद्यान्न जारी करने के लिए अपेक्षित संसाधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं पूरे किए जाने होते हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में विदेशी भाड़े के सैनिक

3070. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में विदेशी भाड़े के सैनिकों की बढ़ती संख्या के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले 4 सालों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियानों में मारे गए भाड़े के विदेशी सैनिकों की संख्या निम्न प्रकार है:

1995	1996	1997	1998
85	139	197	319

(ग) सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है। जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहु आयामी रणनीति कार्यान्वित की गयी है, जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को संदिग्ध बनाना प्रतिकारक कार्रवाईयों के जरिए अन्दरूनी भागों में उग्रवाद का मुकाबला करना, ग्राम सुरक्षा समितियों की स्थापना, विभिन्न फील्ड एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है।

सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

3071. **श्री अभयसिंह एस. भोंसले :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इन व्यक्तियों को सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विकलांग अधिनियम 1995 के आधार पर उक्त कम्पनियों में कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम 3% विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिसमें से प्रत्येक 1% निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा:-

(एक) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि

(दो) श्रवण विकलांगता, तथा

(तीन) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में आई.आई.टी.

3072. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में आई.आई.टी. की कोई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से और वित्तीय तंगियों को ध्यान में रखकर आज की स्थिति के अनुसार, देश में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स द्वारा कर संग्रहण

3073. **श्री चंदू लाल अजमीरा :**
श्रीमती रानी नरह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स निचले असम के जिलों में लोगों से कर वसूल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) बी.एल.टी.एफ., असम के निचले भागों में स्थित जिलों में धन ऐंठने और "बोडोलैंड टैक्स" जबरन वसूलने में संलिप्त रही है।

(ख) सरकार ने जबरन धन वसूलने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती, सेना, अर्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत बी.एल.टी. को विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करना शामिल है। "कर वसूली"/जबरन धन ऐंठने में संलिप्त कई बी.एल.टी.एफ. कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु धनराशि के उचित उपयोग हेतु मशीनरी

3074. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** 9 जून, 1998 के तारांकित प्रश्न सं. 187 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के पास देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों हेतु आबंटित धनराशि का समय पर उचित उपयोग किये जाने के लिए इसकी निगरानी रखने हेतु क्या मशीनरी उपलब्ध है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु जनजातीय उपयोजना/विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत जारी धनराशि का समय पर उपयोग किये जाने पर कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत जारी धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों के समय पर उपयोग करने के बारे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृतियां जारी करने से पूर्व पहले वर्ष के दौरान उनको निर्मुक्त निधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के तंत्र के माध्यम से मानीटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जाती हैं, जिनकी मंत्रालय में समीक्षा की जाती हैं तथा जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे निधियों के आबंटन के लिए आधार के रूप में कार्य करती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए विवरण-I में तथा आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता विवरण-II के ब्यौरे के अनुसार।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया
		1995-96		1996-97		1997-98	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3425.41	3323.13	2915.22	3510.00	2680.13	2680.13
2.	असम	222.65	206.09	163.52	191.99	142.18	112.20
3.	बिहार	0.00	1581.21	2678.61	2200	2808.2	4939.40
4.	गुजरात	278.90	631.74	278.90	664.58	1659.99	1659.99
5.	गोवा	2.09	2.91	2.09	2.04	3.83	1.16
6.	हरियाणा	623.00	491.78	520.00	572.51	548.41	644.69
7.	हिमाचल प्रदेश	193.63	224.38	180.29	244.80	256.91	271.44
8.	जम्मू व कश्मीर	83.77	127.64	95.23	38.74	73.87	105.98
9.	कर्नाटक	2350.09	2220.05	1884.01	1968.79	1389.35	1434.61
10.	केरल	492.73	443.13	404.93	458.90	645.94	576.05
11.	मध्य प्रदेश	2425.33	2102.70	1910.39	1419.18	1945.24	1465.66

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	महाराष्ट्र	1745.47	1598.00	1448.87	1505.9	1922.45	1643.61
13.	मणिपुर	5.90	5.22	5.11	5.78	6.58	6.58
14.	उड़ीसा	1311.82	1215.76	1265.07	1354.52	1925.47	1925.47
15.	पंजाब	571.68	670.94	883.28	610.47	0.00	887.82
16.	राजस्थान	1828.26	2311.73	1619.91	1757.37	2279.81	2308.28
17.	सिक्किम	3.57	3.72	3.39	3.39	4.44	4.44
18.	तमिलनाडु	2803.55	2655.66	2271.54	1186.10	1756.90	1766.97
19.	त्रिपुरा	72.26	63.88	72.54	80.70	106.28	106.54
20.	उत्तर प्रदेश	5839.03	6040.60	5920.49	6025.24	7646.66	5572.47
21.	पश्चिम बंगाल	2955.22	2955.50	2752.50	2742.85	2848.78	2848.78
22.	चंडीगढ़	14.86	17.88	16.23	18.22	18.16	18.16
23.	दिल्ली	231.16	151.52	190.42	190.42	135.43	90.40
24.	पांडिचेरी	19.62	26.68	17.46	19.64	23.99	25.74
	योग	27500.00	29071.85	27500.00	16772.13	30827.00	31096.57

विवरण-II

आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ क्षेत्र-वार विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	निर्मुक्त	उपयोग किया गया
		1995-96		1996-97		1997-98	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2140.32	2166.31	2287.52	1865.95	2581.54	1997.17
2.	असम	1545.19	1763.69	1524.71	939.89	1460.00	938.11
3.	बिहार	274.22	8.30	3364.00	—	—	—
4.	गुजरात	3060.26	2559.24	2642.95	2948.24	2632.77	2964.20
5.	हिमाचल प्रदेश	541.62	493.35	622.44	541.62	521.89	605.82
6.	जम्मू व कश्मीर	756.64	989.15	681.54	787.37	521.80	195.55
7.	कर्नाटक	659.99	411.47	569.50	391.98	500.00	—
8.	केरल	181.20	153.16	153.71	164.69	196.12	231.78
9.	मध्य प्रदेश	9579.66	6635.34	7695.71	8532.99	9207.88	7189.15
10.	महाराष्ट्र	2930.82	2752.52	3160.78	2259.32	3400.89	2861.77
11.	मणिपुर	574.53	575.64	653.22	660.14	950.00	762.10
12.	उड़ीसा	4958.10	5489.66	4411.44	4411.44	5576.27	1376.27

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजस्थान	2819.04	2993.91	2467.32	2461.44	2341.13	2184.71
14.	सिक्किम	100.19	82.91	138.41	—	60.00	121.91
15.	तमिलनाडु	274.44	274.44	238.91	232.01	243.71	243.71
16.	त्रिपुरा	564.97	564.97	594.48	671.32	985.00	610.00
17.	उत्तर प्रदेश	104.88	0.00	90.39	83.12	112.91	—
18.	पश्चिम बंगाल	1763.21	1763.21	1558.07	1654.04	1600.39	1600.39
19.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	112.21	89.11	95.18	105.78	118.00	97.13
20.	दमन व दीव	59.31	59.31	49.82	49.82	50.75	50.61

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई सभी को माफ करने की योजना

3075. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई सभी को माफ करने की योजना का लाभ किश्तों पर मकान खरीदने संबंधी योजना के आबंटियों ने उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का लाभ कितने व्यक्तियों को मिला है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना की तारीख को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन आबंटियों को अपनी देय राशि का भुगतान कर दिया है अदेयता प्रमाणपत्र जारी कर दिया है/जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्कीम के तहत करीब 13,560 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आबंटियों/आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है यदि उन्होंने अद्यतन बकाया किस्तों और देय जुर्माने का भुगतान कर दिया है।

(ग) और (घ) बकाया किस्तों और जुर्माने/ब्याज को अदा करने की तारीख पहले ही 31.3.1999 तक बढ़ा दी गई है। सरकार के पास इसे और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण का उन आवंटियों को "अदेयता प्रमाण पत्र" (नो ड्यूज सर्टीफिकेट) जारी करने का प्रस्ताव है जिन्होंने स्कीम के तहत अपनी सारी बकाया किस्तों और ब्याज का भुगतान कर दिया है और जो विभाग द्वारा जांच करने पर सही पाए गए हैं। आवेदक को "अदेयता प्रमाण पत्र" के लिए प्रारम्भिक जमाराशि सहित अदा किए गए ब्याज/जुर्माने के साथ-साथ सभी किस्तों से सम्बद्ध चलानों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक

3076. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेल संस्थान ने अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया है;

(ख) क्या सरकार का इन प्रशिक्षकों को बेहतर पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा अब तक कुल 12,277 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) में पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षक, केन्द्र सरकार के संगठनों में कार्यरत समकक्ष अधिकारियों के समान वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर रहे हैं।

चंडीगढ़ में गरीब लोगों को वित्तीय सहायता

3077. श्री सत्यपाल जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता हेतु संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को कोई वित्तीय सहायता भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि जारी की गई और वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार को उक्त उद्देश्य के लिए इस धनराशि का उपयोग न करने और धनराशि को सावधि जमा में लगाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान

3078. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में कुछ और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान करने का है जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) जी, हां। यह मामला विचाराधीन है।

विकलांग व्यक्तियों का पता लगाना

3079. श्री विक्रम केशरी देव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान ने विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कुछ समय पूर्व कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के अन्तर्गत कार्य कर रहे ऐसे संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा नमूना सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 16.15 मिलियन व्यक्ति दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा चलन संबंधी विकलांगता से पीड़ित हैं। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1-14 आयु वर्ग के बीच विलम्बित मानसिक विकास वाले व्यक्तियों के लिए किए गए अन्य नमूना सर्वेक्षण का अनुमान है कि कुल जनसंख्या के लगभग 3% का विलम्बित मानसिक विकास है।

(ग) अनेक स्वैच्छिक संगठन शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से मंद बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एक मॉडल स्कूल चला रहा है जहां मानसिक रूप से मंद बच्चों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट फॉर मैंटली हैण्डीकैप्पड, हैदराबाद
2. शान्तिनिकेतन इंस्टीट्यूट फॉर मैंढली हैण्डीकैप्पड चिल्ड्रन, हैदराबाद
3. चाइल्ड गाइडनैस सेंटर, हैदराबाद
4. मान-सिका विकास केन्द्रम, विजयवाडा
5. पेमन्कैप, सिकन्द्राबाद
6. स्वीकार रिहब्लिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैण्डीकैप्पड, उपकार सर्कल पॉकिट, सिकन्द्राबाद
7. करीमनगर जिला-फ्रीडम फाइटर ट्रस्ट, करीमनगर
8. पावमैनकैप, 6-5-685, पींक हाऊस गोसमहल, हैदराबाद
9. अरुण स्पैशल सेंटर, हैदराबाद
10. आन्ध्रा महिला सभा ट्रस्ट, हैदराबाद
11. श्रीमती मेरला रामाम्मा मैमोरियल ट्रस्ट, कृष्णा जिला
12. लोबुनगीके, स्पेशल स्कूल फॉर दि मैंटली हैण्डीकैप्पड, विशाखापट्टनम
13. ए.पी. एसोसिएशन फॉर दि वेलफेयर ऑफ मैटली रिटार्डिड, हैदराबाद
14. रोयलसीमा सेवा समिति, त्रिपती

असम

1. शिशु सरोथी, स्पास्टिक सोसायटी ऑफ असम, गुवाहाटी

बिहार

1. बिहार स्टेट कौंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, पटना

गोवा

1. कारीतास-गोवा, पानजिम

गुजरात

1. सोसायटी फार दि मैंटली रिटार्डिड, राजकोट
2. अंकुर स्कूल फॉर मैंटली रिटार्डिड चिल्ड्रन, भावनगर
3. शारदा ट्रस्ट, स्कृति विकाससाले ऑफ एम.आर. चिल्ड्रन, धोमडुका

हरियाणा

1. इंडियन रेड क्रास सोसायटी, रोहतक
2. हरियाणा स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, चंडीगढ़

जम्मू व कश्मीर

1. रोटरी इन्नरव्हील होम फार दि हैण्डीकैप्पड पर्सन्स, जम्मू

कर्नाटक

1. अंगविकलारा आशा किरन ट्रस्ट, चित्रदुर्गा
2. एसोसिएशन फॉर दि मैंटली हैण्डीकैप्पड, बंगलौर
3. श्री रेनुका विद्या समिति, विरधाका संघा सिरीन्दुति

केरल

1. जयसी सोसायटी फार दि रिहब्लिटेशन फार दि हैण्डीकैप्पड तेल्लीचेरी
2. यंग वोमेन एसोसिशन, क्वीलोंग
3. सोसायटी फार दि रिहब्लिटेशन आफ मैंटली डिफीसिएन्ट चिल्ड्रन, कान्नानोर
4. आशा निलयाम सोसल सर्विस सेंटर, कोट्टयम
5. विल्ला महिला समाजाम
6. बाला विकास सोसायटी, त्रिवेन्द्रम
7. एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ दि हैण्डीकैप्पड, कालीकट
8. प्रतीक्षा ट्रेनिंग सेंटर, प्रतीक्षा भवन, इन्दुकी
9. स्नेहभावन चार्ज-टेबल सोसायटी
10. रोटरी इन्स्टीचयूट फार चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केयर, त्रिवेन्द्रम
11. शांति भवन, सोशल सेंटर
12. माडोन्ना चैरिटेबल सोसायटी, त्रिचूर
13. डायरेक्ट्रेट आफ सोशल एक्शन, पालघाट
14. सोशल वेलफैयर सेंटर, त्रिचूर
15. रक्षा सोसायटी फॉर केयर आफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैण्डीकैप्पड, कोचिन
16. आशाकिरन एसोसिएशन फार एम.आर. पर्सन्स
17. सेट चारमलुस ट्रेनिंग सेंटर, कालीकट
18. कालीकट इस्लामिक कल्चरल सोसायटी कोजीकुडे
19. एफआर जेग्गा इन्स्टीच्यूट फार एम.आर. व्यांद
20. आल केरल एसोसिएशन फार एम.आर. चिल्ड्रन कोचीन

मणिपुर

1. सेंटर फार मेंटल हायज्ञीन, इम्फाल

मेघालय

1. लेडीस एंड चिल्ड्र रिक्रेशन सेंटर, शिलांग

पंजाब

1. मेवजीवनी स्कूल फार स्पशल एजूकेशन पटियाला

उड़ीसा

1. ओपन लरनिंग सिस्टम, भुवनेश्वर

राजस्थान

1. सोसायटी फार दि वेलफेयर आफ मेंटली रिटारडड जयपुर

तमिलनाडु

1. स्पैस्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु, मद्रास
2. सेंट अन्नास रिहैब्लीटेशन सेंटर, कोयम्बाटूर
3. बिशॉप सारजेंट स्कूल फार दि एम.आर. पलायामकोट्टाय
4. इरोद अरीमा सोसायटी, इरोद

उत्तर प्रदेश

1. श्री कांची कमोकती पीतम शेहकारा सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट
2. चेतना, लखनऊ
3. विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद
4. शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ
5. रैफील रायटर चैरी इन्टरनेशनल सेंटर, देहरादून
6. अखिल भारतीय विकलांग केन्द्र, स्माल मेंडल फैजाबाद
7. अभिनय रिपोटरी थैटर एंड रिसर्च इनस्टीच्यूट

दिल्ली

1. डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जमिया नगर
2. स्पेस्टिक सोसायटी आफ नार्दरन इंडिया, हौज खास, नई दिल्ली
3. संजीवनी सोसायटी फार मेंटल हैल्थ, सतसंग बिहार मार्ग, नई दिल्ली
4. अमरज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डूमा, दिल्ली
5. तमाना, नई दिल्ली
6. एसोसिएशन फार एडवांसमेंट एंड रिहैब्लीटेशन आफ हैंडीकैप्ड, वसंत बिहार
7. फैडरेशन फार दि वेलफेयर आफ एम आर
8. इकलैक्ट सोसायटी फार दि वेलफेयर आफ एम.आर.
9. बलवन्त राय मेहता विद्या भवन, नई दिल्ली
10. दिल्ली सोसायटी फार वेलफेयर आफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ओखला
11. नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेलफेयर

महाराष्ट्र

1. रिसर्च सोसायटी फार दि केयर ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग आफ चिल्ड्रन, बम्बई
2. श्री ट्रस्ट, विरार
3. सोसायटी फार दि बोकेशनल रिहैब्लीटेशन आफ दि मेंटली रिटारडड, बम्बई

पश्चिम बंगाल

1. अलाकेन्द्र बोध निकेतन रेजिडन्शियल कलकत्ता
2. मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता
3. इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ ह्यूमान वेलफेयर, कलकत्ता
4. सोसायटी फार मेंटल हैल्थ केयर, कलकत्ता
5. सैलेन्द्रानाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय बर्द्धवान
6. पर्वतक संघ, कलकत्ता
7. रिच, कलकत्ता
8. होप, दुर्गापुर
9. पर्वतक इन्स्टच्यूट फार एम.आर. हुगली
10. साउथ सुन्दरवंस एजूकेशन एंड कल्चरल इन्स्टीच्यूट, बादरापुर

***1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता**

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। आवर्ती मदों जैसे कर्मचारियों का वेतन, अनुरक्षण व्यय, आकस्मिक व्यय और गैर-आवर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपकरण, फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों स्थापन सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

***2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास**

इस योजना में चार प्रमुख विकलांगता के क्षेत्रों अस्थि, वाणी तथा श्रवण, दृष्टि और मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना और स्तर में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती और अनावर्ती दोनों कार्यों के लिए सहायता दी जाती है।

***3. प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए जनशक्ति विकास हेतु संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत, प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 100% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

---

*ये योजनाएं 20.1.99 से "विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना" नामक एक व्यापक योजना में शामिल कर ली गई हैं।

***4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत, कुष्ठ रोगो मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाने के उद्देश्य से निम्नलिखित चार संस्थानों की स्थापना की गई है। ये संस्थान प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान, पुनर्वास, उपयुक्त सेवा मानदंडों के विकास के क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय संगठन हैं। ये संस्थान अपनी विकलांगता के क्षेत्र में प्रमुख प्रलेखन और सूचना केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं:-

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्य संस्थान, देहरादून

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(3) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

इनके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो संस्थाओं की स्थापना मुख्यत: सेवा संस्थाओं के रूप में की गई है:-

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, उड़ीसा।

6. रोजगार

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति 3% से कम नहीं करेगी जिसमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में (क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, (ख) श्रवण विकलांगता और (ग) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षित होगा। कानून के लागू होने के पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "ग" और समूह "घ" में पहले से ही 3% का आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार के अधीन समूह "क" और "ख" के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1% का विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.97 द्वारा किया गया है।

(2) लाभप्रद रोजगार की प्राप्ति में विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए अलग से विकलांग व्यक्तियों के लिए 51 विशेष रोजगार केन्द्र और 39 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करता है।

(3) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता के मूल्यांकन के लिए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और उन्हें रोजगार में लगाने के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार का बढ़ावा दिया जाता है:-

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बैंडिंग स्टालों, किओस्कों और दुकानों के आवंटन,

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण,

(ग) पब्लिक टेलीफोन बुथों के आवंटन में तरजीह,

(घ) पैट्रोल पम्प, केरोसिन डिपो आदि के वितरण में आरक्षण।

(7) सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद करने के लिए जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों, पंजीकृत सोसायटियों,

---

*ये योजनाएं 20.1.99 से "विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना" नामक एक व्यापक योजना में शामिल कर ली गई हैं।

अथवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इस प्रकार इस योजना के इस कार्यान्वयन में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों एजेंसियों को लगाया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 5000/- रुपए तक मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को 50 रुपए से 6000 रुपए तक की लागत के सहायक यंत्र तथा उपकरण नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं और 5001 रुपए से 8000 रुपए के बीच मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को लागत के 50% पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

8. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

भारत सरकार ने हाल ही में "नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में मानसिक विकलांग सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता का शीघ्र पता लगाने और इसकी रोकथाम, शिक्षा, रोजगार आदि की व्यवस्था है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए विकलांग व्यक्तियों को आसान शर्तों पर ऋण सहायता और कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 24.1.1997 को एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम पंजीकृत किया गया है।

10. भारतीय पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद एक राष्ट्र स्तरीय सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों/कार्मिकों के प्रशिक्षण में एक समान मानकों को लागू करने, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव करने एवं अन्य संबंधित मामलों के लिए की गई। परिषद का पुनर्गठन जून, 1998 में किया गया।

परिषद द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन मुख्य कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं:

(1) राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स कार्यक्रम

(2) राष्ट्रीय चिकित्साधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता।

11. जिला पुनर्वास केन्द्र योजना

ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को काफी नजदीक से व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 के दौरान जिला पुनर्वास केन्द्र योजना शुरू की गई। ये केन्द्र व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:- (1) निवारण तथा शीघ्र पता लगाना, (2) चिकित्सा हस्तक्षेप तथा शल्यक्रिया से ठीक करना, (3) कृत्रिम सहायक यंत्र तथा उपकरण लगाना, (4) थेराप्यूटिकल सेवाएं अर्थात् भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, (5) व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, (6) स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाना। ये केन्द्र 11 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

12. भारतीय मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त केन्द्र, नई दिल्ली

मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त रोगियों को व्यापक उपचार, पुनर्वास सेवाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए इटली सरकार के सहयोग से भारतीय मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त केन्द्र की स्थापना की गई है। यह एशिया में अपनी किस्म का पहला केन्द्र है। यह केन्द्र ऐसे रोगियों के पुनर्वास के बहुआयामी पहलुओं में अनुसंधान भी करेगा। भारत-इटली सहयोग के अंतर्गत इस केन्द्र को इटली से मशीनें तथा तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार ने अवसंरचना संबंधी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा यह प्रतिवर्ष 30 नि:शुल्क बिस्तर भी प्रायोजित कर रही है।

[हिन्दी]

शहरी भूमि को वापस लौटाना

3080. श्री मोहन सिंह : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 को समाप्त करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किन-किन भूमि मालिकों की जमीन वापस किए जाने की संभावना है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इस भूमि का ब्यौरा और बाजार मूल्य क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और प्राधिकरण को कितना नुकसान होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) दिल्ली सरकार ने बताया है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को समाप्त करने के बाद किसी भी पूर्व भूमि मालिक को जमीन वापस करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पुलिस अधिनियम

3081. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) रिट याचिका (सिविल) 1996 की संख्या 310 में उच्चतम न्यायालय के 20 जुलाई 1998, के निदेशों के अनुसरण में भारतीय पुलिस अधिनियम में संशोधन समेत राष्ट्रीय पुलिस आयोग की लम्बित पड़ी सिफारिशों को लागू करने के तौर-तरीके सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की प्रथम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय मे फाईल कर दी गयी है। समिति द्वारा अपनी दूसरी और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, इसके कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 22.3.99 को उच्चतम न्यायालय में होनी है।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

3082. श्री विजय सिंह सोय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने राजभाषा सेवा के काडर में कतिपय ढांचागत परिवर्तनों की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस छोटे से काडर के प्रति उदासीन रवैया अपनाया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पांचवें वेतन आयोग की इन अनुशंसाओं के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) पांचवें वेतन आयोग ने निदेशक के वेतनमान को, संशोधन पूर्व वेतनमान 3700-5000 रु. से बढ़ाकर 4500-5700 रु. संशोधन पूर्व करने की सिफारिश की थी। उसने यह भी प्रस्ताव किया था कि उप निदेशक के वर्तमान पदों का पुन-वितरण करके 3700-5000 रु. (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के 20 पद सृजित किए जाय। यह सिफारिश भी की गई थी कि सहायक निदेशकों के वर्तमान पदों को पुन: वितरित करके 2500-4000 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1 के 65 पदों का सृजन किया जाये। सरकार ने, केवल सहायक निदेशकों के संबंध में ही वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से संबंधित अन्य सिफारिशों के बारे में, सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित सहमति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

तथापि, इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

जम्मू और कश्मीर में आई.एस.आई. की गतिविधियां

3083. श्री आर.एस. गवई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.एस.आई. (इंटर सर्विसेज इंटेलिजैंस) द्वारा जम्मू और कश्मीर में मीडिया के जरिए अपनी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के विरुद्ध कोई समानान्तर अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा एजेंसियों ने यह कार्य दूरदर्शन को सौंपने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु अन्य टी.वी. चैनलों को भी शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): (क) से (च) सरकार, इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

अस्पतालों को भूमि का आवंटन

3084. **श्री सुशील कुमार सिंह:**
डा. विजय सोनकर शास्त्री:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्कूलों और अस्पतालों को मुफ्त भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अस्पतालों और स्कूलों द्वारा इन्हें आवंटित की गई भूमि संबंधी प्रयोजनों/उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। अस्पतालों तथा स्कूलों को भूमि का आवंटन समय-समय पर अधिसूचित भूमि दर के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु कल्याण संगठन संबंधी सम्मेलन

3085. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ढोलका गुजरात में दिसम्बर 1998 में पशु कल्याण संगठन संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में मुख्य रूप से किन-किन बातों पर प्रकाश डाला गया; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का अधिग्रहण

3086. **श्री राजवीर सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इफको संयंत्र का विस्तार करने के लिए आंवला बरेली में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को अब तक मुआवजे की राशि और उनके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार नहीं दिया गया है; और

(ग) भूमिहीन और गरीब किसानों को कब तक मुआवजा और रोजगार दे दिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के आंवला, बरेली (उत्तर प्रदेश) स्थित आंवला संयंत्र के विस्तार के लिए कोई कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेयजल योजना

3087. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की व्यवस्था की योजना के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इस संबंध में राज्यवार क्या उपलब्धि रही;

(ख) पानी की समस्या का सामना कर रहे गांवों की राज्य-वार अद्यतन संख्या क्या है;

(ग) पानी की समस्या का सामना कर रहे गांवों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) विवरण I में संलग्न है।

(ख) विवरण II संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा तैयार कार्य योजनाओं के अनुसार राजस्थान की कुछ बसावटों को छोड़कर देश की सभी ग्रामीण बसावटों को नौवीं योजना अवधि के दौरान पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की सम्भावना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो।

विवरण I

आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गांवों/बसावटों की कवरेज

क्र.सं.	राज्य	कुल ग्राम/बसावटों (आठवीं योजना)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10569	11073
2.	अरुणाचल प्रदेश	740	1034
3.	असम	5228	5169
4.	विहार	56206	40441
5.	गोआ	309	305
6.	गुजरात	3936	3730
7.	हरियाणा	4183	3577
8.	हिमाचल प्रदेश	4244	4218
9.	जम्मू व कश्मीर	1401	1192
10.	कर्नाटक	35564	32433
11.	केरल	3287	3008
12.	मध्य प्रदेश	35350	54294
13.	महाराष्ट्र	16818	22086
14.	मणिपुर	1225	983
15.	मेघालय	2925	2672
16.	मिजोरम	928	885
17.	नागालैण्ड	540	264
18.	उड़ीसा	22645	29290
19.	पंजाब	2812	2215
20.	राजस्थान	16095	17047
21.	सिक्किम	499	432
22.	तमिलनाडु	14154	15872
23.	त्रिपुरा	3210	4260
24.	उत्तर प्रदेश	52994	62670
25.	पश्चिम बंगाल	19479	20045
	कुल	315341	339195

विवरण II

पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामीण बसावटों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	कवरेज की गई बसावटों की संख्या (एन.सी.) (आज की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	664
3.	असम	7438
4.	विहार	1681
5.	गोआ	35
6.	गुजरात	692
7.	हरियाणा	55
8.	हिमाचल प्रदेश	3869
9.	जम्मू व कश्मीर	2536
10.	कर्नाटक	1532
11.	केरल	973
12.	मध्य प्रदेश	4649
13.	महाराष्ट्र	1209
14.	मणिपुर	165
15.	मेघालय	997
16.	मिजोरम	24
17.	नागालैण्ड	448
18.	उड़ीसा	3814
19.	पंजाब	5906
20.	राजस्थान	4916
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	0
23.	त्रिपुरा	867
24.	उत्तर प्रदेश	384
25.	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	42854

छात्रावास

3088. श्री अशोक प्रधान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक जिले विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में छात्रावास के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक राज्य-वार कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर उत्तर प्रदेश को इस संबध में कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले वर्षों में राज्य-वार इस प्रकार के कितने छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है और ये किन-किन स्थानों पर बनाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए कोई सामान्य केन्द्रीय योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सहायक अभियंताओं को विशेष वेतन

3089. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''नानफील्ड''/''प्लानिंग ड्यूटी'' पर काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के सहायक अभियंताओं के लिए 1993 में किसी विशेष वेतन का अनुमोदन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के उक्त निर्णय का क्रियान्वयन अभी तक के.लो.नि.वि. में नहीं किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) के.लो.नि.वि. के सहायक अभियंताओं को बढ़े हुए वेतन तथा उसके ''एरियर'' (शेष राशि) का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) गैर फील्ड आयोजना ड्यूटी (नान फील्ड प्लानिंग ड्यूटीज) में कार्यरत सहायक इंजीनियरों को कोई विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया गया था। तथापि, श्री सिबल द्वारा भारत सरकार के खिलाफ दायर ओए सं. 1029/87 में के.प्रशा. अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 8.12.92 के निर्णय के अनुपालन में के.लो.नि.वि. के केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन में कार्यरत इंजीनियर श्री बी.के. सिबल को विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था। कुछ अन्य सहायक इंजीनियरों, जो तत्समय के.अभि.संग. में कार्यरत थे या जिन्होंने पहले वहाँ कार्य किया था, ने श्री बी.के. सिबल के मामले के अनुरूप विशेष वेतन की स्वीकृति के लिए 1994 में के.प्रशा. अधिकरण में मामला दायर किया था। यह मामला अभी भी लंबित है। इसे देखते हुए अन्य सहायक इंजीनियरों को इस स्थिति में विशेष वेतन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

अशक्त व्यक्ति, समान अवसर और अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 की समीक्षा

3090. श्री संदीपान धोरात:
श्री सोडे रमैया:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री एन.जे. राठवा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ''अशक्त व्यक्ति समान अवसर और अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995'' के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राज्य-वार निर्धारित मापदंडों और पाई गई कमियों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य और सर्वोच्च स्तर पर निगरानी व्यवस्था और अशक्त व्यक्तियों के लिए नई/चालू योजना के लिए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समाज कल्याण के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन दिनांक 12.2.1997 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राज्य शिक्षा तथा श्रम सचिवों को अधिनियम के बारे में सुग्राही बनाने के लिए क्रमश: 1997 और 1998 में इसी प्रकार के सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि इस अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोग की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्र स्तर पर नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त हैं। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति तथा सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त राज्य समन्वय समिति, राज्य कार्यकारी समिति है जो नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के कार्यक्रमों तथा योजनाओं हेतु

राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोग की मानीटरिंग करते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में कई राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। राज्य सरकारें, राज्य क्षेत्र में नि: शक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी मुख्यत: गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पात्रता संबधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रस्तावों के लिए निधियां स्वीकृत की जाती हैं और राज्यवार कोई विशेष आवंटन नहीं है।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उच्च स्तर पर उठाया है। वास्तव में, प्रधानमंत्री जी ने भी इस अधिनियम के प्रावधानों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों की प्रगति की मानीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा जारी रखी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद

3091. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में मादक पदार्थों संबंधी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) इन गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) आसूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि नशीली दवाओं की तस्करी और पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों के बीच संबंध है। म्यांमार से भारत के लिए नशीली दवाएं मोरेह से इम्फाल में और वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के रास्ते आती हैं। आसूचना रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि नशीली दवाओं के व्यापार में और नशीली दवाओं से प्राप्त धन से हथियारों की खरीद में एन.एस.सी.एन. और उल्फा संलिप्त है। इस बात की पुष्टि, पूर्वोत्तर के भागों में, विशेष रूप से मणीपुर में, नशीली दवाओं की व्यापक घटनाओं से होती है।

इन गतिविधियों में संलिप्त संगठनों को, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत "विधि विरुद्ध संगठन" घोषित किया गया है और इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

(1) सभी प्रवर्तन एजेन्सियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और एन.डी.एफ.एस. अधिनियम में निहित सख्त उपबन्धों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास तेज करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) अधिकारियों को, उनकी प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन और संचार उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं।

(3) एन.डी.एफ.एस. अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेन्सियों के अलावा सीमा सुरक्षा बल, जिसे भू और तटीय सीमा पर तैनात किया जाता है, को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, सीमा पर नशीली दवाओं को निषेध करने की शक्तियां दी गयी हैं।

(4) नशीली दवाओं की मांग को कम करने और इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा, म्यांमार की संघ सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता किया है।

(5) नशीली दवाओं के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता दी गई है।

आतंकवादियों की घुसपैठ

3092. श्रीमती रानी नरह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य भागों में आतंकवादियों की घुसपैठ के संबंध में एक रिपोर्ट, केन्द्र सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पिछले अनेक दशकों में पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन और इस संबंध में कि ये प्रवासी, असम के लोगों की पहचान और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, के बारे में असम के राज्यपाल ने 8.11.98 को भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी है।

(ग) भारत के बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की समस्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा, दोनों पर, गश्त को गहन करना, सीमा सड़कों के निर्माण और बाड़ लागने का त्वरित कार्यक्रम, सीमा बुर्जों की संख्या में वृद्धि, निगरानी उपकरणों आदि का प्रावधान शामिल है। इस मामले को कई अवसरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति का विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियों के कारण मारे गए व्यक्ति

3093. श्री दत्ता मेघे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक आतंकवादी गतिविधियों में राज्य-वार कितने नागरिक सुरक्षा कर्मी/आतंकवादी मारे गये हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं अत: इस संबंध में ठोस कदम उठाना और विभिन्न तरीके निकालना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवादी विरोधी अभियानों का समन्वय करने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना का राज्यों के बीच आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत हथियारों की आपूर्ति, अर्ध सैनिक बलों की तैनाती इत्यादि के रूप में राज्य सरकारों को सहायता भी दी जा रही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, प्रभावित राज्यों में से कुछ को, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें आवंटित धन के अलावा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और हथियारों की आपूर्ति की जा रही है।

विवरण

चालू वर्ष (10.3.1999 तक) के दौरान आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण

राज्य	मारे गए व्यक्तियों की संख्या		
	सिविलियन	एस.एफ./पुलिस	उग्रवादी
जम्मू और कश्मीर	108	34	140 (चालू वर्ष के दौरान 28.2.99 तक)
असम	58	10	21
मणिपुर	16	17	16
मेघालय	4	2	2
नागालैंड	3	–	18
त्रिपुरा	37	–	4

व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

3094. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.सी.ए., एम.बी.ए., बी.फार्मा, एफ. फार्मा. और होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे सांविधिक निकायों के बीच समन्वय के अभाव के कारण व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति रुकी हुई है;

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्यावसायिक संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने का विशेष उल्लेख करते हुए उनकी स्वायत्तता क्षीण होने की शिकायत की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हाँ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के उपबंधों के अनुसार एम.सी.ए., एम.बी.ए., बी. फार्मा, एम. फार्म, और होटल प्रबंधन के पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति आवश्यक है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे सांविधिक निकायों के बीच समन्वय का कोई अभाव नहीं है अथवा व्यावसायिक तकनीकी संस्थाओं के संबंध में किन्हीं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता क्षीण नहीं हुई है।

सड़कों पर पीली रेखायें

3095. **श्री तसलीमुद्दीन:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय ने भारी वाहनों के आवागमन हेतु दिल्ली की सड़कों पर पीली रेखायें खिंचवाने हेतु सरकार को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) ऐसी पीली रेखाओं के खींचने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कानून कारगर रूप से लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में कानून को कारगर रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी, हाँ। श्रीमान्।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम ने सड़कों पर पीली रेखाएं खिंचवाने के संबंध में 1997-98 के दौरान 55.35 लाख रुपये खर्च किए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, स्वदेश निर्मित और सरकार द्वारा अनुमोदित ब्रीथ एनालाइजर की अनुपलब्धता के कारण शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध नियमों को सख्ती से लागू करने में इस समय, कुछ हद तक अक्षम है। हाल ही में एक देशी निर्माता ने इस उपकरण का निर्माण प्रारम्भ किया है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार द्वारा इस नए उपकरण को अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात दिल्ली पुलिस को अपने उपयोग के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान ब्रीथ एनालाइजर खरीदने की योजना है।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें

3096. **श्री रामचन्द्र मलिक:**
श्री अमन कुमार नागरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आपराधिक मामलों में लिप्त दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की जा चुकी है;

(ग) कितनी शिकायतें लंबित पड़ी हैं/खारिज की जा चुकी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने पुलिस कार्मिकों को आपराधिक मामलों में लिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) कानून लागू करने वाली एजेंसियों में कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन मामलों की वर्तमान स्थिति विवरण-II में दर्शायी गयी है।

(घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या
1996	208
1997	178
1998	158

(ङ) से (च) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई में, आपराधिक मामलों का दर्ज करना, अनुशासनिक कार्रवाइयां शुरू करना और समुचित दण्ड दिया जाना और निलम्बन जैसे अन्य प्रशासनिक उपाय शामिल हैं। ये उपाय बल में अनुशासन के विरुद्ध निवारण के रूप में कार्य करते हैं।

विवरण I

अपराध का स्वरूप	1996	1997	1998
1	2	3	4
हत्या/हत्या का प्रयास	21	8	20
धन ऐंठना/लूटपाट	9	10	8
अपहरण	4	3	3
बलात्कार/छेड़छाड़	6	9	4
धोखाधड़ी/चोरी	14	8	10
चोट पहुंचाना	32	25	24
भ्रष्टाचार	28	21	20
विविध	59	54	47
कुल	173	138	136

विवरण II

वर्ष	मामलों की सं.	जांच-पड़ताल के लिए लंबित मामले	विचारण के लिए लंबित मामले	निर्णित मामले
1996	173	66	93	14
1997	138	95	40	3
1998	136	99	35	2

कालिजों में भर्ती अभियान

3097. श्री वी.वी. राघवन:
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री राम विलास पासवान:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बैंक-लॉग समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर

जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने 31 जुलाई, 1996 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय और सम-विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापन और गैर अध्यापन आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया जा सकता है। विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जानी चाहिए। रोस्टर के अंतर्गत रिक्त पदों को केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा इस संबंध में सरकार के विनियमों का अनुकरण किए बिना उन्हें आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग के निर्णय के बारे में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों को अक्तूबर, 1996 में सूचित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आरक्षण नीति के संबंध में विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष परिपत्र/दिशानिर्देश भी जारी करता है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास

3098. श्री गुरुदास कामत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास के लिए नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में अल्पसंख्यक सुरक्षा और विकास आयोग का गठन नहीं किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास के लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अल्पसंख्यकों को संरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकार की है।

2. केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रण में रखने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय करती आ रही है। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:

(1) राज्य सरकारों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना।

(2) समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह भेजना।

(3) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, इत्यादि उपलब्ध करवा कर राज्य सरकारों को मदद करना। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों और तनाव को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष बल, नामत: द्रुत कार्रवाई बल का गठन किया है।

(4) उनकी पुलिस के मूलभूत ढांचे के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों को मदद देना।

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, संविधान और अन्य विधायनों में किए गए सुरक्षापायों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु उन्हें कारगर रूप से लागू करने के लिए सिफारिशें करता है।

4. सरकार का यह दृढ़ मत है कि किसी समुदाय के प्रति हिंसा के कृत्यों, चाहे वे कहीं भी और किसी भी रूप में किए गए हों, से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए तथा ऐसी हिंसा करने वालों को निवारक सजा दी जानी चाहिए।

5. जहां तक अल्पसंख्यकों के विकास का प्रश्न है, भारत सरकार अल्पसंख्यकों की समस्याओं के प्रति सजग है और उनके सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए चिन्तित है। इस बारे में पहले ही विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं। संबंधित स्कीमें निम्नानुसार हैं:

(1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम।

(2) मदरसों और मकतबों का आधुनिकीकरण।

(3) सामुदायिक पोलिटेकनिक की स्कीम।

(4) आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर, कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग।

(5) मौलाना आजाद एडुकेशन फाउंडेशन की स्कीम।

(6) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम।

(7) मल्टी-सेक्टोरल विकास योजना बनाई जाना।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण और विकास के लिए किसी नई नीति पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है जिसे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त भी कहा जाता है। इस विशेष अधिकारी की ड्यूटी, संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किए गए सुरक्षापायों से संबधित सभी मामलों की जांच करना और इन सभी मामलों पर राष्ट्रपति को अपनी आवधिक रिपोर्ट भेजना है। भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी ने अब तक सरकार को 34 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं इनमें से 33 रिपोर्टें सदन में रखी जा चुकी हैं।

विधानमण्डलों में विकलांगों के लिए कोटा

3099. श्री एन.जे. राठवा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कानून बनाकर राज्य विधानमण्डलों में विकलांगों के लिए कोटा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा. अम्बेडकर स्मारक योजना

3100. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से डा. अम्बेडकर स्मारक परियोजना के निर्माण हेतु 26 अलीपुर रोड के स्थान पर एक वैकल्पिक स्थल के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस स्मारक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा 26, अलीपुर रोड, दिल्ली के स्थान पर सिविल लाईन क्षेत्र में पड़े भूखण्ड अर्थात् खसरा सं. 560 की पहचान की गई। दिनांक 18.2.99 को आयोजित पिछली बैठक में मैसर्स जिंदल को भूखण्ड के अंतरण के मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि भूखण्ड की वाणिज्यिक भूमि के रूप में पहचान की गई थी न कि आवासीय प्रयोग के लिए। यह मामला शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय तथा 26, अलीपुर रोड के स्वामियों के साथ सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3101. श्री भर्तृहरि मेहताब: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान उड़ीसा को अपने कालेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उड़ीसा में उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए धन प्रदान किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वि.अ.आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 120.00 लाख रु. तथा 184.00 लाख रु. की राशि क्रमश: 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उड़ीसा में कालेजों को आवंटित की गई थीं।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए आवंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) उन जिलों के नाम जिनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए निधियाँ प्रदान की गई, नीचे दिए गए हैं:

1. बोलंगीर
2. सुन्दरगढ़
3. सम्बलपुर
4. सोनपुर
5. कटक
6. जगतसिंह पुर
7. केन्द्रपाड़ा
8. मयूरभंज
9. पुरी
10. बालासोर
11. दियोगढ़
12. बार गढ़
13. धेन कनाल
14. नया गढ़
15. खुर्द

मध्य प्रदेश के आदिवासी मांडला जिले में पेयजल

3102. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मांडला को गत दो वर्षों के दौरान फ्लोराइड प्रभावित जिला घोषित किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रभावित गांवों की संख्या 400 से अधिक है और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक प्रभावित गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन्हें धनराशि उपलब्ध करायी जाती है;

(घ) क्या धनराशि का उपयोग सभी प्रभावित गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रभावित गांवों को कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) जल आपूर्ति राज्य का विषय है, और राज्य अनुकूल जल आपूर्ति पद्धतियां राज्यों द्वारा तैयार की जाती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के जरिए तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मण्डला जिले में सभी पेयजल स्रोतों की गुणता की जांच की है और 335 ऐसे गांवों की पहचान की है जिनमें पेयजल स्रोतों में अधिक फ्लोराइड है। भारत सरकार ने फ्लुरोसिस को नियंत्रित करने के लिए उप मिशनों के भाग के रूप में मण्डला जिले के सभी 335 फ्लोराइड प्रभावित गांवों को शामिल करने के लिए दो चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली एक फलुरोसिस नियंत्रण परियोजना अनुमोदित की थी। 594.42 लाख रु. की राशि भी जारी कर दी गई है। परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1998 तक 566.19 लाख रु. के खर्च की सूचना दी है। ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों की हत्या

3103. श्री सुशील चन्द्र वर्मा:
श्री ए.सी. जोस:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सहित देश के अन्य स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की हत्याएं हुई हैं, उनके बलात्कार हुए हैं और उन पर हमले हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राशि क्या है;

(ङ) क्या इससे भारत के बारे में गलत संकेत गए हैं और विदेशी पर्यटकों ने भारत आना बंद कर दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने राज्यों को ऐसे कोई निदेश जारी किए हैं जिनसे विदेशी पर्यटकों पर देश में और हमले न हों; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3104. **श्री राजमोहन राम:**
श्री तारिक अनवर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री ए.सी. जोस:
श्री देवेन्द्र बहादुर राय:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कोई कानून व्यवस्था चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं का अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/दण्डित किया गया; और

(ङ) बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क), (ख) और (ङ) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ समय से चिन्ता का विषय बनी रही। अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, बिहार में 12.2.1999 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तथापि, इस संबंध में की गयी उद्घोषणा 8.3.1999 को रद्द कर दी गई। इस अवधि के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया गया वामपंथी उग्रवादियों, सेना कार्यकर्त्ताओं और अपराधियों के छिपने के अड्डों पर गहन छापे मारे गए जिसके परिणामस्वरूप 150 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) और (घ) इस संबंध में, संगत सूचना देते हुए दो विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण I

1995 से 1997 के दौरान बिहार में भा.द.सं. अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	1995	1996	1997
1	2	3	4	5
1.	हत्या	5050	5264	5354
2.	हत्या का प्रयास	4597	4637	4663
3.	हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध	622	590	578
4.	बलात्कार	1312	1453	1457
5.	अपहरण और व्यपहरण	2070	2378	2425

1	2	3	4	5
6.	डकैती	2566	2450	2392
7.	डकैती की तैयारी, और डकैती डालने के लिए एकत्र होना	203	228	208
8.	लूटपाट	2678	2955	2931
9.	सेंधमारी	6728	6563	5955
10.	चोरी	17244	16782	14959
11.	दंगे	12368	12449	11997
12.	आपराधिक विश्वास भंग	1440	1693	1318
13.	धोखाधड़ी	1572	1846	1668
14.	जालसाजी	54	32	90
15.	आगजनी	उ.न.	441	570
16.	चोट/गंभीर चोट पहुंचाना	उ.न.	4805	5514
17.	दहेज के कारण मृत्यु	उ.न.	478	761
18.	छेड़छाड़	उ.न.	533	612
19.	यौन उत्पीड़न	उ.न.	107	48
20.	पति या रिस्तेदारों द्वारा क्रूरता	उ.न.	675	974
21.	भा.द.सं. के अन्य अपराध	57094	50658	53127
22.	भा.द.सं. के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध	113598	117017	117401

स्रोत: भारत में अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. उ.न. का अर्थ है "आंकड़े उपलब्ध नहीं"।

2. 1997 के आंकड़े अनंतिम है।

*वर्ष 1998 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण II

बिहार में 1995 से 1997 के दौरान भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध जिनमें आरोप पत्र दाखिर किए गए, (सी एच), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (ए) और दोष सिद्ध व्यक्ति (सी)

अपराध शीर्ष		1995			1996			1997		
		सी एच	ए	सी	सी एच	ए	सी	सी एच	ए	सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हत्या	3467	10585	2161	3619	12089	2053	3429	10046	1776
2.	हत्या का प्रयास	3862	12100	2243	3816	12329	2455	3569	9574	1628
3.	हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध	381	1122	400	389	982	178	338	978	109
4.	बलात्कार	1040	1948	615	1146	2107	620	1158	1964	381
5.	अपहरण और व्यपहरण	1455	4112	811	1571	4307	941	1527	4520	504
	(1) महिलाओं और लड़कियों का	655	1465	585	719	1647	471	695	1403	181
	(2) अन्य का	800	2647	226	852	2660	470	832	3117	323
6.	डकैती	1240	5968	2665	1503	5871	2059	1235	5334	831
7.	डकैती की तैयारी और डकैती डालने के लिए एकत्र होना	195	1389	202	176	897	216	178	945	147
8.	लूटपाट	1348	4934	681	1605	4613	972	1495	4465	571
9.	सेंधमारी	1909	7566	757	2243	5943	1327	1940	3942	747
10.	चोरी	7193	19209	7864	8008	18111	5605	8023	14821	2547
11.	दंगे	10728	65399	8192	10042	57579	31036	9188	49736	8939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	आपराधिक विश्वास भंग	986	2416	269	1349	3013	595	960	1657	335
13.	धोखाधड़ी	1126	2872	330	1194	2879	1333	1088	2502	454
14.	जालसाजी उ.न.	23	86	3	24	55	10	19	339	86
15.	आगजनी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	264	700	37	260	1394	108
16.	चोट/गंभीर चोट पहुंचाना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3894	9675	517	4408	14496	1010
17.	दहेज के कारण मृत्यु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	364	1378	46	482	1830	222
18.	छेड़छाड़	उ.न.	उ.न.	उ.न.	381	772	44	434	927	66
19.	यौन उत्पीड़न	उ.न.	उ.न.	उ.न.	78	125	3	31	62	43
20.	पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	487	1541	60	610	2145	159
21.	भा.द.सं. के अन्य अपराध	42221	103404	15501	37912	90900	28478	38748	94752	9591
22.	भा.दं.सं. के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध	77174	243109	42694	80065	235966	78585	77120	226429	30254

टिप्पणी : स्रोत : भारत में अपराध आंकड़े।

1. उ.न. का अर्थ है "आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
2. 1997 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 1998 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

चावल की तस्करी

3105. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा से हो रही चावल की तस्करी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य से विशेषरूप से कालाहांडी जिला से जो प्रत्येक वर्ष खाद्य की भयानक कमी की चपेट में रहता है, से चावल की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडो-डच प्रोग्राम ऑन ऑलटरनेटिव एंड डेवलपमेंट

3106. **श्री ए. गणेशमूर्ति:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स के भूगोल विभाग ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् और इंडो-डच प्रोग्राम ऑन आलटरनटिव एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस कार्यक्रम में क्या भूमिका है;

(ग) क्या जनवरी में दिल्ली में सी.एस.एस.आर.-आई.डी.पी.ए.डी. की बैठक हुई थी और इंडो-डच सेमिनार हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी और इसके क्या परिणाम रहे और इसमें किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया था और उनकी विशेषज्ञ राय क्या थी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स का भूगोल विभाग, विकास के विकल्पों पर भारत-डच कार्यक्रम (आई.डी.पी.ए.डी.) के वर्तमान चरण में पर्यावरण तथा स्थायी विकास शीर्षक के अंतर्गत एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो शीतोष्ण अनुसंधान के विकास हेतु आई.सी.एस.एस.आर. तथा नीदरलैंड फाउन्डेशन (डब्ल्यू.ओ.टी.आर.ओ.) का सहयोग कार्यक्रम है।

(ख) सरकार ने आई.डी.पी.ए.डी. को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है किन्तु इस परियोजना के कार्यान्वयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। एक सामूहिक बैठक दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स में 29-30 जनवरी, 1999 को आयोजित की गई थी जो परियोजना कार्यान्वयन का अभिन्न अंग है।

चर्चा किए गए मामलों इनके नतीजों तथा भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

आई.सी.एस.एस.आर.-आई.डी.पी.ए.डी. की सामुहिक बैठक-विचार-विमर्श किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे

परियोजना प्रस्तुतीकरण सं. 1

महत्वपूर्ण मुद्दे: शहरी विकास में राज्य की बदलती भूमिका: दिल्ली (भारत) तथा कोलम्बो (श्रीलंका) के नगरीय क्षेत्रों में अनियोजित विकास के संदर्भ में शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान

परियोजना प्रतिनिधि: प्रो. अमिताभ कुंडु, सी.एस.आर.डी., जे.एन.यू., नई दिल्ली

परियोजना प्रस्तुतीकरण सं. 2

महत्वपूर्ण मुद्दे: आधार स्वदेशी पहल और स्थायी विकास: स्थायी विकास के लिए आधार स्वदेशी पहलों आयोजन और कौशल की सक्षमता का पता लगाया जाना: शहरी तथा ग्रामीण तमिलनाडु में नीति कार्यान्वयन एवं संपोषण के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियाँ

परियोजना प्रतिनिधि: प्रो. डी. कोल्फ, लेडेन विश्वविद्यालय, प्रो. पी. अप्पासामी, सुश्री बेन एवार्ड एवं श्री अजित मैनन, विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई

परियोजना प्रस्तुतीकरण सं. 3

महत्वपूर्ण मुद्दे: दिल्ली ग्रामीण-शहरी सीमांत में पर्यावरणीय अवक्रमण तथा इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

परियोजना प्रतिनिधि: डा. आर.बी. सिंह, भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

परियोजना प्रस्तुतीकरण सं. 4

महत्वपूर्ण मुद्दे: व्यवहार में स्थायी : भारत में शहरी घरेलू कचरा प्रबंधन में नए अन्वेषण का पता लगाया जाना

परियोजना प्रतिनिधि: डॉ. एम. नागेश्वर राव, श्री चार्ल्स नेल्सन, सामाजार्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर

सामूहिक बैठक की महत्वपूर्ण सिफारिशें और निष्कर्ष:

1. मुख्य कृषीय भूमि की कमी को रोकने हेतु भूमि अतिक्रमण के संबंध में सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाने और संभव हो तो विधान लाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

2. आधुनिक प्रौद्योगिकियों, संस्थाओं और प्रणाली विज्ञानों/ विश्व पर्यावरणीय परिवर्तन (जी.ई.सी.)। पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नगरीय विकास में मानवीय आयामों की मानीटरिंग करने तथा उन्हें समझने के लिए भूमि उपयोग को शामिल करना। परिवर्तन करना (एल.यू.-सी.सी.) तथा समेकित प्रभाव मूल्यांकन (आई.आई.ए.)

3. नगरीय सीमांत क्षेत्रों में प्रवजन तथा गरीबी की मानीटरिंग करने और उनका नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अधिकतम प्रवजन वाले क्षेत्रों के आर्थिक विकास के माध्यम से ही इन समस्याओं पर बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है।

4. आधार स्तरों से शुरू करते हुए तथा बोर्डों को विकास की मौलिक इकाई मानते हुए स्थायी पड़ौस के विकास के लिए प्रणाली दृष्टिकोण का विकास।

5. संसाधनों और अर्थ तंत्र के विकास एवं प्रबंधन में रिमोट सेसिंग, जी.आई.एस. और नेटवर्किंग का उपयोग ताकि ऐसी प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर के निर्णय का अभिन्न अंग बन सके।

6. सक्षम क्षेत्रों में उत्पादक प्रणाली, कल्याण योजनाओं तथा आधार भूत ढाँचे के संतुलित विकास के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन पर बल दिया जाना।

7. घरेलू और स्थानीय प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से ठोस और तरल कचड़ों को निकालने के सही तरीके के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।

8. विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों (दिल्ली जैसे, दिल्ली रिज और यमुना नदी) के संरक्षण, प्रभावी डाटाबेस तैयार करने तथा प्रबंधन विकास पद्धति के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया जाना अनिवार्य है।

9. शहरी आधारभूत सुविधाओं के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, नियमन तंत्र को लागू करना और अनौपचारिक क्षेत्रों तथा कमजोर ग्रामीणों की विशेष देखभाल करना।

10. गैर योजनाबद्ध शहरी विकास को रोकने के लिए (1) जनसंख्या को सैट लाइट नगरों की ओर उन्मुख करके शहर के विकास को सीमित करना (2) निजी क्षेत्रों द्वारा आवास में वृद्धि करना तथा सफाई रखना।

11. विकास कार्यक्रमों में एनर्जी दक्षता में बल देने की आवश्यकता।

12. "रूफ टोप वाटर हारवेस्टिंग" के विकास के माध्यम से पानी की कमी की समस्या को दूर करना।

13. पर्यावरण, ऊर्जा तथा अर्थ व्यवस्था के संबंध में नीतिगत मामलों में जन-सहभागिता, कार्य तथा जागरूकता विकसित करना।

14. युवा अनुसंधानकर्त्ताओं की भागेदारी तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना और नीति संबंधी विकास के लिए उनकी उपलब्धियों का उपयोग करना।

15. ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश (1) गांवों को गन्दी बस्तियां बनने से रोकना (2) भूमि उपयोग योजनाओं तथा भवन उप नियमों को लागू करने के तरीकों का पता लगाना, (3) यातायात नेटवर्क, सीवेज और जल संबंधी निकास की चैकिंग करना (4) ऊर्जा, सिंचाई तथा संचार के सुरक्षित संचरण के लिए तरीकों का पता लगाना।

16. पानी और वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए नागरिकों में नागरिक भावना तथा उत्तरदायित्व का विकास।

17. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर्त्तव्यों तथा प्रशासन की समुचित रूप-रेखा प्रस्तुत करना।

मुख्य सहभागियों की सूची

प्रो. बी. ठाकुर
प्रमुख, भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. आर.बी. सिंह,
परियोजना निदेशक, आई.सी.एस.एस.आर.-आई.डी.पी.ए.डी. परियोजना एवं सेमिनार संयोजक,
भूगोल विभाग

प्रो. डा. डी.एच.ए. कौल्फ,
लेडन विश्वविद्यालय, नीदरलैंड

डा. ए.पी. मित्रा, एफ.आर.एस.,
विख्यात अवैतनिक वैज्ञानिक, एन.पी.एल.,
पूर्व-महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. एवं अध्यक्ष,
एस.ए.एस.सी.ओ.एम.

श्रीमती कृष्णा सिंह,
आई.ए.एस., मुख्य सलाहकार योजना आयोग,
भारत सरकार

प्रो. अभय मान सिंह,
निदेशक, साऊथ कैम्पस,
दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. सी.पी. सिंह,
भूगोल विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री के.सी. शिवरामाकृष्णन,
विजिटिंग प्रोफेसर, नीति अनुसंधान केन्द्र

श्री आर.पी. सिंह,
सहायक महा रजिस्टार (मैप), नई दिल्ली

डा. कुलवंत सिंह,
कार्यकारी निदेशक, मानवीय निपटान प्रबंध संस्थान,
नई दिल्ली

प्रो. आर.पी. मिश्रा,
पूर्व उप-निदेशक, क्षेत्रीय विकास संयुक्त राष्ट्र केन्द्र,

डा. पोल पी. अप्पा स्वामी,
निदेशक, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान,

डा. एस.डी. मेहता,
निदेशक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

श्री एल. मंडेला,
कार्यक्रम विशेषज्ञ, यूनेस्को,

प्रो. अमिताभ कुंडू,
सी.एस.आर.डी., जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रो. मोहम्मद शफी,
पूर्व कुलाधिपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

श्री डी.आर. सिक्का,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

डा. सूर्य कांत,
पंजाब विश्वविद्यालय

श्री तेजवीर सिंह राणा

श्री जगमोहन

सुश्री अंजना माथुर

सुश्री मोनिका राणा

प्रो. सुदेश नांगिया,
अध्यक्ष सी.एस.आर.डी., जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

डा. बी.के. राय,
पूर्व-निदेशक, एन.ए.टी.एम.ओ., भारत सरकार

डा. अन्नू कपूर,
भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. टी.पी. सिंह,
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

सुश्री बैन अर्ड

श्री अजीत मेनन

प्रो. एल.एस. भट्ट,
पूर्व अध्यक्ष, एन.ए.जी.आई., भारतीय सांख्यिकी संस्थान

प्रो. सुबीर शाहा,
अध्यक्ष, आवास विभाग, योजना एवं वास्तु कला स्कूल,

प्रो. एम.एस. गिल,
पंजाबी विश्वविद्यालय

डा. मुहम्मद रियाज,
एन.आई.एस.टी.ए.डी., नई दिल्ली

श्री आर.एन. सिंह,
पूर्व-मुख्य-क्षेत्रीय प्लानर, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड

श्री एम.ए. कुरेशी,
एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस., नई दिल्ली

डा. एन.पी. चौबे,
महा सचिव, भारतीय समाज विज्ञान अकाडमी, इलाहाबाद

प्रो. एच.एस. मंगत,
पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला

श्री एम.एम. दत्ता,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली

डा. एम. नागेश्वर राव
श्री चार्ल्स नेल्सन

प्रो. गोपाल कृष्ण
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

प्रो. एस.के. अग्रवाल,
भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. सुभान खान,
एन.आई.एस.टी.ए.डी.ए., नई दिल्ली

प्रो. एजाजुद्दीन अहमद,
सी.एस.आर.डी., जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. गंगाधर झा,
राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान

श्री राम टहन,
पी.सी.पी.ओ., भारत सरकार

डा. एस.बी. सिंह,
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार

डा. एस.पी. बंसल,
निदेशक, (योजना) दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रो. वी.एस. परमा,
रसायन विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. रियाज अख्तर
कश्मीर विश्वविद्यालय

डा. पी.एस. दत्ता,
आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली

डा. जगदीश बहादुर,
विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली

श्री ओ.पी. टंडन,
पूर्व सचिव - सुरक्षा, भारत सरकार

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार

3107. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्कूलों और कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और वरीय माध्यमिक स्कूलों में सभी स्तरों पर उक्त शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए भी ऐसी कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में अब तक कितने स्कूलों और कालेजों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है;

(घ) आठवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने कितना वित्तीय आवंटन किया और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितनी राशि जारी की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम की क्या सफलताएं रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता परियोजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से अनुदान नहीं रखा जाता।

(ग) "क्लास" योजना के तहत शामिल किए गए स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) 8वीं योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 146.00 करोड़ रु. का वित्तीय आवंटन किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) इस कार्यक्रम के तहत 4969 स्कूल शामिल किए गए हैं।

विवरण-I

स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) योजना के तहत शामिल स्कूलों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	"क्लास" योजना के तहत शामिल स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	172
2.	अरूणाचल प्रदेश	20
3.	असम	102
4.	बिहार	123
5.	गोवा	70
6.	गुजरात	171
7.	हरियाणा	127
8.	हिमाचल प्रदेश	214
9.	जम्मू और कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	377
11.	केरल	177
12.	मध्य प्रदेश	422
13.	महाराष्ट्र	404
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	42
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा	117
19.	पंजाब	137
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	22
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	46
24.	उत्तर प्रदेश	434
25.	पश्चिम बंगाल	257
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	8
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	210
29.	दादर और नगर हवेली	9
30.	दमन और दीव	4
31.	लक्षद्वीप	9
32.	पांडिचेरी	8

विवरण-II

स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) योजना के तहत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 जारी किया गया अनुदान	1996-97 जारी किया गया अनुदान	1997-98 जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	113.7	1.01	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.20	14.57	—
3.	असम	74.40	9.30	—
4.	बिहार	98.40	शून्य	—
5.	गोवा	56.00	23.15	49.00
6.	गुजरात	108.80	1.18	—
7.	हरियाणा	45.60	52.35	—
8.	हिमाचल प्रदेश	55.92	186.90	300.46
9.	जम्मू और कश्मीर	34.40	0.34	—
10.	कर्नाटक	104.00	373.40	—
11.	केरल	125.60	91.15	—
12.	मध्य प्रदेश	137.60	347.24	595.53
13.	महाराष्ट्र	208.80	285.28	—

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	16.00	16.53	—
15.	मेघालय	28.80	20.84	—
16.	मिजोरम	9.60	13.63	—
17.	नागालैंड	8.80	15.00	—
18.	उड़ीसा	93.60	93.60	—
19.	पंजाब	109.60	88.64	—
20.	राजस्थान	123.20	59.37	—
21.	सिक्किम	12.80	16.17	—
22.	तमिलनाडु	110.40	112.32	—
23.	त्रिपुरा	12.00	16.21	—
24.	उत्तर प्रदेश	236.80	71.46	—
25.	पश्चिम बंगाल	165.60	192.28	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.60	15.50	—
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	6.40	शून्य	—
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	64.00	88.37	85.09

1	2	3	4	5
29.	दादर और नगर हवेली	7.20	0.70	—
30.	दमन और दीव	0.80	3.10	—
31.	लक्षद्वीप	7.20	शून्य	—
32.	पांडिचेरी	6.40	—	—

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

3108. श्री एच.पी. सिंह : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के कितने भंडारगारों में अनाज ढोने वालों/श्रमिकों को नियमित किया गया है/अभी भी ठेका प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत है;

(ख) ठेका प्रणाली को जारी रखने का क्या कारण है;

(ग) कितने भांडागारों में ठेका श्रमिक भविष्य निधि सुविधा का लाभ उठा रहे है;

(घ) क्या श्रमिकों को ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत वेतन दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ङ) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढके डिपुओं की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

भारतीय खाद्य निगम (अपने)	530
निम्न किराये पर लिए गए	
केन्द्रीय भंडारण निगम	140
राज्य भंडारण निगम	344
राज्य सरकार	131
निजी पार्टियां	242
जोड़	1387

उपर्यक्त डिपुओं में से निम्नलिखित डिपु निगम की विभिन्न हैंडलिंग प्रणालियों के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं:-

विभागीय प्रणाली के अधीन	203
सीधे भुगतान प्रणाली	143
तीन सदस्यीय समिति की प्रणाली	91
जोड़	437

किराये के अधीन डिपुओं की संख्या विभिन्न राज्यों में भंडारण स्थान के लिए निगम की जरूरत के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है।

केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण के डिपुओं/भांडागारों, जहां भंडारण स्थान भारतीय खाद्य निगम ने किराये पर लिये हुए हैं, में हैंडलिंग व्यवस्था आमतौर पर भंडारण निगमों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार, भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं (किराये के और अपने) जो सीमित अवधि के लिए ठेका श्रम प्रणाली के तहत कार्य कर रहे हैं, की संख्या भी समय-समय पर अलग-अलग होती है क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिपुओं में हैंडलिंग और ढुलाई प्रचालनों हेतु शक्ति प्रदत्त प्राधिकारियों द्वारा हैंडलिंग और ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति अल्प अवधि के लिए की जाती है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अधीन सभी

सांविधिक अपेक्षाओं, जो उनके द्वारा लगाए गए कामगारों के लिए लागू हों, को पूरा करने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है।

[अनुवाद]

विवाह के लिए लड़कियों को अनुदान

3109. श्री टी.आर. बालू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सरकार की "मूवलूर राममीर्थम अम्मयर मेरिज अस्टिटेंस स्कीम", जैसी स्कीम के समान गरीब लड़कियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के लिए अनुदान देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी संगठन

3110. श्री अमर पाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को असम के राज्यपाल से उन राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय मुख्य आतंकवादी ग्रुपों के राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

(1) असम

1. यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
3. बोडो लिब्रेशन टाइगर फोर्स (बी.एल.टी.एफ.)

(2) मणिपुर

1. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.एफ.)
2. यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
3. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (प्रीपाक)
4. कांगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
5. कांगलेई याओल कान्बा लुप (के.वाई.के.एल.)

(3) नागालैंड

1. नेशनल सोशियोलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (इसाक/मुईवाह) [एन.सी.सी.सी.एन.(आई./एम.)]
2. नेशनल सोशियोलिस्ट कार्डसिल आफ नागालैंड (खस्पलांग) (एन.एस.सी.एन.(के.)

(4) त्रिपुरा

1. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)
2. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। असम के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "हालांकि, बंगलादेश के अवैध प्रवासी भारत के कई राज्यों में आ गए हैं और असम की तुलना में पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या अधिक है, किसी अन्य राज्य की अपेक्षा असम में इनसे कहीं अधिक खतरा है। यदि इन्हें प्रभावी रूप से रोका नहीं गया तो वे असामी लोगों को अपने में समा लेंगे और पूर्वोत्तर भूमि को शेष भारत से पृथक कर सकते हैं। इसके सामरिक और आर्थिक दृष्टि से विनाशक परिणाम हो सकते हैं।"

[अनुवाद]

भारतीय खिलाड़ियों का स्तर

3111. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रिकेट खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों की तुलना में अधिक धन मिलता है;

(ख) क्या क्रिकेट खिलाड़ी पुरस्कार राशि, प्रायोजन से प्राप्त राशि के कारण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देश, जिनमें क्रिकेट नहीं खेली जाती है और जिन्होंने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, के खिलाड़ियों की तुलना में करोड़पति बन गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय खेल भावना को बढ़ाने के लिए अन्य खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में, क्रिकेट खिलाड़ियों को टैस्ट मैच और एक दिवसीय मैचों में भाग लेने पर अधिक धनराशि मिलती है। यह सूचना मिली है कि क्रिकेट खिलाड़ी विशेषकर जो अच्छे खिलाड़ी है, उन्हें प्रवर्तकता प्राप्त हो जाती है और इससें उन्हें रकम मिलती है, जिसका ब्यौरा खिलाड़ियों और प्रायोजकों के बीच गोपनीय होता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों में क्रिकेट लोकप्रिय नहीं है। चूंकि भारत में, क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है, इसलिए प्रायोजक राष्ट्रीय स्तर के सफल क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा अपने उत्पादों को समर्थन दिए जाने की बात को वरीयता देते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, सरकार का "अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार" की योजना के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की राशि में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पुरस्कारों में प्रस्तावित वृद्धि के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

खेल/चैंपियनशिप का नाम	राशि					
	स्वर्ण पदक प्रथम स्थान		रजत पदक द्वितीय स्थान		कांस्य पदक तृतीय स्थान	
जीतने के लिए	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
ओलंपिक और सरकारी विश्व चैंपियनशिप	5 लाख रुपये	15 लाख रुपये	3 लाख रुपये	9 लाख रुपये	2 लाख रुपये	6 लाख रुपये
एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेल	1 लाख रुपये	5 लाख रुपये	0.75 लाख रुपये	3 लाख रुपये	0.50 लाख रुपये	2 लाख रुपये
सरकारी एशियाई चैंपियनशिप और सरकारी राष्ट्रमंडल चैंपियनशिपें	0.50 लाख रुपये	1.5 लाख रुपये	0.40 लाख रुपये	1 लाख रुपये	0.30 लाख रुपये	0.75 लाख रुपये

"होनहार खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों की सहायता हेतु योजना" नामक एक नयी योजना प्रारंभ की गई है जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपस्कर, प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और वैज्ञानिक समर्थन के लिए 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रत्येक खेल विधा के लिए चार वर्षीय दीर्घकालिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें खेल विशेष के संवर्धन के लिए अपेक्षाओं का ब्यौरा शामिल किया गया हो और सब-जूनियरों, जूनियरों और सीनियर के लिए राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए कहा गया है। परिसंघों को उपस्करों, विदेशों में प्रदर्शन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) चुनिंदा टीमों और एथलीटों के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता है। खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए चयनित खेल विधाओं में विदेशी प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है।

उग्रवादियों के साथ बातचीत

3112. **श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजनैतिक दल जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु उग्रवादी और अलगाववादी दलों से बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सरकार, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है। यह शांति, स्थिरता और विकास के लिए समस्याओं का समाधान बातचीत और विचार-विमर्श के द्वारा करने में विश्वास रखती है। अत: सरकार, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी रैंकों में शामिल गुमराह युवकों से भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए, बातचीत करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वे अपने हथियार सौंप दें और हिंसा का रास्ता त्याग दें।

डी.डी.टी. का उपयोग

3113. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर डी.डी.टी. के खतरनाक प्रभाव से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में डी.डी.टी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और कोई वैकल्पिक कीटनाशक प्रस्तुत करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) पेस्टिसाइड्स का प्रयोग विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, किसी देश की विशिष्ट जलवायुगत स्थितियों के कारण ऐसे पेस्टिसाइड्स की अस्वीकार्यता, पेस्टिसाइड्स के प्रति पेस्ट प्रतिरोध के उद्भव आदि पर निर्भर करता है। भारत में कीटनाशकों का आयात, विनिर्माण, बिक्री, ढुलाई, वितरण और प्रयोग का विनियमन कीटनाशी, अधिनियम, 1968 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति रसायन विज्ञान, जैव प्रभाव, विषैलेपन, अपशेष, पैकेजिंग, लेबल आदि विभिन्न मानदंडों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात् पेस्टिसाइड्स को पंजीकृत करती है। भारत में कृषि क्षेत्र में डी.डी.टी. के प्रयोग पर 1989 से रोक लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मच्छर नियंत्रण हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कन्या विद्यालयों का उन्नयन

3114. डा. प्रभा ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का उन्नयन न किए जाने के कारण अनेक छात्राएं इन क्षेत्रों में माध्यमिक अथवा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के कन्या विद्यालयों का उन्नयन करने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) अनेक कारणों में एक कारण यह भी हो सकता है कि छात्राएं स्कूलों का स्तरोन्नयन न हो सकने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाती हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों के स्तरोन्नयन का कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पहल के रूप में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा और अन्य दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है ताकि उन छात्रों को अवसर प्रदान किए जा सकें जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपलब्ध न होने के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

3115. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, नाड़िया, आदि में वर्ष 1951 से 1991 के बीच जनसंख्या में 200% वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती जिलों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) बंगलादेश से घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 1951 और 1991 के बीच संदर्भाधीन तीन जिलों में जनसंख्या वृद्धि निम्न प्रकार रही:-

(1) माल्दा	181.26%
(2) मुर्शिदाबाद	176.03%
(3) नादिया	237.11%

(ख) सीमा पार से लोगों के बड़ी संख्या में इधर आने समेत, जनसंख्या में वृद्धि अनेक कारणों से हुई है।

(ग) घुसपैठ को नियंत्रित और रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच का अन्तर कम करना, निगरानी बुर्जों की संख्या बढ़ाना, सीमा के साथ-साथ, भू तथा नदीय सीमा पर गश्त तेज करना, तटीय क्षेत्रों पर चौकसी रखना, सीमा सड़कों का निर्माण करने और कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, शामिल है।

काली सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठन/ गैर-सरकारी संगठन

3116. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसी गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन को काली सूची में शामिल किए जाने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) सरकार ने ऐसे किसी गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में शामिल करने के लिए किस सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की है;

(ग) इस संबंध में सरकारी अधिनियमों, नियमों और उपनियमों अथवा स्थाई आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काली सूची में शामिल किए गए गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सामान्य वित्तीय निगम के नियम 149(1) के अनुसार सहायता अनुदान मंजूर करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां संदेह अथवा भ्रष्टाचार के संकेत हैं वहां तब तक कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाए, जब तक कि संबंधित निकाय आरोप से मुक्त नहीं हो जाते हैं। तद्नुसार, ज्योंही संदेह वाले या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी स्वैच्छिक संगठन का मामला प्रकाश में आता है तो उस मामले की संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सहायता से जांच की जाती है। यदि जांच के परिणामस्वरूप, यह सिद्ध होता है कि संगठन भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा निधियों की आगे निर्मुक्ति रोकने, पहले प्रदान किए गए अनुदान की वसूली करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) कोई नहीं, जहां तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संबंध है।

युवाओं को सहायता

3117. श्री ए.सी. जोस : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युवाओं के लिए लाभकारी वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में युवाओं के वेतन/स्वरोजगार मिलने योग्य बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य गतिविधियां क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाना

3118. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने तथा कहुल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लिट्टे पर से प्रतिबंध हटाना

3119. डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दलों ने लिट्टे पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इन राजनीतिक दलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय जनता दल की एक संगोष्ठी 16.2.1999 को मदुरैई में हुई थी जिसमें मक्कल नाला उरिमई कझागाम और तमिलार देसिया अयाक्कम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस संगोष्ठी में, एल.टी.टी.ई. इत्यादि पर से प्रतिबंध उठाने की मांग संबंधी संकल्प पारित किए गए थे।

(ग) एल.टी.टी.ई. पर से प्रतिबंध उठाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्दू भाषा के विकास के लिए संस्थान

3120. डा. शकील अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्दू भाषा के विकास हेतु और संस्थान स्थापित करने का है जैसाकि उर्दू कवि मिर्जा गालिब के शताब्दी समारोह में इसकी घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा इन, संस्थानों की स्थापना कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्णगढ़ के रानी शिरोमणि महल को "हेरिटेज पैलेस" के रूप में घोषित करना

3121. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्णगढ़ के रानी शिरोमणि महल को "हेरिटेज पैलेस" के रूप में घोषित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में उपभोक्ता सूचना केन्द्र

3122. श्री बारकला राधाकृष्णन :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने और उपभोक्ता न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी चर्चा हेतु खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिवों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल ने इस हेतु उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने और अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (घ) उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिवों की 10.11.97 को सम्पन्न बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया कि वे उपभोक्ता अदालतों हेतु उपयुक्त आधार ढांचे और सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्हें उपभोक्ता अदालतों के आधार ढांचे में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई एकबारगी अनुदान राशि का पूरा-पूरा उपयोग करने की भी सलाह दी गई।

तिरुअनन्तपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ था। चूंकि उपभोक्ता कल्याण कोष संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति द्वारा प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे एक केन्द्र को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है, अत: राज्य सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष नियमावली, 1992 के तहत निर्धारित प्रपत्र में ऐसे एक केन्द्र के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

[हिन्दी]

श्रमिकों का उत्प्रवास

3123. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूखे के कारण श्रमिकों का उत्प्रवास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य द्वारा केन्द्र सरकार को उत्प्रवास को रोकने हेतु कोई योजना भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पाठ्यक्रम में धार्मिक विषय शामिल करना

3124. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल और कालेजों की पाठ्यपुस्तकों में धार्मिक पाठ्यक्रम को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विषयों को पाठ्यक्रमों में लगाने या शामिल किए जाने से पूर्व इन विषयों के चयन और जांच हेतु सक्षम प्राधिकरण गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) स्कूलों और कालेजों में धार्मिक पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अत: इस प्रयोजन के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

''इमरजेन्सी पूल'' आवासीय मकान

3125. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर.के. पुरम में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के ''इमरजेन्सी पूल'' के अंतर्गत आवासीय मकानों की संख्या कितनी है;

(ख) ''इमरजेन्सी पूल'' से मकानों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इसके अंतर्गत अधिकृत और पात्र अधिकारियों को मकान आवंटित किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो अनधिकृत अधिकारियों द्वारा अप्रैल, 1998 से कब्जा किए गए मकानों की संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा इन मकानों को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) अनधिकृत कब्जे से उक्त मकानों को खाली कराने के बाद उन्हें अधिकृत और पात्र अधिकारियों को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) के.लो.नि.वि. के पास कोई आकस्मिक रिहायशी वास नहीं है। के.लो.नि.वि. के पास जो वास उपलब्ध हैं, उसे अनिवार्य स्टाफ वास के नाम से जाना जाता है तथा इस श्रेणी के अन्तर्गत आर.के. पुरम, नई दिल्ली में 38 क्वार्टर हैं। इन क्वार्टरों का आबंटन, "सरकारी निवासों का आबंटन (के.लो.नि.वि. के नियंत्रणाधीन) नियम, 1981" के अन्तर्गत किया जाता है।

(ग) से (ङ) अनिवार्य स्टाफ क्वार्टरों में केवल अधिकृत और पात्र अधिकारियों को ही वास मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन जब वे अपात्र हो जाते हैं, तो जल्दी से वास खाली नहीं करते। अनधिकृत दखल वाले ऐसे 9 मकान हैं। संबंधित दखलकारों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(च) यह रिक्तियों की स्थिति तथा प्रतीक्षा सूची में संबंधित कर्मचारियों की वरीयता पर भी निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्रेणी तीन के फ्लैटों की बढ़ी लागत

3126. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. ने श्रेणी तीन के स्व-वित्त पोषण योजना फ्लैटों की लागत बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का बढ़ी हुई लागत को वापस लेने/कम करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) डी.डी.ए. ने रिपोर्ट दी है कि श्रेणी-III सहित स्व-वित्त पोषण स्कीम फ्लैटों के लागत निर्धारण की नीति के अनुसार अंतिम लागत का निर्धारण, इंजीनियरिंग विंग द्वारा यथा सूचित, परियोजना में हुए वास्तविक खर्च के आधार पर किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक भूमि लागत है जिसे नियतन आबंटन आदि की तारीख के आधार पर पूर्वनिर्धारित भूमि दरों आदि के अनुसार समय-समय पर इस घटक में अन्तर होता है। प्रशासनिक प्रभारों, विभागीय प्रभारों, निवेश पर ब्याज अभी जैसी ऊपरी खर्चों की वसूली मौजूदा नीति/दिशानिर्देशों के तहत यथा अनुमोदित निर्धारित दरों पर की जाती है। इसीलिए एस.एफ.एस. स्कीम के तहत प्लाट की लागत फ्लैट के नियतन/आबंटन की तारीख अवस्थिति, क्षेत्र आदि के आधार समय-समय पर अलग-अलग होती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

निर्धन ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण

3127. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्धन ग्रामीण परिवारों की संख्या और उनके जीवन स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बनासकांठा, गुजरात के ग्रामीण परिवारों की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार से कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) जी, हां। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के आदेश पर राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना करायी जाती है। यह जनगणना सभी राज्यों में कराई जाती है। जिनमें गुजरात का बनासकांठा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है।

(ख) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना का परिणाम विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	तालुका का नाम	ग्रामीण परिवारों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे पहचान किए गए परिवारों की संख्या	कालम 4 से 3 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत	कुल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में	
					अनु. जाति	अनु. जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	दीसा	67109	19017	28.34	4253	1051
2.	देवदार	30490	16929	55.52	3175	445
3.	धनेरा	43513	13510	31.05	2992	2225
4.	कांकरेज	39992	19549	48.88	2739	63
5.	पालनपुर	59325	14898	25.11	1592	6289
6.	संतालपुर	19859	7685	38.70	779	106
7.	थाराड	26166	11102	42.43	2453	619
8.	वाव	30560	12762	41.76	3727	199
9.	राधनपुर	18735	7561	40.36	635	206
	कुल	335749	123013	36.64	22345	11203

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

3128. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा स्थानवार कितने केन्द्रों को स्थापित किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में स्थानवार कितने विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया;

(ग) क्या सरकार का, राज्य में ऐसे कुछ और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रत्यायित संस्थाओं (अध्ययन केन्द्रों) तथा प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक 3 वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या विवरण-II में दी गयी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उचित समय पर बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

विवरण-I

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की प्रत्यायित संस्थाओं (अध्ययन केन्द्रों) और प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों के राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित दिनांकों को प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या			निम्नलिखित दिनांकों को प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या		
	31.3.96	31.3.97	31.3.98	31.3.96	31.3.97	31.3.98
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	33	36	44	5	6	8
अरूणाचल प्रदेश	9	10	10	—	—	—
असम	1	2	6	—	—	—
बिहार	16	18	18	3	5	8
दिल्ली	84	88	112	10	20	22
गोवा	4	4	6	1	1	2
गुजरात	4	43	43	3	3	3
हरियाणा	30	38	43	3	5	6
हिमाचल प्रदेश	—	19	32	—	3	4
जम्मू और कश्मीर	1	1	2	—	1	1
कर्नाटक	2	5	5	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7
केरल	4	7	10	4	9	13
मध्य प्रदेश	12	15	19	2	6	14
महाराष्ट्र	46	48	87	4	6	7
मणिपुर	5	6	8	—	—	—
मेघालय	1	8	9	—	—	—
मिजोरम	3	4	4	—	—	—
नागालैंड	7	9	9	—	—	—
उड़ीसा	3	6	7	2	5	5
पंजाब	5	8	8	1	4	4
राजस्थान	1	18	19	—	5	5
सिक्किम	16	6	6	3	—	—
तमिलनाडु	7	8	9	7	12	14
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	50	53	55	10	12	17
पश्चिम बंगाल	76	83	83	2	3	7

1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	—	—	—
चंडीगढ़	7	7	7	1	1	1
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
दमन और दीव	1	1	1	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	1	1	—	—	—

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में दाखिल विद्यार्थियों की स्थान-वार संख्या

प्रत्यायित संस्थान (अध्ययन केन्द्र) संख्या	क्षेत्र/स्थान	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
0301	इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग, कतरास मोड़ डाकघर-झरिया जिला-धनबाद-828111	195	229	276
0303	होली क्रास स्कूल बोकारो स्टील सीटी-827010 जिला-बोकारो, दक्षिण बिहार	49	109	161
0304	सेक्रेट हर्ट कन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर-831001, बिहार	262	281	325

1	2	3	4	5
0305	सेंट माइक्लस हाई स्कूल, डाकघर-दीघा घाट, पटना-800011	343	459	180
0306	केन्द्रीय विद्यालय नं.-1 राजेन्द्र मेमोरियल बिल्डिंग, बागेस्तीवाड़ी रोड, गया आर.एस.-823002	113	134	181
0307	जवाहर नवोदय विद्यालय डाकघर-शेखपुरा जिला-शेखपुरा-811105	–	14	12
0308	जवाहर नवोदय विद्यालय, पश्चिम चंपारण-845450	77	52	104
0317	सेंट जेवियर्स स्कूल, डाकघर-19 हजारीबाग-825301	60	86	72
0318	कैम्ब्रीज स्कूल ततीसीलवई, रांची-835103	26	52	24
0319	विज इंगलिश स्कूल, छोटा गोविन्दपुर जमशेदपुर-831015	20	40	55
0320	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, जिला-देवघर, डाकघर-विद्यापीठ, देवघर-814112	–	–	7
0321	विद्या भवन पालिका विद्यालय लक्खीसराय, बिहार-811311	–	–	23
0322	जीतपुर एकेडेमी, डाकघर-जीतपुर जिला-धनबाद-828301	–	–	11

1	2	3	4	5
0323	सेंट जेवियर हाई स्कूल गांधी मैदान मार्ग, पटना-800001	–	–	343
0324	क्राइस्ट चर्च हाई स्कूल, एन.आर.-कांग्रेस मैदान, कदमकुआं, पटना-800003	–		115
0309	जवाहर नवोदय विद्यालय, बिहिया, जिला-भोजपुर-802152	22	54	114
0310	जवाहर नवोदय विद्यालय, शक्ति नगर, चान्दन डेम, डाकघर-लक्ष्मीपुर, बांका (भागलपुर)-851101	34	65	8
0311	जवाहर नवोदय विद्यालय, डाकघर-बिस्तियानपुर, जिला-बेगुसराय, बेगुसराय-851101	5	16	24
0312	जवाहर नवोदय विद्यालय, मोहल्ला-कदीराबाद, डाकघर-के.डी.एस.यू., जिला-दरभंगा, दरभंगा-846004	46	44	86
0313	जवाहर नवोदय विद्यालय, स्थान एवं डाकघर-गारतीबनाली, जिला-पूर्णिया-854301	14	14	26
0314	होली फेमिली कान्वेंट, तिलकामांझी भागलपुर-812001	32	36	80
0315	डी.बी.एम.एम. केरियल एकेडेमी, डी.बी.एम.एस., रोड नं.-7, बी.एच. एरिया, जमशेदपुर-831005	297	316	295
0316	सेंट जोन्स हाई स्कूल, पुरूलिया रोड, रांची-834001	151	264	324

[अनुवाद]

ताजमहल के बंद हो जाने के कारण राजस्व में घाटा

3129. श्री सुरेश वरपुडकर :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक सोमवार को आगन्तुकों के लिए ताजमहल बंद करने के परिणामस्वरूप राजस्व में हुए घाटे का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आगन्तुकों के लिए प्रत्येक सोमवार को ताजमहल खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा अध्ययन कराना आवश्यक नहीं समझा जाता है, यद्यपि आगन्तुकों के लिए स्मारक मुख्यत: परिरक्षण एवं संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक सोमवार को बन्द किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. को लाभ

3130. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** 22 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2634 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भण्डार की तुलना में कुल लाभ कम होने के क्या कारण है;

(ख) एन.सी.सी.एफ. के उपरिव्यय खर्चों का ब्यौरा क्या है और इसे कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये है या फिर क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकारी विभागों को एन.सी.सी.एफ. द्वारा आपूर्ति की गयी जिन्सों के ब्राण्ड नामों का ब्यौरा क्या है, आपूर्ति करने वालों के नाम और उनकी दरें क्या है और 1998 के दौरान आज तक केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजारों की तुलना में एन.सी.सी.एफ. द्वारा सरकारी विभागों को आपूर्ति की गई वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि संघ के लाभ में कमी होने का मुख्य कारण इसकी ब्याज संबंधी देयता है।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के उपरिव्यय में मुख्य रूप से स्थापना एवं प्रशासन संबंधी व्यय हैं। उसका विवरण निम्नवत है:-

(आंकड़े लाख रुपए में)

	1995-96	1996-97	1997-98
स्थापना व्यय	866.78	447.31	494.83
प्रशासन संबंधी व्यय	129.42	152.26	161.21

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि अपने व्यय में कमी लाने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम शुरू करने, अलाभकर शाखाओं को बन्द करने और अन्य मितव्ययिता संबंधी उपाय करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार की ब्राण्ड मदों की खरीद और विभिन्न एजेंसियों को उनकी आपूर्ति करने के संबंध में अलग-अलग नीतियां हैं। ये नीतियां किसी विशिष्ट मद की मांग, प्रापण और वितरण लागत, भुगतान का तरीका और प्राप्तकर्ता अभिकरणों द्वारा निर्देशित होती हैं। इस प्रकार उनकी आपूर्ति दरों, आपूर्ति लागत, आपूर्ति और जिन्स एजेंसियों को आपूर्ति दी जाती है, उनके बारे में कोई तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना इतनी व्यापक सूचना को संगृहीत करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सार्थक और साथ ही संभव नहीं होगा।

महानगरों में सिर पर मैला ढोने वाले लोग

3131. **श्री सुधीर गिरि·** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई जैसे महानगरों में, अभी भी सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की उपस्थिति से शहरों की प्रगतिशीलता हास्यास्पद होती है; और

(घ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जुलाई 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने 65:35 के अनुपात में पुरुष तथा महिला सफाई कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या 400999 होने का अनुमान लगाया था। तथापि, ऐसे आंकलन कोई शहर विशेष के लिए नहीं किये गये। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित बाद के आंकलन से सफाई कर्मचारियों की संख्या 5,77,228 होने का संकेत मिलता है।

(ग) और (घ) सरकार वर्तमान सभी सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए वचनबद्ध है तथा इस संबंध में वर्ष 1997-98 तक सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 2,90,308 कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए पहले ही सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के साथ-साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास भी उनके पुनर्वास के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए आसान ऋण प्रदान करता है।

इंजेक्शन से मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि

3132. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में इंजेक्शन से मादक पदार्थों का सेवन करने वाला (आई.डी.) की संख्या में वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अनेक रिपोर्टों एवं अध्ययनों ने समाज के संवेदनशील वर्गों, विशेष तौर से, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, घनी आबादी वाले औद्योगिक राज्यों तथा महानगरों में इंजेक्शन से मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की बढ़ रही घटनाओं के संकेत दिए हैं।

(ख) मंत्रालय "मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना" नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें निवारक जागरूकता, प्रेरणात्मक परामर्श, नशा मुक्ति तथा सभी प्रकार के नशीली दवाओं का सेवन करने वालों/व्यसनियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है। विशेष तौर से पूर्वोत्तर राज्यों में, इन्जेक्शन से मादक पदार्थों का सेवन करने की बढ़ रही घटनाओं के पहलू पर प्रकाश डाला गया है तथा मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के दौरान आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति आवश्यकता/खपत

3133. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति वार्षिक आवश्यकता/खपत का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ती हुई जनसंख्या और मांग को देखते हुए सन् 2005 के अंत तक कुल कितने मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषरूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करने की योजना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) 1996-97 के

लिए महाराष्ट्र सहित देश में खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग 188.50 किलोग्राम आंका गया है। इसके मदवार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

मद	मात्रा कि.ग्रा. में
चावल	84.00
गेहूं	63.00
मोटा अनाज	27.50
दाल	14.00
जोड़	188.50

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के कुल उपयोग की 1996-97 में 194.70 मिलियन टन से 2001-2002 में 227.16 मिलियन टन और 2011-2012 में 298.38 मिलियन टन बढ़ने की संभावना है। इसके प्रति खाद्यान्नों के उत्पादन में 1996-97 में 199.32 मिलियन टन से 2001-02 में 234.00 मिलियन टन और 2011-12 में 337.30 मिलियन टन वृद्धि होनी प्रक्षेपित है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और खुले बाजार में खाद्यान्नों के लिए प्रतिस्थानी नहीं है।

कर्नाटक में कला भवन/सांस्कृतिक रंगशाला

3134. श्री बी.एम. मेनसिंकाई : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के हावेरी में केन्द्रीय सहायता से एक कला भवन या सांस्कृतिक रंगशाला का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राज्यों में बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों, जिनमें बालकों के लिए परिसर शामिल हैं, की स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत, सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी स्वायत्त निकाय को 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हावेरी (कर्नाटक) में किसी सांस्कृतिक परिसर के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष

3135. श्री टी. गोविन्दन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष द्वारा गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि राज्यवार स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि उनकी मांगों को देखते हुए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष (पहले राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष के नाम से ज्ञात) के अंतर्गत उन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पहले से ही कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में शामिल नहीं है। प्राप्त हुए प्रस्ताव के अनुसार, निधियां मंजूर और निर्मुक्त की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार आबंटन नहीं है। आज तक की स्थिति के अनुसार 18.11 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्याह्न भोजन योजना

3136. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मध्याह्न भोजन देने के स्थान पर स्कूल की वर्दी पर राज सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना पर राज्यवार कितना खर्च किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) दिनांक 22-23 अक्तूबर, 1998 को हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में, पंजाब के शिक्षा मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि राज्यों के पास जो अतिरिक्त खाद्यान्न पड़े हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रदत्त निधियों का उपयोग निर्धन परिवारों के बच्चों को स्कूल यूनिफार्म तथा जूते प्रदान करने में किया जाए। इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि इस योजना के दिशानिर्देशों में यह मामला शामिल नहीं है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। यह विभाग भारतीय खाद्य निगम को सीधे ही खाद्यान्न लागत की प्रतिपूर्ति करता है। अत: इस योजना के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान इस विभाग द्वारा इस योजना पर 1070.38 करोड़ रु. खर्च किया गया था।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी समिति

3137. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन संबंधी समिति के गठन तथा उसे दिए गए संदायों के अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा कुल कितने आवेदन प्राप्त/रद्द किए गए; और

(घ) कुल कितने मामलों की समीक्षा की गई तथा अभी तक कितने मामलों का निपटान किया गया?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार ने, समय-समय पर, गैर सरकारी सलाहकार समितियों का गठन किया है। इस बारे में संगत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इन समितियों में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं।

विवरण

केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई गैर-सरकारी सलाहकार समितियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	समिति का नाम	गठन का वर्ष	पेंशन हेतु विचार किए मामलों की संख्या	पेंशन दिए जाने के लिए जितने मामलों की सिफारिश की गई उनकी संख्या	पेंशन देने के लिए नामंजूर किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आजाद हिन्द फौज गैर सरकारी संवीक्षा समिति	1973	6,665	2,843	3,822
2.	हैदराबाद विशेष संवीक्षा समिति	1983	62,500	20,505	41,995
3.	जम्मू व कश्मीर- गैर-सरकारी संवीक्षा समिति	1983	952	756	196

1	2	3	4	5	6
4.	आर्य समाज समिति	1986	2,354	1,152	1,202
5.	सिंध समिति	1987	72	61	11
6.	ईस्टर्न इण्डिया कमेटी	1988	3,434	1,496	1,938
7.	पंजाब गैर-सरकारी संवीक्षा समिति	1988	410	403	7
8.	विशेष लेखा परीक्षा दल (एस.ए.टी.)	1996	2,000	800	1,200

नामंजूर हुए उन मामलों, जिनकी समीक्षा की गई और सुलझा लिए गए, से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। समीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटान करना, एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3138. श्री छत्रपाल सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनका मंत्रालय किन-किन लक्ष्यों और उद्देश्यों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है;

(ख) विकलांगों के कल्याण, शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नशामुक्ति कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में 1998-99 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध कराए गए अनुदान का योजनावार और संगठनवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) समाज के पिछड़े, दलित, दरकिनार तथा अलाभान्वित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और शामिल करना।

(ख) स्वयंसेवी संगठनों को योजना संबंधी मानदंडों के आधार पर सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित सिद्धान्तों का भी अनुपालन किया जाता है:-

(1) संगठन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य संगत कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(2) समाज के कल्याण में वृद्धि के लिए अनुमानत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे लक्षित समूहों के लिए स्वैच्छिक प्रयासों में लगा होना चाहिए।

(3) उस विशिष्ट कार्यक्रम को चलाने के लिए अपेक्षित अनुभव/विशेषज्ञता होनी चाहिए जिसके लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है।

(4) सामान्यतौर पर वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 90% तक सीमित है, शेष 10% राशि संगठन द्वारा स्वयं वहन की जाती है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, नशीली दवा दुरुपयोग निवारण, वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण, बेसहारा बच्चों आदि के शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाओं के वास्ते सहायता अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 1998-99 के दौरान (फरवरी, 1999 तक) वित्तीय सहायता प्रदत्त स्वैच्छिक संगठनों के नामों आदि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	निर्मुक्त धनराशि 1998-99 (11.3.1999)
1	2	3
	अनुसूचित जातियों का कल्याण	
	उत्तर प्रदेश	
1.	किसान सेवा समिति, ग्रा. पो. मुंडी बाका, बुलन्दशहर	4,36,027
2.	सर्वजन कल्याण समिति, 7 रेस कोर्स कालोनी, बुलन्दशहर	2,24,280
3.	गढ़वाल सब्जी सप्लायर एवं अनु. जाति बेरोजगार समिति, गोपेश्वर, चमोली	5,23,389
4.	आदर्श कल्याण सेवा समिति 54/2 जोशिमापुर, बहराइच	6,28,470
5.	ज्ञान भारती महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, 10002 होलीगेट, एटा	6,28,470
6.	अवध संस्थान रामघाट अयोध्या, फैजाबाद	3,82,950
7.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्था, फैजाबाद	12,31,360
8.	स्वामी आत्मदेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान, उगरपुर, पो. पिपरगांव, फर्रुखाबाद	8,08,527
9.	श्री सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति सिंह नगर, पो. झांसी, फर्रुखाबाद	3,45,735
10.	आशा महिला शिल्प कला केन्द्र नई सुहाब नगर ग्रा. हिमायपुर, फिरोजाबाद	2,39,400
11.	डा. राधाकृष्ण पब्लिक सलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र ए-1 दीनदयाल नगर सिपरी बाजार, झांसी	1,41,300
12.	ह्यूमन सर्विस चैरिटेबुल ट्रस्ट आफ इंडिया सी 234 निराला नगर, लखनऊ	5,76,636
13.	प्रगतिशील उद्योग समिति, ग्रा. तारा का पुर्वा पो.ओ. जुगौर, लखनऊ	1,20,060
14.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संघ आजाद विला, डालीगंज, लखनऊ	1,01,700
15.	बोधि सत्व बाबासाहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर स्मारक समिति, चिनवापुर, लखनऊ	2,02,275
16.	भारतीय समाज सेवा संस्था बर्फ खाना, खिन्नी का बाग पो. चौक, लखनऊ	10,00,350
17.	सार्वजनिक शिक्षा समिति पूरन नगर, आलम बाग, लखनऊ	1,18,980
18.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान 202/ए/6, जवाहर नगर (हाथी पार्क के पास) लखनऊ	8,06,110
19.	यू.पी. अनुसूचित विमुक्त एवं जनजाति सेवक संघ, 97/बी, दारुल सफा लखनऊ	6,23,970
20.	प्रतापगढ़ महिला एवं शिक्षा समिति देवकली, प्रतापगढ़	3,74,010
21.	सत्य अहिंसा बाल विद्यालय समिति साखपुर समधा, रायबरेली 229301	3,45,735

1	2	3
22.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर मंगोली शाहबाद, रामपुर	10,81,215
23.	शक्ति साधना संस्थान, तरौनपुर सीतापुर	1,71,540
24.	आदर्श संस्कृत सत्संग कला केन्द्र, औरस उन्नाव	6,99,210
25.	श्री कंचनलाल सगुन सेवा संस्थान ग्रा. व पो. पारा, हमीरपुर	2,51,392
26.	कानपुर हरिजन सेवा संस्थान, लेबर कालोनी ओल्ड कानपुर, कानपुर	2,02,770
27.	अकाई पोलीक्राफ्ट एसोसिएशन, इन्दिरा नगर, लखनऊ	9,68,334
28.	जन विकास संस्था, इटैनिया, गौरीगंज सुल्तानपुर	1,00,620
29.	कृषक विकास समिति, विवेकानन्द कालोनी मुहम्मदाबाद, गाजीपुर	3,45,735
30.	अम्बेडकर शिक्षा समिति 563 के.ए./58 श्यामनगर, आलमबाग, लखनऊ	93,870
31.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ सुल्तानपुरी, दिल्ली	1,09,575
32.	निर्बल वर्ग सेवा समिति, 37, ऊंची चौपाल रामपुर	1,72,957
33.	बिजनौर सेवा संस्थान, मांवर रोड मंदौली सेतु पो.ओ. बिजनौर, जिला-बिजनौर	1,40,920
34.	इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान संस्थान, होशियारी मन्दिर, रायवाला देहरादून	11,96,440
35.	जे.पी. सेवा समिति, फिरोजपुर, पो.ओ. आमेला, फर्रुखाबाद-209625	4,55,775
36.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्था 'गौरव' सी. 2716, इन्दिरा नगर, लखनऊ	3,19,00
37.	प्रतापगढ़, ग्रामोत्थान समिति, ग्रा. पुरे बेदुआ पी.ओ. अफीम की कोठी, प्रतापगढ़	2,05,515
38.	तरुण चेतना, विकास नगर, पो. मोहनगंज रायबरेली	8,88,240
39.	शील ग्राम विकास संस्थान, हरुन्नाला बिलासपुर मार्ग, बरेली	4,12,675
40.	शांति सर्वोदय संस्था, तरबगंज, गोंडा	5,78,747
41.	करुणोदय सेवा संस्थान, बरकथा मिरजापुर	3,42,023
42.	जन कल्याण शिक्षा समिति, ग्रा. व पो. भाथिन, खुदे (लाला) काजिल नगर, जि. कुशीनगर	15,98,175
43.	बाल एवं महिला कल्याण समिति, 80, इस्माइलगंज, फतेहपुर	2,63,040
44.	सर्वोदय आश्रम, सिकंदरपुर, हरदोई	25,81,722
45.	पी.के. लोक विकास ग्रा.पो.-आलौन	2,37,307
46.	पीपुल्स सोसाइटी ऑफ सोस्यो. इकोनौमिक डेवलपमेन्ट, 266/162, सरलाकुंज भोवन, लखनऊ	15,71,414

1	2	3
47.	पूजा पब्लिक स्कूल समिति, नुनीहाई यमुना ब्रिज, आगरा	2,15,685
48.	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, ग्रा.पो. अलीपुर, हरदोई	14,82,493
49.	ग्रामीण समाजोत्थान सेवा संस्थान एम-77 संजय गांधी पुरम, लखनऊ	4,69,170
50.	कालपील बाल एवं महिला संस्थान, 674 सिविल लाइन, बस्ती	4,69,170
51.	मुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति रुस्तमपुर, दहिया, जाजपुर	4,18,860
52.	जन विकास समिति, दुधी सोनभद्र	3,82,950
53.	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण शिक्षा समिति, 55-सीबी 12 (ए) धवलगिरि सेक्टर 34, नोएडा	5,90,310
54.	अपंग असहाय जन विकास संस्थान मुसेपुर पो. मांडवली, नजीबाबाद, बिजनौर	4,18,860
55.	ज्ञानयोग परमार्थ न्यास, बिलग्राम रोड हरदोई	4,97,280
56.	स्मिता शिक्षा प्रसार समिति, लालगंज मिर्जापुर	3,82,950
57.	ह्यूमेन वेलफेयर एसोसिएशन, कान्वेन्ट कैम्पस, पावर हाउस रोड, मोहद्दीपुर, गोरखपुर	3,13,654
58.	विक्रम सेवा संस्थान, गोलककरन्नाथ लखीमपुर खेरी	3,82,950
59.	'साहित्य सेवा संस्थान, कुराभार, सुल्तानपुर	3,82,950
60.	आक्सफोर्ड मॉडेल हाई स्कूल,पीएसी रोड श्यामनगर,कानपुर	3,11,404
61.	बद्रीनाथ समाज विकास, खैराबाद, सीतापुर	3,84,300
62.	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, पारसपुर, गोंडा	3,82,950
63.	आल इन्डिया ट्राइबल युथ डेवलपमेन्ट, कैसरगंज, जिला बहराइच	3,82,950
64.	ग्रामोद्योगिक विकास सेवा समिति, रामनगर बाराबंकी	3,82,950
65.	जनता सेवा संस्थान, राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर, रामपुर	3,82,950
66.	नैशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशल वेलफेयर, 5/13/43/बी, गुरुद्वारा के पीछे, खवारसपुरा, फैजाबाद	3,82,950
67.	पवन सेवा संस्थान, पो. मेवातियन तराबगंज रोड, गोंग (न्यू)	3,84,300
68.	अभिनव सेवा संस्थान, स्थान/पो. द्वारकागंज जिला-सुल्तानपुर, (न्यू)	3,84,300
69.	नव विकास समिति, एवान/पो. रुपाधिया बहराइच (न्यू)	3,82,950
70.	प्रगति विकास भारती, पो. कटरा बाजार गोंडा (न्यू)	3,84,300
71.	सुभी शिक्षा प्रसार समिति, सफदरगंज बाराबंकी (न्यू)	3,82,950

आदिवासी क्षेत्र में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	1998-99 के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. में)
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	लोहिया समाज सेवा संस्थान, परदाहा, मऊ	4,59,000
2.	भारतीय जन कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान, दिओना	4,59,000
3.	ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति रामनगर, कुरावली, लखीमपुर, बाराबंकी	4,59,000
4.	अम्बेडकर शिक्षा समिति आलमबाग, लखनऊ	4,59,000
5.	हिन्दू मुस्लिम एकता कल्याण समिति, लाल कुंआ, लखनऊ	4,59,000
6.	विक्रम सेवा संस्थान, लखीमपुर खिरी	4,59,000
7.	ग्रामीण महिला सिलाई कढ़ाई तथा बुनाई केन्द्र, आजमगढ़	4,59,000
8.	नन्दिनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, जिला गोंडा	4,59,000
9.	अमित ग्राम सेवा संस्थान जिला गोंडा	4,59,000
10.	अग्रगामी सेवा संस्थान, तिवारीगंज लखनऊ	4,59,000
11.	मानव कल्याण सेवा संस्थान फैजाबाद रोड, लखनऊ	4,59,000

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना

(राशि रु. में)

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता	निर्मुक्त राशि	कार्यकलाप
उत्तर प्रदेश			
1.	अशोक आश्रम पी.ओ. अशोक आश्रम, देहरादून	931833	अनुसूचित जन-जाति लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल
2.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद	259984	सचल चिकित्सा यूनिट
3.	ग्रामीण महिला सिलाई कढ़ाई केन्द्र ग्राम-मुस्तफाबाद, आजमगढ़	301410	आवासीय स्कूल
4.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, जवाहर नगर लखनऊ	226320	सचल चिकित्सा यूनिट
5.	साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, नवाबगंज गोंडा	3,52,425	आवासीय स्कूल

क्र.सं.	संगठन का नाम	1998-99 के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
1.	समकोण विकलांग कल्याण समिति, लखनऊ	1.43

आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष 1998-99 के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
1.	ऐनी बीसेन्ट स्कूल, मेरठ	2.55
2.	सोशल साइंस सुधा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कानपुर	5.97
3.	एकता केरियर इन्स्टीट्यूट, झांसी	0.29
4.	डा. भीमराव अम्बेडकर कल्याण सोसायटी, इलाहाबाद	3.11
5.	पंचशेद शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, लखनऊ	13.54
6.	सहारा एकेडमी, कानपुर	2.00
7.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया, जालौन	1.66
8.	स्टडी पोइन्ट समिति, लखनऊ	5.37
9.	ड्यूटी सोसायटी, अलीगढ़	2.15
10.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, लखनऊ	6.67
11.	सोशल साइन्स सुधा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, झांसी	2.85
12.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	1.08

वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	1998-99 के दौरान (28.2.99 तक) निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	1.39
2.	अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण तथा शिक्षा समिति, गाजियाबाद, नोएडा	6.78
3.	अर्चना महिला मंडल कल्याण समिति, बाराबंकी	1.29
4.	एसोसिएशन फोर सोशल हेल्थ इन इंडिया, मेरठ	2.62
5.	भारतीय समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	4.02
6.	बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति लखनऊ	14.31
7.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	9.19
8.	ग्रामीण विशाल जन सेवा, संस्थान, पी.ओ. बादनी, सिद्धार्थ नगर	7.09
9.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, जौनपुर, उ.प्र.	2.57
10.	हसरत मोहिनी चेरिटेबिल सोसायटी, कानपुर	2.79
11.	कंचन लाल सगुणा सेवा संस्थान, हमीरपुर	1.29
12.	काशी क्लब, वाराणसी	13.57
13.	माया पूर्वांचल ग्रामोत्थान सेवा संस्थान, गोरखपुर	8.43
14.	नेताजी सुभाष विद्यामंदिर मंगाली शाहबाद, रामपुर	3.86
15.	एन आई आर वी ए एन, लखनऊ	7.20

1	2	3
16.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति प्रतापगढ़, देवकाली	2.57
17.	श्री राम बाबू वर्मा चेरिटेबिल सोसायटी, आगरा	12.40
18.	राना वेणी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली	3.72
19.	रत्नग्राम विकास समिति, रामपुर, पो.आ. शाहबाद	3.86
20.	साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, मजबगंज, गौंडा	2.57
21.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, इंदिरा नगर	10.21
22.	सार्वजनिक शिक्षण समिति, लखनऊ	4.18
23.	सार्वजनिक शिक्षणालय संस्थान, हरदोई	5.84
24.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	11.65
25.	श्री गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान, प्रतापगढ़	2.57
26.	सोसायटी फॉर अरबन एंड रूरल डेवलपमेन्ट, जिला जौनपुर	6.30
27.	सोसायटी फार अरबन एंड रूरल रिकन्स्ट्रक्शन लखनऊ	2.77
28.	स्वर्गीय राम देव सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निराश्रित दलित प्रचार वर्ग महिला संस्थान, बस्ती	2.57
29.	प्रेरणा समिति, फैजाबाद रोड, लखनऊ	1.39
30.	श्री उमा शंकर तिवारी स्मारक शिक्षा समिति, इलाहाबाद	5.10
31.	श्रीमती कौशल्या देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरदोई जिला	5.10
32.	ग्राम सेवा निकेतन, कानपुर	5.10

1	2	3
33.	हरिजन कल्याण समिति, फैजाबाद	4.05
34.	करुणोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर	5.10
35.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, महाराजगंज	5.10
36.	तारा देवी शिक्षा समिति, देवरिया	4.05
37.	जनन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति	4.57
38.	अभिनव सेवा संस्थान, सुलतानपुर	5.10
39.	अन्जुम मदरसा इस्लामिया, जालौन	5.10
40.	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान, राय बरेली	2.47
41.	सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, बुलन्दशहर	1.95
42.	शान्ति सर्वोदय संस्थान, तराबगंज, गौंडा	1.42

समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत 1998-99 के दौरान चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय निर्मुक्ति (14.2.1999 की स्थिति के अनुसार)

(रुपये में)

क्र.सं.	संगठन का नाम-पता	निर्मुक्त राशि
1	2	3
1.	कास्मिक सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट एंड रिसर्च प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	81,675
2.	शंकर जूनियर हाइस्कूल समिति, जिला मुर्शीदाबाद (उ.प्र.)	83,475
3.	मदरसा बकराया जूनियर हाईस्कूल समिति, मुख्यालय (उ.प्र.)	83,025
4.	तिलक शैक्षिक समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद (उ.प्र.)	83,025

1	2	3
5.	समचेतना संस्था, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)	83,025
6.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, इलाहाबाद (उ.प्र.)	83,025
7.	धर्मरत सेवा प्रबंध एवं समाज कल्याण समिति, हरदोई (उ.प्र.`	85,275
8.	जनप्रिय सेवा संस्थान, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)	1,66,050
9.	तिलक शैक्षिक समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद, उ.प्र.	83,025
10.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, इलाहाबाद (उ.प्र.)	83,025
11.	कॉस्मिक सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च, प्रतापगढ़, उ.प्र.	1,66,050
12.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद, उ.प्र.	83,025
13.	शंकर जूनियर हाई स्कूल समिति, मुरादाबाद (उ.प्र.)	83,475
14.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.)	1,63,350
15.	भारतीय ग्रामीण चेतना ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रूखाबाद, उ.प्र.	87,300

वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश

1.	आदर्श कल्याण सेवा समिति, बैहराइच, उ.प्र.	1,56,600
2.	एज केयर गाजियाबाद	67,338
3.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, डालीगंज लखनऊ	2,64,600
4.	अवध सामाजिक उत्थान समिति, इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ	1,38,240
5.	दलित मानस उत्थान समिति, इलाहाबाद	98,820

1	2	3
6.	गायत्री देवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद	4,13,100
7.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, मुगरा, इलाहाबाद	2,10,600
8.	ग्राम्य विकास संस्थान, उल्लाहपुर इलाहाबाद	3,13,200
9.	गुरुकुल विद्यापीठ पूसा दुर्गा, गाजियाबाद	96,255
10.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, इलाहाबाद	2,13,030
11.	जय गायत्री मां बाल विद्या मन्दिर समिति, उ.प्र.	1,35,000
12.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, साहबगंज, फैजाबाद	2,15,190
13.	जन कल्याण शिक्षा समिति, पदरावाना, उ.प्र.	66,150
14.	जन विकास संस्थान, इतौंजा (पश्चिम) पूरबगांव-गौरीकुंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	3,13,200
15.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्रामोद्योग विकास समिति, रामपुर, उत्तर प्रदेश	5,25,285
16.	माध्यमिक विद्यालय पूरबगांव सरसार संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	67,500
17.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	3,48,840
18.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, 280/69-ए, तिलक नगर बधाम्बरी रोड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	2,89,440
19.	नंदिनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम: पार्वती, पो. हरिवंशपुरी, गोंडा, उत्तर प्रदेश	1,35,000
20.	निर्वाण समाज कल्याण संस्था, डी-2059, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश	1,56,699

1	2	3
21.	प्रकाश ग्रामीण विकास संस्थान, 16/6-ए, तुलग्राम बाग, इलाहाबाद-211008, उत्तर प्रदेश	3,22,785
22.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, देवोकाली, योजना कार्यालय के सामने, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	1,75,095
23.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	66,150
24.	रसपेक्ट एज इंटरनेशनल, बंगला नं. 1, जौही मंडी, आगरा-282001 उत्तर प्रदेश	63,435
25.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, ग्राम बलियावा (करवाहिन), पो. भयाहिन, खुर्द (लाला), वाया फाजिलनगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	67,500
26.	समाज सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	78,300
27.	सर्वजन कल्याण समिति, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	65,340
28.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017, उत्तर प्रदेश	5,15,963
29.	श्री कंचनलाल सगुना सेवा संस्थान, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	1,93,590
30.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, मोहम्मदपुर भाई, वाया-बिसौली, बदायुं, उत्तर प्रदेश-202520	36,450
31.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान, जे-2/3, पान्डेय का तालाब, आइसाबाग, लखनऊ-226004	1,53,900
32.	तिलक शैक्षिक समिति, 69-ए, तिलकनगर, इलाहाबाद, उ.प्र.	2,71,890
33.	तिलक शैक्षिक समिति, 69-ए, बाघंबरी रोड, इलाहाबाद	56,700
34.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति, 5/97, ए, कल्याणपुर (विकास नगर), देहरादून, उत्तर प्रदेश	6,20,200
35.	वीमेन वैलफैयर एंड कल्चरल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ उत्तर प्रदेश	1,35,000

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष 1998--99 के दौरान निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
(I) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रमों की योजना		
उत्तर प्रदेश		
1.	सेंट मेरी इन्टर कॉन्टीनेन्टल चाइल्ड एवं वूमेन वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, लखनऊ, उ.प्र.	2.46
2.	सोशल एंड इकोनामिक डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूशन, लखनऊ, उ.प्र.	1.85
3.	समाज सेवा संस्थान लखनऊ, उ.प्र.	2.46
4.	अवध संस्थान, वाराणसी, उ.प्र.	2.46
5.	महिला चेतना समिति, वाराणसी, उ.प्र.	3.06
(II) बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना		
1.	महिला चेतना समिति, वाराणसी, उ.प्र.	3,05,850
2.	समाज सेवा संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.	2,46,479
3.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ, उ.प्र.	3,69,720
4.	उत्तर प्रदेश काउंसिल फोर चाइल्ड वेलफेयर, लखनऊ, उ.प्र.	8,16,930
(III) वयोवृद्धों हेतु स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता योजना		
1.	ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.	49,410
2.	कमला लोक संगत शिक्षण एवं समाज संस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1,10,948
(IV) वृद्धावस्था, आश्रम/बहु-सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए योजना		
1.	कृषक विकास समिति, विवेकानन्द कालोनी, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर जिला	3.49

सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष 1998-99 के दौरान निर्मुक्त राशि (28.2.99 की स्थिति के अनुसार)
1.	मंगलम, लखनऊ	30.00
2.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	3.00
3.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, रामपुर	20.00

वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया अनुदान

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	निर्मुक्त राशि (रु. में)
1	2	3
1.	देव सरस्वती शिक्षा परिषद, कुशीनगर	3,23,852
2.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	35,452
3.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, रामपुर	9,63,348
4.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़	1,61,780
5.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, फैजाबाद	3,22,650
6.	सरस्वती बधिर सेवा समिति, लखनऊ	1,16,523
7.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद, गोंडा	2,91,312
8.	आर ए पी एच ई एल, देहरादून	3,37,551
9.	विकलांग विकास परिषद, आगरा	1,59,227
10.	चेतना लखनऊ	3,10,248

1	2	3
11.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	2,59,461
12.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	7,93,012
13.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	1,57,824
14.	–वही–	1,76,749
15.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, फैजाबाद	3,86,571
16.	पवहारी स्मृति परिषद, गाजीपुर	2,12,949
17.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	5,52,933
18.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद, गोंडा	5,82,624
19.	प्रागनारायन मूक बधिर विद्यालय, अलीगढ़	5,400
20.	–वही–	2,04,996
21.	जन कल्याण शिक्षा सिमति, कुशीनगर	10,01,664
22.	–वही–	9,72,769
23.	जीवन ज्योति स्कूल फार दी ब्लाइंड, वाराणसी	2,68,499
24.	के.बी. जूनियर हाईस्कूल, मुरादाबाद	1,55,232
25.	यू.पी. डेफ एण्ड एम. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	3,07,195
26.	देव सरस्वती शिक्षा परिषद, कुशीनगर	3,08,736
27.	स्वामी आतनदेव गोपालानंद शिक्षण संस्थान, फर्रूखाबाद	5,39,640
28.	बी.सी.जी. स्कूल फार डेफ, वाराणसी	1,07,228

1	2	3
29.	सूर स्मारक मण्डल आगरा	1,17,861
30.	बी.सी.जी. स्कूल फार दी डेफ, वाराणसी	48,812
31.	गूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर	6,79,700
32.	खृस्त ज्योति सोसाइटी एण्ड नव वाणी, वाराणसी	3,60,451
33.	इंटर एक्ट सोसाइटी फार स्पास्टिक एण्ड हैंडिकैप्ड, नोएडा	1,44,718
34.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	3,96,506
35.	जन कल्याण अवाम नारी उत्थान समिति, फैजाबाद	2,61,495
36.	-तदैव-	34,129
37.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	2,76,466
38.	गुंज बेहरान का विद्यालय कानपुर	3,18,301
39.	तदैव	3,78,314
40.	डीफ एंड डम्प स्कूल, मेरठ	6,54,720
41.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	4,13,856
42.	अपंग असहाय जन विकास संस्थान, बिजनौर	2,18,882
43.	गोर स्मारक मंडल आगरा	1,93,068
44.	नेशनल एसो. फार दि ब्लाइंड, बिजनौर	18,075
45.	-तदेव-	1,03,550
46.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	44,546

1	2	3
47.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	71,862
48.	–तदैव–	1,42,233
49.	जन कल्याण शिक्षा समिति, कुशीनगर	4,86,384
50.	बी.सी.सी. स्कूल फार डीफ, वाराणसी	3,60,775
51.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	40,324
52.	ज्योति स्कूल फार दि हैंडीकैप्ड, ऋषिकेष	1,13,430
53.	हनुमान पद्दौर अन्ध विद्यालय, वाराणसी	5,17,818
54.	स्वामी आत्मदेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान फर्रूखाबाद	5,69,369
55.	चेतना, लखनऊ	2,50,326
56.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति, इलाहाबाद	2,57,913
57.	चेतना, लखनऊ	91,437
58.	नव बेनी स्कूल, वाराणसी	1,84,839
59.	हैंडीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल आगरा	79,956
60.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद	2,06,928
61.	राफेल, देहरादून	3,54,663
62.	चेतना, लखनऊ	1,85,472
63.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति, इलाहाबाद	3,09,510
64.	यू.पी. डीफ एंड डम इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद	2,65,002

1	2	3
65.	के.जी. जूनियर हाईस्कूल, मुरादाबाद	77,615
66.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर रामपुर	7,92,074
67.	इन्स्ट्रेक्ट सोसायटी फार स्पास्टिक एंड हैंडीकैप्ड, नयोदा	83,137
68.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण अवाम शिक्षा समिति	1,53,990
69.	सरस्वती बधिर सेवा समिति, लखनऊ	1,14,843
70.	प्रियानारायण मूक बधिर विद्यालय, अलीगढ़	3,15,458
71.	रेफल, देहरादून	12,096
72.	मंगलम, लखनऊ	73,495
73.	नेशनल फैलोशिप एंड रिहैब्लीटेशन सेंटर फार दि ब्लाइंड, इलाहाबाद	2,20,594
74.	के.एस.जे. हाई स्कूल, मुरादाबाद	1,00,863
75.	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फार दि डीफ, लखनऊ	2,59,866
76.	निर्वन, लखनऊ	99,538
77.	मंगलम, लखनऊ	54,580
78.	गुजें बहरीन का विद्यालय, कानपुर	3,14,110
79.	-तदैव-	3,39,850
80.	बाल विकास अभाम महिला क्लब, परिषद गोंडा	3,54,959
81.	गुजें बहरोन का विद्यालय, कानपुर	2,92,562

1	2	3
82.	आनन्द चेरीटेबल सोसायटी, गाजियाबाद	86,409
83.	दयो सरस्वती शिक्षा परिषद, कुशीनगर	4,57,182
84.	सूर स्मारक मंडल, आगरा	94,398
85.	नेशनल फैलोशिप एंड रीहेबलीटेशन सेंटर फार दि ब्लाइंड, इलाहाबाद	3,34,300
86.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, पिथौड़ागढ़	1,60,470
87.	निरवान, लखनऊ	1,61,280
88.	नहीं दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	6,32,116
89.	-तदैव-	2,91,245
90.	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फार दि डीफ, लखनऊ	3,79,229
91.	-तदैव-	2,24,692
92.	रचना संस्थान गोरखपुर	1,89,080
93.	संकल्प सहारनपुर	34,740
94.	सूर स्मारक मंडल, आगरा	1,09,458

[अनुवाद]

असम के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

3139. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम में वर्तमान समय में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या असम के गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी कराने से संबंधित कुछ आवेदन सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता की राशि

निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (रुपए लाख में)
1995-96	44.52
1996-97	53.21
1997-98	27.84

(ख) जी, हां।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों से पूर्ण सूचनाओं/दस्तावेजों तथा राज्य सरकार से सिफारिशों के प्राप्त न होने के कारण।

(घ) कमियों को दूर करने तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर आवेदनों पर कार्रवाई का जाएगी।

मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना

3140. श्री सतनाम सिंह कैंथ: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** सी.एस.एस. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना के बारे में 9 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक आबंटित दुकान से प्राप्त लागत और तारीख सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक अनाबंटित दुकान का आरक्षित मूल्य सहित ब्यौरा क्या है और इनके आबंटन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) 1998 के दौरान इन दुकानों के आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने अनुरोध प्राप्त किए गए;

(घ) उन्हें इन दुकानों का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन आवासीय फ्लैटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) क्या इनमें से कुछ फ्लैट जूते बनाने वाले एककों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने बताया है कि मादीपुर में जनता फ्लैट स्कीम-I तथा II के अन्तर्गत निर्मित 30 दुकानों में से 19 दुकानें बेच दी गई हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) आबंटित न की गई दुकानों का संबंधित विवरण-II में दिया गया है। अनेक प्रयासों के बावजूद कोई प्रत्युत्तर नहीं था।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार, निर्मित वाणिज्यिक संपत्तियों का निपटान कुछ आरक्षित श्रेणियों को नीलामी अथवा ड्रा के माध्यम से आबंटन द्वारा किया जाता है जिसमें अति अनुकंपा आधार पर आवंटन भी शामिल है। वर्ष 1998 के दौरान एक दुकान के आवंटन के लिए एक अभ्यावेदन मिला किन्तु निर्धारित मानदंड पूरे न करने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

(ङ) मादीपुर में 209 जनता फ्लैटों का सर्वेक्षण किया गया तथा 30 फ्लैटों में दुरूपयोग पाया गया। इन फ्लैटों का उपयोग विभिन्न दुकानों के रूप में किया जा रहा है। आबंटन/पट्टा विलेख की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन करने के कारण इन आबंटियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाएंगे। क्षेत्र (हिमोटीफाइड) अनधिसूचित है और भवन-निर्माण/क्रियाकलापों की निगरानी दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है।

(च) डीडीए ने बताया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में कुछ टेनामेंटों का प्रयोग जूता बनाने वाली इकाइयों के रूप में किया जा रहा है।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

मादीपुर/पश्चिमपुरी में सीएससी में आबंटित दुकानों/इकाइयों का विवरण स्कीम-I

इकाई सं.	आरक्षित मूल्य	बोली की राशि/ प्रीमियम	नीलामी की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	8,200/- रु.	10,500/-रु.	20.10.78	
2.	8,200/-रु.	10,300/-रु.	20.10.78	

1	2	3	4	5
3.	33,900/-रु.	41,600/-रु.	10.1078	
5.	41,900/-रु.	41,900/-रु.	–	आबंटन द्वारा
7.	4,400/-रु.	6,500/-रु.	16.1.97	
12.	21,900/-रु.	21,900/-रु.	–	आबंटन द्वारा
13.	10,200/-रु.	10,200/-रु.	–	आबंटन द्वारा
14.	10,200/-रु.	13,500/-रु.	2.5.99	
15.	10,200/-रु.	12,800/-रु.	29.5.79	
		स्कीम-II		
1.	19,500/-रु.	19,500/-रु.	–	आबंटन द्वारा
2.	17,200/-रु.	17,200/-रु.	–	आबंटन द्वारा
3.	16,200/-रु.	16,200/-रु.	–	आबंटन द्वारा
4.	10,200/-रु.	10,500/-रु.	2.5.79	
5.	33,900/-रु.	40,100/-रु.	18.9.79	
6.	10,200/-रु.	10,300/-रु.	2.5.79	
11.	4,400/-रु.	12,300/-रु.	29.8.79	
12.	8,200/-रु.	16,700/-रु.	29.6.79	
13.	8,200/-रु.	11,800/-रु.	29.5.79	
14.	17,400/-रु.	17,400/-रु.	–	आबंटन द्वारा
			कुल आबंटित इकाइयां 19	

विवरण-II

मादीपुर/पश्चिमपुरी में सी.एस.सी. में आबंटित न की गई दुकानों/इकाइयों का विवरण

स्कीम

इकाई सं.	आरक्षित मूल्य	अभ्युक्तियां
4.	21,900/-रु.	इकाई की निपटान के लिए कई बार नीलामी में रखा गया किन्तु जनता से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।
6.	16,200/-रु.	-वही-
8.	62,600/-रु.	-वही-
9.	17,200/-रु.	-वही-
10.	30,300/-रु.	-वही-
11.	21,900/-रु.	-वही-
	स्कीम-II	
7.	30,300/-रु.	-वही-
8.	30,300/-रु.	-वही-
9.	25,000/-रु.	-वही-
10.	62,600/-रु.	-वही-
15.	24,100/-रु.	-वही-

भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चावल की खरीद

3141. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने स्थानाभाव के कारण पूर्वी गोदावरी जिले में लेवी चावल की खरीद को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय के कारण किसानों से धान की खरीद का कार्य धीमा करने हेतु चावल मिल मालिकों को उन्हें लेवी चावल की आपूर्ति करनी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। 2.3.1999 की स्थिति के अनुसार वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1998-99 के दौरान पूर्वी गोदावरी जिले में 5,20,226 टन वसूली हुई है जबकि पिछले मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान 4,35,001 टन की वसूली हुई थी।

आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से सेला चावल केरल और तमिलनाडु को भेजकर, आन्ध्र प्रदेश अन्य उपभोक्ता केन्द्रों को रॉ चावल प्रेषित करके और केन्द्रीय/राज्य भण्डारण निगमों तथा प्राइवेट पार्टियों से स्थान किराये पर लेकर वहां अपेक्षित भण्डारण स्थान सृजित किया जा रहा है। अत: भण्डारण स्थान कोई बाधा नहीं है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

3142. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री आदित्य नाथ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. की विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी गतिविधियों रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में आई.एस.आई. द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उकसाया जा रहा है। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पा लिया गया है परन्तु इस आशय के अनेक प्रमाण हैं जिनसे यह पता चलता है कि पंजाब के आतंकवादियों को पाकिस्तान की आई.एस.आई./आसूचना एजेन्सियों द्वारा आश्रय, प्रशिक्षण और हथियार दिए जा रहे थे। देश के विभिन्न भागों, नामत: 1993 में मुम्बई में हुए बम विस्फोटों, 1996 में लाजपत नगर, नई दिल्ली में हुए बम विस्फोटों तथा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1996-97 में हुए अनेक विस्फोटों से पता चलता है कि हमारे देश को अस्थिर करने में पाकिस्तान की आई.एस.आई. संलिप्त थी।

(ग) सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए एक सुसमन्वित तथा बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, भीतरी प्रदेशों में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके तथा सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करके उनके इरादों को निष्क्रिय करना; आसूचना का आदान-प्रदान करना; आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना तथा पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और उनका उन्नयन करना शामिल है।

[हिन्दी]

आराम बाग में पानी की आपूर्ति

3143. **श्री भीम दाहाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आराम बाग सरकारी कालोनी के टाइप I/II क्वार्टरों में पानी का दबाव बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है/प्रस्तावित है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) पानी का दबाव कम होने की शिकायतें ब्लाक सं. 87 से लेकर 97 (88 टाइप I क्वार्टर) तक के निवासियों से प्राप्त हुई हैं। कुछ निवासियों ने जल आपूर्ति वाले लाइनों में बूस्टर लगा दिए हैं। जिससे पानी का दबाव कम हुआ है। उनसे ऐसे बूस्टर हटाने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

दहेज प्रथा

3144. **श्री अमन कुमार नागरा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1999 के ''हिन्दू'' में ''मीट ऑन वूमेन एम्पावरमेंट ओपन्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड दहेज में कम्प्यूटर देने की वकालत करके ''दहेज'' प्रथा को बढ़ावा दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सरकार की दहेज विरोधी नीति के खिलाफ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महिला अधिकारिता की मुख्य नीति दहेज के रूप में कम्प्यूटर है;

(च) यदि हां, तो इस प्रचार के क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. एजेन्टों की गिरफ्तारी

3145. **श्री सी.डी. गामीत :**
श्री मोहन रावले :
श्री मोहन सिंह :
श्री रमेश सी. जिगाजिनागी :
श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1999के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' के ''यू.एस. पेपर निक्सेस दिल्ली पोलिश क्लेम आन बिन लादेन मैन्स अरेस्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आई.एस.आई. के एक एजेंट और उसके तीन साथियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया था जिनका उद्देश्य भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कार्यालय को उड़ाना था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कोई अमरीकी दल जांच के लिए भारत आया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) किन-किन लोगों से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूछताछ की तथा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) यह समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध आई.एस.आई. एजेंट को गिरफ्तार किया था तथा उससे दो किलोग्राम आर.डी.एक्स और पांच-डिटोनेटर्स बरामद किए थे। उससे की गई पूछताछ से पता चलता है कि वह, कुछ आई.एस.आई. एजेंटों/भाड़े के विदेशी सैनिकों के साथ पहले भी भारत आया था, जिन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, कलकत्ता और चेन्नई स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास/प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने का कार्य सौंपा गया था उससे की गई पूछताछ से मिली जानकारी पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित गुप्त गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ङ) से (छ) अमरीका समेत अनेक देशों के साथ भारत ने पारस्परिक व्यवस्था की हुई है जिसके तहत अपराधों की जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियों के कार्मिक, विशिष्ट मामलों के लिए एक दूसरे के देशों का दौरा करते हैं और उसके बाद स्वदेश लौट जाते हैं।

[अनुवाद]

जोखिम भरे तीर्थ स्थलों के तीर्थ यात्रियों का बीमा किया जाना

3146. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जोखिम भरे मार्गों से या जोखिम भरे तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे तीर्थ यात्रियों के लिए बीमा योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

एकीकृत सिविल सैन्य संधि

3147. श्री के. येरननायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना का पूर्वोत्तर और असम में घुसपैठ को रोकने हेतु उस क्षेत्र के नागरिकों के साथ एकीकृत सिविल सैन्य संधि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सरकार असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड राज्य में विद्रोह से निपटने के लिए सिविल और सुरक्षा बलों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता को मानती है। इसे ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्थिति के आधार पर राज्य-स्तरीय समन्वय समिति, स्ट्रेटिजी ग्रुपों, एकीकृत मुख्यालयों, आपरेशन ग्रुपों इत्यादि का गठन किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पद

3148. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को कम करने अथवा तत्संबंधी नीति में परिवर्तन करने का अधिकार है जैसा कि इसका प्रावधान भारत के संविधान में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त कार्यकारी परिषद् दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों को कम करने पर विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार आरक्षण नीति का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय द्वारा कोई निर्णय लेने या शक्ति का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का आयात

3149. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित चीनी की किस्मों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन देशों से आयात की गई; और

(ख) प्रत्येक किस्म पर प्रभारित सीमा शुल्क और "फ्रेट ऑन बोर्ड" का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत होने के कारण विभिन्न निजी पार्टियां अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार चीनी का आयात कर रही है। डी.जी.सी.आई.एस.-कलकत्ता के अनुसार आस्ट्रेलिया, बेल्जीयम, ब्राजील, फ्रांस, जर्मन एफ. गणराज्य, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब एमिरात, यू.के., यू.एस.ए, हांगकांग, इन्डोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मयन्मार, मैक्सिको, फिलिपिन्स, सउदी अरब, थाईलैण्ड, कनाडा, चाइनीज तेइपी, चीन पी गणराज्य, ईरान, नीदरलैंड तथा सूडान आदि देशों से चीनी का आयात किया जा रहा है।

सरकार ने आयातित चीनी पर दिनांक 28 अप्रैल, 1998 से 5% का मूल सीमा शुल्क तथा 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क लगाया। दिनांक 14.1.1999 से मूल सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था।

वर्ष 1999-2000 के आम बजट में आयातित चीनी के शुल्क को 20% से और बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दवाइयों के मूल्य में वृद्धि

3150. श्री मोतीलाल वोरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1999 के "जनसत्ता" में पेटेण्ट कानून के बाद दवाइयों की कीमतें बेतहाशा बढेंगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ट्रिप्स समझौतों में मूल्य नियंत्रण उपायों के प्रयोग पर रोक नहीं लगाई गई है। इस समय भारत ने अस्थायी उपबंधों की पसन्द किया है जैसी कि ट्रिप्स समझौते में व्यवस्था

की गई है, जो 31 दिसम्बर, 2004 तक लागू है और उस तारीख तक, जब तक उत्पाद पेटेंट देश में उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा यह आशा है कि किसी भी समय बाजार में बेची गई दवाइयों का 10% से अधिक उत्पाद पेटेंट में शमिल नहीं होगा। लगभग सभी उपाचारात्मक श्रेणियों, जेनटिक/पेटेंट में वैकल्पिक (औषधें) उपलब्ध होंगी।

स्वर्ण जयंती वर्ष

3151. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 14 सितम्बर, 1999 से शुरू होने वाली राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाने हेतु तैयारी शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिंदी सलाहकार समिति गठित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रभाषा हिंदी को देश भर में राजभाषा के रूप में क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) 14 सितम्बर, 1999 से एक वर्ष तक राजभाषा स्वर्ण जयंती मनाए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में अभी तक किसी समिति का गठन नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) संविधान की धारा 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। राजभाषा से संबंधित सभी आदेश देश भर में फैले केन्द्रीय कार्यालयों, संस्थानों आदि द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। फिर भी सरकार प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के साथ पिछले कई दशकों से राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

आई.एस.आई.

3152. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. जम्मू और कश्मीर के लड़कों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कश्मीरियों को तालीबान के साथ अत्याधुनिक हथियारों के प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार को पाकिस्तान और उसकी सरकारी एजेंसी (आई.एस.आई.) की गतिविधियों की जानकारी है जिसने आतंकवाद और गुप्त क्रियाकलापों को भारत के खिलाफ अपनी नीति के एक हथियार के रूप में निरन्तर प्रयोग किया है। इसने आतंकवादियों की भर्ती की है, उन्हें प्रशिक्षण, धन और हथियार दिए हैं और उनकी भारत में घुसपैठ करवाई है।

(घ) भारत सरकार ने लगातार यह मांग की है कि उन्हें इन गतिविधियों को तुरन्त बन्द करना चाहिए और अपने क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों को भी बन्द करना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति कार्यान्वित की गयी है, जिसमें सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, प्रतिकारक कार्रवाइयों के जरिए अन्दरूनी भागों में उग्रवाद का मुकाबला करना, ग्राम सुरक्षा समितियों की स्थापना करना, विभिन्न फील्ड एजेन्सियों के बीच समन्वय में सुधार करना, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती करना और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता

3153. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री अमन कुमार नागरा :
श्री रामशकल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के बीच साक्षरता की प्रतिशतता से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों में साक्षरता प्रतिशत के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में राज्य-वार साक्षरता प्रतिशत संलग्न विवरण में दी गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों में सम्मिलित हैं:-

प्राथमिकता आधार पर प्राथमिक स्कूलों को खोलना, प्रारम्भिक स्तर पर जनजातीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का विकास, छात्रावासों, आवासीय स्कूलों और आश्रम स्कूलों, पुस्तक बैंकों और कोंचिंग कक्षाओं की स्थापना, छात्रवृत्तियों और मुक्त शिक्षा का प्रावधान तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना।

विवरण

संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दरें–1991

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5
भारत*		52.21	37.41	29.60
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	44.09	31.59	17.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.59	57.27	34.45
3.	असम	52.89	53.94	49.16
4.	बिहार	38.48	19.49	26.78
5.	गोवा	75.51	58.73	42.91
6.	गुजरात	61.29	61.07	36.45
7.	हरियाणा	55.85	39.22	0.00

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	63.86	53.20	47.09
9.	कर्नाटक	56.04	38.06	36.01
10.	केरल	89.81	79.66	57.22
11.	मध्य प्रदेश	44.20	35.08	21.54
12.	महाराष्ट्र	64.87	56.46	36.79
13.	मणिपुर	59.89	56.44	53.63
14.	मेघालय	49.10	44.27	46.71
15.	मिजोरम	82.87	77.92	82.73
16.	नागालैंड	61.65	0.00	60.59
17.	उड़ीसा	49.09	36.78	22.31
18.	पंजाब	58.51	41.09	0.00
19.	राजस्थान	38.55	26.29	19.44
20.	सिक्किम	56.94	51.03	59.01
21.	त्रिपुरा	60.44	56.66	40.37
22.	तमिलनाडु	62.66	46.74	27.89

1	2	3	4	5
23.	उत्तर प्रदेश	41.70	26.85	35.70
24.	पश्चिम बंगाल	57.70	42.21	27.78
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकबार द्वीप समूह	73.02	0.00	56.62
2.	चंडीगढ़	77.81	55.44	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	40.71	77.64	28.21
4.	दमन और दीव	71.20	79.18	52.91
5.	दिल्ली	75.29	57.60	0.00
6.	लक्षद्वीप	81.78	0.00	80.58
7.	पांडिचेरी	74.74	56.26	0.00

*जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना न हो पाने की वजह से वहां के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

3154. श्री जयसिंहजी चौहान :
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 22 अगस्त, 1990 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) के कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) में तथा इसके शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय तथा उसके क्रियान्वयन के तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साधारण निकाय और उसके शासी बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसरण में और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगम ज्ञापन के उस समय विद्यमान खण्ड-3 (ख) और नियमों के अनुसार, संगठन के छः सेवा संघों के अध्यक्षों भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पत्र सं. 3(4)-4/91/यू.टी. 2 दिनांक 31.12.94 के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन और उसके शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया था।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड ने दिनांक 6 सितम्बर, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नामांकित करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय खुले उद्देश्यपूर्ण स्वरूप को समाप्त करने के लिए नियम 3(ख) को हटाने का संकल्प पारित किया ताकि संगठन को बोझिल होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे नामांकनों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं से एक-एक सदस्य शामिल हो, नियम 19(9) को संशोधित किया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगम ज्ञापन और नियमों के नियम 19(9) का संशोधन करने और नियम 3(ख) को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े आकार के फ्लैटों की बिक्री

3155. डा. सरोजा वी. : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एम.आई.जी., एच.आई.जी. और एल.आई.जी. के अंतर्गत बड़े आकार के फ्लैटों की बिक्री कर रहा है जिससे राजस्व का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वह एम.आई.जी., एच.आई.जी. और एल.आई.जी. के तहत बड़े आकार के फ्लैटों की बिक्री नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पुरातत्व संग्रहालय से चोरी

3156. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुरातत्व संग्रहालय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और इनका वर्गीकरण क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संग्रहालयों में प्रतिवर्ष चोरी के कितने मामले हुए; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले स्थल संग्रहालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थल संग्रहालयों में चोरी की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पुरातत्व स्थल संग्रहालयों की सूची

1.	भारतीय युद्ध मिमोरियल संग्रहालय	लाल किला	दिल्ली
2.	लाल किला संग्रहालय	लाल किला	दिल्ली
3.	पुराना किला संग्रहालय	नई दिल्ली	नई दिल्ली
4.	सारनाथ संग्रहालय	सारनाथ	उत्तर प्रदेश
5.	ताज महल संग्रहालय	आगरा	उत्तर प्रदेश
6.	रोपड़ संग्रहालय	रोपड़	पंजाब

7.	कालीबंगन संग्रहालय	कालीबंगन	राजस्थान
8.	सांची संग्रहालय	सांची	मध्य प्रदेश
9.	खजुराहो संग्रहालय	खजुराहो	मध्य प्रदेश
10.	ग्वालियर संग्रहालय	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
11.	चंदेरी संग्रहालय	चंदेरी	मध्य प्रदेश
12.	नालंदा संग्रहालय	नालंदा	बिहार
13.	वैशाली संग्रहालय	वैशाली	बिहार
14.	बौद्ध गया संग्रहालय	बौद्ध गया	बिहार
15.	रत्नागिरी संग्रहालय	रत्नागिरी	उड़ीसा
16.	कोणार्क संग्रहालय	कोणार्क	उड़ीसा
17.	फोर्ट सैन्ट जार्ज संग्रहालय	मद्रास	तमिलनाडु
18.	अमरावती संग्रहालय	अमरावती	आंध्र प्रदेश
19.	नागार्जुन कोंडा संग्रहालय	नागार्जुन कोंडा	आन्ध्र प्रदेश
20.	चन्द्रागिरी संग्रहालय	चन्द्रागिरी	आन्ध्र प्रदेश
21.	कोंडापुर संग्रहालय	कोंडापुर	आन्ध्र प्रदेश
22.	मत्तनचेरी पैलेस संग्रहालय	कोचीन	केरल
23.	हम्पी संग्रहालय	हम्पी	कर्नाटक
24.	बीजापुर संग्रहालय	बीजापुर	कर्नाटक

25.	एहोल संग्रहालय	एहोल	कर्नाटक
26.	बादामी संग्रहालय	बादामी	कर्नाटक
27.	टीपू सुल्तान संग्रहालय	श्री रंगापट्टनम	कर्नाटक
28.	हेलीविड संग्रहालय	हेलीविड	कर्नाटक
29.	वेल्हा गोवा संग्रहालय	गोवा	गोवा
30.	लोथल संग्रहालय	लोथल	गुजरात
31.	हजारदारी पैलेस संग्रहालय	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल
32.	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय	लाल किला	दिल्ली
33.	सलीम गढ़ मिमोरियल संग्रहालय	सलीमगढ़ किला	दिल्ली

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास हेतु धनराशि का आबंटन

3157. डा. सुशील इंदौरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास कार्य के लिए आबंटित धनराशि में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1998-99 के लिए पहले कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) दिसम्बर, 1998 के अंत तक इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय की गई थी;

(घ) उस वर्ष के लिए आबंटित कुल धनराशि में से कितनी राशि कम की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) से (ङ) कुछ कार्यान्वयन एजेन्सियों के निष्पादन के आधार पर तथा इन एजेंसियों के पास बची हुई बिना खर्च हुई राशि के संचय की जांच पड़ताल करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आवंटन की 9900 करोड़ रु. से घटाकर 9400 करोड़ रु. कर दिये जाएं और इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवंटन 500 करोड़ रु. तक कम हो जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिसम्बर, 1990 तक 8285.80 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

गरीबी निवारक कार्यक्रम

3158. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न गरीबी निवारक कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न गरीबी निवारक कार्यक्रमों जैसे ट्राइसेम, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए., सी.आई.टी.आर.ए. और जी.के.वाई. को समाप्त करने और उन्हें समूह आधारित आई.डी.आर.पी. योजना में विलय करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) और (ख) गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करने तथा पुर्नगठित करने के लिए योजना आयोग ने प्रो. एस.आर. हाशिम, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अप्रैल, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) और (घ) हाशिम समिति के प्रस्ताव की सिफारिशों पर आधारित स्व-रोजगार कार्यक्रमों के पुर्नगठन के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। केवल एक स्वरोजगार कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है जिसमें प्रशिक्षण, ऋण, ढांचा तथा विपणन के पहलू शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सामूहिक गतिविधियों पर केन्द्रित होगा तथा इसमें सामूहिक गतिविधियों पर ज्यादा जोर दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम

3159. श्री निखिलानन्द सर : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा ढांचे के बावजूद भारतीय खाद्य निगम की प्रबंधन पूर्वी क्षेत्र से दूर स्थित पत्तनों में माल उतारने का काम कर रही है जिससे अत्यधिक परिवहन प्रभार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र में गोदाम के निर्माण के लिए विश्व बैंक से लिया गया ऋण अन्यत्र खर्च किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार डिपुओं और जिला कार्यालयों की संख्या में कमी करने और पूर्वी क्षेत्र के जे.एम.पी.ओ. क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करने का है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। नवम्बर, 1998 में गेहूं का भी आयात बंद हो गया था और वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम किसी प्रकार के आयातित खाद्यान्नों को हैंडल नहीं कर रहा है। तथापि, सरकार के निर्णयानुसार, राज्य व्यापार निगम द्वारा निष्पादित ठेकों के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1998-99 के दौरान आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं (जहाजों) को आर्थिक कारणों से जे.एम. पत्तन और कांडला पत्तन के अलावा दक्षिणी राज्यों में स्थित विशिष्ट पत्तनों पर भी हैंडल किया गया था। उड़ीसा स्थित गोपालपुर पत्तन को 1998-99 में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि यह एक मौसमी-पत्तन है और इसे मार्च से अक्तूबर, 1998 के दौरान बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) पूर्व और उत्तर-पूर्व जोन में विश्व बैंक द्वारा पूर्व में किए गए वित्त पोषण के अधीन निम्नलिखित गोदामों का निर्माण किया गया था:-

बिहार क्षेत्र

गया	13,340 टन
फुलवारीशरीफ	4,590 टन
	17,930 टन

उड़ीसा क्षेत्र

जालेश्वर फेस-I	2,500 टन
जालेश्वर फेस-II	2,500 टन
रुपसा	2,500 टन
डूंगरापल्ली	5,000 टन
झारसुगुदा	5,000 टन
धनकनाल	2,500 टन
	20,000 टन

असम क्षेत्र

टांगला	5,000 टन
नारायणपुर अनंत	5,000 टन
सिल्चर	10,000 टन
	20,000 टन

उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र

मणिपुर (इम्फाल)	5,00 टन

(ङ) से (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम में कार्यालयों का पुनर्गठन का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जो प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

प्रदूषित जल की आपूर्ति

3160. प्रो. अजीत कुमार मेहता :
श्री राजवंशी महतो :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ककरोला झुग्गी-झोपड़ियों में दूषित जलापूर्ति के कारण हुई मौतों की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वह जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है।

बंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का केन्द्र

3161. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कर्नाटक सरकार भूमि, भवन और अन्य आधारभूत सुविधायें मुहैया कराने हेतु सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसके खुलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने बंगलौर में अपना नया दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। बंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित 5 एकड़ भूमि पर स्थायी भवन निर्माण का कार्य लंबित पड़े होने के कारण कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए बिना किराए के अस्थायी आवास उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। राज्य सरकार ने भी उक्त भवन के 25000 वर्ग फुट के कारपेट क्षेत्र के निर्माण कार्य की लागत को वहन करने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। आयोग ने राज्य सरकार की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है और इसे स्थापित करने के लिए रूपात्मकता विकसित की जा रही है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संग्रहालय के अन्तर्गत निर्माण कार्य

3162. श्री कल्लाप्पा आवाडे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय संग्रहालय के अन्तर्गत किलों में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु उनके मंत्रालय को दूरसंचार विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ताकि किले में स्थापित किये गये दूरभाष टावर की सीमा शक्ति बढ़ायी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में कोई राष्ट्रीय अभिलेखागार नहीं है और इसलिए मेरे मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा नीति

3163. **श्री के.एस. राव :**
श्री नरेश पुगलीया :
डा. शकील अहमद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति वांछित परिणाम नहीं दिखा पाई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु शिक्षा नीति को एक नये रूप में लागू करने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) स्वतंत्रता के बाद समय-समय पर शिक्षा नीति की समीक्षाएं की गई हैं। वर्तमान समय में वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है। सरकार ने इस नीति पर और अधिक विश्वास रखते हुए अभिशासन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शैक्षिक प्राथमिकताओं की सूची बनाई है जिसके लिए आम सहमति के सिद्धांत को बनाए रखते हुए राज्य सरकारों से परामर्श किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 1999-2000 के लिए बजट प्रस्तावों में शिक्षा विभाग (केन्द्रीय क्षेत्रक) के लिए लगभग 4700 करोड़ रु. का प्रावधान है।

आतंकवाद का मुकाबला

3164. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पूर्वी राज्यों में आतंकवाद का मुकाबला करते हुए कितने पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इन मृतकों के संबंधियों को मुआवजे का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जम्मू एवं कश्मीर में 1990 और 28.2.99 के बीच आतंकवादी संबंधी हिंसा में 7863 सुरक्षा बलों में कार्मिक मारे गए हैं। पूर्वी राज्यों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) आतंकवाद संबंधी हिंसा में मारे गए लोगों के निकटतम संबंधी को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुग्रहपूर्वक राहत की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अदायगी, एक सतत् प्रक्रिया है।

गैस राहत कोष में हेराफेरी

3165. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 सितम्बर, 1998 के "दि हिन्तुस्तान टाइम्स" में "बंगलिंग इन गैस रिलीफ फंड्स अलेण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणानुकूल पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 258 करोड़ रु. का परिव्यय मंजूर किया है। सभी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका खर्च केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा भेजी

गई रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर जनवरी, 1999 तक लगभग 204 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने अब तक 166.37 करोड़ रु. दिए हैं। कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की गई है और केन्द्र सरकार राज्य सरकार के भाग के रूप में दी जाने वाली धनराशि के जारी करने और अस्पताल परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति के बारे में चिन्ता प्रकट करती रही है।

सड़क दुर्घटनाएं

3166. **श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :**
श्री दिलीप संघाणी :
श्री दत्ता मेघे :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्री पी.सी. थामस :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान दिल्ली और दिल्ली के आस-पास की सड़कों पर उतावलापन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आज तक कितने लोगों की जानें गई और कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उन वाहनों द्वारा मरने वाले व्यक्ति कितने हैं जिनका अब तक कोई अता-पता नहीं है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को दोषी करार देकर उन पर मुकदमा चलाया गया;

(घ) क्या उन मोटर वाहनों द्वारा मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा दिया गया जिनके चालकों तथा वाहनों का अभी भी कोई अतापता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन दुर्घटनाओं का पर्याप्त निवारण करने हेतु संबद्ध कानूनों में कोई परिवर्तन विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	सूचित दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1997	10957	2343
1998	10217	2123
1999 (28.2.99 तक)	1679	319

(ख) प्रश्नगत अवधि के दौरान उन वाहनों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या जिनका अभी तक पता नहीं चल सका:-

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1997	761
1998	623
1999 (28.2.99 तक)	136

(ग) प्रश्नगत अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों में गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या
1997	7642	277
1998	6558	73
1999 (28.2.99 तक)	870	1

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान्। यातायात संबंधी अपराधों के लिए कड़ा-से-कड़ा दण्ड देना ही उद्देश्य है।

(ज) दिल्ली पुलिस द्वारा यातायात प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है-तीव्र गति से चलने वाले यातायात को धीमे चलने वाले यातायात से अलग करना, यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करना, तथा मोटर-वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना।

रेलवे स्टेशनों का पुनः नामकरण करना

3167. **श्री बासवराज पाटील सेडाम:**
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर दूसरा नाम रखने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ग) अपेक्षित सूचना देते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति/अभ्युक्तियां
1.	असम	तिनसुखिया गुड्स रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सौबानन्दा सिंघा रेलवे स्टेशन करना	राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
2.	कर्नाटक	सरेम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीदम रेलवे स्टेशन करना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
3.	महाराष्ट्र	तलावाडे स्टेशन का नाम बदलकर अडावली करना।	रेलवे मंत्रालय ने कार्योत्तर अनुमोदन मांगा है। रेल मंत्रालय से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
4.	राजस्थान	दकानिया तालाब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भामा शाह मंडी रेलवे स्टेशन करना	राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
5.	उत्तर प्रदेश	बासदिह रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर बालखंडी धाम करना।	राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
6.	उत्तर प्रदेश	फरहा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल धाम रेलवे स्टेशन करना।	राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
7.	उत्तर प्रदेश	नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन करना।	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता अदालतों में मामले

3168. **श्री प्रदीप कुमार यादव:**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता अदालतों में राज्यवार 1998-99 के दौरान आज तक कितने मामले आये;

(ख) क्या हर अदालत में अभी भी बड़ी संख्या में सुलझाने हेतु मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों को तेजी से सुलझाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) राज्य आयोगों, जिला गावों में उनके आरम्भकाल से दायर किए गए, निपटाए गए तथा अनिर्णीत पड़े मामलों की राज्यवार कुल संख्या क्रमश: विवरण I व II में दी गई है।

(घ) उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा अनिर्णीत मामलों को तेजी से निपटाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछेक इस प्रकार है:

(1) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995-98 के दौरान लगभग अठावन करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया है।

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहे हैं;

(3) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विविध उपभोक्ता न्यायालयों में सदस्यों/अध्यक्षों की रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरें।

(4) केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि ये न्यायालय सामान्य तौर पर कार्य करें तथा उनकी नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाए।

विवरण I

राज्य आयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभकाल से दायर किए गए मामले	आरंभकाल से निर्णीत मामले	अनिर्णीत मामले	के अंत में
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	8757	7119	1638	सित. 98
अरूणाचल प्रदेश	18	13	5	जून. 98
असम	1037	348	689	जून. 98
बिहार	4458	1874	2584	जून, 98
गोवा	935	831	104	दिस. 98
गुजरात	6675	4424	2251	दिस. 98
हरियाणा	6776	4802	1974	सित. 98
हिमाचल प्रदेश	1887	1771	116	सित. 98

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	4146	2296	850	सित. 98
कर्नाटक	6192	4127	2065	फर. 98
केरल	10686	101492	537	सित. 98
मध्य प्रदेश	6197	3463	2734	सित. 98
महाराष्ट्र	13242	8256	4986	सित. 98
मणिपुर	78	33	45	फर. 98
मेघालय	64	42	22	दिस. 97
मिजोरम	10	4	6	दिस. 98
नागालैण्ड	4	4	0	सित. 98
उड़ीसा	6015	3151	2864	मार्च 98
पंजाब	4231	2676	1555	सित. 98
राजस्थान	15363	4995	10368	मार्च 98
सिक्किम	12	12	0	जून, 98
तमिलनाडु	9545	7705	1840	सित. 98
त्रिपुरा	192	135	57	जून 98

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	20559	4535	16025	सित. 98
पश्चिम बंगाल	4287	3772	515	सित. 98
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	14	11	3	फर. 98
चंडीगढ़ प्रशासन	1661	1507	154	सित. 98
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	दिस. 98
दमण व दीव	1	0	1	सित. 98
दिल्ली	8658	5658	3000	सित. 98
लक्षद्वीप	7	7	0	सित. 98
पाण्डिचेरी	439	399	40	सित. 98

विवरण II

जिला मंच

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभकाल से दायर किए गए मामले	आरंभकाल से निर्णीत मामले	अनिर्णीत मामले	के अंत में
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	98675	82178	16497	सित. 98
अरूणाचल प्रदेश	159	136	23	जून 98
असम	6107	5210	897	जून 98

1	2	3	4	5
बिहार	36078	23330	12748	जून 98
गोवा	3132	2558	574	दिस. 98
गुजरात	55634	38548	17086	दिस. 98
हरियाणा	58842	44259	14583	सित. 98
हिमाचल प्रदेश	11340	9785	1555	सित. 98
जम्मू व कश्मीर	9684	7805	1879	सित. 98
कर्नाटक	52005	41180	10875	फर. 98
केरल	90287	84552	5735	सित. 98
मध्य प्रदेश	52743	41819	9924	सित. 98
महाराष्ट्र	80730	62931	17799	सित. 98
मणिपुर	671	647	24	फर. 98
मेघालय	193	152	41	दिस. 97
मिजोरम	238	202	36	दिस. 98
नागालैण्ड	89	85	4	सित. 98
उड़ीसा	29483	25260	4223	फर. 98

1	2	3	4	5
पंजाब	27716	24721	2995	सित. 98
राजस्थान	103435	89489	13946	दिस. 97
सिक्किम	80	75	5	जून 98
तमिलनाडु	44920	38815	6105	सित. 98
त्रिपुरा	792	641	151	जून 98
उत्तर प्रदेश	193992	139300	54692	सित. 98
पश्चिम बंगाल	42652	37745	4907	सित. 98
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	148	140	8	फर. 98
चंडीगढ़ प्रशासन	12950	8266	4684	सित. 98
दादरा व नगर हवेली	28	23	5	दिस. 98
दमण व दीव	61	30	31	सित. 98
दिल्ली	57733	41473	16260	सित. 98
लक्षद्वीप	31	30	1	सित. 98
पाण्डिचेरी	1451	1371	80	सित. 98

[अनुवाद]

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

3169. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के बदले एक ऐसे वैकल्पिक तरीके का अध्ययन कर रही है जिसमें दोहरी मूल्य नीति शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगों को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु कोई छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्ताव में वर्तमान औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के स्थान पर बाजार में बेची गई औषधियों पर एक प्रतिशत उपकर लगाने का सुझाव दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ङ) जैसा कि 27 फरवरी, 1999 को केन्द्रीय वित्त मंत्री ने लोक सभा में वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, औषध नीति की समीक्षा और मूल्य नियंत्रण तंत्र तथा संबंधित मसलों पर कार्रवाई करने के लिए इस विभाग में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा रही है।

दिल्ली-लाहौर बस सेवा में बाधा

3170. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-ताइबा ने दिल्ली-लाहौर बस सेवा में बाधा डालने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संगठन की योजना बस यात्रियों के रूप में भाड़े के विदेशी सैनिकों को सीमा पार भेजने की है; और

(ग) यदि हां, तो बस सेवा के यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु तथा देश में भाड़े के विदेशी सैनिकों के प्रवेश को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार इन धमकियों से अवगत है और संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक निवारक उपाय किए गए हैं और परम सतर्कता रखी जा रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

3171. श्री दादा साबूराव परांजपे: क्या **ग्रामीण और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार को स्थानीय संसद सदस्यों और विधायकों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता आदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(ग) उन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऐसे प्रमाण पत्र लिए गए?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

3172. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के लाने ले जाने के संबंध में "स्पष्ट रेलवे पावती" प्राप्त न होने के कारण प्रति वर्ष भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

मंडी स्थल से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की बहु-हैंडलिंग में प्रचालन/मार्गस्थ हानियां होती हैं। खाद्यान्नों की ढुलाई रेल अथवा सड़क द्वारा की जाती है।

रेलवे द्वारा "क्लीयर रेलवे रसीद" प्राप्त न होना भी प्रचालन/मार्गस्थ हानियों का एक घटक है। चूंकि पारेषण "क्लीयर रेलवे रसीद" के बिना बुक किये जाते हैं इसलिए यदि वैगन बुकिंग स्टेशन पर लगाई गई सील गंतव्य स्थान पर सही पाई जाती है तो सामान्तया रेलवे कमियों के दावे स्वीकार नहीं करती है।

(ग) प्रचालन/मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने प्रत्येक गतिविधि की अवस्था में कई उपाय किये हैं। कुछ उपाय निम्नानुसार है:

(1) डिपुओं में सुरक्षा कड़ी करने, लदान/उतरान केन्द्रों पर अचानक जांच में तेजी लाने, स्टाफ का नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय।

(2) डिपुओं में तोल-सेतु लगाना।

(3) बहु-हैंडलिंग, दुलाई और खुले वैगनों में संचालन को न्यून करना।

(4) चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना।

(5) चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाना और बोरियों की मशीन द्वारा सिलाई को प्रोत्साहित करना।

(6) प्रचालन/मार्गस्थ हानियों पर नियंत्रण करने के लिए हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने कुछ निदेश जारी किए हैं जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित विधि निर्धारित की है।

[अनुवाद]

अनिवार्य विषय के रूप में कृषि

3173. श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री मोहन रावले:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री रामपाल सिंह:
श्री रामचन्द्र बैंदा:
श्री मुकुल वासनिक:
डा. महन्त चरण दास:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कृषि की शिक्षा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि को स्कूलों में पांचवीं कक्षा से आगे की कक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) इस समय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कृषि को अलग से एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सामाजिक विज्ञान, भूगोल तथा वनस्पति विज्ञान आदि जैसे विषयों के रूप में कृषि के पहलुओं की शिक्षा दी जाती है।

[हिन्दी]

पुरूलिया घटना

3174. श्री अशोक मामदेवराव मोहोल:
श्री माधवराव पाटील:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुरूलिया घटना की जांच की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या प्राथमिक जांच रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी खामियां ध्यान में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी खामियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(घ) पुरूलिया घटना के संबंध में जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसे पुरूलिया में शस्त्र गिराये जाने के मामले की जांच करने का कार्य सौंपा गया था, ने सूचित किया है कि मामला

न्यायाधीन है। मुकदमे में अधिकांश गवाहों ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे दिया है और आगामी महीनों में और अधिक द्वारा अभिसाक्ष्य दिये जाने की संभावना है। विभिन्न देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं, जिसकी निष्पादन रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी है। मामले पर राजनयिक माध्यमों और इन्टरपोल के जरिये आगे कार्रवाई की जा रही है। 7 लापता अभियुक्तों को पकड़ने के लिए इन्टरपोल के जरिए सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिपोर्टें प्रस्तुत की है, जिनमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी कुछेक प्रशासनिक चूकों को उजागर किया गया है जो जांच पड़ताल के दौरान सामने आयी। संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों से अवगत करा दिया है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि शेष जांच कुछ अन्य देशों में की जा रही है। अत: जांच-पड़ताल पूरी किये जाने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक दवाओं का आयात

3175. श्री रामनारायण मीणा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान और आज तक कितने मूल्य की जीवन रक्षक दवाएं आयात की गईं;

(ख) ये दवाएं किन-किन देशों से आयात की गईं; और

(ग) इन दवाओं का देश में ही उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में या डी पी सी ओ, 95 में जीवन रक्षक औषधों के रूप में औषधों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है और इसलिए ऐसे कोई आधारभूत आंकड़े बनाए/रखे नहीं गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन

3176. श्री के.पी. मोहन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन प्रस्ताव की जांच करने हेतु गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जाली विश्वविद्यालयों के पनपने की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त रक्षोपाय प्रदान करने और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए आयोग को सशक्त बनाने और आयोग को सुदृढ़ करने तथा पुनर्गठित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन के प्रस्ताव की जांच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया था जिसने 15 फरवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कार्यदल की महत्वपूर्ण सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अध्यक्ष के अलावा आयोग में पूर्ण कालिक सदस्यों का प्रावधान, (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 तथा 23 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक से तीन वर्ष के बीच कारावास का दण्ड और/या एक लाख रु. से 10 लाख रु. तक का जुर्माना, (ग) देश में निजी या स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अवसर देने का प्रावधान बशर्ते कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो, और (घ) भारत में किन्हीं कार्यक्रमों के संबंध में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कार्यकरण के नियमन के लिए प्रावधान और उन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना जो डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

3177. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री राम विलास पासवान:
श्री विजय गोयल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए कितने होस्टल बने हुए हैं;

(ख) ऐसे होस्टलों से आज तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी कामकाजी महिलाओं को लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इन होस्टलों के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की इन महिलाओं के लिए कुछ और होस्टलों का निर्माण करने की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) ये होस्टल कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(झ) सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन निर्माण/विस्तार हेतु सहायता देने की महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीम के अंतर्गत 1972-73 में इस स्कीम के प्रारम्भ से अब तक 58005 कामकाजी महिलाओं के लिए 819 होस्टल स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन होस्टलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन विवरण-I में दिया गया है।

स्कीम में यह व्यवस्था है कि इसके अंतर्गत निर्मित होस्टलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तथा विकलांग कामकाजी महिलाओं के लिए आरक्षण को छोड़कर, प्रवेश की पात्र सभी कामकाजी महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा और धर्म, जाति, सम्प्रदाय, जन्म स्थान, भाषा अथवा किसी अन्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। स्कीम में विशिष्ट रूप से पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए होस्टल बनाए जाने का प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) एक विवरण II संलग्न है।

(ङ) और (च) होस्टलों को स्वीकृत करना एक सतत् प्रक्रिया है और परियोजनाओं का निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को आवश्यकता और व्यावहारिकता के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

(छ) वर्ष 1999-2000 के लिए 7.75 करोड़ रुपये का आवंटन संभावित है। राशि का निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता।

(ज) प्रस्ताव की स्वीकृति में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव स्कीम मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार है।

(झ) होस्टल का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक होस्टल के लिए एक होस्टल प्रबंधन समिति निर्धारित है।

विवरण I

11.3.99 तक स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत होस्टल	
		होस्टलों की सं.	कामकाजी महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42	2640
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	341
3.	असम	11	657

1	2	3	4
4.	बिहार	8	482
5.	गोवा	2	120
6.	गुजरात	27	1268
7.	हरियाणा	16	1373
8.	हिमाचल प्रदेश	13	472
9.	जम्मू और कश्मीर	5	352
10.	कर्नाटक	78	6548
11.	केरल	130	11591
12.	मध्य प्रदेश	67	3481
13.	महाराष्ट्र	116	8331
14.	मणिपुर	11	479
15.	मेघालय	3	214
16.	मिजोरम	3	104
17.	नागालैंड	8	493
18.	उड़ीसा	27	1698

1	2	3	4
19.	पंजाब	13	1410
20.	राजस्थान	37	1709
21.	सिक्किम	2	144
22.	तमिलनाडु	87	5460
23.	त्रिपुरा	1	50
24.	उत्तर प्रदेश	37	2761
25.	पश्चिम बंगाल	37	2524
	कुल : राज्य	790	54702

संघ राज्य क्षेत्र

26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	36
27.	चण्डीगढ़	6	580
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–
29.	दमन एवं द्वीव	–	–
30.	दिल्ली	18	2464
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पाण्डिचेरी	4	223
	कुल: संघ राज्य क्षेत्र	29	3303
	कुल : समस्त भारत	819	58005

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		प्राप्त शिकायत
1.	गोवा	पणजी में स्थित गोमन्तका मराठा समाज के होस्टल की कामकाजी महिला संवासियों ने आरोप लगाया है कि होस्टल के प्रबंधकों द्वारा उन्हें तंग किया गया और होस्टल भवन की मरममत के बहाने होस्टल को बन्द करने का प्रयास किया गया। इन शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
2.	कर्नाटक	1. एच.एम.एस. एजूकेशन सोसायटी, टुमकुर के कामकाजी महिला होस्टल का लड़कों के होस्टल के रूप में दुरुपयोग किया गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि होस्टल भवन को अपने कब्जे में ले लें और इसका उपयोग कामकाजी महिला होस्टल के रूप में करें। 2. प्राप्त एक शिकायत के अनुसार डी.बी.आई. सोसायटी, बीजापुर उस भूमि पर एक वाणिज्यिक शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण कर रही है जिस पर कामकाजी महिला होस्टल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस शिकायत को राज्य सरकार की जांच और रिपोर्ट भेजने के लिए भेज दिया गया है।
3.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश में मानव महिला कल्याण परिषद्, उज्जैन के कामकाजी महिला होस्टल को एक सरकारी महिला कालेज को पट्टे पर दिया गया है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि कालेज से होस्टल भवन खाली कराये और इसे कामकाजी महिला होस्टल के रूप में प्रयोग किया जाये।
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजूकेशन रिसर्च, पुणे के कामकाजी महिला होस्टल की एक संवासी ने आरोप लगाया था कि होस्टल प्रबंधकों द्वारा उसे तंग किया गया। उसकी शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।
5.	दिल्ली	नई दिल्ली नगर परिषद् के 2 कामकाजी महिला होस्टलों के संवासियों ने लाइसेंस शुल्क/प्रभारों में वृद्धि के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सी.आई.एस.एफ. द्वारा औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान किया जाना

3178. श्री माधवराव पाटील:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा प्रदान की जा रही औद्योगिक इकाईयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रति वर्ष केन्द्र से कितनी प्रभार राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा और औद्योगिक इकाईयों को सुरक्षा प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में तैनात किया जाता है। संलग्न विवरण में तैनाती संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल, इन राज्यों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की और तैनाती करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

1. महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भुगतान के ब्यौरों के साथ सूची जहाँ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात है।

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1998 के दौरान प्रस्तुत किए गए बिल	1998 के दौरान प्राप्त भुगतान
1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, उस्सार	43,12,162	43,12,162
2.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई	2,77,65,115	2,60,62,300
3.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई	2,08,83,786	1,94,96,625
4.	माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई	2,60,62,518	2,24,04,370
5.	नहावा यार्ड, मुंबई	46,08,887	46,08,887
6.	महाराष्ट्र गैस क्रेकर कॉम्पलेक्स नाधाथाणे, रायगढ़	3,56,96,292	3,56,44,735
7.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, मुंबई	6,39,38,739	6,39,38,739
8.	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, चेंबूर	3,44,81,146	3,20,97,802
9.	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, थाल	1,57,21,096	1,57,21,096
10.	हिन्दुस्तान ऑरगेनिक कैमिकल्स, रासायनी	1,69,95,251	1,69,95,251
11.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा	2,58,46,959	2,58,46,959
12.	हिन्दुस्तान ऐंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे	97,93,868	15,15,515
13.	हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लिमिटेड, रासायानी	95,70,664	97,37,493
14.	लुब्रिलोज इंडिया लिमिटेड, थाने	87,20,099	87,20,099
	कुल	30,43,96,852	28,71,01,703

1	2	3	4
कर्नाटक			
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बंगलौर	77,56,799	67,29,807
2.	डाओम डोनामल्ली	87,94,670	87,94,670
3.	कोसिल कुदरेमुख	3,32,44,827	3,32,44,827
4.	इसरो बंगलौर	1,92,24,081	1,86,01,117
5.	एम.सी.एफ. हुस्सन	62,25,473	54,92,028
6.	टी.एच.ई.पी. तुंगभद्रा	47,39,607	5,98,510
7.	एन.पी.सी. काईगा	1,12,57,533	1,08,82,133
8.	एन.एम.पी.टी. मंगलौर	1,71,73,106	1,71,73,106
9.	एन.एन.पी. मैसूर	95,75,816	95,75,816
	कुल	11,79,91,912	11,10,92,014

सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण/उन्नयन

3179. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की सांस्कृतिक विविधता के उन्नयन और प्रचार-प्रसार के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वयनाधीन विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में लगे संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लुप्तप्राय: प्रतिभाओं और संस्कृतियों को संरक्षित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसे किस ढंग से किया जा रहा है; और

(च) 1997-98 और 1998-99 के दौरान सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण/उन्नयन और परिसंचरण पर राज्य-वार और संगठन-वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जल-मल व्ययन प्रणाली के खिलाफ शिकायतें

3180. श्री पी. शंकरन: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लोदी रोड काम्पलेक्स के निवासियों से कालोनी की खराब जल-मल व्ययन/निकासी प्रणाली के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार इस काम्पलेक्स में चार दिवारी बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) गत दो माह के दौरान क्वार्टर के विभिन्न पाकेटों में सीवर जाम होने की पांच शिकायतें मिली और उन पर तुरन्त कार्रवाई की गई।

(ग) दिल्ली नगर निगम के सीवेज पम्पिंग के लिए चार नए पम्प स्थापित किये है, जिससे सीवेज प्रणाली की स्थिति में सुधार हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चहार दीवारी चरणबद्ध ढंग से निर्मित करने का प्रस्ताव है। फेज-1 के तहत कार्यों को पहले ही मंजूरी मिल गई है।

(च) उक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की देख-रेख

3181. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निगरानी विभाग स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा इन योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन न करने हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3182. श्री मधुकर सरपोतदार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति को "स्वतंत्रता सेनानी" घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं जिससे कि वह "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन" के अंतर्गत विभिन्न लाभों और विशेषाधिकारों को प्राप्त कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक राज्यवार ऐसे कुल कितने मामले लंबित हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी वह व्यक्ति है जिसने:

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छ: माह की कैद भोगी हो। पेंशन प्राप्ति के लिए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक भी पात्र हैं यदि उन्होंने भारत के बाहर छह महीने या अधिक की कैद/निरुद्धि की सजा भोगी है। महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों में, पेंशन की पात्रता के लिए कैद में रहने की वास्तविक अवधि तीन माह है।

(ख) वह व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक तक भूमिगत रहा हो, बशर्ते कि-

(1) वह घोषित अपराधी रहा हो;

(2) जिसकी गिरफ्तारी/मार दिए जाने पर कोई इनाम घोषित किया गया हो; अथवा

(3) जिसके निरुद्धि आदेश जारी तो हो गए हों परन्तु तामील न हुए हों:

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा छह माह अथवा अधिक की अवधि के लिए नजरबंद रखा गया हो अथवा जिले से निष्कासित किया गया हो।

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त अथवा कुर्क की गई हो और नीलाम कर दी गई हो।

(ङ) ऐसा व्यक्ति जो गोली-बारी अथवा लाठी चार्ज के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो।

(च) ऐसा व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकायों में रोजगार समेत) राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से चली गई हो।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे 10 बेंत/कोड़ों/चाबुक मारने की सजा सुनवाई गई हो।

(ग) इस समय केवल 52, नये मामले लंबित पड़े हैं। राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

आन्ध्र प्रदेश	38
उत्तर प्रदेश	09
बिहार	05

ऐसे मामलों, जिन्हें पहले एक या उससे अधिक बार नामंजूर किया जा चुका है, की समीक्षा से संबंधित 2,819 आवेदन पत्र लंबित हैं।

रसायन क्षेत्र में विद्यालय

3183. श्री डी.एस. अहिरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 फरवरी, 1999 को "इंडियन एक्सप्रेस" में 'रिकोग्नाइज्ड स्कूल पुट्स क्लास रूम्स, 1200 चिल्ड्रेन इन थाणे केमिकल जोन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार रसायन क्षेत्र में उक्त विद्यालय खोलने की अनुमति दिये जाने का कारण पूछा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या उत्तर दिया; और

(घ) केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) उक्त समाचार पत्र में जो चिन्ता जताई गई है, सरकार उससे पूर्ण रूप से सहमत है। तथापि, केन्द्रीय सरकार समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित विशिष्ट स्कूल पर कोई नियंत्रण नहीं रखती है। मुख्य तौर पर ये सभी विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में व्यक्त की गई चिन्ता और माननीय सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार को अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

3184. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री मोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदत्त सुरक्षा कवर हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट व्यक्तियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा हटाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में विशेष रूप से वित्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना वार्षिक खर्च श्रेणीवार वहन करना पड़ा; और

(ङ) विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) प्रत्येक मामले में जोखिम के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा व्यवस्था के स्तर की सावधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रबंधकों में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) वर्ष के दौरान की गई समीक्षाओं की स्थिति और दिल्ली पुलिस द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों और अति-विशिष्ट व्यक्तियों पर पिछले तीन वर्ष के दौरान किया गया खर्च निम्न प्रकार है:

वर्ष	संरक्षण प्राप्त व्यक्ति		वार्षिक व्यय
	समीक्षा से पहले	समीक्षा के बाद	(करोड़ रु. में)
1996-97	534	381	34.23 रु.
1997-98	472	355	40.68 रु.
1998-99	386	295	28.83 रु. (28.02.99 तक)

(ङ) सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के अनुसार, मुख्य रूप से उग्रवादियों/आतंकवादियों से उत्पन्न जोखिम के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

न्यायालयों में लंबित मामले

3185. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि हदबंदी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत 28 फरवरी, 1999 को राज्यवार कितना भूमि क्षेत्र न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अतिरिक्त घोषित किया गया; और

(ख) न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को निपटाने हेतु राज्यों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन सूचनानुसार भूमि हदबंदी कानूनों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत से लेकर अब तक 9.59 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में शामिल है जो अधिनिर्णय के लिए विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़ी है। राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दा समीक्षा के लिए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों/मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों आदि सहित विभिन्न मंचों से उठाया गया है। दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को आयोजित राजस्व मंत्रियों के हाल ही में सम्पन्न हुए सम्मेलन में भूमि हदबन्दी कानून के कार्यान्वयन सहित विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी और संबंधित उच्च न्यायालयों में लम्बित भूमि हदबन्दी के मामलों की सुनवाई और शीघ्र निपटारे के लिए संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत और भूमि न्यायाधिकरणों संबधित उच्च न्यायालयों में विशेषपीठों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि ऐसी भूमि जो राज्य सरकार में पहले ही निहित हो गई है और उसका कब्जा ले लिया गया है किन्तु बाद में मुकदमें के अंतगंत आ गई है, उसे अल्पावधि अनुज्ञप्ति/पट्टा आधार पर भूमिहीन लोगों में इस शर्त पर वितरित किया जाए कि यह जैसे ही ऐसी भूमि न्यायालय/अंतिम अपील न्यायालय के आदेशों द्वारा अधिकार वंचित होगी। ऐसी अनुज्ञप्ति/पट्टा स्वत: रद्द हो जाएगा, ताकि इनका भूमिहीन ग्रामीण लोगों द्वारा प्रभावी रूप से जब तक न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निदेश नहीं दिया जाता है, उपयोग हो सके।

राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यायालयों में लम्बित कुल एरिया)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	141952
2.	असम	38461
3.	बिहार	86487
4.	गुजरात	69821
5.	हरियाणा	5769
6.	हिमाचल प्रदेश	7115
7.	जम्मू व कश्मीर	0

1	2	3
8.	कर्नाटक	135050
9.	केरल	27351
10.	मध्य प्रदेश	51113
11.	महाराष्ट्र	26278
12.	मणिपुर	54
13.	उड़ीसा	11475
14.	पंजाब	23786
15.	राजस्थान	72684
16.	तमिलनाडु	15924
17.	त्रिपुरा	59
18.	उत्तर प्रदेश	52596
19.	पश्चिम बंगाल	191995
20.	दादरा व नगर हवेली	149
21.	दिल्ली	183
22.	पांडिचेरी	649
	कुल	958961

इंटरनेट पर विक्रय पत्र

3186. श्री पंकज चौधरी:
श्री चन्द्रशेखर साहू:
श्री राम पाल सिंह:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट पर भी अचल संपत्ति का लेन-देन हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कब से शुरू की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण औद्योगीकीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

3187. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1999 में दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिकीकरण का कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए;

(ग) क्या ग्रामीण औद्योगिकीकरण की गति को तेज करने के लिए क्षेत्रों की पहचान का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने सम्मेलन द्वारा लिये गये किसी निर्णय को मान लिया है; और

(ङ) ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग) ने सूचित किया है कि जनवरी 1999 में नई दिल्ली में ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ऐसा कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

संस्कृत को बढ़ावा

3188. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री तेजवीर सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूद आदर्श संस्कृत विद्यापीठों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और नए संस्कृत विद्यापीठों को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संस्कृत भाषा के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राज्यवार आदर्श संस्कृत महाविद्यालय निम्नवत हैं:

बिहार	5
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	2
केरल	1
महाराष्ट्र	2
तमिलनाडु	1
पश्चिम बंगाल	3
उत्तर प्रदेश	4
कर्नाटक	1

(ख) और (ग) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नए आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करता है बशर्ते संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों से यथोचित प्रस्ताव प्राप्त हो जिनमें इस योजना के अनुसार भूमि, भवन, प्रदान किए गए पाठ्यक्रम आदि के संतुष्ट करने वाले मानक भी शामिल हैं। इस समय, इस तरह का कोई प्रस्ताव संस्थान के विचाराधीन नहीं है।

(घ) संस्कृत को लोकप्रिय बनाने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए, सरकार के पास संस्कृत शिक्षा के विकास की एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम है जिसकी पांच उप योजनाएं हैं अर्थात (क) संस्कृत के प्रकांड पंडितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, (2) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना, (3) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की योजना, (4) संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण की योजना, और (5) राज्य सरकार के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने की योजना। भारत सरकार विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देती है। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं जिनमें आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों तथा स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद की योजना, शास्त्र चूड़ामणि योजना के कार्यान्वयन की योजना, अखिल भारतीय संस्कृत वक्तृता प्रतियोगिता, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वैदिक सम्मेलनों को आयोजित करने की योजना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय प्रति वर्ष संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले पन्द्रह संस्कृत, एक पाली, तीन फारसी के विद्वानों को राष्ट्रपति प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रदान करता है।

ताड़ी तैयार करने के कार्य में लगे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

3189. श्री कान्तिलाल भूरिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ताड़ी तैयार करने का कार्य में लगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए कोई कल्याण योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) से (घ) इस वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं इन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी।

[अनुवाद]

''बैगर रिमांड होम'' से भिखारियों का भागना

3190. श्रीमती कमल रानी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ''बैगर रिमांड होम'' अपराधियों के ठहरने का स्थान बन चुके हैं और भिखारी दासों की भांति दयनीय स्थिति में जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली के भिखारी गृहों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इसे किन शीर्षों के अंतर्गत व्यय किया गया;

(घ) क्या धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और भिखारी रिमांड गृहों में भिखारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

त्रिनीडाड और टोबेगो के साथ समझौता

3191. श्री प्रभुदयाल कठेरिया: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का त्रिनीडाड और टोबेगो को आवास क्षेत्र में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार तथा त्रिनीडाड व टोबेगो सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें इन दोनों देशों के बीच आवास तथा मानव बसाव के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के विकास के लिए एक तंत्र का प्रावधान है।

(ग) दोनों देश निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

(1) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा परामर्श के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान,

(2) प्रौद्योगिकी सूचना का आदान प्रदान तथा मूल्यांकन व वैधीकरण के परिणाम,

(3) भारतीय मशीनों, उपकरणों तथा सामग्रियों अथवा उत्पादों का अंतरण तथा/अथवा बेचना,

(4) आवास सहायता केन्द्र के माध्यम से त्रिनीडाड व टोबैगो सरकार, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से सारे सी ए आर आई सी ओ एम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रसार में मदद करेगी।

समझौता ज्ञापन संयुक्त रूप से विकसित की जाने वाली द्विवार्षिक कार्य योजनाओं का विकास करके कार्यान्वित किया जाएगा। इन योजनाओं में इस सहयोग कार्यक्रम के तहत शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण होगा तथा प्रत्येक पक्ष का नियत अंशदान बताया जाएगा। कार्य योजना के अनुसार विशेषज्ञों के दौरों को संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा अर्थात भेजने वाला पक्ष यात्रा का खर्च उठाएगा जबकि मेजबान देश आतिथ्य तथा आंतरिक परिवहन का खर्च उठाएगा बशर्ते कि प्रतिपक्षी एजेंसियों तथा समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों के बीच अलग से कोई समझौता न किया जाए। मान्य तथा अनुमोदित प्रौद्योगिकी का एक देश से दूसरे देश में अंतरण परस्पर सम्मत मूल्य का भुगतान करने पर किया जायेगा। भारतीय मशीनों तथा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर आधारित भवन-निर्माण सामग्रियों का अंतरण वास्तविक मूल्य आधार पर किया जायेगा।

[अनुवाद]

असम के कब्जे में भूमि

3192. **श्री के.पी. नायडू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि असम ने अंतरिम अन्तर्राज्यीय सीमा समझौते का उल्लंघन करते हुए नागालैंड के कुछ भू-क्षेत्र पर जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो भू-क्षेत्र पर कब्जा करने के अन्तर्राज्यीय विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) असम और नागालैंड दोनों का आरोप है कि इस समझौते के उल्लंघन करते हुए कि जब तक सीमा विवाद हल नहीं हो जाता यथा स्थिति बनाए रखी जाए, दोनों पक्ष एक-दूसरे के राज्य के भू-भाग पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को हल करने के लिए दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बैठक की हैं।

तीन बीघा

3193. **श्री एम. राजैया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कूच बिहार में "तीन बीघा" बांग्लादेश के साथ विवाद का मुद्दा बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) स्थानीय लोगों में तनाव दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी, नहीं। श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्याह्न भोजन योजना

3194. **श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे:**
श्री भर्तृहरि मेहताब:
श्री एस.एस. ओवेसी:
श्री राजो सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना की सफलता का मूल्यांकन करने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए यूनीसेफ के साथ मिलकर ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में यह सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवंटित केवल 70 प्रतिशत खाद्यान्नों का ही वितरण किया जाता रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों अथवा कुपोषण के शिकार बच्चों को ही देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के कोटे को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हाँ। 10 राज्यों अर्थात असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में यह अध्ययन किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आवंटित किए गए 70.5 प्रतिशत खाद्यान्न वर्ष 1997-98 में संपूर्ण देश की विभिन्न जिला एजेंसियों द्वारा उठाए गए थे। इसके लिए जो कारण हैं, उनमें नामांकित अधिकांश बच्चों का 80 प्रतिशत उपस्थिति के मानदण्ड को पूरा न करना, दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्नों के परिवहन में कठिनाइयां तथा अन्य प्रचालन संबंधी समस्याएं शामिल हैं।

(ङ) और (च) इस योजना के कार्यान्वयन में आड़े आ रही संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले सबसे अधिक जरूरतमंद बच्चों तक ही इसे सीमित करने संबंधी सुझावों पर अपनी टिप्पणी दें।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

"ट्राईफेड" में की गई नियुक्ति

3195. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष "ट्राईफेड" में पद-वार/समूह-वार और संवर्गवार कितनी नियुक्तियां/पदोन्नति की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नियुक्तियां/पदोन्नति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ट्राईफेड के कार्मिक विभाग के प्रमुख कौन हैं;

(घ) क्या वह तकनीकी अथवा कार्मिक विभाग की अपेक्षित अर्हता रखने वाले व्यक्ति हैं; और

(ङ) अन्य संवर्ग से उनकी नियुक्ति करने का क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान ट्राइफेड में पदवार/समूह-वार तथा संवर्ग-वार की गई नियुक्तियां/प्रोन्नतियां विवरण-I और II में दी गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त/पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ब्यौरे विवरण-III पर हैं।

(ग) से (ङ) ट्राइफेड के कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्यपालक निदेशक हैं। उनकी एम.ए., एल.एल.बी. तथा कार्मिक प्रबंधन औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की अर्हताएं हैं। वे ट्राइफेड संवर्ग से हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड में पदवार/समूहवार तथा संवर्गवार की गई कुल नियुक्तियां

श्रेणी	1997	1998	1999
क		कार्यकारी निदेशक-1 (सामान्य) उप महाप्रबंधक-1 (सामान्य)	
कुल		02 (सामान्य)	
ख	सहायक प्रबंधक (सिस्टम)-1 (अन्य पिछड़ा वर्ग)		
कुल	01 (अन्य पिछड़ा वर्ग)		
ग			लेखाकार ग्रेड-1 (अ.जा.)
कुल			01 (अ.जा.)

श्रेणी-	क: कार्यकारी निदेशक-1 (सामान्य) (1998)	सी.एम.सी. लिमिटेड के श्री टी.एस. दरबारी को संयुक्त के पद और वेतनमान में दिनांक 11.6.98 को प्रति-नियुक्ति पर लिया गया और दिनांक 11.6.98 से मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत।
श्रेणी-	क: उप महाप्रबंधक-1 (सामान्य) (1998)	निरामैक, असम के श्री जी. के. देव गोस्वामी को दिनांक 3.12.1998 से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया और दिनांक 3.12.98 से उप महाप्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक, गुवाहाटी, असम के रूप में कार्यरत।

विवरण II

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड में पद-वार/समूह-वार तथा संवर्ग-वार की गई कुल प्रोन्नतियां

श्रेणी	1997	1998	1999 (फर., 1999 तक)
क	कार्यकारी निदेशक-1 (सामान्य)		
कुल	1 (सामान्य)		
ख			
कुल			वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक-1 (सामान्य) कनिष्ठ अभियन्ता-1 (2-अ.ज.जा., 1-सामान्य) वरिष्ठ सहायक-2 (सामान्य) वरिष्ठ लेखाकार-6 (4-सामान्य, 1-अ.जा., 1-अनु.ज.जा.) सहायक ग्रेड-I-5 (सामान्य) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-I-2) (1 पिछड़ा वर्ग, 1-सामान्य) लेखाकार ग्रेड-I-3 (2-अ.ज.जा., 1-सामान्य) सहायक ग्रेड-II-5 (सामान्य) लेखाकार ग्रेड-II-1 (सामान्य) कनिष्ठ वाणिज्यिक सहायक ग्रेड I-10) (3-सामान्य, 2-अ.जा., 5-अ.ज.जा.) लिपिक-4 (1-सामान्य, 2-पिछड़ा वर्ग, 1-अ.जा.) वरिष्ठ चपरासी-2 (1-अ.जा., 1-सामान्य)
कुल			44 (26-सामान्य, 05-अ.जा., 10-अ.ज.जा., 03 अन्य पिछड़ा वर्ग)

विवरण III

(ग) उपर्युक्त (क) और ख) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ब्यौरा

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्तियां

श्रेणी	1997	1998	1999
क	कोई भर्ती नहीं	अनु.जा.-शून्य अ.ज.जा.-शून्य	कोई भर्ती नहीं
ख	अ.जा.-शून्य अ.ज.जा.-शून्य अन्य पिछड़ा वर्ग-01	कोई भर्ती नहीं	कोई भर्ती नहीं
ग	कोई भर्ती नहीं	अ.जा.-1 अ.ज.जा.-शून्य	कोई भर्ती नहीं

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रोन्नति

क	अ.जा.-शून्य अ.ज.जा.-शून्य	कोई प्रोन्नति नहीं	कोई प्रोन्नति नहीं
ख	कोई प्रोन्नति नहीं	कोई प्रोन्नति नहीं	कोई प्रोन्नति नहीं
ग	कोई प्रोन्नति नहीं	कोई प्रोन्नति नहीं	अ.जा.-5 अ.ज.जा.-10 अन्य पिछड़ा वर्ग-3

गुजरात में केन्द्रीय विद्यालय

3196. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों से इन विद्यालयों में भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के संबंध में विभिन्न शीर्षों के लिए किया व्यय निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98
केन्द्रीय विद्यालय			
(क) वेतन तथा भत्ते	8.11	9.59	13.79
(ख) निर्माण कार्य	1.77	0.24	1.43
(ग) अन्य	0.45	0.54	0.60
जोड़	10.33	10.37	15.82
नवोदय विद्यालय			
कार्यगत	2.75	2.91	3.85
निर्माण	2.36	6.38	1.51
जोड़	5.11	9.29	5.36

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वीसा-नियमों को उदार बनाना

3197. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीसा नियमों को उदार बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदार वीजा नीति का पालन करती है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों को, पर्यटन के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशियों को, छः मास का बहुप्रवेशीय वीजा देने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रेवल्स एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किये जाने और पूर्व निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के साथ हवाई अथवा समुद्री जहाज से, चार अथवा उससे अधिक संख्या के ग्रुप में आने वाले विदेशी पर्यटकों को, ग्रुप सदस्यों के व्यक्तिगत और पासपोर्ट के पूर्ण विवरण देते हुए ट्रेवल एजेंसी का लिखित अनुरोध आप्रवास अधिकारी को प्रस्तुत करने पर, आगमन पर विशिष्ट अवधि के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी दिया जाता है।

लाटरियों पर प्रतिबंध

3198. **श्री मिनाती सेन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई बैठक कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) इस मामले को 27 नवम्बर, 1998 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखा गया था। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। आम सहमति इस बात पर थी कि लाटरियों पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

कृभको के अधिकारियों के दौरों के बारे में दिनांक 14 जुलाई के अतारांकित प्रश्न संख्या 3971 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): मैं सदन का ध्यान 14 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं. 3971 के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूँ। प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के मूल उत्तर में विदेशी दौरों की संख्या 171 बताई गई है। वास्तव में यह संख्या 178 है। भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में निर्दिष्ट संशोधित अनुबंध संलग्न है।

2. अनजाने हुई गलती के लिए खेद है और मैं उपर्युक्त सीमा तक सदन के अनुग्रह का निवेदन करता हूँ।

3. इस गलती के बारे में कृभको ने हाल ही में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच के दौरान पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते समय बताया है। इसलिए, संशोधित विवरण पत्र चालू सत्र में रखा जा रहा है।

संशोधित अनुबंध

दौरे का प्रयोजन		दौरों की संख्या		व्यय, अमरीकी डालर में	
		1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
(क)	परियोजना से सम्बद्ध				
(1)	संयुक्त उद्यम				
	ओमान	60	64	1,08,929	1,85,112
	ईरान	–	4	–	2,520
(2)	हजीरा विस्तार और गोरखपुर परियोजना	–	6	–	13,469
(ख)	सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां/ प्रशिक्षण आदि	15	16	45,036	51,626
(ग)	ओडीए/(डीएफआईडी) परियोजनाएं	5	8	*	*
	योग	80	98	1,53,965	2,52,727

*ओडीए द्वारा वहन किया गया व्यय

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष, महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन): नियम, 1998 जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2665/99]

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2666/99]

(3) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1996-97 और 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2667/99]

(4) खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2668/99]

(5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2669/99]

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे और उनके कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)):-

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2670/99]

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2671/99]

[दिल्ली]

तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चेन्नई के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उनके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर

जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फार आल, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2672/99]

(3)(एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2673/99]

(5)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियामैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2674/99]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2675/99]

(ख) (एक) भारत इम्युनोलोजोकिल एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2676/99]

(9) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2677/99]

(10) आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2678/99]

(11) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा

पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2679/99]

(12) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2680/99]

(14) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी के वर्ष 1997-98 के वार्षक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2681/99]

(16)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2682/99]

(18)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2683/99]

(20) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2684/99]

(21) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2685/99]

(22)(एक) यू.पी. एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2686/99]

(24)(एक) आन्ध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2687/99]

(26)(एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसाफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसाफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2688/99]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुरेश प्रभु की ओर से पर्यावरण और वन मंत्रालय के वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2689/99]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2690/99]

पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग): मैं पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2691/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव महोदय: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि 13 मार्च 1999 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 10 मार्च 1999 को हुई बैठक में पेटेंट (संशोधन) विधेयक 1998 में किये गये निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकृत किया।"

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"उनचासवें" के स्थान पर "पचासवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

"1998" के स्थान पर "1999" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 9

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

निरसन और व्यावृति	"9. (1) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।	1999 का आदेश 3
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा जो अब प्रवर्तन में नहीं है, यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन या पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अधीन की गई कोई	1994 का आदेश 3

बात या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1994 का आदेश 3

(3) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अविष्कार के पेटेंट के लिए दावों की बाबत, पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के अस्तित्व में न रहने की तारीख से उस तारीख तक जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। (दोनों दिन सहित) किए गए सभी आवेदन वैध रूप से किए गये समझे जाएंगे मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे।" 1994 का आदेश 3

अपराह्न 12.04 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज हमें आवश्यक कार्यवाही करनी है। अगर सभा सहमत हो तो हम आज मध्याह्न भोजन का समय भी ले लें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक घोषणा करना चाहता था। उससे पहले आप सभी खड़े हो गए। अगर सभा सहत हो तो आज आवश्यक होने की वजह से हम मध्याह्न भोजन का समय भी ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा): आपको हमारी बात सुननी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। हम मध्याह्न भोजन का समय ले लेते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, कांग्रेस के एक सदस्य ने फर्जी मतदान किया था, उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैंने आपको अनुमति दी है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूँ। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। कई मदों पर चर्चा की जानी है। अगर सदस्य मुझे कार्यवाही को सही ढंग से संचालित करने की अनुमति देंगे। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय मेरे प्रिविलेज मोशन का क्या हुआ? *...(व्यवधान)* गिरधारी लाल भार्गव जी हाउस कमेटी के चेयरमैन हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मोहन रावले जी, अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं आपको बोलने का चांस नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आपको मौका मिलेगा पर इस तरह नहीं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी बात सुनूंगा। ऐसे कैसे होगा?

[अनुवाद]

मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): महोदय, मैं महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बोलना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुथैया जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मुझे सभा की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से चलाने दीजिए।

श्री रावले जी, विशेषाधिकार के बारे में आपके द्वारा दी गयी सूचना मेरे पास नहीं पहुँची है। जब यह मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं इस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, मैंने पांच मार्च को दिया था, तीन सप्ताह हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* उस समय आप ही चेयर पर बैठे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन पर जब मतदान हुआ था ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उसको पहले मेरे पास पहुंचने तो दो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रिविलेज मोशन जब मेरे पास पहुंचेगा, उसके बाद ही मैं कंसीडर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: महोदय, [illegible] दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर तब विचार करूंगा जब मुझे यह प्राप्त हो जाएगा। कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री राजेश पायलट को बोलने के लिए बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रिविलेज मोशन जब मेरे पास पहुंच जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा है कि जब आपका प्रिविलेज मोशन आ जाएगा तो कंसीडर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुथैया जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै): महोदय, आपने कहा कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका मिलेगा। सभा में व्यवस्था होनी चाहिए। हरेक इस तरह कैसे बोल सकता है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: मैं हरेक नहीं हूँ। ...*(व्यवधान)* मैंने बोलने के लिए आपकी अनुमति मांगी थी परन्तु अब आप श्री मुथैया को बोलने के लिए कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप सभी बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकूंगा? मैं श्री मुथैया जी से कह चुका हूँ कि मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगा।

मैं श्री राजेश पायलट को बुला चुका हूँ।

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) महोदय, अगर इस सभा को हर प्रकार की चर्चा करने की अनुमति दी जाती है तो यह एक गलत परम्परा बन जाएगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह आपकी सभा है। आप किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। सवाल यह है कि यह नियमों की सीमाओं में होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: वे डरते क्यों हैं? क्या वे इसके लिए जिम्मेवार हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: सर, आप मुझे चांस देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह से होगा तो नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मैं इस बात को भारी मन से उठा रहा हूँ और मेरे सहयोगियों का मन भी उतना भारी होगा क्योंकि हम रक्षा सेवाओं को सदैव अति आदर देते हैं। सामान्यत: रक्षा सेवाओं से संबंधित बातें नहीं उठाते हैं। किंतु यहां कुछ बातों ने हद पार कर दी है। श्री कमल नाथ सहित मेरे कुछ सहयोगियों और मैंने नियम 184 के अधीन दस दिन पूर्व एक सूचना दी है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बारे में चर्चा हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहां सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर चर्चा हो, यदि आप मानते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है तो माननीय अध्यक्ष यहां हैं और हमारे सभी सहयोगी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पिछली बार सरकार सहमत हुई थी कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तथा वह इस पर चर्चा करना चाहती है किंतु अब हद पार हो गई है। एडमिरल भागवत ने 14 तारीख को न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया है। उन्होंने कई बातों पर प्रकाश डाला है जो हर जिम्मेदार नागरिक को आहत कर रही है।

महोदय, परसों मैंने एक टिप्पण पढ़ा और पाया कि उन्हें पेंशन भी दी गई है। इसी सरकार ने कहा है कि उन्हें बर्खास्त किया गया है। मैं सेवा में रहा हूं और मैं जानता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को सरकार या सेना द्वारा बर्खास्त किया जाता है तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। इस सरकार ने उन्हें फरवरी में पेंशन दी है। इसका मतलब है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। राष्ट्र को इस बारे में जानने का अधिकार है? ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: लिट्टे के उस जहाज के बारे में क्या कहना है जिसे जाने दिया गया था? यह खबर आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: इस पर आज स्पीकर साहब की मीटिंग थी, अब ये सदन का टाइम खराब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय, इस संस्था को पूर्णत: क्षति पहुंचाई गई है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री और उनके प्रधान सचिव ने कहा था "कृपया इस सूचना को रक्षा मंत्री को न बताएं।" उन्हें यह कहा गया था। वे लिखकर बता रहे हैं कि जब पोखरण परीक्षण किए गए थे तो उनसे कहा गया था कि इस बारे में रक्षा मंत्री को सूचित न करें ...*(व्यवधान)*

परसों ही गुरुस्वामी ने कहा है कि श्री आडवाणी को इन विस्फोटों से 15 मिनट पूर्व तक इनकी जानकारी न थी। क्या देश ऐसी सरकार चाहता है? रक्षा मंत्री को कहा गया कि आप इस बारे में वायु सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष व नौसेनाध्यक्ष को न बताएं। वे सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्री के अधीन कैसे काम कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री में विश्वास नहीं है तो श्री जार्ज फर्नान्डीज को त्यागपत्र दे देना चाहिए और सरकार से हट जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* शपथ पत्र कहता है कि कुछ सौदों में भ्रष्टाचार का संदेह है। शपथ पत्र में भी यह बात कही गई है। हमने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। गृह मंत्री यहां हैं और उनसे मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। यदि संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें गोपनीय हों तो हमें कोई एतराज नहीं है। आप इसकी बैठकें गोपनीय करें। किंतु कृपया संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग स्वीकार करें ताकि राष्ट्र को यह पता चल सके कि क्या हो रहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: कांग्रेस करप्शन की बात न करे, भ्रष्टाचार की बात न करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, क्या आप नहीं चाहते कि वे प्रतिक्रिया करें?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सुब्बारामी रेड्डी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं बोल रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, कृपया बैठ जाइए। वे जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, मैंने उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दी है। क्या आप उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? क्या आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे? कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं इसे नहीं सह सकता हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पायलट, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है किंतु उन्हें उचित आचरण करना चाहिए, यह गलत है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? क्या आप अपने आचरण पर धयान देंगे। मैं बोल रहा हूँ। श्री जोस आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे? मैं उनसे पूछूंगा कि वे प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं या नहीं। श्री कवाड़े, मैं कहता हूँ कि आपका आचरण एक सदस्य के आचरण जैसा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मीणा, यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। यह तरीका नहीं है। श्री राजेश पायलट को बोलने की अनुमति देने और उनको सुनने के बाद माननीय गृह मंत्री उत्तर देना चाहते हैं। किंतु आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह गलत बात है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। बहुत हो गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, वे सरकार की ओर से बोलना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह कर सकते हैं। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे सरकार में मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक से सहयोग मांगता हूं। यह आचरण का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, यह गलत बात है, मैंने आपके सदस्य की बात सुनी और जब गृह मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो आप उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। वे सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह आचरण करने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद जी, वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे भारत के गृह मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस जी, अगर आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कह सकते हैं। परन्तु आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह बहुत गलत है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप इसी तरह करते रहे तो मुझे आपको बाहर निकल जाने का आदेश देना होगा। हद हो गई।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं मुख्य सचेतक से यह कहने का अनुरोध कर सकता हूँ कि वे सदस्यों से कहें कि उन्हें बोलने दिया जाये? वे इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, आपके अपने ही सदस्य ने बोला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर के लिए तैयार हैं। आपके सदस्य उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपके सदस्य उनकी बात सुनना नहीं चाहते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं यह कह चुका हूँ।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, जब आपके सदस्य बोल चुके तो कृपया मुझे बता दीजिए। फिर मैं माननीय मंत्री जी से बोलने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप उन्हें अब बोलने देंगे? क्या आप संतुष्ट हैं? अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप उनके बोलते हुए व्यवधान डालेंगे तो मैं इस पर कड़ा रुख अपनाऊंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को जी, इस समय मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप चिल्ला सकते हैं परंतु कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, क्या आपको विश्वास है कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, आप सभा के संरक्षक हैं, मैं नहीं *...(व्यवधान)* फिर भी वे अपने आपको नियंत्रित रखने में असमर्थ हैं। महोदय, अगर वे चाहते हैं तो यह अच्छा होगा कि आप सदन को स्थगित कर दें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बस?

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो आप सभा को स्थगित कर दीजिए। महोदय, मैं इसकी गंभीरता को समझता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी को बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुंदपुरम): महोदय *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, क्या आप नियमों का प्रारंभिक ज्ञान सीखना चाहते हैं? आप केरल एसेम्बली के अध्यक्ष थे। जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे होते हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे प्यारे मित्र, श्री जोस, आपको मेरी स्थिति समझनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, आप उन्हें निदेश क्यों नहीं दे सकते?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। श्री चाक्को, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि अध्यक्षपीठ उन्हें निर्देश नहीं दे सकती।

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, आपको ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): महोदय, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मैं आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूंगा।

प्रो. कुरियन, आपको अपने सदस्यों को नियंत्रित करना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष जी, जिस समय आपने श्री राजेश पायलट को सदन को संबोधित करने के लिए कहा था उस समय मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या विषय है और इसीलिए हम शान्ति से सुनते रहे। मुझे उनकी बातों का जवाब नहीं देना है क्योंकि जिनका काम है, प्रतिरक्षा मंत्री उसके बारे में जब भी कहना चाहेंगे, कहेंगे, लेकिन सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और है कि अध्यक्ष जी ने इसी विषय पर चर्चा हो कि न हो, और यदि हो, तो किस रूप में हो, इस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक स्थाई समिति बनाई है और वह समिति दो दिन पहले भी मिली और आज भी प्रात:काल मिली। मैं तो केवल बीच में से उठकर आया क्योंकि प्रश्नोत्तर काल में मेरे प्रश्न थे, इसीलिए मैं चला आया। लेकिन बाद में मुझे बताया गया है कि उसकी चर्चा अभी भी जारी है और कल प्रात:काल फिर 9 बजे वह समिति मिलेगी। जब तक उसका निर्णय नहीं होता, तब तक कोई एक सदस्य किसी समय अचानक सदन में उठकर खड़ा होकर कोई बात कहे क्या यह उचित है? मेरा प्रश्न सिर्फ यही था। मुझे राजेश पायलट जी की बातों का कोई जवाब नहीं देना था क्योंकि जवाब देने के अधिकारी प्रतिरक्षा मंत्री महोदय हैं और जब कोई चर्चा होगी तो वे उसका उचित जवाब देंगे, मैं तो केवल यह पूछने के लिए खड़ा हुआ कि क्या यह निर्णय हो गया है कि इस विषय को इस प्रकार से सदन में उठाया जाए? अगर निर्णय हो गया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे बस इतना ही कहना है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय नहीं हुआ है। उस पर चर्चा चल रही है। यह 'जीरो आवर' था। इसमें उन्होंने मेंशन किया है।

श्री आर. मुथैया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में दिन पर दिन महिलाओं पर अत्याचार और दुव्यर्वहार बढ़ रहे हैं। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। इसका सबसे सरल कारण यह है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप पहले अपने-अपने स्थानों पर जाने की कृपा करेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने-अपने स्थानों पर बैठेंगे? मैं कुछ कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सदस्यों से कहें कि अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाइए, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.40 बजे

इस समय डा. शकील अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर अभी भी चर्चा हो रही है। अन्य सदस्य भी अपने-अपने मामले उठाना चाहते हैं। आप संसदीय प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आप यह नहीं चाहते। आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक प्रो. पी.जे. कुरियन से अनुरोध करूंगा कि अपने सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर जाने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, सुबह हमने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था। हम चाहते हैं कि उसके संबंध में आप अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है। आप इसे कल उठा सकते हैं अभी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): मेरा नाम पुकारा गया है। मैं बोल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.सी. चाक्को : आज सुबह एक मुद्दा उठाया गया था। यह एक साधारण मुद्दा नहीं है। हम अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहते हैं और इसलिए आप जो कुछ कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। यह मामला इस देश की प्रतिरक्षा से संबंधित एक गंभीर मामला है अत: प्रधानमंत्री को सभा में आकर इस मामले का उत्तर देना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि इस संबंध में सूचना दी गई है, न तो रक्षामंत्री और न ही प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। किसी मंत्री द्वारा लापरवाही से दिए गए उत्तर से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस संसद में जो कुछ भी होता है यदि हम उस मुद्दे को किनारे कर देते हैं तो वह इस संसद की दुर्भाग्यपूर्ण छवि बनायेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को आपको इसकी जानकारी है, आज सुबह हमने सब नेताओं के साथ बैठक की थी। कल सुबह भी बैठक होगी जिसमें माननीय नेता इस मामले के बारे में निर्णय करेंगे।

श्री पी.सी. चाक्को : यह मुद्दा पिछले चार दिनों से उठाया जा रहा है। अब दो दिन बचे हैं और फिर सभा स्थगित हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। आप इस मामले को कल उठा सकते हैं। कल इसे पूरा कर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका निवेदन भी सुना है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी): मीटिंग में टालने की बात हो रही है। आधी मीटिंग आज थी, आधी कल होगी। आपको निर्णय करना है कि इस पर क्या फैसला करना है ...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شکیل احمد (مدھوبنی): میٹنگ میں ٹالنے کی بات ہو رہی ہے۔ آدھی میٹنگ آج تھی، آدھی کل ہوگی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر کیا فیصلہ کرنا ہے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

श्री आर. मुथैया: जब सभा स्थगित की गई थी तो मैं बोल रहा था। मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन क्या है?

श्री आर. मुथैया: तमिलनाडु राज्य में महिलाओं पर अत्याचार दिनों-दिन बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप भी पहले पीठासीन अधिकारी रहे चुके हैं। इस बात को सभा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कृपया समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। हम इस तरह अनुमति कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो श्री बसुदेव आचार्य कहेंगे उसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री वी. सत्यमूर्ति, कृपया बैठ जाइए। कृपया समझने की कोशिश करें कि सभा में किसी मामले को उठाने का यह समुचित तरीका नहीं है। यह क्या है? कृपया, पहले आपको प्रक्रिया जाननी चाहिए। आप प्रत्येक बात को सभा में नहीं उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो श्री बसुदेव आचार्य कहेंगे उसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ तक न आएं। कृपया बैठ जाएं। श्री गोपाल पहले आप बैठ जाएं। श्री सत्यमूर्ति, आप सही ढंग से बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): महोदय, यह एक राज्य से संबंधित मामला है। किंतु मैं इसकी छानबीन करूंगा क्योंकि सदस्यों ने इस मामले को उठाया है। मैं इस बात की छानबीन करूंगा कि तथ्य क्या हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद किए जाने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:-

> "देश में सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद किए जाने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

अध्यक्ष महोदय: मैं भी अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूं। अब मंत्री महोदय।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): महोदय, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) किसी न किसी चरण पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के सात उपक्रमों अर्थात् माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड, टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को बंद करना उचित व उपयुक्त होगा। रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में विनिवेश आयोग ने इसके संचालन को बंद करने और कर्मचारियों के लिए पैकेज की घोषणा करने की सिफारिश की है। परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद किए जाने की संभावना है।

यदि कोई व्यवहार्य और स्वीकार्य योजना सामने आती है तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पुनरुज्जीवित योजना को तैयार करने के लिए एक संचालन एजेंसी नियुक्त करता है और पुनरुज्जीवन योजना को स्वीकृति देता है। तथापि, यदि कोई व्यवहार्य व स्वीकार्य योजना नहीं बनती है तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी कंपनी को बंद करना उचित व उपयुक्त होगा। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक है।

कंपनी को बंद करने की दशा में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कामगारों को उनके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी उनके जीवन-निर्वाह के लिए अति अल्प है। कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने और खाली बैठे मजदूरी का भुगतान रोकने के लिए सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को भी देने का निर्णय किया है। दिसम्बर, 1998 में तीन महीने के लिए योजना आरम्भ की गई थी। इससे पहले भारत प्रौसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड के संबंध में भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1997 में ऐसा ही निर्णय लिया गया था जिसमें बी.आई.एफ.आर. ने उसे बंद करने के लिए अपनी अंतिम सिफारिश दी थी। वी.आर.एस. के लाभ बहुत अधिक हैं, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के बराबर वेतन की एक मुश्त अदायगी और इसकी तत्काल अदायगी कर दी जाएगी जबकि कम्पनी बंद होने पर प्रतिपूर्ति की राशि मिलने में काफी समय लग जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने वी.आर.एस. के लाभों के साथ-साथ कानूनी रूप से देय उन्हें देय सभी प्रकार की राशियां भी अदा करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के लिए सरकार ने 517 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के वार्षिक वेतन के बिल लगभग 73 करोड़ रु. के थे जबकि कुल व्यापार 27 करोड़ रु. का हुआ था। वर्ष 1997-98 के सरकार के ब्याज को निकालकर उन्हें 148 करोड़ रु. की हानि हुई और 31.3.1997 तक उनकी कुल हानि 2065 करोड़ रु. के आस-पास थी। सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को 31.3.1997 तक 708 करोड़ रु. उनके मजदूरी तथा वेतन संबंधी देयों को पूरा करने के लिए गैर-योजनागत सहायता के रूप में दिए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों को वी.आर.एस. के लाभ देने का सरकार का निर्णय बंद होने की संभावना वाले सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की समस्याओं का अधिक मानवीय और व्यावहारिक हल है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि इन एककों में वी.आर.एस. के लाभ देने की मांग थी। कर्मचारियों से इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

फिर भी इनको वी.आर.एस. के यह लाभ देने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सक्षम रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने की इच्छुक नहीं है। जिन मामलों में विश्वसनीय स्वीकार्य योजना बनायी जा सकती होगी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के पुनरुद्धार में सहायता करेगी। तद्नुसार सरकार नैशनल इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पुनरुद्धार के प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार कर रही है जबकि इन दो रुग्ण एककों को सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की उस सूची में शामिल कर लिया गया है जिनमें वी.आर.एस. योजना का लाभ दिया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, इन एककों के पुनरुद्धार की सम्भावना की पुन: जांच करने की दृष्टि से सरकार ने विशेषज्ञ दल की स्थापना करने का निर्णय लिया है और वी.आर.एस. का लाभ उठाने की अन्तिम तिथि को तीन महीने के और बढ़ा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केवल स्पष्टीकरण मांगूगा।

यह एक महत्वपूर्ण मामला है। पिछली बार, इसी विषय पर नियम 193 के अधीन एक चर्चा की अनुमति दी गई थी लेकिन वह नहीं हो सकी थी। इस समय आपने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के अन्तर्गत इस चर्चा की अनुमति दी है। इसलिए मैं आपसे अधिक उदार होने और थोड़ा और समय देने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सात उपक्रमों का संबंध है, भारत सरकार ने 30 अक्तूबर, 1998 को इन्हें बंद करने का अप्रत्याशित तथा अचानक निर्णय लिया है।

जैसा कि विवरण में कहा गया है, मंत्री जी ने यह कहते हुए इन बात को उचित ठहराया है कि बी.आई.एफ.आर. किसी न किसी चरण में इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सात उपक्रमों को बंद करना ही न्यायसंगत तथा उचित होगा। यह सत्य नहीं है। बी.आई.एफ.आर. इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि इन सातों उपक्रमों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है। जब सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया तो मुझे उद्योग मंत्रालय की की-गई-कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया था कि उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह मामला उठाया गया था और यह कहा गया था कि इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक अर्थात् बी.ओ.जी.एल. का मामला बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन था। इसलिए बी.आई.एफ.आर. ने बी.ओ.जी.एल. के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया था। इसी प्रकार इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के मामले में भी बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनरुद्धार पैकेज परिचालित किया है। उन्होंने 17 अप्रैल को एक बैठक भी बुलाई थी। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के संबंध में बी.आई.एफ.आर. ने बंद करने का अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

एम.ए.एम.सी. पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में स्थित एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग है जिसमें 4500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह उद्योग कोयला उद्योग के लिए मशीनरी के उत्पादन में लगा हुआ है। यह रुग्ण हो गया था और इसे बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया था। आई.एफ.सी.आई. को इसकी आप्रेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। आई.एफ.सी.आई. ने एक पैकेज तैयार किया था जिसके अनुसार उनको उसे आरम्भ करने के लिए 140 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता थी। योजना बी.आई.एफ.आर. को प्रस्तुत की गयी और भारत सरकार को परिचालित की गयी। भारत सरकार को कम्पनी का संवर्धक अथवा कम्पनी का स्वामी होना था। जब यह योजना भारत सरकार को भेजी गई थी तो वह उसका संवर्धक बनने में असफल रही। यदि सरकार ने 15 वर्ष पहले एम.ए.एम.सी. के पुनरुद्धार के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया होता। जब योजना उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी तो उस समय निवेश के लिए केवल 140 करोड़ रु. की आवश्यकता होती। अब यह राशि बढ़ कर 400 करोड़ रु. हो गई है। ऐसा सरकार के गलत निर्णय के कारण हुआ है। यदि इस कम्पनी को बंद करना है, तो कोयला अथवा खनन उद्योग के लिए मशीनरी कहां से आएगी? मेरे विचार में या तो मशीनरी का आयात करना होगा अथवा एक नई कम्पनी स्थापित करनी होगी। क्या यह एक व्यवहार्य प्रस्ताव होगा?

महोदय, इसके पुनरुद्धार की सम्भावना है और जितनी धनराशि की आवश्यकता है, वह एक ही बार में नहीं चाहिए। एक वर्ष में, आप 100 करोड़ रु. खर्च कर सकते हैं और धीरे-धीरे इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। उस मशीनरी की मांग है जिसका वह उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन सरकार टाल-मटोल क्यों कर रही है? वह इस संबंध में एक निश्चित निर्णय क्यों नहीं ले रही है? वह इसे बंद करने का निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं?

महोदय, हमारे देश में ऑफथेलमिक ग्लास लिमिटेड ही एक ऐसा उद्योग है जो कि ऑपथेलमिक ग्लास का उत्पादन कर रहे हैं। रक्षा विभाग को इसकी आवश्यकता होती है। हम चीन और रूस से फ्लिंट बटन का आयात कर रहे हैं क्योंकि सीमा-शुल्क कम कर दिया गया है। पांच वर्ष पहले यह 80 प्रतिशत थी और अब यह केवल 20 प्रतिशत है। यदि आप ओ.जी.एल. का पुनरुद्धार नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह मद विदेश से आयात करनी होगी। हम इतने महत्वपूर्ण संघटक का उत्पादन अपने देश में क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उन सभी की यूनियनों को एक क्यों नहीं कर सकते हैं? आपकी यूनियन भी है और आई.एन.टी.यू.सी. की यूनियन भी है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी कि ओ.जी.एल. हमारे देश में एकमात्र स्वदेशी उद्योग है, सरकार ने इसका पुनरुद्धार न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्वदेशी नीति अपनाई है और वह स्वदेशी उद्योग तथा हमारे देशज उद्योग को बंद कर रहे हैं। वह रूस तथा चीन से फ्लिंट बटनों का आयात कर रहे हैं।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पुनर्वास उद्योग निगम (आर.आई.सी.) की स्थापना की गई थी। इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य उस समय के पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को पुर्नवास प्रदान करना था। अनेक छोटे-छोटे उद्योग हैं। इसे बी.आई.एफ.आर. को नहीं भेजा गया था। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि विनिवेश आयोग ने आर.आई.सी. के सभी शेयरों का विनिवेश करने का निर्णय कैसे लिया है। क्या इस उद्योग का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है? मुझे एक सप्ताह के भीतर श्री सिकन्दर बख्त से दो पत्र प्राप्त हुए हैं। एक पत्र में उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार को अपने हाथ में लेने दें। उसमें आगे कहा गया है:

"पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी अनुरोध किया गया है कि आर.आई.सी. को वर्तमान कर्मचारी संख्या के साथ अपने हाथ में लेता और इन एककों की कर्मचारियों की सहकारिताओं को आर.आई.सी. के विभिन्न यूनिटों की सम्पत्तियों को सौंपकर उन्हें ही इन यूनिटों को चलाने देने पर विचार करें।"

एक अन्य पत्र जो मुझे भेजा गया था, प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पास एक प्रतिनिधिमंडल ले गया था और प्रधानमंत्री ने इसे उद्योग मंत्री को भेज दिया। उन्होंने कहा:

"मुझे उपर्युक्त विचार पर माननीय प्रधानमंत्री को सम्बोधित आपके दिनांक 18.12.1998 के पत्र का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आर.आई.सी. पुनरुद्धार समिति द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार पैकेज पर भारी उद्योग तथा विनिवेश आयोग दोनों द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और इसे अवास्तविक पाया गया है।"

महोदय, हमने समाचार-पत्रों में देखा है कि मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। मेरे पास प्रधानमंत्री द्वारा इस सभा की एक सदस्या कुमारी ममता बनर्जी को भेजे पत्र की एक प्रति है। इसमें कहा गया है:

"प्रिय ममता जी,

आपके पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1999 के लिए धन्यवाद, जो कि आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित एककों के पुनरुद्धार की आवश्यकता के संबंध में भेजा है।"

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आपको, इस पत्र की प्रति कैसे प्राप्त हुई?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कुछ मामलों में हमारी एकता है।

पत्र में आगे कहा गया है:

"मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 20 फरवरी, 1999 की अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बंद करने से रोकने और उनके पुनरुद्धार की सभी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।"

महोदय, मेरे पास कल राज्य सभा में उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर की एक प्रति भी है। प्रश्न निम्न प्रकार था:

"(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1999 के 'दि स्टेट्समैन' में "कैबिनेट स्टॉल्स मूव टू क्लोज 8 पी.एस.यूज." शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया था।"

महोदय, यहाँ पर यह स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी.एस.एस.) है, परन्तु मंत्री महोदय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात अपने पत्र में लिखी है। मैं नहीं जानता कि इन दोनों में क्या अन्तर है। मैं एक बार फिर प्रश्न को उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें उल्लिखित है:

"(ख) यदि हां, तो क्या पुनरुद्धार की गई इकाइयों को चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी.एस.एस.) की समीक्षा की जा रही है;

(ग) क्या इन इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने तक पर्याप्त योजनेत्तर सहायता का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?"

इसका यह उत्तर दिया गया था:

"(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रारंभिक प्रस्ताव को अगले तीन महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इन इकाइयों में कम से कम कुछ इकाइयों के पुनरुद्धार की सम्भावनाओं की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह गठित करने का निर्णय लिया है। इन

[श्री बसुदेव आचार्य]

> इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बजटीय प्रतिबंधों के अंतर्गत इन इकाइयों को गैर-योजना सहायता मुहैया कराई जा रही है। तदनुसार सरकार नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है।''

महोदय, नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से सरकार का कोई संबंध नहीं है क्योंकि बी.आई.एफ.आर. ने पहले ही एक पुनरुद्धार का प्रारूप परिचालित कर दिया है और साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में एक संयुक्त उद्यम को लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच नहीं है कि मंत्रिमंडल ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को रोक दिया है। उद्योग मंत्री को यह स्पष्ट करना होगा क्या सार्वजनिक क्षेत्र के 7 उपक्रमों को बन्द करने के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है।

इसके बाद, मैं जानना चाहूंगा कि क्या गठित की गई विशेषज्ञ समिति सार्वजैकि क्षेत्र की इकाइयों के मामलों पर विचार करेगी या सार्वजनिक क्षेत्र की केवल 2 इकाइयों का चयन करेगी और उनके पुनरुद्धार का प्रयास करेगी।

महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के लाभों को आगे के तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है क्योंकि कर्मचारियों ने इस योजना में गहन अभिरुचि दिखायी है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार ने स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के लाभों को प्राप्त करने की तारीख को तीन महीने आगे क्यों कर दिया है? कल, प्रधानमंत्री ने मोटेतौर पर यह भी कहा था कि सरकार की मंशा सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने की है। इसलिए, यदि सरकार की मंशा रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने की है तो सरकार ने स्वैच्छिक पृथक्करण का लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्यों बढ़ाया है।

चौथे, क्या सरकार स्वैच्छिक पृथक्करण योजना को स्थगित करने का आदेश देने पर विचार करेगी? वे अपना सिर हिला रहे हैं। चालीस प्रतिशत श्रमिक पहले ही जा चुके हैं। मंत्री महोदय, आप किसके लिए या किन लोगों के साथ कम्पनी का पुनरुद्धार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर जाएँ।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूँ क्या बजट में कार्यकारी पूँजी का पर्याप्त प्रावधान किया गया है जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन सात उपक्रमों में उत्पादन को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जा सके? क्या एक विशेषज्ञ समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है? यदि हाँ, तो इस समिति के विचारणीय विषय क्या हैं?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ, यहाँ उल्लेखित 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' और 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना में अन्तर क्या है? यह 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' नहीं है अपितु यह 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं और इस संबंध में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

मैं मांग करता हूँ कि 30 अक्तूबर, 1998 को लिए गए निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के इन सातों उपक्रमों का पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से छः पश्चिम बंगाल में और एक, टी.ए.एफ.सी.ओ. कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, प्रधान मंत्री ने कुमारी ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा था। यह पूरी तरह सही है और मैं इसे उल्लिखित करता हूं ''प्रिय ममता जी, दिनांक 17 फरवरी के आपके पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों के पुनरुद्धार की आवश्यकता का उल्लेख किया था।

श्री आचार्य ने इसके बारे में पहले ही उल्लेख किया है। मैं उनसे सहमत हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सात उपक्रम हैं। पत्र में आगे लिखा गया है:

> ''मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल ने 23 फरवरी, 1999 की अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी रुग्ण उपक्रमों को बन्द न करने और उनके पुनरुद्धार की सभी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति संपन्न समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी ली है। यह पत्र उद्योग मंत्री को भेजा जा चुका है ...*(व्यवधान)* इन लोगों ने श्रमिकों का शोषण किया है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक पत्र को पढ़कर सुनाया है ...*(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह कर रहे हैं और श्रमिकों ने स्वयं को उनसे पूरी तरह अलग कर लिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: हमें प्रधानमंत्री में पूरा विश्वास है। वे मामले पर विचार करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने ऐसी सामग्री को पढ़ा है जो अब सभा की संपत्ति है। इस पत्र में, कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उपक्रमों को बन्द नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती निर्णय को रोक लिया गया और इन इकाइयों के पुनरुद्धार का आश्वासन दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: उद्योग मंत्री कुछ और कह रहे हैं। विश्वास करने वाले हम कौन होते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कैसा आचरण है?

...(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: महोदय, माननीय सदस्य के भाषण का अधिकांश भाग मुझे सूचना देने या उन्होंने पहले से ही जो राय बना ली है उसे बताने तक सीमित रहा। उन्होंने जो प्रश्न उठाया वह यह है। यदि वे मेरे द्वारा दिए गए मूल कथन को ध्यान से सुनते—मैं उसे दोहराऊंगा—तो वह अपने द्वारा उठाए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न कभी भी नहीं पूछते। मैंने कहा था, जैसाकि माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत होंगे, इन एककों के पुनरुज्जीवन की संभावना की जांच करने के विचार से सरकार ने एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि तीन महीने आगे बढ़ा दी है।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने इसे क्यों बढ़ाया है?

श्री सिकन्दर बख्त: एक मिनट। मैं आपको शांतिपूर्वक सुनता रहा हूँ, आप भी कृपया मुझे दो मिनट दीजिए या फिर यदि आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं तो आप अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो एक्सटेंशन है, पूरे तौर से जो फैसले हुए हैं, उन सबके ऊपर दुबारा से गौर करेंगे।

[अनुवाद]

क्या आप मेरी हिन्दी समझते हैं? तो फिर आपका प्रश्न क्या है? आपने अक्तूबर, 1990 में लिए गए निर्णय के बारे में कुछ कहा था। इसके संबंध में यह कहा गया था कि यह विशेषज्ञ दल सभी उपक्रमों की पुनरीक्षा करेगा। फिर, आपके प्रश्न का क्या औचित्य है? किसी ने 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' के बारे में पूछा था *...(व्यवधान)* उन्होंने 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' में अन्तर के बारे में पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' में दिए जाने वाले लाभ 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' में भी दिया जाता है। 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' के लाभ 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना में भी दिये जाने लगे हैं।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि विशेषज्ञ दल क्या करने जा रहा है। विशेषज्ञ दल एन.आई.एल. और सी.सी.आई.एल. के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन-अक्षम सभी उपक्रमों, जहाँ पर 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' लागू की गई है, की पुनरीक्षा करेगा क्योंकि इन दोनों के पुनरुद्धार पर पहले ही विचार किया जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: तब आपने उन्हें बन्द करने का निर्णय क्यों लिया था?

श्री सिकन्दर बख्त: किसे बन्द कर दिया गया है?

श्री बसुदेव आचार्य: इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को।

अध्यक्ष महोदय: जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं तो व्यवधान मत डालिए।

श्री सिकन्दर बख्त: हम सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों के बारे में बात कर रहे थे। मैं कह चुका हूं उनकी पुनरीक्षा की जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। आपने 'स्वैच्छिक पृथक्करण योजना' को बढ़ाया क्यों?

श्री रूपचन्द पाल: माननीय मंत्री स्वयं उलझन पैदा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

शश्री बसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या उद्योग का पुनरुद्धार किया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। विरोध के रूप में हम सभा के बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 2.39 बजे

इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: वे सभा से बाहर इसलिए जा रहे हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी ही वे पश्चिम बंगाल से भी बाहर चले जाएंगे। वे सुश्री ममता बनर्जी का नाम सुनकर बौखला जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों जैसा कि आप जानते ही हैं कि बजट (आम) को पारित करके दूसरी सभा को भेजा जाना है। अगर यह सभा सहमत हो तो नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए। नियम 193 के अंतर्गत चर्चा भी बाद में, अर्थात बजट को पारित करने के बाद की जाए। मुझे आशा है कि यह सभा सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास सिर्फ दो दिन हैं और इस बजट को दूसरे सभा में भी भेजा जाना है। इसलिए, हम बजट को पारित कर दें और फिर हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): महोदय, इस चर्चा के बाद बजट पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु इसे दूसरी सभा को भी भेजना होगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: परन्तु जो वक्ता बजट में भाग लेना चाहते हैं वे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें कि कल हमें बजट को दूसरी सभा में भेजना होगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, हम नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रख सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बजट पारित करने के बाद हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: जी नहीं। कृपया नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को पहले कीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मैंने 'जीरो आवर' में बोलने के लिए नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

***अध्यक्ष महोदय:** आप आज नहीं कल बोलिये।*

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, कल भी जीरो आवर नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर को आपने आज डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए इसे आप कल उठाइए।

डा. शकील अहमद: हमने यह कहा था कि प्रधान मंत्री जी को यहां होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्ष महोदय के साथ सहयोग कीजिए।

अपराह्न 2.41 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अहमदाबाद/राजकोट तक जाने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों को गुजरात में ओखा-पोरबन्दर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): महोदय, गुजरात में कुछ ट्रेनें जाती हैं वैस्टर्न रेलवे भावनगर एवं राजकोट डिवीज़न में जो अहमदाबाद एवं हापा (जामनगर) राजकोट रुक जाती है, जिसमें लम्बे अंतर की भोपाल-त्रिवेन्द्रम-कोयम्बटूर आदि ट्रेनें जिसको ओखा-द्वारका पोरबंदर तक ले जाने की मांग बहुत दफा मैंने, अन्य सांसदों, जनता तथा विभिन्न संस्थाओं ने की है ताकि उसका लाभ सबको मिल सके और रेलवे लाइनों पर सब सुविधा है।

जामनगर शहर से ओखा में लाखों यात्री हर साल आते हैं क्योंकि द्वारका में द्वारका जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ है। कृष्ण भगवान ने जहाँ राज्य किया था, कृष्ण के सखा सुदामा जी का भेंट होने का स्थान है। जामनगर में एयरफोर्स, मिलिटरी फोर्स एवं नेवी वगैरह हैं जहां हिन्दू यात्री और मिलिटरी परिवार आते हैं एवं बड़े-बड़े उद्योग समूह लगे हैं, जहां लाखों लोग आते-जाते रहते हैं। लेकिन ट्रेनें, राजकोट, हापा, अहमदाबाद से आगे न जाने से पैसेंजरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन ट्रेनों को ओखा एवं पोरबंदर तक आगे बढ़ाने में कोई खास खर्चा नहीं बढ़ता। सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और आसानी से जा सकेंगी।

अत: मेरी रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि ये लम्बे अन्तर की ट्रेनें ओखा-पोरबंदर तक बढ़ाई जाएं।

(दो) इंडियन फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर में पहले से काम कर रहे सभी कर्मचारियों को कृभको में खपाये जाने तथा उन्हें नये वेतमान दिए जाने की आवश्यकता

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, भारतीय उर्वरक निगम लि. के गोरखपुर यूनिट की स्थापना सन् 1969 में हुई थी। यह उर्वरक कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वरदान था, परन्तु 10 जून, 1990 को एक साधारण दुर्घटना के चलते उक्त कारखाना बंद कर दिया गया। औद्योगिक दृष्टि से पहले से ही पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे इस कारखाने के बंद हो जाने के कारण यहां के कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों में भी भारी निराशा व्याप्त है।

वर्तमान सरकार ने व्यापक जनहित में उक्त बंद पड़े कारखाने की कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लि. द्वारा पुन: चलवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

अध्यक्ष जी, कृभको द्वारा उक्त बंद पड़े उर्वरक संयंत्र में उपलब्ध आधार संरचना तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करके नया संयत्र लगाने का हम स्वागत करते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित कराये जाने की मांग करते हुए मैं सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

1. उर्वरक संयंत्र में कार्यरत कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण संघर्ष के बंद होने के बाद से नहीं हुआ है। अत: अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की तरह कार्यरत सभी कर्मियों को नया वेतनमान दिया जाए।

2. उर्वरक संयंत्र में पहले से कार्यरत कर्मियों का समायोजन कृभको द्वारा किया जाए।

(तीन) मध्य प्रदेश में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (विलासपुर): अध्यक्ष महोदय, सर्वे करने पर पाया गया कि देश के सभी आदिवासी बेल्ट पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे शिलांग, गोहाटी, अरुणाचलम।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश-बिलासपुर संभाग भी वनवासी, आदिवासी क्षेत्र है। अत: इस क्षेत्र (विलासपुर) में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। वर्तमान में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सतनामी संत शिरोमणि के नाम पर स्थापित है, उसके पास एक हजार एकड़ भूमि तथा अनेक विभाग (चौबीस विभाग) संचालित हैं। इस जमीन और अन्य सुविधाओं का समन्वित उपयोग करते हुए गुरू घासी द्वारा विश्वविद्यालय को ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये ताकि इस आदिवासी केन्द्र के अनुसूचित बहुल क्षेत्र का विकास उच्च शिक्षा के माध्यम से हो सके। अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की महान कृपा करें।

(चार) बिहार में कोडरमा के स्थान पर राजगीर में आयुध निर्माणी स्थापित करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उत्पादनों की गोपनीयता के दृष्टिकोण से स्वीकृत एक "आयुध-निर्माणी' वनांचल के पिछड़े क्षेत्र कोडरमा के मरकच्चों प्रखंड में चयनित स्थल से स्थानातंरण रोकने के लिए प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कोडरमा अभ्रक व्यापार एवं निर्यात का केन्द्र रहा है। सम्प्रति यह व्यापार मृतप्राय है और लाखों लोग बेकार है। केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार के स्थल चयन खोज में सभी जिलों की जांच 1984-87 के बीच हुई। मिट्टी, आद्रता, पानी, रोड, रेल एवं कच्चे माल की उपलब्धता की सर्वत्र जांच हुई।

आर्डिनैंस फैक्ट्री बोर्ड के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने अंतत: मरकच्चों प्रखंड के बरियाडीह मोड का पर्वत शृंखलाओं से घिरे सुरक्षित 7500 एकड़ नि:शुल्क सरकारी भूमि को सर्वोत्तम एवं सबसे उपयुक्त स्थल माना गया। बिहार सरकार ने भूमि पैमाइश का नक्शा बनाकर पृथक कर दिया और बिहार के उद्योग मंत्री ने स्वीकृति पत्र दिया। प्रतिरक्षा राज्यमंत्री ने भी 1987 में स्वीकृति दी। इस स्थल के उपरांत आर्डिनैंस फैक्ट्री शीघ्र स्थापित करने की लड़ाई में यहां की जनता आज तक संघर्षशील रही है।

अब स्थल परिवर्तन कर-आतंकवादी ग्रस्त राजगीर ले जाने की घोषणा हुई है जो अनुसूचित एवं 14 वर्षों से बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए विश्वासघात है। रक्षा उत्पादनों की गोपनीयता यहां सुरक्षित नहीं रह सकती। यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही बराबर रहती है।

राजगीर में 7500 एकड़ भूमि हरित क्षेत्र को बरबाद कर अर्जित करना होगा। किसानों को करोड़ों का मुआवजा भी देना होगा जबकि बरियाडीह में भूमि नि:शुल्क मिलेगी और प्राकृतिक सुरक्षित स्थान भी स्वत: प्राप्त होगा।

अस्तु, प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि करोड़ों के अपव्यय रोका जाये और सबसे पिछड़े क्षेत्र कोडरमा में ही आयुध निर्माणी स्वीकृत किया जाये।

(पांच) कर्नाटक में महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी): सरकार ने कर्नाटक में महालेखाकार के कार्यालय में कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाया है क्योंकि सभी सरकारी आदेश, पेंशन पेपर इत्यादि कन्नड़ में हैं। कर्मचारी 40 से अधिक दिनों से अधिक समय से हड़ताल पर थे और निपाटन के एक भाग के रूप में उन्हें वेतन दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने काम की बकाया राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाए।

(छह) केरल में दक्षिण रेलवे के मंगलौर और शोरनूर के बीच रेल लाइन को दोहरा किये जाने के कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): दक्षिण रेलवे के पालघाट डिवीजन में मंगलौर से शोरनूर तक की रेलवे लाईन सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली रेलवे लाईन है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अकेली यह लाईन 90 के दशक में शुरू में ही अति की सीमा तक पहुंच गई थी। कोंकण सहित केरल से उत्तर की तरफ जाने वाली गाड़ियों से इस मार्ग पर यात्री और माल गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। इससे तथा जिस धीमी गति से इस लाईन के दोहरीकरण का काम चल रहा है इससे त्रिवेन्द्रम-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ी सहित अन्य गाड़ियों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। समय-समय पर इससे प्राधिकारियों को अवगत करवाया जाता रहा है। तथापि, गाड़ियों की समयबद्धता के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राधिकारियों के रवैये से केरल के लोग बहुत अधिक नाराज हैं जब तक दोहरीकरण का काम युद्ध स्तर पर नहीं होता तब तक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां खत्म नहीं हो सकती। यद्यपि माननीय रेल मंत्री ने पिछले दिसम्बर में यह आश्वासन दिया था कि दक्षिण रेलवे की गाड़ियों की समयबद्धता की निगरानी करने के लिए इस सेक्शन पर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा था फिर भी स्थिति वही है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय रेल मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करके इस क्षेत्र में गाड़ियों का समय पर आना-जाना सुनिश्चित किया जाए।

(सात) महाराष्ट्र राज्य को तरल ईंधन का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता

श्री अभय सिंह एस. भोंसले (सतारा): महोदय, विद्युत मंत्रालय ने महाराष्ट्र को 950 मे.वा. क्षमता का तरल ईंधन आवंटित करने के बारे में बताया है। यह इस मामले पर विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच काफी लम्बे समय से चल रही बातचीत का परिणाम है। काफी बड़ा औद्योगिक आधार होने तथा विद्युत की बढ़ती माँग के कारण महाराष्ट्र को आवंटित तरल ईंधन की क्षमता आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को आवंटित तरल ईंधन से काफी कम है। इस राज्य को आवंटित विद्युत को संरक्षित उत्पादन सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पहले ही नियत किया जा चुका है जिससे समेकित विद्युत परियोजनाओं या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की ही नई परियोजनाओं के लिए कुछ नहीं बचता। जैसाकि 15वें ई पी एस ने अनुमान लगाया है नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक महाराष्ट्र की सर्वाधिक मांग 13,147 मेगावाट है। जैसाकि नियोजित परियोजनाओं के साथ अनुमानित क्षमता 18,103 मे.वा. हो जाएगी। वर्तमान औद्योगिक विकास और पिछले दो वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि को देखते हुए विगत दो वर्षों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मांग के इस वर्ष के लिए अनुमानित परिकल्पित मांग से अधिक होने की संभावना है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन क्षमता में सात आई पी पी जोड़े जाएं। राज्य सरकार ने तरल ईंधन पर आधारित सात मध्यम आकार की परियोजनाओं के विस्तृत विवरण भेज दिए हैं और इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की है। परन्तु भारत सरकार ने अब तक 950 मे.वा. की आवंटित क्षमता से अधिक की तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के अनुरोध पर विचार नहीं किया है।

चूंकि सात स्थानों पर मध्यम आकार के तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की एम आई डी सी क्षेत्र में स्थापना किए जाने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जिसे पहले ही एम आई डी सी द्वारा विकसित किया जा चुका है और इन परियोजनाओं की जल आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा चुका है, महाराष्ट्र को 1,200 मे.वा. तरल ईंधन का अतिरिक्त आवंटन किया जाना अनिवार्य है।

(आठ) प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सतीश सामन्त की जन्मशती शानदार ढंग से मनाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक): भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान, एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) श्री सतीश सामन्त के नेतृत्व में "ताम्रलिप्त जातीय सरकार" नामक एक समानान्तर सरकार बनी थी। यह समानान्तर सरकार 17.12.1942 से 21 महीनों तक चली थी। सतीश सामन्त उस सरकार के राष्ट्रपति थे और सामान्य तथा "सर्वाधि नायक" के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने हल्दिया पत्तन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिसम्बर, 1999 में उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। ताम्रलिप्त जातीय सरकार स्मारक समिति ने एक गौरवपूर्ण तरीके से उनकी जन्मशती मनाने का फैसला किया।

श्री सतीश सामन्त जो हमारे देश के एक महान हीरो थे, की जन्मशती के अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित के लिए आवश्यक कदम उठाएं (क) एक स्मारक डाक टिकट जारी करना; (ख) केन्द्र सरकार द्वारा एक गौरवपूर्ण तरीके से जन्म दिवस मानना; (ग) ताम्रलिप्त जातीय सरकार स्मारक समिति को जन्मशती मनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देना, और (घ) उनके स्मरण में पश्चिम बंगाल के तामलुक और हल्दिया क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रम शुरू करना।

(नौ) अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने तथा उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): महोदय, अयोध्या (फैजाबाद) स्थित उत्तर प्रदेश, देश का एक पवित्र तीर्थ-स्थल है और सभी धर्मों का केन्द्र बिन्दु है। प्रति वर्ष कई महापर्व होते हैं जिसमें

लाखों लोग देश के कोने-कोने से आकर यहां स्नान-ध्यान, अनुष्ठान एवं दान करते हैं। इतना ही नहीं यहां महान् समाजवादी विचारक आचार्य नरेन्द्रदेव और डा. राममनोहर लोहिया जी की जन्म एवं कर्म भूमि भी है। लेकिन आवागमन के दृष्टिकोण से संसाधनों का भारी अभाव है। अभी तक अयोध्या को न तो देश की राजधानी और न ही देश के अन्य धार्मिक तीर्थ स्थलों से सीधी रेल सेवा से जोड़ा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन सदियों पुराना एवं अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था एवं सुविधाविहीन है।

अत: हमारी आपसे मांग है कि—(1) अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन को उच्चीकृत कर सभी जन-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। (2) अयोध्या रेलवे स्टेशन को राजधानी दिल्ली तथा देश के अन्य धार्मिक तीर्थ स्थलों से सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए।

(दस) तमिलनाडु में पल्लीपलयम नगर पंचायत और कोमारपलयम नगर पालिका में स्थित रंगाई कारखानों में अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. पलानीस्वामी (तिरुचेंगौड़े): पल्लीपलायम नगर पंचायत और कुमार पलायम नगरपालिका क्षेत्र तिरूचेंगोडे संसदीय क्षेत्र में स्थित है। वहाँ रंगाई की अनेक फैक्ट्रियाँ हैं और उन कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ कावेरी नदी में बहाया जाता है। चेन्नई उच्च न्यायालय ने कावेरी नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इन रंगाई कारखानों को बंद करने के आदेश दिये थे। इन कारखानों के बंद होने से उपर्युक्त कारखानों में कार्यरत 30,000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उपर्युक्त रंगाई कारखानों में अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के माध्यम से पल्लीपलायम नगर पंचायत और कुमारपलायम नगर पालिका क्षेत्र के लिए क्रमश: 5.75 करोड़ रु. और 6 करोड़ रु. मंजूर किए। तमिलनाडु सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। रंगाई कारखानों के स्वामी, कुमारपलायम और पल्लीपलायम की जनता तथा उन कारखानों के बेरोजगार मजदूरों ने अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र स्थापित करने में हो रहे विलम्ब के विरोध में एक दिन की भूख हड़ताल की थी। उपर्युक्त बंद कारखानों के 30,000 मजदूर बेरोजगारी के कारण भूखों मर रहे हैं। उस क्षेत्र के विद्युतकरघा उद्योग, जो कि रंगाई कारखानों पर निर्भर हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अत:, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मामले में हस्तक्षेप करे और इन रंगाई कारखानों में अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र स्थापित करने में मदद करें ताकि उस क्षेत्र के 30,000 से अधिक बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिल जाए।

(ग्यारह) छपरा जिले में कोटवंदियार में गंगा नदी द्वारा होने वाले अत्यधिक भूमि कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हीरा लाल राय (छपरा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य के छपरा जिला के कोटवांदियर के कटाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह वियर काफी उपजाऊ और एक बड़े भूभाग के साथ तीन दर्जन गांव गंगा नदी के कटाव के कारण नदी में विलीन हो रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उस क्षेत्र के गांवों को बचाने के लिए बिहार सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

(बारह) कच्चे जूट के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से उर्वरक (यूरिया) के लिए जूट की बोरियों का आरक्षण 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने वाले आदेश को वापस लिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 संसद द्वारा कच्चे पटसन उत्पादकों, पटसन उत्पादन तथा पटसन उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम सीमेंट, खाद्यान्नों, चीनी तथा यूरिया की पैकिंग में पटसन की बोरियों के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को बनाने के बावजूद पटसन आरक्षण आदेश का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है जबकि एक प्राकृतिक कृषि पर आधारित धागा होने के नाते पटसन देश में पॉली अपशिष्ट से होने वाले खतरे जैसे मृदा प्रदूषण और जल निकास में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15.12.1998 के आदेश संख्या एस.ओ. 1076 (ई) के द्वारा उर्वरक (यूरिया) के लिए पटसन की बोरियों का इस्तेमाल करने संबंधी आरक्षण प्रतिशतता को 50 से 20 प्रतिशत कर दिया है।

केवल उर्वरक (यूरिया) के कारण ही जूट की बोरियों की अनुमानित क्षति 72,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के बराबर होगी और

चीनी के लिए 20 प्रतिशत तक किए गए प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 2,00,000 मीट्रिक टन पटसन बोरी की क्षति होगी। उक्त प्रतिशतता में कमी आने के कारण पटसन उद्योग बंद हो रहे हैं और इससे देश के पटसन उत्पादकों की दशा खराब हुई है। इससे पूर्वी क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार के कच्चे पटसन के उत्पादकों-पटसन उद्योग तथा उसके मजदूरों को बचाने के लिए दिनांक 15.12.1998 के उपर्युक्त आदेश एस.ओ. संख्या 1076(ई.) को तुरन्त वापस लें।

अपराह्न 2.42 बजे

बजट (सामान्य), 1999-2000—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1999-2000 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-99 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 13 से 16 एक साथ लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27, 29, 30, 32 से 59, 61 से 93, 95, 96, 98 से 103 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2,000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अर्से से देख रहे हैं कि सरकार का खर्चा और आमदनी का बही और लेखा-जोखा हर साल संसद में पेश होता है। सरकार के समर्थक उसे सही बताते हैं और सरकार के विरोध में बैठने वाले लोग उसकी खामियां और गलतियां निकालने का काम करते हैं। इस बार भी कुछ इसी सिलसिले की शुरुआत हो रही है। मैं विपक्ष में होने के नाते इतना ही कहूंगा कि इस बजट में हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की समस्या का समाधान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह एक निरुद्देश्य और साल भर का एक औपचारिक आर्थिक लेखा-जोखा रखने का काम किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करने से पहले इस देश का आर्थिक सर्वेक्षण इस सदन के सामने रखने का काम किया। उसमें इस देश की जो आर्थिक प्रगति बाधित हुई है, उसको हमारे दक्षिण पूर्व के गरीब देश जिनमें मंदी का दौर शुरू हो गया है, उसको एक बहाना बनाकर हमारी भी तरक्की बाधित हुई है, ऐसा खाका खींचने का काम किया है। उसमें कहा गया है कि विश्व के आर्थिक दौर की तरक्की दो फीसदी के हिसाब से बढ़ेगी और उसके अनुपात में भारत की तरक्की 5.6 फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए अपनी नीतियों के लिए वित्त मंत्री जी ने अपनी ही पीठ ठोकने का काम किया है लेकिन आज भारत कहां है? दुनिया के संगठन दुनिया की तरक्की के बारे में तस्वीर पेश करते हैं। यदि उसको हम देखें तो दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा 14 परसेंट है और दुनिया के कंगालों की आबादी में हिन्दुस्तान का हिस्सा 28 प्रतिशत है। दुनिया के जितने निरक्षर हैं, उसमें हिन्दुस्तान का हिस्सा दो तिहाई है और आज भी हिन्दुस्तान में करीब 10 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यदि फी कस के हिसाब से देखें तो फी कस दुनिया की आमदनी के हिसाब से सबसे सम्पन्न देश जापान है जो हमारे एक-आध सूबे से भी कम आबादी का देश है।

लगभग 40 हजार अमेरिकी डालर प्रति व्यक्ति उसकी वार्षिक आमदनी है। दूसरे नम्बर पर सिंगापुर है, जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी 30 हजार अमेरिकी डालर है और तीसरे नम्बर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां प्रति व्यक्ति 28 हजार अमेरिका डालर वार्षिक आमदनी है। लेकिन हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी 350 अमेरिकी डालर है। हमारा ही पड़ौसी देश पाकिस्तान है, जहां प्रति व्यक्ति आमदनी हमसे ज्यादा है, जबकि उसे आर्थिक रूप से और औद्योगिक रूप से सम्पन्न देश नहीं कहा जा सकता और वहां की सारी अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर निर्भर है। बंगला-देश इस मामले में जरूर हमसे पीछे है।

ऐसे देश में जब सब्सिडी की बात की जाती है, क्योंकि भारत सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए सब्सिडी को खत्म करना चाहिए, हिन्दुस्तान के सारे विद्वान इस बात पर जोर देते हैं, लेकिन यह स्थिति तभी आ सकती है, जब भारत से हम गरीबी दूर कर दें, विषमता को समाप्त कर दें या इस देश में तानाशाही आ जाए।

जब तक लोकतांत्रिक सरकार इस देश में रहेगी और जब तक भारत में गरीबी और विषमता रहेगी, सब्सिडी के सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकते, वह आपकी मजबूरी है। लेकिन उसमें रिस्ट्रेंट तरीका कायम करना पड़ेगा।

खाद्यान्न के वितरण के मामले में जो आंकड़े बोलते हैं, उसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये गरीबों को आसान कीमत पर खाद्यान्न पहुंचाने का काम होता है। इस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिन्दुस्तान की गरीबी में 18 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि वहां पी.डी.एस. का हिस्सा केवल आठ प्रतिशत है। इसी तरह बिहार में जहां के आप रहने वाले हैं, आपने कहा कि वह चाणक्य की राजधानी रही है और मेरी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि का हिन्दुस्तान की गरीबी में 16 फीसदी हिस्सा है, जबकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा है। इसी तरह दक्षिण के राज्य हैं, जिनमें हिन्दुस्तान की गरीबी में हिस्सा बहुत ही कम है। खासतौर से केरल में, जहां तीन फीसदी गरीबी की हिस्सेदारी पूरे हिन्दुस्तान में है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हिस्सेदारी वहां दस प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश में गरीबी की हिस्सेदारी केवल पांच प्रतिशत है और पी.डी.एस. की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। इस बारे में भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आगे आप जो खाद्यान्न में सब्सिडी दे रहे हैं, वह सचमुच सही रूप में देश के गरीब तक समान रूप से पहुंच रही है या भारत सरकार के ऊपर अत्यधिक बोझ का काम कर रही है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो कर्ज है, आंतरिक और विदेशी, वह लगातार बढ़ रहा है। आपने जो बजट पेश किया है, उसके हिसाब से हिन्दुस्तान की सरकार इस साल मूल कर्ज पर सूद के रूप में 88 हजार करोड़ रुपये देने वाली है। आप केवल सूद ही दे रहे हैं, मूलधन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आज आंतरिक ऋण आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। इसी तरह विदेशी ऋण भी लगातार बढ़ रहा है। इसके ऊपर यदि पाबंदी नहीं लगाई गई और एक कानून बनाकर हिन्दुस्तान की सरकार को कर्ज लेने से नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था, जो हम कर्ज जाल में फंसने वाली बात कहते हैं, वह पूरी होने की सम्भावना बन जायेगी। इससे मुक्ति का सरकार के पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। अपने बजट में आपने एक इलाज निकाला और कहा कि पिछले साल हमारा आयात-निर्यात में भुगतान संतुलन गिरा है, लेकिन जितना आयात बढ़ा है, उसके हिसाब से हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। हमारे सामने भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी है। विश्व व्यापार में भी हमारा घाटा है। आर्थिक मंदी का दौर है और हम इसस बात का प्रचार करते हैं कि चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मंदी है इसलिए यहां भी हो गई। भारत की आबादी एक अरब के करीब है और यहां 30 करोड़ की आबादी ऐसी हो गई है।

जो हर चीज के उपभोक्ता सामग्री को खरीदने की हैसियत रखता है। आज अमेरिका की स्थिति कैसी है? उस देश की सरकार यदि इस बात का रोना रोए कि हमारे देश में मंदी है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सही मायनों में आर्थिक कारोबार इस देश में अवरुद्ध हो गया। उत्पादन के जो जरिये हैं उनमें कारोबार रुक गया है। जिनकी जेब में पैसा है वह पैसा खर्च करने की स्थिति में इस देश में नहीं है, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है।

पिछले साल आपने खाका तैयार किया था कि हमारे खजाने में इतना पैसा एक्साइज के जरिए आ जोगा, उसमें कमी हो गई और उस कमी के बावजूद इस साल एक्साइस से आपने जो आमदनी का रास्ता निकाला, आंकड़े दिए वे पिछले साल से अधिक कर दिए। पिछले साल आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे एक्साइज के क्षेत्र में कम आमद हुई और कस्टम के क्षेत्र में भी कम हुई। इसके बावजूद यह स्वीकार करते हैं कि मंदी है, आपने एक्साइज के क्षेत्र में उससे अधिक आमद की एक शुभ भावना अपने मन में रखी और उसके आंकड़े हमारे सामने पेश कर दिए। उसके लिए एक तरकीब निकाली कि हमने एक्साइज के ऊपर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया तो उससे कितनी आमद होगी, क्योंकि मोडवेट भी पिछले साल 95 था और इस साल आपने सौ प्रतिशत कर दिया। ऐसी स्थिति में आपने जो आकलन किया है कि हमें उत्पाद कर से इतनी आमदनी होगी, मेरा मानना है कि वह आमदनी आशा के विपरीत है। उस मामले में आपकी आमद नहीं होने वाली है।

इंकम टैक्स के ऊपर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया। पिछले साल इंकम टैक्स से आमदनी जरूर बढ़ी। आपने जितनी संभावनाएं रखी थी उससे अधिक आमदनी हुई लेकिन इस बार उस पर दस फीसदी सरचार्ज बढ़ा दिया। अब उसकी लाभ और हानि क्या होने वाली है? केन्द्र सरकार के सरकारी खजाने में दस फीसद सरचार्ज लगाने से आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन उससे बाकी लोगों की तकलीफ कितनी बढ़ने वाली है? आपने अपने घोषणा पत्र में बार-बार देश की जनता को, बंधी हुई आमदनी के लोगों को इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने पर हम आय कर की सीमा एक लाख कर देंगे। इस सीमा को आपने नहीं बढ़ाया, पिछले साल वाली सीमा ही रही। उसके उपर आपने सरचार्ज दस फीसदी और बढ़ा दिया। इस देश के जो बंधी हुई आमदनी वाले लोग हैं, खासकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जिनके वेतन से नियमित रूप से जबरन आय कर काट लिया जाता है, वे इसके भुक्तभोगी होने वाले हैं।

[श्री मोहन सिंह]

अपराह्न 2.52 बजे

[श्री पी.सी. चाको *पीठासीन* हुए]

वेतन आयोग के जरिये, जो हमारे देश के कर्मचारियों को पैसा मिला था, सरचार्ज लगाकर उस पैसे को उनके हाथ से छीन लेने का एक नया इंतजाम इस बजट के जरिए वित्त मंत्री जी ने कर दिया। मेरा कहना है कि जब इंकम टैक्स बढ़ता है, इंकम टैक्स से आमदनी बढ़ती है तो उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है लेकिन जब आपने इंकम टैक्स का दायरा नहीं बढ़ाया और जो सरचार्ज बढ़ाया, उसके ऊपर राज्यों को हिस्सा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरचार्ज बढ़ाने से आय कर के जरिए जो राज्यों का हिस्सा होता है उसमें हिस्सामारी करने की एक नयी तरकीब भारत सरकार ने निकाली। भारत सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए भारत के जितने पब्लिक अंटरटेकिंग्स हैं, आपने कहा कि डिसइनवेस्टमेंट के जरिए हम भारत में 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। आपने पिछले साल कुछ आंकड़े दिए थे और उसके आधार पर जब आप डिसइन्वेस्टमेंट में गए तो 4000 करोड़ रुपये नहीं बल्कि उसके मुकाबले बहुत सीमित रकम भारत सरकार को मिली। इस साल आपकी योजना है कि हमें 10,000 करोड़ रुपया मिलेगा, कैसे मिलेगा? भारत सरकार को यह बात सदन के सामने रखनी चाहिए। उसकी क्या तरकीब है? यदि भारत में मंदी का दौर है, कोई प्राइवेट इनवेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, पूंजी निवेश बाधित हो रहा है, बाहर की पूंजी आनी बंद हो गई है और बाहर से आने वाली पूंजी में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वह भी धीरे-धीरे कम हो रहा है, केवल पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट देश में बढ़ रहा है। 1995-96-97 में बाहर की पूंजी आई लेकिन दो वर्षों में बाहर से जो पूंजी लगाने वाले थे उन्होंने न केवल आना बंद कर दिया बल्कि उनकी जो पूंजी थी उसको उन्होंने वापस लिया, ऐसा रिजर्व बैंक कहता है, उसका बुलेटिन कहता है और उसके आंकड़े कहते हैं।

ऐसी हालत में इस डिस-इन्वेस्टमेंट से 10 हजार करोड़ रुपये की उगाही इस बजट में भारत सरकार को हो जाएगी, मैं ऐसा समझता हूं कि यह सपना मात्र है। भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको मजबूत और पल्लवित किया जाए क्योंकि भारत की प्रगति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की गरीब जनता की उसमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगी है। उसमें 20 लाख के करीब कर्मचारी काम करते हैं। उनकी जिंदगी उन पर निर्भर है और इतना ही नहीं भारत के सामानों को विदेशों में भेजकर निर्यात के क्षेत्र में, आयकर के क्षेत्र में, उत्पाद-कर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आमद इन सार्वजनिक क्षेत्रों से है। भारत सरकार खुद अपने वृहत हितों को ध्यान में रखते हुए इनको मजबूत बनाने के बारे में एक कार्यक्रम बनाए।

तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यह जो टैक्स की आमदनी है, भारत सरकार यदि संकल्प के साथ चाहे तो उस आमदनी को और बढ़ा सकती है। मैंने एक सवाल इस संसद के भीतर किया था जिसका उत्तर मुझे माननीय मंत्री जी ने भेजा है। भारत के जो आयकर के सबसे बड़े डिफाल्टर हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बकाया है और भारत सरकार जिनसे वसूली नहीं कर पा रही है। उनके नाम मैं गिनाना चाहता हूं और उनके ऊपर कितना-कितना बकाया है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अगर कोई बेरोजगार नौजवान पैसा लेता है, अगर उसको बिजली नहीं लिमती है, कच्चा माल नहीं मिलता है, उसकी दुकान में आग लग जाती है, तब भी भारत सरकार लाठी-डंडे के बल पर उससे पैसा वसूल कर लेती है लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जिनसे सरकार इन्कम टैक्स वसूल नहीं कर पा रही है। एक व्यक्ति के ऊपर तो 5428 करोड़ रुपया टैक्स का बकाया है। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): आप नाम बताइए।

श्री मोहन सिंह: उनका नाम हर्षद मेहता है। उनका नाम लेना अपना अपमान करना है। दूसरे व्यक्ति पर 1404 करोड़, तीसरे व्यक्ति पर 1189 करोड़, चौथे व्यक्ति पर 744 करोड़, पांचवें व्यक्ति पर 627 करोड़ तथा बाकियों पर क्रमश: 558 करोड़, 343 करोड़ और 316 करोड़ बकाया है। ऐसे लोग 14,444 हैं, जिनके ऊपर 10 लाख से अधिक बकाया है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाने की सोच रही है, जिससे इन लोगों से बकाया रकम वसूल की जा सके। भारत सरकार के ऊपर 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। जो हमारी हर साल की आमदनी है, वह आमदनी भी उस कर्जे से कम है।

मारुति लिमिटेड के लोगों के ऊपर 50 करोड़ रुपये के टैक्स की वसूली का नोटिस आयकर विभाग ने दिया है। मैंने बीसियों पत्र कंपनी लॉ विभाग को ए.सी.सी. सीमेंट के बारे में लिखे। वह व्यापार कर, उत्पाद कर, कस्टम और तमाम चीजों की लूट किए हुए है। उसके बारे में केवल इतना जवाब मिलता है कि उसकी छानबीन करा रहे हैं। सार्वजनिक निधि का जो पैसा है उसको बड़े औद्योगिक घराने किस प्रकार से लूट रहे हैं इसके बारे में भारत सरकार कुछ सोचे। मैं यही आग्रह करते हुए माननीय मंत्री जी से कुछ विशेष विनती करना चाहता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

विनती यह है कि आपने एक रुपया डीजल के ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया। यह कहा गया कि खास तौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कारोबार भारत सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर उसकी दर निर्धारित होती रहेगी। दुनिया के बाजार में इस समय पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भारी गिरावट हो रही है। उसके दाम बढ़ सकते हैं। आज कम्पनियों के पास जो तेल पूल है, उसमें घाटे की जगह साढ़े 17 हजार करोड़ इकट्ठे हो गए। भारत के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ये कम्पनियां क्या कर रही हैं? इनके पास इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई है। आपने एक रुपया सरचार्ज बढ़ा दिया। उसका हिन्दुस्तान के आम आदमी खासतौर से गरीब आदमी पर असर पड़ेगा। जो खेती के काम में डीजल का प्रयोग करते हैं, दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। रेलवे में डीजल का प्रयोग होता है। इससे माल भाड़े में वृद्धि होने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। इसलिए डीजल पर एक रुपया बढ़ा हुआ सरचार्ज वापिस लेना चाहिए।

लघु उद्योगों के नाम पर इस देश में बड़ा भारी फ्रॉड चल रहा है। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज आप परेशान हैं कि उत्पाद कर के रूप में किन इलाकों और क्षेत्रों से पैसा मिलेगा? मैं नहीं कहता कि इन पर उत्पाद कर का भारी बोझ डाल दिया जाए। इनको आयकर के दायरे में लाने के लिए, इनका हिसाब-किताब सरकार की रोशनी और आंख के सामने रहे इसके लिए जरूरी है कि नाममात्र का ही सही लेकिन इनको भी टैक्स के दायरे में लाकर इनके हिसाब-किताब की निगरानी सरकार कर सकती है। इस दायरे में इनको लाने की जरूरत है जिससे उनके नाम पर जो टैक्स की चोरी चल रही है उसको रोका जा सके, टैक्स के ढांचे को बढ़ाया जा सके और टैक्स की वसूली को और तीव्र किया जा सके।

जब प्रधान मंत्री इधर बैठते थे और उधर से एक बात कही गई कि टेलीफोन लगाने वालों पर इस तरह का टैक्स लगाना और उन्हें इनकम टैक्स के दायरे में लाना एक अन्याय है लेकिन उधर जाने के बाद उनको भी इसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। आप इस पर पुनर्विचार करें। भारत सरकार इस देश के गरीब किसान, कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की और उत्थान के लिए जितने सम्भव उपाय हैं, इस नाम पर उसे न रोकें कि सब्सिडी का भार हमारे देश पर पड़ेगा। एक सादगी का वातावरण तैयार करके, प्रशासकीय खर्चे को कम करके वित्त मंत्री ने कह दिया कि हमने अपने सचिव की पोस्ट को सरैंडर कर दिया। वह उन्हें सरैंडर करके क्या करेंगे? आपके ऊपर वह सचिव जाते-जाते इतना बड़ा बोझ रख गया कि उस बोझ से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी चीजें करने से कुछ नहीं होगा।

हिन्दुस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के बारे में बहुत से कमीशन बने लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। इस पर सोचने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हो गए। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था पर जो व्यापक असर पड़ना चाहिए या वह कहां पड़ रहा है? 41 हजार करोड़ रुपये से 45 हजार करोड़ रुपए रक्षा बजट हो गया। करीब एक हजार करोड़ रुपए अधिक रक्षा का बजट हो गया। यदि सीमा पर उसी तरह की अशांति है तो हमारे पड़ोसियों से रिश्ते कैसे अच्छे हो रहे हैं? इसके क्या मायने हैं? यदि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होते हैं तो धन को, बजट के प्रावधानों को इस तरह के कामों में खर्च न करके विकास के कामों में खर्च करने की शुरुआत होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब इस देश में सादगी का वातावरण बने और प्रशासकीय व्यय कम हो। सरकार के मंत्री, ओहदेदार लोग, अधिकारी लोग जो ठाठ-बाट, फिजूलखर्ची, ऐय्याशी कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो। इन्हीं सुझावों के साथ मैं बजट की आलोचना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि मेरे दिए सुझावों पर विशेष रूप से अमल करें। इस प्रार्थना के साथ धन्यवाद।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): सभापति जी, आदरणीय वक्ता श्री मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो भावावेश में इन्होंने अपने भाषण के अंतिम वाक्य में मंत्री और अधिकारियों के लिए "फिजूलखर्ची और अय्याशी" शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरा अनुरोध है कि फिजूलखर्ची के अलावा "अय्याशी" शब्द को या तो कार्यवाही में से निकाल दिया जाये या उन्हें कहें कि यह शब्द वापस लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब आपकी बारी आए, आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री चैक्को (शिवकाशी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को, वर्ष 1999-2000 के इस बजट को प्रस्तुत करने में उनके द्वारा किए गये सराहनीय कार्य के लिए मुबारकबाद दूंगा। मैं उन्हें शाम के 5 बजे बजट प्रस्तुत करने की बहुत लम्बे समय से चली आ रही परम्परा को तोड़ने के लिए बधाई देना चाहूंगा। इस लम्बे समय से चली आ रही परम्परा और प्रथा को, औपनिवेशिक परम्परा को तोड़ने में पचास वर्ष लगभग पांच दशक लग गए। अत: मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री मुरली देवरा (दक्षिण मुम्बई): भाषा के संबंध में आप क्या कहेंगे?

श्री वैको: हम अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के पक्ष में हैं। भाषा देश को एक करती है। यह लोगों में एकता लाती है। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को भूल गए हैं। यह बड़े दुख की बात है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके पास अनेक मुद्दे होंगे जिन पर आप बोलना चाहेंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर न दें। अन्यथा, आपको अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री वैको: माननीय वित्त मंत्री ने विपक्ष की ओर के अपने मित्रों को काफी निराश किया है। सभी एक बहुत ही सख्त और बुरे बजट का अनुमान लगा रहे थे ताकि वह सरकार की आलोचना कर सकें। दूसरी ओर अनेक लोगों द्वारा बजट की प्रशंसा की गई है। न केवल यही, पिछले वर्ष मेरे कुछ मित्र इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि श्री यशवंत सिन्हा वर्ष 1999-2000 के लिए बजट प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इन सब प्रतिकूल बातों को समाप्त कर दिया है अब उन्होंने दूसरी सहस्त्राब्दी के अंतिम वर्ष का और तीसरी सहस्त्राब्दी के प्रारम्भ का बजट प्रस्तुत कर दिया है और मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री, श्री सिन्हा अगले वर्ष भी बजट प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुरली देवरा: बाकी वर्षों के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री वैको: आपको अन्य चार वर्ष तक इन्तजार करना होगा ...*(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय उन्हें जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें सार्वभौमिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। पूरे विश्व को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। पूर्वी एशिया आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। पाकिस्तान पतन के कगार पर खड़ा है। यहाँ तक कि चीन में भी मुद्रा का मूल्य गिर गया है। जापान, जो कि विश्व बाजार को चुनौती दे रहा था, वह बड़ी शक्ति एक बड़े संकट का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों में, पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के साथ लोग यह कह रहे थे कि हम महा संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? मंत्री महोदय ने बहुत साहस और दूरदर्शिता के साथ इन चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए मैं श्री सिन्हा को बधाई देना चाहूँगा और उनकी प्रशंसा करूँगा। उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। वह इस स्तर तक उठ गए हैं और मैं उनकी तुलना महान अर्थशास्त्री श्री रोमानो प्रूदी से कर सकता हूं जिन्हें इटली में देश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए चुना गया था।

इटली में साझा सरकार है और उस समय इस विशेष व्यक्ति, श्री रोमानो प्रूदी ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी जब पूरा देश आर्थिक संकट को दौर से गुजर रहा था। अत: मैं श्री यशवंत सिन्हा को उनके सराहनीय बजट के लिए बधाई देता हूँ।

महोदय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महान सोवियत समाजवादी गणराज्य था और उनके महान नेता श्री लेनिन थे तो उन्होंने साम्यवाद की असफलता के बाद कुछ नए कदम उठाए जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। यह एक अनुरूपता है और मैं इस नए कदम की तुलना नई आर्थिक नीति से करता हूँ। अत: नए कदम उठाए गए हैं जो कि अनेक लोगों की भविष्यवाणी के प्रतिकूल है।

पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1998-99 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका श्रेय कृषकों को जाता है। उन्होंने कृषि में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि से यह दिशा दिखाई है। वास्तव में हम 3.5 प्रतिशत औद्योगिक विकास से खुश नहीं हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि के लिए किया जाने वाला आवंटन बढ़ा दिया है। यह ग्रामोन्मुखी बजट है और यह एक किसान पक्षी बजट है। कृषि के लिए तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले आवंटन की राशि 34 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। पनधारा विकास के लिए किये जाने वाले राष्ट्रीय अभियान का प्रस्ताव एक सराहनीय कदम है। यह मुख्यत: जल प्रबंधन राजसहायता और किसानों के लिए पूर्ण क्रेडिट सुविधाओं पर केन्द्रित है। कृषि को दी जाने वाली संस्थागत राशि 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। पहले ही 6000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान और दो मिलियन किसानों को लाभ होगा।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने मानव विकास पहल को वरीयता देकर एक बड़ा कदम उठाया है। यह बजट नोबल पुरस्कार विजेता, डा. अमर्त्य सेन की प्रेरणा से राष्ट्रीय मानव विकास कार्यों से संबंधित है। माननीय मंत्री ने इसके लिए ऐसे पाँच क्षेत्रों का निर्धारण किया है जिनमें सामाजिक आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया जाना है। ये हैं-खाद्य, स्वास्थ्य, रक्षा, रोजगार, शिक्षा और आवास। महोदय, प्राथमिक शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य अज्ञानता को दूर करना है। इस प्रयोजन के लिए लक्ष्य यह रखा गया है कि उस बस्ती में जहां पहले एक किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं है। वहां प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। स्थानीय समुदाय इसके लिए जगह उपलब्ध कराएगा और स्थानीय व्यक्ति को अंशकालिक शिक्षक के रूप में चुनेगा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें पाठ्य सामग्री और अन्य सहायता उपलब्ध कराएगी जबकि

ग्राम पंचायत स्थानीय समुदाय से अन्य योगदान जुटाएगा। महोदय पहली बार ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका दी गई है। विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया है और ग्राम पंचायतों को महत्व दिया गया है। भारत में यह माँग काफी समय से की जा रही थी। इसके द्वारा महात्मा गांधी के सपने साकार होंगे।

महोदय, जब खाद्य की बात आती है तो हम यही कहेंगे कि यह अन्नपूर्णा स्कीम से पूरी की जाएगी जिसके अंतर्गत गांवों में वरिष्ठ नागरिकों को दस किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में यह प्रस्ताव किया गया है कि ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को महत्व दिया गया है तथा उन्हें लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम सौंपा जा रहा है।

महोदय, जहां तक रोजगार का संबंध है—जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जवाहर रोजगार योजना की मौजूदा स्कीम को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जाएगा कि ग्रामीण अवसंरचना के गठन से संबंधित धनराशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाए और इसके खर्च का दायित्व ग्राम पचायतों पर ही हो।

वार्षिक कार्य योजना की तैयारी तथा उसके कार्यान्वयन का उन्हें पूरा अधिकार है जिसमें ग्राम सभा के अनुमोदन से संबंधित कार्य निष्पादन के अधिकार भी शामिल हैं। यह एक नया कदम है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में भी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतें एक रोजगार रजिस्टर रखेंगी जो संवीक्षा के लिए ग्राम सभाओं और लोगों को उपलब्ध होगा। ग्रामीण लोगों के रोजगार से संबंधित रोजगार कार्यक्रमों को ''स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार' नामक एक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह पद्धति, यह प्रणाली, चैनल और विकल्प कि इस योजना का लाभ किन व्यक्तियों को मिलेगा—यह सब बजट में दिया गया है। हमारा *...(व्यवधान)* आपको बजट को सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा। यह तीसरी सहस्त्राब्दी में प्रवेश है।

बजट की एक अन्य महत्वपूर्ण नई बात उत्पाद और सीमा शुल्क ढांचे का सरलीकरण करना है। मूल्यानुसार दरों के ग्यारह स्तरों को घटाकर केन्द्रीय दर, गुण दर और अवगुण दर नामक तीन दरों में बदल दिया गया है। वास्तव में कर ढांचे के युक्तिकरण से कर वसूली का लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

कुछ क्षेत्रों में असन्तोष भी हुआ है। लोग यहां आए हैं। वे अपनी-अपनी शिकायतें कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान कतिपय क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। कर ढांचे के पुनर्गठन से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। परंतु बिना किसी पक्षताप के, बिना किसी पूर्वधारणा के उन्होंने इस पर सोचा है। वे कुछ ऊपर उठे हैं और फिर इसे नीचे लाए हैं। परंतु इसके साथ ही इससे लोग प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग का ही मामला लें। यह उद्योग गम्भीर संकट में है। अधिकांश मिलें बंद हो रही हैं। लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं। वे सड़कों पर आ गए हैं। हमें पता चला है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जब हमें पता चला कि कताई मिलों को बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो बहुत आघात लगा। हमें बहुत दुख हुआ। मैंने यह मामला माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाकर अपने विचार व्यक्त किए, उन्हें अपनी चिन्ताओं विशेषकर अपने राज्य की चिंताओं से अवगत कराया। राज्य काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत में 50 प्रतिशत कताई मिलें तमिलनाडु में हैं। विशेषकर ये कोयंबटूर और अन्य क्षेत्रों में हैं। अगर हमें छोड़ दिया जाता है तो इससे निश्चित रूप से भेदभाव की भावना आ जाती है। जब माननीय वित्त मंत्री ने यह महसूस किया कि यह एक बहुत बड़ी भूल है तो उसे सुधार दिया गया। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अपील करना चाहूंगा कि यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। आयातित कपास पर लगने वाला शुल्क वस्त्र उद्योगों के लिए चिंता की बात है। *...(व्यवधान)* दो अलग-अलग लाबियां हैं। मैं तमिलनाडु राज्य की बात कर रहा हूं। आयातित कपास पर शुल्क और कपास के धागे पर उत्पाद शुल्क दो चिंता के विषय हैं। जब कताई मिलों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया था। पूरा वस्त्र उद्योग इस बात से काफी खुश हुआ, परंतु जब बजट घोषित किया गया तो इससे काफी चिंतित हुई।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि वे वस्त्र उद्योग की समस्या का कोई समाधान ढूंढें। उन्होंने कई समस्याओं के बहुत से समाधान ढूंढे हैं। वे मुख्यत: लघु और कुटीर उद्योग को बचाने के लिए चिंतित हैं। मैं ऐसे ही एक क्षेत्र से आया हूं। मैं शिवाकाशी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। उस निर्वाचन क्षेत्र में महान नेता स्वर्गीय श्री कामराज का जन्म हुआ था। वह मेरे जिले का मुख्यालय था। इस प्रकार सात लाख कर्मचारी माचिस बनाने वाले कुटीर उद्योग पर निर्भर हैं। *...(व्यवधान)* कृपया मेरे बोलने में व्यवधान न डालें।

मेरा सवाल यह है कि सात लाख कर्मचारी विशेषकर महिलाएं लघु और कुटीर उद्योग पर निर्भर हैं। उत्पाद शुल्क ढांचे के कारण वे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जब तक 1977 में शुरू की गई और 1980 तक जारी शुल्क ढांचे को पुन: लागू नहीं किया जाता तब तक कुटीर उद्योग विशेषकर हस्तशिल्प कुटीर उद्योग बर्बाद

[श्री चैको]

होते रहेंगे। उनके पास जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं है। वे पूरी तरह माचिस उद्योग पर निर्भर हैं। मार्क्सवादी पार्टी के हमारे साथी हमेशा गरीबों की सोचते हैं।

वे हमेशा मजदूरों, पददलितों और पीड़ित लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। परन्तु मुझे बहुत हैरानी हुई, जब वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मशीनीकृत कंपनियों के लिए अपील कर रहे थे क्योंकि जब कुटीर उद्योग में मशीनीकरण हो जाएगा तो पूरा उद्योग, विशेष रूप से कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, जिनके लिए मेरे मन में प्रशंसा और आदर की भावना है, वे 'विमको', जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अपील करते रहे हैं जिसने 50 प्रतिशत से अधिक माचिस उद्योगों पर कब्जा कर लिया है। पूरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जब मुझे पता चला कि मेरे मार्क्सवादी मित्र राज्य में कुटीर और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वे 'विमको' के बचाने और शुल्क कम करने के लिए वित्त मंत्री से मांग कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में इस सभा में कुछ कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात गलत हो तो वे इसे सुधार सकते हैं। अन्यथा उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए क्योंकि वे तमिलनाडु में उद्योग को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे वित्त मंत्री से 'विमको', बहुराष्ट्रीय कम्पनी पर से शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं।

मैं अपने कर्त्तव्य से विमुख रहूंगा अगर मैं तमिलनाडु के लोगों की तरफ से अरिन्गर अन्ना, के सपने को साकार करने के लिए अपना आभार व्यक्त नहीं करता हूं, जो तमिल लोगों का वर्षों से मसीहा रहा है क्योंकि जब वे 1967 में इस राज्य के मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने इसकी सिफारिश तथा मांग की थी। सत्ता संभालने के तुरन्त बाद उन्होंने सेतु समुद्रम नहर परियोजना पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार से ''जागृति दिवस का आह्वान'' किया था। यह परियोजना 138 वर्षों से अधिक समय से पड़ी है। परन्तु, महोदय, पहली बार, इस देश के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह उद्घोषणा की थी कि सेतु समुद्रम नहर परियोजना को लागू किया जाएगा। किंतु यहां कुछ शंकालु लोग हैं। वे हमेशा शंका उठाते रहेंगे। ये शंकालु लोग प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। किंतु जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से बात की तो मुझे पता चला कि सरकार न केवल वित्त मंत्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को अपितु इस परियोजना से जुड़े सभी मंत्रालयों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए गंभीरता से कदम उठा रही है। इस योजना से जो राज्य लाभान्वित होंगे उन्हें एक छतरी के नीचे लाया जाएगा और एक स्वायत्त निकाय का गठन किया जा रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि प्राप्त करें। वे विश्व बैंक से धन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह नहर विश्व का ध्यान स्वेज नहर और पनामा नहर से अधिक आकर्षित करेंगी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर होगी। यह हमारे अपने प्रादेशिक जल में नौवहन नहर होगी। आज तक भारतीय प्रायद्वीप में हमारे नौसेना के जहाजों के लिए कोई नौवहन नहर नहीं है, संपूर्ण विश्व में जहाज हमारे प्रादेशिक जल से होकर गुजरेंगे। कोलम्बो से होकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे ईंधन लागत में कमी आएगी, परिवहन में लगने वाले समय और हर चीज की बचत होगी। अर्थात् न केवल तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी अपितु सारे देश की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से शंकालु लोगों की शंका व संदेह को दूर करने और यह बताने का अनुरोध करता हूं कि सरकार इस योजना को गंभीरता से कार्यान्वित करना चाहती है, सरकार परियोजना के लिए अधिक धन आबंटित करे। तमिलनाडु राज्य इस परियोजना के कार्यान्वयन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। महोदय, इसलिए मैं सरकार की छवि सुधारने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रशंसनीय बजट लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बजट पर जो बहस हो रही है उस पर बोलते हुए भाई मोहन सिंह जी ने देश-विदेश का हिसाब जोड़कर बताया कि देश की आर्थिक स्थिति खतरनाक है और दुनिया के मुल्कों की तुलना में अपने देश में खराब हालत है और उस पक्ष के लोग कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। उन्हें सिखा-पढ़ाकर यहां लाते हैं कि सदन में कहना कि बजट बड़ा कमैंडेबल है। इसलिए ट्रैजरी बैंच के लोग तो कहेंगे कि बजट बड़ा कमैंडेबल है। लेकिन एक भी निष्पक्ष व्यक्ति ने, जानकार ने, इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा है कि यह बजट ठीक बजट है, सार्थक बजट है और देश की समस्याओं का समाधान करने वाला बजट है। बजट को देखने से लगता है कि देश में गरीबी घटने की बजाए गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, गैर-बराबरी बढ़ेगी और देश की आर्थिक हालत और खराब हो जायेगी। इनके बैड गवर्नेंस के विषय में हम कहना चाहते हैं कि जो नॉन बैंकिंग कम्पनियां हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमांड करता है या नहीं। जे.वी.जी., कुबेर, हिलियस ने न जाने कितना पैसा ठगने का काम किया है। गरीब आदमी गांव में कमाकर किसी तरह से पैसा एकत्र करता है, उसको दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे; सूद अधिक दे देंगे, इस लालच में पैसा जमा करवा लिया। हम नहीं जानते कि जिन जाली ठेकेदारों को इन्होंने पैसा ठगने के

लिए रखा है, उस पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की कुछ कमांड है या नहीं। नॉन बैंकिंग कम्पनियों ने गरीब लोगों का सैंकड़ों नहीं हजारों करोड़ों रुपये का गबन किया है। जे.वी.जी. भाग गया है। तीन-चार कम्पनियों के नाम हम जानते हैं और बाकी का नाम यह जानते होंगे ...*(व्यवधान)* वे गरीबों का पैसा लेकर भाग गई हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई भी बचाने वाला नहीं है। वे टाल रहे हैं, बेचैन है। मेरे पास एक महिला आई थी। उसका पति मर गया। उसने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा उसमें जमा किया हुआ था। इसके बारे में क्या किया जाये? हम मंत्री जी से जवाब चाहते हैं कि इस तरह की जाली कम्पनियों को क्यों खोला गया है? उन पर आप क्यों नहीं रोक लगाते? क्यों वे गरीब आदमी का पैसा ठगते हैं? ...*(व्यवधान)* तीन-चार के नाम तो मैंने बता दिये हैं बाकी ये अपने कागज वगैरह में देख लें किनको यह वसूली की मंजूरी देते हैं। आपने ऐसा ढीला कानून रखा है जिससे नॉन बैंकिंग कम्पनियां गरीबों का पैसा लूट रही हैं। बिहार में तो दस हजार करोड़ रुपये लूटा है। हम सब देखकर बता रहे है? ...*(व्यवधान)* यह नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, भाई मोहन सिंह जी कह रहे थे कि बड़े-बड़े लोगों का 5400 करोड़ रुपये के करीब बाकी है, जिन्हें वसूल नहीं करते हैं। 45 हजार करोड़ रुपये नॉन परफार्मिंग एकाउंट डूब गया। ...*(व्यवधान)* रिटन ऑफ 54 हजार करोड़ रुपये बैंक से, क्या बैंकिंग है इनकी, जो 54 हजार करोड़ रुपये को रफा-दफा कर दिया और 45 हजार करोड़ रुपये डूबंत खाते में चला गया। यह करप्शन है या नहीं? हम माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो एन.पी.ए. हैं, जो रिटन ऑफ है, वह करप्शन है या फेयर है। गरीब देश का इतना पैसा डूब गया था डूबंत खाते में चला गया। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इससे गरीब आदमी को भी कुछ लाभ हुआ है या नहीं? मंत्री जी बिहार से आते हैं इसलिए हम ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर दूसरे मंत्री रहते तो हम नहीं कहते क्योंकि यह भी हमसे कम वहां की हालत नहीं जानते हैं। सारा इकोनॉमिक इंडीकेटर को अगर देखा जाये तो बिहार को स्पेशल कैटेगिरी में रखने की स्थिति आ गयी है क्योंकि वहां आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। वह क्यों खराब हो गई, इसको जानने की जरूरत है। इनके यहां तीन मंत्री हमारे यहां के हैं। कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में दस करोड़ की आबादी है, उसमें से 54 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनके लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा इनके पास है और वह है कि यहां धारा 356 लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दो। दूसरा एजेंडा है कि बिहार को दो भागों में बांट दो। बिहार की गरीबी हटाने के लिए, गैर-बराबरी दूर करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वहां से तीन-तीन केन्द्रीय मंत्री हैं, लेकिन वे घूम-घूमकर सिर्फ यही कहते रहते हैं कि बिहार में धारा 356 लगाएं, वहां की सरकार को बर्खास्त करो और बिहार का विभाजन करो।

यह सदन देश की सर्वोच्च पंचायत है। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में यहां पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन पास हुआ था। उसके मुताबिक राज्य सरकार ने वहां कानून बनाया। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, कानून बना दिया कि अब पंचायत में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरपंच, मुखिया के पद के लिए भी आरक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए और कोट ने वह कानून रद्द कर दिया। अब उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। इस कारण वहां यह कानून रद्द हो गया। वहां उस समय पंचायतों के चुनाव के लिए आयोग से बक्से मांगे गए, नहीं मिले तो सरकार ने अपने तैयार करवा लिए, बैलेट पेपर भी छप गए थे, लेकिन क्योंकि कानून रद्द हो गया, उसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया था, इस वजह से चुनाव में बाधा पड़ी। अब ये कहते हैं कि चूंकि बिहार सरकार ने चुनाव नहीं कराए इसलिए दसवें वित्त आयोग के द्वारा जिस राशि की अनुशंसा की गई थी, वह पैसा नहीं देंगे और ये उसे रोके हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी बिहार सरकार से हो सकती है, मैं समझता हूं, लेकिन बिहार की दस करोड़ जनता और बिहार से आपकी क्या नाराजगी है।

अपराह्न 3.34 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

आप इस बात की छानबीन करा लें, अगर राज्य सरकार कसूरवार है, चुनाव नहीं कराने का कसूर है, वैसे भी आपने एक बार तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर ही दिया था, लेकिन लोगों ने जोर लगाया और वह फिर वापस आ गई। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार को पैसा मिलना चाहिए था, उस पर लगी रोक हटाएं।

इनके बजट में कहा गया है कि पंचायतों को अधिकार देंगे या खर्च देंगे, फिर वह पैसा बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है। मैं आरोप लगाता हूं कि यह एक साजिश के तहत वहां चुनाव नहीं कराने के कसूर के बहाने से बिहार को पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह साबित हो जाए कि बिहार में पंचायती चुनाव नहीं कराने का कसूर सरकार का है तो वहां पैसा न दें, लेकिन यदि कानून के अभाव में और चूंकि मामला सुप्रीम

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

कोर्ट में लम्बित है इसलिए जब तक फैसला नहीं होगा, वहां किस कानून से चुनाव हो सकते हैं। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, लेकिन चुनाव कराने के लिए भी कहां कहां है। जब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती कि हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हैं तो उस कानून के तहत वहां चुनाव हो जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास मामला विचाराधीन है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है इसलिए चुनाव नहीं होने का बहाना कहकर यहां से बिहार को पैसा नहीं देने से बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि यदि बिहार की जनता से आप सहानुभूति रखते हैं, तो जो ये चार-पांच मुद्दे उठाए हैं, इनमें से किसी एक पर भी आप इन्साफ कर देते हैं, तो हम समझेंगे कि आप बिहार के दुश्मन नहीं हैं और बिहार की जनता से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है।

बिहार में हर साल 16 लाख टन यूरिया की खपत है। वहां सिंदरी में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया की एक इकाई है। पंडित जवाहर लाल नेहरू उसके उद्घाटन में सन् 1951 में गए थे। उन्होंने कहा कि यह देश का मंदिर है। वहां 3,30,000 टन खाद का उत्पादन होता था, उसकी हालत खराब हो गई। सन् 1971 तक बढ़िया उत्पादन हुआ और वह कारखाना लाभ में चला लेकिन बाद में वह बीमार हो गया। बी.आई.एफ.आर., ई.आई.एफ.आर. और आई.सी.आई.सी.आई. में गया। सारे सरकारी संस्थानों और कमेटी ने अनुशंसा की कि उसका पुनर्वास होना आवश्यक है। उसमें 296 करोड़ खर्चा लगेगा तो 4,16,00,000 टन यूरिया का उससे उत्पादन हो सकता है। अभी कारखाना बंद नहीं है लेकिन मृतप्राय है। उसकी हालत खराब है इसलिए उसके पुनर्वास की आवश्यकता है। उसी के साथ-साथ नामरूप भी गया, जो नार्थ-ईस्ट में है। ये दोनों एक साथ केबिनेट में गए लेकिन नामरूप निकल गया। सभी सरकारी कम्पनियों ने कहा कि उसका पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन नामरूप का पैकेज लागू हो गया, बिहार का पैकेज लागू नहीं हुआ। फाइनेंस विभाग उसमें अड़चन डाल रहा है, वह पैसा दे नहीं रहा है। क्वेरी पर क्वेरी हो रही है और ये रोक लगाए हुए हैं, बिहार को पैसा नहीं देते। यह डिसक्रिमिनेशन, गैर-बराबरी और अन्याय बिहार के साथ हो रहा है।

महोदय, मैं यशवंत बाबू का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार का क्या कसूर है? अगर बिहार सरकार से नाराजगी है तो आप एक भी पैसा काम बताइए। ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान उर्वरक लि., बरौनी का बंद है। उसकी भी बी.आई.एफ.आर. ने अनुसंशा की है, उसका भी कोई विचार इनके सामने नहीं है, वह बंद है। कल वशिष्ठ नारायण सिंह जी भाषण कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में खाद का कारखाना है, उसको बंद करने की साजिश और इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह से पी.डी.आई.एल., सिंदरी में है। प्रोजेक्ट एंड डेवेलपमेंट इंडिया लि., सिंदरी, एशिया में नामी कंसलटेंसी एजेंसी खादों के संबंध में है। पी.डी.आई.एल., सिंदरी है, उसका हैडक्वार्टर सिंदरी में था। ये उठा कर उसे नोएडा में ले आए हैं। लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां खुले। वह पहले से वहां खुला हुआ था, इनका दिया हुआ नहीं था। उसे उठा कर ये नोएडा में ले आए और अब वहां से हटाने की कोशिश में हैं। ये चाहते हैं कि बिहार को उजाड़ दिया जाए, दरिद्र बना दिया जाए। इसको और नीचे धकेल दिया जाए। जो स्पेशल केटेगिरी स्टेट्स हिन्दुस्तान में हैं उससे भी नीचे चला जाए, यह इनका हिसाब हैं। इसी तरह से आई.डी.पी.एल., मुजफ्फरपुर, आर.डी.एच.एल. जूट मिल, कटिहार, मोकामा स्पीनिंग एंड बोविंग मिल एवं गया काटन मिल, कानपुर और शुगर वर्क्स मरहोरा चीनी मेल है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड मिल की धनबाद इकाई, सारान इंजीनियरिंग लि., छपरा, कुमार भूमि साइकिल एंड सिलिका लि. है, ये सारे भारत सरकार के संस्थान चौपट एवं बंद हैं। आप इनमें से एक को भी चालू करवा दें या उसको देखें, उस पर विचार करें। ...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कहता कि बिहार को देश का गला काट कर दे दिया जाए लेकिन बिहार का हिस्सा भारत सरकार में हमारा है या नहीं, यह बताएं। जब कि भारत का दसवां हिस्सा बिहार है। यह एक साल से मंत्री हैं, इन्होंने कितना समय बिहार के लिए लगाया है? क्या इन्होंने वहां की स्थिति को देखा है? ...*(व्यवधान)* क्या बिहार भारत से बाहर है। जॉन हिल्टन, आई.सी.एस. अंग्रेज का आफिसर था। उसने लिखा—बिहार भारत का हृदय है। ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान की तरक्की बिहार पर निर्भर है। बिहार की तरक्की नहीं होगी तो हिन्दुस्तान की तरक्की भी नहीं होगी। भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है इस वजह से बिहार पिछड़ा है और गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, वहां जल निकासी की 90 करोड़ रुपये की योजना है। वहां जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। भारत-नेपाल सीमा पर जो नदियां हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं उनसे हर साल बिहार बर्बाद होता है। बाढ़ से, सुखाड़ से हर साल बिहार में बर्बादी होती है। इसलिए भरात-नेपाल का बाढ़ नियंत्रण समझौता होना चाहिए तथा उत्तर बिहार में जो नौ लाख के लगभग यानी साढ़े दस लाख हैक्टेयर जमीन जल जमाव से प्रभावित है। उसमें कुछ नहीं होता है और किसान को उस पर भी मालगुजारी लगती है। वहां जल-निकासी की योजना लम्बित है। ...*(व्यवधान)* यह 900 करोड़ रुपये की योजना है। आर.ई.सी. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। देश में 85 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन बिहार में केवल 50 प्रतिशत हुआ है। आर.ई.सी. देश के हर राज्यों को पैसा दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): माननीय सांसद बिहार के बिजली मंत्री थे लेकिन कुछ नहीं कर सके। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं बिजली मंत्री था तभी तो असली बात बता रहा हूं। आर.ई.सी. देश के सभी राज्यों को पैसा दे रहा है लेकिन बिहार को रोक लगाकर रखा है। क्यों रोक लगाकर रखा है? बिहार ने 79 करोड़ रुपये विद्युतीकरण के लिए लिया। उस पर 12 प्रतिशत सूद और पांच प्रतिशत दंड सूद, चक्रवृद्धि सूद मिलाकर 300 करोड़ रुपया हो गया। इससे पहले बिजली बोर्ड पर पैसा बकाया था तो सेंट्रल सहायता से काट लिया गया। केन्द्रीय सहायता से 1200 करोड़ रुपया बिहार का काट लिया गया। इसलिए उसका ग्रामीण विद्युतीकरण का काम रुक गया। आर.ई.सी. से पैसा मिलने पर इन लोगों ने रोक लगा दिया। केन्द्र और राज्य, दोनों मंत्रियों की बैठक हुई कि बकाया तकसीम होता रहेगा लेकिन ऋण देना जारी रखा जाए। वर्ष 1996-97 में 40 करोड़ की आर.ई.सी. की योजना मंजूर हुई है लेकिन कहा कि राज्य सरकार गारंटी दे। राज्य सरकार ने 31 मार्च 1997 को गारंटी भी दे दी लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं दिया गया है और बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम रुका हुआ है। यह सब नमूना मैं बता रहा हूं। बिहार के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए बिहार पिछड़ा है। बिहार का सूद अथवा दंड सूद माफ करने का मामला हो, अथवा जो मूल पैसा है उसको केन्द्रीय सहायता से किश्तों में काट लिया जाए, सूद बढ़ाना फ्रीज कर दिया जाए और आर.ई.सी. से बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम शुरू हो, पूरा हो और जो बहुत कम गांव में बिजली है।

कोल-कारो परियोजना जसवंत बाबू को याद होगी। ये भी फाइलों में कुछ-कुछ लिखे हुए हैं। हम स्टेट मंत्री थे, हम जी-जान लगाए हुए थे कि भारत सरकार को नहीं देंगे, एन.एच.पी.सी. को नहीं देंगे। उसे अपनी तरह से तैयार करेंगे। उस समय 197 करोड़ रुपए खर्चा होना था। देश भर में 732 मेगावाट की पन बिजली परियोजना कहीं नहीं है और न ही हो सकती है। वह 1978 में भारत सरकार को दी। उस पर भारत सरकार में लिखा-पढ़ी होती रही। वह कैबिनेट कमेटी, सब-कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी, सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथॉरिटी तक गई। सब ने कहा कि यह लागू होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि यह क्यों रुका है? केन्द्र सरकार ने कहा कि शर्त मंजूर करो। वे शर्त मंजूर की। कहा गया कि काम शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। यह उसे बराबर रोक देते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें और सहयोग करें। अब चंदूमाजरा जी बोलेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रति वर्ष 126.80 करोड़ रुपया बकाया है। 1996-97 और 1997-98 का 459 करोड़ रुपया और स्थानीय निकायों हेतु 16.77 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह से केन्द्रीय उपक्रमों में लम्बित बकाया 1722.95 करोड़ रुपया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस बारे में मंत्री जी को बता देना।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : केन्द्रीय कर में राज्य सरकार की भागीदारी 26 से 29 प्रतिशत हुई। 1996-97 और 1997-98 का 450 करोड़ रुपया बकाया है। फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता का वर्ष 1998-99 का 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि की विमुक्ति का 223.36 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है। केन्द्रीय उपक्रमों में लम्बित बकाया 1722.95 करोड़ रुपया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप सहयोग करें। मैं चंदूमाजरा जी को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं केवल एक बिन्दु इनके ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने बिहार की बहुत लम्बी-चौड़ी बात की! बिहार का 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक जो रिजर्व बैंक के खाते में जमा है, उसे बिहार सरकार क्यों खर्च नहीं कर रही है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बात को यह जानते हैं। मुझे इस बारे में नहीं मालूम। ...*(व्यवधान)* कोयले पर मूल्य आधारित रायल्टी का निर्धारण होना चाहिए। 1997 में इसका बकाया बहुत ज्यादा हो गया। जिन राज्यों में कोयला होता है, उन सभी ने कहा कि एड वॉलेरम देना चाहिए लेकिन यह नहीं दे रहे हैं। हम साल भर से ऐसे ही बैठे हैं। इससे 2200 करोड़ रुपया गरीब राज्य को मिलता। राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भांति वेतन आदि देने के फलस्वरूप हम पर अतिरिक्त व्यय भार 50 प्रतिशत बढ़ा है। बिहार का 3650 करोड़ रुपया इनकी तरफ बकाया है। इसी तरह से कृषि, जल संसाधन एवं ऊर्जा से संबंधित योजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता बकाया है। कृषि योजनाओं का 718 करोड़ रुपया, जल संसाधन विकास का 4924.71 और ऊर्जा परियोजनाओं का 6000 करोड़ रुपया बकाया है। लोग कहते हैं कि बिहार गरीब हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भी सभापति हैं। आपको सभी रूल्स मालूम हैं। आप समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब चन्दूमाजरा जी अपना भाषण शुरू करें।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपना आसन ग्रहण करिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश भर में इस बजट की जितनी सराहना हुई है, शायद पहले किसी बजट की हुई हो। इस बजट में सब लोगों को राहत दी गई है। मैं समझता हूं कि इस बजट में दिया ज्यादा गया है और लिया कम गया है। पहले आमतौर पर ऐसा होता था यदि 800 रुपये दिये जाते तो एक हजार रुपया निकाल लिया जाता था लेकिन इस बार जेब के लिये ज्यादा दिया गया है और निकाला कम गया है, इसलिये हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के लिये किसान क्रेडिट कार्ड, कोल्ड स्टोरेज स्कीम प्रमुख हैं। ऋषि क्षेत्र में फसल बीमा योजना को लाकर इसको बढ़ावा दिया गया है। गांव के लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिये इसे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड और रूरल ओरिएंटेड बजट कहा जाता है। इसमें मकान बनाने के लिये जो स्कीम है, वह रोजगार देने के लिये अच्छी नीति है। हालांकि ये सारी अच्छी स्कीमें हैं परन्तु कुछ और बातें करने की जरूरत है जिससे दूसरों को कुछ लाभ पहुंच सके। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडा में जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस संबंध में मेरा विचार है कि रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। आज देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। आज के मां-बाप इस चिन्ता में रहते हैं कि उनके बच्चों को कैसे नौकरी मिले। आज नौकरियां नहीं मिल रही है।

सभापति जी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने और निजीकरण व्यवस्था के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश की परिस्थितियों को देखकर रोजगार का प्रबंध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि देश की औद्योगिक नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मेरे विचार में उद्योग को दो हिस्सों में बांटना चाहिये—लेबर ओरिएंटेड और कैपिटल ओरिएंटेड। जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वहां कैपिटल ओरिएंटेड और जहां लेबर की जरूरत है, वहां लेबर ओरिएंटेड उद्योग होने चाहिये ताकि रोजगार मिल सके। पंजाब में भारी उद्योग नहीं हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इनको बैंक बहुत परेशान कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि पंजाब में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज रो रहे हैं। ऐसे यूनिट्स बंद हो रहे हैं क्योंकि बैंक परेशान कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में बैंक के एक कर्मचारी के पीछे 35 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन है। यह आर.बी.आई. की रिपोर्ट है। आज पंजाब देश को डबल बिजनैश दे रहा है तो वहां छोटी इंडस्ट्रीज को लोन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? मेरा निवेदन है कि बैंकों की खिंचाई करने की जरूरत है। फरनेस यूनिट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तब मल्टी फरनेस यूनिट्स बंद हो जाते हैं। इससे सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। पंजाब में 800 यूनिट्स हैं, जहां लेबर एम्पलाइज काम करते हैं, बंद पड़े हुये हैं। इसलिये निवेदन है कि जो नया एक्साइज ड्यूटी एक्ट बना है, उसमें फरनेंस इंडस्ट्रीज को मुक्त कर देना चाहिये।

सभापति जी, सरकारी कर्मचारियों की रिटारमेंट एज 58 साल से 60 साल कर देने से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। मेरा निवेदन है कि इसे फिर से 58 साल कर देना चाहिये ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। यह हो सकता है कि एक परिवार में केवल एक व्यक्ति के लिये नौकरी रिजर्व की जाये न कि एक परिवार में सारे नौकरी करें। इससे बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले साल की तरह इस साल भी कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है। ये देखा गया है कि धरती में पानी की सतह नीचे जा रही है। वर्षा का सारा पानी बेकार जा रहा है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का पानी फसलें खराब करता है। इसलिये छोटे डैम पहाड़ में बनाये जायें। मैंने इस संबंध में एक प्रोपोजल पंजाब सरकार को दी थी और पंजाब सरकार ने केन्द्र में प्रोपोजल भेजी है। हम चाहते हैं कि घग्गर नदी पर बैराज बन जाये तो बाढ़ से बचा जा सकता है। ऐसी कई बड़ी नदियां छोटी नदी में डाली जा सकती हैं। यदि देश को फ्लड-प्रूफ कर दिया जाये तो कृषि क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सकता है। किसान आगे बढ़ सकता है। फ्लड का पानी पहाड़ों में रोक कर सिंचाई के इस्तेमाल के लिये काम में लाया जा सकता है। उन छोटे डैमों से बिजली पैदा हो सकती है और इससे बिजली की कमी की पूर्ति भी हो सकती है। इसलिए इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 1950 में 60 परसेंट हिस्सा था, वह अब 24 परसेंट रह गया है। इसका कारण यह है कि ऐग्रीकल्चर रिसर्च पर पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है। 0.81 परसेंट खर्च किया जाता है। जब हम विश्व का मुकाबला करते हैं तो वहां कीमतें कम होती हैं और हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती हैं क्योंकि यहां इनपुट्स की कॉस्ट ज्यादा है। इसलिए उपज दर बढ़ानी पड़ेगी। अगर उपज दर बढ़ा दें तो उसको बढ़ाकर ही विश्व में मुकाबला हो सकता है नहीं तो जो उपभोक्ता हैं उसकी गर्दन तो मरोड़ देते हैं। मगर विश्व का मुकाबला करना है तो कीमतें कैसे कम करेंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए मैं चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जैसे डीजल के प्राइसेज बढ़े हैं, उसका असर तो गरीब लोगों पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खपत पंजाब में है। कृषि के क्षेत्र में किसान पहले ही खुदकुशियां कर रहा है। डीजल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहे हैं तो हमारे देश में बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैं निवेदन करूंगा कि डीजल के बढ़ाए दाम तुरन्त वापस लें जैसे पिछले वर्ष यूरिया के प्राइसेज बढ़े थे वह भी इन्होंने वापस ले लिये थे। उससे किसान बहुत खुश था। डीज़ल के दाम भी वापस लेने चाहिए। यूरिया की जो प्राइसेज़ बढ़ाई हैं वह भी वापस ले लें क्योंकि खेती की लागत तो पहले ही बढ़ रही है। अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कृषि क्षेत्र अलाभकर नहीं रहेगा। इसलिए यूरिया की प्राइसेज़ और डीज़ल की प्राइसेज़ के दाम वापस लेने चाहिए।

पीडीएस में जो कीमतें बढ़ी हैं, वह भी वापस ली जाएं ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। कृषि क्षेत्र में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कृषि मंत्री जी ने दूसरे सदन में बोला था कि हम टर्मिनेटर बीज इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा देंगे मगर हमारे देश में 40 जगह ऐसी हैं, कर्नाटक में बंगलौर के नजदीक इसका फील्ड ट्रायल हो रहा है। अगर फील्ड ट्रायल हो रहा है तो इसको कैसे रोकेंगे? किसान बहुत चिन्तित हैं। अगर टर्मिनेटर जीन्स के बीज को रोका नहीं गया तो कृषि क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इसको रोकने की जरूरत है।

दो तीन बातें और करने की जरूरत है। जैसे क्रॉप इन्श्योरेंस स्कीम का माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है। हर वर्ष विश्वास दिलाया जाता है। मैं समझता हूं कि उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। मंडियों में शेड बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए क्योंकि किसान की फसल मंडी में खराब हो जाती है। इस वर्ष मंडी में पैडी की बहुत फसल खराब हो गई। 300 करोड़ रुपये कंपनसेशन देने की बात भी की गई लेकिन वह भी पंजाब को नहीं दिया गया। वह भी जल्दी दिया जाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं लेकिन गोदाम बढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट केन्द्र सरकार की ओर से होना चाहिए ताकि फसल संभाली जा सके।

दूसरी बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण की है। आज पंचायतों को बहुत अधिकार दिये हैं, यह अच्छी बात की गई है। बहुत देर से हमारे शिरोमणि अकाली दल की मांग थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। पंचायतों को अधिकार दिये हैं। मैं समझता हूं कि राज्यों को, प्रदेशों को केन्द्र के टैक्स कलैक्शन में से और भी ज्यादा हिस्सा देना चाहिए। प्रदेश मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर रियल फैडरल स्टेट इस देश में आएगा तो देश मजबूत हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी सरकार ने राष्ट्रीय एजेण्डा में यह वायदा किया था कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा, तो पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने से यह संकेत मिलता है, मगर यह बात मैं जरूर कहूंगा कि पंजाब के जो चुनाव हैं, पंचायत जो व्यूरोक्रेसी तर्ज पर है, पंचायतों के चुनाव सुधार और उनके अधिकारों पर दोबारा विचार होना चाहिए और सेन्ट्रल स्टेट रिलेशन्स का भी रिव्यू होना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं, पंजाब और हरियाणा का पानी का झगड़ा है, यहां रिपेरियन लॉ ट्रेडीशन और विधान के अनुसार हल हो सकता है, लॉ के अनुसार हल होना चाहिए ऐसा ही मामला चंडीगढ़ कैपिटल का है, वह भी नियमानुसार होना चाहिए। सब प्रदेशों की अपनी कैपिटल हैं, लेकिन पंजाब के पास नहीं है। ऐसे डिस्प्यूट्स खत्म होने चाहिए।

सभापति महोदय, विद्या का जो बुनियादी ढांचा है, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। आज पब्लिक स्कूलों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स नहीं मिलते वहां कंप्यूटर्स देकर क्या करेंगे। इसलिए एजूकेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की जरूरत है।

इंकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया गया है, इससे मैं समझता हूं कि इनफ्लेशन ज्यादा आ सकती है, इसलिए सरचार्ज टैक्स कम करने की जरूरत है। इसी तरह से प्रशासनिक खर्च भी कम करने की जरूरत है। जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसिज होते हैं वे देश पर बोझ डालते हैं, देश की इकोनोमी को नीचे लाते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट स्पांसर स्कीम का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस स्कीम को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे छोटे बच्चों को प्राइमरी एजूकेशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग लोगों की पढ़ाई का क्या लाभ है, उसका मिसयूज ज्यादा होता है। इसी तरह से नॉन परफॉरमेंस असेट्स हैं। इंकम टैक्स और अन्य टैक्सों की रिकवरी करने की जरूरत है, जिससे देश की इकोनोमी बढ़ सके। यही मेरे कुछ सुझाव हैं।

सभापति महोदय, आखिर में मैं यही कहूंगा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उससे देश की इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा और जो काले धन को इन्वेस्टमैंट में लाने की वह स्कीम लाये हैं और इंसेन्टिव्स दिये हैं, उससे रोजगार भी बढ़ेगा और इकोनोमी भी बूस्ट होगी। इसी के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी लीडर्स के साथ चर्चा हुई है, मुझे अध्यक्ष महोदय की तरफ से सूचना मिली है, उसमें यह तय हुआ है कि 3-4 नामों को पुकारने के बाद 193 लिया जायेगा। *...(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): सभापति महोदय, बजट की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और यह निर्धारित समय पर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे न बदलें और बजट को पारित करा लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह अध्यक्ष महोदय से प्राप्त सूचना के अनुसार है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि केवल तीन या चार नाम हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, हम लोग बजट पारित कराने में आपकी मदद करेंगे और जल्दी पारित करवायेंगे, कृपया इसे चालू रखिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): फर्जी मतदान के बारे में क्या होगा?

श्री अजीत जोगी : वह भी करवा लें।

सभापति महोदय : प्रतिपक्ष के नेता के साथ बैठक में तय हो चुका है और वही बात मैंने कही है। तीन-चार नामों को बुलाने के बाद 193 शुरू किया जाएगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): इसको बदलने की क्या जरूरत है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, यह पुनरीक्षित कार्य सूची में सूचीबद्ध है इस कार्यसूची के अनुसार "अपराह्न 4 बजे अथवा कार्य सूची की पूर्व मदों के तुरंत बाद, जो भी पहले हो लिया जाएगा।" यह कार्य सूची में सूचीबद्ध है और इसे परिचालित किया गया है। अब यदि सरकार इसमें परिवर्तन करना चाहती है तो सभा की सहमति ली जानी चाहिए। यह विचारणीय है। सदस्य उसके लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। वह समस्या है। यह महत्वपूर्ण मामला है। हम बजट पर चर्चा कल जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 4.04 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे सहमत हूं। किंतु कल हमें बजट को दूसरे सदन में भेजना है, मैं सभा की राय अवश्य जानूंगा। बजट आज पारित करेंगे। हम नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 5.30 बजे ले सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे सहमत हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 5.30 बजे ले सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): महोदय, कार्य सूची जिसे हम लोगों में परिचालित किया गया है, की अपनी महत्ता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या बजट की कोई महत्ता नहीं है?

प्रो. पी.जे. कुरियन : हम शाम को देर तक बैठ सकते हैं और बजट पर चर्चा कर सकते हैं। दोनों का उत्तर वित्त मंत्री को ही देना है। हम इस पर आज ही चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम अपराह्न 5.30 बजे तक बजट पर चर्चा कर सकते हैं और फिर नियम 193 के अधीन चर्चा ले सकते हैं। अनेक वक्ता बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और हमें इस सूची को पूरा करना है।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह निर्णय किया गया था कि नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 4.00 बजे ली जाएगी। इसे बाद में लेने का क्या तुक है? *...(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : मेरा एक सुझाव है *...(व्यवधान)* हम नियम 193 के अधीन चर्चा अभी लें और हम इस पर दो घंटे तक चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम बजट पारित कर सकते हैं। मुझे बजट पर चर्चा जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा): महोदय, इन सब बातों पर चर्चा कर हम समय बर्बाद कर रहे हैं। अब तक हम बजट पर चर्चा कर उसे पारित कर सकते थे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं सरकार के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि सरकार बजट पारित करवाना चाहती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बजट को पारित किए बिना ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यह सरकारी कार्य है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। हम चाहते हैं बजट पारित हो। किंतु नियम 193 के अधीन चर्चा की इस सभा व राष्ट्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दोनों को समायोजित किया जाए। हमें नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 4.00 बजे शुरू करनी चाहिए और इस पर दो घंटे तक चर्चा करें। उसके बाद हम पुन: बजट ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम देर रात तक बैठ सकते हैं और कार्य का निपटान कर सकते हैं।

श्री चेतन चौहान: महोदय, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हर समय यह अपनी चलाना चाहती है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): यह कैसे हो सकता है? हम बजट पर चर्चा जारी रख सकते हैं और इसे पूरी करने के बाद उचित समय पर हम नियम 193 के अधीन चर्चा ले सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता: हम कार्य सूची के अनुसार चलेंगे।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जब कभी आवश्यक हुआ कार्य सूची की मदों को पहले भी समायोजित किया गया है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: सरकार आज बजट पारित करवाना चाहती हैं। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा सुझाव यह है कि हम 193 के अधीन चर्चा शुरू करें और इस पर सायं 6.00 बजे तक चर्चा करें। फिर हम पुन: बजट पर चर्चा करें। नियम 193 के अधीन चर्चा कल तक चल सकती है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मेरा सुझाव है कि जब अपराह्न 3.00 बजे सभापति महोदय पीठासीन थे तो यह निर्णय किया गया था कि पहले हम बजट पर चर्चा को लेंगे व इसे पूरी करेंगे। फिर हम नियम 193 के अधीन चर्चा लेंगे ...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूं। मेरा अनुरोध है कि हम आज एक मद पर चर्चा पूरी करें या तो हम आज नियम 193 के अधीन चर्चा पूरी करें या बजट पर चर्चा पूरी करें। अब इच्छा आपकी है।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जाए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: किंतु कल आपको बजट पारित करने के लिए सहमत होना होगा ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कह रहा हूं कि बजट पारित करें क्योंकि इसे राज्य सभा में भी भेजा जाना है। इसलिए कल 'शून्य काल' के बाद हम बजट को लें और इसे अपराह्न 2.30 बजे या 3.00 बजे तक पारित कर लें।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, जब मैंने एक प्रस्ताव रखा था तो माननीय मंत्री यहां उपस्थित न थे। मैं कह रहा था कि हम आज भी 4 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा ले सकते हैं और यदि इस पर सायं 6 बजे तक चर्चा समाप्त नहीं होती है तो हम फिर बजट पर चर्चा कर सकते हैं। हम आज भी बजट पारित कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यदि आप चाहते हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा आज पूरी की जाए और बजट पर चर्चा कल की जा सकती है तो हम इसके लिए सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री कल गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी होगा। पहले ही यह दो बार स्थगित किया जा चुका है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, मैं प्रो. कुरियन की बात स्वीकार करता हूँ कि हम आज 4 बजे से 6 बजे तक नियम 193 के अधीन चर्चा करें किंतु फिर शर्त यह है कि हमें बजट पर चर्चा आज ही पूरी करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हम सायं 6.15 बजे तक नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बजट पर चर्चा लेंगे और आज ही इसे पूरी करेंगे।

अपराह्न 4.14 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

वित्त मंत्री के भूतपूर्व सलाहकार द्वारा सरकार पर लगाये गये आरोपों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, श्री पी. शिव शंकर को बुलाने से पहले मुझे आपको यह बताना चाहिए कि वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा को प्रो. पी. जे. कुरियन और श्री शरद पवार के नाम से स्वीकृति दी गई है। अब उन्होंने मुझे उनकी ओर से श्री पी. शिव शंकर को चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मैंने श्री पी. शिव शंकर को चर्चा करने की अनुमति दे दी है।

अब, श्री पी. शिव शंकर।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे): महोदय, कुल कितने वक्ता हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी में क्यों हैं? आपको कुछ धैर्य रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे: महोदय, हम सभा में निर्धन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन हमें गुरुस्वामी जी की चिंता अधिक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यों, बहुत हो गया। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुस्वामी नाम के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। *...(व्यवधान)* यह सदस्य इस तरह से कैसे बोल रहे हैं? कृपया सभा में व्यवस्था बनी रहने दें ताकि मैं बोल सकूँ *...(व्यवधान)* यदि वह बोलते जायेंगे तो मैं अपना भाषण कैसे आरम्भ करूंगा। उन सज्जन व्यक्ति द्वारा इस तरह से हस्तक्षेप करना बहुत अनुचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुस्वामी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और वह इस बात का दावा करता है कि उसने उस दल के एजेंडा को बनाने के लिए कार्य किया है जिसका उल्लेख दल के घोषणा-पत्र में भी किया गया है। वह इस बात का भी दावा करता है कि वह इस कार्यक्रम का मूल लेखक है। उसे इस सरकार द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था *...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.17 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं सचेतक तथा मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखें। सत्ता पक्ष को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं *...(व्यवधान)* यदि वह हमारी आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे तो वह सत्ता पक्ष में नहीं रह पायेंगे। मैं सदस्यों के भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता हूँ।

महोदय, उन्हें सलाहकार अथवा परामर्शकर्त्ता जो भी नाम उन्हें वित्त मंत्री द्वारा दिया जा सकता था, के रूप में नियुक्त किया गया था। इस सज्जन व्यक्ति को 3 फरवरी, 1999 को बरखास्त कर दिया था जबकि वह यह दावा करते हैं कि उन्होंने 27 जनवरी, 1999 को इस्तीफा दे दिया था। मेरा अनुरोध यह है चूँकि सरकार का यह कहना है कि उन्हें बरखास्त कर दिया गया था तो निश्चय ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होगीं जिनके अंतर्गत यह कहा गया है कि इस सज्जन व्यक्ति को बरखास्त किया गया था। यह सब परिस्थितियाँ रहस्यमय हैं। तब से वह गंभीर मुद्दे उठा रहे थे जिससे सरकार में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की गन्ध आ रही है। चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में हो, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके दामाद विभिन्न मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी गैर-संवैधानिक प्राधिकरण के साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से वाणिज्य, इस्पात, गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रियों जैसे अन्य मंत्रियों तथा इसी तरह से सभी के इससे जुड़े हुए होने के बारे में कहा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उनकी शादी नहीं हुई तो दामाद कहाँ से आए?

श्री पी. शिवशंकर: प्रधानमंत्री जी को बुलाकर पूछिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनि चौबे, क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर: यह सज्जन व्यक्ति हर तरह के आरोप लगा रहे थे। काफी आरोप लगाए गए। लेकिन उसके विरुद्ध अब तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। जो कुछ इन सज्जन व्यक्ति ने कहने की कोशिश की उसमें कोई विवाद नहीं है। मुद्दे उठाए गए और कारण प्रस्तुत किये गये, जैसा कि मैंने पहले कहा है आरोपों का पिटारा खुल गया। इससे सरकार, उसके मंत्रियों और जैसा कि मैंने कहा है प्रधान मंत्री सहित सभी की सत्यनिष्ठा के बारे में प्रश्नचिह्न लग गए।

अब इस सज्जन व्यक्ति द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वह बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। महोदय, उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में लिए गए ऋण का भुगतान न होने के कारण इस्पात एककों को होने वाले खतरे के कारण अतिरिक्त गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) के अच्छे-खासे बोझ से बैंकिंग प्रणाली के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया था। इसकी जाँच करने के लिए कि इस्पात उद्योग और बैंकिंग प्रणाली को कैसे इससे मुक्त किया जा सकता है, वित्त मंत्री ने अक्तूबर, 1998 के आस-पास एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जिसमें (क) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि; (ख) तीन संबंधित मंत्री—वित्त, वाणिज्य तथा इस्पात; और (ग) संबद्ध वरिष्ठ सिविल कर्मचारी तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

इसमें उल्लिखित मूल्य नियत करने के विकल्प पर सहमति हुई थी। उस बैठक में प्रचलित मूल्य के विकल्प का प्रस्ताव भी नहीं रखा गया था क्योंकि प्रचलित मूल्य नियत करना उदारीकरण की प्रवृत्ति के प्रतिकूल होता। उल्लिखित मूल्य नियत करने के नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप उल्लिखित मूल्य निर्धारित करने के लिए मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के एक कार्य दल का गठन किया गया था। इसमें जिन मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया वह थी मुख्यत: 'सेल' की लागत पर आधारित उत्पादन की घरेलू लागत—क्योंकि सेल द्वारा उत्पादित इस्पात की लागत पुरानी प्रौद्योगिकी और अधिक कर्मचारी संख्या के कारण अधिक होती थी—इस अवधि के दौरान वास्तविक आयात के बीजकों की जाँच करने से 180 से 220 डालर प्रति टन की एक रेंज का पता चला है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): यह चर्चा श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में नियम 193 के अधीन की जा रही है। अब मैं श्री शिव शंकर तथा अन्य माननीय सदस्य जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं से केवल एक अनुरोध करूँगा कि यदि वह श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा विभिन्न लेखों तथा साक्षात्कार में कही गई बातों का हवाला देना चाहते हैं तो वह पूरी तरह से सही होने चाहिए। यदि वह किसी अन्य मामले का हवाला दे रहे हैं जो कि उस समय उनके द्वारा कही गई बातों से हट के है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि उसको उनके पास मौजूद दस्तावेजों तथा सबूतों से पुष्टि कर लें।

यदि यह भी आरोप के रूप में हैं, तो नियमों के अंतर्गत आप हमें पुन: नोटिस दें।

श्री वैको: नियम बिल्कुल स्पष्ट है। दुबारा एक नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री पी. शिवशंकर: श्री वैको, आप अधिक नियम जानते होंगे हालांकि मुझे भी नियमों की जानकारी है।

श्री वैको: आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

श्री पी. शिवशंकर: कृपया मुझे परेशान न करें।

महोदय, श्री गुरुस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर यदि कुछ सतही तथ्य हैं अथवा ऐसे तथ्य हैं जो कि आरोपों का समर्थन करते हैं तो मुझे यह कहने का अधिकार है और नियमों के अंतर्गत मुझे उस पर कुछ कहने से किसी के रोकने का प्रश्न नहीं उठता है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है इन सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य दल ने उल्लिखित मूल्य पर भारी शुल्क के साथ 247 डालर प्रति टन की सिफारिश की थी। लेकिन जब अधिसूचना जारी की गई तो उसमें 302 डालर प्रति टन का प्रचलित मूल्य दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 55 डालर प्रति टन की अनर्जित कमाई हो गयी जो कि उत्पादन लागत और लाभ के उचित स्तर से अधिक है।

महोदय, मैं आज सुबह समाचार-पत्रों को पढ़ने और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने वास्तव में क्या कहा है। माननीय इस्पात मंत्री जी ने कल राज्य सभा में कहा था, अंतर-मंत्रालयी समूह ने उल्लिखित मूल्य की नहीं बल्कि प्रति टन 247 डालर वास्तविक मूल्य की सिफारिश की है। परन्तु अधिसूचना 302 डालर प्रति टन के लिए जारी की गई थी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अंतर-मंत्रालयी समूह ने किसी मूल्य की सिफारिश नहीं की थी परन्तु एक बार इस्पात की समस्याओं के एक सुझाव के रूप में उन्होंने कहा था कि हम वास्तविक मूल्य नियत कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या जो आरोप श्री शिव शंकर लगा रहे हैं क्या वे वास्तव में श्री मोहन गुरुस्वामी ने लगाए थे या स्वयं माननीय सदस्य ने लगाए थे। सभा को यह बात जाननी चाहिए।

श्री पी. शिवशंकर: ये सभी आरोप श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा लगाये गये थे।

श्री हरिन पाठक: महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये आरोप माननीय मंत्री के भूतपूर्व सलाहकार ने लगाए थे अथवा माननीय सदस्य ने लगाए थे। अगर ये माननीय सदस्य ने लगाए हैं तो उन्हें सभा पटल पर वे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए जो उनके पास हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर: महोदय, मंत्री जी भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं और वे भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह सब क्या है? क्या वे चाहते हैं कि यह बहस न चले?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनके भाषण के बीच व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वे जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिन पाठक: फिर उन्हें सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखने चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनके भाषण के बीच व्यवधान उत्पन्न न करें। हमारे पास समय नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे: उपाध्यक्ष महोदय, उनके बारे में अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति आरोपों के बारे में जानता है। उन्हें फिर से पढ़ने का क्या तात्पर्य है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना इस प्रकार खड़ा होकर बोल सकता है? यह सब क्या है? वे किसी अखबार से पढ़कर बोल रहे हैं। मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, इसकी जाँच करने के लिए उनके पास एक सक्षम वित्त मंत्री है। उन्हें ऐसी सहायताओं की आवश्यकता क्या है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं माननीय सदस्यों से इस मामले को गंभीरता से लेने का अनुरोध कर सकता हूँ? हम एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं। जब तब आप खड़े हो जाते हैं और व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मेरा नियम 354 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें कहा गया है:

> "राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति संबंधी निश्चित वक्तव्य न हो।"

[हिन्दी]

मुझे नहीं लगता कि शिवशंकर जी को कहीं रूल कोट करने की जरूरत है। यहां आपने जो कुछ कोट किया कि कल श्री नवीन पटनायक जी ने राज्य सभा में यह कहा *...(व्यवधान)* जब तक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी बाई मिनिस्टर नहीं है, आप काउंसिल में कहीं उनकी किसी चीज को यहां रैफर नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर: अब तक, मैंने कुछ भी उद्धृत नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आपका विनिर्णय चाहती हूँ। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपने किसी भाषण का उल्लेख किया है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कहा है कृपया मुझे वह सुनने दें।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): मैं नियम 354 का उल्लेख कर रहा हूँ। श्री शिव शंकर जी ने कुछ भी उद्धृत नहीं किया है। उन्होंने उल्लेख किया है। *...(व्यवधान)* उद्धृत करने और उल्लेख करने में अन्तर है। उद्धृत करने की मनाही है उल्लेख करने की नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी भाषण से उद्धृत नहीं किया था।

श्री पी. शिव शंकर: मुझे उठाई गई आपत्ति पर हंसी आ रही है। *...(व्यवधान)* यह सब क्या है? *...(व्यवधान)* मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसमें आगे कहा गया है:

> ''परन्तु अध्यक्ष, उससे पहले से प्रार्थना किए जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिये गये किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि....''

इसलिए श्री जयपाल रेड्डी जी कृपया नियम पढ़िए। इसमें केवल उद्धरण के ही बारे में नहीं कहा गया है। मैं इसे दुहराता हूं:

> ''किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निर्देश करने...''

श्री एस. जयपाल रेड्डी: समाचार-पत्रों में छपे भाषण और सभा की कार्यवाही के निर्देश में उल्लिखित भाषण में अन्तर है।

श्री पी. शिवशंकर: मैं नहीं जानता।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी भतीजी को कोई काम दें। *...(व्यवधान)* उनके पास पर्याप्त समय है इस समय उनके पास नियम पढ़ने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है आप अपने मंत्रालय में अच्छे और आकर्षक सलाहकार क्यों नहीं लेते? *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं केवल माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सहयोग दे रही हूं। साथियों, मैं वित्त मंत्री को सलाह नहीं दे रही हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपने इसको उद्धृत नहीं किया है।

श्री पी. शिवशंकर: मैंने केवल इसमें उल्लिखित का उल्लेख किया था। मैंने केवल समाचार-पत्र में छपे समाचार का उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यहां टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए। आज जनरल बजट भी पास करना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमें बहस को गंभीरता से लेना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर: मैंने केवल वही कहा था जो 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखा था। यह आज सुबह मैंने पढ़ा था। उसमें यह कहा गया है कि इस्पात मंत्री ने कल राज्य सभा में बहस में बोलते हुए कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने '247' की सिफारिश की थी। परंतु विदेश व्यापार निदेशालय ने यह मूल्य 302 निर्धारित किया था। अखबार में यही छपा था। मैंने इसी का उल्लेख किया था।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं। चाहे यह उल्लिखित मूल्य हो या वास्तविक मूल्य, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उनका अब यही मत है कि यह उल्लिखित मूल्य नहीं बल्कि यह वास्तविक मूल्य है। यह मानते हुए कि यह वास्तविक मूल्य है, अगर अंतर-मंत्रालयी समिति ने 247 की सिफारिश की है और अगर विदेश व्यापार निदेशालय ने यह मूल्य प्रति टन 302 डालर निर्धारित किया है तो इसका अर्थ है कि उसमें 55 डालर का लाभ है।

[श्री पी. शिवशंकर]

श्री गुरुस्वामी ने स्वयं यही समझा था कि "उद्योगपतियों को अवैध धन बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ रुपए...."

श्री यशवन्त सिन्हा: उन्होंने ऐसा कब कहा था?

श्री वैको: उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, अगले वक्ता आप हैं उस समय आप वह सब कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी जब आप वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो आप वह सब कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। इस समय नहीं। हमारे पास समय नहीं है।

श्री पी. शिवशंकर: उस हिस्से को ढूंढ़ना बहुत कठिन होगा। उन्होंने कल भी यह कहा है। मेरे मित्र इसको ढूंढ़ रहे हैं। यदि मैं इसे ढूंढने लगूं तो इसमें मेरा थोड़ा वक्त लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चपलोत, वे नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर: इस सभा का समय नष्ट किए बिना मैं तत्काल उद्धृत करूंगा। मैंने अपने मित्र को उन हिस्सों को निकालने के लिए कहा है क्योंकि मैंने उन्हें चिह्नित किया हुआ है। मैं आगे भाषण दूंगा।

मैं यह कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए भाषण की प्रति उपलब्ध नहीं है। मैं सुबह से इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह अनुपूरक दस्तावेज है, किंतु मेरा मानना है कि लगता है उन्होंने कहा है कि 247 डालर निर्धारित का प्रश्न ही नहीं है यह 302 डालर निर्धारित किया गया है। यदि मैं गलत हूँ तो वे इसमें सुधार कर सकते हैं। यह बात उन्होंने कहा होगा। मैं नहीं जानता हूँ।

महोदय, मैं इसी समय आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि 5 मार्च को इस सभा में क्या हुआ था। पांच मार्च को जब मैंने यह मुद्दा उठाया—मैं इस सभा की कार्यवाही के पृष्ठ 3718 से उद्धृत कर रहा हूँ—तो यशवन्त सिन्हा खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था:

"मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।"

उन्हें किसी ने भी उत्तर देने के लिए नहीं कहा वे स्वयं खड़े हुए और कहा कि वे उत्तर देना चाहते हैं। अब मैं पृष्ठ 3724 से उद्धृत कर रहा हूँ। श्री देवेगौड़ा ने कुछ टिप्पणियाँ करते हुए कहा:

> "उनके अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने न्यूनतम निर्धारित कीमत 245 डालर नियत की, उस समय बाजार में एच आर कोइल स्टील 190 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर पर उपलब्ध था। फिर कतिपय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे 302 डालर प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था। "

उन्होंने यह आरोप लगाया था। अब मैं पृष्ठ 3726 से उद्धृत करता हूँ। वित्त मंत्री ने कहा:

> "जहां तक श्री देवेगौड़ा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का संबध है कीमत का निर्धारण मंत्री द्वारा नहीं किया जाता है, जैसा श्री मोहन गुरुस्वामी कहते हैं। इस्पात और खान मंत्री के साथ मेरी एक बैठक हुई थी। उसमें हमने न्यूनतम मूल्य निर्धारण पर चर्चा नहीं की। इस्पात मंत्री ने बाद में विदेश व्यापार महानिदेशालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया था जिनकी अधिकारिता में यह मामला आता है और उन्होंने कीमत निर्धारित की।"

इसका तात्पर्य है कि उस समय उन्होंने नहीं कहा कि 247 डालर या 245 डालर प्रति मीट्रिक टन का सुझाव कभी नहीं दिया गया था। जो कुछ श्री देवेगौड़ा ने कहा वह हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है। यह इस्पात मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय का मामला है और इस्पात मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय को सिफारिश की। दोनों ने इस पर विचार किया और वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी।

इसलिए महोदय, आज वित्त मंत्री जो यह कहते हैं कि "247 डालर की सिफारिश नहीं है" यह बाद में सोच-समझ कर कहा गया। यह पूर्णतया बाद में सोच-समझ कर कहा गया है क्योंकि वे तथ्यों को दबाना चाहते हैं। यह सत्य का गोपन, असत्य का सुझाव का मामला है। यह ऐसा मामला है जिसमें वे सभा व राष्ट्र को सच्चाई बताना नहीं चाहते हैं। वे तथ्यों को दबाना चाहते हैं।

यदि यह स्थिति कि जो 5 मार्च को भी थी जब वे इस सभा में बोले थे जबकि उन्हें किसी ने भी बोलने के लिए नहीं कहा था, वे बोलने के लिए स्वयं उठे थे वे स्वेच्छा से बोले थे, उस समय वे कह सकते थे कि किसी भी मंत्रीस्तरीय समिति द्वारा 247 डालर की सिफारिश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके विपरीत वे सीधे कह सकते थे कि 302 डालर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।

महोदय, यह बताता है कि वित्त मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं। वे वास्तविक सत्य को सभा के समक्ष नहीं ला रहे हैं यदि आप पुनः समाचार-पत्रों को पढ़ें, वित्त मंत्री ने लंदन मेटल बुलेटिन की कीमतों को उद्धृत किया है और इस्पात मंत्री भी कहते हैं कि अमेरिका में 310 डालर की ऊंची कीमतें हैं। हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमारा संबंध इस बात से है कि हमारे देश में स्टील कोइल किस कीमत पर आयात किए जा रहे हैं? तथ्य यह है कि बीजकों से पता चलता है कि कोइल का आयात 180 से 220 डालर प्रति टन की दर पर किया जा रहा है। उन्हें इसे उस दृष्टिकोण से समझना होगा। अमेरिका और लंदन में क्या कीमतें हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल के देश विशेष रूप से कजाकिस्तान किस कीमत पर कोइल को इस देश को निर्यात कर रहे हैं। बीजकों से पता चलता है कि वे 180 से 220 डालर प्रति टन की दर पर निर्यात कर रहे थे। अन्तर-मंत्रालयी समिति ने संपूर्ण प्रश्न पर विचार किया। इस पर विचार करने के पश्चात् उन्होंने 247 डालर प्रति टन की सिफारिश की। फिर यकायक 302 डालर प्रति टन की दर कैसे निर्धारित की गई यह एक रहस्य में लिपटा हुआ मामला है। इसकी छानबीन करनी होगी। इसकी छानबीन कैसे की जा सकती है? यदि वे कुछ तथ्यों को देने से इंकार करते हैं। यदि वे कतिपय दस्तावेजों को देने से इंकार करते हैं यदि वे कुछ फाइलों को देने से इंकार करते हैं और फिर हमें सुझाव देते हैं, ''जो कुछ हमने कहा है आप उसे स्वीकार करें' तो यह स्वीकार्य नहीं होगा।

महोदय, यह व्यक्ति उनके साथ था। यह व्यक्ति अब उनकी पोल खोलने का प्रयास कर रहा है। वह तथ्यों को जानता है। यह उनकी पार्टी का आदमी है। वह कुछ ब्यौरे के साथ सामने आया है। उस ब्यौरे की आवश्यक रूप से छानबीन की जानी चाहिए। इसकी छानबीन कैसे की जाए? क्या राष्ट्र को इन तथ्यों की जानकारी है या नहीं? क्या इस संसद को विश्वास में लिया जाए या नहीं? यदि इस संसद को विश्वास में लिया जाता है, यदि राष्ट्र को विश्वास में लिया जाता है तो वे सब पत्र उन्हें सभा में रखने ही होंगे। हम उसे कैसे करें? इसका समाधान क्या है? संयुक्त संसदीय समिति के सिवाए जहाँ हमें उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक फाइल, प्रत्येक पत्र की संवीक्षा का अवसर मिलता। हमें सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं है।

महोदय, आज सुबह के समाचार-पत्रों में मैं एक रोचक बात को समझने का प्रयास कर रहा हूं और जब कुछ समय मैं राज्य सभा दीर्घा में बैठा था तो जो कुछ कहा जा रहा था, उसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रश्न उठाया गया कि प्रमाण क्या है? वे हमसे प्रमाण उपलब्ध कराने की अपेक्षा कैसे करते हैं? वे हमसे प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं। क्या यह न्यायालय है जहां पर जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसे साक्ष्य अधिनियम के अधीन इसे साबित करना होता है? महोदय, मुझे हैरानी है कि दस्तावेज उनके अधिकार में हैं और वे दस्तावेज नहीं देना चाहते हैं, वे सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं और वे आनाकानी करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में समाधान क्या है? यदि संसद को सच्चाई जाननी है तो सच्चाई का पता लगाने का एकमात्र रास्ता यह है कि वे सभी दस्तावेजों को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखें। तभी हम सच्चाई जान सकेंगे। उन्हें निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष होना ही उनका कर्तव्य है।

आप यह नहीं कह सकते हैं कि 'आप प्रमाणित' करें। आपका अपना आदमी ही आरोप लगा रहा है। यह और भी गंभीर है क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने अन्दरूनी गलियारों में काम किया हो, जो सरकार के कार्यकरण के बारे में जानता हो, जो दावा करता है कि उसने पार्टी के कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया है, जो कहता है कि वह पार्टी के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा था और यही व्यक्ति आरोप लगा रहा है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि आप कुछ बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर न रहें। आप चाहते हैं कि हम लंदन मेटल बुलेटिन पढ़ें या इस्पात मंत्री चाहते हैं कि हम न्यूयार्क जाएं। हम यहां न्यूयार्क या अन्यत्र जाने के लिए नहीं आये हैं। हमारा संबंध इस देश में स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के सदस्यों, विशेष रूप से कजाकिस्तान से किए जाने वाले निर्यात पर आधारित बीजकों से है।

इसलिए मेरा कहना है और तथ्य यह है कि इस सारे मामले में कुछ घालमेल है। इस मामले का खुलासा होना चाहिए और इसका खुलासा करने का एकमात्र रास्ता यह है कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि राष्ट्र को सच्चाई का पता लगेगा? मैं जोर देकर इस प्रश्न को पूछता हूँ कि आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि राष्ट्र को सच्चाई का पता लगेगा। राष्ट्र को इस तरीके से न कि किसी अन्य तरीके से सच्चाई का पता लगेगा।

महोदय, यह कहने के बाद मैं अगला मुद्दा यह ले रहा हूँ। विशेष सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में गठित एक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि इस्पात उद्योग को संकट से उबारने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इस्पात उद्योग में भारी निवेश करने वाले वित्तीय संस्थान गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। समिति ने यह भी निर्णय किया कि इस्पात उद्योग को संकट से उबारने का कार्य एक-एक समूह को लेते हुए किया जाना चाहिए न कि पूरे उद्योग के लिए। महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मैं इस्पात उद्योग को समूहवार संकट से उबारने पर विवाद पैदा नहीं कर रहा हूँ।

[श्री पी. शिवशंकर]

मेरे विचार से इसे अनिवार्यत: उसी तरह से ही करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक उद्योग की समस्याएं भिन्न होंगी; जो धनराशि प्रत्येक उद्योग द्वारा दी जानी है, वह भी पूर्णत: भिन्न है। यह हैरानी की बात है कि वित्त मंत्री कहते हैं यह किसी खास उद्योग के लिए नहीं है बल्कि यह केवल सभी उद्योगों के प्रयोजनों के लिए था कि बैठक बुलाई गई थी।

मैं यह कहूँगा कि 4 जनवरी के अपराह्न में वित्तीय संस्थान और बैंक प्रमुखों ने विशेष रूप से केवल एक उद्योग को बचाव पैकेज देने के लिए आई.डी.बी.आई. के कार्यालय में बैठक की थी। वह उद्योग एस्सार था। मेरे विचार में वह एक सही सोच थी। जैसा कि मैंने कहा है, वित्त मंत्री पूरी तरह से गलत हैं, उन्हें एक ही बार में सभी उद्योगों के लिए पैकेज का निर्णय नहीं लेना चाहिए था क्योंकि प्रत्येक उद्योग की अपनी समस्याएं होती हैं, प्रत्येक समूह अपनी समस्याओं को भिन्न तरीके से प्रस्तुत करेगा। निश्चय ही, वह यह सोच रहे हैं कि यदि वह कहते हैं कि यह एक समूह है तो यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस एक ग्रुप का पक्ष लिया है। लेकिन महोदय, जो कुछ भी है। उस दिन वित्त मंत्री के समक्ष एक पैकेज का प्रस्ताव रखा गया था जब वह उस दिन उन्हें बाद में मिले थे। दुर्भाग्यवश उस उद्योग से संबंधित उच्चाधिकारी आई.डी.बी.आई. और वित्त मंत्रालय दोनों कार्यालयों में उपस्थित थे।

जहाँ तक कि खास इस उद्योग का संबंध है, धन जुटाने की इसकी विशिष्ट समस्या, जिसके कारण उन पर किसी विदेशी कम्पनी का 250 मिलियन डॉलर का ऋण भार है, के कारण इस उद्योग की सहायता के लिए एक पैकेज तैयार किया गया था। वह जुलाई में देय था।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि वित्त मंत्री का यह तर्क कि पैकेज समग्र उद्योग के लिए था, पूर्णत: गलत है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूँगा कि यदि वह अपनी बात के धनी हैं तो वे इस बात को दर्ज करें कि यह पैकेज सभी उद्योगों के लिए तैयार किया गया था और स्वयं संसद द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। मैं वित्त मंत्री को चुनौती दे रहा हूँ कि समग्र उद्योग के लिए कोई पैकेज तैयार नहीं किया गया था। यदि कोई रिकार्ड है, तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि यह पैकेज केवल एक ग्रुप के लिए था जो कि उन्होंने तैयार किया था और 4.1.1999 के बाद कोई ग्रुप कोई पैकेज तैयार नहीं किया गया था और वह पैकेज पूर्णत: केवल उसी एक ग्रुप के लिए बनाया गया था। यह दुर्भाग्य है। *...(व्यवधान)*

मैंने 'एस्सार' ग्रुप का उल्लेख किया है।

यह कहा जाता है कि पैकेज तैयार करने में प्रधान मंत्री के कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक दिन जब यह मुद्दा राज्य सभा में उठाया गया था तो बहुत हैरानी हुई क्योंकि श्री गुरुस्वामी का आरोप यह था कि सूचना तथा प्रसारण मंत्री केवल एक उद्योगपति को उनके पास लाए थे और जब इसका जिक्र दूसरी सभा में किया गया तो मंत्री महोदय अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हो गए और कुछ बोले। मैं दीर्घा में था इसलिए मैं आँखों देखी बात बता रहा हूँ। वित्त मंत्री भी उस समय वहाँ थे। वे सज्जन उठे और कहा कि "यह सच नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को लाया था।"

श्री चैकी: हम नहीं जान सकते कि राज्य सभा में क्या हुआ था।

श्री पी. शिवशंकर: जो कुछ उन्होंने कहा वह यह था कि "मैं प्रधान मंत्री के कार्यालय से बाहर आया, कोई मेरे पास आया और कहा कि सलाहकार उनको उनके कमरे में बुला रहे हैं।" इससे अधिक हैरानी की बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री ने एक सलाहकार को उनके कमरे में जाने के लिए बाध्य कर दिया। और वह कहते हैं कि वह खास उद्योगपति उस समय उनके कार्यालय में बैठा हुआ था। यह उन्होंने कहा। क्या हुआ? क्या उन्होंने अपने प्रयोजन के लिए तर्क-वितर्क किया? उन्होंने राज्य सभा में कभी कुछ नहीं कहा।

यह इस स्थिति का दुर्भाग्य है। इसका अर्थ यह है कि गुरुस्वामी के आरापों में कुछ सच्चाई है। जो कुछ वह कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। अत: माननीय मंत्री महोदय विशेष प्रयास क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि इसमें सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी दिलचस्पी ले रहे हैं?

श्री चैकी: श्री शिवशंकर एक वरिष्ठ सदस्य हैं, वह नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वह अन्य सभा, अर्थात् राज्य सभा में घटित घटनाओं अथवा वहाँ हुई चर्चा का हवाला नहीं दे सकते हैं। वह उसका हवाला नहीं दे सकते हैं।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): समाचार-पत्रों में भी सूचित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शकुनी चौधरी, यहाँ आँखों देखा हाल सुनाने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर: ऐसा कैसे है कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पक्षपात हुआ है? जब तक कि संयुक्त

संसदीय समिति नियुक्त नहीं होती और वह संयुक्त संसदीय समिति दस्तावेजों की जाँच नहीं करती, जब तक कि ऐसी घटनाएं नहीं होती तो, हमें सच्चाई के बारे में कैसे पता चल सकता है?

कोई यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है कि चाहे आपने किसी अन्य के कहने पर प्रधानमंत्री कार्यालय अथवा किसी अन्य मंत्री के कहने पर पक्षपात किया है। इन सब बातों का खुलासा होना चाहिए।

आप कई वर्षों में स्पष्टता की बात करते आए हैं। आप कहते आए हैं कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम का निरसन करना चाहिए। आप ही ये आरोप लगाते आए हैं। यह आपके हित में है कि आप राष्ट्र के समक्ष सच्चाई के साथ आगे आएं और जब आपके अपने आदमी आरोप लगाएँ तो यह आवश्यक है कि आप अपनी छवि साफ करें और उसके लिए आपको सभा के समक्ष उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए। केवल एक ही तरीका है कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए।

इस मुद्दे का तीसरा पहलू यह है कि भद्रावती और विशाखापत्तनम की कुछ फास्ट ट्रैक पॉवर परियोजनाएं हैं ...*(व्यवधान)*

विशाखापत्तनम से संबंधित हिंदुजा ठेके में विद्युत आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विद्युत की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति करने में असफल रहने पर दण्ड का प्रावधान है। हिंदुजा ने यह तर्क दिया कि यदि रेलवे की किसी कमी की वजह से कोयले की आवश्यक मात्रा के न पहुँचने से विद्युत की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जा सकती है तो उन्हें दंडनीय करार नहीं दिया जा सकता है। रेलवे उस राशि से दुगुने तक का हर्जाना दे सकता है इससे अधिक नहीं। यह रेल अधिनियम के अंतर्गत है। चूंकि यह धनराशि आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के गैर-निष्पादन को पूरा करने के लिए बहुत कम थी इसलिए वित्त मंत्रालय ने हिंदुजा के कहने पर कोयला आपूर्तिकर्ता, महानदी कोल को सुझाव दिया कि वह अपना दायित्व स्वीकार करें। कोयला कम्पनी ने अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के आधार पर इस पर आपत्ति की।

दूसरा, वह रेलवे के लिए कैन क्यों उठाये। यह उनका तर्क था, ऐसी स्थिति में, सरकार ने आश्वासन दिया।

अपराह्न 4.57 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ठेके के अंतर्गत क्या गारंटी दी जानी है। ठेके के अंतर्गत जो गारंटी दी जानी है वह यह है कि यदि आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत संयंत्र को विद्युत की लागत अदा नहीं करते तो राज्य सरकार उसे अदा करेगी। बस। यह आश्वासन का पत्र कहाँ से आया? जो तर्क दिया गया है और जो बात समाचार-पत्रों में पहले प्रकाशित हो चुकी है वह यह है कि कांग्रेस सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक के प्रस्ताव का निर्णय लिया गया है। यह ठीक है। अत: यह निर्णय लिया गया है। लेकिन जब उस सुझाव पर बात पहुँची कि महानदी कोल कम्पनी को पैसा अदा करना चाहिए यह संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान हुआ था। यह ठीक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है। महानदी कोल कम्पनी ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपने दिया क्यों? आपको इस कम्पनी को आश्वासन का पत्र देने के लिए किसने मजबूर किया, विशेषरूप से तब जब 1992 से 1998 तक विद्युत संयंत्रों की मशीनरी की कीमतें उसके मूल्य स्तर की तुलना में 40 प्रतिशत नीचे गिर गई थीं? यदि ऐसा करना आवश्यक था तो आपको पूरी संविदा पर नए सिरे से बातचीत करनी चाहिए थी? इसका क्या कारण है? इसका कोई आधार नहीं है। वे माँग रहे थे केवल इसीलिए आपने उनको मनचाहा पत्र दे दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने क्या किया या कांग्रेस सरकार द्वारा तय किए गए फास्ट ट्रैक प्लांट की नाराजगी को संयुक्त मोर्चा सरकार पर नहीं थोपा जा सकता। यह एकदम सही है। यदि उन्होंने कुछ गलत किया था तो उसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। यह एक अलग कहानी है। परन्तु जब आप स्वयं को शुचिता का आदर्श मानते हैं तो आपने किन परिस्थितियों में उन्हें मनचाहा पत्र दिया? आपने क्यों दिया? आप पर कोई बाध्यता नहीं थी। आपको उनसे पूरे समझौते पर पुनर्विचार या नए सिरे से बातचीत करने के लिए कहना चाहिए था।

अपराह्न 5.00 बजे

आपने ऐसा क्यों किया, वो भी ऐसे समय, अब संयंत्र और मशीनरी की कीमतें 40 प्रतिशत तक कम हो रही थी? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला है। इससे भ्रष्टाचार की गन्ध आती है। इसीलिए आपको स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जब तक संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जाती है तब तक स्थिति को स्पष्ट कैसे करेंगे। जब तक संयुक्त संसदीय समिति उन सभी दस्तावेजों को देख नहीं लेती और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि जो कुछ भी किया गया वह सही है, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी?

इसका दूसरा पहलू इनरान है। इनरान के मामले में विदेशी कम्पनियों को हमारे देश आने और विदेशी धन को देश में निवेश

[श्री पी. शिवशंकर]

करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल का निर्णय था कि ऐसी कम्पनियों को अपने निवेश का 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से लाना होगा। इनरान के प्रथम चरण में जब 650 मेगावाट्स की परियोजना को लगाया जा रहा था तो कांग्रेस सरकार प्रति गारन्टी के लिए सहमत थी कि यदि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड इनरान को इन दरों को भुगतान नहीं करता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विद्युत संयंत्र को इन दरों से भुगतान हो। उस समय जब श्री एन.के.पी. साल्वे विद्युत मंत्री थे, तब आपने इस बात पर जोर दिया था कि किस प्रकार प्रति गारन्टी दी गई इस बात की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। श्री सिन्हा और भाजपा के अन्य जिम्मेदार मित्र इस बात से अवगत हैं ...*(व्यवधान)*

मैं मानता हूं कि अन्तर्विरोध उनका स्वाभाव बन गया है। अब 650 डाभोल संयंत्र की क्षमता 2650 मेगावाट्स तक बढ़ गयी है। जो कुछ घटित हुआ, श्री मोहन गुरूस्वामी के अनुसार, वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया गया था कि इस देश में भुगतान किए जाने वाले धन के चालीस प्रतिशत से भी अधिक भाग को केवल इसी विशेष कम्पनी के लिए समायोजित किया जाए। इसका अर्थ हुआ कि यह विशेष कम्पनी, जोकि इनरान है, पर कम से कम 60 प्रतिशत विदेशी धन को देश में लाने के दायित्व को नहीं डाला गया। इनरान भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कई मिलियन खर्च करने के लिए कुख्यात है। उनका तुलनपत्र दर्शाता है कि 20 मिलियन अमरीकी डालर भारतीयों को शिक्षित करने के लिए खर्च किया गया है। जब इसको सभा में लाया गया कि 20 मिलियन अमरीकी डालर भारतीयों को शिक्षित करने पर खर्च किए गए हैं तो तत्कालीन गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की थी वह ध्यान देने योग्य है। उन्होंने पूछा था, 'क्या कोई इनरान विश्वविद्यालय है जहां से आप स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न उस समय पूछा गया था। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पहले से ही संविदा थी। इस संविदा के बावजूद भी यदि सरकार इस कम्पनी को यह सलाह देती है कि चालीस प्रतिशत से भी अधिक धनराशि वित्तीय संस्थाओं से उगाही जाये तो यह वर्तमान समझौते के विरुद्ध है। यह तो हो गया एक तथ्य।

दूसरा तथ्य यह है कि इस देश में दूसरी किसी भी कम्पनी को यह सुविधा नहीं मिली हुई थी। यह एकमात्र कम्पनी है जिसने यह फायदा उठाया।

उस ओर के मेरे मित्रों को याद होगा कि उस समय मेरे ये मित्र केवल यह कह रहे थे कि यदि वे सत्ता में आए तो वे इनरान को अरब सागर में फेंक देंगे। इनरान को अरब सागर में फेंकने के बजाय उन्होंने उसे अपनाया और उसे हर प्रकार की छूट दे रहे हैं, ऐसी छूट उस कम्पनी के साथ की गई संविदा के कारण नहीं दी जा रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप 13 दिन के मंत्रालय को भूल गए हैं।

श्री पी. शिवशंकर : जी, हां। अत्यधिक चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि वर्त्तमान प्रधान मंत्री, जो उस समय 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, ने इनरान कम्पनी को जल्द से जल्द मंजूरी दी थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को जल्दी से मंजूरी देने का परामर्श दिया था और यह सुनिश्चित किया था कि कम्पनी अपना निर्माण कार्य जारी रखे।

इसीलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पक्षपात है। भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं। यह असद्भाव से लिया गया निर्णय भी हो सकता है। यह ऐसा मामला भी हो सकता है जहां पर पक्षपात हुआ हो। यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहां पर आप अभियुक्त हों। यह आवश्यक नहीं है कि कोई यह दिखाए कि आप पैसे ले रहे हैं। आपके अनुचित कार्यों से भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं। आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से नहीं दर्शा सकते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें इन लोगों ने इस कम्पनी के साथ पक्षपात करने का प्रयास किया है, जोकि असामान्य है। यह उनको सिद्ध करना है कि उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया है। इस उद्देश्य के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन आवश्यक है जिससे कि सभा पटल पर सभी दस्तावेजों को रखा जा सके।

इसी प्रकार से, आई.टी.सी. में यू.टी.आई. के शेयर और बी.ए.टी. ऐसे विषय है जिन पर बरबस ध्यान जाता है। यह सभी को पता है कि कांग्रेस के जमाने से ही बी.ए.टी. आई.टी.सी. में रुचि रखता है। बोर्ड रूम रेकार्ड में यह उल्लिखित है कि पूर्व आई.टी.सी. के चेयरमैन श्री चुग ने कहा कि बी.ए.टी. आई.टी.सी. के प्रबन्ध को अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहा है। यह बात हम सभी को पता है। जबसे यू.टी.आई. में धनाभाव का संकट छाया तब एक हल यह भी सुझाया गया कि इसे आई.टी.सी. में

अपने शेयरों को बेच देना चाहिए। जो लोग बी.ए.टी. के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी कुछ लाबियां हैं और ये लाबियां काफी समय से इन शेयरों को हथियाने के लिए बी.ए.टी के उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही है। पूंजी संकट में तरलता के कारण और आई.टी.सी. को अपने शेयरों को बेच देना चाहिए इस सुझाव के कारण बी.ए.टी. ने अपने टोहियों को भेजना आरम्भ किया। इसके कारण पिछले वर्ष के अंतिम छह महीनों में आई.टी.सी. शेयर का मूल्य 200 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो गया। इस संदर्भ में, जब श्री तलवार नाम का लाबीयिस्ट पहले ही था ...*(व्यवधान)* ये बातें समाचारपत्रों में आ चुकी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं। कहा जाता है कि उनका सम्बन्ध प्रधानमंत्री के दत्तक दामाद से है। उनके साथ मिलीभगत से यह काफी समय से जारी है ...*(व्यवधान)* उन्होंने यह सारी बातें बतायी हैं। श्री गुरूस्वामी ने एक नोट तैयार किया है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : उन्होंने श्री तलवार का नाम किया है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : ये सभी बातें समाचार-पत्र में हैं। मैं कुछ भी अलिखित बात नहीं कहूंगा । यदि आप चाहें तो मैं सभी बातों को उद्धृत कर सकता हूं।

श्री वैको : आप कृपया इसको उद्धृत करें ...*(व्यवधान)* क्योंकि आपने उल्लेख किया है आप उद्धृत कर सकते हैं। कृपया गुस्सा न करें, उत्तेजित न हों ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : कल 10.30 बजे जीटीवी में भी यह कहा गया ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आपने उल्लेख किया है। इसलिए आप इसे उद्धृत कीजिए। यह चर्चा श्री गुरूस्वामी द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के बारे में है। वह जब इसका उल्लेख कर रहे हैं तो उन्हें इसे उद्धृत भी करना चाहिए, उन्हें समाचार-पत्र का नाम बताना होगा।

सभापति महोदय : जब आप बोलें तब आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मैं सभी बातों को उद्धृत करूंगा। आप उस बारे में परेशान न हों।

महोदय, श्री गुरूस्वामी ने वित्त मंत्री के लिए एक नोट तैयार किया जो कि उसी रूप में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, इसमें लिखा है:

> ''यह प्रमाणित किया जा सकता है कि यह प्रबन्ध हथियाने की चाल है जिसमें कम से कम तिगुने प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए और बड़ी संख्या में शेयर खरीदे जाने चाहिए जिससे कि वे इसे नियंत्रण में रख सकें। अन्य शब्दों में श्री गुरूस्वामी के प्रस्ताव के अनुसार बी.ए.टी. के प्रबंध को हाथ में लेने की बोली का मूल्य 1000 करोड़ रुपये से 9000 करोड़ रुपये, नौ गुना ज्यादा हो जाता।''

महोदय, यद्यपि श्री गुरूस्वामी के अनुसार, यू.टी.आई. के चेयरमैन उनसे सहमत थे परन्तु जब उन्होंने 21 जनवरी, 1999 को नोट तैयार किया था जो कि वित्त मंत्री को भेजा गया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि परामर्शदाता स्वयं बात करे। इसके बाद में यह घटित हुआ कि यू.टी.आई. के चेयरमैन, श्री सुब्रहम्ण्यम आए और उनके साथ चर्चा की। वे कहते हैं कि चर्चा के बाद श्री सुब्रहम्ण्यम जी सहमत हो गए थे और उन्होंने सहमत होने के बाद फिर एक बार नोट के रूप में लिखकर इसे वित्त मंत्री को भेजा। वित्त मंत्री ने कहा कि वे इस मामले पर चर्चा करना चाहेंगे। ऐसा बताया गया है कि उस शाम वित्त मंत्री ने श्री गुरूस्वामी को ऐसा कहा कि आप नोट को अलग रख दो। शाम को इस आदमी को इस मुद्दे पर चुप रहने की मुंह मांगी कीमत ले लेने के लिए फोन आया। श्री गुरूस्वामी कहते हैं कि उन्होंने यह प्रस्ताव वित्त मंत्री को भेज दिया है ताकि यह सरकारी रिकार्ड का भाग बन सके। अब, उनका यही कहना है।

मेरे मित्र वित्त मंत्री कहते हैं कि वित्त मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है। वह वहां न ही हो। मैं आपकी बात पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह स्पष्ट करना होगा कि क्या श्री गुरूस्वामी ने आपको उक्त नोट भेजा है या नहीं। उनके नोट से सब स्पष्ट हो जाएगा। फिर क्या उन्होंने उसमें यह लिखा है कि उन्होंने आपसे दो बार चर्चा की थी। अगर आप इससे मना करते हैं और यह कहते हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं आया, यह कहते हुए कि आप शामिल नहीं हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। किसी ने भी ऐसी बात खुलकर नहीं कही। कुछ गुप्त कार्रवाइयां भी हैं। केवल जे.पी.सी. द्वारा ही ये गुप्त कार्य प्रकट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है? वे चाहते हैं कि हम सबूत दें। यह काफी आश्चर्यजनक बात है। जैसा कि मैंने कहा है, वे समझते हैं कि यह विधि न्यायालय है जहां आरोप लगाने वाले को सबूत भी देना पड़ता है। हम यही कहते हैं कि अगर आप संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करते हैं तो हम स्वयं गुरूस्वामी को बुलाएंगे और हम उनसे प्रश्न पूछेंगे और यह पता लगाएंगे कि सच क्या है। हम आपके पास होने वाले दस्तावेजों को भी मंगवाएंगे जिससे इन दस्तावेजों से सच्चाई पता चल सके। आप हमसे यह आशा नहीं कर सकते कि हम यह साबित करें। आप संयुक्त संसदीय समिति के अतिरिक्त अन्य किसी तरह हमसे यह साबित करने की आशा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई रास्ता हो तो आप हमें बताएं। क्या यही न्यायालय है जहां आप किसी मामले पर बहस करना चाहते है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): इसको साबित कौन करेगा?

श्री पी. शिवशंकर : यह साबित उस वक्त होगा जब सारा मामला जेपीसी के सामने आएगा। जेपीसी के सामने खड़ा कीजिए, आप भी खड़े हो जाइए, हम आपसे सवाल पूछेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। हमारे खिलाफ हमें ही सबूत जुटाने हैं, आपके पास एक भी सबूत नहीं हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप रखिए। ...*(व्यवधान)* क्या हमें अपनी तरफ से प्रूफ जुटाने हैं। आपके पास कोई एवीडेंस हो तो टेबल पर रखिये। ...*(व्यवधान)* आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मैं केवल दस मिनट का समय लूंगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : इसका कोई सबूत नहीं है। कोई साक्ष्य नहीं है। कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दो घंटे का टाइम है और एक घंटा बीस मिनट से शिवशंकर जी ही बोल रहे हैं, बाकी कौन बोलेंगे। यह एक घंटा बीस मिनट पूरी तरह बर्बाद हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : उन्हें स्मरण करना चाहिए और मैं इसे दोहराता हूं कि बोफोर्स के संबंध में केवल रेडियो उद्घोषणा पर उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। सबूत कहां था? विदेश से रेडियो रिपोर्ट के बारे में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। ...*(व्यवधान)* वे अब हमसे सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं।

मेरे मित्र मुझसे एक बात उद्धृत करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बात में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र श्री वैको ने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। मैं यह उनके लिए पढ़ता हूं। मैं उद्धृत करता हूं:

> 'रॉथमेन बेट' ग्रुप के मुख्य समर्थकों को उद्योग मंत्री के करीबी होने के साथ-साथ प्रधान मंत्री महोदय का भी काफी करीबी बताया गया था।

यह श्री गुरूस्वामी द्वारा कहा गया है। सभी स्वामी एक जैसे नहीं होते। ...*(व्यवधान)*

इसके अलावा, टाटा इत्यादि के संबंध में अन्य मुद्दे भी हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : दो घंटे तय हुए हैं, एक घंटा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : मैं दस मिनट लूंगा। आखिर, यह बहस कितने समय तक चलेगी? यह बहस विभिन्न उन आरोपों के आधार पर सच्चाई जानने के लिए है जो भी गुरूस्वामी द्वारा लगाए गए हैं। आप सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? अगर वे हमें एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं तो ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति की बजाय अगर वे किसी विश्वसनीय माध्यम पर विचार करना चाहते हैं तो वे ऐसा करें। सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती आप स्थिति का मूल्यांकन किस तरह करेंगे? इसलिए अगर वे कहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति समुचित मंच नहीं है तो उन्हें कुछ और सुझाव लेकर सामने आना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं या इसे छुपाना चाहते हैं। अगर वे सच्चाई में रुचि लेते हैं तो उन्हें कोई रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। हमने सोचा था कि संयुक्त संसदीय समिति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधान मंत्री जी और कुछ अन्य मंत्रियों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिह्न लग गया है। भूल-चूक होना स्वाभाविक है। पूरी बात भाई-भतीजावाद, पक्षपातपूर्ण एवं गलत निर्णय पर आधारित है और यह एक ऐसा मामला है जहां भ्रष्टाचार की ओर दर्शाने वाली शक की सुई प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की तरफ घूमती है।

मेरा ख्याल है कि हिन्दुत्व संस्कृति जिसकी वे वकालत करते हैं, जिसका वे उपदेश देते हैं, सच्चाई की अवधारणा पर ही जवित है। ...*(व्यवधान)* मैं यह स्वीकार कर रहा हूं। कृपया मुझे यह मानने दें। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहूंगा जो 1987 में राज्य सभा में श्री जसवंत सिंह ने कही थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप यह बता सकते हैं?

श्री पी. शिवशंकर : मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं। ये सभा की कार्यवाही में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसे स्पष्ट कीजिए।

श्री पी. शिवशंकर : जो कुछ उन्होंने कहा वह यह है। जब बोफोर्स पर बहस हो रही थी ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको इसको उद्धृत नहीं करना चाहिए। मैंने आपको नियम बताया था ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: यह एक पूर्व स्थापित परंपरा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, इस पर आपको व्यवस्था देनी होगी। जब नियम इस पर पाबंदी लगाता है तो इस पर आपको व्यवस्था देनी होगी। ...*(व्यवधान)* आप पीठासीन अधिकारी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपके विदेश मंत्री ...*(व्यवधान)*

आप इसको उद्धृत नहीं कर सकते। यह नियम बहुत सुसंगत और स्पष्ट है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : मैं राज्य सभा की बहस के बारे में कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपकी व्यवस्था चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वैको जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : उन्होंने जोर दिया है कि ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या आप उद्धृत कर रहे हैं?

श्री पी. शिवशंकर : मैं मौखिक तौर पर बता रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप उसका संदर्भ नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे पीठाध्यक्ष से विनिर्णय मिलना चाहिए। मुझे बैठने के लिए न कहें। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : उन्होंने उद्धृत नहीं किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वे उसका संदर्भ नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

महोदय, मैंने आपसे पहले उपाध्यक्ष महोदय को यह रूल दिखा कर कहा था कि इसका हैडिंग है:

[अनुवाद]

> "राज्य सभा में दिए गए भाषणों को उद्धृत करने पर प्रतिबंध।"

[हिन्दी]

इसके नीचे लिखा है:

[अनुवाद]

> "परंतु अध्यक्ष, उससे पहले से प्रार्थना किए जाने पर किसी सदस्य को राज्य सभा में दिए गए किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निदेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा .... इसका अर्थ है कि संदर्भन करने पर प्रतिबंध है।

[हिन्दी]

आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। ...*(व्यवधान)* मुझे आपकी व्यवस्था चाहिए। नियम साफ और स्पष्ट हैं। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। उसमें कहा गया है कि काउंसिल की स्पीच को न रैफर कर सकते हैं और न कोट कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक बात है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक परमिशन का सवाल है।

[अनुवाद]

अग्रिम तौर पर लिखित में अनुमति ली जाती है। उसी समय नहीं।

[हिन्दी]

मैंने कह दिया और उन्होंने परमिशन दे दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अनुमति पहले ले ली जानी होगी।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : उन्होंने परमिशन दे दी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कहां दे दी?

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : यह बहस 11 अगस्त, 1987 को हुई थी कि श्री जसवंत सिंह ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : इसमें आपकी क्या व्यवस्था है?

सभापति महोदय : व्यवस्था यह है कि नियम 354 के अधीन राज्य सभा में दिए गए भाषण को कोट करने पर रोक है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, वह फिर भी कोट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : यह अखबारों में भी छपा था। परंतु मैं केवल यह कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : अब आप अखबारों की बात कह रहे हैं।

श्री पी. शिवशंकर : 11 अगस्त, 1987 को वर्तमान विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है।

वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ विदेशी एजेन्सियों ने खबर फैला दी है। इसलिए, सच्चाई सामने आनी है। अगर सच्चाई सामने लानी है तो संयुक्त संसदीय समिति ही एकमात्र रास्ता है। यही कहा गया था।

महोदय, हाल ही में, वे बार-बार महात्मा गांधी को उद्धृत कर रहे हैं। महान आत्मा सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चली थी। वे उन्हें बार-बार उद्धृत करने की कोशिश कर रहे हैं और वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका सपना साकार करना चाहते हैं। इसलिए उस महान आत्मा ने सत्य और अहिंसा के आधार पर समय पर अपनी छाप छोड़ दी है। अगर वे सत्य में वास्तव में रुचि लेते हैं, अगर उनके लिए सत्य की कोई भी सार्थकता है। वे राष्ट्र के समक्ष यह दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सिद्धांतों के सहारे खड़े है, यह उनके हित में है कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए और सत्य सामने आए।

श्री वैको : सभापति महोदय, मैं भाजपा की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता व ईमानदारी की वकालत कर रहा हूं। श्री शिवशंकर का मैं बहुत आदर करता हूं। जब वे बोल रहे थे तो कुछ मिनट के सिवाए मैं उनकी बात ध्यानमग्न होकर सुन रहा था। वे एक अच्छे अधिवक्ता है। उन्होंने एक न्यायाधीश और अधिवक्ता की भूमिका निभाई है। किंतु आज उन्होंने जो अधिवक्ता की भूमिका अदा की है उसमें वे बुरी तरह विफल रहे हैं क्योंकि यह एक कमजोर मामला है। वे संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की अपनी मांग को सत्यापित करने में विफल रहे है।

महोदय, 'दि एशियन एज' में लिखे लेख में और 'दि इंडियन एक्सप्रेस' को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर विपक्ष के मेरे माननीय मित्र मांग कर रहे हैं कि इनकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और विश्वसनीयता का पक्षधर हूं। किंतु साथ ही सारा देश हमें देख रहा है और श्री शिवशंकर लगभग डेढ़ घंटे तक बोले हैं।

श्री पी. शिवशंकर : किंतु 40 मिनट व्यवधान किया गया।

श्री वैको : ठीक है। फिर वे 50 मिनट बोले। यदि यह सही में यह एक मामला होता तो उसे पांच मिनट या यहां तक दो मिनट में साबित किया जा सकता है। किंतु उन्होंने 40 मिनट लिए है किंतु वे श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सके क्योंकि श्री मोहन गुरुस्वामी भी अपने प्रयास में विफल रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं 11 मार्च, 1999 के 'दि एशियन एज' में छपे लेख से उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> "मैंने कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया है। यह श्री मोहन गुरुस्वामी ने कहा है। हम तथाकथित आरोपों पर वाद-विवाद कर रहे है।"

फिर 23 फरवरी को 'दि इंडियन एक्सप्रेस' को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री सुनील जैन ने एक प्रश्न पूछा। इस चर्चा के लिए

यह बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने पूछा:

> "क्या आप यह कह रहे हैं कि आई.टी.सी., यू.टी.आई. के मामले में सिन्हा ने कुछ लिया है।"

उन्होंने उसके बारे में एक टिप्पणी की। जब श्री सुनील जैन ने स्पष्ट पूछा कि "क्या आप यह कह रहे हैं कि श्री सिन्हा ने कुछ लिया था? श्री मोहन गुरुस्वामी ने उत्तर दिया। उनका उत्तर इस प्रकार है:

> "हो सकता है किसी और ने लिया हो। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। किंतु यह हमारे संबंधों में बदलाव का कारण था।"

14 मार्च को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' को दिए साक्षात्कार में श्री सुनील लाल ने एक प्रश्न पूछा था। यह बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अपनी अंतिम टिप्पणी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार पर दु:खद प्रहार किया है। इसलिए श्री सुनील लाल द्वारा पूछा गया यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। मैं उद्धृत करता हूं:

> "क्या आपका कहना है कि सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार है।"

'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में श्री सुनील लाल ने यह प्रश्न पूछा है। किंतु वे पुन: इस प्रश्न को टाल गए। वे इस प्रश्न को टाल गए। यह विशेष प्रश्न है। यह स्पष्ट प्रश्न है:

> "श्री मोहन गुरुस्वामी ने टाल-मटोल कर इस प्रश्न से बचने की कोशिश की। वे उस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं।
>
> मैं कह रहा हूं कि इसे अलग किस्म की पार्टी कहा गया है किंतु यह सरकार अगल किस्म की नहीं है। इस सरकार की कार्यशैली, प्रक्रिया और विधि पूर्ववत् जैसी है।"

...(व्यवधान) मैं कम्युनिस्टों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं यह केवल कांग्रेसियों के लिए है:

> "जिन खिलाड़ियों की ओर से वे कार्य कर रहे हैं वे वहीं हैं। वे उसी तरह कार्य कर रहे हैं।"

फिर वे कहते हैं:

> "भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है।"

मैं सीधे आई.टी.सी. और ब्रिटिश-अमेरिकन टोबक्को कंपनी के साथ यू.टी.आई. के संबंधों के बारे में श्री शिवशंकर द्वारा उठाए गए बिंदु पर आता हूं। उसके बारे में क्या कहा गया था। श्री मोहन गुरुस्वामी ने कहा था कि दूसरे पक्ष की ओर से कीमत की पेशकश की गई थी। किसलिए:

> "मेरी चुप्पी के लिए एक पेशकश की गई। उस रात दूसरे पक्ष ने मेरी चुप्पी के लिए एक पेशकश की।"

यह 22 फरवरी, 1999 की बात है। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु कल एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोहन गुरुस्वामी ने यह कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप जी.टी.वी. को ले आए हैं।

श्री चैको : हां, मैं इसे पढ़ रहा हूं। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने पेशकश की कीमत के बारे में कहा है। फिर उन्होंने कहा:

> "मेरी चुप्पी के लिए एक पेशकश की गई।"

उन्होंने तब कुछ नहीं कहा। आज वे कहते हैं:

> "मुझे दीपक तलवार से 10-12 करोड़ रुपये की पेशकश की गई।"

यह स्तब्धकारी है। ठीक है।

श्री अजीत जोगी : इसीलिए, संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की जा रही है।

श्री चैको : मैं उस बिंदु पर आ रहा हूं। संयुक्त संसदीय समिति की ओर छलांग मत लगाओ। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं। वे कहते हैं: 21 जनवरी को उन्हें एक टेलीफोन किया गया जिसमें दीपक तलवार ने उनकी चुप्पी के लिए 10-12 करोड़ रुपये की पेशकश की।

21 जनवरी से 27 जनवरी तक श्री मोहन गुरुस्वामी क्या कर रहे थे? उन्होंने इन बातों को स्पष्ट क्यों किया? क्या उन्होंने इस मुद्दे को वित्त मंत्री के साथ उठाया? क्या उन्होंने वित्त मंत्री को सूचित किया? मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इन सब आरोपों का उत्तर दें *...(व्यवधान)* मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। उन्हें अपने आरोपों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मुद्दा उनके साथ उठाया गया था। क्या उक्त पेशकश के बारे में उन्होंने वित्त मंत्री को सूचित किया? माननीय वित्त मंत्री द्वारा दूसरे सदन में दिए गए उत्तर के बाद श्री मोहन गुरुस्वामी का कोई

[श्री वैको]

मामला नहीं बनता है। कल यकायक वे एक निजी टेलीविजन चैनल के पास गए और कहा कि उनसे 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। यदि प्रमाणों और साबूतों के साथ किसी आरोप को साबित किया जाता है तो हम विचारण के पक्षधर हैं। यह लोकतंत्र है। किंतु यह परेशान करने का और निरर्थक प्रयास का मामला है। वे भ्रष्टाचार के बारे में इन आरोपों में से किसी को भी साबित नहीं कर सके हैं। दूसरी ओर माननीय सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। उस स्थिति में संयुक्त संसदीय समिति उपहास की पात्र बन जाएगी। भ्रष्टाचार के बारे में प्रमाणिक साक्ष्य या सबूत होने चाहिए। श्री मोहन गुरुस्वामी ने त्यागपत्र क्यों दिया? वे कहते हैं:

> ''अपने त्यागपत्र में जो मुख्य बात मैंने कही थी वह यह थी कि मैंने महसूस किया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस सरकार के तौर-तरीकों में बहुत कम अन्तर है।''

उसके बाद वे एनरॉन और अन्य उन सभी मामलों पर प्रकाश डालने लगे जिनका उल्लेख श्री सोनकर ने किया है।

27 जनवरी को वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा को लिखे अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा:

> ''हमारी अनुक्रिया धीमी है।''

श्री भुवनेश्वर कालिता : क्या वे उनके त्यागपत्र से उद्धृत कर रहे हैं या समाचार-पत्र से? हम उनकी सूचना के स्रोत के बारे में जानना चाहते है।

श्री वैको : यह पत्र की प्रति है। उन्होंने कहा:

> ''किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में हमारी अनुक्रिया धीमी रही है और बहुत विलम्ब से की गई है। इससे हमारी सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों से भिन्न नहीं लगती है और इससे मुझे बड़ी निराशा हुई है।''

अत: वे एक निराश व्यक्ति हैं। वे न केवल निराश व्यक्ति हैं अपितु हताश व्यक्ति भी हैं। हताश व्यक्ति खतरनाक होता है। उन्होंने स्वयं कहा है क्योंकि निराशा और हताशा में ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री पद के आकांक्षी व्यक्तियों की तरह।

श्री वैको : इस प्रकार श्री मोहन गुरुस्वामी ने अपनी महत्ता के बारे में संस्वीकृति की है। उन्होंने स्वयं के बारे में संस्वीकृति की है। एक उपयुक्त संदेश के रूप अपने ही लिए भगवद्गीता के अध्याय-दो को उद्धृत करते हैं। इसीलिए, मैंने कहा है कि यह उनकी ओर से की गई संस्वीकृति के सिवाए कुछ नहीं है। यह कहा गया है: क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से दृष्टि का क्षय और दृष्टि क्षय से संपूर्ण विनाश होता है। इसलिए भय, क्रोध और हताशा से मूढ़ता पैदा होती है। इसी मूढ़ता के कारण वे उन लेखों में अपनी ही बातों को काट रहे हैं जो उन्होंने लिखे हैं।

महोदय, फिर उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव, श्री एन.के. सिंह का हवाला दिया।

वह श्री एन.के. सिंह के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। वह कहते हैं उनकी मानसिक स्थिति घोर निराशा और कुंठा के कारण.....' इसीलिए मैं इस सम्माननीय सभा, विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं..... उनकी मानसिक स्थिति, उनका दृष्टिकोण.....' इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। श्री एन.के. सिंह को वह विशेष सम्मान देते हैं। वह प्रशंसा करते हैं और फिर वह कहते हैं, 'उनके प्रति ईमानदारी बरतते हुए यह अवश्य कहना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री के एकमात्र सच्चे योग्य वरिष्ठ सलाहकार हैं। ठीक है।

फिर अगले वाक्य में वह स्वयं ही खंड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि उनकी असफलताओं और कमजोरियों को देखते हुए उनकी योग्यता दूर तक दिखाई नहीं देती। अत: वह अपने भ्रमित मस्तिष्क, क्रोध और निराशा तथा अपने दिमाग की सनक के कारण अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं। अत: फिर जब वह यह कहते हैं कि गृह मंत्री द्वारा उन्हें प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में लेने की सिफारिश की थी, वह कहते हैं, उद्धृत करता हूं:

> ''प्रधानमंत्री ने बहुत सही अन्दाजा लगाया कि मैं अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दूंगा.....''

अत: प्रधानमंत्री जी को खुश होना चाहिए लेकिन वह कहते हैं:

> ''मैं कार्यालय में एक बार भी अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दूंगा, इसलिए मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता।''

इसमें क्या तर्क है? वह कोई दलील दे सकते हैं और फिर वह कह सकते हैं कि इस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री उन पर विश्वास नहीं कर सके हैं। यहां वह कहते हैं, 'मैं अपनी बात मनवाऊंगा, प्रधानमंत्री मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते।' यह क्या तर्क है? अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि वह निराशा तथा गुस्से में थे।

आई.टी.सी. तथा आई.टी.सी. में यू.टी.आई. के धारित शेयरों और ब्रिटिश अमरीकन टोबेको कम्पनी, बैट द्वारा की गई कोशिश से सम्बन्धित उनके आरोपों के संबंध में 'बैट' के प्रबंध निदेश ने इस आरोप का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। वह कहते हैं कि वित्त मंत्रालय के साथ औपचारिक अथवा अनौपचारिक कोई संपर्क नहीं था। इससे अधिक वह क्या चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : क्या वह प्रमाण-पत्र चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वह इससे अधिक क्या चाहते हैं? कोई संपर्क नहीं था। यदि मैं संसद सदस्यों का हलावा दूं तो वह मेरे ऊपर उछले नहीं। यह 40 संसद सदस्यों का हवाला है जिन्होंने अभ्यावेदन भेजे हैं। यहां के झूठे मतदान की तरह कुछ गलत नाम हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि 40 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। जब कोई संसद के इतिहास में पहली बार संसद में झूठा मतदान करने की हिम्मत कर सकता है ...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रहा कि आपने झूठा मतदान किया है वह भी आप ...*(व्यवधान)* अत: जब 'बैट' कम्पनी की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में 40 संसद सदस्यों का उल्लेख है ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : इसमें बैट का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। वह पत्र पढ़ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : यह उनका काम है, मैं सभा को गुमराह नहीं करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उस दिन इस सदन में जो बोगस वोटिंग कांग्रेस पक्ष की तरफ से कराई गई, क्या उसके ऊपर भी संयुक्त संसदीय समिति का गठन उनको स्वीकार्य है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : यदि आप इससे सहमत हैं तो हम उस पर सहमत हो जायेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री जैन, बीच में उठकर इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है। नियमों के विपरीत है। कृपया आप आसन ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री वैको : मुझे यह पता चला है कि कुछ 40 संसद सदस्यों द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था—श्री गुरूस्वामी को पेशकश की जाने वाली कीमत के संबंध में अपनी थीसिस लिख रहे हैं।

मेरे माननीय साथी, श्री पी. शिवशंकर ने इस्पात उद्योग को बचाने के लिए संबंधित मूल्य का हवाला दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (बापतला): श्री वैको, संसद सदस्यों का पत्र भी संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : कृपया मेरे भाषण के अन्तिम भाग को धैर्य से सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं केवल यह कह रहा हूं। मुझे धैर्य के बारे में न बतायें। हमने आप लोगों से काफी कुछ सुना है ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : उन्हें बोलने दीजिए। वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप इस सभा में बिहार में अपने मामले पर हार गए हैं और इन दिनों आप केवल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील जैन द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। वह श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा एक बार फिर श्री सुनील जैन को दिया गया साक्षात्कार था जो कि दिनांक 23 फरवरी के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न कहता है:

> "इस्पात उद्योग को सस्ते आयातों से होने वाली मन्दी से बचाने के लिए बहुत अधिक 'रेफरल' कीमत का मुद्दा भी सामने आता है। संक्षेप में, जबकि एच.आर. कॉयल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 190 डालर प्रति टन है, सरकार ने कहा कि यदि आयात 302 डालर से कम मूल्य पर किए गए

[श्री वैको]

तो मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे स्थानीय मिलों को अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ाने का मौका मिला और उपयोगकर्त्ताओं के अनुसार इस प्रक्रिया में लगभग 5,000 करोड़ रु. की राशि यूं ही चली गई।''

यह प्रश्न श्री सुनील जैन द्वारा पूछा गया था। श्री मोहन गुरुस्वामी ने यह नहीं कहा। उनके प्रश्न में यह कहा गया था '5,000 करोड़ के लगभग'। श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा क्या उत्तर दिया गया था? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह फिर मुकर गए। यही मेरा प्रश्न है। जब लगभग 5,000 करोड़ रु. का उल्लेख होता है तो श्री मोहन गुरुस्वामी कोई उत्तर नहीं देते और वह मुकर जाते हैं। अत: किसी निराश, हताश व्यक्ति जब वह ऐसी कहानियां बना रहा है तो ऐसा आदमी लेख लिखने के लिए उपयुक्त है। क्या अब भी संयुक्त संसदीय समिति की आवश्यकता है?

श्री पी. शिवशंकर, जब संयुक्त संसदीय समिति के लिए दलीलें दे रहे थे तो उन्होंने बोफोर्स संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का हवाला दिया। यह उनके भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं बोफोर्स का हवाला नहीं देना चाहता हूं। वह स्वयं मुसीबत में फंस रहे थे। मैं क्या कहूं? उन्होंने बोफोर्स का हवाला दिया है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि क्या वह तत्काल संयुक्त संसदीय समिति के लिए आगे आए थे। नहीं, वह तब आगे आए थे जब हमने कुमारी चित्रा सुब्रह्मण्यन द्वारा जेनेवा से भेजे गए सबूत के बाद सबूत पेश किए और कई दिनों, सप्ताहों और महीनों तक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस सभा में संसद को बताया था कि कोई कमीशन का पैसा नहीं लिया गया, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस सबूत का ठोस प्रमाण था कि स्विज़ बैंक के पांच खातों में पैसा जमा करवाया गया था। यहां तक कि आज भी यह ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : अभी तक आपने बोफोर्स के संबंध में कुछ भी साबित नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, 155 एम.एम. हॉवित्जर बोफोर्स तोप सौदे की खरीद पर जब 16 अप्रैल, 1987 को स्वीडन प्रसारण निगम ने इसे प्रसारित किया और उस समय तत्काल जब विपक्षी दलों ने उठाया तो तत्कालीन सरकार ने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है; इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है; कमीशन के पैसे के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन अब पूरा विश्व सच्चाई जानता है कि बोफोर्स के नाम पर पैसा लूटा गया था और विदेशी बैंकों, स्विस बैंक के पांच खातों में जमा करवाया गया था? लूटने वाला कौन है? देश को किसने लूटा है? जनता का पैसा किसने लूटा है? देश आज तक यह जानना चाहता है ...*(व्यवधान)* मैं उनके विरुद्ध अपनी ऊंगली उठाता हूं उस समय उनका दल सत्ता में था। उन्होंने पैसा लूटा है और इस बात का साक्षात गवाह श्री क्वात्रोची के अलावा कोई नहीं है।

200 करोड़ रु. का धन तोपों की खरीद के नाम पर खाया गया और लूटा गया। अत: संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी। सबूत दिए जाने के बाद, यह साबित किया गया और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मार्टिन अरदबो की डायरी से रहस्योद्घाटन होने के बाद वह कुछ नहीं कर सके। संसद में उनका बहुमत एक अन्धा बहुमत था। उनका बहुमत न केवल इस सदन में बल्कि दूसरे सदन में भी था जहां पक्का सबूत था। ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : क्या यह एक जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य है?

श्री वैको : वे संयुक्त संसदीय समिति से बोफोर्स के विध्वंसक अनुभव के कारण प्रभावित हैं। ...*(व्यवधान)* बोफोर्स के संबंध में मैंने ही बार-बार संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी।

मैं श्री वाजपेयी की इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी तथ्यों को सामने लाए। किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। वे किसी भी पद पर आसीन क्यों न हों, वे कितने भी ताकतवर हों, वे जैसी भी स्थिति में हों, उनको सामने लाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भुवनेश्वर कालिता : राजनैतिक दल का चाहे कुछ भी निर्णय हो, हम संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने को तैयार हैं।

श्री राजेश पायलट : हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : बोफोर्स ने धन का भुगतान किया था। बोफोर्स के प्रशासक इतने मूर्ख नहीं थे कि ऐरे-गैरे, नत्थु-खैरे को भुगतान करते। ...*(व्यवधान)* इसलिए उस संयुक्त संसदीय समिति ने यह परिणाम निकाला क्योंकि साक्ष्य स्थिर साक्ष्य - दिया गया था। यहां वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईमानदारी पर ऊंगली नहीं उठा

सकते हैं। वे इसीलिए चिंतित हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए उनके पास कोई आधार नहीं बचा है। वे हाल ही में अपने सभी आधार राजनीति में खो बैठे हैं। इसलिए वे किसी दिन एक-एक करके इसे उठाएंगे। कल वे एडमिरल भागवत के बारे में चिल्लाएंगे। उनके पास कोई मामला नहीं है। परन्तु देश देख रहा है और हम अपना समय छोटे-छोटे मामलों पर खर्च कर रहे हैं। हमें ऐसी छवि प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए कि हम केवल आरोप ही लगाए जाएं और वो भी बिना किसी सबूत के। क्या संसद संयुक्त संसदीय समिति के लिए बनी है? श्री शिव शंकर 90 मिनट तक बोले थे। वे बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। परन्तु वे कुछ भी साबित नहीं कर सके। उन्हें उनके दल ने हीरो वक्ता के रूप में चुना है। वे किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सके।

क्या हम इसी पर चर्चा के लिए हैं कि किसी राजनैतिक दल में क्या हो रहा है? श्री मोहन गुरुस्वामी गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में लिख रहे हैं। वे बहुत कुछ लिख रहे हैं।

अगर अखबारों में आज यह छपता है कि मैडम को श्री शरद पवार में कोई विश्वास नहीं है और उन्हें मुख्य समिति (कोर कमेटी) में शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं बोला है तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं?

इसलिए, संयुक्त संसदीय समिति की कोई बात ही नहीं है और यह चर्चा काफी है, यह बहस पर्याप्त है। यह निस्संदेह साबित किया जा चुका है कि यह संसद पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए है।

इस क्षण तक कोई भी व्यक्ति इस देश के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर ऊंगली नहीं उठा पाया है।

इसलिए, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि वे बुरी तरह असफल होंगे। उनके लिए मेरे मन में सहानुभूति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, मैं श्री वैको को उनके शानदार भाषण के लिए बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री अपनी सरकार में फेर-बदल करने का साहस करेंगे और कुछ नए मंत्रियों को शामिल करेंगे।

श्री वैको : मैं उसके लिए नहीं हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, ऐसा हीरा तो ताज पर होना चाहिए।

मैं उन बातों को शामिल नहीं करना चाहता जिन पर श्री पी. शिवशंकर ने व्यापक रूप से चर्चा की है। यह प्रश्न सरकार के विरुद्ध वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में हैं। इसलिए, इस पर चर्चा की विषय वस्तु ज्ञात है कि वित्त मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है। मेरे माननीय मित्र, श्री वैको ने कहा है कि श्री मोहन गुरुस्वामी ने कहा है कि वित्त मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। केवल वही विषय वस्तु नहीं है, जो इसमें शामिल की गई है, यह विषय वस्तु सरकार, सरकार द्वारा या इसके मंत्रियों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के बारे में है। श्री मोहन गुरूस्वामी किसका आदमी है? मैं नहीं जानता। श्री वैको ने यह नहीं कहा कि श्री गुरूस्वामी को किस तरह ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया।

श्री वैको : यह सरकार द्वारा की गई गलतियों में से एक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* आपकी इसके पीछे कई दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। इसे पढ़ने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यशवंत सिन्हा इस पूरे नाटक में एक छोटा सा अभिनेता है। इसलिए, मुझे उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। वे काफी तत्पर हैं और उन्हें सरकार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। उन पर दाएं और बाएं, दाएं श्री आडवाणी और बाएं श्री वाजपेयी दोनों ही तरफ से प्रहार होते हैं। माना...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : दोनों ही उनका समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की सहमति पर कोई संदेह नहीं है। और संप्रभुता की उनकी लड़ाई के संदर्भ में, जो चल भी रही है, माननीय गृह मंत्री जी ने उनका चयन किया होगा। आज जब अर्थव्यवस्था डावांडोल है, यह पद देश में एक महत्वपूर्ण पद है। हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। यह एक 'रोल्ड बेक' सरकार है। माननीय वित्त मंत्री जी अगस्त से वादा कर रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा। फिर सितम्बर आ गया, फिर अक्तूबर आ गया, फिर नवम्बर, फिर जनवरी और फिर फरवरी। यह देश इतनी विकट स्थिति का सामना कर रहा है। स्पष्ट है कि सलाहकार की पसंद केवल प्रमाण रहित अभिकथन का ही मामला नहीं हो सकता। अपने से वरिष्ठ महानुभावों की सहमति से या सहमति के बिना यह तो आपकी पसन्द है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अपराह्न 6.00 बजे

वे कह रहे थे कि इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। श्री वैको की अनुमति से मैं वह उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और मैं इस पर काफी गंभीरता से विचार करना चाहूंगा? "इनरॉन, पूंजीगत बाजार में सुधार, मारुति सुजुकी, बी.ए.टी., आई.टी.सी., सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश तथा ईस्पात, सीमेंट, कृषि, संचार, विद्युत तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों की समस्याओं पर हमारी कई बार चर्चा सिंचाई और कृषि पर सरकारी व्यय की घटती हुई प्रवृत्ति, मेरी चिन्ता का विषय बनी हुई है।"

इसलिए, वे उन्हें लगातार नोट (टिप्पण) भेज रहे हैं। समय-समय पर उन्होंने उनमें से अधिकांश मुद्दों पर वैसे ही विचार व्यक्त किए हैं। वे भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे जिसमें डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी और वह है हावर्ड। आज भारत का कहना है कि भाजपा में सुब्रहम्ण्यम स्वामी और गुरूस्वामी के कारण हावर्ड का आतंक है। स्वामी कुछ भी करने में सक्षम हैं। चन्द्रस्वामी से लेकर अब तक। मैं नहीं जानता कि उससे ऊपर क्या है। मैं श्री वैको को श्री गोपाल स्वामी का नाम बताने के लिए बधाई देता हूं। श्री मोहन गुरुस्वामी एक बहुत ही विद्वान, शिक्षित और कुशल व्यक्ति हैं। उन्होंने एम.बी.ए. किया हुआ है।

जहां एक ओर इस सरकार की निष्क्रियता के लिए व्यक्तिगत रूप से आंशिक तौर पर ही हम जिम्मेदार हो सकते हैं इसके बावजूद मेरा मानना है कि वे संदोषता से नहीं बच सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस सज्जन ने त्यागपत्र दिया है या उन्हें बर्खास्त किया गया है। यह भी विशेष मुद्दा बन गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है और सरकार कहती है, 'नहीं, उन्हें बर्खास्त किया गया है।' उन्हें उनके द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को बर्खास्त करने में आनन्द की अनुभूति प्राप्त होती है।

आज इन में से अधिकतर मामलों का संबंध राष्ट्र से है। प्रत्येक क्षेत्र में या तो निष्क्रियता है या समस्या या पतन की प्रवृत्ति है, सब जानते हैं कि बेरोजगारी भयावह स्थिति में पहुंच गई है, महिलाओं पर हमलों को देखिए। इस देश में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इस देश में यह हो रहा है। मैंने पाया कि इस सज्जन ने महत्वपूर्ण मामलों में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। यदि अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो सरकार को देश के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। इस व्यक्ति का चयन काफी विचार-विमर्श के बाद किया गया है। उस बारे में कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट है वे राजनीतिक दृष्टि से भी अनुभवी थे। वे अन्य राजनीतिक दलों में भी रहे हैं। इसलिए उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी अनुभव प्राप्त है। इस राजनीतिक अनुभव के साथ वे भाजपा में गए। भाजपा नेताओं ने कहा, "आपका स्वागत है, यहां आइए, पधारिए।" उन्हें सलाहकार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उन्हें फटाफट पदोन्नति दी गई। उन्हें पद-प्रतिष्ठा दी गई। इस बारे में भी विवाद है। माननीय वित्त मंत्री ने कहीं अन्यत्र कहा है कि वे मात्र परामर्शदाता हैं न कि सलाहकार। इस वक्तव्य को देने का इरादा क्या है? वे परामर्शदाता हों और हो सकता है मित्रता के कारण उन्हें सलाहकार कहा जाता हो। लेकिन वे उनके मंत्रालय से जुड़े थे। उस मंत्रालय में वे अनेक मामलों को देख रहे थे। वे उस मंत्रालय में लगभग सात माह रहे। उन्होंने इस राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को देखा। वे वहां दखलंदाजी नहीं कर रहे थे और वे स्वयंभू दखलंदाज नहीं थे, समझा जाता है कि उन्होंने 27 जनवरी को अपना त्यागपत्र दिया था। यदि वे इतने बुरे व्यक्ति थे तो उनका त्यागपत्र तुरंत स्वीकार क्यों नहीं किया गया? आपने उन्हें बर्खास्त करने का स्वांग क्यों रचा? वरिष्ठ नेताओं का दबाव था। लगता है उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, छह बजे बजट का तय हुआ था *...(व्यवधान)* छह बज गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को 6.15 बजे तक लेने के लिए सहमति हुई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए हम यहां उनके आदमी द्वारा ही लगाए गए कुछ आरोपों, टिप्पणियों और सूचनाओं के बारे में चिंतित हैं। इनमें से अधिकतर आरोपों का उल्लेख किया जा चुका है। यह प्रश्न उठाया गया है कि कोई आरोप या प्रमाण नहीं है अत: इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है। यह हैरानी की बात है। संसद न्यायपालिका नहीं है यह न्यायालय नहीं है जहां पर कोई अभियोजक हो, यहां श्री जेठमलानी एक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं न कि इस देश में आपराधिक मामलों के प्रख्यात वकील के रूप में। हम सब उनका आदर-सम्मान करते हैं। उस व्यक्ति का मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि क्या उनकी अपूर्व क्षमता का उपयोग शहरी कार्य मंत्री के रूप में किया जा रहा है या नहीं। कुछ कारणों से उन्हें उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं मिला है। हम उस कारण को जानते हैं।

अत: उनके ही आदमी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक दस्तावेज का उल्लेख किया है। प्रथम दृष्ट्या मामले से अधिक आवश्यक क्या है? श्री जेठमलानी हमें बता सकते हैं। कम से कम

श्री जेठमलानी समझते हैं कि प्रथम दृष्ट्या मामला क्या होता है। यह ऐसा मामला होता है जिसमें प्रत्युत्तर देना पड़ता है। इसका निर्णय यहां कैसे किया जाएगा? इसकी एकमात्र विधि वही है जो इस सभा, भारत की संसद ने विकसित की है। यह विधि अधिकतर मामलों में सफल रही है कभी-कभी उतनी सफल नहीं रही है। हमारे पास हमारे अच्छे मित्र श्री शंकरानन्द का अनुभव भी है। यह कितने दु:ख की बात थी। कुछ कारणों से हमने भाग नहीं लिया था। हमने सभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। अच्छी संयुक्त संसदीय समितियां भी बनी हैं। हमें उनसे अपेक्षा थी कि वे यहां मानक स्थापित करेंगे। मैंने अपेक्षा की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें प्रत्येक मामले में चिरकालिक कीर्ति और पारदर्शिता का प्रतिनिधि समझा जाता है, यहां आते और कहते, ''कि श्री गुरुस्वामी द्वारा आरोप मेरे विरुद्ध लगाए गए हैं, जो हमारा ही आदमी है, अत: संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।'' वे ऐसा कर देते। यह बहुत सरल बात है और इसमें अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं है, बातें कौन छिपाना चाहता है - केवल वे लोग जिनके पास बातें छिपाने के लिए हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया? दो-तीन दिनों के भीतर ही संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट दे देती। यह प्रत्येक बात इतनी स्पष्ट थी तो श्री वैको, तब क्या कठिनाई थी? आप स्वयं भी उतने निश्चित नहीं हैं क्योंकि आप भी विभिन्न दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। यह बहुत रोचक है। वे श्री सुनील जैन को दिए गए साक्षात्कार पर निर्भर हैं। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं:

> ''क्या आप कह रहे हैं, सिन्हा ने कुछ लिया था?''

मेरे विचार से ''टेक'' शब्द का प्रयोग पैसे के लिए किया गया है। प्रश्न यह है:

> ''क्या आपको यकीन है, सिन्हा ने कुछ लिया था? नहीं, हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने लिया हो।''

इसलिए उन्हें पूरी तरह निर्दोष ठहराया गया है:

> ''मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं किंतु यह हमारे संबंधों में बदलाव का कारण था।''

इसलिए वे उच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता है सरकार के दबाव या स्वदेशी जागरण मंच के दबाव के कारण श्री गुरूमूर्ति या श्री गुरुस्वामी, वे परेशानी में थे और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सके। किंतु श्री गुरूस्वामी के अनुसार उन्होंने पैसा नहीं लिया है।

उसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं लिया है। मैं संक्षेप में केवल दो मामलों पर बोलूंगा।

अब, मैं ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कंपनी पर आता हूं। श्री गुरूस्वामी ने एक टिप्पण तैयार किया था। मैं बार-बार इस बात पर बल दे रहा हूं कि यह उनका दस्तावेज है। यह हमारा दस्तावेज नहीं है। यह भारत सरकार का दस्तावेज है जो 23 फरवरी, 1999 के 'दि एशियन एज' में छपा है। यहां उसके फोटो प्रति या फैक्स या जो भी आप कहें है। इसमें कहा गया है:

> ''ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कंपनी को आई.टी.सी. में यू.टी.आई. की होल्डिंग की बिक्री के बारे में श्री गुरुस्वामी ने माननीय वित्त मंत्री के लिए एक टिप्पण तैयार किया।''

यह मेरा मानना है कि कहीं और यह कहा गया है कि इसका कोई आधार नहीं है। फिर इस टिप्पण का कोई आधार नहीं है और यह एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है, या यह पूर्णत: बेकार और अप्रासंगिक बात है। अब उस बारे में एक पृष्ठांकन टिप्पण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं श्री शिवशंकर की तरह विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह कहता है:

> ''यू.टी.आई. के श्री सुब्रह्मण्यम यहां उपस्थित थे। हमने इस पर चर्चा की। वे टिप्पण की विषय-वस्तु से सहमत हैं .....और कल बैठक।''

माननीय वित्त मंत्री का एक पृष्ठांकन टिप्पण है जो कहता है, ''हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।''

आपने 'चर्चा' के संबंध में पृष्ठांकन टिप्पण क्यों लिखा? यदि करने के लिए कुछ भी नहीं है या यदि यू.टी.आई. का आई.टी.सी. के शेयरों की बिक्री से कोई संबंध नहीं था तो आप क्या चर्चा करने वाले थे? यदि ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कंपनी इस तस्वीर में नहीं आती है तो आपको उन्हें पूछना चाहिए था कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको उन्हें उस टिप्पण को कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहना चाहिए था। मुझे बताया गया है कि दो पृष्ठांकन टिप्पणों में ''चर्चा'' करने के लिए कहा गया है। आप काल्पनिक बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास इतना अतिरिक्त समय है कि वे ऐसे मामलों पर चर्चा करेंगे जो प्रसंगिक नहीं है और काल्पनिक है। इसलिए दाल में कुछ काला है। यह क्या था? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। श्री वाजपेयी जी का इससे कोई संबंध नहीं है। आपका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह क्या था। भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के समक्ष कोई ऐसी बात कैसे रखी जा सकती है जिससे उनका कोई लेना-देना न हो? आपने यह नहीं किया होगा। यदि यह शहरी कार्य मंत्रालय का मामला होता आप इसे

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

श्री जेठमलानी को भेज देते। किन्तु उन्होंने इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए और इसे पुन: अपने सलाहकार को भेज दिया। महोदय यह मेरी समझ में नहीं आ सकता है। इसके बाद यह कहा गया कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है और यह कल्पना की उड़ान है और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा उन्होंने कहीं अन्यत्र कहा है - मैं यह नहीं बता सकता हूं कि यह कहां कहा है किंतु उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कंपनी को शेयरों की बिक्री का कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, इस मामले की गहन जांच किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, संसद सदस्यों द्वारा अनेक दस्तावेजों और पत्रों का हवाला दिया गया था। मैं दिनांक 12 जनवरी, 1999 की उसकी एक प्रति प्राप्त कर सका हूं और मैंने कल रात दूरदर्शन पर भी कुछ सुना है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि किससे क्योंकि मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज की आलोचना सुननी पड़ेगी। मैंने दूरदर्शन पर सुना कि तिथि सही करके 5 मार्च कर दी गई थी। लेकिन जनवरी में यह समाचार-पत्रों में थी। जनवरी में इस संबंध में समाचार प्रकाशित हो रहे थे। आलोचनात्मक टिप्पणियां की जा रही थीं। भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है और सब कुछ प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर किया गया है। प्रधानमंत्री को स्टाफ की कमी नहीं है। वह मेरी तरह नहीं हैं। मुझे पत्र खोलने होते हैं पढ़ना है और उन्हें लिफाफों में डालना होता है।

उसके पास काफी स्टाफ है। उन्होंने उनको बताया होगा कि यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, यह चालीस संसद सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र है जो कि देश में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री के सचिवालय को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। वित्त मंत्री को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। क्या हुआ है? क्या शिकायत है? वह इतने अशान्त क्यों हैं? चालीस संसद सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा? ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पत्र और कुछ हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): महोदय, इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। चूंकि मेरा नाम माननीय वित्त मंत्री द्वारा यू.टी.आई. के शेयर बेचने के संबंध में अन्य 39 सदस्यों के साथ दूसरी सभा, राज्य सभा में लिया गया है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह केवल मेरे इतने लम्बे संसदीय कैरियर को काला धब्बा लगाने वाली बात है। मैं कोई नया सदस्य नहीं हूं। मैं सातवीं बार लोक सभा का सदस्य बना हूं। मैं तीन बार पश्चिम बंगाल विधान सभा का सदस्य रहा हूं। यह हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। मैं आर.एस.पी. से संबंध नहीं रखता हूं बल्कि मैं आल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक से संबंध रखता हूं *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, केवल इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति गठित करना आवश्यक है *...(व्यवधान)* इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की ही आवश्यकता है। संसद सदस्यों के नामों का उल्लेख यहां किया गया है। भारत गणराज्य के माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का महत्व कम करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए इतना ही पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं क्योंकि 6.15 बजे हम बजट पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अधिक से अधिक दस मिनट और लूंगा। मैं सभी मुद्दे नहीं उठा रहा हूं।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दिनांक 5 मार्च की कल्पना की गई है। किसने तारीख बदली है? यह वास्तव में प्रधानमंत्री के सचिवालय कब पहुंचा? आने वाले पत्रों का क्या रिकार्ड है? किसने ऐसा कहने की कोशिश की है? यदि यह पत्र अन्तत: 5 मार्च तक नहीं भेजा गया था तो क्या आप यह सोचते हैं कि संसद सदस्य इतने गैर-जिम्मेवार हैं कि वह पत्र को प्रधान मंत्री को भेजे बिना छ: सप्ताह पहले इसे प्रेस को भेज देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

उनका बहुत अस्थायी और अल्प बहुमत है। वह कुछ बातें परदे में छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इससे परदा तो गन्दा हो जाएगा लेकिन उनकी नेकनामी स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : हमें आपके प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको प्रमाण-पत्र देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है इस्पात मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न। मैं जानता हूं कि यहां भी माननीय वित्त मंत्री ने बहुत ही मामूली सी भूमिका निभाई है। सम्भवत: उनको इससे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन भारत सरकार, मेरा अर्थ है—मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें शामिल है। इस्पात का मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात् इस्पात मंत्रालय से जाती है और इसे कौन प्रकाशित करता है? श्री मदन लाल खुराना, आप सब कुछ जानते हैं। आप क्यों चुप हैं? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

करने के मामले में आप चुप हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में आप चुप हैं हालांकि आप उनके आन्तरिक झगड़े के शिकार हैं।

प्रश्न यह है कि किस तरह से कीमतें निर्धारित की गई थीं जबकि प्रचलित बाजार मूल्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, जो कुछ भी था, काफी भिन्न था। 302 डॉलर पर यह मूल्य कैसे निर्धारित किया गया था? यह साधारण प्रश्न है। अनुमान है कि अन्तर मंत्रालयी बैठक हुई होगी। श्री मोहन गुरुस्वामी ने यह कहा है। क्या कोई बैठक हुई थी? वहां क्या निर्णय लिया गया था? वह कब हुई थी? यह रक्षा संबंधी बैठकों की तरह गोपनीय नहीं कही जा सकती।

राष्ट्रीय हित की ऐसी कोई गुप्त बात नहीं हो सकती है कि विपक्ष के नेता को कार्यवाही सारांश के बारे में न बताया जा सकता हो, श्री शिव शंकर की तो बात ही छोड़िये। यदि वामपंथी होने के नाते हमें यह हक नहीं है तो आप इसे सत्ता पक्ष को दिखाइए। डा. सुब्रहमण्यम स्वामी को दिखाइए अथवा श्री वैको को भी दिखाइए। मैं नहीं जानता कि यह अस्थायी कानून कब तक जारी रहेगा? सभा को तथा देश को यह जानने का हक है कि क्या कोई अन्तरमंत्रालयी बैठक हुई थी, क्या उद्योग को 247 डालर, 245 डालर अथवा 250 डालर पर मूल्य निर्धारित करने का कोई सुझाव दिया गया था। मैं नहीं जानता। यह 302 डालर मूल्य निर्धारित करने का निर्णय कैसे लिया गया था? यदि सरकार का इरादा ऐसा था कि वह हमारे देशज इस्पात उद्योग की मदद करने का निर्णय लेना चाहती है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा आरोप है कि किसी की, अर्थात् इस्पात डीलरों तथा इस्पात उत्पादकों की मदद करने के उद्देश्य से तदर्थ मूल्य निर्धारित करना, चाहे वह सराहनीय हो अथवा नहीं हो, प्रश्न यह नहीं है। यह प्रश्न दरें निर्धारित करने के संबंध में है। इस्पात मंत्री, आप यहां आए हैं। आप नए हैं आप इतने अधिक प्रदूषित नहीं हैं जितने अन्य लोग। आप ऐसे लोगों के साथ क्यों रहते हैं जो कि आपको मुसीबत में डाल देते हैं?

श्री नवीन पटनायक : यह मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा। कम से कम आप यह तो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। अत: महोदय, इस्पात मंत्री को संयुक्त संसदीय समिति का स्वागत करना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वह मेरी बात मानते हैं तो मैं कृपया केवल एक मिनट लूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जो कुछ भी हुआ, मैंने उसे पुन: प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे अपने मित्र श्री यशवंत सिन्हा से पूर्ण सहानुभूति है – मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं – शायद उन्हें इस खेल में शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं इन घटनाओं को पुन: प्रस्तुत करूंगा।

कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट 29 अक्तूबर, 1998 को प्रस्तुत की थी। इस्पात मंत्री ने वित्त मंत्री के साथ मामले पर चर्चा की और दिनांक 12 नवम्बर, 1998 को वाणिज्य मंत्री को पत्र भेज कर इसको पुन: दोहराया। उस पत्र में, इस्पात मंत्री ने इस प्रकार सिफारिश की है। हम पत्र प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस बात से इन्कार कर रहा हैं। मैं उद्धृत करता हूं:

> "मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया ओ.जी.एल. द्वारा किसी प्रचलित मूल्य से कम मूल्य में घटिया तथा दोषपूर्ण इस्पात का आयात रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।"

'घटिया तथा दोषपूर्ण' को नोट करें। घटिया तथा दोषपूर्ण इस्पात का मूल्य इस पत्र के अन्तिम कॉलम में दिया गया है। इस्पात मंत्रालय की सिफारिश केवल घटिया और दोषपूर्ण इस्पात का प्रचलित मूल्य निर्धारित करने के लिए थी। इसके बाद वित्त मंत्री से चर्चा हुई। आठ दिन बाद इस्पात मंत्री के सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखते हैं जिसमें वह कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूं:

> "न केवल घटिया तथा दोषपूर्ण इस्पात का प्रचलित मूल्य निर्धारित करें बल्कि उत्कृष्ट इस्पात का भी प्रचलित मूल्य निर्धारित करें।"

और वह कहते हैं–

> "इस्पात मंत्री की स्वीकृति से जारी।"

वाणिज्य सचिव को इस्पात सचिव के इस पत्र के बाद एक अन्य पत्र भी प्राप्त हुआ जहां वह कहते हैं और मैं उद्धृत करता हूं:–

> "उत्कृष्ट सामग्री के लिए भी प्रचलित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। हम समझते है कि एफ.ओ.बी. मूल्य जिसे 282 डालर बताया गया है, में 20 डालर जोड़ दीजिए।"

इस प्रकार, 282 में 20 जोड़ने से 302 डालर बन जाते हैं। प्रश्न यह है: इस्पात मंत्री को 282 डालर कहां से प्राप्त हुए? उस अवधि के दौरान पाटन-रोधी प्राधिकरण (एण्डी डम्पिंग अथारिटी)

[श्री पी. चिदम्बरम]

का निष्कर्ष था कि औसत आयात मूल्य 195 से 215 डालर थे। प्रश्न यह है क्या वित्त मंत्री इस्पात मंत्री और वाणिज्य मंत्री के बीच एक कठपतुली बने हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भूतपूर्व मंत्री होने का लाभ है।

मेजर जनरल भूवनचन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): मंत्री महोदय इन सभी पत्रों को अधिप्रमाणित करके सभा पटल पर रखा जाए ...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान : दस्तावेजों को सभापटल पर रखा जाएं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : यदि इस्पात मंत्री पत्रों से इंकार करते हैं तो मैं उन्हें सभा पटल पर रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह भूतपूर्व मंत्री होने का लाभ है। मैं कोई भूतपूर्व मंत्री नहीं हूं। अत: वह जानते हैं कि वहां किस प्रकार कार्य हो रहा है। उनके पास सही दस्तावेज हैं और उसका हवाला दिया है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है।

महोदय, माननीय इस्पात मंत्री लोकतांत्रिकवादी हैं वह बहुत स्पष्ट व्यक्ति हैं। वह महान परम्परा के वाहक हैं। इसलिए उन्हें इससे कतराना या भागना नहीं चाहिए। इन्हें बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्हें कम से कम इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसाकि पूछा गया है कि इन्हें ये 282 डालर कहां से प्राप्त हुए? उन्हें 302 डालर का यह आंकड़ा कहां से मिला? जैसाकि मैंने कहा कुछ सामग्री दी गई है और हम वह देखते हैं।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि ये प्रश्न उनके अपने लोगों द्वारा लगाए गए कई आरोपों से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं हम जानना चाहते हैं क्या वह इनका उत्तर देना चाहेंगे। यदि वे उत्तर मांगते हैं तो वह उत्तर किस प्रकार देना है? हम कह रहे हैं, एक समिति का गठन कर लीजिए। जांच दो-तीन दिनों में पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी कोई गम्भीर मामला यहां नहीं है। हमें समिति के सम्मुख तथ्य लाने चाहिए और समिति कोई निर्णय ले और रिपोर्ट को सभापटल पर रखे। यह दो-तीन सदस्यों वाली समिति न होकर सर्वदलीय समिति होगी।

महोदय, उनके स्वयं के आदमियों जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, द्वारा गम्भीर आरोप लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है प्रधानमंत्री के निवास पर क्या हो रहा है। गुट क्या है और 'क' 'ख' अथवा 'ग' के खिलाफ आरोप क्या है। डभोल, हिन्दुजा, मित्तल आदि जैसे कई नाम हैं हम जानना चाहते हैं क्या उनका प्रधान मंत्री कार्यालय अथवा प्रधानमंत्री निवास से कुछ लेना-देना है। मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं हूं। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश मैं नहीं जानता और मैंने स्वयं पर कोई आरोप नहीं लगाना है। लेकिन श्री मोहन गुरुस्वामी ने ऐसा किया है। मुद्दा यही है क्योंकि वह आपके प्रयोजन पर ठीक नहीं बैठता है आज आप उसे तुच्छ चीज समझकर फैंक देंगे।

महोदय, मैं उस झगड़े को नहीं भूल सकता जो मेरे मित्रों द्वारा जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, सभा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा के समय किया गया था। तत्कालीन विपक्ष द्वारा कितनी बड़ी लड़ाई की थी। सदस्यों ने इस सभा से इस्तीफा दे दिया था। तब श्री कुमारमंगलम गलत पक्ष की ओर थे अब भी वे गलत पक्ष की ओर हैं। राष्ट्रीय जीवन, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए पारदर्शिता के लिए कितनी महान जंग लड़ी गई थी।

महोदय, यहां तक कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में भ्रष्टाचार के बारे में टिप्पणी की। प्रधानमंत्री इस देश में भ्रष्टाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार के बारे में बात करते रहते हैं और अब ऐसा हो गया है कि मेरे समेत सभी राजनीतिज्ञों को साबित करना पड़ता है कि वे ईमानदार हैं। यह देश राजनीतिज्ञों से ऊब गया है और जब आज के माहौल में कोई अवसर आता है तो विविध दलों का जुटाव जो सरकार के रूप में कार्य कर रहा है, को भी दोनों हाथों से इसका लाभ उठाना ही चाहिए। उनके लिए यह अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी सत्यनिष्ठा साबित करने का अवसर है। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि श्री वाजपेयी एक प्रतीक हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं कि वह दोषी हैं। लेकिन वह इस मौके का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं? वह ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप को सहन नहीं करना चाहिए। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यहां सदस्य हैं जो उनके समकक्ष हैं उन्हें इस बात का निर्णय लेने दीजिए और यदि उसमें कुछ नहीं है तो वे पूर्णत: निर्दोष माने जायेंगे।

इसलिए मैं जोरदार समर्थन करता हूं कि यह मामला संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के लिए उपयुक्त है और जो कोई इसका विरोध करता है तो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वह दोषी है और अपने आपको दोषी मानता है।

अपराह्न 6.30 बजे

बजट (सामान्य)—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें–सामान्य
अनुपूरक अनुदानों की मांगें–सामान्य
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें–सामान्य—*जारी*

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले, मैं कहता हूं कि यह बजट जन विरोधी दिशाहीन और बिना किसी आधार वाला है। मैं राजनीतिक भाषण देने के बजाय उन बातों का वर्णन मात्र करूंगा ताकि मैं अपने तैयार भाषण के लिए नियत समय का पूर्णत: उपयोग कर सकूं।

वित्त मंत्री ने दावा किया है जैसे 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाना महान उपलब्धि है। लन्दन में 11 बजे का समय दिल्ली में 5 बजे के समान है। आरम्भ में श्री जॉन माथइ से श्री यशवन्त सिंहा तक बजट 5 बजे ही प्रस्तुत किये जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? उस समय ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि लन्दन में 11 बजे का समय उन्हें उचित लगता था और भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय 5 बजे निर्धारित किया गया। इस प्रकार 11 बजे बजट प्रस्तुत करना ही महान उपलब्धि नहीं है। उन्होंने बजट को 11 बजे प्रस्तुत करके क्या उपलब्धि हासिल की है?

इसमें कोई सार नहीं है। यह कोई महान उपलब्धि नहीं है। बजट को प्रस्तुत करने का समय कोई बड़ी बात नहीं है। महत्व तो आपके कार्य का है। बी.जे.पी. सरकार द्वारा देश में अर्थ व्यवस्था का कोई अध्ययन और उचित प्रबंधन नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। देश को बेहतर प्रशासन और बेहतर साफ और बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है जिसका अभाव है।

तथ्यत: इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। प्रधानमंत्री से जिलाधीश कार्यक्रम श्री राजीव गांधी द्वारा दिये गए थे यह कोई नयी चीज नहीं है कि पंचायतों को सारी शक्तियां दी जानी चाहिए। धन पंचायतों को दिया जाना चाहिए और पंचायतों को शक्तियां दी जानी चाहिए। केवल पंचायतें ही देश का महान वैभव वापस दिला सकती है। उस समय इसकी आशा की जा रही थी। यह कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो यहां लाई गई है।

सच तो यह है कि कृषि मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। पिछले साल, जब बजट प्रस्तुत किया गया था, मैंने कृषि मंत्री और वित्त मंत्री को ग्रामीण लोगों अर्थात किसानों के लिए इन्श्योरेंस क्रेडिट कार्ड प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कहा था। कुछ भी नहीं किया गया। आपने केवल आधा काम ही किया है। क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू कर दी गयी है। यह किस तरह से लाभदायक है? कोई भी बैंक जा सकता है। अगर बैंक सुविधा उपलब्ध है तो उन्हें इसका फायदा उठाने दीजिए।

परन्तु हम यही नहीं चाहते। हम इन्श्योरेंस क्रेडिट कार्ड प्रणाली चाहते थे न कि केवल क्रेडिट कार्ड प्रणाली। मैं नहीं जानता कि रैयत किसानों को इससे लाभ होगा या नहीं। परन्तु आपने कृषि क्षेत्र या ग्रामीण लोगों की मदद करने के लिए आधा काम किया है न कि पूरा। सच तो यह है कि वित्त मंत्री यह बता रहे थे कि बजटीय प्रावधानों में उन्होंने 33 प्रतिशत वृद्धि की है। इस पेपर में यह कहा गया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सोमपाल ने 13 मार्च को अपने संबोधन में कृषि तथा सहकारी ऋण क्षेत्र को आबंटित की जाने वाली निधियों के मामले में वास्तविक वृद्धि का वित्त मंत्री का साथ दिया। जबकि वास्तविक रूप में बजट में 1999-2000 में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, निवेश 1998-99 की तुलना में कम था।''

श्री सोमपाल, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 13 मार्च को यही कहा था। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने इसे कृषकों के लिए इसमें 33 प्रतिशत वृद्धि की है? हमारे माननीय सदस्य के लिए इतना कुछ किया है परन्तु आपके अपने मंत्री, आपके अपने साथी यह स्वीकार करते हैं कि कुछ भी नहीं किया गया था। वास्तव में ऐसा नहीं था। सच तो यह है कि आपकी अनुमति से मैं यह पढ़ूंगा:

> ''इसके अलावा, इस वर्ष की तुलना में पिछले बजट में कृषि क्षेत्र में 51 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। कृषि के लिए आबंटन में भारी गिरावट थी।''

ये विपक्षी दल के शब्द नहीं हैं ये आपके अपने मंत्री, आपके अपने साथी द्वारा कहे गए शब्द हैं। इसलिए, कृषि के लिए किए जाने वाले आवंटन में भारी गिरावट आई थी।

श्री सोमपाल ने आगे कहा:

> ''अगर इस वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति को लिया जाता है, पिछले बजट में कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि 51 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा, यद्यपि कोई व्यक्ति बढ़ी हुई आबंटन राशि से राजनैतिक लाभ ले सकता है फिर भी आबंटन में गिरावट से स्थिति बिगड़ सकती है और कृषि भूमि संबंधी परेशानी भी पैदा हो सकती है।''

[श्री नादेन्दला भास्कर राव]

श्री सोमपाल जी ने अपनी एक बैठक में यही कहा था - उनकी क्षमताओं के कारण मैं उनका आदर करता हूं; मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं; वे एक अच्छे प्रशासक हैं। दूसरे शब्दों में श्री सोमपाल जी नाबार्ड और कृषि मंत्रालय के बीच हुई बैठक में बोल रहे थे। वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा जिन्हें इसका उद्घाटन करना था, वे इसे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वे संसद में काफी व्यवस्त थे। श्री सोमपाल ने कहा था:

"जहां आर.बी.आई., नाबार्ड से लेकर राज्य सरकारें तथा योजना आयोग सहमत हो गया था कि सहकारी क्रेडिट क्षेत्र का पुनरुद्धार महत्वपूर्ण था, वित्त मंत्रालय तकनीकी मुद्दा निकाल रहा था कि केवल शेयरधारक ही पुनर्वास उपाय कर सकते हैं।"

आप ग्रामीण ऋण में किस तरह सहायता कर सकते हैं? आपने ग्रामीण लोगों के लिए कौन-कौन से नए उपाय किए हैं? आपने ग्रामीण क्षेत्र को क्या लाभ पहुंचाये हैं। संभवत: माननीय सदस्य भी, वित्त मंत्री के पूरे भाषण के बाद कह रहे थे कि ग्रामीण लोगों की मदद की गई है, ग्रामीण क्षेत्र की मदद की गई थी, इत्यादि। कैसे? आपके अपने मंत्री, आपके अपने साथियों ने कहा था कि वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया था। इसमें यह कहा गया था:

"दूसरे शब्दों में, वित्त मंत्री कह रहे थे कि कृषक समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम करेगा।"

यह कैसे किया जा सकेगा? उन्होंने क्या मदद की थी? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। मुझे विश्वास है आप मेरे साथ सहमत होंगे कि केन्द्रीय सरकार का रवैया केवल यह देखना होगा कि सहकारिता एक विषय के रूप में सहकारिता आंदोलन की नियति को राज्यों पर छोड़ती है। एक शताब्दी से ऊपर हो गया है, सहकारिता प्रणाली की संकल्पना की देखरेख, संवर्द्धन और विकास का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में किए गए प्रमुख प्रयासों द्वारा सक्रियतापूर्वक लिया गया था। उन्होंने कहा था:

"यदि सहकारी सिद्धांत को शुरू करने और उसमें सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध न होती तो, नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड न होते।"

यह बिल्कुल ही अलग मामला है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता था।

यह आवंटन 33 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जो एक काल्पनिक बात है। यह एक बेकार बात के अलावा कुछ नहीं है। यह वास्तविक रूप में नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं।

इस देश में आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, औद्योगिक विकास काफी धीमा है और निर्यात शून्य के बराबर है तथा एकमात्र अच्छा विकास उच्च तकनीकी मीडिया कम्प्यूटरीकरण है। इस क्षेत्र में हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पुरानी स्कीमों को नई स्कीमों में बदलने के अलावा उन्होंने इस बजट के माध्यम से कोई नई स्कीम नहीं चलाई है।

कृषि क्षेत्र में अच्छे निष्पादन के कारण हम सकल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सके थे परंतु औद्योगिक क्षेत्र में यह सरकार बुरी तरह असफल रही। निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर पहले जैसा ही बना रहा।

संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आर्थिक और वित्तीय संरचना मजबूत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने का सुझाव दिया गया था। परंतु दोनों ही क्षेत्रों में सरकार बुरी तरह असफल रही।

वित्त मंत्री ने आर्थिक समस्याओं के समाधान और आर्थिक संरचना के पुनर्गठन का कोई समाधान नहीं बताया था। निस्संदेह ग्रामीण विकास के लिए प्रयास किया गया था। उसे भी उनके अपने ही विद्वान साथी, कृषि मंत्री ने एक कल्पना ही साबित किया। उन्होंने बुजुर्गों के लिए सहानुभूति दिखाई है, परंतु यह नहीं बताया कि वे आर्थिक सुधार कैसे लाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करें के माध्यम से 9000 करोड़ रुपये एकत्र करने का प्रस्ताव किया था। वित्त मंत्री को यह जानना चाहिए कि जब उन्होंने डीजल का मूल्य बढ़ाया था तो इससे सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, परन्तु इस पर माननीय वित्त मंत्री ने गौर नहीं किया था। इससे घाटे की अर्थव्यवस्था पैदा होगी।

चार सरकारी सचिवों के पदों को कम करना मजाक के अलावा कुछ नहीं है। क्या इससे ऐसी अर्थव्यवस्था पैदा हो सकेगी जो स्थिति को नियंत्रित कर सके? यह एक मजाक ही है।

विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में एक ठोस निर्णय या समझ होनी चाहिए। राज्य सरकारें जहां-तहां से ऋण लेती रहती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से 38,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए अन्यथा इससे अलग स्थिति पैदा हो जाएगी।

निस्संदेह शेयर बाजार ने बजट के प्रति दिलचस्प रुझान दिखाया है परन्तु आर्थिक और वित्तीय स्थिति की मजबूती बिना बाजार को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है।

खराब प्रशासन देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। चीनी के आयात शुल्क में पांच प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि से चीनी उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ। आज चीनी उद्योग की हालत वास्तव में बहुत बिगड़ रही है। लगभग 1,10,000 टन चीनी का ढेर लगा हुआ है। इसे उठाने वाला कोई नहीं है। फिर भी हम पाकिस्तान से चीनी का आयात कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगभग 12 लाख टन चीनी का आयात किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो चीनी उद्योग में काफी घाटा होगा।

चूंकि औद्योगिक विकास लगभग साढ़े तीन प्रतिशत है इससे निर्यात दर में गिरावट आई है। अगर इस स्थिति को बदला नहीं गया तो भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार भा.ज.पा. शासन के अंतर्गत लगातार दूसरे वर्ष में भी समस्त आर्थिक स्थिति काफी खराब रही है और अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

जैसा कि विशेषज्ञों ने टिप्पणी की थी, यह इस सदी का अंतिम बजट है। इस देश की आर्थिक स्थिति काफी निराशाजनक है। इस देश में बेहतर प्रशासन और बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है।

राजस्व में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है और व्यय में वृद्धि हुई है जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा और सरकार की ऋण पर निर्भरता बढ़ने से ऋण जन्य अस्थिरता पैदा होगी। हर दृष्टि से देखा जाए तो यह बजट जन विरोधी है, इसका कोई आधार नहीं है और यह दिशाहीन है ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, यह क्या है? वे उन्हें बाहर जाकर बता सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना के नाम बदल देने का मैं विरोध करता हूं। मैं इसके बारे में पहले कह चुका हूं। इन कार्यक्रमों के नाम बदलने से ग्रामीण गरीब लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

***श्री कांची पन्नीरसेल्वम** (चेंगलपेट): अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में जब हम 20वीं सदी के अन्त और 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे है, यह सम्माननीय सभा ऐसा केन्द्रीय बजट पर विचार कर रही है, जिसका आशय हमें नई सहस्राब्दि में दिशा देना है। यह बजट भाजपा-अन्नाद्रमुक सरकार की ओर से देश की जनता के लिए उपहार है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कषगम की ओर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इस सभा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस सभा में पहुंचाया है। इसके अलावा मैं अपनी नेता और ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कषगम की महासचिव, डा. पुराची थलैवी को भी तहे-दिल से धन्यवाद देता हूं जिनके कारण मुझे यहां अपनी पार्टी व जनता, दोनों का प्रतिनिधित्व करना संभव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका पहला भाषण है?

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : नहीं महोदय, यह मेरा दूसरा भाषण है। महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैंने कुछ बिन्दु नोट किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अपना भाषण जारी रखे।

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : हमारी नेता, डा. पुराची थलैवी ने सही कहा था कि इस सरकार का आना पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और श्री मुरासोली मारन द्वारा रचे गए नाटक का अन्त है जो झूठी गठबंधन सरकार के पूर्ववर्ती शासन में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में थे। श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट ने विदेशी निवेशकों का स्वागत किया किंतु उन्होंने घरेलू उद्योगों या स्वदेशी उद्योगों को समान अवसर देने की परवाह नहीं की। विदेशी निवेशकों या विदेशी कंपनियों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया जबकि स्वदेशी उद्योगों की उपेक्षा की गई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदय, श्री पी. चिदम्बरम अच्छे अनुवादक हैं। उन्हें उनके भाषण का अनुवाद करने के लिए कहा जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. जयपाल रेड्डी, उनके भाषण का अनुवाद पहले ही हो चुका है और वह भी अच्छा है।

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : हमारी नेता डा. पुराची थलैवी श्री पी. चिदम्बरम के दुलमुल रवैया का अन्त करना चाहती है जिन्होंने विदेशी उद्योगों को अत्यन्त महत्व दिया। हमारी नेता डा. पुराची थलैवी की मनोकांक्षानुरूप भारत अब एक उभरती शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। हमारी नेता की मांग के अनुरूप विदेशी निवेशकों व घरेलू निवेशकों के साथ अब समान व्यवहार हो रहा है। लगातार दूसरे वर्ष हमारे वित्त मंत्री ने दिल खुश करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिस पर हमारे देश को गर्व है।

[श्री कांची पन्नीरसेल्वम]

इस वर्ष का योजना परिव्यय 1,00321 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष से 17 प्रतिशत अधिक है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पिछले वर्ष के 41200 करोड़ रुपये की तुलना में रक्षा के लिए 45,694 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विद्युत क्षेत्र को 27,381 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष के आबंटन की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। शिक्षा के लिए 4700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। कृषि क्षेत्र में आबंटन में 34.55 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ये सभी उपाय इस वर्ष के वार्षिक बजट की स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। लगभग संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी जारी है। जापान दक्षिण पूर्व एशियाई आर्थिक संकट से प्रभावित है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की इस प्रवृत्ति से मुक्त है। हमारी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने का श्रेय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को जाना चाहिए। हमें वित्त मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए।

बजट में नए करों के रूप में 9334 करोड़ रुपये जुटाने की संगत विधि का प्रस्ताव किया गया है। इस समग्र वृद्धि परिदृश्य में इस वर्ष के अन्त तक बजट घाटा 4.4 प्रतिशत तक आ जाएगा जो इस समय 5.9 प्रतिशत है। 60,474 करोड़ रुपये के घाटे की राशि कम होकर 54,147 करोड़ रुपये तक आने की संभावना है। राजस्व में वृद्धि करने व घाटे पर अंकुश लगाने के लिए इस बजट में कतिपय प्रत्यक्ष करों का प्रस्ताव किया गया है। कुछ समायोजन करते हुए अप्रत्यक्ष करों को भी पुनर्गठित किया गया है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री से कराधान उपायों पर गौर करने का आग्रह करता हूं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। देश के सभी नागरिकों को नागरिकता पहचान-पत्र दिए जाने चाहिए और उन पर उनकी आय के अनुसार लगाए जाने वाले व्यवसाय कर का संकेत होना चाहिए। इससे सरकार अधिकाधिक लोगों को कर तंत्र में लाने में सक्षम होगी और करों की चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी व सरकारी खजाने के लिए कर के रूप में अधिक धन प्राप्त करेगी। करों की उच्च दर से लोग कर चोरी के लिए बाध्य होते हैं। इससे भ्रष्टाचार पनपता है। उदाहरणार्थ, सरकारी कर्मचारियों को दिसम्बर से फरवरी के महीने में उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है। अपनी परिश्रम की कमाई को कर के रूप में देने से अनेक सरकारी कर्मचारियों का गुजारा करना कठिन होता है। इसलिए उन्हें दूसरे तरीके से कमाए गए धन का सहारा लेना पड़ता है। मैं सरकार से सरकारी कर्मचारियों पर लगाए आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का आग्रह करता हूं। गलत कराधान नीति व उपायों के कारण अभी 12,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष करों और 43,000 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष करों की वसूली की जानी है।

लम्बित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें गठित की जा सकती हैं। न्यायालय से बाहर मामलों के निपटारे के लिए 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। करों से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में न रखने के लिए सुनिश्चित करने हेतु मैं सरकार को हमारे कानूनों और यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करने को कहूंगा। इस समय अनेक कराधान कानून हैं। इन कानूनों की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है, व्यक्ति, कंपनियां, न्यायालय और कार्यालय प्रतिष्ठान इन कानूनों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। संपत्ति कर, भूमि कर, जल कर, आय कर, उपहार कर, बिक्री कर आदि से संबंधित अनेक कानून हैं। अच्छा होता यदि हम एक सूत्रीय कर प्रणाली अपनाएं। सरकार की सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कर देने के लिए कहना आवश्यक है। कर केवल निजी क्षेत्र में गैर-सरकारी लोगों पर लगाए जाने चाहिए। उन पर व्यवसाय कर के रूप में कर लगाए जाने चाहिए। करों को केवल 10 से 15 शीर्षों के अंतर्गत संग्रहित किया जाना चाहिए। इस विधि से सरकारी राजस्व सृजित किया जाना चाहिए। कर संशोधन पांच वर्ष में केवल एक बार किए जाने चाहिए, इससे उद्योगपतियों और उद्यमियों के समक्ष अगले पांच वर्ष की स्पष्ट योजना होगी। इससे स्थिर अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा। कर के माध्यम से निश्चित राजस्व सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी का मूल्यांकन उसकी स्थिति, पद और व्यवसाय या उसके द्वारा किए जा रहे उत्पादन संबंधी कार्य के आधार पर किया जाना चाहिए और नियत या लक्षित कारोबार पर आधारित एक निश्चित राशि निर्धारित की जाए। व्यक्तिगत व संगठन संबंधी प्रत्याशित कर को प्रक्षेपित आय में से कम कर दिया जाए और प्रति वर्ष पांच वर्ष तक अग्रिम कर संग्रहित किया जा सकता है। इससे सरकार को सुनिश्चित राजस्व संग्रहण निश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही भ्रष्टाचार व कर अपवंचन पर भी अंकुश लगेगा। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे सुझाव पर गौर करेंगे।

भोजन, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, रोजगार व आवास पांच बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इन पांच बुनियादी आवश्यकताओं पर व्यय के लिए आबंटन में वृद्धि सुनिश्चित कर इस सरकार द्वारा सामाजिक चिंता पर ध्यान देने की मैं प्रशंसा करता हूं।

इस देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषक व कृषि कामगार है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और ग्रामीण समुदाय की अभ्यस्त है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत गांवों में बसता है।" इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया और विकास योजनाओं के लिए अधिक धन आबंटित किया गया। इस मामले में यह सरकार बधाई की पात्र है।

किंतु तमिलनाडु के गांवों व ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है? जब हमारे स्व. नेता डा. पुराची थलैवर एम.जी.आर. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कृषि कार्यों के लिए किसानों को नि:शुल्क बिजली दी थी। यह याद दिलाना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है कि जब हमारी नेता डा. पुराची थलैवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी उस दौरान भी किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की योजना जारी थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया था कि तमिलनाडु में बिजली कटौती न हो। किंतु वर्तमान स्थिति में राज्य में केन्द्रीय मध्यस्थता की आवश्यकता है। विगत दो महीनों से तमिलनाडु के कई जिलों में बिजली की अत्यधिक कमी है। निश्चित तौर से कोई नहीं कह सकता कि बिजली कब आएगी और कब जाएगी। तमिलनाडु में बिजली की भारी किल्लत है। मैंने यहां इसका जिक्र क्यों किया है? दो दिन पहले समाचार पत्रों में बताया गया था कि लगभग तीन दिनों से विद्युत कटौती के कारण ज्यादातर पूरा दक्षिण अरकोट जिला अन्धकार में डूबा रहा। हमारे नेता डा. पुराची थलैवी के नेतृत्व में बनी हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक दिन भी विद्युत कटौती नहीं की गई थी। यह तो केवल, करुणानिधि की सरकार के सत्ता में आने के दौरान ही हमने भारी विद्युत कमी और अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति देखी है। मैं यहां सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हस्तक्षेप करे और तमिलनाडु के लोगों की जिंदगी को अंधकार में घिरने से बचाएं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार से अनुरोध करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र चेंलगीपुट एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। औद्योगिक विकास वहां न के बराबर है। औद्योगिक इकाईयां कहीं कहीं हैं और वहां कोई बड़ी इकाई भी नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से निर्वाचन क्षेत्र चेंगलीपुट में एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित करने का अनुरोध करता हूं जो महानगर चेन्नई के बिल्कुल निकट है। औद्योगिक इकाई लगभग दस हजार लोगों को रोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान करने में समर्थ होगी। इसकी भारी आवश्यकता महसूस की गई है और केन्द्र सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़े और आर्थिक दृष्टि से सक्षम औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए छानबीन करनी चाहिए।

मैं सेतु समुन्द्रम परियोजना के बारे में इस बजट में की गई घोषणा का स्वागत करता हूं। जब मैं अतीत को स्मरण करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि काफी लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता और सेतु समुन्द्रम परियोजना को आरम्भ किये जाने की काफी जोरदार मांग को पूरा किया जा रहा है। नानथाई पेरियार, अरिग्नार अन्ना पुरात्ची थलैवर एम.जी.आर., डा. पुरात्ची थलैवी सभी ने इस परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया था। हमारे दल के कई सदस्यों ने इस माननीय सभा में भी कई बार इस बात को दोहराया है।

हमारे संस्थापक नेता अरिग्नार अन्ना ने सेतु समुन्द्रम परियोजना के लिए जोरदार मांग की थी जब वह संसद के ऊपरी सदन के सदस्य थे। सभी इन नेताओं के केन्द्र सरकार से अनुरोध करने के पश्चात् अन्त में इस पर ध्यान दिया गया। हमारे नेता डा. पुरात्ची थलैवी ने तमिलनाडू के लोगों की ओर से इस मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डाला। आखिरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी इस साझा सरकार ने इस परियोजना को स्वीकार किया। पिछले वर्ष जब यह सरकार बनाई गई थी तो हमारे नेता डा. पुरात्ची थलैवी ने इस योजना पर कार्य आरम्भ करने के लिए इसे राष्ट्रीय एजेंडा में सम्मिलित करवाया। हमारे नेता ने इस सरकार के निर्णय के लिए उसे बधाई दी। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को इन पांच वर्षों के दौरान हमारे कार्यकाल में पूरा कराए। मैं एक बार फिर सेतु समुद्रम परियोजना आरम्भ करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं।

कृषि और बुनाई इस देश में पाए जाने वाले दो सबसे बड़े व्यवसाय हैं। कृषक और बुनकर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बुनकरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर इस सरकार के ध्यान दिये जाने और विचार करने की आवश्यकता है। आपने कपड़ा उद्योग को सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना तैयार की है। साथ ही हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा की ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हथकरघा क्षेत्र अभी रुग्ण है। इसे पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है। हथकरघा उद्योग केवल अकेला ऐसा उपयोग है जिसे अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। कांचीपुरम विश्व विख्यात रेशम शहर है। कांचीपुरम के इर्द-गिर्द हथकरघा क्षेत्र में रेशम की बुनाई होती है जो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रेशम शहर और इसके हथकरघा क्षेत्र निराशाजनक वातावरण का सामना कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। उन्हें वहां के बुनकरों की दशा का पता है। लेकिन उन्होंने हथकरघा क्षेत्र विशेषकर सिल्क बुनकरों और विशेषरूप से कांचीपुरम के इर्द-गिर्द के बड़े क्षेत्र के परम्परागत हथकरघा बुनकरों जो अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से बुनाई पर निर्भर है, को कोई छूट अथवा सहायता नहीं दी है। उन्होंने अपने ही दल के लोगों के निवेदन को नजरअंदाज कर दिया। कुछ छूट योजनाओं को छोड़कर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान माननीय चिदम्बरम इसके वित्त मंत्री थे। हथकरघा उद्योग को कोई वृहत् सहायता योजना नहीं दी गई थी।

[श्री कांची पन्नीरसेल्वम]

हथकरघा बुनकर न केवल कांचीपुरम में बल्कि पूरे तमिलनाडू में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मजबूत होकर करघे बन्द कर रहे हैं। आज जो घटित हुआ उससे दिल बहुत दुखी हो रहा हैं वे शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं गांवों से नगरों और शहरों में पलायन कर रहे हैं। वे दिहाड़ी श्रमिकों (कुलियों) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। यह वास्तव में दुखदायी है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह व्यापक रूप से सभी हथकरघा बुनकरों की भलाई के लिए योजना तैयार करे।

कांचीपुरम ऐतिहासिक नगर है जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। हमारे नेता अन्ना जी कांचीपुरम से हैं। यदि आप कांचीपुरम का नाम लेते हैं तो हमें अन्ना जी का ध्यान आ जाता है। शंकराचार्य हमारे ध्यान में आते हैं रेशम उद्योग और रेशम का कपड़ा हमारे ध्यान में आता है। मन्दिर हमारे ध्यान में आते हैं। कांचीपुरम का विश्वविख्यात रेशम उद्योग आज रुग्ण पड़ा है मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हथकरघा बुनकरों और हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए और इसको पुनरुज्जीवित करने के लिए योजना तैयार करे।

हमारे नेता डा. पुरात्ची थलैवी ने मांग की थी कि तमिल को भी सरकारी भाषाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसका अनुसरण करने के लिए कार्यवाही करे और हमारी मांग को क्रियान्वित करे।

अब मैं तमिलनाडू की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आता हूं। यह बद से बदतर हो गई है। हम समझते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस महीने की 20 तारीख को तमिलनाडू के दौरे पर जा रहे हैं। हम पिछले वर्ष की घटना का स्मरण कराना चाहते हैं जब हमारे गृह मंत्री ने तमिलनाडू का दौरा किया था। हमें वहां उसी प्रकार की स्थिति की आशंका है। तमिलनाडू में खराब कानून और व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पन्नीरसेल्वम, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : मैं केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने और तमिलनाडू में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पन्नीरसेल्वम, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : वहां कानून और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करने के पश्चात् ही हम इस महीने की 20 तारीख को प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। हम तमिलनाडू में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...*(व्यवधान)**

श्री कांची पन्नीरसेल्वम : माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय वित्त मंत्री को भी याद कराना चाहता हूं कि वह मेरे चेंगलीपुट निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मेरी मांग की ओर ध्यान दे। अन्त में मैं इस बजट में बूढ़े और विकलांगों के लिए घोषित अन्नापूर्ण चावल वितरण योजना के सफलतापूर्वक चलाए जाने के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लोग उत्सुकता से इसकी ओर देख रहे हैं इसलिए हमारे पूर्व दिवंगत नेता पुरात्ची थलैवर और हमारे वर्तमान नेता डा. पुरात्ची थलैवी द्वारा क्रियान्वित पौष्टिक दोपहर के भोजन की योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए आपको पर्याप्त ध्यान देना होगा। मैं आपकी सफलता की कामना करते हुए समाप्त करता हूं।

सायं 7.00 बजे

श्री पी.आर. कुमारमंगलम (तिरुचिरापल्ली): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा में यह घोषणा करना चाहूंगा कि चूंकि हमने बजट पारित करने का निर्णय लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे किसी साथी, जो कि इस सभा के सदस्य हैं, को रात्रि के भोजन के संबंध में कोई समस्या न हो, हमने सदस्यों और प्रैस के हमारे मित्रों के लिए कमरा नं. 70 और यहां के कर्मचारियों के लिए कमरा नं. 73 में रात्रि के भोजन का प्रबंध करवाया है। रात्रि 8 बजे के बाद यह उपलब्ध होगा।

एक माननीय सदस्य : हम आज किस समय तक बैठेंगे?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप रात्रि 8 बजकर 15 मिनट तक बैठ सकते हैं, लेकिन आप रात्रि के भोजन के लिए मना क्यों कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रतिष्ठित मित्र माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1999-2000 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं कुछ बातों पर वित्त मंत्री को बधाई देते हुए आरम्भ करता हूं। पिछले वर्ष के बजट को स्वदेशी आधार प्रदान किया गया था और पृष्ठ दर पृष्ठ वित्त मंत्री ने स्वदेशी तथा स्वदेशी जागरण मंच मेरे विचार से इस मंच में वह कार्यकारी सदस्य भी रह चुके हैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और उनके साथ एक और सज्जन भी थे, श्री मोहन गुरुस्वामी, जो पिछले कुछ दिनों से प्रसिद्ध भी हो गए हैं, के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की थी।

इस वर्ष का बजट भाषण जिसमें, एक पत्रिका द्वारा की गई गणना के अनुसार, 15,900 शब्दों से कुछ ऊपर शब्द थे, ये भाषण में 'स्वदेशी' शब्द का इस्तेमाल कहीं भी न करने का काफी ध्यान रखा गया है। यह अतिनैतिकतावादी, श्री यशवन्त सिन्हा की सराहनीय तरक्की है। मैं इस अतिनैतिकतावादी प्रगति पर उनकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में वह इसी पथ पर अग्रसर होंगे।

मैं स्वदेशी की इस संकल्पना पर कुछ देर बाद वापस आऊंगा लेकिन जैसा कि मैंने कहा है मैं उनके बजट में अनेक अच्छे सुझावों के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। सर्वप्रथम श्री देवेगौड़ा सरकार द्वारा आरंभ किया गया त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम रखना और आबंटन को बढ़ाकर 1600 करोड़ रु. करना। वर्ष 1995-96 में कांग्रेस सरकार द्वारा आरम्भ किए गए और संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जारी रखे गए ग्रामीण अब संरचनात्मक विकास निधि को ज़ारी रखना और आबंटन को बढ़ाकर 3,500 करोड़ रु. करना। उन्होंने प्रतिस्पर्द्धा संबंधी एक नया कानून बनाने का वचन दिया है। मैं इस कानून का इन्तजार कर रहा हूं। उन्होंने कपड़ा उद्योग के कताई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की व्यवस्था की है।

उन्होंने वैक्सिन के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन का वचन दिया है। उन्होंने एक व्यय सुधार आयोग का वचन दिया है। यह सभी सराहनीय वादे हैं। यह सभी स्वागतयोग्य वचन हैं। उन्होंने देवेगौड़ा सरकार द्वारा आरम्भ की गई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को जारी रखा है और आबंटन को बढ़ा कर 4043 करोड़ रु. कर दिया है। वास्तव में, यदि कोई एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि पंचायतों को बरकरार रख रहा है जो कि हमारी पंचायतों को बढ़ी हुई धनराशि प्रदान कर रहा है तो वह संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा आरम्भ किया गया आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं।

उन्होंने उत्पाद शुल्क की दरों को कम कर दिया है। हमने प्रत्यक्ष करों का सुधार आरम्भ किया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष करों में सुधार करने के अवसर का फायदा उठाया है, जैसा कि उन्होंने कहा था उत्पाद शुल्क की दरों को घटाकर तीन तो किया नहीं बल्कि छः कर दिया जिसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मेरे विचार में संसद को यह याद दिलाना उपयुक्त है कि उत्पाद शुल्क की दरों को कम कर छः किया गया है न कि तीन। छः दरें भी एक स्वागतयोग्य कदम हैं और मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने एकीकरण और विलयन को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। उन्होंने विद्युत के प्रेषण तथा वितरण को धारा 80-1क के अन्तर्गत शामिल कर लिया है और मुझे विश्वास है कि एक भूतपूर्व मंत्री है और श्री प्रमोद महाजन जो कि वर्तमान मंत्री हैं, को खुश करने के लिए उन्होंने धारा 80जजग के लाभ फिल्म तथा मनोरंजन उद्योग को भी प्रदान कर दिए हैं। यह सभी स्वागत योग्य प्रोत्साहन हैं।

मैं विशेष रूप से उन प्रोत्साहनों की सराहना करना चाहता हूं जो कि उन्होंने आवास क्षेत्र के लिए घोषित किए हैं। मेरे विचार में यह एक वर्ष देर से घोषित किया गया है। इसकी घोषणा पिछले वर्ष की जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी, मुझे उनके द्वारा आवास क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहनों के लिए उनकी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है लेकिन यह प्रोत्साहन कौन से हैं, इनसे क्या होता है? देश के मेरे भाग में, हमारा महिला वर्ग जो कि रोज सुबह अपने घर के सामने झाड़ू लगाती है, गोबर और पानी से धोती है और वहां कोलम बनाती है। मेरे विचार में उत्तरी क्षेत्र में यह रंगोली के समान है। मैं ठीक से नहीं जानता कि रंगोली कैसे बनाई जाती है। कोलम रंगोली की तरह ही बनता है। यह कोलम है। कोलम में इधर-उधर कुछ बिन्दु डाले जाते हैं और फिर आप इन बिन्दुओं (कोलम) के इर्द-गिर्द कुछ नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा होता है। दक्षिण भारत के अधिकतर भागों में और शायद उत्तर के कुछ राज्यों में भी ऐसा होता है। अतः मुझे बिन्दु दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बिन्दु यहां डाला है एक बिन्दु वहां डाला है और एक बिन्दु वहां डाला है। मैंने उनकी सूची बना ली है लेकिन कोलम कहां है, डिजाइन कहां है, इसका उद्देश्य क्या है? यहां तक कि मैं वहां आधुनिकता वाला कोलम भी नहीं देख सकता हूं। मैं वहां कुछ नहीं देख सकता हूं। मैं केवल बिन्दु देख सकता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा हूं।

महोदय, पिछले वर्ष, वित्त मंत्री ने कहा था और वह सभी भी थे, कि 'वर्ष के अन्त में मेरे बारे में निर्णय लीजिए।' वह सही थे। वास्तव में, हममें से कुछ लोग उनकी काफी कटु आलोचना कर रहे थे लेकिन यह वित्त मंत्री की व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी। वित्त मंत्री की आलोचना करना विपक्ष का कर्त्तव्य है ताकि वह सावधान हो जायें, वह सतर्क हो जायें वह बिना सोचे समझे सलाहकार नियुक्त न करें। इसके पीछे उन्हें सावधान करने का इरादा है ताकि वर्ष के अन्त में उनके बारे में कोई राय बनायी जा सके। उन्होंने कहा था, "वर्ष के अन्त में मेरे बारे में निर्णय लेना।" कल वर्ष का अन्तिम दिन है। उन्होंने 18 मार्च को पदभार संभाला था और कल एक वर्ष पूरा हो जायेगा। यहां तक कि वित्तीय वर्ष के अनुसार भी उनके पास पूरा एक वित्तीय वर्ष था

[श्री पी. चिदम्बरम]

और हम निश्चित रूप से हम 18 मार्च अथवा 31 मार्च को उनका आकलन कर सकते हैं। इस देश के लोग इस सरकार, वित्त मंत्री और इस सरकार के आर्थिक निष्पादन का आकलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा सरकार के एक बुरे वर्ष के साथ इसकी तुलना कीजिए। हमारे पास दो वर्ष थे 1996-97 और 1997-98। 1996-97 संयुक्त मोर्चा सरकार का प्रथम वर्ष, इस प्रथम वर्ष की तरह एक ऐसा वर्ष था जहां हमें पिछली सरकार से मिली एक विशेष स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया। हमने अपनी जिम्मेवारी कांग्रेस पर डालने की कोशिश नहीं की। हमें जिस तरह की स्थिति पिछली सरकार से मिली, हमने उसे संभाला। उनका आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को मानता है कि 1996-97 में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही जो 20 वर्षों में सबसे अधिक थी।

यह उनका आर्थिक सर्वेक्षण है न कि मेरा। लेकिन मैं 1998-99 की तुलना 1996-97 के साथ करके आपके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता हूं। हमें चालू वर्ष 1998-99 की तुलना 1997-98 के साथ करनी है और इस सरकार के कार्य-निष्पादन के संबंध में निर्णय लेना है। मैं चाहता हूं कि भा.ज.पा. के मेरे मित्र इस आलोचना को सहज स्वीकारें। हम आपकी आलोचना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम चाहते हैं आपको सरकार में नहीं होना चाहिए था - मैं ऐसा नहीं कहता - न ही इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए - मैं यह नहीं कहता - बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष क्या हुआ। आप मेजों को थपथपा कर, सत्ता चाहने वाले मंत्रियों को बचाकर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं जोकि आपकी पार्टी के नहीं हैं को बचाकर, जो कि एक-दूसरे को पत्र लिखते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इस्पात मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को लिखा था और बेचारे वित्त मंत्री को फंसा दिया। कम से कम, वह हाल ही में भा.ज.पा. में आए हैं। न तो इस्पात मंत्री, न तो वाणिज्य मंत्री और न रक्षा मंत्री—कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों के बाद वे अपना बोरी-बिस्तर बांधकर दूसरी पार्टी में चले जायेंगे। आप जिम्मेवार होंगे क्योंकि आपकी सरकार भा.ज.पा. सरकार के नाम से जानी जाती है। इसलिए कृपया हमारी आलोचना सुनिए और इसे सहज स्वीकार कीजिए।

आर्थिक सर्वेक्षण, पृष्ठ 64 के अनुसार वर्ष 1997-98 में मुद्रास्फीति की दर 4.8 प्रतिशत थी और चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 6.9 प्रतिशत है। वर्ष 1997-98 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2.2 प्रतिशत थी और चालू वर्ष में यह 19.8 प्रतिशत है जो कि नवम्बर-दिसम्बर में सबसे अधिक हो गई थी और अब यह कम हो गई है। पृष्ठ 68 में आर्थिक सर्वेक्षण में यही कहा गया है।

वर्ष 1997-98 के अन्त तक विदेशी पूंजी भंडार 26 बिलियन यू.एस. डॉलर थे और आपकी सरकार ने 4.2 बिलियन यू.एस. डालर का ऋण लिया था। यह कितना होना चाहिए? यह 30.2 बिलियन डालर होना चाहिए यह क्या है? यह केवल 27.4 बिलियन यू.एस. डालर हैं। यह दूरदर्शन पर बताया जा रहा था कि 27.4 बिलियन यू.एस. डालर 26 बिलियन यू.एस. डालर से अधिक है। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब से आपने 4.2 बिलियन यू.एस. डॉलर का ऋण लिया है तब से यह 27.4 बिलियन यू.एस. डालर हो गया है। 2.8 मिलियन यू.एस. डालर कहां गए? यह भंडार सरकार द्वारा कम किए गए हैं क्योंकि निर्यात नहीं हुआ है। आपने कोष खत्म कर दिया है और अगर आप 4.2 बिलियन अमेरीकी डालर उधार नहीं लेते तो यह राशि 26 बिलियन अमेरिकी डालर से कम होती।

वर्ष 1997-98 में विदेशी निवेश 3.19 बिलियन अमेरिकी डालर वास्तव में 3.2 बिलियन अमेरिकी डालर था, जिसमें 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में, यह केवल 1.56 बिलियन अमेरिकी डालर है अर्थात् 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 87 में यही कहा गया है।

1997-98 में विदेशी संस्थागत निवेश 1.82 बिलियन अमेरिकी डालर था और चालू वर्ष में यथा 28 फरवरी को यह (-) 682 मिलियन अमेरिकी डालर है। मार्च के पहले 15 दिनों में 300 मिलियन अमेरिकी डालर और मिले परन्तु जब तक अगले 15 दिनों में और 300 मिलियन अमेरिकी डालर नहीं मिलते तो यह नकारात्मक प्रवाह का वर्ष होगा (विदेशी संस्थागत निवेश का बहिर्गमन, न कि आगमन)।

एफ.डी.आई. के संदर्भ में आपने केवल कैलेन्डर वर्ष के आंकड़े दिए हैं। वर्ष 1997 में पूरी अवधि संयुक्त मोर्चा सरकार के अंतर्गत थी, तथा 57,149 करोड़ रुपये का अनुमोदन था। वर्ष 1998 में तीन महीनों में संयुक्त मोर्चे के चुनावों के तथा फिर भाजपा के नौ महीनों में 57,149 करोड़ रुपये से घटकर यह 25,103 करोड़ रुपये हो गया था जो आधे से भी कम है।

धन आपूर्ति की वृद्धि के संबंध में एक चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि केवल धन की अधिक आपूर्ति से ही मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, वित्त मंत्री नाराज हो गए और बोले, 'धन आपूर्ति पर हमारा नियंत्रण है, हम इसे नियंत्रण में रखेंगे।' वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 15 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत के लिए सहमति हुई थी। यह बात उस समय बताई गई थी जब वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के बोर्ड से मिले थे। वर्ष 1997-98 में धन आपूर्ति वृद्धि 15 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत से कुछ अधिक 17.6 प्रतिशत थी। इसे भी धन आपूर्ति में भारी वृद्धि समझा गया था। चालू वर्ष में यह 20 प्रतिशत है।

वास्तव में 1997-98 में औद्योगिक विकास कम हो गया था। मैं यह मानता हूं। परन्तु फिर भी यह 5.9 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में इसे बहुत ही आशाजनक 4.7 प्रतिशत आंका गया है। जनवरी-फरवरी के आंकड़ों के अनुसार यह 4.7 प्रतिशत तक नहीं पहुंचेगा। 1997-98 में सेवा क्षेत्र में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। चालू वर्ष में वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि यह 6.7 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

हम किस मापदण्ड के आधार पर निर्णय लेते हैं? किस मापदण्ड के आधार पर मंत्री जी ने पूर्व वर्ष या उससे पिछले वर्ष में अच्छे निष्पादन की बात की? जबकि अगर हम इस वर्ष में उनके निष्पादन को देखते हैं तो हमें आर्थिक निष्पादन पर उन्हें काफी कम अंक देने होंगे। मैं वित्त मंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, वे ही अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। बाहरी स्थितियां भी हैं। गठबंधन में कई समस्याएं हैं, कई ऐसे निर्णय हैं जो वे नहीं ले सकते। कई कठिनाइयां हैं। परन्तु मैं यही कहना चाहता हूं कि 1998-99 का वर्ष व्यर्थ गंवाया गया वर्ष है, इस वर्ष अवसरों को व्यर्थ गंवाया गया है।

वर्ष के आरम्भ में हमने वित्त मंत्री को सावधान किया था कि उन्होंने एक संरक्षणात्मक बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला और एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसका विकास से कोई लेना नहीं था। उन्होंने हमारी इस बात को नहीं माना। उन्होंने हमारी बात पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वह सब विपक्ष की टिप्पणी थी। वर्ष के अंत में वे मान रहे हैं कि इस वर्ष सबसे अधिक मुद्रास्फीति, सबसे कम विकास हुआ है और इससे पूरे विश्व में बहुत गलत संदेश पहुंचा है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा काफी बेहतर है। इसने देश और सरकार को सुधार के रास्ते की ओर मोड़ा। परंतु वित्त मंत्री ने सरकार को सुधारों की मुख्यधारा में नहीं रखा है। वे अब भी देश को पटरी पर ही रख रहे हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें सड़क से हट जाना चाहिए या सड़क पर चलना चाहिए। जब वे स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्रेरित होते हैं तो वे सड़क से हट जाना चाहते हैं, जब वे उदारपंथियों और सुधारकों द्वारा - ये दोनों भी सरकार में शामिल हैं - प्रेरित होते हैं तो वे सड़क पर आने की कोशिश करते हैं। वे हैमलेट की तरह भटक रहे हैं, 'करें या न करें?' मैं उनसे करने के लिए अनुरोध करता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आगे बढ़ें और एक सुधारक के रूप में जाने जाएं। मैं उन्हें वह स्मरण कराता हूं जो उन्होंने दावोस में बोला था जहां मैं श्रोताओं के बीच में था और मैंने उनकी प्रशंसा की थी तथा अपने साथियों के बीच उनकी प्रशंसा की थी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उसी तरह बोलें जैसा उन्होंने न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में बोला था। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे बताएं कि उन्होंने उस सम्मेलन में क्या कहा था जिसमें वाशिंगटन में श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाग लिया था। मैं चाहता हूं कि वे वही भाषा बोलें।

महोदय विनिमय दर 39.65 से 42.5 तक घट गई है। विनिमय दर पर अभी भी दबाव बना हुआ है। मैं कुछ महत्वपूर्ण रूकावटों की बात करना चाहूंगा जो वित्त मंत्री जी ध्यान में रखना चाहेंगे। मैं इस बजट की आलोचना क्यों करूं? मैंने सभी अच्छी बातों की सूची तैयार की है। मुझे कोई अभिप्राय या उद्देश्य दिखाई नहीं देता। मैं इस बजट की आलोचना छह आधारों पर करता हूं। पहला आधार है, वित्तीय और आर्थिक नीतियों के संबंध में प्रमुख और मूलभूत मुद्दों को बताने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बजट एक ऐसा मंच बन गया है जिस पर कई घोषणाएं की जाती हैं, ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, वाणिज्य मंत्री की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, कुछ अन्य मंत्रियों की ओर से घोषणाएं की जाती हैं, संचार मंत्री की ओर से घोषणाएं की जाती हैं जिससे डाक की दरों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह बजट घोषणाएं करने के लिए मंच बन गया है।

यह भारतीय बजटों की परंपरा रही है। परंतु वित्त मंत्री का मौलिक कर्त्तव्य मुख्य मुद्दों पर बोलना है। मुख्य मुद्दे वित्तीय नीति और आर्थिक नीति है। इनमें यह बजट पूरी तरह असफल हुआ। वे आर्थिक नीति के संबंध में अपने विचार प्रकट नहीं करते। पूछे जाने पर, वे कहते हैं 'यह रिजर्व बैंक के राज्यपाल का काम है।' यह एक सराहनीय भावना है। परंतु यह सच नहीं है। वे जानते हैं, यह सच नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को एक साथ काम करना चाहिए और आर्थिक नीतियों पर एक दूसरे से परामर्श करके काम करना चाहिए। परंतु वित्त मंत्री का बजट और बजट के बाद की गई घोषणाओं में यह कहा गया है 'मुझे आर्थिक नीति से कुछ लेना देना नहीं है। यह काम रिजर्व बैंक का है।' मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों को संशोधित करें। आर्थिक नीति के संबंध में यह बजट बहुत निराशाजनक है और हममें से बहुतों के लिए यह कुछ भ्रामक भी है।

महोदय इस वर्ष उन्होंने लेखा पद्धति बदल दी है और मैं उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। कई विशेषज्ञों के अनुसार हमारा सकल घरेलू उत्पाद कम आंका गया है। इसलिए वे सकल घरेलू उत्पाद को संशोधित करना चाहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को संशोधित करो। परंतु फिर आपको यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इस सकल घरेलू उत्पाद के संशोधनों का वास्तव में अर्थ क्या है। सकल घरेलू उत्पाद संशोधनों का अर्थ है, 'हर में अच्छी वृद्धि हो जाती है।' परन्तु वित्तीय संशोधन के लिए क्या

[श्री पी. चिदम्बरम]

निर्देश है? क्या आप वित्तीय संशोधन कर रहे हैं? हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए। मेरा आशय यह है कि इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। इसमें कांग्रेस, भाजपा और संयुक्त मोर्चा की विचारधारा की बात नही है। वित्तीय संशोधन आवश्यक है। वित्तीय संशोधन केवल आंकड़ों में ही हैं। क्या आपने वित्तीय स्थिति सुधार दी है? ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भाषण से लिए गए हैं। मैंने पुराने सकल घरेलू उत्पाद आधारित वित्तीय घाटे और नए सकल घरेलू उत्पाद आधारित वित्तीय घाटे का अध्ययन किया है। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल कांग्रेस के आखिरी वर्ष, संयुक्त मोर्चा के दो वर्ष और भाजपा के पहला वर्ष और अगला आने वाला वर्ष को लूंगा।

पिछले वर्षों में, 1995-96 में, यह 5.4 प्रतिशत है। 1996-97 के दौरान यह 5.2 प्रतिशत है। 1997-98 के दौरान यह 6.1 प्रतिशत है। 1998-99 के दौरान यह 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के अंत में पुराने सकल घरेलू उत्पाद क्रम के अंतर्गत आर्थिक वित्तीय घाटा दिखायी पड़ता है। इसलिए, किसी प्रकार का वित्तीय संशोधन नहीं किया गया है।

अब हम नए सकल घरेलू उत्पाद क्रम पर गौर करें। वर्ष 1995-96 के दौरान यह 4.9 प्रतिशत है। 1996-97 के दौरान यह 4.7 प्रतिशत है पिछले 10 वर्षों में सबसे कम वित्तीय घाटा। वर्ष 1997-98 के दौरान यह 5.5 प्रतिशत था। 1998-99 के दौरान यह 5.9 प्रतिशत है।

इसलिए चाहे नए क्रम में हो या पुराने में कोई वित्तीय संशोधन नहीं किया गया है। वित्तीय घाटा होता रहा है। यह वर्ष भी बीत रहा है। अगले वर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वे अगले वर्ष वित्तीय घाटा पूरा कर लेंगे? पुराने क्रम के अंतर्गत, वर्तमान राजस्व मूल्यांकनों पर, जिसके बारे में मुझे आशंका है और वर्तमान व्यय मूल्यांकन जिसके बारे में मुझे दोहरी आशंका है वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुराने सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत वित्तीय घाटा 6.0 प्रतिशत हो जाएगा और नए सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत यह 5.6 प्रतिशत होगा। उन्होंने 4.4 और 4 के आंकड़े दिए थे और दूरदर्शन ने इस पर ग्राफ पर ग्राफ दर्शाए हैं। किंतु पाद टिप्पण में दर्शाई गई 25,000 करोड़ रुपये की राशि को वित्तीय घाटे में शामिल नहीं किया गया है। बजट के पृष्ठ एक पर पाद-टिप्पण पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि 25,000 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है। यदि इस 25,000 करोड़ रुपये को भी जोड़ दिया जाए तो पुरानी श्रृंखला में आपके वित्तीय घाटे का आरंभिक बिन्दु 6.0 प्रतिशत होता और नई शृंखला में 5.6 प्रतिशत होता किंतु आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं करेंगे।

उदाहरणार्थ, पिछले वर्ष आपने कम लक्ष्य रखा था किंतु यह 6.5 प्रतिशत रहा। इस वर्ष आप पिछले वर्ष के लक्ष्य से अधिक 6.0 प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं और यह 6.5 प्रतिशत नहीं रहेगा। यह 7.0 प्रतिशत रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कि यह किस प्रकार लगभग 7.0 प्रतिशत रहेगा।

महोदय, मैं इस बजट की पहली आलोचना यह करता हूँ कि इसमें वित्तीय संशोधन मौद्रिक नीति पर ध्यान नहीं दिया है। अभी भी इसमें सुधार करने का वक्त है। अभी भी उनके विचारों को समझने का वक्त है।

दूसरी आलोचना यह है कि इस बजट में औद्योगिक वृद्धि के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। इस संबंध में 'दि हिन्दू' में एक प्रशंसनीय सम्पादकीय छपा था और इस बारे में मैंने भी एक लेख में लिखा था। औद्योगिक वृद्धि के लिए केवल चार उत्प्रेरक है। पहला मांग में वृद्धि होनी चाहिए या विदेशी निवेश का आगम या घरेलू निवेश में वृद्धि हो या नए निवेश के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। यह बजट क्या करता है?

इस बजट में आय कर, सीमा शुल्क, निगमित कर पर अधिभार लगाया गया है और आधी वस्तुओं पर औसत सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गयी है जिससे वित्त मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में वे उत्पाद शुल्क से काफी धन प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी कर में कमी नहीं की जा रही है। मांग में वृद्धि, उद्योगों के लगाये जाने और घरेलू निवेशकों को निवेश करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है? आवास क्षेत्र के लिए प्रयासों जिसमें 18 से 24 माह तक लग जाएंगे, के सिवाए इस बजट में औद्योगिक वृद्धि के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

तीसरी आलोचना यह है कि वित्त मंत्री ने कराधान व खर्च की नीति जारी रखी है। चालू वर्ष में उन्होंने 9000 करोड़ रुपये कर थोपे। नए बजट में उन्होंने 9,334 करोड़ रुपये के कर लागू किए। यह कर व खर्च की नीति साठ व सत्तर के दशक में अपनाई जाती थी। यह नीति पहले खर्च करो व फिर लोगों पर कर लगाओ की है। वित्त मंत्री कराधान व खर्च की नीति जारी रखते हैं जो मेरे विचार से गलत है।

चौथी आलोचना यह है कि पिछले वर्ष के बजट की तरह यह बजट भी मुद्रास्फीति कारक है। पिछले वर्ष जब मैंने कहा था कि बजट मुद्रास्फीति कारक है तो आपने मेरा मजाक उड़ाया था। मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और श्रीमती सुषमा स्वराज आपकी हार सहित तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के लिए केवल वित्त मंत्री ही उत्तरदायी है। इस वर्ष भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

मुझे आशा है कि इस वर्ष आप प्याज और आलू की कीमतें काबू में रखेंगे। किंतु यदि आप आलू-प्याज की कीमतों को काबू में रखेंगे तो शायद आप चीनी या गेहूं या दालों जैसी अन्य वस्तुओं के मामले में गलती करेंगे।

पांचवीं आलोचना यह है कि निर्यात के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। इस बजट में निर्यात के लिए क्या किया गया है? निर्यात के लिए कुछ नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें कम कर दी है। किंतु आपने निर्यात के लिए क्या किया है? कुछ नहीं।

अंतिम आलोचना यह है कि बजट का एक हिस्सा संकेत देता है कि सरकार पुन: आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रही है जबकि बजट से दूसरा संकेत मिलता है कि आर्थिक सुधारों को पीछे की ओर धकेलने वाले हैं हो सकता है आप सुधारों को जारी न रख सकें। किंतु आप सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं आप संकेत दे रहे हैं कि सुधारों को पीछे ले जाने वाले हैं। निगमित कर, आय कर पर अधिभार लगाकर, करदाताओं में अनिश्चितता पैदा कर, सीमा शुल्क पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाकर और औसत टैरिफ में वृद्धि कर आप विश्व में यह गलत संकेत दे रहे हैं कि भारत में सुधारों की प्रक्रिया न केवल रुक गई है अपितु कुछ सुधार विपरीत दिशा को ले जाने वाले हैं। एक बार ऐसा संकेत मिल जाने पर इस देश में कोई विश्वास नहीं करेगा।

इन छह आधारों पर मैं इइस बजट की आलोचना करता हूँ और विनम्रतापूर्वक वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपना उत्तर देने से पूर्व इनमें से कुछ नीतियों की पुनरीक्षा करें।

मेरी एक या दो विशिष्ट शिकायतें हैं। देखिए, आपने कपड़ा उद्योग के लिए क्या किया है। मुझे विश्वास है कि इस बारे में आपको खूब आलोचनाएं प्राप्त हो रही होंगी। पहले धागे पर 5.75 प्रतिशत उत्पाद शुल्क था। कपड़ा उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। मेरे गणमान्य मित्र ने कुछ मिनट पूर्व इसका उल्लेख किया था। चालू बजट में धागे पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 9.2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए उत्पाद शुल्क बढ़ाने से सबसे पहले धागा प्रभावित हुआ है। दूसरी और इस देश में कपास शून्य प्रतिशत शुल्क पर आता है। अब कपास 5.5 प्रतिशत शुल्क पर लगेगा। एक ओर आप कपास पर सीमा शुल्क लगाते हैं और दूसरी ओर आप कपड़े पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करते हैं और फिर कहते हैं कि कपड़ा उद्योग का उन्नयन व सुधार किया जाएगा और इसका विकास होगा। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में आपको भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर गौर करें।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): उन्हें क्या करना चाहिए?

श्री पी. चिदम्बरम: उन्हें इन शुल्कों को वापस पुराने स्तर पर लाना चाहिए। मैं "रोल बैक" अभिव्यक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहता किंतु उन्हें इन शुल्कों को वापस पुराने स्तर पर लाना चाहिए।

इस बजट की दूसरी विशिष्ट आलोचना यह है कि राजस्व और व्यय के बारे में आपके द्वारा दिए गए आंकड़े संदेहास्पद हैं। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूँ। यह बहुत दिलचस्प है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लेंगे। वर्ष 1997-98 में भारत सरकार ने 37,86,865 व्यक्तियों को नियोजित किया। मैं भारत सरकार की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूँ। भारत सरकार ने 37,86,865 व्यक्ति नियोजित किये और यात्रा पर 757 करोड़ रुपये खर्च किए। मैं इन आंकड़ों के संदेहास्पद होने के संबंध में मात्र एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1998-99 के चालू वर्ष में भारत सरकार ने 39,02,303 व्यक्ति नियोजित किये जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,16,000 करोड़ अधिक है और यात्रा बजट 757 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 1155 करोड़ रुपये हो गया है। इस यात्रा बजट का अधिकांश हिस्सा दिल्ली से चेन्नई और दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा पर खर्च किया गया। मैं उस बात को समझ सकता हूँ। यह लगभग 50 प्रतिशत है। अगले वर्ष सरकार 39,45,797 व्यक्तियों को नियोजित करेगी अर्थात 43000 व्यक्तियों की वृद्धि होगी लेकिन यात्रा बजट 1155 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा अपितु यह कम होकर 1116 करोड़ रुपया रहेगा। वे चाहते हैं कि हम इन आंकड़ों पर विश्वास करें *...(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (बापतला): हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि उन्होंने सचिव के चार पद समाप्त किए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, रेलवे किराया दरों में वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा किराये में शीघ्र वृद्धि होगी। फिर यात्रा बजट कम कैसे होगा? आप चाहते हैं हम इन आंकड़ों पर विश्वास करें।

मैं एक के बाद एक प्रत्येक शीर्ष के प्रत्येक आंकड़े दे सकता हूँ। व्यय में कटौती नहीं होगी। मैं आपको सकल आंकड़े भी बताऊँगा। सकल आंकड़ों पर गौर करे। वर्ष 1997-98 में भारत सरकार का कुल व्यय 2,32,068 करोड़ रुपया था। वर्ष 1998-99 में कुल व्यय 2,81,912 करोड़ रुपये का जो 1997-98 की तुलना में 49,844 करोड़ रुपये या मौटे तौर पर 50,000 करोड़ रुपये अधिक था। अत: पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। अगले वर्ष क्या होगा। माननीय वित्त मंत्री चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि कुल व्यय में मात्र 1,970 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, यदि

[श्री पी. चिदम्बरम]

हम पाद टिप्पण में छिपाई गई 25,000 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल करे तो यह कुल 26,970 करोड़ रुपये होता है। आप, मैं और सभी लोग इसे जानते हैं। कुल व्यय वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे जितने आंकड़े आपने दिए हैं।

राजस्व पर गौर करें। आपने लगभग 6.5 प्रतिशत की सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद दर का अनुमान लगाया है, आपने लगभग 6 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अत: सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि केवल 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यदि सकल घरेलू उत्पाद पर 12.5 प्रतिशत रहेगी तो आप सीमाशुल्क में 18 प्रतिशत व उत्पाद शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? इसलिए ये आंकड़े संदेहास्पद हैं। आप राजस्व के इन आंकड़ों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे और आप व्यय को इस स्तर पर सीमित नहीं रख सकेंगे। इसलिए आप अपना वित्तीय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष की तरह आपका वित्तीय लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा चूँकि सकल घरेलू उत्पाद की पुरानी शृंखला के अंतर्गत आपको आरंभ से ही छह प्रतिशत वित्तीय घाटा है। अत: यह लगभग सात प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

अब इस सरकार के कार्यनिष्पादन व अगले वर्ष के इसके प्रस्तावों पर एक सरसरी निगाह दौड़ाए। उदाहरणार्थ, कृषि को ही लें। चालू वर्ष में कृषि पर होने वाले व्यय का बजटीय अनुमान 3,864 करोड़ रुपया था किंतु बजट अनुमान में से केवल 2776 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। इस सरकार ने लगभग 1100 करोड़ रुपये कम खर्च किए। ग्रामीण विकास के लिए बजट में 5,881 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान था किंतु सरकार ने केवल 5,563 करोड़ रुपये खर्च किए और अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान केवल 5408 करोड़ रुपया है जो इस वर्ष के व्यय से कम है।

बजट में ग्रामीण रोजगार पर 4085 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान रखा गया था किंतु उन्होंने केवल 4050 करोड़ रु. खर्च किए, अगले वर्ष उन्होंने केवल 3795 करोड़ रु. खर्च करने की योजना बनायी है। क्या यह सरकार कृषि के प्रति वचनबद्ध है? क्या यह सरकार ग्रामीण विकास के प्रति वचनबद्ध है? क्या यह सरकार ग्रामीण रोजगार के प्रति वचनबद्ध है? आँकड़े तो यह नहीं दर्शाते।

विद्युत का ही मामला लीजिए। केन्द्रीय योजना परिव्यय 10,905 करोड़ रु. का था; वास्तविक खर्च केवल 8,822 करोड़ रु. का था। विद्युत मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। किसी को उनसे पूछना चाहिए कि वह उसे खर्च क्यों नहीं कर पाए। पैट्रोलियम के मामले में योजना में आबंटित धनराशि 14,732 करोड़ रु. थी; लेकिन वास्तविक खर्च केवल 11,938 करोड़ रु. था। पैट्रोलियम मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। किसी को उनसे पूछना चाहिए। उद्योग के संबंध में योजना में आबंटित धनराशि 11,550 करोड़ रु. थी और वास्तविक व्यय 7955 करोड़ रु. था। उर्वरक के मामले में योजना में आबंटित धनराशि 2249 करोड़ रु. थी और वास्तविक व्यय 989 करोड़ रु. था। परिवहन के मामले में योजना में आवंटित धनराशि 16,185 करोड़ रु. थी और वास्तविक व्यय केवल 14,397 करोड़ रु. था। सड़कों के मामले में, योजना में आबंटित धनराशि 2230 करोड़ रु. थी और वास्तविक व्यय केवल 1648 करोड़ रु. था। सामाजिक सेवाओं के मामले में योजना में आवंटित धनराशि 18,310 करोड़ रु. थी और वास्तविक व्यय 16,412 करोड़ रु. था।

यदि आप विद्युत, पैट्रोलियम, उद्योग, उर्वरक, परिवहन और सड़कों पर खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि आप कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सेवाओं पर खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि इस देश के निर्धनों का ध्यान रखा जाएगा? आप एक आईना मेरे सामने रख दीजिए और एक आईना डा. मनमोहन सिंह के सामने रख दीजिए और फिर कहिए कि इस एक वर्ष में यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। हम इस बात की शेखी नहीं बघारते कि हमारी सरकार स्थिर सरकार है और हमारे पास प्रधान मंत्री एक योग्य प्रधानमंत्री है। ऐसी डींगे आप ही मारते हैं। हम सामान्य लोग हैं और हमने अपने पाँव जमीन पर टिकाये हुए हैं। हम आपकी तरह सक्षम नहीं हैं। हमने अपनी ओर से जितना हो सका उतना अच्छा कार्य किया। लेकिन आपके पास एक योग्य प्रधानमंत्री है और एक स्थिर सरकार है; और जो कमियाँ हैं, वह स्वदेशी जागरण मंच की दी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ब्रिगेड का नेतृत्व उग्रपंथी करे तो आपकी ब्रिगेड का नेतृत्व करने के लिए बजरंग दल है। विश्व हिन्दू परिषद है, गुजरात की हिन्दु मुन्नानी है।

हम भगवान के प्रिय पात्र नहीं है और आप भगवान के प्रिय पात्र हैं। आप भगवान राम के निकट है। हम बहुत दूर हैं। इसलिए, आपको बेहतर कार्य करना चाहिए। लेकिन आपका कार्य निष्पादन कहाँ है? विद्युत, पैट्रोलियम उद्योग, उर्वरक और परिवहन के क्षेत्र में आपका कार्य निष्पादन कहाँ है? ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? ग्रामीण रोजगार में आपने क्या कार्य किया?

तमिलनाडु में दो विशेष परियोजनाओं की ओर देखें। मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड मद्रास के उपनगर में स्थापित प्रमुख रिफाइनरी है। चालू वर्ष में इसमें योजनागत निवेश के लिए योजनागत आबंटित धनराशि 804 करोड़ रु. थी; वास्तविक निवेश 456 करोड़ रु. था। क्यों? मैं पूछता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पैट्रोलियम मंत्री कहाँ हैं? अगले वर्ष, वह और 462 करोड़ रु. निवेश करने

की योजना बना रहे हैं। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन पर विचार करते हैं। योजना के अंतर्गत इसमें निवेश के लिए 1112 करोड़ रु. आवंटित किये गए थे और वास्तविक निवेश 750 करोड़ रु. का हुआ था। मैं कोयला मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्यों? तमिलनाडु राज्य में यह दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएँ हैं।

भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का चालू वर्ष के लिए योजनागत निवेश 500 करोड़ रु. था; जबकि वास्तविक निवेश 101 करोड़ रु. का हुआ था। यदि विधि मंत्री यदा कदा इस बात को याद करें कि वह जल भूतल परिवहन मंत्री भी हैं और वह विधि मंत्रालय पर कम ध्यान देकर कुछ ध्यान जब भूतल परिवहन मंत्रालय को दें तो दोनों मंत्रालय ठीक से चलेंगे।

श्री कल्पनाथ राय: ऐसा क्यों है?

श्री पी. चिदम्बरम: आप उनसे पूछिए।

महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। मुझे हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन के साथ अपना भाषण समाप्त करना है।

आप सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं। आप कोई छोटे आदमी नहीं हैं। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गाँधी के नाम पर ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बहुत नम्रता से पूछता हूँ। 17 वर्ष तक जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री रहे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: उन्होंने उनके अधीन कार्य किया।

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम्): वह बहुत मामूली लोग हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: भारत के लोग उनको प्यार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका आदर करते हैं। वह उच्च योग्यताओं से सम्पन्न व्यक्ति थे; उन्होंने इस देश का संचालन किया। उन्होंने नौ वर्ष जेल में काटे।

उनतीस वर्ष की आयु से, वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, जब वह जेल में थे तब उनके बच्चे का जन्म हुआ और उन्होंने अपने बच्चे को तब देखा जब वह जेल तक आने लायक हो गया। आप उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानते हैं जिसका वे वर्णन करते हैं। सत्रह वर्ष तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गाँधी जिनको श्री वाजपेयी जी ने भारत की दुर्गा कहा था, सोलह से सत्रह वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही थीं। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक रोजगार कार्यक्रम का नाम जवाहर रोजगार योजना रखा, न कि नेहरू; और एक आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना रखा।

यह वे लोग थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गाँधी का बहुत दृढ़ता से विरोध किया था। वे भी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गाँधी के नाम को हटाने तक नीचे नहीं गिरे। आपके मित्र के रूप में, आपके साथी के रूप में और आपके पूर्ववर्ती के रूप में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने कार्यालय के सम्मान और गरिमा को इतनी दीनता, विचार-हीनता और अपने दल के कुछ सदस्यों के घटियापन के हवाले मत करें। मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनती करता हूँ कि आप जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गाँधी के नाम को फिर से जोड़ें ...*(व्यवधान)* आप नयी परियोजना का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखिए और दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल वर्मा, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: गुजरात में अहमदाबाद हवाई-अड्डे का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है, मैं सरदार पटेल की स्मृति का अभिवादन करता हूँ। भुवनेश्वर में हवाई-अड्डे का नाम बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है, मैं श्री बीजू पटनायक की स्मृति का अभिवादन करता हूँ। ...*(व्यवधान)* हमने ऐसा किया। यदि वित्त मंत्री नयी परियोजना का नाम दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखना चाहते हैं तो मैं दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति का अभिवादन करता हूँ। लेकिन मेरे मित्र, कृपया अपने कार्यालय की गरिमा को अपने कुछ साथियों द्वारा प्रदर्शित शुद्रता के हवाले न करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। भूतपूर्व वित्त मंत्री का भाषण सुनने के बाद मैं अभी भी यह महसूस कर रहा हूँ कि श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा प्रस्तुत इस बजट की सिर्फ इस कारण से सराहना की जानी चाहिए क्योंकि पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पिछले इक्यावन वर्षों से वित्त के कुप्रबंध के कारण देश द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बावजूद ग्रामोन्मुख बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की जो कि आम लोगों के लिए लाभकारी होगा और उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

मैं उन्हें उसके लिए बधाई देता हूँ। सिविल अधिकारी और निचले तबके के नेता के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें एक ऐसा

[श्री प्रभात कुमार सामन्तराय]

बजट प्रस्तुत करने को प्रेरित किया जो कि भारत के लोगों के लिए है। मैं उनकी महानता को याद करता हूँ। जब वह सिविल अधिकारी थे। एक बार मुझे भूतल परिवहन मंत्रालय में उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम दोनों बन्दरगाह तथा बन्दरगाह पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए हुए समझौते में पत्रकार और हस्ताक्षरी थे। मुझे उनकी नीचता से वाकिफ होने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो नीचता उन्होंने इस बजट में दिखाई है वह वास्तव में भारत के उपेक्षित लोगों के भले के लिए है।

इस बजट के ब्यौरे में जाने से पहले मैं छोटी सी बात का उल्लेख करना चाहूँगा। वर्ष दर वर्ष, इस देश में बजट प्रस्तुत होते रहे हैं। दो घंटे पूर्व, हम इस सभा में एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसमें पूरी सभा उठ खड़ी हुई थी। जनता के प्रतिनिधियों के लिए दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करना अथवा बातचीत करना इतना अधिक अनावश्यक हो गया है। सभा में सदस्यों की उपस्थिति लोगों की बजट को जानने की इच्छा नहीं दर्शाती। वर्तमान वित्त मंत्री के बजट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा उन गड़बड़ियों के कारण है जो बजट में किए गए बड़े बड़े वादों के कारण उत्पन्न हुई थी। यह सत्य है कि मंत्री महोदय ने वित्तीय घाटे को कम करके इस देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। उनका उद्देश्य है मानव संसाधन विकास कार्यक्रम पर ध्यान देना और इस तरह निर्धनों को अधिकार देना है। उन्होंने कृषि तथा ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में भी कुछ करने की भरसक कोशिश की है।

सायं 7.48 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

वित्त मंत्री द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा करने के बजाय आलोचना की जा रही है कि देश की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि हम वित्त मंत्री द्वारा किये गये वायदों को पूरा नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वर्तमान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है अथवा वह सरकार जिम्मेदार है जिससे पिछले 45 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है बड़े बड़े वायदे किये हैं, गरीबों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं है? पिछली सरकार के कार्यों ने इस देश की वित्तीय स्थिति को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया? जहां तक स्थिति का संबंध है, अपने पड़ोसी देशों के सम्मुख खड़ा तक नहीं हो सकता है। मैं बजट की विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा अन्यथा मैं सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा।

बजट के उद्देश्यों और बेरोजगारी की समस्या, जिसका देश सामना कर रहा है, के बारे में मुझे थोड़ी आशंका है।

महोदय, भारत में हाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर हो गई है। बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों और शिक्षित लोगों में भी व्याप्त है। आंकलनों के अनुसार स्नातकोत्तर, शिक्षित इंजीनियर और तकनीकीविद् सहित लगभग 8 मिलियन लोग इस देश में बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की यह स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के विद्यमान प्रस्ताव से मुझे कुछ आशंका है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

महोदय, 1958 में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करने के लिए इसी संसद ने औद्योगिक संकल्प पारित किया था। कुछ समय की अवधि में देश ने सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में बड़ी धनराशि का निवेश भी किया और काफी विशाल अवसंरचना का सृजन भी किया गया। अब इस क्षेत्र में बाजार के खुल जाने से हम विनिवेश करने जा रहे हैं। इस बजट में यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश से 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्ति के लिए प्रावधान कर रही है। धीरे धीरे विनिवेश करते हुए गैर-सामरिक इकाइयों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के निजीकरण की सरकार की नीतियों सभी स्तरों पर बुरी तरह असफल रही है। चाहे यह अपेक्षित धनराशि का सृजन है अथवा स्वस्थ और पारदर्श प्रबंधन सुनिश्चित करना हो अथवा निवेशकों में आत्म विश्वास को बनाना हो। स्टाक मार्केट की तो बात ही क्या। ऐसा लगता है कि नीतियां बनाने और वास्तविक विनिवेश की प्रक्रिया में निजीकरण के उद्देश्य बहुत पहले खो गए हैं। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में सरकार का कुल निवेश 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है और संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध कुल धनराशि 5,00,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

महोदय, मैं आई सी आई सी आई के प्रबंधन का एक छोटा सा उदाहरण देकर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक वित्तीय संस्था है। लेकिन यह लगभग एक निजी वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अन्य वित्तीय संस्थाओं और जीवन बीमा कम्पनियों के माध्यम से आई सी आई सी आई में कुल सरकारी इक्विटी लगभग 192 करोड़ रुपये है जो इसकी कुल पूंजी का 36 प्रतिशत बनता है। शेष धारिता भारत और विदेश के निजी निवेशकों की है। 36 प्रतिशत धारिता के प्रति सरकार ने आई सी आई सी आई को संपूर्णत: बिना किसी प्रतिभूति और गारन्टी के वित्त पोषण किया जो 15,000 करोड़ रुपये है, इसे जिसका वित्तपोषण बहुत अधिक रियायती लागत पर किया गया और जहाँ सार्वजनिक महत्व की अनेक परियोजनाओं के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।

सरकार ने अपनी धारिता को न्यूनतम करते हुए आई सी आई सी आई पर अपने नियंत्रण से सफलतापूर्वक मुक्ति पा ली है। और वह भी सरकारी खजाने में बिना कोई अंशदान किये हुए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आई सी आई सी आई के शेयरों में अल्प धारिता के कारण यह किस प्रकार सम्भव हो पाया।

कम्पनी को दिए गए योगदान के लिए उनकी सेवाओं की अभिशंसा के रूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें कम्पनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसी तर्क के आधार पर आई डी बी आई, एस बी आई, आई सी आई सीआई, सभी को इनके मुख्य कार्यकारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें चेयरमैन के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। 1997-98 के लिए उनके मुख्य कार्यकारी की वेतन 25,84,737 रु. थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। यह पूरा साम्राज्य सरकारी खजाने के धन से बनाया गया है। लेकिन चूंकि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए अन्य सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हो रहे कार्यों से तुलना किये बिना निर्णय लेते हैं। क्या हम वित्तीय संस्थाओं में ऐसी ढील और प्रबंधन के इन तरीकों को बर्दाश्त कर पाते हैं जहां इसके मुख्य अधिकारी को बनाए रखने की लागत 25,00,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होती है?

महोदय, विनिवेश के प्रयासों के बारे में मुझे कुछ आशंकाएं है। हम जानते हैं कि कम्पनी अधिनियम के अनुसार, यदि सरकारी धारिता 50 प्रतिशत से कम होगी तो वह सरकारी कम्पनी नहीं होगी और वह संसद और लेखा परीक्षा की संवीक्षा की परिधि के बाहर जायेगी और सरकारी खजाने के प्रति किसी की भी जवाबदेही नहीं होगी। इस प्रकार की परिस्थिति में यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में पहले किये गये निवेशों का विनिवेश किया जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति के लिए कोई भूमिका नहीं रह जाएगी और ये संस्थाएं किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होंगी। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन में रुग्णता है तो केवल विनिवेश से स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

मैं समझता हूं कि प्रबंधन के लिए तीन कारक अथवा घटक जिम्मेदार होते हैं। ये कर्मचारी, नौकरशाह और सरकार है। यदि सरकार अर्थात संसद की कोई भूमिका नहीं है और यदि इन संस्थाओं की संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और यदि कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाता है तो जवाबदेही नौकरशाहों पर आ जाएगी जो वर्षों से उसका निरीक्षण और मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: बोर्ड में प्रतिनिधित्व जारी रखेंगे क्योंकि सरकार को इसके न्यूनतम शेयर रखने होंगे और उस स्थिति में भी वही नौकरशाह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही वे ज्यादा शेयर वाली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसका वे प्रबंध नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में विनिवेश के पश्चात् सुधार के बारे में सरकार क्या स्पष्टीकरण देगी? यह मेरा प्रश्न है।

मेरी एक अन्य आशंका देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में है। भारत जैसा देश अमरीका और अन्य विकसित देशों की नीतियों को नहीं अपना सकता। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन और संतुलित विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उच्चस्तरीय अर्थव्यवस्था। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के ऋण देने की इस पद्धति का एम एस आई का कार्यक्षेत्र क्या रह जायेगा?

मैं सरकार का ध्यान क्षेत्रीय असंतुलन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका उड़ीसा आजकल सामना कर रहा है। विडम्बना यह है कि उड़ीसा राज्य में देश के क्रोमाइट का 98 प्रतिशत भंडार है, निकल अयस्क का 86 प्रतिशत, बाक्साइट का 70 प्रतिशत, मैंग्नीज का 28 प्रतिशत, ग्रेफाइड का 33 प्रतिशत, रेयर अर्थ का 31 प्रतिशत, लौह अयस्क का 26 प्रतिशत और कोयले का 24 प्रतिशत भण्डार है और इसके साथ ही यहाँ 56,000 कि.मी. वन भूमि है 450 कि.मी. तटीय क्षेत्र है और देश के जल संसाधनों का 10 प्रतिशत भाग यहाँ उपलब्ध है, भूमि क्षेत्र का 5 प्रतिशत, और 4 प्रतिशत मानव संसाधन होने के बावजूद भी यह नितांत गरीबी में डूबा हुआ है।

समान परिस्थितियों वाले असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों को पांचवें, छठे, सातवें और आठवें वित्त आयोगों की सिफारिश पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है।

रात्रि 8.00 बजे

उड़ीसा में 44 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं कई वित्त आयोगों ने टिप्पणी की है कि उड़ीसा की बेहतरी के लिए उसे विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए लेकिन पिछले दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा इसको नजर अन्दाज किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अभी समाप्त करेंगे?

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय: जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। प्राकृतिक संसाधनों के अलावा हर प्रकार से उड़ीसा गरीब है तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों क्षेत्रों में गरीबी की दुर्दशा अधिक दिखायी देती है और दिल दहलाने वाली है। उनकी समस्याओं को पर्याप्त निधियाँ उचित दृष्टिकोण और अनुरूप संस्थागत संरचना के माध्यम से शीघ्रता और गम्भीरता से निपटाये जाने की आवश्यकता है।

[श्री प्रभात कुमार सामन्तराय]

महोदय, उनकी गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से इन लक्षित ग्रुपों की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देने के लिए किसी भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सामन्तराय, अब आपको समाप्त करना होगा।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय: महोदय, बस मैं समाप्त कर ही रहा हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए कार्यवाही करें और विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वे सुविधाएं देश के इस पिछड़े क्षेत्र को भी यथाशीघ्र दी जाये।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मुझे दिया गया समय बहुत कम है मैं अपने आपको बजट की मुख्य नीति दृष्टिकोण पर सीमित रखूंगा।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर ठीक ही दिलाया है कि बाजार अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में गम्भीर दौर से गुजर रही है।

उन्होंने कहा है:

"1998 का वर्ष विश्व में अभूतपूर्व अशांति का वर्ष रहा है।"

महोदय, मैं विश्व में अभूतपूर्व संकट पर माननीय वित्त मंत्रीजी के मूल्यांकन के साथ सहमत हूं। मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि उन्होंने आर्थिक संकट विशेषकर विश्व भर में बाजार अर्थव्यवस्था के संकट के कारणों का विश्लेषण गहराई से नहीं किया है। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं समझता हूं कि पूरे बजट का रूप बिल्कुल भिन्न होता।

महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् 100 से अधिक उपनिवेशक देशों ने आजादी प्राप्त की थी और उन्होंने आत्मनिर्भरता की अपनी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। मैं अपने देश के विकास के पूरे इतिहास पर नहीं जा रहा हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारी प्रगति के लिए ठोस आधार तैयार किया था। हालांकि हमें रूस और अन्य समाजवादी देशों से सहायता प्राप्त हुई है और हमारे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार की गई थी।

महोदय, पहले की साम्राज्यवादी ताकतें नहीं चाहती थी कि विकासशील देश औद्योगिक रूप से प्रगति करें। पंडित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि सभी गुटनिर्पेक्ष राष्ट्र पहले की साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़े। लेकिन पूर्व के साम्राज्यवादी देशों ने हमारे बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए जाल बिछाया हुआ है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वह जाल अब हमारे देश में भी बिछा हुआ है।

जब हम आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते हैं तो अत्यन्त बेचैन करने वाला तथ्य यह है कि हमारे औद्योगिक विकास में तीव्रता से गिरावट आ रही है इस गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं? इसके कई कारण हैं। हमारे लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आ रही है। जब तक लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं की जाती औद्योगिक विकास में और गिरावट आएगी।

लेकिन ऐसे आन्तरिक कारकों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उरुग्वे वार्ता के माध्यम से पूर्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के जाल विश्व व्यापार संगठन में पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। ये सभी जाल हमारे औद्योगिक विकास में बाधा पहुंचाने के लिए बड़ी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप हमारी आयात नीति को लीजिए। उदारीकरण बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन हमारी आयात नीति का उदारीकरण हमारे विकास में मुख्य बाधा है।

दुर्भाग्यवश, मैं स्वीकार करता हूं कि जब हम विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की बात करते हैं तो हमारे एकाधिकार प्राप्त घराने भी उसका हिस्सा हैं। इसकी त्रासदी यही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू एकाधिकार प्राप्त घरानों के विकास के बारे में अत्यन्त चिन्तित थे। वे हमारे औद्योगिक विकास में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। वे बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभो में हिस्सा बांटने में अत्यन्त रुचि लेते थे। हमारे सभी एकाधिकार प्राप्त घराने अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लगभग हिस्सा हैं।

मुझे आशंका है कि हमारी नीतियां इन्हीं एकाधिकार प्राप्त घरानों जिनका प्रत्यक्ष रुझान बहुराष्ट्रीय कंपनियों में है द्वारा प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए आयात और अन्य चीजों पर ऐसा उदारीकरण चल रहा है। हमारे वित्त मंत्री महोदय के हमारी फार्मास्युटिकल कम्पनियों की सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत की हैं। उद्योग मंत्री महोदय हमारे फार्मास्युटिकल कम्पनियों के पुनर्संरचना के बारे में कह रहे हैं। हमारे पास अपने देश में अपनी औषधियों का पेटेंट कराने के लिए पर्याप्त समय है। यदि हमने अपनी औषधियों का पेटेंट करा लिया होता तो हमारी कम्पनियां बहुत विकसित हो गई होती। हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ई.एम.आर. देने के लिए इन्तजार किया। यदि हमारी औषधियां पेटेंट की होती तो हमारी कम्पनियां फलफूल

रही होती। अब आपने ई.एम.आर. की अनुमति दी है और हमारी औषधियां अभी तक पेटेंट नहीं हुई हैं। हमारे फार्मास्युटिकल का भविष्य क्या है जब बाजार पर विदेशी कम्पनियों का कब्जा है।

जैसाकि आप जानते हैं जब आयात शुल्क में कमी की गई तो कई फैक्टरियों ने पाया कि उनके लिए चालू रहने में पर्याप्त कठिनाई है। उदाहरण के लिए सबसे मशहूर कम्पनी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को लीजिए। एक समय था जब नेहरू जी ने कहा था कि एच एम टी हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हीरा है। लेकिन दूसरे देशों में सस्ती कम महत्व की मशीनों ने आयात के कारण एच एम टी के लिए अपने आप को चालू रखने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। दूसरे देशों से अत्यन्त सस्ती कम महत्व की मशीनों के आयात करने की आवश्यकता क्या थी?

हमारे यहां 'भेल' है, एच एम टी है। हमारी गलत आयात नीतियों के कारण इन सभी कम्पनियों को चालू रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। आप एफ ए सी टी का उदाहरण लीजिए। हमने माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री से बार-बार अनुरोध किया है कि कचरोलएक्टम पर आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था लेकिन हमने देखा है कि सरकार ने न केवल आयात सुल्क में वृद्धि की है बल्कि इस समय उन्होंने और 5 प्रतिशत की कमी की है। एफ ए सी टी किस प्रकार जीवित रह सकती है? आप रबड़ इकाई का उदाहरण लीजिए। प्रयोग किये गये टायरों का आयात किया जा रहा है। फ्यूरोलिक का आयात किया जा रहा है। यदि ये आयात इसी प्रकार चलते रहे तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार हो सकता है? यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बाजार पर आधिपत्य रहेगा तो हमारे उद्योगों के विस्तार या विकास की गुंजाइश कहां है? अत: हमारी आत्मनिर्भरता, हमारे मूल आर्थिक ढाँचे को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। हमारे बाजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों से भरे जा रहे हैं क्योंकि हमारे एकाधिकार प्राप्त घरानों को उनमें लाभ का हिस्सा मिल रहा है। अत: वे उनके साथ हैं। इसकी त्रासदी यही है। उनका प्रभाव केन्द्रीय सरकार की आर्थिक नीति में भी दिखायी देता है। अत: हमें उनका विरोध करना है। हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इनका कड़ा विरोध करना पड़ेगा।

महोदय, आप बजट को पढ़िए। आयकर पर अधिभार लगाया गया है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि 4000 करोड़ रुपये में से निगमित क्षेत्र केवल 600 करोड़ रुपये अदा करेगा उनका हिस्सा 2300 करोड़ रुपये होना चाहिए लेकिन माननीय वित्त मंत्री द्वारा 1700 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिये जाने के कारण वह केवल 600 करोड़ रुपये ही अदा करेगा। वास्तव में आयकर पर अधिभार के द्वारा निगमित क्षेत्र को केवल 600 करोड़ रुपये ही अदा करने पड़े हैं जबकि वेतनभोगी लोगों, मध्यम वर्ग अथवा उन लोगों को जिनकी आप 60,000 रुपये प्रतिवर्ष है को 2500 रुपये अधिभार के रूप में अदा करने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राघवन आपके दल को 10 मिनट का समय दिया गया था आपने पहले ही 4 मिनट ले लिये हैं अब आज समाप्त कीजिए।

श्री वी.वी. राघवन: महोदय मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। इस बजट द्वारा आम व्यक्ति पर बोझ बढ़ेगा। बजट से पूर्व सरकार के चावल गेहूं और चीनी के निर्धारित मूल्य घोषित करके इनके मूल्यों में वृद्धि की है। यह कदम इस सदन में अधिकारों का अतिक्रमण है। अत: संसद में राष्ट्रपति जी द्वारा अभिभाषण दिये जाने से केवल दो सप्ताह पूर्व निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की गई। इस वर्ष, ये मूल्य और बढ़ेंगे। इस बजट प्रस्तावों के कारण आम व्यक्ति को अत्यधिक भार वहन करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पर नहीं, बल्कि सरकार पर इन्हें छोड़िए।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी (आदिलाबाद): धन्यवाद महोदय। हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्षों में पहली बार, एक नई पहल के रूप में माननीय वित्त मंत्री ने अपराह्न 5.00 बजे की बजाय पूर्वाह्न में बजट प्रस्तुत किया।

मैं माननीय प्रधान मंत्री को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, आर ए डी एफ-6 पर अधिक बल देने तथा कताई क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयन, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में अधिक जोर देने जैसी कुछ चीजों के लिए बधाई देता हूँ। आवास के क्षेत्र में भी कार्यवाही की गई है।

मुझे खुशी है कि जलसंभरण विकास कार्यक्रम जैसी नई पहल भी कृषि क्षेत्र में की गई है। उसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी आवश्यक बना दी गई है। इस प्रणाली पर स्थानीय लोगों की मदद से काम किया जाएगा। इसमें तीन वर्ष की अवधि में लगभग एक सौ जिलों को शामिल किया जाएगा।

पिछले वर्ष के बजट में, आप देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में यह राशि 3684 करोड़ रुपये थी और 2736 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। यह अंतर 1100 करोड़ रुपयों के लगभग है। इस अंतर पर जोर देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष पिछड़े जिलों, पहाड़ी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जाए जहां अभी तक जल संभरण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जल-संभरण विकास कार्यक्रम को पिछड़े जिलों

[डा. एस. वेणुगोपालाचारी]

में कार्यान्वित किया जाए विशेषकर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले में इसे कार्यान्वित किया जाए जो एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रणाली में जल संभरण व्यवस्था को भी शामिल किया जाए।

महोदय पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय राज्य को इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए थे क्योंकि देश भर में कई परियोजनाएं शुरू की गई थी परन्तु धन की कमी के कारण सभी परियोजनाओं पर काम नहीं किया जा सका था। इसलिए, इस त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राज्य में लंबित पड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहें और तदनुसार ए.आई.बी.पी. निधि के अनुसार उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

आर ए डी एफ-6 में लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निस्संदेह इस बजट में लगभग 3,5000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अधिक जोर दिया जाए और आर ए डी एफ-6 के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये जोड़े जाएं।

सरकार द्वारा शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली से निश्चित ही किसानों को लाभ होगा। परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए जिससे देश के गरीब किसानों को इस स्कीम से लाभ होगा। इस स्कीम के कार्यान्वयन से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सभी बैंकरों और राजस्व तथा कृषि अधिकारियों को बुलाकर एक समयबद्ध योजना के समन्वय के लिए कहे।

फसल बीमा योजना को भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी हमने देखा है कि देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या की गई है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सोयाबीन, कपास और मिर्च इत्यादि जैसी फसलों के लिए फसल बीमा योजना को कार्यान्वित किया जाए।

महोदय, प्याज के मुद्दे से हमारे देश में कई राजनैतिक परिवर्तन आए हैं। सरकार लगभग 40,000 टन प्याज का भंडारण करने की क्षमता का प्रस्ताव करती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि प्याज के मुद्दे पर गौर किया गया है परन्तु आलू इत्यादि जैसी अन्य फसलों का क्या होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर भी जोर दिया जाए।

महोदय, छह प्रकार की नीति की घोषणा की गई थी जैसे दो वक्त का भोजन, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा और रोजगार, आवास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अन्नपूर्णा योजना। इस समस्या का समाधान करने का यह एक अच्छा प्रयास है। इस पर नोबल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेन ने भी जोर दिया है जो सामाजिक संरचना के लिए अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन करके लोगों का वास्तविक विकास करना चाहते थे।

मुझे खुशी है कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा चालू की गई स्कीमों को आवंटित धन में से केवल 10 प्रतिशत ही इसके लाभ पाने वालों तक पहुंच रहा है। इस धारणा के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने एक समुचित कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक तीन महीने में एक बार संबंधित अधिकारी और गैर अधिकारी गांवों का दौरा करके समस्याओं को समझते हैं। उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार सरकार भी ग्रामीण सामुदायिक कार्यक्रमों को अधिक से अधिक महत्व दे रही है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में गांवों और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएं। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल के दौरान यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक विभाग को अपनी निधियों का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों को देना चाहिए। इस प्रकार यह सरकार भी दस प्रतिशत दे रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक जोर देने का अनुरोध करूंगा। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए जहां उग्रवादियों की समस्या के कारण परियोजनाएं और उद्योग नहीं लग रहे हैं; कोई भी उद्यमी फैक्टरियों की स्थापना के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संचार के और विकास के लिए ऐसे उग्रवादी क्षेत्रों में सड़कें बनाने पर अधिक जोर दिया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से विद्युत क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अधिक निधियां दिये जाने का अनुरोध करूंगा। जनजातीय क्षेत्रों में अभी तक बिल्कुल बिजली नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आर.ई.सी. के माध्यम से सभी जनजातीय क्षेत्रों और सभी गांवों में बिजली पहुंचाएं।

ये सभी प्रमुख बातें हैं। इस समय बजट की वास्तविक मांग इसमें सुधार है लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण सुधारों के दूसरे चरण में बताई गई आवश्यकताओं से सहमत है। ये सुधार बाजार के लचीलेपन; वित्तीय क्षेत्र में सुधार; और अधिक विनियंत्रण और विनौकरशाहीकरण जिसमें लघु क्षेत्र के आरक्षणों को समाप्त करना और कृषि उत्पादों पर से निर्यात प्रतिबंध हटाना शामिल है, आधार संरचना सुधार इत्यादि से संबंधित हैं। वित्त मंत्री को इस पर निर्णय करने का अधिकार नहीं था। ...*(व्यवधान)* वे अधिक वित्तीय घाटे की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): उपाध्यक्ष जी, सभी को समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: वही तो मैं कर रहा हूँ। इनको दस मिनट दिये हैं। 7 मिनट ये बोल चुके हैं और 3 मिनट बाकी हैं।

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपालाचारी: कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बहस का उत्तर देते हुए इन बातों पर भी गौर किया जाए।

इस समस्या के कारण यह कमी लगभग 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास बहुत कम है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है।

केन्द्र सरकार को राज्यों को खाद्यान्नों की आवश्यकता और स्थानीय किसानों को खाद्यान्न आवंटित करने के लिए अपनी राशि प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए, सरकार ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप और दो मिनट बोल सकते हैं। कृपया दो मिनटों के अंदर अपनी बात समाप्त करें।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी: महोदय, मैं केवल और दो मिनटों का समय लूंगा।

राज्य सरकारों को जितने भी धन की आवश्यकता होगी चाहे वह अनुपूरक अनुदान के रूप में हो या राजसहायता के रूप में केन्द्र सरकार वह देगी। उनकी निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार, राज्य सरकार यह धन खर्च करेगी। सभी विभागों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई स्कीमें हैं। कुछ राज्य इसे लागू कर रहे हैं परंतु कुछ अन्य राज्य इसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसके कारण राज्यों के पास खर्च न की गई बकाया राशि पड़ी है। हमें गाडगिल फार्मूला के अनुसार राज्यों को धनराशि आवंटित करनी है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उस धनराशि को खर्च कर सकती है। इस बात पर बल देते हुए मैं केन्द्र सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

इसके अलावा हम निरन्तर केन्द्रीय व्यय में कमी और अधिक निधियों के आबंटन की मांग कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पहलू पर अधिक बल दें।

भारत खनिज संपन्न देश है और यहां की जलवायु हमें भोजन, पर्याप्त जल और जनशक्ति सुनिश्चित करवाती है किंतु अभी भी हम इन चीजों का दोहन नहीं कर पाए हैं।

संविधान के उपबंधों के अनुसार हमें सभी को शिक्षा प्रदान करने का वायदा किया है। मुझे यह कहते खुशी है कि केन्द्र सरकार देश के सभी 1,18,000 गांवों में एक विद्यालय खोल रही है। इन विद्यालयों को शीघ्र खोला जाना चाहिए। पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

महोदय, समुद्री उत्पादों व इसके व्यापार से लाभ में कमी आ रही है। इसके लिए कौन दोषी है?

पिछले वर्ष के बजट में औद्योगिकीकरण के लिए 11,550 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था किंतु वास्तव में खर्च की गई राशि केवल 7,955 करोड़ रुपये है। इसलिए दोनों राशियों में भारी अन्तर है। इसी तरह मुख्य क्षेत्र अर्थात विद्युत क्षेत्र श्री पी.आर. कुमारमंगलम यहां उपस्थित हैं जो संयोग से संसदीय कार्य मंत्री भी हैं के लिए लगभग 10,905 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी किंतु वास्तव में खर्च की गई राशि 8,822 करोड़ रुपये है। बिजली वक्त की जरूरत है।

इसलिए पन बिजली क्षेत्र पर अधिक बल देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम व अन्य संगठनों को सुदृढ़ किया जाए। देश में पन बिजली क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 30,000 मेगावाट पन बिजली उत्पादन की संभावना है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पन बिजली क्षेत्र और विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण के लिए अधिक धनराशि दी जाए। मैं अनुरोध करता हूँ कि यह सरकार इस मुख्य क्षेत्र के महत्व पर ध्यान दे।

[डा. एस. वेणुगोपालाचारी]

प्रबंधन जो दिल्ली में उपस्थित है, की उपेक्षा के कारण सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया की तीन इकाइयां कुछ समय से कार्य नहीं कर रही हैं। पिछले चार महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। अनेक घोटाले व कांड हो रहे हैं किंतु सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में कोई भी चिंतित नहीं है। यहां तक कि अर्थक्षम इकाइयों को भी औद्योगिक वित्त व पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा जा रहा है और औद्योगिक वित्त व पुनर्निर्माण बोर्ड भी निर्णय नहीं ले पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अब अपना भाषण समाप्त करें।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी: मेरा अनुरोध है कि आंध्र में लकड़वाला समिति की सिफारिशों पर विचार न किया जाए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए प्रतियोगी कार्यक्रमों पर बल दिया जाए।

मुझे खुशी है कि उद्योग में सुधार के लिए एन पी पी आर नामक कार्यक्रम को अधिक धन दिया गया है। किंतु मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में सरकार के अनुभवों पर विचार करें।

पिछली सरकार ने भी एन पी आर कार्यक्रम चलाया था। उस कार्यक्रम में भी अनेक कठिनाइयां थी। कोई भी बैंक सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। हम केवल योजना की सफलता के लिए उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे वित्त अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को ऐसी अधिकाधिक योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उपाध्यक्ष जी, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं और चिदम्बरम जी ने चर्चा में काफी फैक्ट्स और फीगर्स सदन में दिये है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। कोई भी बजट बनता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वह इकोनोमिक सर्वे के आधार पर बनता है, इकोनोमिक सर्वे को आधार बनाया जाता है और फिर वित्त मंत्री भी अपना बजट तैयार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट के सर्वे के प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर पांच की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें इन्होंने लो रेट आफ इनफ्लेशन के बारे में कहा है-

[अनुवाद]

व्यापक स्तर पर सरकार को धन के प्रवाह और वित्तीय घाटे में वृद्धि को सीमित करने के लिए संयम रखना होगा।

[हिन्दी]

फिस्कल डेफिसिट के बारे में चिदम्बरम जी ने चर्चा की है, उसकी चर्चा में यहां ज्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की फीगर्स को फज किया, वह इन्होंने इसमें अच्छी तरह मे एक्सप्लेन किया है। जो इकोनोमिक सर्वे में लिखा हुआ था, मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा कही गई बात को यहां कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

केन्द्र और राज्यों, दोनों के वित्तीय राजस्व घाटा अभी भी काफी अधिक है और वे हमारे ब्याज दर कम करने का नीति की उपेक्षा कर रहे हैं।

रात्रि 8.29 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

मनी फ्लो, मनी सप्लाई का रेट पिछले साल 17.6 था, उसे चिदम्बरम जी ने 20 परसेंट बताया। आप इकोनोमिक सर्वे देखें तो इन्होंने लिखा है-

[अनुवाद]

मुद्रा स्फीति की संभावना को और बढ़ने से रोकने के लिए वार्षिक वृद्धि दर 17.6 प्रतिशत होनी चाहिए तथा धन प्रवाह वृद्धि सीमित होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अपने बजट भाषण में उन्होंने उस पर चिंता व्यक्त की थी और जिस दिन बजट पेश किया उसके अगले दिन ही रेट आफ इंटरेस्ट कम किया। इन्होंने सी.आर.आर. में छूट दी और सी.आर.आर. में इन्होंने जो कट दिया, उससे 3500 करोड़ रुपये कामर्शियल बैंक्स के पास आये जो मार्केट में जायेंगे। इसका मतलब है कि इनफ्लेशन कम होने की बजाय और बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, तोसरी चीज जो वित्त मंत्री को ध्यान में रखनी होती है वह है फाइव ईयर प्लान, जो हमारा होता है, उसको देखते हैं। नाइंथ फाइव ईयर प्लान देखें और इस साल का जो बजट पेश किया है उसके प्रपोज्ड आउटले को देखें, तो उसमें 15 हजार करोड़ रुपये की शार्टेज है। यह 15 हजार करोड़ रुपया किसको इफैक्ट करेगा, यह इफैक्ट करेगा इनवायरनमेंट, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रो एंड वूलन इंडस्ट्रीज को। मैं खासतौर से एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। आज जो वित्त मंत्री जी ने और इस सरकार ने कहा कि हमने एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो पब्लिक इन्वैस्टमेंट एग्रीकल्चर में 1994-95 में 4970 करोड़ रुपए था, वह 1997-98 में 4416 करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब यह है कि खर्चा नहीं किया गया। जो एडीशनल पैसा दिया था एक्सलरेटेड इरीगेशन प्रोग्राम (ए.आई.पी.) के लिए वह भी खर्च नहीं किया गया और इस बारे में 1999-2000 के बजट में कोई स्कीम नहीं दी। प्राईवेट स्कीमों में इन्होंने जो इनवैस्ट किया है उसे एग्रीकल्चर सैक्टर में दिखाया है। वह नान प्राफिट असैट में एकाउंट फार किया है। जो नॉन गुड्स सैक्टर है, जैसे कोई फार्म हाउस बना दिया, उसको भी एग्रीकल्चर इन्वैस्टमेंट में दिखाया गया है और उसके कारण यह हुआ कि हमारी जनसंख्या जो 1.9 प्रतिशत हर साल बढ़ रही है और फूड प्रोडक्शन जो 1.7 प्रतिशत बढ़ा है, यदि ऐसा ही चलता रह, तो आने वाले 5 या 7 साल में यहां पर स्केयरसिटी आफ फूड्स हो जाएगी और फूड क्राइसिस पैदा होगा जिसमें किसान भी दुखी होगा और पूरा देश भी दुखी होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक काम जरूर किया है और वह है प्याज के कोल्ड स्टोरेज की चेन का प्रावधान, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्याज का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन नैगलीजीबल है और यह फूड प्रोडक्शन में जो गिरावट आई है और वह 1996-97 में जो 199.4 मिलियन टन था वह 1998-99 में घटकर 195.2 मिलियन टन हो गया है, यह ठीक नहीं है। 1998-99 में जो 36 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन था वह फूड ग्रेन प्राइसेस की वजह से था। वह क्यों, वह इसलिए कि सरकार की जो नीति के अनुसार 1998-99 के व्हीट और राइस के बफर स्टाक्स थे, जो गेहूं के मामले में मिनीमम 2 मिलियन टन होना चाहिए था वह 5 मिलियन टन तक रहा और चावल के मामले में 2 से 3 मिलियन टन होना चाहिए था ज्यादा रहा, उसके कारण हुआ है। इसके कारण यह हुआ कि स्टाक्स के रिलीज न होने की वजह से, किसान से सस्ती कीमत पर अन्न ले लिया, लेकिन रिलीज नहीं किया, तो जो कंजूमर यानी गरीब आदमी है, उसको यह बहुत महंगा पड़ा। सरकार की इस प्रकार की नीति यह सिद्ध करती है कि सरकार की जो नीतियां हैं वे प्रो-ट्रेडर है, किसान-विरोधी और गरीब आदमी के विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आयल सीड्स के बारे में खासतौर पर कहना चाहता हूं कि जो रेप सीड और मस्टर्ड सीड की क्रॉप है, वह खासतौर पर राजस्थान और हरियाणा की उस जमीन में पैदा होती है जहां पानी की कमी है। पूरे देश के उत्पादन का कुल एक तिहाई भाग ये दो प्रदेश पैदा करते हैं, लेकिन हमारे देश की जो 70 लाख टन की खपत है उसमें 15 लाख टन की कमी आई है और उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। प्रति वर्ष हम 1 से 3.50 लाख टन का इम्पोर्ट 1991-92 से 1996-97 तक करते रहे, मगर इस वर्ष 2 लाख टन का इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पूरे देश का जो कंजम्पशन आफ इम्पोर्ट है उसमें जो फूड एलाइड प्रोडक्ट्स है उनका 3.6 प्रतिशत हिस्सा बनता है, लेकिन अब फूड एलाइड प्रोक्ट्स के इम्पोर्ट का 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 1996-97, 1998-99 में 5.6 प्रतिशत बढ़ा है जो किसान के लिए बहुत अहित करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गरीब आदमी के बारे में बात कही और पी.डी.एस. का जिक्र किया कि बिलो पावर्टी लाइन एक परिवार को 10 किलो अनाज देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि एक परिवार की एवरेज खपत यदि 50 किलो मानें, तो 40 किलो अनाज उस आदमी को एबव पावर्टी लाइन या मार्केट से लेना पड़ेगा। इसका मतलब गरीब आदमी को 40 किलो एबव पावर्टी लाइन प्राइस या मार्केट प्राइस से अनाज लेना पड़ता है यानी आपने जिस परिवार को 10 किलो अनाज बी.पी.एल. के रेट पर दिया है, अगर वह मार्किट रेट पर पांच किलो और खरीद लेगा तो सारा बैनीफिट खत्म हो जाएगा। उसे मार्किट प्राइस पर 35 किलो अनाज लेना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि कम से कम 75 प्रतिशत गरीब आदमी को, जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, दें तो कोई फायदा होगा। जो टारगैटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम साबित हुआ है। जहां तक कम्पनीज की बात है, आपने मर्जर ऑफ कम्पनीज किया लेकिन जिस मोनोपोली के लिए आप एम.आर.टी.पी. एक्ट लाये थे, पहले उनकी मोनोपोली हो गई थी, अब फिर से वे मोनोपोली पैदा कर रही है और चंद आदमियों के हाथ में सारी सम्पत्ति आने जा रही है, इससे कम्पटीशन नहीं रहेगा जिसका परिणाम आम आदमी को बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा।

फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर वित्त मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। जो कम्पनियां अपनी इन्वैस्टमेंट का 40 परसेंट कमा रही है, आप उनको बेनीफिट दे रहे हैं जबकि पी.एस.यू. स्टील को बेनीफिट नहीं दे रहे। इसका मतलब होगा कि आम कंज्यूमर को अब काफी महंगी दवाई पड़ेगी-इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारी बातें अभी चिदम्बरम साहब ने कही। मैं डिपार्टमैंट-वाइस नहीं जाना चाहता लेकिन जो सैंट्रल प्लान आउटले एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एक्टीविटीज का बजट एस्टीमेट 1998-99 में 3864 करोड़ रु. था वह घटकर 3736 रह गया। रूरल डैवलपमैंट में जो

[श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा]

8182 करोड़ रुपये थे उसे घटाकर 7843 करोड़ रुपये कर दिया। जहां तक किसान का संबंध है, हर सैक्टर में बड़ी होशियारी से उस पर मार मारी गई है। बरनाला साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने यूरिया का भाव बजट आने से पहले बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसान को लागत में कुछ राहत मिले। किसान के ऊपर और बोझ लादा गया है। बातें बहुत कहनी है। आपने इरीगेशन का कोई नया प्रोजैक्ट नहीं लिया, एस.वाई.एल. के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। थी डैम के लिए कुछ नहीं किया गया, रेणुका डैम के लिए कुछ नहीं किया गया, एक काम जरूर किया है कि नेहरु रोजगार योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया। मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके नाम बदलने से या उनका नाम हटाने से इस देश के गरीब आदमी, इस देश की जनता के दिल से नेहरू या इंदिरा गांधी का नाम नहीं निकल सकता। आपने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, आपने अपने दिल से इस देश के किसान और गरीब आदमी को निकालने का प्रयास किया है। इस देश में नेहरू का नाम भी रहेगा, इंदिरा गांधी का नाम भी रहेगा, इस देश में किसान भी रहेंगे, गरीब आदमी भी रहेंगे और यह सरकार जो ट्रेडर्स क्लब बन गई है, यह काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)* पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1950 में कहा था,

'हर क्षेत्र प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि क्षेत्र नहीं।'

आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किसान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने ग्रामीण विकास की बात की, मगर ऐसी कोई नीति नहीं लेकर आए। हम हर बार कहते हैं कि जिस गांव की पांच हजार पौपुलेशन है, उसमें कम से कम वे सुविधाएं होनी चाहिए जो शहर में है। गांव और शहर में जो अंतर आता जा रहा है, उसकी वजह से गांव के लोग शहरों की और पलायन कर रहे हैं जिससे यहां हर किस्म की समस्यायें बढ़ रही हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

शहरवासियों और उद्योगपतियों के गठजोड़ के कारण कृषि को हानि हुई है और वित्तीय आवंटन के मामले में औद्योगिक क्षेत्र के कारण कृषि को हानि उठानी पड़ी है।

[हिन्दी]

इस बात को आप फिर से देखें। अगर आप किसानों का हित नहीं कर सकते तो कम से कम किसानों की बात न करें। आप खुलकर कहें कि हम तो ट्रेडरों की पार्टी हैं, केवल चंद व्यक्तियों के हाथ में सारे देश की सम्पत्ति देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती कैलाशो देवी: अध्यक्ष महोदय, आप किसी को डेढ़ घंटे का समय देते हैं और किसी को दो मिनट भी बोलने नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, बहुत सारी बातें जो श्री चिदम्बरम ने कहीं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने जो बातें कही, उनको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बजट लेकर आए हैं, वह जगलरी ऑफ वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं है। यह किसान विरोधी, गरीब विरोधी बजट है।

[अनुवाद]

डा. विक्रम सरकार (हावड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुझे वर्ष 1999-2000 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वर्ष 1999-2000 के बजट प्रस्तावों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बजट अंतर्राष्ट्रीय मंदी की स्थिति के मद्देनजर देश में व्याप्त अत्यधिक कठिन वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। वर्ष 1998-99 की राजस्व प्राप्तियों में 400 करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई है। गैर-योजना व्यय इस वर्ष के बजट लक्ष्य से 17000 करोड़ रुपये अधिक होने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया है। वर्ष 1998-99 का राजस्व घाटा और बजट अनुमान 26 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1998-99 का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है जबकि लक्ष्य 5.6 प्रतिशत था, देश में ऐसी स्थिति थी और वित्त मंत्री को ऐसी स्थिति में वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करना पड़ा।

यदि हम इस वर्ष के बजट पर चर्चा करते समय इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें तो हम अनेक अच्छाइयों के साथ इसे एक संतुलि बजट कह सकते हैं। पहला, यह 1997-98 में प्रस्तुत किये गये 'ड्रीम बजट', जिसने समस्याएं पैदा की, के विपरीत यह वास्तविकता पर आधारति व्यावहारिक दृष्टिकोण वाला बजट है। व्यावहारिकता इस बजट की पहली अच्छाई है। अनुभवी व्यक्ति को इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि वे क्या दे सकते हैं वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने वह करने का प्रयास किया है। वे बाधाओं व सीमाओं से अवगत है। उन्होंने शोर-शराबे से परहेज किया जिसे हम वर्षों से सुनने के आदी हो गए है और वास्तविकता को अपनाया।

इस बजट की दूसरी अच्छाई यह है कि इसमें मानव विकास पर अच्छा ध्यान दिया गया और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सामजिक-आर्थिक मुद्दों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आश्रय, रोजगार, खाद्य सुरक्षा आदि पर बल दिया गया है।

बजट की तीसरी अच्छाई यह है कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 100 ग्रामीण बस्तियों की स्थापना करना है इसका लक्ष्य ग्रामीण बेरोजगारों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाना है।

बजट की चौथी अच्छाई यह है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर सरकार ने शीतागारों और गोदामों के निर्माण के लिए ऋण सहयोजित सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इससे 12 लाख टन की अतिरिक्त शीतागार क्षमता का निर्माण होगा और अगले कुछ वर्षों में विद्यमान 8 लाख इकाइयों का पुनर्वास व आधुनिकीकरण होगा। 4.5 लाख टन प्याज भंडारण क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अब सभी राजनेता राजनीतिक जीवन के लिए प्याज के महत्व को जानते हैं शीतागारों पर पांच वर्ष तक कर न लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसका वार्षिक कारोबार 85,000 करोड़ रुपये है, की संभावनाएं नाजुक है क्योंकि यह शीतागारों, परिवहन, पैकेजिंग और अच्छे कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर है।

एक अनुमान के अनुसार भंडारण, परिरक्षण और वितरण के लिए मूलभूत अवसंरचना के अभाव के कारण भारत को देश में उत्पादित 20 प्रतिशत खाद्यान्न का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत फल व सब्जियां बर्बाद होती हैं। इस मामले में सरकार द्वारा की गई पहल निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

इन सब के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से निचले तबके (ग्रास रूट्स) (बंगाली में जिसका तात्पर्य तृणमूल है) को सुदृढ़ करने की नेकनीयत से कोशिश की गई है। अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी बल दिया गया है। भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के महत्व को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस बजट की पांचवीं अच्छाई यह है कि शहरी क्षेत्र में आवास सुविधाओं पर बल दिया गया है। आवास क्षेत्र रोजगार सृजन व इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों, जो प्रमुख निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते हैं, के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। आवासीय वित्त के लिए भी इस बजट में कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

छठा, लघु ईकाई क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है और इस क्षेत्र में ऋण वितरण पद्धति में सुधार करके इसे सही दिशा दी गई है। रोजगार उत्पादन की दृष्टि से लघु इकाईयां हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस क्षेत्र को किसी भी तरह का प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बजट के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के लिए धन्यवाद देता हूं जो 8045 करोड़ रुपए के प्राथमिक अधिशेष के बारे में है। यह केन्द्र में लघु उद्योग बचत प्रवाह के सही लेखे जोखे के साथ-साथ बाजार से लिए जाने वाले उधार का परिणाम है। इसके फलस्वरूप हमने केन्द्रीय बजट से अल्प बचत से संबंधित सभी प्रवाहों को 1 अप्रैल 1999 से समाप्त कर दिया है। अब इसे लोक लेखों में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में शामिल किया जाएगा।

श्री यशवंत सिन्हा के बजट में 1999-2000 के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि शुल्क दर को कम करके उत्पाद शुल्क ढांचे का युक्तिकरण और पांच प्रतिशत दर लगाकर शून्य सीमा शुल्क को समाप्त करना है। इससे संचय लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होने की आशा है। तथापि यह आंशिक और अपूर्ण है। अंतिम उत्तर औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित कर की शुरूआत करना है।

बजट आर्थिक स्थिरता और वित्तीय संगठन की नीति का रास्ता बताता है। बजट एक अनवरत प्रक्रिया का भाग है। वित्तीय घाटे को कम करके एक अच्छी शुरुआत की गई है। अब इस बजट का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक बड़ा प्रश्न उठता है। इस समय, एक धीमी गति से और गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है जिससे यह उत्तर मिल सके, की ऐसा क्यों है।

औद्योगिक निवेश में वास्तविक रुकावट का एक मुख्य कारण अतिक्षमता निर्माण है जिससे 1996-97 तक लगातार लाभ वाले वर्ष रहे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. विक्रम सरकार : महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है मैं कुछ उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनका उल्लेख किया जा चुका है। इस पर चर्चा की जा चुकी है और बजट भाषण में भी माननीय वित्त मंत्री ने कहा है, "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति सरकार की नीति नीतिगत ईकाईयों को मजबूत करने के लिए विवेक पर आधारित होगी।" इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात पर जोर देना है कि एक जैसा समाधान या सभी राज्यों में एक जैसे उपचारात्मक उपाय नहीं हो सकते। देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की खराब हालत के कारण अलग-अलग हैं। ऐसा उनकी संस्कृति में भिन्नता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पत्ति की भिन्नता और कई अन्य कारणों से है।

[डा. बिक्रम सरकार]

पचास और साठ के दशक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य अभी भी सही पाया गया है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार पैदा करना है।

महोदय पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जो स्वतंत्रता के समय और उसके डेढ़ दशक बाद भी औद्योगिक राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। परंतु हुआ यह है कि इसे समुचित ध्यान नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह अप्रचलन का शिकार हो गया है और पूरी स्थिति विगड़ गई। राज्य सरकार भी इन ईकाईयों की रुग्णता को समाप्त करने के सही उपाय करने में असफल रही।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खाना तैयार है, किसी को भूख लग रही हो तो जाकर खाना खाकर आ सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार : हम खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी की अपील का तुरंत जवाब दिया और एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की स्थापना पर सहमत हो गए जो पश्चिम बंगाल में ऐसी सभी ईकाइयों की समीक्षा करेगा।

हमें पूरा विश्वास है कि पुनरुद्धार पैकेज इन सभी सात ईकाइयों के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करेगा। मैं श्री सिकंदर बख्त का इस समय सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

महोदय बीस वर्ष पहले 11 लाख लोग बेरोजगार थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 57 लाख हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरकार, कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

डा. बिक्रम सरकार : महोदय पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रकाश डालना और पुनरुद्धार पैकेज निर्धारित करना आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए एक मरीचिका की तरह है, यह मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा और यह आम जनता के विरोध में है।

जब बजट तैयार हो रहा था तो वित्त मंत्री ने एक छह प्रकार की नीति का प्रस्ताव किया था। पहला सिद्धांत राजस्व की कमी और वित्तीय घाटे से संबंधित मध्यावधिक प्रक्रिया लाना है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार है जिसके अंतर्गत उत्पादक निवेश और विकास के लिए और अधिक संसाधनों को मुक्त करने की आशा की गई है तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय किया गया है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करने के बावजूद वे आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर सके। जहां तक वित्तीय घाटे का संबंध है उन्होंने बताया कि यह 79,955 करोड़ रुपए है। जहां तक राजस्व घाटे का संबंध है यह 54,147 करोड़ रुपए है। उनकी आशा उनकी उपलब्धियों से मेल नहीं खाती क्योंकि राजस्व से होने वाली आय नाममात्र थी और उनका प्रस्तावित व्यय अधिक था। इसलिए, वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके।

महोदय विनिवेश आयोग ने मंत्री को सलाह दी थी कि यह प्रस्तावित विनिवेश इस बजट का भाग नहीं बनना चाहिए। फिर भी माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि लगभग 10000 करोड़ रुपए विनिवेश के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से वापस ले लिए जाएंगे। परंतु, आगामी वर्ष के दौरान उन्होंने जिस धन का प्रस्ताव किया है क्या उसे वापस लेना संभव होगा? वे पिछले वर्ष असफल रहे। हम संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान वह करने में असफल रहे थे। मंत्री जी से मेरा सुझाव यह है कि वे संसाधनों को प्राप्त करने के तरीकों और उपायों का पता लगाएं। उन्होंने जहां से धन प्राप्त हो सकता था, वहां से धन प्राप्त नहीं किया।

महोदय प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है। अध्यक्ष महोदय, आप उस समय से बंधे हैं जिसमें आप हमें बोलने की अनुमति देते हैं। माननीय वित्त मंत्री संसाधनों से चिंतित हैं। हम संसद सदस्य बोलने के लिए दिए गए समय से बंधे हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्व वित्त मंत्री ने इस संबंध में जो कुछ बोला है उसे मेरे भाषण का एक भाग समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस भाषण को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : मैं उस भाषण के सार से संबंधित हूं। महोदय मैं इसके लिए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय मैं दक्षिण चेन्नई का प्रतिनिधित्व करता हूं। दक्षिण चेन्नई में एच.टी.एल. लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे दो दशक पहले स्थापित किया गया था और जो आज तक लाभ कमा रहा है, इसका विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव

किया गया है, इसे बेचे जाने का प्रस्ताव किया जा चुका है। महोदय, इसका 50 प्रतिशत तक विनिवेश किया जाएगा। परंतु जहां तक तमिलनाडु के लोगों का संबंध है और जहां तक इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के 1500 से अधिक कर्मचारियों का संबंध है, अगर इसमें विनिवेश किया जाता है तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। वास्तव में यह अच्छा लाभ कमा रही है। फिर इस विशेष एच.टी.एल. ईकाई में विनिवेश करने की क्या आवश्यकता है। यह दूरसंचार तथा सूचना और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक उत्पादों का उत्पादन करती है।

महोदय इस मामले पर पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा की है। उस दिन मैंने भी इस संबंध में सरकार से अनुरोध करते हुए बोला था कि इस ईकाई का विनिवेश न करें।

दूसरी बात आई.डी.पी.एल. के बारे में है। सरकार ऋषिकेश की आई.डी.पी.एल. ईकाई, गुड़गांव की आई.डी.पी.एल. ईकाई और हैदराबाद की आई.डी.पी.एल. ईकाई के पुनर्वास के लिए आगे आई है। परंतु साथ ही सरकार तमिलनाडु में दक्षिण चेन्नई की आई.डी.पी.एल. ईकाई के पुनर्वास की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है। महोदय यह ईकाई के. कामराज के समय में स्थापित की गई थी जो इस देश के एक महान व्यक्ति थे। एक समय उन्हें 'भारत का किंगमेकर' कहा जाता था। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि इस ईकाई पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में, मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला से भी मिला था और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस ईकाई के पुनरूद्धार का अनुरोध भी किया था। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस उद्योग का दौरा करें और यह देखें कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस उद्योग का पुनर्वास किया जाए।

महोदय तमिलनाडु में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी है हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लगभग 400 करोड़ रुपये मूल्य का सामान उत्पादन करने में सक्षम है और यह 2000 कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करा रही है किंतु यह मंत्रालय इस कंपनी पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस कंपनी के सभी कर्मचारी और तमिलनाडु की जनता दिन-रात यही देखना चाहती है कि इसका पुनर्वास हो, किंतु लगता है इस सरकार की यह मंशा नहीं है। मैं स्वयं और तमिलनाडु के अन्य सभी संसद सदस्य काफी समय से मांग कर रहे थे कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का पुनर्वास किया जाए।

महोदय, अब मैं अन्ना चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बारे में बोलना चाहता हूं। इस विमान पत्तन का निर्माण प्रति वर्ष 5 लाख लोगों के हिसाब से किया गया था। किंतु अब यहां अत्यधिक भीड़भाड़ है यह इसकी क्षमता पूरी हो चुकी है। अब इस विमानपत्तन से प्रतिवर्ष 11 लाख लोग यात्रा करते है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 तक इस विमानपत्तन से प्रति वर्ष कम से कम 20 लाख लोग यात्रा करेंगे।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अन्ना चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को समुचित महत्व दे। वस्तुत: तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रखा है और संयुक्त उद्यम के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए और यह परियोजना शीघ्र ही लायी जा रही है।

महोदय, मैं वर्तमान वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कम से कम उन्होंने अपने मुद्रित बजट भाषण में 'सेतु समुद्रम परियोजना' का उल्लेख किया है। हम काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे महोदय 1949 के बाद जब हमारे मित्र माननीय मंत्री श्री जनार्दनन हमारी पार्टी में थे, जब श्री गोपालस्वामी हमारी पार्टी में थे, और जब इस अन्नाद्रमुक गुट के सभी लोग हमारे साथ थे, हमने इस संबंध में अनेक प्रस्ताव पारित किए थे ...*(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): माननीय श्री एम.जी.आर. भी उसमें थे।

श्री टी.आर. बालू : हां एम.जी.आर. भी थे। मैं इंकार नहीं कर रहा हूं।

रात्रि 9.00 बजे

1949 से अन्ना के कार्यकाल के दौरान से आज तक जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. कलाग्नर करुणानिधि हैं, हम लोगों की इच्छा रही है कि यह सेतु समुद्रम परियोजना पूरी की जाए। बजट से पूर्व भी हमारे मुख्यमंत्री दो बार प्रधानमंत्री से मिले और इस सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने की मांग की। निश्चित रूप से यह आंशिक रूप से सत्य भी हुआ। पैरा 28 में हमारे वित्त मंत्री ने निम्नलिखित कहा है:

[श्री टी.आर. बालू]

"सेतु समुद्रम शिप केनाल परियोजना हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी पत्तनों के बीच छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। चिर प्रतीक्षित इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता की जांच करने के लिए मैं 1999-2000 के दौरान निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।"

बजट में इस परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि एन.ई.आर.आई. रिपोर्ट का क्या हुआ है। पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई है। संभाव्यता सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। किंतु हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि वे संभाव्यता की जांच के लिए निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं। यह अच्छा नहीं है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि सेतुसमुद्रम परियोजना को तुरन्त आरंभ किया जाए और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें। हमें कम से कम दस बजे तक चर्चा पूरी करनी है।

श्री टी.आर. बालू : अपनी पार्टी की ओर से बोलने वाला मैं अकेला सदस्य हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने जा रहा हूं। क्या आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं?

माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धि-विवेक, गरिमा व दूरदृष्टि के साथ कहा कि वे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूर्व से पश्चिम तक सड़क का निर्माण करवाने जा रहे हैं। यह अच्छा प्रस्ताव है जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए किंतु साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है। साथ ही देश के सभी महानगरों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव भी है।

इसी तर्क के आधार पर मेरा अनुरोध है कि कम से कम पहले कदम के रूप में कावेरी और गंगा को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है और हम महानदी, कृष्णा, कावेरी, केरल की अच्चानकोइल नदी को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं ताकि केरल और आंध्र प्रदेश की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त जल का उपयोग शेष दक्षिण भारत में किया जा सके। कम से कम हम एक शुरूआत तो करें। आरंभ में हम एक दक्षिणी जल ग्रिड बना सकते है। इससे रोजगार सृजन होगा और दक्षिण भारत में कृषि का विकास होगा।

इस सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होगी और इस धन की प्राप्ति के लिए माननीय वित्त मंत्री को अनिवार्यत: कम से कम काले धन को निकलवाना चाहिए। काले धन को निकलवाने के लिए आपको अधिक प्रोत्साहन देने होंगे। अवसंरचना सुविधाओं के लिए आपको धन की आवश्यकता है। अब तक जिस काले धन का पता नहीं चला है उसका पता लगाया जाना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए आपको कहना होगा कि जो लोग काले धन को न्यायोचित धन में बदलना चाहते हैं वे अवसंरचना में निवेश कर सकते है ताकि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। उन्हें भी वैसे ही प्रोत्साहन दिए जाएं जैसे आप की स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत दिए गए थे। माननीय वित्तमंत्री जी! क्या यह अच्छा प्रस्ताव नहीं है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ का प्रस्ताव है कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री टी.आर. बालू : मैं दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को केवल छ: मिनट मिलते हैं। आपने 12 मिनट ले लिए है।

श्री टी.आर. बालू : विपक्षी पार्टियों में अधिक मित्र नहीं है जबकि सत्तापक्ष में मेरे बहुत सारे मित्र है। वे मेरे बोलने में व्यवधान नहीं करेंगे।

वे मेरे बोलने में व्यवधान नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* फेरा उल्लंघन के मामलों में जो लोग पकड़े गए है उन्हें याचिका दाखिल करने से पूर्व पचास प्रतिशत का भुगतान करना चाहिए। अनेक मामलों में विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। यदि वे इसका पालन करते तो वे प्राप्तियों के रूप में भारी राशि प्राप्त करते। किंतु वे ऐसा करने में विफल रहे।

वित्त मंत्री जी, साथ ही तमिलनाडु सरकार केनन द्वीप में एक व्यक्ति विशेष के जमा खातों की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को भेजने की अनुमति चाहती है किंतु पिछले एक वर्ष से न तो विदेश मंत्रालय और न ही गृह मंत्रालय ने उसका

प्रत्युत्तर दिया। एक राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इस तथ्य पर गौर करने के लिए कहा कि केनन द्वीप में किसी व्यक्ति विशेष के धन-संपत्ति की जांच की जाए। *...(व्यवधान)*

महोदय मुझे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है *...(व्यवधान)* असली दोषी ने अपना चेहरा दिखा दिया है। वे अपने गंदे सिर दिखा रहे हैं *...(व्यवधान)*

हम किसी व्यक्ति विशेष की जमाराशि की जांच करवाना चाहते थे *...(व्यवधान)* मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। श्री पन्नीरसेल्वम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है *...(व्यवधान)*, श्री गोपाल मैंने किसी का नाम नहीं लिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय, हम ओवर टाइम के समय काम कर रहे हैं। जब ओवर टाइम देना पड़ेगा तो यह लोग हाय-हाय करेंगे। हाउस जल्दी खत्म होना चाहिए जिससे ओवर टाइम कम से कम पड़े।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : केनन द्वीप में किसी व्यक्ति विशेष का काला धन है। *...(व्यवधान)* तमिलनाडु के व्यक्ति विशेष को ड्राफ्ट के माध्यम से किसी दूसरे देश से तीन लाख डालर प्राप्त हुए हैं *...(व्यवधान)* वे अपना गंदा चेहरा दिखा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अन्नाद्रमुक व द्रमुक के बीच समस्या क्या है।

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से आप अब समझ सकते है। मुझे आशा है कि आप यह पहचान कर लेंगे कि इस मामले में कौन लोग शामिल हैं। *...(व्यवधान)* मैंने केवल यह कहा है कि एक व्यक्ति विशेष को तीन लाख डालर प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री टी.आर. बालू, कृपया बैठ जाइए। अब मैं श्री एस.एस. ओवेसी का नाम पुकारता हूं।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : मैंने 'व्यक्ति विशेष' कहा है। उन्होंने अपने गंदे चेहरे दिखा दिए हैं *...(व्यवधान)* उन्होंने खुद को पहचान लिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ओवेसी के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री एस.एस. ओवेसी (हैदराबाद): जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं चन्द बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फाइनैन्स मिनिस्टर की तकरीर पुरजोर अन्दाज की थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम आइंदा तीन बरस तक बजट पेश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम तूफान से किश्ती भी निकाल कर लाए हैं। उनकी तकरीर से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह ऐवान की तकरीर नहीं बल्कि इलैक्शन के जलसे में दी जाने वाली तकरीर है। जब हमारे सामने सर्वे रिपोर्ट आई तो हमें नरसिंह राव जी की गवर्नमैंट की याद आ गई। उन्होंने भी इसी पार्लियामेंट में कहा था कि 90 दिनों में कीमतें कम हो जाएंगी। अगर कीमतें ज्यों की त्यों रहती तो गनीमत थी लेकिन कीमतें बढ़ती चली गईं। जब हमने सर्वे रिपोर्ट देखी, इसमें यह बात खुद वाजेह हो रही है कि हमारी सनाती तरक्की घट चुकी है और हमारी अदायगियां बराबर नहीं हो सकती। इसी के साथ-साथ यह बतायें कि आपने डीजल की कीमतों में क्यों इजाफा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस.एस. ओवेसी]

किया। नतीजा यह है कि गरीब पिसता चला गया। आखिर वह कहां तक बर्दाश्त करता जायेगा? फिर आपने इनकम टैक्स पर 10 परसेंट सरचार्ज लगा दिया, फिर कहना कि जब हालत ठीक हो जायेगी तो हटा लिया जायेगा ये बातें ऐसी है जो हमारी समझ में नहीं आती है। आप बड़े जमीदारों पर टैक्स लगाते, जिनके लड़के अमरीका और यूरोप में तालीम पा रहे हैं। लेकिन जो गरीब और कमजोर है, वे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते है। उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए जो सरमायेदार और जमीदार है। हरियाणा में एक साहब की शादी का जिक्र आया था सदर अखबारात के अंदर हंगामा आराइयां हुई। फिर यही चीजें हमारे सामने आती हैं। जिस कदर हिन्दुस्तान में गरीब पिसता जा रहा है और गुरबत-इखलाख जैसा दर्जा बढ़ चुका हैं, मैं समझता हूं कि इसको देखते हुये बजट पर दुबारा गौर फरमाएं। आप इस बात पर गौर करें कि क्यों हालात खराब हो रहे हैं। यहां माईनौरटीज के लोग रहते हैं। इनके सुधार के लिये और इनको आगे बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। जब हम इस तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि जो हमारी बड़ी-बड़ी कम्पनियां थी सरकार उनको प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इस वजह से ला एंड ऑर्डर की सुरतेहाल खराब होती जा रही है। आप खुद देखिये की किस कदर रोजाना हालात दिन-ब-दिन रोनुमा हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पर गौर करने की जरूरत है।

आपके नाम बदलने से या जिस तरह आप स्कीम का नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदलते जा रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप नफिसियाती तजजिया करें तो यह बात मालूम होगा कि वे लोग ऐसी हरकते करते हैं जिसमें अज़्म और हिम्मत नहीं होती और जिन लोगों में अज़्म और हिम्मत होती है वे कुछ काम करके बताते हैं। जिन में कुछ नहीं होता, वे पश्तोमद होते हैं और वे इस तरह की हरकत करते हैं कि उनका नाम बाकी रहे। लेकिन जिस तरीके से तवारिख में नाम बाकी रहेगा, वह आप खुद जानते हैं। अपने में अज़्म और हिम्मत पैदा करके आप कुछ कीजिये। यह नहीं कि सिर्फ नाम बदल देने से कुछ होता है बल्कि इस पर गौर करें कि तवारिख में हमारा नाम बाकी रहे।

मैं इन्हीं अलफाज़ के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे चंद मिनट बोलने का मौका दिया।

सुलतान صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) : جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فائنانس منسٹر کی تقریر پُر زور انداز کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ تین برس تک بجٹ پیش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم طوفان سے کشتی نکال کر لائے ہیں۔ اگلی تقریر سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایوان کی تقریر نہیں بلکہ الیکشن کے جلسے میں دی جانے والی تقریر ہے۔ جب ہمارے سامنے سروے رپورٹ آئی تو ہمیں نرسمہا راؤ جی کی گورنمنٹ کی یاد آگئی۔ انہوں نے بھی اسی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ۹۰ دنوں میں قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اگر قیمتیں جیوں کی تیوں رہتیں تو غنیمت تھی لیکن قیمتیں بڑھتی چلی گئیں۔

جب ہم نے سروے رپورٹ دیکھی، اس میں یہ بات خود واضح ہو رہی ہے کہ ہماری صنعتی ترقی گھٹ چکی ہے اور ہماری جو اوائیگیاں ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ نے ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غریب پستا چلا گیا۔ آخر وہ کہاں تک برداشت کرتا جائیگا؟ پھر آپ نے انکم ٹیکس پر ۱۰ فیصد سرچارج لگا دیا، پھر کہتا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہٹا دیا جائیگا۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آپ بڑے زمینداروں پر ٹیکس لگاتے، جنکے لڑکے امریکا اور یورپ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جو غریب اور کمزور ہیں، زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ انکے اوپر ٹیکس لگایا جائے جو سرمائے دار اور زمیندار ہیں۔ ہریانہ میں ایک صاحب کی شادی کا ذکر آیا تھا۔ صدر اخبارات کے اندر ہنگامہ آرائیاں ہوئیں۔ پھر یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس قدر ہندوستان میں غریب پستا جا رہا ہے اور غربت و افلاس جیسا درجہ بڑھ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے بجٹ میں دوبارہ غور فرمائیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہاں مائنارٹیز کے لوگ رہتے ہیں۔ انکے سدھار کے لئے اور انکو آگے بڑھانے کے لئے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، سرکار انکو پرائیویٹ ہاتھوں میں بیچنے جا رہی ہے۔ لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتِ حال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود دیکھئے کہ کس قدر روزانہ حالات دن بہ دن رونما ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

آپکی نام بدلنے کی یا اسکیم کا نام بدل رہے ہیں، شہروں کے نام بدلتے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نفسیاتی تجزیہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس میں عزم اور ہمت نہیں ہوتی اور جن لوگوں میں عزم اور ہمت ہوتی ہے وہ کچھ کام کر کے بتاتے ہیں۔ جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ پش و مہ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ انکا نام باقی رہے۔ لیکن جس طریقے سے تواریخ میں نام باقی رہے گا، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اپنے میں عزم اور ہمت پیدا کر کے آپ کچھ کیجئے۔ یہ نہیں کہ صرف نام بدل دینے سے کچھ ہوتا ہے بلکہ اس پر غور کریں کہ تواریخ میں ہمارا نام باقی رہے۔

میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے چند منٹ بولنے کا

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे): सभापति महोदय, मैं न तो कोई अर्थशास्त्री हूं और न ही कोई सांख्यिकीविद् इसलिए मैं आपके बजट में दर्शाये गए आंकड़ों से नहीं उलझना चाहता।

मुझे कुछ आधारभूत विषयों पर बोलना है क्योंकि यह बजट मेरे कार्यकाल का तीसरा बजट है। बजट राष्ट्रहित के लिए होना चाहिए न कि सत्तारूढ़ दल के लिए। वित्त मंत्री जी अपनी धुन में प्रति वर्ष कुछ वस्तुओं पर शुल्क में परिवर्तन कर देते है कभी तो वे आयात शुल्क को बढ़ा देते है और कभी वे आयात शुल्क को कम कर देते है। प्रत्येक वर्ष वे करों में परिवर्तन कर देते है जिससे उद्योगों में स्थिरता नहीं रहती है।

मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, विश्व व्यापार संगठन तथा पेटेंट बिल को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमें एक दीर्घावधिक कराधान नीति बनानी चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में आए-कर की रूपरेखा में संगति होनी चाहिए जिसका यहां अभाव है। हम हमेशा कहते हैं कि सरकार स्थिर नहीं है। उद्योगपति कहते हैं कि उद्योग स्थिर हैं।

रात्रि 9.15 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : विरोध कैसे करेंगे?

[अनुवाद]

आप जानते है कि मैं शिवसेना का सदस्य हूं जो सत्तारूढ़ पार्टी का एक सहयोगी दल है इसलिए मैं बजट का समर्थन करता हूं।

जहां तक कर की रूपरेखा का संबंध है सरकार को संगत कर नीति बनानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारी बात सुनें। पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वे इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर देंगे। इंस्पेक्टर राज को छोड़िए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया वादा भी पूरा नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 दिसम्बर को इस सम्माननीय सभा के सामने घोषणा की थी कि संसद सदस्यों की निधि की राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस संबंध में संबंधित मंत्रालय ने एक पत्र परिचालित किया है। जब हमने मंत्रालय ने पूछताछ की कि 1 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी वह जारी क्यों नहीं की गई तो हमें उत्तर मिला कि वित्त मंत्री धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी मैं आशा करता हूं कि आप सुन रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने यह घोषणा तो कर दी कि धनराशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 13 दिन रह गए हैं और वित्त मंत्री ने अभी तक धनराशि जारी नहीं की है। आप संसद सदस्यों की समस्याएं तो सुलझा नहीं सकते हैं और आप उद्योगपतियों, निर्धन लोगों, कृषको इत्यादि की समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आज रात ही अपने मंत्रालय को निर्देश दे कि वह जिला समाहर्त्ता को तत्काल धनराशि जारी करें। वह औद्योगिक कराधान इत्यादि की बात कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण बेरोजगारी की बात कर रहा है। उन्होंने कृषकों के लिए अच्छा बजट पेश किया है। शहरी विकास के संबंध में क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के संबंध में क्या होगा?

मुझे एक सुझाव देना है, बैंक पूरा दिन और पूरे वर्ष खुले रहने चाहिए अर्थात् 24 घंटे और 365 दिन खुले रहने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप और अधिक रोजगार सृजन होगा। विदेशी बैंक रविवार को भी काम करते हैं और वह 12 से 14 घंटे कार्य करते हैं। अत: राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी पूरा दिन और पूरे वर्ष कार्य करना चाहिए।

हमारे देश में करदाता का सम्मान नहीं किया जाता है। मेरा एक मित्र जो विदेश गया था, वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस वाले ने उससे पूछा, 'क्या आप कर दाता हो?' जब उसने कहा, जी हां तो हवलदार ने उसे 'महोदय' कहकर सम्बोधित करना आरम्भ कर दिया। कुल जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए, सरकार को कर देने वाले लोगों की प्रतिशतता क्या है? जो लोग कर देते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। मेरे एक मित्र सी.ए. में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। एक दिन वह निराश हो गए। उन्होंने कहा कि कर देने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आयकर कार्यालय के लोग करदाताओं के घरों में जाकर कर इकट्ठा क्यों नहीं करते? इससे रोजगार के और अवसर सृजित होंगे। जब कभी कोई करदाता आयुक्त के कार्यालय में जाता है वह सोचते है कि करदाता कर अदा करते हुए हेरा-फेरी करते हैं। जब कोई व्यापारी टेंडर लेने जाता है तो उसे 'टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' दिखाना होता है।

[श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे]

आय कर आयुक्त कर निपटान प्रमाण-पत्र देने के लिए 1000 रु. की मांग करते हैं। उस व्यक्ति, जिसने पहले अपना कर दे दिया है को कर निपटान प्रमाणपत्र लेने के लिए 1,000 रु. देने होते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आई। जो लोग उच्च पदों पर विराजमान हैं वह सच्चे कर दाता की समस्याओं को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप बोलते है इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे।

[अनुवाद]

प्रत्येक वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उत्पाद शुल्क में वृद्धि होती है अथवा उसमें कुछ परिवर्तन होते है। सभी उद्योगपतियों को तैयार माल के बारे में सम्बन्धित विभाग को सूचना देनी होती है। विभाग में बैठे लोग यह कहते है कि

[हिन्दी]

सर, हमको लेट बैठना पड़ा, ओवर टाइम दे दो।

[अनुवाद]

वहां भी उनको 2500 रु. का कमीशन देना पड़ता है। अन्यथा, वह उन्हें परेशान करना आरम्भ कर देंगे। आप लघु उद्योगों के लोगों के लिए क्या कर रहे है? जब भी वह इन कार्यालयों में जाते हैं उन्हें यह परेशानी झेलनी पड़ती है। आपने करदाताओं को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। आप वित्तीय घाटा कम करने की बात कर रहे थे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कम्पनियां, जो मेरे हिसाब से 226 है, लाभ कमा रही है और उनमें से कितनी कम्पनियों को हानि हो रही हैं?

सरकार हमेशा निजीकरण के बारे में बात करती है। आप सार्वजनिक क्षेत्र की हानि उठाने वाली कम्पनियों का निजीकरण क्यों नहीं करते हैं? सरकार को कुछ मजबूत कदम उठाने होंगे। प्रत्येक वर्ष, सत्तारूढ़ दल के सदस्य बजट की प्रशंसा करते हैं और विपक्षी दलों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष इसी तरह के भाषण सुनते हैं। इस माननीय सभा को यह मेरा साग्रह अनुरोध है. कि जहां तक कर का संबंध है, वह कम से कम पांच वर्षों के लिए एक संगत नीति बनायें। सरकार को उन मदों की घोषणा कर देनी चाहिए जिन पर अगले पांच वर्षों के भीतर उत्पाद शुल्क में धीमी वृद्धि होगी, आय कर शुल्क में धीमी कमी आएगी और सीमा शुल्क में भी धीमी कमी होगी ताकि उद्योगपति अपने कार्यक्रम तैयार कर सकें। आज का उद्योगपति निश्चिन्त नहीं है। एक उदाहरण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक कम्पनी थी जो कि 135 टन नाप्था का उत्पादन कर रही थी। अचानक आयात शुल्क कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप, वह कम्पनी बंद हो गयी। यह अनिश्चितता क्यों है? यह नहीं होनी चाहिए। कराधान प्रणाली में कुछ संगति होनी चाहिए। चाहे उसमें वृद्धि हो अथवा कमी लेकिन कम से कम आने वाले 5 वर्षों के लिए औद्योगिक नीति घोषित कर देनी चाहिए। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, औद्योगिक नीति लाइसेंसिंग नीति अथवा कर की रूपरेखा वही रहनी चाहिए। हमें निवेशकों में विश्वास जगाना चाहिए।

यह कहा जा रहा है कि निवेश बढ़ नहीं रहा है। मैं कहूंगा कि सरकार हमेशा विदेशी निवेश को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाती है और यह स्वदेशी की बात कर रहे है। कितनी कम्पनियां बंद हो रही है? मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है जिसमें सबसे अधिक लघु उद्योग वाले क्षेत्र हैं। सरकार की नीति बदलने के कारण आज तक 900 लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। आप इस मामले पर कब विचार करेंगे? चाहें तो नए रोजगार के सृजन की बात भूल सकते हैं लेकिन जो कम्पनियां चल रही हैं वह जब तक सरकार की बदलती हुई नीति के कारण बंद हो रही है। अत: हमें एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति घोषित करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि बजट में राष्ट्र की आवश्यकताएं प्रतिबिम्बित होनी चाहिए जो कि भारतीय निवेशकों में विश्वास उत्पादन करेगा।

सरकार कृषको का ध्यान रख रही है लेकिन यह लघु उद्योगों का ध्यान नहीं रख रही है। यह मेरी शिकायत है। लघु उद्योग देश का आधार है और वे राजस्व में कम से कम 27 प्रतिशत योगदान देते है। वे पूर्णत: अपेक्षित हैं। उन्हें हमेशा परेशान किया जाता है और कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। बजट में, सरकार केवल आंकड़ों ही देती है। वह कर दाता की वास्तविक समस्या पर विचार नहीं कर रही है।

जहां तक कि मेरे राज्य महाराष्ट्र का संबंध है मैं अनेक बातों का उल्लेख कर सकता हूं। हम राजस्व में 27 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं और केन्द्र सरकार से हमें केवल 3 प्रतिशत मिल रहा है। राज्यों को केन्द्र की आय में योगदान देने के अनुपातिक राज सहायता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह संसद सदस्य निधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि जारी करें। हमने पहले ही एक करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हमारी योजनाएं तैयार हैं; हम 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता का इन्तजार कर रहे हैं। हम आशा करते

हैं कि आज रात मंत्री महोदय संबंधित विभागों को धनराशि जारी करने के आदेश दे देंगे। मैं वित्त मंत्री को कृषकों के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल): सभापति महोदय, सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में हमारे पास अनेक अन्य विषयों के लिए पर्याप्त समय होता है किंतु हमारे पास सामान्य बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। कृपया सभा की इस भावना से कार्य मंत्रणा समिति व संसदीय कार्य मंत्री को अवगत कराएं ताकि सामान्य बजट के आर्थिक मसलों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल सके।

आज की चर्चा के अन्त में मैं अपनी पार्टी की ओर से सामान्य बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो समाज के उच्च वर्ग के कल्याण के लिए बनाया गया है और जो राष्ट्र के कल्याण के लिए खास अहमियत नहीं रखता है।

महोदय, उन्होंने शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए 5000 करोड़ रुपये यूं ही उड़ा दिए। 5000 करोड़ रुपए की यह राशि और 8000 करोड़ रुपये की कर रियायत देश के समृद्ध वर्ग को उपहार के रूप में दी गई है। यह कुल 13,000 करोड़ रुपये की राशि दर्शाती है कि इस बजट में समाज के उच्च वर्ग के कल्याण का पक्ष लिया गया है। इसीलिए मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमने देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था तक सफर करते देखा है। पंडित नेहरू की पहल पर पचास के दशक की मिश्रित अर्थव्यवस्था के आरंभिक चरण में हम सरकारी पूंजीवाद और निजी एकाधिकारी पूंजीवाद के बीच अच्छा सामंजस्य पाते है। सरकारी पूंजीवाद प्रबंधन में हमने पाया कि अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। हमने पाया कि दुर्गापुर, भिलाई, राऊरकेला, विशाखापत्तनम आदि स्थानों पर भारतीय उद्योगों की प्रगति आरंभ हो चुकी है। ये औद्योगिक प्रतिष्ठान, कारखानें और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वतंत्र व धर्मनिरपेक्ष भारत के पवन-पावन स्थल थे। किंतु यह कहते दुख होता है कि नेहरू मॉडल के इन पवन-पावन स्थलों को उनके उत्तराधिकारियों ने आर्थिक सुधारों के नाम पर नष्ट किया है जो पूर्णत: बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

महोदय, जुलाई 1990-91 से आरंभ किए गए आर्थिक सुधार पूर्णत: विफल रहे हैं। आर्थिक सुधारों की इस अवधि के दौरान तीन दिग्गज वित्त मंत्री रहे हैं अर्थात् डा. मनमोहन सिंह, श्री पी. चिदम्बरम और श्री यशवन्त सिन्हा। किंतु उस वर्ग से अविच्छिन्नता और समजातीयता इन तीनों वित्त मंत्रियों के समान विचारधारा से जोड़ती है वे सुधारों की जारी प्रक्रिया पर गर्व महसूस कर सकते हैं या खुश हो सकते है। किंतु यह तथ्य है कि आर्थिक सुधारों के आरंभ से ही देश के दुर्भाग्य में कोई बदलाव नहीं आया। महोदय, जब हम स्थिर विकास दर, वित्तीय घाटा और निर्यात में गिरावट के रूप में देश की अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति को देखते है तो यह तथ्य साबित हो जाता है। भारत इस स्थिति से निजात पाने व निर्यात स्थिति में सुधार के लिए रुपये के औपचारिक अवमूल्यन पर गौर करें। हम पाते हैं कि बहुपक्षीय समझौता विश्व व्यापार संगठन की स्वीकृति के अधीन किया गया है। बहुपक्षीय समझौते का क्या परिणाम है? निर्यात से सर्वाधिक कमाई करने वाले हमारे सूती वस्त्रों पर विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय समझौते ने मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिए है। महोदय, रुपये के अवमूल्य से आयात बिल बढ़ेगा जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति और खराब होगी। इसका तात्पर्य है कि अधिक ऋण लिया जाएगा व देश को फिर गिरवी रखा जाएगा।

महोदय, हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु समुचित प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि जल कृषि का जीवन रक्त है। मैं कहूंगा कि जल भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवद्रव्य है किंतु इस सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का जोखिम लिया है किंतु यह सरकार आज भी स्वच्छ पेयजल व सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति नहीं कर सकी है। तथापि हम केवल कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की स्थिरता से चिंतित है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध है। इसका तात्पर्य है कि देश की दो-तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। हम बड़े दयनीय लोगों को देखते है, हम आंकड़ों का खेल नहीं दिखाना चाहते हैं। किंतु हम पाते हैं कि कृषि आदान वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से प्रतियोगिता करने में विफल रही है। इसीलिए देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

औद्योगिक रुग्णता के प्रश्न के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करता हूं। मुख्य बात औद्योगिक मंदी है। मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता हूं कि उद्योगों को सुदृढ़ क्यों नहीं किया गया किंतु मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व संपूर्ण भारत के औद्योगिक जोनों के बारे में चिंतित हूं। कामगारों को मजदूरी मिल रही है। हो सकता है यह किसी दबाव, दया आदि से हो। किंतु उनके लिए मजदूरी

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

का भुगतान ही काफी नहीं है। सरकारी क्षेत्र के सभी रुग्ण उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के लिए तत्काल वैज्ञानिक पुनरुज्जीवन पैकेज तैयार किया जाएं।

बेरोजगारी के प्रश्न के बारे में मेरा कहना है कि आज अनेक शिक्षित और अशिक्षित युवा बेरोजगार हैं। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता हूं किंतु मेरा कहना है कि अनेक युवा बेरोजगार है जो हमारे देश में बाजार अर्थव्यवस्था का अभिशाप हैं। जब तक कुटीर उद्योगों व लघु उद्योगों का विकास नहीं किया जाता बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स सदन के सामने नहीं रखूंगी क्योंकि फैक्ट्स और फीगर्स के साथ बजट सभी के पास पहुंच गया है और उसे सभी ने पढ़ लिया होगा। मैंने बजट पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि 1999-2000 का बजट, जो कि 20वीं सदी का अंतिम बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी एवं पूर्व नौकरशाह द्वारा नौकरशाही की परम्परा का सम्मिश्रण करते हुए, स्थिति को यथावत बरकरार रखते हुए और मौजूदा व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का जोखिम न उठाते हुए, एक संकल्पहीन और दिशा विहीन बजट है। इस बजट से 85 प्रतिशत गरीब, मजदूर, किसान, छोटे कर्मचारी, दुकानदार तथा जनता को भीषण निराशा हुई है। इस बजट में केवल कुछ एक वर्गों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाये गये है जिसमें फिल्म उद्योग और डाक एडं तार विभाग प्रमुख हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मेरी बात सुनो जाये। उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार में दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव और बेचारगी स्पष्ट झलकती है। यह 80 प्रतिशत जनता जिसके साथ इस बजट बनाते समय अन्याय हुआ है, वह बड़ी आशा भरी दृष्टि से 20वीं सदी के आखिरी बजट की प्रतीक्षा कर रही थी कि शायद यह बजट उन्हें 21वीं सदी तक ले जाने में विकास के एक प्रवेश द्वार का काम करेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब यह बजट पेश किया था तब बड़े फख्र के साथ कहा था कि बजट की हम अंग्रेजी परम्परा को तोड़ते हुए शाम की बजाए सुबह पेश कर रहे हैं। मुझे यह बात कहते हुए दुख हो रहा है कि और इससे स्पष्ट पता चलता है कि आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी रूपी लबादा अपने दिलों दिमाग पर ओढ़े हुए हैं। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण लाखों छात्र-छात्राएं विदेशी भाषा में फेल होने के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ही अधूरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लार्ड मैकाले ने बाबू टाइप वर्ग तैयार करने वाली शिक्षण पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए उसे रोजगारोन्मुख बनाने के लिए किसी भी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया है। ब्यूरोक्रेसी के कारण हमारी विकास परियोजनाएं लम्बी खिचती है। इस बजट में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी की नाक में नकेल डालने के लिए और स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार और शक्तियां देने का सपना तो दिखाया गया है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए किसी भी ठोस नीति किसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें अंग्रेजी की एक नहीं अनेकों मान्यताओं, परम्पराओं और मानसिकता को तोड़ना होगा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करे।

श्रीमती कैलाशो देवी : सबने आधा-आधा घंटा बोला है, एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)* महिला होने के कारण मुझे बिठाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* मुझे कम से कम छः मिनट का समय और दिया जाए। ...*(व्यवधान)* सभी आदमी आधा-आधा घंटा बोले हैं। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 9.36 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है लेकिन इस बजट में कृषि को उद्योग का दर्जा देने, फसल बीमा योजना लागू करने और कृषि के विकास की परियोजनाओं पर धन व्यय करने का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। कृषि से संबंधित परियोजनाएं, नहरें, डैम और विद्युत परियोजनाओं पर यदि धन लगाया जाता तो लाखों-करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था और किसानों को बिजली, पानी मिल सकता है। लेकिन वर्षों से न जाने कितनी योजनाएं, जैसे सरकार सरोवर परियोजना, यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट, टिहरी-गढ़वाल बांध आदि लम्बित पड़ी हैं। ...*(व्यवधान)* यदि इन परियोजनाओं को ब्यूरोक्रेसी के मकड़ जाल से निकालकर समय पर पूरा किया जाए तो इन पर होने वाला कई गुना खर्च बचाया जा सकता है और उसे विकास के अन्य कार्यों पर लगाया जा सकता है। कृषि पर आधारित उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या से बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारों की काफी लम्बी सूची है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती कैलाशो देवी : मुझे इतनी जल्दी कनक्लूड करने के लिए क्यों कहा जाता है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे तीन मिनट शांति से दिए जाएं। ...*(व्यवधान)* कृषि पर आधारित उद्योगों के जरिए बेरोजगारी की समस्या से बाखूबी निपटा जा सकता है क्योंकि आज गरीब मजदूर, किसान की क्रय शक्ति कम हो गई है। यदि 80 प्रतिशत इस वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए तो छोटे, मझले और बड़े उद्योगों में आपके माल की ज्यादा खपत होगी, छोटे उद्योग-धंधे फलेंगे-फूलेंगे, रोजगार के ज्यादा अवसर बढ़ाए जा सकेंगे। आज दूसरे देश अपने माल की खपत के लिए हिन्दुस्तान को सबसे बड़ा बाजार मानते हैं लेकिन हम अपने माल की खपत के लिए विश्व में अन्यत्र बाजार की तलाश करते हैं। कितना अच्छा हो यदि गरीब मजदूर किसान को रोजगारोन्मुख विकासोन्मुख परियोजनाओं के जरिए आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाए तो हिन्दुस्तान के उद्योगों के माल की खपत हिन्दुस्तान में ही हो सकती है।

इस मौजूदा बजट से सबसे ज्यादा मार किसान पर पड़ी है। बेचारा किसान फसलों की बर्बादी के कारण पहले से ही आत्म-हत्याएं कर रहा था। उसे राहत और मुआवजा तो देना दूर, खाद, डीजल और ट्रेक्टर के टायरों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करके आर्थिक तौर पर किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी गई। पिछले कुछ महीनों में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छूने लगीं थीं, जनता आर्थिक तौर पर पंगु हो गई लेकिन आज प्याज और आलू की कीमतें इतनी ज्यादा गिर गई है कि किसान को आर्थिक तौर पर पंगू करके रख दिया। ...*(व्यवधान)* सेम की समस्या के कारण हरियाणा, राजस्थान और हिन्दुस्तान के कई राज्यों में फसलों की बिजाई नहीं हो पाती, हजारों एकड़ फसल बेकार पड़ी रहती है। सेम की समस्या पर मुझे एक बात याद आ गई। एक पार्टी की एक नेता पिछले दिनों हरियाणा में किसानों की समस्या सुनने गई तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या-क्या समस्याएं है। किसानों ने कहा कि हमारी फसलों को सेम खा गई। नेताजी बोली कि सेम कितना बड़ा जानवर होता है? कही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेम जैसी समस्या को जानवर समझकर तो अपने बजट में प्रावधान नहीं किया। ...*(व्यवधान)* सब लोग समझ गए होंगे, वे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। ...*(व्यवधान)* बहुत आग्रह करने पर मुझे नाम बताना पड़ा। हरियाणा और पंजाब की बहुत सी नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में चला जाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में यदि उन जल स्रोतों पर डैम बनाकर पानी को रोका जाये तो फिर हरियाणा, पंजाब क्या, सारे राजस्थान की प्यासी भूमि की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन इस बजट में जल भंडारण और पनबिजली स्रोतों का दोहन करने के लिए कोई भी स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है।

अन्त में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मौजूदा बजट में 85 प्रतिशत जनता के ऊपर जो भार पड़ा है, वह 85 प्रतिशत देश की जनता यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि इस सरकार को सत्तारूढ़ करके हमसे भंयकर भूल हुई है और आज वह 85 प्रतिशत जनता यह कहने पर मजबूर हो गई है, मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करती हूं:

इस बागवां ने जब आग दी मेरे आशियाने को,
वे पत्ते जिन पे तकिया था, वे भी हवा देने लगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी स्पीकर्स 5-5 मिनट लें, जिनका टाइम नहीं है।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, यशवन्त सिन्हा जी, देश को अगर आपको ठीक से चलाना होगा तो पूंजीपतियों को आपको हिलाना होगा। लेकिन आज अपने देश में पूंजीपति ही सरकार को हिला रहे हैं, अटल जी नहीं, पूंजीपति ही देश को चला रहे हैं। एक दिन ऐसा आयेगा कि हम भी आपको वहां से हिलाएंगे और देश को सही रास्ते पर चलाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, बजट पर बोलिये।

श्री रामदास आठवले : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। यह जो अपने अर्थ मंत्री जी ने ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर): कोई बाद में शेर सुनाता है, कोई पहले शेर सुनाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : थोड़ा सुनिये तो।

यह वर्ष 1999-2000 का जो बजट हमारे अर्थ मंत्री जी ने अपने देश के सामने इस हाउस में पेश कर दिया है, यह बजट गरीब विरोधी है। अपने देश की 80 प्रतिशत जनता का विरोध करने वाला यह बजट है। इस बजट से कोई भी इकोनोमिकल परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं यह बता रहा हूं कि इस बजट से जो नीचे का आदमी है, बजट ऐसा होना चाहिए कि यहां के गरीब आदमी को सामने रखते हुए उस आदमी को ऊपर उठाने

[श्री रामदास आठवले]

वाला बजट होना चाहिए। इस बजट में ऊपर का आदमी एकदम ऊपर का आदमी हो जायेगा और नीचे का आदमी नीचे का, इस तरह का आपका यह बजट है। यशवन्त सिन्हा जी, इस बजट से कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है।

यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स का जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, उस स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से प्लानिंग कमीशन ने जो जहां के दलित आदमी हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी है, इनके इकोनोमिकल डवलपमेंट के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान होता है, जितनी आबादी एस.सी., एस.टी. की होती है, उतना ही प्रोवीजन बजट में उनके लिए होना चाहिए, मगर इस सरकार ने इस तरह से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्दर उतने परसेंट बजट में नहीं किया है, इसलिए सिन्हा साहब, आपको इसमें विचार करने की आवश्यकता है और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में एलोकेशन बढ़ाने के बारे में आपकी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश का अभी का जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आपका है, वह कम से कम 22.5 परसेंट होना चाहिए, मगर खाली 10.63 परसेंट ही आपने बजट में प्रोविजन किया है। हम यह मांग भी आपके माध्यम से करते हैं कि हमारी जो मुम्बई सिटी है, मुम्बई से ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिलता है, इसलिए मुम्बई और महाराष्ट्र के डवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। हम यशवंत सिन्हा जी से मांग करते हैं कि मुम्बई के विकास के लिए कम से कम दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए। आप बताएँ कि दे रहे हैं या नहीं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एग्री कर लिया है। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामदास आठवले : जब तक आप यह राशि मुम्बई के लिए नहीं देंगे, तब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं करूंगा। *...(व्यवधान)* डा. अम्बेडकर फाउंडेशन सरकार ने शुरू किया है, उसके लिए भी कम से कम आपको एक हजार करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए।

अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को बहुत कम स्कालरशिप मिलती है। इसको बढ़ाकर 500 रुपए से 1000 रुपए किया जाना चाहिए। इसी तरह से ओ.बी.सी./मुस्लिम तथा अन्य माइनोरटीज के विद्यार्थियों को भी स्कालरशिप देनी चाहिए। गांवों में जो भूमिहीन लोग है, उनके बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। लैंड सीलिंग एक्ट को अच्छी तरह से अमल में लाने की आवश्यकता है। भूमिहीन लोगों को जमीन देने के बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। अगर आप सन् 2003 तक सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सारी बातों को फाइनेंस मिनिस्टर एग्री हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले : गरीबों के हित के लिए इस सरकार को काम करना चाहिए, अगर आप ज्यादा दिन तक सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। आप गरीबों के उत्थान के लिए काम करें न कि उनको दबाने के लिए काम करें। इस बजट में व्यापारियों को सपोर्ट देने का काम किया गया है, औद्योगिक विकास का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि गरीबों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं है।

मैं पुन: इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री नकली सिंह (सहारनपुर): इस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं:

हमने तो तुमको हार समझा था गला सजाने को,

मगर तुम नाग बन बैठे काट खाने को।

श्री रामदास आठवले : मैंने भी आपको समझा था कि आप ठीक हैं, लेकिन आप उधर चले गए इसलिए गलत हो गए।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम इतनी रात चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी पार्टी का समय अभी बचा है, आप व्यवधान न डालें तो जल्दी खत्म हो जाएगा।

श्री मनोरंजन भक्त : हमारी पार्टी का अभी एक घंटा 30 मिनट बचे है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था बजट जैसे प्रस्ताव पर इतनी रात तक चर्चा कराकर और जल्दी से जल्दी पास कराए जाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस पर काफी कुछ कहना चाहते होंगे। पार्लियामेंट में रेलवे

और जनरल बजट पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है और ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए आप जो जल्दबाजी तरीके से यह प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे हम सब हंसते हैं और मजाक करते हैं, यह ठीक नहीं है। वित्त मंत्री जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। जब यह आफिसर थे तो बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे। मुझे एक एक्सपीरियंस है, जिस समय इन्होंने देश का सोना बैंक आफ इंग्लैंड में भेजने के लिए राय ली थी, अभी इन्होंने जो गोल्ड बांड का प्रस्ताव रखा है, इसका नतीजा क्या होगा, यह तो नहीं बता सकते। कोई भी पेड़ लगाने के बाद जब तक उस पर डाल नहीं आता तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह पेड़ क्या फल देगा। मैं समझता हूं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उसकी काफी सराहना और प्रशंसा हुई। आपके पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समर्थन की बात बताई। मैं अपनी बात को चिदम्बरम जी के साथ जोड़ना चाहता हूं। यह कहना गलत होगा कि आपके सारे प्रस्ताव खराब है। आपने बहुत सारे अच्छे कदम उठाने की कोशिश की लेकिन जब 10,000 करोड़ रुपए के टैक्स से आपको पैसा मिलेगा। बाजार में कोई हलचल नहीं मचेगी, कुछ नहीं होगा, सारी चीज वैसी की वैसी रहेगी, सामान का दाम नहीं बढ़ेगा, यह कहना भी गलत है, क्योंकि जब इतने रुपए के टैक्स आपको पैसा मिलेगा तो उस समय इसका असर बाजार के ऊपर अवश्य पड़ेगा और सामान की कीमतों में वृद्धि होगी, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा।

महोदय, हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से यही होता है। पिछले दिनों 40 साल कांग्रेस की हुकूमत थी और ये सारी खराबी कांग्रेस की हुकूमत ने की, लेकिन आप में से किसी भी सज्जन ने इस बात को नहीं कहा कि देश में आजादी के समय में 30 करोड़ आबादी थी और आज सौ करोड़ तक आबादी पहुंच गई है। इस देश में जितना भी विकास का काम हुआ उस पर भी अगर आप विचार करेंगे तो यह गलत बात होगी कि कांग्रेस शासन ने 45 साल में कोई विकास का काम नहीं किया, सारी खराबी कांग्रेस शासन मे हुई है। यह बात जरूर है कि कोई भी पार्टी के सत्ता में आने से यह नहीं बोला जा सकता कि उसने सारा काम अच्छा ही किया, हो सकता है जब वह दस सिद्धांत लेता है तो कुछ सिद्धांत में कमजोरी भी हो, कोई सिद्धांत सही भी नहीं हो, लेकिन हमें इस बात को मान कर देश की जो आर्थिक हालत है उसकी तरफ देख कर अपना काम करना पड़ेगा। आपने अपने प्रस्तावों में बहुत अच्छे ढंग से डायग्नोज किया। आपने बीमारी को भी पकड़ा लेकिन उस बीमारी से उसे छुटाने के लिए, रक्षा पाने के लिए क्या-क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसका प्रावधान इसमें सही ढंग से नहीं है। मुझे इस बात को बोलते हुए खेद है कि भारत का सही मानचित्र क्या है, उसको हम नहीं जानते। सरकारी मेप निकलता है उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार नहीं होता है। हर जगह चिट्ठी लिखनी पड़ती है, यह कैसे हो गया। दूरदर्शन के मेप में भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहीं नहीं है। 50 साल बीत चुके हैं फिर भी हम यह नहीं जानते कि देश की सीमा-रेखा क्या है। यह बात हर समय कहनी पड़ती हैं। हमने गृह मंत्री जी को लिखा और कहा कि ऐसे हो रहा है, आप इस पर कदम उठाइए, कुछ कार्यवाही कीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमें पूरे देश की स्थिति को देख कर उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए। यह बात किसी वक्ता ने बताई, मैं उनसे सहमत हूं।

आपने देश के नेशनल एजेंडे की कापी बनाई, लेकिन उस कापी की जरूरत नहीं है। अगर सही ढंग से इस देश को ले जाना है तो आर्थिक नीति के ऊपर एक नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा। आर्थिक नीति के ऊपर जब आप एक एजेंडा बनाएंगे तो केवल केन्द्र सरकार के ही सहयोग से आप उसको करवा नहीं पायेंगे। आपको सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर सलाह-मशविरा करना पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था को सबको मिलाकर सुधारने का उपाय करना पड़ेगा। पी.ए.सी. तथा और बैठकों में जिक्र आया कि सरकार को यह छूट नहीं होनी चाहिए कि जितना चाहे वह ऋण ले, क्योंकि वह सारा ऋण आखिरकार देश के लोगों पर ही पड़ेगा और विकास के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक ऐसी नीति को हमें अपनाना पड़ेगा जिससे सारे प्रदेश और सारे देश के लोग सहमत हो, उनकी आम सहमति हो। उनकी आम सहमति से ही हमें आर्थिक नीति को आगे ले जाना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी हम ऋण लें, वह इस सदन में फिक्स होना चाहिए कि इस मात्रा के ऊपर हम ऋण नहीं ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तभी देश के लोगों का भला होगा।

दूसरी बात मुझे भूमि-सुधारों के बारे में कहनी है। भूमि सुधार अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इस देश के आम किसान का भला हम नहीं कर पाएंगे। इसमें दो-तीन तरह की समस्याएं हैं। इस देश में अधिकतर लोग एक बीघा, पांच बीघा या 15 बीघा के मालिक हैं। हम इस प्रकार की इक्नोमिक होल्डिंग को अपनाना होगा जिससे एक परिवार आराम से अपना गुजारा कर सकेगा। हमें नये तरीके से भूमि सुधार के कार्यक्रम को करना पड़ेगा।

बंगाल राज्य की समस्या को देखने के लिए यहां कोई नहीं है। केरल से राधाकृष्णन जी हैं। वहां पर सुधार तब हुआ, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। वामपंथियों ने भूमि सुधार को आगे बढ़ाया है, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है।

[श्री मनोरंजन भक्त]

सब्जियों और फलों के बारे में एक वक्ता ने बताया कि हमारे देश में फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में उनका विनाश हो जाता है। अगर हम सही ढंग से इनकी प्रोसेसिंग करके मार्किटिंग कर सके तो इस देश का विदेशी ऋण पांच साल के अंदर वापस किया जा सकता है। इसके लिए जो मिनिस्टरी बनी थी उसने कोई खास काम किया हो, मैं नहीं जानता। सब्जियों और फलों के लिए अगर हम कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके तो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ किसानों का भी भला होगा और उन्हें लाभ मिलेगा।

एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं बजट के समय एक तरफ तो आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में आंकड़े बताते है कि हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे है, उनके स्वास्थ्य और कृषि के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन दिसम्बर महीने में हम पूछते है तो सर्कूलर चला जाता है कि अभी और खर्चा मत कीजिए। यह करने के पीछे कारण क्या है? आपका जो वित्तीय घाटा है उसको नीचा रखने के लिए आप इस प्रकार की नीति बनाते हैं। नतीजा यह है कि सारे देश के लोगों को केवल पता लगता है कि इतना पैसा बढ़ा दिया, जबकि वास्तविक रूप में आपने रूरल डेवलपमेंट में नहीं बढ़ाया होता। वर्ष 1999-2000 में रूरल डेवलपमेंट में आपने 7288 करोड़ को घटाकर 6902 करोड़ किया है तो आपने इसमें एलोकेशन कम किया है।

रात्रि 10.00 बजे

आपने मिड-डे मील में पैसा कम कर दिया। उसमें गरीब मां-बाप के बच्चे जाते हैं। वहां इन्हें खाना मिलता है। इस कारण ड्रॉप आउट कम होता है। सरकार की जो मंशा है, उसमें भी आपने पैसा कम कर दिया है। एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम में 1990 करोड़ रुपए से 1700 करोड़ रुपए कर दिए। इसी तरह रूरल डैलपमेंट में कम कर दिए। पंचायतों के लिए जो पैसा रखा, हम उसकी सराहना करते हैं लेकिन वह कार्यान्वित होना चाहिए। हमारे यहां पंचायतों के पास पैसा है लेकिन प्रदेश सरकारों और केन्द्र शासित इलाकों की सरकार के पास एम्पावरमेंट नहीं है। उन्हें जब तक अधिकार नहीं देंगे और इंजीनियरिंग स्टाफ की मदद नहीं मिलेगी तब तक ग्राम पंचायतें सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगी।

आपकी सैल्फ रिलाएंस की बात कही गई? आप स्वदेशी की बात भी भूलने लगे। अगर हम इस दिशा में नहीं चलेंगे तो कैसे काम होगा? यह चीज आवश्यक है। केन्द्र शासित इलाकों की बहुत सी मजबूरियां हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र शासित इलाकों में विधान सभा नहीं है। आपने वनांचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की बात कही। हम इसके लिए राजी हैं। केन्द्र शासित इलाकों में जहां विधान सभा नहीं है, वहां एक व्यक्ति का शासन है, एडमिनिस्ट्रेटर जो कहेगा, वही बात होगी, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जब आप विपक्ष में थे तो आपने इसका समर्थन किया लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में चले गए तो इस बात को भूल गए। जहां विरोध हो सका है, उसे आपने अपना लिया। जहां के लोग इस बात को चाहते हैं और निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहां आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। नार्थ-ईस्ट की तरह वहां के लोग हथियार उठा लेंगे तो ठीक नहीं होगा। हम बंगाल खाड़ी के बीच में है। वहां से कलकत्ता 1300 किलोमीटर दूर है। मद्रास भी 1300 किलोमीटर दूर है। हम उसके बीच में है। हम टापू में है। वहां के लोगों को आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं। विकास के लिए जो पैसा जाता है, उसका ठीक से उपयोग नहीं होता। इनफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा सरकार खर्चा करती है। पूरे देश में एक व्यवस्था है लेकिन हमारे लिए दूसरी व्यवस्था है। एयरपोर्ट बनाने के लिए यूनियन टैरिटरी के बजट के पैसे से खर्चा होता है। हमारे बजट से 40-50 करोड़ रुपया इन कामों के लिए चला जाएगा तो हमारे विकास के काम में बाधा पड़ेगी। जहाज के मामले में क्या हो गया? प्रधान मंत्री जी ने दौरे के समय कहा था कि जहाज खरीदने का प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ। जब हम इस बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि अभी क्लियर नहीं हुआ, देखते हैं कि कब होगा? हमेशा ऐसी बात यूनियन टैरिटरी में रहने वाले लोगों के साथ होती है। हम भी वैसे सिटिजन हैं जैसे आप हैं। आप अपने पूरे अधिकार चाहते हैं लेकिन छोटी-छोटी जगह से आने वाले लोगों और केन्द्र शासित इलाकों के लोगों की बात आप देखना नहीं चाहते हैं।

जैन साहब यूनियन टैरिटरी चंडीगढ़ से आते हैं। उनको मालूम है कि वहां किस प्रकार की दिक्कते हैं। दादरा नगर हवेली या दमन दियू में अलग दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आज उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। देश को यह मैसेज नहीं जानी चाहिए कि जब तक हथियार नहीं उठायेंगे, तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी-ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देश में यह मैसेज जाना चाहिए कि आपको कोई भी चीज पाबंदी के बिना मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह काम करना अच्छा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया। यह ठीक है कि हमारी सरकार ने नहीं किया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसी रास्ते पर जाये। इसमें आपत्ति की कोई बात नही है। जब मैं कहता हूं कि वह ठीक बात है तो आपका रास्ता ठीक है। आप आगे जाइये, क्या दिक्कत है? मैं दो पाइंट और कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, एक ग्रेजुएट क्लर्क को चार या साढ़े चार हजार रुपये वेतन मिलता है लेकिन जो शिपिंग कारपोरेशन या इंडियन आयल में काम करता है, उसे 10-12 हजार वेतन मिलता है, बैंक में काम करने वाला भी 10-12 हजार वेतन लेता है। यदि वही व्यक्ति प्राइवेट जगह जाकर काम करेगा तो उसे दो-ढाई हजार रुपये मिलेंगे। ये सब लोग एक कैटेगरी के हैं और बाजार से सब को एक रेट पर सामान खरीदना होता है। इस प्रकार कुछ लोग दुख और पीड़ा में जीवन व्यतीत करते हैं. सरकार को इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिये। सरकार को सोनचा चाहिये कि एक समान राष्ट्रीय वेतन नीति बनाकर हर वर्ग के लोगों के लिए जीने का रास्ता बनाया जाए।

अभी आपने रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ा दी, इससे बेरोजगारी की स्थिति में फर्क आयेगा, नौजवान लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको काम नहीं मिलेगा। बेरोजगार युवक बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार चाहती है कि वे सेल्फ-एम्पलायमेंट करे, बैक से ऋण मिलेगा। पता नहीं वित्त मंत्री जी को मालूम है या नहीं कि बैंकों से सैल्फ एम्पलायमेंट के लिए कैसे लोन मिलता है? मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था। वहां मेरे सामने कई केस आए जिनमें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। यदि किसी का नाम रिकमेंड होकर चला गया तो भी ऋण नहीं मिलता। इस तरह कैसे काम चलेगा? नौजवान लोगों ने को-आपरेटिव बनायी और पत्थर तोड़ने के काम के लिए ऋण लेना चाहा परन्तु उन लोगों का लोन नहीं दिया गया। मिट्टी खोदकर ईंट बनाना चाहा तो कहा गया कि इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। जब आप सैल्फ-एम्पलायमेंट देना चाहते हैं तो इस तरह की पाबंदी लगाने से कैसे काम चलेगा? आप उनको किस तरह से रोजगार देंगे? वित्त मंत्री जी अगर मेहरबानी कर सुनेंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुविधा आपने नार्थ ईस्ट में दी है, वही सुविधा अंडमान और निकोबार को देंगे तो हम आपके बहुत ही आभारी होंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अंडमान और निकोबार के लिए आपने जो एलोकेशन रखा है, मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट में आपने कम कर दिया। इसमें 19 करोड़ रुपये दिया है जो पहले 20.41 करोड़ रुपये था। ट्रांसपोर्ट में आपने थोड़ा रखा है लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का आधा बजट तो हमारा जहाज खरीदने में ही चला जाता है। इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस का बजट भी आपने कम कर दिया है। वहां बहुत पोचिंग होती है। विदेशी लोग ट्रॉलर लेकर आते हैं और आने के बाद उधर काफी दिक्कत करते हैं। कभी पेड़ काटकर ले जाते हैं और कभी मगरमच्छ पकड़कर ले जाते हैं। इन सबको रोकने के लिए आपको पुलिस विभाग में ज्यादा एलोकेशन देना पड़ेगा लेकिन वह ज्यादा एलोकेशन इसके लिए नहीं रखा है। आपने उसको कम कर दिया। हालांकि गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी कि मैरीन पुलिस फोर्स बनाई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा। मैं अन्य सदस्यों के चहेरे देख रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त: उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम दूर दराज के जो इलाके हैं, जो केन्द्र शासित प्रदेश है, जबकि वह राष्ट्रपति जी के सीधे ऐडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, पर उनके लिए न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात होती है और न बजट में बात होती है। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में दिखायी नहीं दिया कि यह भारत का अंग है और इसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री चले गए हैं, उनके पास सुनने के लिए समय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के कंसनट्रेशन को इधर-ऊधर कर दिया। उपाध्यक्ष जी, आप हमें तो चेतावनी देते हैं मगर उनको भी चेतावनी दीजिए। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि मेहरबानी करके दूरदराज के जो इलाके हैं-अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव है, उनके लिए बजट कम न करे। उनके यहां विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए और साथ साथ वहां रोजगार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) उपाध्यक्ष महोदय, आम बजट पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं बजट की निष्पक्ष समीक्षा और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हर साल जब भी नया बजट आता है तो सुहाने सपने दिखाये जाते हैं, नये-नये वायदे किये जाते हैं, लुभावने नारे दिये जाते हैं, लेकिन इसका अंत बराबर डरावना रहा है। 50 साल की स्वतंत्रता के इतिहास में हर बजट ने हमें भूख दी है, हर बजट ने हमें पीड़ा दी है, गरीबी को बढ़ाया हो, महंगाई को दिन दूनी, रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह बजट उन बजटों से कहीं भिन्न नहीं है। देश का जो वर्तमान प्रतिकूल आर्थिक माहौल है, उसमें हम वित्त मंत्री जी के प्रयास की सराहना करते हैं। मैं

[श्री आनन्द मोहन]

समझता हूं कि अब की बार वित्त मंत्री जी तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। एक बार जब हम लोग साथ थे, तब उन्होंने बजट पेश किया था। अगली बार जब इन्होंने बजट पेश किया था तो बड़े उत्साह के साथ, बड़े हौसले के साथ इन्होंने कहा था कि यह अंतिम व्यक्ति का बजट है और इस बजट से देश में एक नये आर्थिक युग का सूत्रपात होगा-उन्होंने ऐसी उम्मीद बंधाई थी, लेकिन उस उम्मीद पर हम खरे नहीं उतरे और मैं माफी चाहूंगा, यह मेरा आरोप है कि सत्ता में आने के बाद जितना बी.जे.पी. का आर्थिक दर्शन बदला है, दुनिया की पार्टियों के इतिहास में शायद किसी भी पार्टी के आर्थिक दर्शन में इतना बदलाव नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)* जब आपने मुझे छोड़ दिया है तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। आपने आर्थिक सम्मान की बात कही, स्वदेशी की बात कही, स्वावलंबन की बात कही, लेकिन आपने जिस तरह से आनन-फानन में शोर-शराबे के बीच पेटेन्ट बिल को पास कराया, दुर्भाग्य से मैं यहां नहीं था। उसके पास कराने में गांधी पुत्र भी पीछे नहीं रहे और आप भी पीछे नहीं रहे। गांधी जी की छाती पर 'गैट' और पेटेन्ट को जिस तरह से लादा गया, मैं मानता हूं कि पेटेन्ट बिल का पास होना भविष्य की आर्थिक गुलामी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर है और हमने विश्व व्यापार संगठन के सामने घुटने टेक दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी शान के साथ जब पोखरण विस्फोट किया था तो कहा था कि हम दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, यह हमारे राष्ट्र के सम्मान का सवाल है। उन्होंने उनके आगे झुकने का काम नहीं किया तो लोगों को कुछ उम्मीद बंधी थी लेकिन जब हम दुनिया की बड़ी शक्तियों के सामने नहीं झुके तो फिर पेटेन्ट के मामले में विश्व व्यापार संगठन के सामने घुटने क्यों टेक दिये? यह राष्ट्र के लिए एक आत्मघाती कदम है। मैं मानता हूं कि इस तरह से हमने आर्थिक साम्राज्यवाद की साजिश का देश को शिकार बना दिया है और आने वाली संतति को इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब इन्होंने कहा था कि यह अंतिम व्यक्ति का बजट है, लेकिन इस बार कहा गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन के विचारों के अनुरूप हमने बजट पेश किया है। इसके पूर्व वक्ता श्री वाइको साहब बोल रहे थे तो इसकी प्रशंसा में उन्होंने कहा था कि यह बजट नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के विचारों के अनुरूप है। मैं जानना चाहूंगा कि अंत्योदय और अंतिम बजट की क्या परिकल्पना थी। गांधी ने कहा है कि विकास के धर्मपीठ नहीं है, विकास के बेरोमीटर वे नहीं है कि हम माल खड़ा कर रहे हैं, कलैक्ट्रेट बना रहे हैं, नये अनुमंडल बना रहे हैं, नये खंड और प्रखंड बना रहे हैं, कमिश्नर बना रहे हैं या फिर शहरों की बढ़ोत्तरी हो रही है- ये विकास के पैमाने नहीं है। विकास और अंतिम व्यक्ति के अत्योदय की जो गांधी जी की परिकल्पना थी, जो जे.पी. और लोहिया जी की परिकल्पना थी, चूंकि आम बजट पर बात हो रही है, इस बजट से जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, उसके तन पर कपड़ा है या नहीं, उसके लिए दो जून की रोटी का इंतजाम हुआ है या नहीं, उसके सिर पर झोपड़ी है या नहीं।

सिर ढकने का इंतजाम हुआ कि नहीं। गांधी ने कहा कि यदि उस गरीब के सिर पर छत है और उसके तन पर कपड़ा है, उसके होठों पर मुस्कान है, तो समझ लीजिएगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा। इस मामले में हम लगातार पीछे चले जा रहे हैं। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आम बजट में नेहरू जी के जमाने से और आज भी आधे से थोड़े कम लोग बराबर छूट जाते हैं। आम बजट आम लोगों के लिए नहीं बनता, देश के गरीब लोगों के लिए नहीं बनता, झुग्गियों में बसने वाले लोगों के लिए नहीं बनता, बल्कि आम बजट बनता है सफेदपोश लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, आपके और हमारे लिये और बहुत हद तक वह जाता है, तो मध्य वर्ग तक। उसके बाद इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। आम लोगों के लिए उसका कोई नफा-नुकसान नहीं होता। मैं कहूंगा कि 50 सालों में जितने बजट पेश किये गये हैं वे और वर्तमान खजाना मंत्री, माननीय सिन्हा साहब ने यह तीसरा बजट पेश किया है, लेकिन आज भी हमारा देश 50 वर्ष की आजादी के बाद दुनिया में निर्धनों और भूखों का सबसे बड़ा देश है, यह देश रोगियों का सबसे बड़ा देश है, इस देश में भूख से बिलबिलाती हमारी महिलाएं अपना तन बाजारों में बेचने के लिए मजबूर है और वेश्याएं बनने को विवश है। यह देश दुनिया में वेश्याओं का सबसे बड़ा देश है, यह कहते हुए हम शर्म अनुभव कर रहे हैं। यह देश दुनिया में अंधों का सबसे बड़ा देश है जहां तारकोल और जलती हुई रेल पर चलते हुए लोग अंधे हो रहे हैं, प्रति वर्ष 5 से 7 लाख लोग इस देश में अंधे हो रहे हैं। यह देश दुनिया के विकलांगों का सबसे बड़ा देश है जहां कुपोषण के शिकार बच्चे विकलांग हो रहे हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बजट से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं बिहार से आता है और वित्त मंत्री जी भी बिहार से है इसलिए मैं बिहार की पीड़ा को, बिहार के

दर्द को उजागर करूंगा। आज से पहले भी लगातार बिहार से एक से एक बड़े नेता हुए, लेकिन बिहार की त्रासदी है कि बिहार को आज तक एक बेटा नहीं मिला। जिस दिन बिहार की पीड़ा से जुड़ा हुआ, बिहार के संघर्ष से जुड़ा हुआ, बिहार के हकों की जो पिछले 50 वर्षों से उपेक्षा होती रही है, उनसे जुड़ा हुआ एक बेटा मिल जाएगा तो रायसीना की पहाड़ी पर बैठकर बिहार के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है और जो 50 वर्षों में नाइंसाफी की गई है, उसका हिसाब एक बार में ही चुकता हो जाएगा। हमें अफसोस है कि यहां दिल्ली की सत्ता में बड़े-बड़े पदों पर बैठने के बाद भी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के बाद भी लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी के नेतृत्व में 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उसमें हमारे बिहार का दूसरा स्थान था और आज हम अंतिम पायदान पर हैं। बिहार में क्या नहीं है? मैं अगर कहूं कि शायद दुनिया का सबसे समृद्ध प्रांत बिहार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में कोयला है, अभ्रक है, मैगनीज है, ताम्बा है, बाक्साइट है, 10 करोड़ बाहें हैं 20 करोड़ हाथ हैं, जहां जनसंपत्ति है वनसंपदा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बिहार की त्रासदी है कि हमारी लगातार उपेक्षा हुई है। केन्द्र द्वारा उपेक्षा, बिहार सरकार चलाने वाले लोगों की लूट, ये दोनों बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज अगर बिहार हाथ खींच ले, तो दिल्ली के कल कारखाने बंद हो जाएंगे, हमारे दम पर हरियाणा की हरियाली है, हमारी दम पर पंजाब की खुशहाली है, लेकिन हम कंगाल हैं। जहां पानी वरदान होना चाहिए वहां पानी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। नेपाल से आज तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। नेपाल से निकलने वाली नदियां हमारे लिए त्रासदी हैं और वे हमारे लिए अभिशाप साबित हो रही हैं जो हमको बहाती है, जो हमको डुबाती हैं। उनके कारण प्रति वर्ष अरबों रुपये की संपत्ति बह जाती है और उसके कारण हुआ घाव दूसरे वर्ष तक भर नहीं पाता है। हमारी उर्वरा धरती को कंगाल कर, उसकी उपजाऊ मिट्टी को बंगाल की खाड़ी में नदियां बहाकर ले जा रही है जिसके कारण वहां एक टापू जैसा बन रहा है जिस पर 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। यह हमारी विडंबना है, लेकिन सब कुछ के बावजूद हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आबादी 10 करोड़ है जो हिन्दुस्तान की आबादी का 10वां हिस्सा है, लेकिन गरीबी की दृष्टि से हिन्दुस्तान में हमारा 14वां हिस्सा है। इसलिए हमारी वित्त मंत्री जी से स्पष्ट मांग है कि बिहार की पीड़ा से जुड़िए और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप, गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप और लोहिया जी के सिद्धान्तों के जब अनुरूप पिछड़ी जातियों को और समूचे पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है, तो देश के सबसे बड़े पिछड़े राज्य को विशेष अवसर मिलना चाहिए, मैं यह मांग आपसे करता हूं।

जब तक ये तमाम बातें नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी रायल्टी 20 साल पुरानी है। आसाम के छोकरों ने तीन साल रायल्टी का रिवीजन करा लिया जिससे उनकी हालत में थोड़ी सा सुधार हुआ। 1997 में तय हुआ कि रायल्टी मूल्यों पर आधारित होगी, लेकिन हम उसके चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। हम यह वचन मांगते हैं कि हमारी जो खनिज सम्पदा है, उसके वजन के हिसाब से हमारा शेयर तय कर दीजिए। हम बाक्साइट, तांबा, आयरन, कोयला बेचेंगे। हमको इसकी छूट दीजिए, हम उसी से बिहार का विकास कर लेंगे। इन तमाम बातों और तमाम पीड़ाओं के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, यह मेरी गुजारिश है। हम फिर कहेंगे कि बजट में सारे दुर्गुण नहीं है, बजट में सारे नेगिटव पाइंट नहीं है, उनको बखान करने का आप ज्यादा समय भी नहीं देंगे लेकिन यह अच्छा प्रयास है और इस अच्छे प्रयास का अच्छा प्रतिफल न निकले तो सारा मामला जीरो हो जाता है। सुनहरे सपने हैं और रिजल्ट कुछ नहीं होगा। इसलिए इस दिशा में प्रयास होना चाहिए।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): उपाध्यक्ष महोदय, सिन्हा जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो भी प्रमुख विभाग है जैसे कृषि है, ग्रामीण विकास है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, उद्योग और खनिज आदि प्रमुख विभाग हैं, उन सभी विभागों में 1998-99 में जो ऐस्टिमेट रखा गया था, उससे कम एस्टिमेट इस बजट में किया गया है। आपने देखा होगा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में 128 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास में 349 करोड़ रुपये, सिंचाई में 226 करोड़ रुपये, ऊर्जा में 2,701 करोड़ रुपये, उद्योग और खनिज में 8,672 करोड़ रुपये कम किये है। इस बजट के आने से महंगाई तो बढ़ने वाली है क्योंकि यह डेफीसिट बजट है। पूरे देश में बजट की बात आज सरकार की तरफ से की जाती है, उससे न किसानों का फायदा है और न बेरोजगारों को फायदा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी इस बजट में फायदा नहीं मिलने वाला है। आज आप कृषि विभाग में देखिये क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह कृषि क्षेत्र है। महाराष्ट्र के अंदर व्यावसायिक कृषि का उत्पादन कम होता है। चीनी और कपास का उत्पादन वहां बड़े पैमाने पर होता है। आज कपास की हालत क्या है। कपास मराठवाड़ा, विदर्भ में बड़े पैमाने पर पैदा होता है। आज कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

[श्री दत्ता मेघे]

महाराष्ट्र के अंदर कपास की जो एकाधिकार योजना चल रही है, उससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिली है लेकिन आज कपास के जो भी किसान हैं, वे बहुत बुरी हालत में हैं। आपने जो भी टैक्स लगाये हैं, सुत कातने के ऊपर टैक्स लगाया है, जो पांच टके था, वह नौ टके बना दिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर चीनी मिलें है, सूत की मिलें हैं, वह तो पहले ही घाटे में है। इसके अलावा आपने जो नया टैक्स लगाया है, उससे कपास की मिलें बंद होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। आपने कृषि क्षेत्र के अंदर जो भी वायदे किये थे, आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर तीन साल से दुष्काल हो रहा है। कभी ओला दुष्काल होता है तो कभी पानी नहीं आता है। महाराष्ट्र विदर्भ के अंदर तीन सालों से लगातार किसान बहुत परेशानी में हैं। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ मदद मांगी थी। जब श्री मनोहर जोशी जी मुख्य मंत्री थे तब भी मदद मांगी थी। हमने बार-बार कहा है। आपने बंगाल को मदद दी, दूसरे स्टेट्स को मदद दी लेकिन महाराष्ट्र को केन्द्र की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। हमने प्रोजैक्ट भेजे लेकिन महाराष्ट्र की दुष्काल के समय भी मदद नहीं की गई। आज महाराष्ट्र की चीनी मिलें, कपास पैदा करने वाले किसान संकट में हैं। हम बीमा की बात करते हैं लेकिन कितने लोगों को कार्ड दिये गये हैं? जिनके पास पैसा है, जो बड़े किसान हैं, उनको कार्ड मिले होंगे। जब तक छोटे किसानों का बीमा नहीं करेंगे तब तक उनको होने वाले नुकसान से बचाया नहीं जा सकता। हमने देखा है खास तौर से कपास पैदा करने वाले जो किसान है, आप देखिए उनको कितना पैसा मिलता है। आज महाराष्ट्र और पूरे देश में बहुत कम कपास हुई है। हम अपने किसानों को ज्यादा पैसा नहीं देते। हम पाकिस्तान से कपास की गठियां बनवाते हैं, दूसरे देशों से बनवाते हैं लेकिन अपने यहां के किसान चाहे गेहूं, कपास और चीनी का उत्पादन करने वाले हो, उनकी ज्यादा मदद नहीं करते। इस नीति को बदलना चाहिए।

आपने पिछली बार कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हमारे देश में सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना सरकार के लिए अनिवार्य है लेकिन आज भी हम लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो आदिवासी एरिया है, आज भी मैलघाट, चन्द्रपुर, विदर्भ के आदिवासी एरिया में देखिए, शिक्षा की सुविधा नहीं है। हम उन्हें पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप जो उच्च शिक्षा की बात यहां कहते हैं, यह कहा गया कि सरकार उच्च शिक्षा के लिए कोई खर्च करने वाली नहीं है जब खर्चा करने वाले नहीं है तो उच्च शिक्षा पर जो खर्च आता है, कम से कम उतना पैसा, जो भी शिक्षा मिलती है, उसके लिए उनको देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो खाद्य संस्थाएं चलाती हैं, उन पर उच्च शिक्षा है। हमने देखा, पार्लियामेंट में ए.आई.सी.टी. बनी है, लेकिन उसके जो नार्म्स हैं, जो अच्छी शिक्षण संस्था है, उनको नहीं मिलते। महाराष्ट्र सरकार ए.आई.सी.टी. के सर्कुलर को भी नहीं मानती। आज इस देश में जो पढ़े-लिखे जवान हैं, खास तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और दो-तीन राज्यों ने उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। उनके बराबर में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन्हें बंद कर दीजिए लेकिन जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन पर जितना खर्चा लगता है, अच्छी शिक्षण संस्थाओं को उतना खर्चा देना चाहिए। इस पर भी केन्द्र सरकार का ध्यान नहीं गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देते हैं, उसके मुताबिक वे संस्थाएं चल रही हैं। आपको उच्च शिक्षा के बारे में ख्याल करना चाहिए।

ग्रामीण विकास के लिए सेंट्रल से बहुत पैसा जाता है, पंचायत तक जाता है। राजीव गांधी जी के वक्त पैसा डायरैक्ट ग्राम पंचायत को मिलता था। सैंट्रल से जो पैसा जाता है, उसका बराबर उपयोग नहीं होता। महाराष्ट्र के हर गांव में संडास डालने का जो काम हुआ, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। ...*(व्यवधान)* आज ग्रामीण विभाग की जो भी योजनाएं हैं, वे सैंट्रल गवर्नमेंट से चलती है लेकिन वहां के एम.पीज को विश्वास में नहीं लिया जाता। जैसा श्री परांजपे ने कहा, सैंट्रल की जो योजना है, डायरैक्ट पैसा देते हैं तो उसमें सभी एम.पीज. का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। यह हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वे योजनाएं हमारे मुताबिक वहां पर नहीं हो रही हैं।

महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ी है। मैं केवल भ्रष्टाचार की बात यहां कहूंगा क्योंकि हमने देखा कि यदि कोई छोटा व्यापारी मिलावट करता है तो उसे सजा हो जाती है लेकिन हमारे देश में, मैंने आज के जनसत्ता में पढ़ा है, अम्बानी साहब हमारे देश में है, बहुत बड़ी रिलायंस कम्पनी चलाते हैं। आपने उन्हें तीन लाख टन नाफ्था दिया है। उस नाफ्था का रेट सात रुपये है, आपने उसे कभी नहीं बढ़ाया लेकिन वे 20 प्रतिशत नाफ्था ही यूज करते हैं और 80 प्रतिशत नाफ्था पैट्रोल में जो मिलावट होती है, वह रिलायंस कम्पनी करती है। उसके बारे में आपने क्या किया? दस साल हो गए, 60 हजार करोड़ रुपये रिलायंस कम्पनी ने नाफ्था की मिलावट करके लिए हैं। हमने प्राईम मिनिस्टर को दिया है।

सब लोगों ने यह बात कही है। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात कहना चाहता हूं, आज सत्ता आपके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर को हमने पेपर दिये हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जो वित्त मंत्री है, जो बड़े भ्रष्टाचार करने वाले हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियां चलाने वाले लोग हैं, 60-60 हजार करोड़ रुपया जिन्होंने मिलावट करके कमाया है, आगे उनके विरुद्ध क्या करना

चाहते हैं? मैं नाम लेकर कह रहा हूं। इसके बारे में आपको इन्क्वायरी करनी चाहिए और जो दोषी है, उनको पकड़ना चाहिए। मैं अम्बानी साहब का नाम ले रहा हूं, क्योंकि ये पूरे पेपर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास दे दिये हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री राजवीर सिंह: अम्बानी को यहां तक किसने पहुंचाया? अम्बानी को यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रणव मुखर्जी उस पार्टी में थे। ...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे: जो आप कह रहे हैं, वह देश के सामने है। आज पारदर्शकता नहीं है, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जहां प्रूफ है, हम आज आपको दे रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्क्वायरी करनी चाहिए, यह हमारा कहना है। इस पर आप बराबर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दत्ता मेघे: धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, उनको पकड़वा दीजिए, फिर धन्यवाद दीजिए। आज पैट्रोल में मिलावट के लिए, बड़े-बड़े टेंकर रोज निकाले जा रहे हैं और इस देश के अन्दर कोई कुछ नहीं कर रहा। आज आपके हाथ में सत्ता है, मैंने नाम लेकर कहा है, वित्त मंत्री जी, आप इसकी इन्क्वायरी करिये कि इसके पीछे कौन है, क्यों टेंकर जाते हैं, कहां मिलावट होती है? आम जनता जब पेट्रोल भरवाती है तो उसको मिलावटी पैट्रोल मिलता है। इसके बारे में आपको जरूर इन्क्वायरी करनी चाहिए और जो भी बात है, उनको साइड करने की बात हम लोगों को करनी चाहिए।

आखिर मैं एक बात कहता हूं ...*(व्यवधान)* मेरा भाषण सुनिये, मैं अपनी बात कह रहा हूं। वे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, आपका भी बोलने का नम्बर आयेगा। पचास साल में, 10 साल में जो हुआ, कल आप उसको बन्द कर दीजिए न। मैं यही कहने वाला हूं। मैं दो मिनट और लूंगा।

हमारे यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जिन लोगों को ग्रांट्स मिलती थी, श्रीमती मेनका गांधी जी यहां नहीं है, जो अनुसूचित जाति जनजाति की स्कीम्स के लिए पैसा रखा था, उसमें से 32 करोड़ रुपया उन्होंने पशुओं के लिए डाइवर्ट कर दिया। आप उनके लिए अलग से आबंटन दीजिए, अलग से पैसा लीजिए, लेकिन जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की स्कीम्स के लिए 32 करोड़ रुपया था, वह उन्होंने उधर क्यों ट्रांसफर कर दिया? जानवरों के लिए कौन नहीं बोलता, आप उसके लिए अलग से करिये न। लेकिन जो गरीब आदमी के लिए, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की शिक्षा के लिए और दूसरे काम के लिए पैसा रखा था, वह पैसा उन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया तो उन लोगों को कैसे हम न्याय दे सकेंगे, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री दत्ता मेघे: उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोग व्यवधान कर रहे हैं। आपका बजट पास होने वाला है, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। आप रहिये, लेकिन अच्छा राज करिये, लोगों के लिए करिये, गरीब लोगों के लिए करिये, किसानों के लिए राज करिये। लेकिन आज जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी सरकार में जो हो रहा है, उसका भी आपको ख्याल रखकर, जो भी उचित हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री बी.एम. मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय आप भी एक कन्नड़ व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे पर्याप्त समय दिया जाए जिससे मैं सभी बातों पर बोल सकूं। माननीय वित्त मंत्री ने 27 फरवरी 1999 को पूर्वाह्न 11 बजे वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत किया था। यह एक अतुलनीय और ऐतिहासिक बजट है। ऐसा उत्कृष्ट बजट तैयार करने में उनकी मेहनत को देखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद और बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री जी ने कृषि और सिंचाई को प्रथम वरीयता दी है। कृषि के लिए बजट में आवंटित की गई राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। मैं और इस देश के सभी किसान वित्त मंत्री के आभारी हैं। किसानों को बजट में इस बढ़ी हुई आवंटन राशि का पूरा अधिकार है क्योंकि वे इस देश की जनसंख्या का 70% हैं।

कृषि उत्पादों की मूल्य दरों को स्थिर रखा जाना चाहिए। मानक मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे किसान जीविका के लिए शहरों में न जाएं। इस संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उल्लेख किया गया है। कृषि उत्पाद के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए और समुचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी.एम. मेनसिंकाई]

"अन्नापूर्णा" योजना के अंतर्गत उन सभी गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाएगा जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं परंतु वे अभी इसे पा नहीं रहे हैं तथा जिनके बच्चे उसी गांव में नहीं रह रहे हैं। मेरा सुझाव है कि यह शर्त कि "बच्चे उसी गांव में नहीं रह रहे हों" हटाई जानी चाहिए। वास्तव में इन बूढ़े लोगों के बच्चे अगर साथ रहें तो वे अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हैं।

नोबल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेन की कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर आधारित सिद्धांतों पर बना जीरो बजट मंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

किसान क्रेडिट कार्ड भी एक बहुत अच्छा उपाय है। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ राज्य किसानों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि यह राज्य सरकार की स्कीम है। केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किसानों के दिमाग से इस गलतफहमी को दूर करे।

इस वर्ष सिंचाई पर बहुत जोर दिया गया है। इसकी आवंटन राशि को बढ़ाया गया है। केन्द्र से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चालू वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान अपर थंगा परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएं, यह परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का सपना है जो एक दशक से अधिक समय से लंबित पड़ी है। इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2.75 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। भूमि सुधार को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और संस्थागत ऋण प्रवाह को भारत सरकार द्वारा और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मंत्री जी ने प्रशासनिक खर्च को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय किये हैं। उन्हें केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भारी सरकारी व्यय और खर्चे नियंत्रित करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वे इन अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

चीन सभी सेवाओं का निजीकरण करने के मामले में सबसे आगे हो गया है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी गंभीरता से गौर करें।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनसंख्या के आधार पर धन का आवंटन नहीं किया जाता। 70% से अधिक लोग गांवों में रहते हैं। स्वाभाविक न्याय के रूप में उन्हें बजट में आवंटित राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा (70% और अधिक) मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या का केवल 30% ही शहरी क्षेत्रों में है। इसलिए निधियों का आवंटन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। केन्द्र से मेरा अनुरोध है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवंटन प्रणाली की इस त्रुटि को सुधारा जाए।

मैं उन्हें पिछले एक वर्ष से अधिक समय से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 कख और धारा 44क को हटाने के लिए नहीं मना सका था। मैंने उन्हें यह समझाने का पूरा प्रयास किया कि ये धाराएं अब असंगत हो गई हैं क्योंकि इन धाराओं से वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। उनका कहना यह है कि तीन लाख टैक्स प्रैक्टीशनर जो आत्मनिर्भर हैं और कामर्स की डिग्री प्राप्त किये हुये हैं वे करदाता के लेखों का प्रमाणीकरण करने में समर्थ नहीं हैं।

वे करदाताओं के लेखों का प्रमाणीकरण करने में समर्थ नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग लेखाओं में विशेषज्ञ हैं, वाणिज्य स्नातक लेखाओं में विशेषज्ञ होते हैं। वे किसी भी समय करदाताओं के लेखों का प्रमाणीकरण करने में समर्थ हैं। इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से उन्हें अनुरोध करता हूं कि लेखा मामलों के लिए कम से कम पांच वर्ष या दस वर्ष अनुभव वाले टैक्स प्रैक्टिशनरों को अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर गौर कर रहे हैं। महोदय मैं बहुत खुश हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर): महोदय उन्होंने एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है। कई बार हम वित्त मंत्री जी से अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले हैं। श्री मेनसिंकाई एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिले थे। आयकर अधिनियम में उन संशोधनों को प्रभावी बनाना करना होगा। श्री मेनसिंकाई इस मुद्दे के समर्थन में बोल रहे थे। उनका इस व्यवसाय में पिछले 25 वर्षों का अनुभव है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह जानता हूं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: हम कई बार संबंधित मंत्री से मिले हैं। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी, हां। वे इस पर गौर कर रहे थे।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: हम यह जानना चाहते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: वे इस पर गौर कर रहे थे। अब श्री उस्मानी जी।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा): महोदय आखिर मुझे माननीय वित्त मंत्री के सामने पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कुछ कहने का मौका या अवसर मिल गया है।

महोदय जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, मैं जानता हूं कि दिल्ली स्थित सरकार का रवैया बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि वे समझते हैं कि वहां की समस्याएं या तो समझौते या किसी पैकेज के द्वारा सुलझायी जा सकती हैं और सभी बातों पर चर्चा करना संभव नहीं होगा।

अब मैं केवल वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से मुझसे पहले माननीय सदस्य श्री परांजपे ने छोड़ा था। उन्होंने औद्योगिक पक्ष, लघु उद्योगों और सेवा ईकाइयों के बारे में कुछ बातें कही थी। पिछले 20 वर्षों से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में अशांति फैली हुई है। पिछले दो दशकों से वहां नागरिक अशांति के साथ-साथ लगातार आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो सकता है? यह एक विवाद का मुद्दा है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाना चाहतां हूं कि क्या वे मुख्य कारण का पता लगाकर कोई समाधान ढूंढ़ सकते हैं। श्री मनोरंजन भक्त ठीक वैसा ही पैकेज चाहते थे जैसा कि असम या पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिया गया था। परंतु उस पैकेज से तब तक लाभ नहीं होगा जब तक आप यह नहीं जानते कि इसकी जरूरत कहां है। यह निष्क्रियता का प्रश्न है। हम उस निष्क्रियता से कैसे निकल सकते हैं जिसका अनुभव हमें पिछले दो तीन दशकों से भी अधिक से हो रहा है?

पिछले दो दशकों में तेरह हजार लघु ईकाइयां बंद की गई थीं। पूर्वोत्तर राज्यों में 30,000 से अधिक छोटी लघु ईकाइयां बंद कर दी गई थीं। क्यों? इसका कारण है इस प्रकार की अशांति का होना और वित्तीय ढांचे का सही ढंग से काम न करना था जो उद्योग और कृषि के विकास के लिए जरूरी है। आपने 6000 करोड़ रुपये दिये हैं। आप इस बात को सभा में बार-बार दोहरा रहे हैं। श्री देवेगौड़ा ने भी कहा है कि भारत के बजट आवंटन का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर के लिए खर्च किया जाए। इससे असम और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होना चाहिए। आप इसे किस प्रकार खर्च कर सकते हैं? इसे खर्च करने की शर्तें क्या हैं? मैं एक विशेष समस्या की बात कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे। यह उधार लेने वालों की समस्या है। उच्च न्यायालयों और अन्य सिविल न्यायालयों में सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं क्योंकि बैंकों ने धन की वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी हैं। यह बात समझ में आती है। बैंक हमेशा धन की वसूली की कोशिश करेंगे। यह धन कहां से आएगा। ये लघु ईकाइयां सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उद्यमी किस प्रकार धन का भुगतान करेंगे? यही मुख्य समस्या है। इस पहलू की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिलने वाला है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वे रिजर्व बैंक से इस समस्या का पता लगाने के लिए कहेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे।

जहां तक कराधान का संबंध है, वित्त मंत्री ने कर विवाद समाधान स्कीम के अंतर्गत कर से बचने वालों के लिए 30 प्रतिशत तक की कुछ छूट दी है। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने बैंकों से धन लेकर कोई काम शुरू किया परंतु वे उसे चला नहीं सके? मैं अपने माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि वे पूर्वोत्तर के लिए कर विवाद समाधान स्कीम जैसी कुछ स्कीमें घोषित कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कर रियायत दी है। यह उद्योग के विकास के लिए अच्छी बात है। उद्यमियों के नियंत्रण से बाहर होने वाले कारणों के कारण रुकी हुई पूंजी के लिए भी एक ब्याज रियायत होनी चाहिए। यह कर विवाद समाधान स्कीम जैसी स्कीमों द्वारा किया जा सकता है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए।

संक्षेप में मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को बचाने के लिए ऐसी कुछ स्कीमें बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरियालगुडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट के संबंध में अपने विचारों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा जिसे प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह सबसे अधिक प्रगतिशील बजट है। बजट प्रस्तुत करने से कुछ सप्ताह पहले सरकार ने कुछ उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी थीं ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह धैर्यपूर्वक सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए और अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

डा. बी.एन. रेड्डी : बजट प्रस्तुत करने से कुछ सप्ताह पहले, वित्त मंत्री ने चीनी, चावल, गेहूं, यूरिया और कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ाने की कृपा की थी। पिछले वर्ष जब लेखानुदान

[श्री बी.एन. रेड्डी]

प्रस्तुत किया गया था तो पेट्रोल और यूरिया के मूल्य बढ़ाये गए थे। जब हजारों लोगों ने विरोध प्रकट किया तो कीमतें कम कर दी गयीं। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले डीज़ल की कीमतें कम कर दीं और फिर दुबारा दरें बढ़ा दी गईं। डीजल और पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि से ढुलाई प्रभावित होती है। इससे निश्चय ही आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी मदें प्रभावित होती हैं और वे महंगी हो जाती हैं।

वेतन पाने वाले लोगों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा है। रोज़गार की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जबकि इस देश का युवा रोज़गार के लिए इधर-उधर भटक रहा है। इसके बावजूद सरकार ने सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी है जिससे बेरोज़गारी और अधिक होने की संभावना है।

राष्ट्रीय एजेंडा में पीने का पानी उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है लेकिन केन्द्र द्वारा इस संबंध में कुछ विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब भी इस मुद्दे को सभा में उठाया गया, हमें यह कहा गया कि यह राज्य का मामला है। यहां तक कि आज भी हमें पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हर स्थिति में समर्थन करने वाले दल के नेता हैं, ने बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद कहा कोई निर्धारित दिशा नहीं है। आज आन्ध्र प्रदेश का भी नाम है जिसके बारे में बातचीत की जाती है। यह कहा जा रहा है कि आजकल 500 रु. के नकली नोट प्रचलन में हैं। हो सकता है यह इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका हो। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में विचार करें और देखें कि पीने का पानी और भोजन उपलब्ध करवाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाए जायें।

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आरम्भ में मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अन्नपूर्णा' नाम की एक योजना का प्रस्ताव रखा है। मुझे इस सम्माननीय सभा को यह सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि मंत्री जी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बहुत कृपालु नहीं है क्योंकि उन्होंने इस योजना से लाभान्वित होने वालों में वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या का 20 प्रतिशत की शर्त लगा दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परामर्शदात्री समिति की बैठकों में मेरे द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को स्वीकार किया है।

कृषि इस देश का आधार है। हम सब यह कहते है कि कृषक हमारा सर्वस्व है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई है। जैसा कि मुझे कहा गया है कि मैं सभा का अधिक समय न लूं, इसलिए मैं केवल वित्त विधेयक के बारे में कुछ सुझाव दूंगा।

धारा 143(1), 1431(क) और 143 1(ख) में विद्यमान उपबंधों में संशोधन किया गया है ताकि प्रथमा दृष्टया समायोजनों, अतिरिक्त करो और सभी मामलों में सूचना जारी करने की शर्त को समाप्त किया जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसे नोट कर लें।

उपर्युक्त संशोधन इस आधार पर किए जा रहे हैं क्योंकि आय के विवरणों की लगातार बढ़ती हुई संख्या से इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। हालांकि प्रस्तावित संशोधन आपत्तिजनक नहीं है, धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वर्तमान धारा 143(1) में प्राधिकृत दावों तथा कटौतियों की प्रथमा-दृष्टया अस्वीकृति से उस धारा में दण्डात्मक प्रावधान लागू नहीं होंगे। अन्यथा करदाता की असावधानी से हुई किसी भी गलती के कारण धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत नोटिस जारी और उसके बाद उसके परिणामस्वरूप कार्य की कवायद करनी होगी।

रात्रि 11.00 बजे

महोदय, वित्त विधेयक के खंड 81 और 82 के अनुसार, धारा 234क और 234(ख) के अंतर्गत करदाता द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर को दो प्रतिशत से कम करके डेढ़ प्रतिशत प्रति माह कर दिया गया है। खंड 79 के अनुसार धारा 201(1क) के अंतर्गत ली जाने वाली ब्याज की दर को 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। करदाता द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि धारा 244क के अंतर्गत करदाता को अदा की जाने वाली ब्याज की दर प्रति माह अथवा माह के एक भाग के लिए वही एक प्रतिशत है। यह प्रस्तावित किया जा सकता है कि करदाता को अदा किए जाने वाले ब्याज को भी एक प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया जाए।

निरर्थक आवेदन भेजने को हतोत्साहित करने के लिए वित्त विधेयक के खंड 86 और 94 के अनुसार, यह प्रस्तावित किया गया हैं कि आय कर तथा सम्पत्ति कर अधिनियमों के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण उपयुक्त मामलों में उनकी लागत अदा करने का आदेश दे सकेगा। यह एक स्वागत योग्य संशोधन हैं। इस संबंध में यह उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि कर

निर्धारण अधिकारी कई बार काफी अधिक कर निर्धारित कर देते हैं जिसे अपील में कम कर दिया जाता है। अन्तिम रिपोर्ट में, कर सुधार समिति (राजा चेलिहा समिति) ने सिफारिश की थी कि कर निर्धारण अधिकारी को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और यदि अधिकरण द्वारा अनुचित ठहराई गई मांगों की प्रतिशतता, किसी उपयुक्त प्रतिशतांक अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक है तो अधिकारी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अत: जहां कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया कर निर्धारण आय-कर आयुक्त/अधिकरण द्वारा उचित नहीं ठहराए गए है वहां इसके लिए खंड 84, 86, 93, 94 और 99 में उपयुक्त प्रावधान किये जाने चाहिएं।

*श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह घोषणा की थी कि कृषक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारी लगभग 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनमें से अधिकतर कृषक हैं। लेकिन जब बजट आबंटन किया गया तो उसमें धनराशि का समान वितरण किया गया है। अत: भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह जनसंख्या के आधार पर कृषको को अधिक धनराशि आवंटित कर उनके साथ न्याय करें। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने हमारे देश के निर्धन लोगों के लिए समयानुरूप मदद की है। उन्होंने हमें ब्रिटिशों से मुक्त कराया, अपनी सम्पत्ति राष्ट्र को सौंपी। लेकिन वर्त्तमान सरकार निर्धन लोगों के लिए क्या कर रही है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वर्तमान सरकार ने ग्रामीण लोगों को क्या सेवाएं प्रदान की तथा उन्हें क्या योगदान दिया।

गंगा, महानदी, गोदावरी और कावेरी को समायोजित करने का प्रस्ताव बहुत पुराना है। मैंने यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सम्माननीय सभा में कम से कम एक दर्जन बार उठाया है। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं उनमें पर्याप्त पानी है और 2000 टी एम सी से अधिक पानी समुद्र में चला जाता है। इस नुकसान का परिसर किया जाना चाहिए और इस अतिरिक्त पानी को हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस उद्देश्य से केन्द्र को आगे आना चाहिए और नाबार्ड, विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता लेनी चाहिए। उन्हें शब्दों और संख्याओं में उलझने के बजाय इन प्रगतिशील कार्यक्रमों में रूचि दिखानी चाहिए।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर्नाटक में आठ जिले और हमारे देश में 120 जिले सूखा ग्रस्त क्षेत्र हैं। इन बंजर क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कि कर्नाटक के कोलार जिले में गांवों में पीने के पानी की काफी कमी हैं। हमें बिना समय व्यर्थ किए गांववासियों की इस आवश्यकता को पूरा करना है। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि वह इस मामले में गंभीरता से विचार करें और आवश्यक कदम उठायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोगों को दो जून का भोजन नहीं मिल पाता। उनके पास पहनने को उपयुक्त कपड़े नहीं है उनके बच्चों की शिक्षा खतरे में है उनके लिए कोई उचित शिक्षा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल, कांवेंट स्कूल हैं और विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं प्राप्त है। स्वभाविक इन बच्चों के परीक्षा में 90% और उससे अधिक अंक आते है। दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी परीक्षा में मुश्किल से 35% अंक ही प्राप्त होते हैं। केन्द्र को एक समान शिक्षा नीति रखनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में दोहरे मानदण्ड नहीं होना चाहिए। देश में सभी बच्चों को समान अवसर और सभी को समान सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों को आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

आयात पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। शुल्क कम से कम 35% किया जाना चाहिए अन्यथा हमारा स्वदेशी उद्योग बंद हो जाएगा। पहले ही कई उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण हो गए हैं उनमें से कुछ पहले ही बन्द हो गए है। इन उद्योगों और उपक्रमों को पुनर्जीवित करना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विदेशी एजेन्सियों को हमारे बाजार पर अधिकार जमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हमें भविष्य में भारी विदेशी मुद्रा नहीं गंवानी चाहिए। सिल्क के आयात से हमारे देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्क उद्योग प्रभावित हुए है। इसे तुरन्त रोक दिया जाना चाहिए।

सामाजिक कल्याण विभाग के लिए आवंटन चौंकाने वाला है। यह लगभग 5% है जबकि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली कुल जनसंख्या 70% है। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 23% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं और इन असहाय लोगों को दिया गया बजट आवंटन कितना है।

महोदय मेरा केन्द्र से विनम्र अनुरोध है कि सामाजिक कल्याण विभाग को दिये बजट आवंटन में वृद्धि करें देश के सभी तालुकों में आवासीय नवोदय विद्यालय आरम्भ किये जाने चाहिए तभी हम मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर सकेंगे आज के विद्यार्थी हमारे राष्ट्र का भविष्य है। उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

बेरोजगारी हमारे देश की उन्नति के लिए अन्य गंभीर खतरा है। देश में बेरोजगार लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय इस राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि कम से कम एक करोड़ नवयुवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। रोजगार प्रदान करने के बजाय उन्होंने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। पिछले एक वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की यही उपलब्धि है। वे नामकरण के बारे में पर्याप्त उत्सुक है। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया गया है। इन्दिरा आवास योजना का नाम भी बदल दिया गया है। नाम में क्या रखा है? भारत के लोगों के कल्याण के बारे में सोचने के बजाय यह सरकार ऐसे तुच्छ कार्यों में क्यों उलझी हुई है।

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्मावलम्बी, जैनी और अन्य सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बी.जे.पी. सरकार क्या कर रही है। साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। उड़ीसा में आस्ट्रेलियाई मिशनरियों की नृशंस हत्या साम्प्रदायिक अत्याचार का स्पष्ट उदाहरण है।

यही समय है जब सरकार को संभलना चाहिए। यदि वे देश के गरीब लोगों और किसानों की उपेक्षा जारी रखेंगे तो मैं उन्हें उनके भविष्य के बारे में चेतावनी देता हूं। यदि वे इसे जारी रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि लोग उन्हें इस सभा से हटा देंगे और शीघ्र ही हम सत्ता पक्ष में बैठे होंगे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे दल और सम्पूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी और इस शताब्दी के समाप्त होने से पूर्व हमारे देश को प्रगति और समृद्धि के नए युग में ले जायेंगी।

महोदय, बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय केन्द्रीय वित्त मंत्री और मेरे माननीय मित्रों, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 1999-2000 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जिसे 27 फरवरी 1999 को सभा पटल पर रखा गया था। अपने भाषण में मैं कुछ विशेष मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जो पूरे बोडोलैण्ड क्षेत्र और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में मैं कृषि, सिंचाई, शिक्षा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित अवसंरचना के अभाव के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। अपेक्षित अवसंरचना के अभाव के कारण पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषकर हमारे बोडोलैण्ड क्षेत्र का किसी भी तरह का विकास नहीं किया जा सका। यदि प्रत्येक दृष्टि से सामरिक महत्व के पूर्वोत्तर क्षेत्र और बोडोलैण्ड क्षेत्र का विकास करना है तो भारत सरकार को कई प्रभावी और ठोस नीतिगत निर्णय लेने ही होंगे। सरकार को इन लोगों विशेषकर कृषि, सिंचाई, सड़क, संचार, बाढ़ नियंत्रण, वानिकी और शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ ठोस परियोजनाएं आरम्भ करनी होगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या के पास कृष्य भूमि है। मैं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विशेषकर मेरे बोडोलैण्ड क्षेत्र के लिए कुछ ठोस और लाभकारी आर्थिक पैकेजों की घोषणा करें। दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी उन योजनाओं और परियोजनाओं की कुल राशि लगभग 7300 करोड़ रुपये हैं। कुल 7300 करोड़ रुपये में से असम का हिस्सा लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। 4,000 करोड़ रुपये में से बोडोलैंड भूमि के लिए मुश्किल से 500 करोड़ रुपये होंगे। यह 10 प्रतिशत से भी कम बनता है।

[हिन्दी]

भारत सरकार द्वारा घोषित स्पेशल इकोनोमिक पैकेज से अगर सरटेन परसेन्ट के बिल से बोडोलैंड एरिया को इतना कम हिस्सा दिया जाए तो वह कैसा जस्टिस है। हमारी बोडोलैंड टैरिटरी में भूटान देश और अरूणाचल प्रदेश से होकर बहुत सी नदियां जाती है। इन नदियों के ऊपर किसी तरह का कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है। उनमें से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 1980 में भारत सरकार की अप्रूवल के बाद चम्पोमंती नाम की नदी पर एक इरीगेशन प्रोजेक्ट लिया गया था, जिसका ओरिजिनल प्लान एस्टीमेट 15 करोड़ 32 लाख रुपये था, आज उसे बीस साल हो गये हैं, लेकिन वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

आज तक उस परियोजना पर लगभग 47 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है। पुन: संबंधित अधिकारियों ने हमें बताया कि उन्हें उस परियोजना का पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बीस साल हो गए है। लगभग 50 करोड़ रुपया पहले ही खर्च किया जा चुका है, फिर भी वह पूरा नहीं हो पाया है। सुना

कि भारत सरकार की तरफ से कुछ रुपया आसाम सरकार को भेजा गया, लेकिन वह रुपया आसाम सरकार की तरफ से उसमें नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बोडोलैंड क्षेत्र के भीतर स्थित उपरोक्त परियोजना के खिलाफ यह किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है?

[हिन्दी]

इसके साथ-सात हमारी एन्टायर बोडोलैंड टैरिटरी हर साल फ्लड से अफैक्ट होती है। सुनने को मिलता है कि फ्लड कंट्रोल के लिए दिल्ली से करोड़ों रुपया भेजा जाता है, लेकिन वह रुपया कहां जाता है, हमें मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि बोडोलैंड के लोगों के खिलाफ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बोडोलैंड टैरीटरी में नदियों को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक एंड कांक्रीट प्रोजैक्ट बनाने चाहिए।

[अनुवाद]

इन परियोजनाओं का निर्माण असम सरकार की एजेंसियों के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए?

[हिन्दी]

हमारा बोडोलैंड फारैस्ट्री में बहुत रिच है, लेकिन वहां सारी फारैस्ट्री खत्म हो गई है। उसको बचाने के लिए हमने सुरेश प्रभु साहब से बात की और हमने एक हजार करोड़ रुपए देने की मांग की थी। सुरेश प्रभु साहब उस दिन गौहाटी में गए थे, वहां भी हमने उनसे मिलकर बोडोलैंड की फारैस्ट्री बचाने हेतु प्रोजैक्ट चलाने और फायनेंश्यल असिस्टेंस देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला।

[अनुवाद]

आज तक हमें 1,000 करोड़ रुपये की उस राशि में से एक भी पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बोडोलैंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मुम्बई पोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, दिल्ली को इंटरनेशनल स्टेंडर्ड से भी अच्छा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन बोडोलैंड एरिया में एयरपोर्ट बनाने की बात किसी ने नहीं सोची। हमें बागडोगरा जाना पड़ता है, तो एक दिन गौहाटी में रुककर रात बितानी पड़ती है।

[अनुवाद]

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है यहां तक कि कोई भी पोलिटेक्निक संस्थान नहीं है। यह दिल दुखाने वाली बात है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कालेज, एक इंजीनियरिंग कालेज कुछ पोलिटैक्निक संस्थान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान संस्थापित करें।

[हिन्दी]

वहां के लिए रेलवे लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। वहां रोड्स भी अच्छी नहीं हैं। इरीगेशन स्कीम भी कोई नहीं है। मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं कुछ नैशनल लैवल के कुछ ट्राइवल मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूं। लास्ट ईयर भी हमने बोला था कि एक नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन और ट्राइबल फायनेंश्यल कार्पोरेशन बनाया जाए लेकिन अलग से एक नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं बनाया गया और नेशनल एस.सी., एस.टी. कमीशन से अभी तक उसको जोड़कर रखा हुआ है। हमने मांग की थी कि बोडोलैंड के लिए सैपरेट पैकेज फायनेंश्यल कार्पोरेशन होना चाहिए। हमारी भारत सरकार में ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए उनके प्राब्लम को दूर करने के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर एंड डेवलेपमेंट के नाम से होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात का सपोर्ट सभी एम.पी. लोग करेंगे।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

[अनुवाद]

जब तक अलग से हमारा बोडोलैंड नहीं बनाया जाता हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चालू सत्र के दौरान इस माननीय सदन में अपेक्षित संविधान (संशोधन) विधेयक लाए और हमारी पृथक बोडोलैंड की ज्वलंत मांग पर बिना और विलम्ब किए उसे पूरा करे। इसका एकमात्र समाधान यही है। अत: मैं सरकार से पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव न करे।

[हिन्दी]

अगर नार्थ-ईस्टर्न रीजन के ट्राइबल लोगों के साथ बात करनी है, तो दिल से बात करनी पड़ेगी, मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी, सिर्फ मुंह से नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मेरी बात को मनवाने के लिए निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे और मुझे सहारा देंगे।

[अनुवाद]

मैं आप सभी से पुन: अपील करना चाहूंगा कि आप बोडोलैण्ड क्षेत्र के लोगों की समस्या में मेरा साथ दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए अपना नाम दिया है। आप लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट में मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर शैलेन्द्र कुमार, आपके नाम देने से ही आपको बोलने के लिए समय दे दिया जाए, यह बात नहीं है। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार आपकी पार्टी आपके दल को दिये गए समय से अधिक समय ले चुकी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है, यदि आप हमें बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो हम वाक-आउट कर जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

रात्रि 11.20 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय जब वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा उत्तर देंगे तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया वह हमारी साधारण सी मांग कि जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि के यही नाम दुबारा वापिस लाये, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह सामान्य सी मांग है।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): किन की मांग है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : पूरे विपक्ष की मांग है।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में यह कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वित्त मंत्री को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब वित्त मंत्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): कुरियन साहब, नाम में क्या रखा है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. पी.जे. कुरियन : अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो आप इसे क्यों बदलते हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तीन श्रेणियों में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा–सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अभी भी इस सदन में उपस्थित हैं।

रात्रि 11.22 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उसके बाद मैं उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और चम्पत हो गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको संसदीय कार्य मंत्री को भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने रात्रि भोजन का प्रबंध किया है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आभार मैं उन सदस्यों के प्रति व्यक्त करना चाहता हूं जिसमें से अधिकांश इस पक्ष के सदस्य हैं जिन्होंने चर्चा में भाग न लेकर मुझे यह मौका दिया कि मैं रात के साढ़े ग्यारह बजे से पहले अपना उत्तर दे सकूं। जाहिर है कि जब इन सारे सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया तो बहुत सारे विचारणीय बिन्दु आये। बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी आये हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे सुझाव आये हैं जिनका सीधा संबंध वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल से है क्योंकि वे विशिष्ट कर के प्रावधानों से संबंधित हैं और जब हम दोबारा मिलेंगे और वित्त विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे तब वही उपयुक्त समय होगा जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहां पर जो और प्रश्न उठाये गये हैं, उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारे कुछ मित्र बीच में बैठते हैं, उसमें से अधिकांश चले गये हैं, एक-दो ही बचे हैं। उनका इतिहास रहा है कि वह किसी और देश की नीतियों, उनके ग्रंथों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि वे देश स्वयं बदल गये। उन देशों ने अपनी आर्थिक संरचना बदल दी। सारा कुछ जो पुरानी व्यवस्था में था, वह ध्वस्त हो चुका है मैंने शुरू में ही अपने बजट भाषण में कहा था कि दशक के प्रारंभ में यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी तो वह थी साम्यवादी व्यवस्थाओं का ध्वस्त होना। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि शायद भारत ही ऐसा निराला देश है जिसमें उस सिद्धांत, उस दर्शन और उस मानसिकता के लोग आज भी पाए जाते हैं। जुरासिक पार्क इरा के लोग इतिहास में विलुप्त हो गए लेकिन इस सदन में कभी-कभी नजर आते हैं। जहां तक उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का सवाल हैं, वे कहेंगे कि यह मजदूर विरोधी है, लोक उद्यम विरोधी बजट है, गरीब विरोधी बजट है, देश की आर्थिक संप्रभुता को खोने वाला बजट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन के इशारे पर बनाया हुआ बजट है। यह सुनते-सुनते अब कान पक गए हैं। वह भाषा कभी बदलती ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : आपको सुनना ही होगा।

श्री यशवंत सिन्हा : मेरी त्रासदी यही है कि जब तक मैं वित्त मंत्री हूं तब तक सुनूंगा। अगर मैं साधारण सदस्य होता तो उस समय निश्चित रूप से बाहर होता, दूर होता, जहां तक वह आवाज नहीं पहुंचती। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (दक्षिण मद्रास): माननीय वित्त मंत्री जी, आप बोलते रहिए, आप अपने लिए समस्याएं क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। पहले ही काफी देर हो चुकी है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): श्री बालू, यह डी.एम.के. के बारे में नहीं बल्कि कम्युनिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अब घड़ी देख रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तब घड़ी नहीं देख रहे थे। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो अच्छे-अच्छे कमिटमैंट्स हैं, प्रतिबद्धताएं हैं वे हमारी ही कमिटमैंट्स हैं, हमारी ही प्रतिबद्धताएं हैं, हम उनसे हटे नहीं हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ, दावे के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से सरकार की किसी भी कार्यवाही से भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, यदि कुछ हुआ है तो इससे संप्रभुता और भी शक्तिशाली हुई है। किसी के इशारे पर यह बजट नहीं बनाया गया है। यह बजट पूरी तरह से, हमारे साथ जो दल हैं, उन सबकी सलाह, राय मशविरे और अपने नैशनल एजैंडा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारी रूलिंग कोईलिशन की कोआर्डीनेशन कमेटी है। हमने विशेष तौर पर उसकी बैठक बुलाई थी ताकि वहां बजट के बारे में चर्चा कर सकें और वह चर्चा हुई। यहां पर क्या हुआ? मुझे याद पड़ता

[श्री यशवन्त सिन्हा]

है कि जब पिछले साल मैं अपने बजट की चर्चा का उत्तर देने के लिए यहां खड़ा हुआ था और कभी-कभी यह बात कहता था कि जब मैं अगले साल बजट पेश करूंगा तो उसमें ऐसे प्रावधान करूंगा तो यहां से वहां तक बैठे हुए सदस्यों को यह बात बहुत अटपटी लगी थी—अगले वर्ष का बजट—जैसे अभी कुरियन साहब अगले साल के बजट के बारे में कह रहे हैं, ठीक यही मनोवृत्ति पिछले साल के बजट के बारे में थी। जब हम अगले बजट की चर्चा कर रहे थे तो ये यहां बैठे हुए मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। आज भी मुस्कुरा रहे है जबकि इनको रोना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह काम हम अगले वर्ष के बजट में करेंगे।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : खैर, उसमें जो कुछ हुआ, हो गया। इस साल का बजट हमने पेश किया। जैसा आपको बजट भाषण के समय मैंने कहा था और मैं उसे पूरे विश्वास के साथ दोहरा रहा हूं कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम सारे अगले बजट भी पेश करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा गम्भीर जिस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता था, वह क्या था। यहीं पर बैठे हुए लोग, मैं वह बात नहीं कर रहा हूं, दलगत भावनाएं होती हैं, हम दलगत व्यवहार करते हैं। उधर से इधर शिकायत की जायेगी, यहां की भर्त्सना की जायेगी, हम उनके बारे में कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल आता है, जब देश हित का सवाल आता है, जब राष्ट्र धर्म का सवाल आता है तो हम सब कहीं पर भी बैठे हों, हम सब एक हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला हमें एक होकर ही करना पड़ेगा। हमें कष्ट उस समय होता है, पीड़ा होती है, जब मैं देखता हूं कि उधर के जिम्मेदार सदस्य कभी-कभी ऐसी बातें कहते हैं, जिससे गलत संदेश न केवल देश के भीतर, बल्कि देश के बाहर भी जाता है।

यहीं 1998-99 में इसी सदन में क्या कुछ नहीं कहा गया। क्या यह नहीं कहा गया कि हमारा जो फिस्कल डैफीसिट, राजकोषीय घाटा है, वह सात प्रतिशत को पार कर जायेगा, हम उसको नियंत्रित करने में अक्षम सिद्ध होंगे? क्या यह नहीं कहा गया कि हमारा जो करंट एकाउंट डैफीसिट है, जो चालू खाते का डैफीसिट है, वह तीन प्रतिशत से अधिक चला जायेगा और यह देश एक बार फिर भुगतान संतुलन के संकट में फंस जायेगा ही नहीं, फंस गया है और 1991 जैसी स्थिति फिर से इस देश में आ गयी है? क्या इसी सदन में यह नहीं कहा गया कि मुद्रास्फीति पर हमारा नियंत्रण खत्म हो चुका है और इस साल मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से ऊपर हो जायेगी, दो अंकीय हो जायेगी? ये सारी बातें इसी सदन में बहुत ही जिम्मेदार सदस्यों के द्वारा कही गईं, जिसमें हमसे ठीक पहले हमारे जो पूर्वाधिकारी मंत्री थे, चिदम्बरम साहब, वे भी ये बातें कह रहे थे। अभी चिदम्बरम साहब नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : हमेशा की तरह।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : जब पिछले साल उन्होंने भाषण दिया था तो हमने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना था। तब कम से कम उन्होंने यह शिष्टाचार निभाया था कि एक शादी में भाग लेने के लिए उन्हें चेन्नई जाना था, वे मेरे पास आये थे, उन्होंने हमसे कहा था कि आपके उत्तर के समय मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आप कृपया मुझे माफ कर दें और मैंने उस बात की चर्चा सदन में की थी। आज उन्होंने उस शिष्टाचार को नहीं निभाया है। किसी की पीठ के पीछे कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि रिकार्ड पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसलिए मुझे कुछ बातों का स्पष्टीकरण यहां पर देना आवश्यक लगता है। यहां पर कई अन्य सदस्यों के द्वारा कहा गया कि हम लोग जन वितरण प्रणाली की जो वस्तुएं आपूर्ति करते हैं, उनकी कीमत हमने बजट के पहले बढ़ा दीं और कहा गया कि इसमें इस सदन का अपमान हुआ है, अवमानना हुई है; क्योंकि हमें सदन के समक्ष आना चाहिए था। हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र यहां पर बैठे हैं, 1991 से लेकर 1996 पांच वर्ष तक इनका शासन काल था। उन पांच वर्षों में तीन बार इन्होंने उन कीमतों को ऊपर किया और उन तीन बार में से एक बार भी बजट से उसका कोई लेना-देना नहीं था। ये सारे बजट के बाहर हुए थे, अब जब वही लोग यह सीख हमें देने लगते है कि बजट के बाहर क्यों रखा, बजट में क्यों नहीं किया, पार्लियामेंट का अपमान हो गया तो मुझे यह बात अटपटी लगती है, बेतुकी लगती है कि जिन्होंने जो खुद किया है ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मतलब वही आइडियल है, वहीं आपने फॉलो किया है?

श्री यशवन्त सिन्हा : आइडियल नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि यही परम्परा रही है, क्योंकि जो मूल्य निर्धारित वस्तुएं हैं, उनका बजट से सीधा सम्बन्ध नहीं है। उसको जब चाहे सरकार

बदल सकती है। हमने कई कारणों से जिसका स्पष्टीकरण इस सदन में दिया जा चुका है, उनको बढ़ाने का काम किया था। फिर भी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके ऊपर कोई भार नहीं डाला गया, उनको उससे बाहर निकाला गया है। यहां पर कहा जा रहा है, चिदम्बरम साहब कहकर चले गए, पिछले साल हमने कहा था यह बजट स्वदेशी से जुड़ा हुआ बजट है, रूटेड इन स्वदेशी। इस साल हमने स्वदेशी का ही उल्लेख नहीं किया। अब वे शब्दों को ढूंढ़ रहे हैं, वे भूल गए कि बजट यहां रखते समय मैंने कहा था-'पुटिंग इंडिया फर्स्ट', ये शब्द थे हमारे कि हम भारत को सर्वोपरि और सर्वप्रथम रखते हैं, इस देश को, देश के हितों को। क्या वह स्वदेशी नहीं है, क्या स्वदेशी शब्द का जब हम इस्तेमाल करेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि यह स्वदेशी बजट है या नहीं है। यदि हमने स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया होता तो शायद वे खड़े होकर उसकी भी भर्त्सना करते, जो नो विन सिचुएशन बनाने का प्रयास होता है। अब कहें तो उसकी शिकायत होगी, न कहें तो उसकी भी शिकायत होगी। अगर आप देखें इस बजट का आकार क्या है, तो आप पाएंगे कि स्वदेशी का अंश इसमें कूट-कूटकर भरा हुआ है, क्योंकि हम स्वदेशी को समझते हैं। वे स्वदेशी को नहीं समझते, जिन्होंने विदेश में जाकर, अंग्रेजों को कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यापार करने आई थी, उसी तरह तुम आओ, भारत का शोषण करने के लिए, वे क्या स्वदेशी को समझते हैं, उनके तो मुंह से भी स्वदेशी शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, और वे हमारी स्वदेशी की जो अवधारणा है, उसको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं।

स्वदेशी सिर्फ शब्दों का मोहजाल नहीं है, स्वदेशी हृदय में बसने वाली एक निष्ठा का प्रमाण है। वह निष्ठा जैसा मैंने कहा हम सबमें कूट-कूटकर भरी हुई है और हम पूरी तरह से उस स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

कई माननीय सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। पिछले साल भी कहा गया था कि यह बजट मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। जिनको कुछ कहने को समझ में नहीं आता, वे कहते हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। मुझे पीड़ा होती है जब कुछ समझदार लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं मानता हूं इस साल कुछ महीने मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी, लेकिन वह मुद्रास्फीति अब हमारे पीछे है। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गईं, तो चिदम्बरम जी जैसा व्यक्ति अगर उठकर कहे कि उनकी कीमतों में वृद्धि इसलिए हुई, क्योंकि मनी सप्लाई, एम-3 बढ़ गए, इसलिए आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ गईं, मुझे लगता है इससे बढ़कर नासमझी की कोई बात ही नहीं हो सकती। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने इसी सदन में बार-बार कहा है कि मुद्रास्फीति को हम तीन भागों में बांटकर देखते है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और पावर, फ्यूल, लाइट तथा लुब्रिकेंट, तो हम पाते हैं कि 1997-98 की तुलना में पावर, फ्यूल, लाइट एंड लुब्रिकेंट की कीमतों में वृद्धि की दर में इस साल 1997-98 की तुलना में गिरावट आई है, 13 प्रतिशत से ऊपर की कमी हुई है। जहां तक मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सवाल है, उसमें लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि हुई है तो वह वृद्धि हुई है प्राइमरी प्रोडक्ट्स में, वह क्यों हुई, उसका स्पष्टीकरण हम सदन में बार-बार दे चुके है। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गया, एम-3 बढ़ गया इसलिए आलू की कीमत बढ़ गई। कुछ लोगों का कहना है कि पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, इसलिए आलू की कीमतें बढ़ गईं। लोगों के मन में जो आता है वे बोल कर निकल जाते हैं और उत्तर के समय नदारत रहते हैं। यह बिलकुल निराधार बात है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि इस साल 1998-99 में मुद्रास्फीति की दर 5.5 से नीचे होगी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की चर्चा होती थी, जिसके बारे में कहा गया कि 19.7 प्रतिशत तक इंडैक्स चला गया था, मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी के जो न्यूनतम आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक वह दर घट कर अब 9.4 प्रतिशत है। चिदम्बरम साहब के समय में जनवरी, 1998 में वह 9.7 प्रतिशत थी, इसका मतलब हुआ कि इस जनवरी से पिछली जनवरी में कीमते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार ज्यादा थी। इसलिए यह कहना कि हमने कठोर कदम उठाए, कई उपाय किए और इस तरह हमने मुद्रास्फीति के ऊपर सफलता से काबू पाने का काम किया, इसका हमें श्रेय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिकायत के लिहाज में कहा जाए कि मुद्रास्फीति की दर इतनी हो गई। यहां एक माननीय सदस्य इकोनोमिक सर्वे के आंकड़े कोट कर रहे थे, वे दिसम्बर तक के आंकड़े हैं। उसके बाद के आंकड़े आ गए है जिनको इन्होंने जानबूझ कर छिपाने का काम किया। इन्होंने फारेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कही। इन्होंने कहा कि 4.2 बिलियन डालर हमने जो रिसर्जेंट इंडिया बांड के माध्यम से लिए, वह अगर न मिला होता तो हमारा विदेशी भंडार का भंडार कम हो गया होता। 26 बिलियन डालर इनके समय में था, वह घट कर 24 बिलियन डालर पर आ गया होता, यह कहने का क्या तुक है। क्या रिसर्जेंट इंडिया बांड चिदम्बरम साहब हमारे लिए छोड़ कर गए थे, उनकी बनाई हुई योजना थी? सरकार ने सारी परिस्थितियां, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी शामिल थीं, उनको ध्यान में रख कर हमने उस योजना के बारे में सोचा था और वह पैसा इस सरकार ने रेज किया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से नहीं, प्रवासी

[श्री यशवन्त सिन्हा]

भारतीयों से, अनिवासी भारतीयों से, उनके माध्यम से 18,000 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा में जोड़ने का काम इस सरकार ने किया। हमने सूझ-बूझ दिखाई है। दुनिया भर में जो संकट का दौर चल रहा था और अभी भी चल रहा है उससे निपटने का उपाय किया।

उस दिन सुषमा जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही थी, वह कितना प्रुडेंट था। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय जितने विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर पांच वर्षों के इस तरह के बांड बाजार में ले जाने का, इश्यू करने का काम किया, उनमें सबसे कम दर पर जिस देश ने इतनी बड़ी मुद्रा को उठाया उस देश का नाम भारत है। हमने यह काम इसलिए किया क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद मूडीस की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर थे, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने भारत को डाउन ग्रेड करने का काम किया। उन्होंने भारत को वाच लिस्ट पर रखा हुआ था। जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। उन संकटों को देखते हुए, उन्होंने भी सोचा कि परमाणु परीक्षण के बाद इस देश का पता नहीं क्या होगा इसलिए उन्होंने डाउन ग्रेड किया।

महोदय, मैं पिछले 12 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता रहा हूं और हर जगह भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा इस बात के लिए हुई है कि हमने इस संकट का काफी मुस्तैदी और सूझ-बूझ के साथ मुकाबला किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की पिछले साल अक्तूबर के महीने में सालाना बैठक हुई थी, मुझे यह कहते हुए संतोष है कि भारत और चीन दो ही ऐसे देश थे, जिनका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के स्टेटमेंट में हुआ था कि ये दोनों देश अपने विकास के दर की गति को बनाए रखेंगे।

मुझे खुशी है कि इस साल के 1998-99 में सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन ने जो कि एक मानी हुई संस्था है और जिसकी कद्र और इज्जत है, कहा कि इस साल विकास की दर 5.8 प्रतिशत होगी। यह कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसको मैनेज किया। हम लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया और न ही सी.एस.ओ. कोई मैनेज होने वाली संस्था है। चिदम्बरम जी के समय में भी सी.एस.ओ. ने कहा था कि 1997-98 में विकास दर 5 प्रतिशत होगी। उस समय वित्त मंत्रालय ने एक कंट्राडिक्शन भेजा था और कहा था कि यह गलत है, विकास की दर 5.5 प्रतिशत ही होगी। मैं यहां पर साफ-साफ कहना चाहता हूं कि वह बात भी हमारे इकोनोमिक सर्वे में अंकित है कि पांचवें पे-कमीशन के चलते इन्होंने सरकारी मुलाजिमों को जो अधिक पैसे बंटे तो उसी से सर्विस सैक्टर में एक प्रतिशत जी.डी.पी. का ग्रोथ उसी के चलते हो गया। वह अभी तुलना कर रहे थे कि हमारे समय में 8.2 प्रतिशत ग्रोथ हुआ था। आपके समय में 6.7 प्रतिशत ही ग्रोथ रहा है यानी कि दर घट गयी। हां, घट गयी, क्योंकि हमने पांचवां पे-कमीशन नहीं जोड़ा हुआ है। अगर पांचवें पे-कमीशन को निकाल दे, उस एक प्रतिशत को निकाल दें तो 1997-98 में आर्थिक विकास की दर 4 प्रतिशत है। इस साल कृषि में अच्छी पैदावार हुई तो उसका भी क्रैडिट क्या हम चिदम्बरम जी को और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को दे दें, क्या वह हमारे खाते में नहीं आयेगा। कहीं अगर प्रौफिट हो गया तो उनके खाते में और अगर गिरावट आ गयी तो हमारे खाते में, यह नहीं चलेगा।

मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की दर तीन प्रतिशत घटी है और उसकी बड़ी भर्त्सना हो रही है, लेकिन कृषि के विकास में तो वृद्धि हुई है, पैदावार में वृद्धि हुई है, उसका श्रेय तो हमें मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई अचानक नहीं हुई है। हमने बहुत सारे प्रो-एक्टिव-स्टैप्स लिए हैं। पिछले साल के बजट से लेकर इस साल के बजट में हमने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम-उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया है और यह हमारा मेजर थ्रस्ट एरिया रहा है और इस साल के बजट में भी है।

यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट था। चाहे फौरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फौरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, उसमें हो सकता है कि कमी आई हो। लेकिन आप देखिये कि आज भारत दूसरे देशों की तुलना में कहां खड़ा है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, रूस और ब्राजील आज कहां खड़े हैं? हम तो उस संकट में नहीं फंसे। उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वभाव-स्वभाव की बात होती है। अभी चिदम्बरम जी डावोस की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आप बोल रहे थे तो मैं ऑडियंस में बैठा था और मैंने आपको अपलॉड किया था। उन्होंने डावोस में और न्यूयार्क के स्टॉक एक्सचेंज में क्या कहा था जरा वे सदन में बताएं। हम जो डावोस और न्यूयार्क में भाषा बोलते हैं वही भाषा इस सदन में भी बोलते है। हमारी भाषा में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने डावोस के भाषण में जिसमें चिदम्बरम जी ऑडियंस में बैठे थे, दुनिया भर के लोगों से कहा था कि यह जो आपकी मार्किट इकोनोमी की व्यवस्था है, यह चलने वाली नहीं है, इसमें सुधार लाओ।

[अनुवाद]

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यदि आप किसी व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं तो पूंजीवाद शब्द कोष का गन्दा

शब्द बनकर रह जायेगा। मैंने यही कहा था, मुझमें ऐसा कहने का साहस है।

[हिन्दी]

जब तक मार्किट इकोनोमी को ठीक से नियमित करके नहीं चला जाएगा, वह सफल नहीं हो सकती है। देश की जनता की सेवा नहीं कर सकती। मैं जब न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज गया, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि वहां एक सैरेमनी होती है, उसकी ट्रेडिंग न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में शुरू करवा दीजिए। मैं ये छोटी-छोटी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि मैं पहला भारतीय हूं जिसने न्यूयार्क में जाकर स्टाक एक्सचेंज को खोलने का काम किया। मुझे याद आ रहा है कि जब चर्चा हो रही थी तो न्यूयार्क के सबसे बड़े पदाधिकारी ने कहा था कि

[अनुवाद]

''मंत्री महोदय आप पूंजीवाद के चर्च में आए हैं। यहां पूंजीवाद की चर्च है।''

मैंने उसके उत्तर में कहा था:

''मैं पूंजीवाद की चर्च में आया हूं लेकिन इस दुनिया के सिद्धांत को अपने में तबदीली लानी होगी, अन्यथा यह इतना बदनाम हो जाएगा कि विश्व में कोई भी इस संस्था में चर्च पर विश्वास करने को तैयार नहीं होगा। यही बात मैंने न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में कही थी।''

[हिन्दी]

हम में अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता है और उसे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था बिगड़ी। उसमें भारत को जो नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, वह नेतृत्व प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा कि यह वर्ष 1998-99 बेकार वर्ष है।

वेस्टेज इसलिए हुआ कि वह वित्त मंत्री नहीं रहे। अगर वह वित्त मंत्री होते तो यह बहुत फ्रूटफुल ईअर रहता। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं थीं। मैंने पिछले साल भी कहा था कि उनकी आदत है कि वे गंभीरता से हास्य पर पहुंच जाते है।

उन्होंने कहा कि यह आंकड़े सस्पैक्ट हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी सभी सदस्य चाहते हैं कि आज ही बजट पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : उन्होंने शॉर्ट-फॉल के बारे में पढ़ कर सुनाया। चिदम्बरम जी के काल में प्लान में 10,806 करोड़ रुपए का शॉर्ट फॉल हुआ था। मैं जब कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री था तो उसके कई वर्षों तक उस सदन का सदस्य था। यहां दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं। हम दोनों उस सदन में इकट्ठे थे। मैंने एक बार भी बजट पर चर्चा नहीं की और कुछ नहीं बोला। इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि यह खतरनाक होता है कि जो इम्मिडिएट प्रेडिसेसर है वह इम्मिडिएट सक्सैसर के बारे में कहना शुरू करे। चिदम्बरम जी के मन में कोई कुंठा है, पीड़ा है तो वह यह है कि उनका ड्रीम बजट सक्सैसफुल नहीं हुआ, उनका ड्रीम बजट फेल हो गया, इसलिए वह लगातार उसकी बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : वह भूल गए कि उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक और बात कही गई। मैं अभी उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो कुरियन जी ने विशेष कर मेरा ध्यान जिस तरफ आकर्षित किया वह कुछ योजनाओं के नाम को लेकर था। चिदम्बरम जी ने 'मीन' और 'पैटी' शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आपके दल के जो पैटी और मीन प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कहने में मत आएं। मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के बहुत बड़े-बड़े नेताओं में से थे जिन का नाम सदियों तक याद किया जाता रहेगा। हमारे मन में उनके लिए कोई अनादर नहीं है। इन्दिरा जी का इतिहास में अपना स्थान है। उनके लिए हमारे मन में कोई अनादर नहीं है। हम उन लोगों में नहीं हैं, जो गलियों, सड़कों, नालियों, कूचे और स्टेडियम आदि के नाम अपने दो-तीन नेताओं के नाम पर रखते हों। यहां कहा गया कि हमने दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक योजना चला दी-हां चला दी। क्या कोई पाप किया?

[श्री यशवन्त सिन्हा]

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कतई यह मंशा नहीं थी।

हमारी मंशा किसी को कोई दुख पहुंचाने की नहीं थी। हम इन दोनों योजनाओं की प्रकृति में संशोधन कर रहे हैं।

हमने ग्राम समृद्धि योजना बनाई। जवाहर रोजगार योजना मात्र एक रोजगार की योजना है और हम ग्राम समृद्धि की योजना बना रहे हैं और इसलिए जवाहर रोजगार योजना को, उसका एक अंश रखते हुए, जिसका अब सारा स्वरूप नया है, उस योजना को हमने किसी नेता का नाम पर नहीं रखा, हमने उसको ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि एक अच्छे बजट को इसके कारण किसी संकट में हम डाल दें। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि जैसे समग्र आवास योजना है, अब उसका स्वरूप हमने बदला है। इंदिरा आवास योजना अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है लेकिन हमने उसको और अधिक बड़ा बनाया, बृहत् बनाया और उसे हमने कहा–समग्र आवास योजना। उस योजना का एक अंश जैसे जवाहर रोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना का एक अंग है, उसी तरह इंदिरा आवास योजना समग्र आवास योजना का एक अंग है। लेकिन फिर भी हमारे कांग्रेस के मित्र जानते हैं और जैसा कुरियन साहब ने कहा कि उनके जो न्यू फाउंड फ्रेण्ड है, उन सबकी यदि मंशा है तो हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का अनादर हो, किसी को पीड़ा पहुंचे, इसलिए हमने तय किया है कि जो ग्राम समृद्धि योजना है, उसे हम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से आगे चलाएंगे। समग्र आवास योजना में चूंकि इंदिरा आवास योजना ऑलरेडी शामिल है, उसको नहीं बदला गया है। बदला तों जवाहर रोजगार योजना को भी नहीं गया है। इसलिए चूंकि उसके बारे में कोई कनफ्यूज़न नहीं है, इसलिए इंदिरा आवास योजना चलती रहेगी। समग्र आवास योजना का एक प्रमुख अंग इंदिरा आवास योजना रहेगी।

[अनुवाद]

श्री वैको : आप बहुत उदार है लेकिन वो नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : इसलिए कृपया आप इस बात को निश्चित रूप से ध्यान से निकाल दें कि हमने किसी को नीचा दिखाने के लिए यह काम किया है या उनके बड़प्पन में, उनकी महानता में हमारा विश्वास कम हो गया है।

यहां पर परांजपे साहब शायद चले गए उन्होंने ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैको : वित्त मंत्री महोदय, मैंने सेतुसमुद्रम के कार्यान्वयन की मांग की है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : कुरियन साहब से मैं एक रेक्वेस्ट करना चाहूंगा। दिल्ली में दो हवाई अड्डे है और दोनों के नाम इंदिरा गांधी के नाम से हैं। इससे लोगों को बड़ा कनफ्यूजन होता है। आप चाहें तो सरकार को प्रस्ताव कर दें कि एक हवाई अड्डे का नाम लाल बहादुर शास्त्री या किसी और के नाम से कर दें। क्या आप मुझसे सहमत हैं? ...(व्यवधान) यह किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि लोक हित में किया गया है। ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, इसी सदन में और दूसरे सदन में उसकी घोषणा हुई थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि एम.पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में दी जाने वाली राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये इसी वर्ष से कर दी जाएगी।

मध्य रात्रि 12.00 बजे

हमारा उसके प्रति कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई मतभेद नहीं है। पूरी सरकार प्रतिबद्ध है कि उस योजना की राशि को इसी वर्ष से दो करोड़ किया जाए। मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसके कुछ नियम, कायदे और कानून हैं और जो पैसा हम रिलीज करेंगे वह नियम और कायदे-कानून के अनुरूप करेंगे। ...(व्यवधान) जब आप चाहें उस समय कायदे-कानून से कर देंगे ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हर सदस्य चाहे वह इस सदन का सदस्य हो या उस सदन का सदस्य हो, यह मानकर चले कि अगले वर्ष से उसके पास तीन करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है, जिसमें दो करोड़ रुपये अगले वर्ष की और एक करोड़ रुपये जो इस वर्ष खर्च नहीं हुई, वह अगले वर्ष में जायेगी ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और श्री मनोरंजन भक्त जी बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहां कि दूर-दराज के जो इलाके हैं, जो आइलैंड टैरिटरीज हैं, उनके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमने बराबर उनकी चिंता की है, लेकिन फिर भी अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री पी.एम. सईद साहब के मन में या किसी और के मन में यह भावना है कि हमें अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की उतनी चिंता नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन दोनों द्वीप

समूहों की पूरी चिंता है और इसीलिए उस प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए मैं यहां आज घोषणा करना चाहता हूं कि हमने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जिस पैकेज की घोषणा बजट में की है, वही पैकेज हम अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर को देंगे ...*(व्यवधान)*

इंजीनियर शंकर पन्नू (श्री गंगानगर): राजस्थान के लिए भी कुछ कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : पूरे देश के लिए ...*(व्यवधान)* जम्मू कश्मीर के लिए हम वह पैकेज देंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सेतु समुन्द्रम परियोजना का जिक्र किया है जिसका बजट में मैंने उल्लेख किया था। मैं पूरी तरह में माननीय सदस्य श्री वैको के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: लेकिन आप मेरे साथ सहमत नहीं हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

श्री टी.आर. बालू: मंत्री महोदय, हम जानना चाहते हैं क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। मैंने तो आपसे यही बात पूछी है।

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि इसे पूरा करने का श्रेय किसको मिलना चाहिए लेकिन तथ्य स्वयं सच्चाई को लायेंगे। तथ्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक इस सरकार के अलावा किसी भी सरकार ने दिल्ली में सेतु समुन्द्रम परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहा है। यही सच है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना सच नहीं है ...*(व्यवधान)* इन्हें पता होना चाहिए कि यह रिपोर्ट कई बार प्रस्तुत की गई है। ...*(व्यवधान)* इन्हें पता होना चाहिए कि पूर्व में क्या घटित हुआ है। यह तथ्य छिपा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू यह ठीक नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मंत्री जी तथ्य छिपा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी ही थे जिन्होंने मेरे दल मरुमलार्थी डी.एम.के. द्वारा की गई रैली में भाग लिया था और आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)* महोदय वैको ने इसकी मांग की थी और सरकार ने इसे पूरा किया ...*(व्यवधान)* श्रेय श्री वाजपेयी जी को जाता है ...*(व्यवधान)* श्री बरनाला भी उस बैठक में उपस्थित थे जहां प्रधानमंत्री ने वह घोषणा की थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सी. गोपाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वैको: मैं किसी की बात पर विवाद नहीं कर रहा हूँ। किंतु तथ्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 15 सितम्बर, 1998 की रैली में घोषणा की थी वह एक सत्य है। यह घोषणा भाजपा सरकार ने की। यह घोषणा वाजपेयी सरकार ने की। किसी अन्य प्रधान मंत्री, उनके पूर्ववर्ती किसी प्रधानमंत्री ने यह घोषणा नहीं की। केवल श्री वाजपेयी ने यह घोषणा की। श्री गौड़ा और श्री गुजराल प्रधानमंत्री थे किंतु उन्होंने इस संबंध में घोषणा नहीं की। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तथ्य की जानकारी है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): हमारे नेता ने ही कहा था कि प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को बनना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सी. गोपाल, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी मान नहीं रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि इसमें 'सेतु समुद्रम' परियोजना जोड़ी गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू, यह अच्छा नहीं है, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: जब वे सरकार चला रहे थे तो उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने तमिलनाडु की जनता को उकसाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है। कृपया समझने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, यह बजट ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम तमिलनाडु के बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम भारत के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया समझिए।

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था इस बजट का आशय भारत की जनता को शक्ति प्रदान करना है, यह बजट त्वरित विकास और भारी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह बजट भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेंगा। यह बजट मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाएगा जिससे वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। यह बजट कराधान प्रणाली में खामियों को दूर करेगा। इस बजट ने बजट निर्माण में सभी प्रकार के दबावों व खामियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है और यह पहला बजट है जो भारत को पहले रखता है। महोदय, यह बजट भारत को पहले रखता है और मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि यह बजट इस सदी व सहस्राब्दि का अंतिम बजट नहीं है। तकनीकी दृष्टि से इस सदी व सहस्राब्दि का अंतिम बजट इस सरकार द्वारा अगले वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस सदी व सहस्राब्दि का अंतिम बजट होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट को सभा के विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष, 1999-2000 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27, 29, 30, 32 से 59, 61 से 93, 95, 96, 98 से 103 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	986,47,00,000	3,20,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	31,58,00,000	44,81,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	201,99,00,000	–
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	76,93,00,000	4,64,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	43,12,00,000	9,54,00,000
6.	उर्वरक विभाग	2641,65,00,000	76,58,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	110,09,00,000	7,71,00,000
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय			
8.	उपभोक्ता मामले विभाग	4,56,00,000	30,00,000

1	2	3	
9.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	2172,07,00,000	3,33,00,000
10.	शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग	117,35,00,000	34,40,00,000
	कोयला मंत्रालय		
11.	कोयला मंत्रालय	67,07,00,000	58,95,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
12.	वाणिज्य विभाग	182,97,00,000	12,52,00,000
13.	आपूर्ति विभाग	9,48,00,000	–
	संचार मंत्रालय		
14.	डाक विभाग	726,25,00,000	13,90,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	3510,34,00,000	2121,67,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
16.	रक्षा मंत्रालय	565,15,00,000	6,58,00,000
17.	रक्षा पेंशन	1224,73,00,000	–
18.	रक्षा सेवा-थल सेना	4062,79,00,000	–
19.	रक्षा सेवा-नौसेना	568,85,00,000	–
20.	रक्षा सेवा-वायुसेना	1040,21,00,000	–

1	2	3	
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	750,00,00,000	–
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	2037,05,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	132,14,00,000	2,26,00,000
	विदेश मंत्रालय		
24.	विदेश मंत्रालय	372,12,00,000	44,84,00,000
	वित्त मंत्रालय		
25.	आर्थिक कार्य विभाग	147,25,00,000	24,28,00,000
26.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	161,61,00,000	95,08,00,000
27.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	49,66,00,000	1126,63,00,000
29.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	2613,51,00,000	29,17,00,000
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		300,00,00,000
32.	व्यय विभाग	3,64,00,000	67,00,000
33.	पेंशन	465,87,00,000	–
34.	लेखा परीक्षा	131,54,00,000	148,00,000
35.	राजस्व विभाग	165,69,00,000	33,00,000

1	2	3	
36.	प्रत्यक्ष कर	142,61,00,000	27,50,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	176,00,00,000	44,74,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6,78,00,000	1,83,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
39.	स्वास्थ्य विभाग	336,25,00,000	71,95,00,000
40.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग	16,33,00,000	1,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	567,98,00,000	3,00,000
	गृह मंत्रालय		
42.	गृह मंत्रालय	87,38,00,000	3,10,00,000
43.	मंत्रिमंडल	19,12,00,000	4,17,00,000
44.	पुलिस	1062,70,00,000	87,39,00,000
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	111,86,00,000	43,36,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	66,97,00,000	54,53,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	1322,79,00,000	1,00,000

1	2	3	
48.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	37,71,00,000	64,00,000
49.	संस्कृति विभाग	60,42,00,000	–
50.	महिला और बाल विकास विभाग	339,77,00,000	–
उद्योग मंत्रालय			
51.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	65,16,00,000	3,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	71,00,000	–
53.	भारी उद्योग विभाग	7,07,00,000	394,48,00,000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	119,46,00,000	45,97,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना, फिल्म और प्रचार	35,52,00,000	2,19,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	321,10,00,000	67,63,00,000
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	154,55,00,000	26,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	35,94,00,000	–

1	2	3	
59.	चुनाव आयोग	1,54,00,000	–
61.	कम्पनी कार्य विभाग	5,35,00,000	5,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
62.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	44,67,00,000	15,05,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	80,00,000	–
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	28,89,00,000	53,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,00,00,000	–
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
66.	योजना	25,96,00,000	13,52,00,000
67.	सांख्यिकी विभाग	22,42,00,000	2,10,00,000
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1580,00,00,000	–

1	2	3	
विद्युत मंत्रालय			
69.	विद्युत मंत्रालय	170,35,00,000	495,40,00,000
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय			
70.	ग्रामीण विकास विभाग	460,95,00,000	–
71.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	3488,00,00,000	50,00,00,000
72.	बंजर भूमि विकास विभाग	16,88,00,000	–
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	103,11,00,000	6,43,00,000
74.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	145,83,00,000	92,00,000
75.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	20,01,00,000	1,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय			
76.	इस्पात विभाग	1,56,00,000	2,34,00,000
77.	खान विभाग	49,59,00,000	24,15,00,000
भूतल परिवहन मंत्रालय			
78.	भूतल परिवहन	11,57,00,000	2,77,00,000

1	2	3	
79.	सड़कें	214,04,00,000	404,22,00,000
80.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	74,14,00,000	101,14,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
81.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	71,46,00,000	96,34,00,000
	पर्यटन मंत्रालय		
82.	पर्यटन मंत्रालय	27,11,00,000	3,67,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
83.	शहरी विकास	81,67,00,000	85,68,00,000
84.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	34,05,00,000	26,67,00,000
85.	लोक निर्माण कार्य	93,77,00,000	41,16,00,000
86.	लेखन सामग्री और मुद्रण	26,65,00,000	71,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
87.	जल संसाधन मंत्रालय	89,59,00,000	5,88,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	183,12,00,000	36,50,00,000

1	2	3	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा	214,98,00,000	143,82,00,000
90.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	239,23,00,000	158,33,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
91.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	33,43,00,000	1,66,00,000
	महासागर विकास विभाग		
92.	महासागार विकास विभाग	18,23,00,000	25,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग		
93.	अन्तरिक्ष विबाग	313,97,00,000	64,31,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
95.	राज्य सभा	7,48,00,000	–
96.	लोक सभा	16,24,00,000	–
98.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	16,00,000	–
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
99.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	82,01,00,000	36,77,00,000
100.	चंडीगढ़	102,84,00,000	14,63,00,000

1	2	3	
101.	दादरा और नगर हवेली	32,87,00,000	5,30,00,000
102.	दमन और दीव	30,56,00,000	4,28,00,000
103.	लक्षद्वीप	26,81,00,000	4,14,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		36623,75,00,000	8758,47,00,000

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 1998-99 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संशय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13 से 20, 24 से 26, 28, 34, 35, 37 से 41, 43, 45 से 52, 54 से 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 71 से 73, 75, 78, 80 से 84, 87, 89, 92, 95, 96 और 98 से 103"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	334,60,00,000	–
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,00,000	–

1	2	3	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	1,00,000	3,00,00,000
6.	उर्वरक	3,00,000	1,00,000
	खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय		
9.	उपभोक्ता मामले विभाग	4,79,00,000	–
11.	शर्करा और खाद्य तेल विभाग	70,10,00,000	85,98,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
13.	वाणिज्य मंत्रालय	47,34,00,000	–
14.	आपूर्ति विभाग	4,00,000	–
	संचार मंत्रालय		
15.	डाक विभाग	639,11,00,000	–
16.	दूरसंचार विभाग	418,13,00,000	1,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
17.	रक्षा मंत्रालय	87,06,00,000	1,00,000
18.	रक्षा पेंशन	1346,47,00,000	–

1	2	3	
19.	रक्षा सेवा-थल सेना	666,52,00,000	–
20.	रक्षा सेवा-नौसेना	242,62,00,000	–
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	–
	विदेश मंत्रालय		
25.	विदेश मंत्रालय	1,00,000	–
	वित्त मंत्रालय		
26.	आर्थिक कार्य विभाग	466,29,00,000	–
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	2597,75,00,000	1578,27,00,000
34.	पेंशन	1368,06,00,000	–
35.	लेखा परीक्षा	31,68,00,000	19,00,000
37.	प्रत्यक्ष कर	94,60,00,000	–
38.	अप्रत्यक्ष कर	40,75,00,000	–
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–

1	2	3	
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
40.	स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	–
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग	3,52,00,000	–
	गृह मंत्रालय		
43.	गृह मंत्रालय	20,37,00,000	–
45.	पुलिस	141,13,00,000	1,00,000
46.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	2,00,000
47.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	83,41,00,000	10,72,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
48.	शिक्षा विभाग	4,00,000	–
49.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	2,00,000	–
50.	कला और संस्कृति	43,90,00,000	–
51.	महिला और बाल विकास विभाग	1,00,000	–

1	2	3	
	उद्योग मंत्रालय		
52.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	59,12,00,000	–
54.	भारी उद्योग विभाग	365,14,00,000	75,94,00,000
55.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	2,00,000	–
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
56.	सूचना, फिल्म और प्रचार	4,40,00,000	–
	श्रम मंत्रालय		
58.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	–
	विधि और न्याय मंत्रालय		
60.	निर्वाचन आयोग	1,20,00,000	–
	खान मंत्रालय		
63.	खान मंत्रालय	–	60,01,00,000
	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
64.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	–

1	2	3	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
66.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	–
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
67.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,44,00,000	–
	विद्युत मंत्रालय		
71.	विद्युत मंत्रालय	–	2,00,000
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय		
72.	ग्रामीण विकास विभाग	1,00,000	–
73.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी निवारण विभाग	3,00,000	50,00,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
75.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	–
	इस्पात मंत्रालय		
78.	इस्पात विभाग	11,74,00,000	13,00,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
80.	सड़कें	41,30,00,000	1,00,000
81.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	101,64,00,000	43,19,00,000

1	2	3	
	कपड़ा मंत्रालय		
82.	कपड़ा मंत्रालय	5,03,00,000	16,71,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय		
83.	शहरी विकास	–	1,00,000
84.	शहरी रोजगार और गरीबी निवारण	1,00,000	1,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
87.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	3,51,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा	17,75,00,000	–
	महासागर विकास विभाग		
92.	महासागर विकास विभाग	1,00,000	–
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
95.	राज्य सभा	4,14,00,000	–
96.	लोक सभा	17,98,00,000	–
98.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	37,00,000	–

1	2	3	
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
99.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	23,87,00,000	34,00,000
100.	चंडीगढ़	93,92,00,000	2,00,000
101.	दादरा और नगर हवेली	14,39,00,000	1,10,00,000
102.	दमन और दीव	11,11,00,000	–
103.	लक्षद्वीप	11,79,00,000	–
जोड़		95,34,89,00,000	19,42,09,00,000

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनाधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 8, 14, 24, 56, 82 और 83"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांग की राशि
1	2	3
8	पर्यटन विभाग	3,71,97,921
14	दूरसंचार विभाग	448,07,48,924
24	आर्थिक कार्य विभाग	2,18,05,862
56	प्रसारण सेवाएं	2,73,01,021
82	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	50,14,85,418
83	लोक निर्माण कार्य	6,23,40,688
	जोड़	513,08,79,834

रात्रि 00.14 बजे (17.3.99)

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधयेक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति करता हूँ और मेरी आपत्ति कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री वारकला राधाकृष्णन, इस समय नहीं। आप अपनी आपत्ति मांगों पर चर्चा के समय उठा सकते थे।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मेरी आपत्ति नियम 74 के अधीन है, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999, आज सुबह के सत्र में ही परिचालित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: उस समय आपका नाम पुकारा गया था। तब आप अपने स्थान पर नहीं थे।

श्री वारकला राधाकृष्णन: विनियोग (लेखानुदान) विधेयक कोई नई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वारकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: समिति प्रणाली में लेखानुदान होता ही है। यह कोई नई बात नहीं है। इस विधेयक को पहले परिचालित किया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया। इसका अध्ययन करना हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं, विधेयक पुर:स्थापित* करता हूँ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2, दिनांक 16.3.99 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 00.17 बजे

विनियोग विधेयक, 1999*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय मैं विधेयक को पुर: स्थापित** करता हूँ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2, दिनांक 16.3.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री जी विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वारकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन: क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित तक नहीं किया जा सकता? मुझे यह अधिकार है कि मेरी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 00.19 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1999*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2, दिनांक 16.3.99 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जिनती राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूँ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जिनती राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अनुसूची विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 00.21 बजे (17.3.1999)

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 16 मार्च, 1999/25 फाल्गुन, 1920(शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
90	1, 13 और 16	हडको	हुडको
144	4	"(ख)से (ग) विवरण संलग्न है ।"	का लोप करे ।
180	24	डा॰ अशोक पाटिल	डा॰ अशोक पटेल
501	8	जुलाई	जुलाई, 1998
514	5	दिया हुआ है ।	यह दिया हुआ है ।
514	अन्तिम पंक्ति के पश्चात पाद टिप्पण	*----------	
		* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।	
			जोड़िए ।
536	13 और 36	श्री सुदीप बंधोपाध्याय	श्री सुदीप बंधोपाध्याय

पी.एल.एस.–48/9/16/99 (एन०)
220

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।